M2, NSL
15269
1262

हिन्दुस्थान समाचार वार्षिकी

१९७९

(Year Book 1979)

[विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शिक्षण संस्थाओं एवं पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत]

संपादक
बालेश्वर अग्रवाल
शिवकुमार गोयल

प्रकाशक
भारत भारती
६-एम, भगतसिंह मार्केट
नई दिल्ली-११०००१

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

प्रकाशक :
भारत भारती
६-एम, भगतसिंह मार्केट
नई दिल्ली-११०००१

सर्वाधिकार : प्रकाशकाधीन

N2, N61
15269

तेरहवां संस्करण

मुखपृष्ठ : अगला प्रधानमन्त्री कौन ?

मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय
वाराणसी।
आगत क्रमांक 1262
दिनांक 27/6/1980

मूल्य : २५ रुपए

मुद्रक :
नरेन्द्र प्रिंटिंग प्रेस
२० मॉडल बस्ती, नई दिल्ली-११०००५

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

समर्पण

जनसामान्य को स्वाधीनता की अनुभूति कराने की पहली शर्त है स्वभाषा की प्रतिष्ठा और नित्यप्रति के जीवन में उसका प्रयोग। क्योंकि जनभाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सत्ता और समाज, विद्वान तथा साधारण जन के बीच की दूरी समाप्त कर के एक-दूसरे को समझने और पारस्परिक सहयोग का कार्य सहज सम्पन्न किया जा सकता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति स्वभाषा के माध्यम से जिस सशक्त एवं सक्षम ढंग से की जा सकती है, किसी विदेशी भाषा में वह कार्य कर पाना सम्भव नहीं। यह एक निर्विवाद एवं अनुभव-सिद्ध बात है कि चाहे ज्ञान-विज्ञान का क्षेत्र हो या साहित्य-संस्कृति का, सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करने का कार्य हो अथवा देशवासियों को आर्थिक समता प्रदान करने तथा विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने का उपक्रम, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर प्राणोत्सर्ग के लिए प्रेरित करना हो या फिर कर्तव्य-बोध कराने का प्रयास—इन सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी स्वभाषा की समृद्धि ही है। देश की जनता अपने जीवन से सम्बन्धित प्रश्नों—क्यों, क्या, किसलिए, को बेहतर ढंग से स्वभाषा में ही समझ सकती है। अपने राष्ट्रजीवन के अतीत की गौरव-गाथा, पराक्रम और जय-पराजय के प्रकरण का ज्ञान, देश के बहुमुखी विकास के लिए चल रहे प्रयासों की अनुभूति और उज्ज्वल भविष्य की मनोरम कल्पनाओं का स्वरूप यदि हम देश के जन-जन तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमें यह कार्य उसी भाषा और लिपि में करना होगा जो देश की जनता की अपनी भाषा और लिपि है। यही एक ऐसा सशक्त सफल माध्यम है जो उसकी भावनाओं को शब्द रूप में साकार करता है।

किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह कार्य जितना आवश्यक और उपयोगी है उतना ही कष्टसाध्य भी। भाषणों एवं प्रवचनों द्वारा भाषा के प्रति स्वाभिमान की भावना तो जगाई जा सकती है किन्तु भाषण अथवा प्रचार मात्र से विकल्प उत्पन्न नहीं किया जा सकता। विकल्प निर्माण करने के लिए आवश्यक होती है कृति। एक ऐसी सतत साधना जिसकी सिद्धि समृद्धि को जन्म देती है। भाषा और साहित्य के क्षेत्र में आज इसी कष्टसाध्य सिद्धि की आवश्यकता है। हमें इस प्रकार की सामग्री का सृजन और संयोजन करना होगा कि देशवासियों को किसी विदेशी भाषा का मुँह ताकने की नौबत ही न आये। ज्ञान-विज्ञान, तकनीक, साहित्य, अर्थनीति, राजनीति, कूटनीति और जीवन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित विषयों पर यदि पर्याप्त सामग्री अपनी भाषा में उपलब्ध हो सके तो अनेक ऐसी प्रतिभाओं को चमकने का अवसर मिल सकता है जो अभी तक विदेशी भाषा के कष्टसाध्य अध्ययन और समझ के अभाव में दबी पड़ी हैं और निरन्तर बुझती जा रही हैं।

अपने देश के मानस से अंग्रेजी भाषा के एकाधिकार को भंग करने के जो अनेक प्रयास चल रहे हैं, 'हिन्दुस्थान समाचार वार्षिकी' उनकी एक सशक्त कड़ी है। सीमित

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

में सम्पूर्ण सँजोने का वह एक अनूठा प्रयोग है। सन्दर्भ ग्रंथ के माध्यम से देश और विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित उन जानकारियों को सहज ही उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान किया गया है जो साधारणतः प्रत्येक जागरूक नागरिक के लिए अतीव आवश्यक हैं। भूगोल और इतिहास से लेकर, अन्तरिक्ष में प्राप्त नवीनतम उपलब्धियों तक की जानकारी इसमें समाहित है। अब तक यह कार्य अंग्रेजी के माध्यम से केवल अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों के लिए ही सम्भव था, किन्तु अब अंग्रेजी न जानने वाला भी इस सन्दर्भ ग्रन्थ का अध्ययन करके सभी आवश्यक जानकारियों से अवगत होने का दावा कर सकता है।

स्मरण रहे कि 'हिन्दुस्थान समाचार 'वार्षिकी' का यह तेरहवां संस्करण है। इसके पूर्व के बारह संस्करणों को शासन और समाज दोनों ने जिस उत्साह और आदर के साथ अपनाया है, उससे हमें पर्याप्त बल मिला है। देशवासियों की ज्ञान-पिपासा का अनुभव हुआ है। साथ ही हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यदि स्वदेश की भाषा में सामग्री उपलब्ध हो तो देशवासी विदेशी भाषा की मृग-मरीचिका के पीछे दौड़ना बन्द करके देश के बहुमुखी विकास और निर्माण की मंजिल की ओर दृढ़ता, आशा एवं विश्वास के साथ बढ़ सकते हैं। उनका बहिर्मुखी जीवन अन्तर्मुखी हो सकता है।

प्रस्तुत सन्दर्भ ग्रन्थ के पीछे यही उपरोक्त प्रेरणा निहित है। किन्तु हमें यह स्वीकार करने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है कि इसे जितना व्यापक और वृहत् होना चाहिए, उतनी समग्रता इसमें नहीं आ पाई है। इसे सम्पूर्ण बनाने की इच्छा होते हुए भी हम इसे पूर्ण नहीं बना पाये। इसमें अनेक कमियां रह गई हैं। किन्तु उनकी ओर हम सचेत तथा सतर्क हैं। जिन प्रबुद्ध पाठकों के हाथ में हम इस सन्दर्भ ग्रन्थ को समर्पित कर रहे हैं, उनसे यह हार्दिक निवेदन है कि वे अपने बहुमूल्य सुझाव और सुस्पष्ट समालोचना से हमें अवगत करायें। आप सबका स्नेह, सहयोग तथा सुझाव ही हमारी अक्षय संपदा है।

हम उन सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और राज्य सरकारों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग के अभाव में इस ग्रन्थ का प्रकाशन सम्भव नहीं हो पाता। हमें विश्वास है कि आप सबका यह स्नेह और सहयोग भविष्य में भी मिलता रहेगा।

माँ भारती के उज्ज्वल तथा समृद्धिशाली भविष्य की अभिलाषा से आप सबकी सेवा में संलग्न :

विनीत

बालेश्वर अग्रवाल

सचिव

भारत भारती

नई दिल्ली

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अनुक्रम

विषय — पृष्ठ संख्या

१. **भारत :** — १—८

भौगोलिक परिचय, प्राकृतिक संरचना, भारतीय पठार, नदी-प्रणालियाँ, मरुस्थल, जलवायु, भूगर्भीय ढाँचा।

२. **काल गणना :** — ९—१५

काल का सूक्ष्मतम विभाजन, कालचक्र, पंचांग, कालमान।

३. **भारतीय इतिहास :** — १७—३७

वैदिक काल, रामायण-काल, महाभारत-काल, मध्य-काल, यूनानी आक्रमण, मौर्य वंश, शुंग वंश, गुलाम वंश, मुस्लिम आक्रमण, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश, सिक्खों का उत्थान, मराठा काल, शिवाजी के उत्तराधिकारी, पेशवाओं का उत्थान, मराठों का पतन, अंग्रेजों का अधिकार, भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, भारत संघ के वैधानिक गवर्नर जनरल, भारत के राष्ट्रपति।

४. **स्वाधीनता-संग्राम :** — ३९—५८

१८५७ का स्वातन्त्र्य-समर, प्रथम आहुति, कूकों का बलिदान, कांग्रेस की स्थापना, गाँधीजी का सत्याग्रह, प्रथम महायुद्ध, विदेशों में क्रान्ति की ज्वाला, लार्ड हार्डिंग पर बम, काले कानून का विरोध, जलियाँवाला काण्ड, काकोरी काण्ड, साइमन कमीशन का विरोध, गोलमेज सम्मेलन, अंग्रेजो भारत छोड़ो, आजाद हिन्द सेना की स्थापना, स्वाधीनता का उदय, नेहरू जी का नेतृत्व, शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत का गौरव, श्रीमती इन्दिरा गांधी, कांग्रेस का विघटन, बंगला देश का निर्माण, श्रीमती गांधी : तानाशाही का अन्त, श्री मोरारजी देसाई, भारतीय इतिहास का तिथिक्रम।

५. **प्राचीन साहित्य :** — ५९—६४

वैदिक संहिता, वेदांग, छान्दोग्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य।

६. **भारतीय विचारक :** — ६५—७२

७. **भारतीय पर्व और त्यौहार :** — ७३—७७

मुस्लिम त्यौहार, ईसाई त्यौहार, राष्ट्रीय दिवस।

८. **भारत दर्शन :** — ७९—९२

उत्तर प्रदेश, विहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम व त्रिपुरा, तमिल-नाडु, कर्नाटक, केरल, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली।

९. **राष्ट्रीय मानबिन्दु।** — ९३—९४

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१०. उपग्रह 'भास्कर' ९५ - ९९

परीक्षण उद्देश्य, भास्कर का विवरण, आर्यभट्ट, परमाणु विस्फोट, डॉ० भाभा की भविष्य-वाणी, शान्तिपूर्ण उपयोग।

११. भारत की शासन-व्यवस्था : १०१—१२६

संविधान, संविधान की विशेषताएं, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के निदेशक तत्व, केन्द्रीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विषयों का वर्गीकरण, संघ-राज्य-क्षेत्र, भाषा, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, भारत की संचित निधि, लोक सेवा आयोग, बजट, भाषायी अल्पसंख्यकों का संरक्षण, संघ की न्यायपालिका, संविधान में संशोधन, राज्य, संघ और राज्यों का परस्पर सम्बन्ध, स्वायत्त शासन।

१२. भारत की न्याय-व्यवस्था : १२७—१३३

ग्राम-पंचायत, प्रेसीडेन्सी शहरों के सिविल न्यायालय, प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं का पृथक्करण, दाण्डिक न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, विधि की भाषा।

१३. रक्षा व्यवस्था : १३५—१४५

पाक-आक्रमण व बंगला देश की मुक्ति, इस्लामी बम का खतरा, भारत के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष, रक्षा मन्त्रालय, सेनाओं का संगठन, स्थल सेना, नौसेना का प्रशासन, वायु सेना, सेना की परम्परा, सीमाओं की रक्षा, पड़ौसी देशों से हथियारों की होड़।

१४. शिक्षा : १४७—१६०

शिक्षा नीति, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा में सुधार, प्रौढ़ शिक्षा, केन्द्रीय शिक्षा निदेशालय, विदेशों में हिन्दी प्रसार, भारत के विश्वविद्यालय, भारतीय भाषाएं, संगीत नाटक अकादेमी, साहित्य आकादेमी, ज्ञानपीठ, पुरस्कार, स्वतन्त्र भारत में शिक्षा, महिला शिक्षा परिषद, हिन्दी शिक्षा समिति।

१५. जन स्वास्थ्य : १६१—१७०

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार नियोजन, अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष, चेचक से मुक्ति, तपेदिक, नेत्र रोग, कुष्ठ, कैंसर, मानसिक रोग, बच्चों में अंधेपन की रोक, राष्ट्रीय हैजा नियन्त्रण कार्यक्रम, भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ, देश के मैडिकल कालेज, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, स्वास्थ्य योजनाएं।

१६. कृषि : १७१—१७६

१७. सिंचाई और बिजली : १७७—१८२

१८. परिवहन तथा पर्यटन : १८३—१९१

वायु परिवहन, अनुसूचित विमान परिवहन, फ्लाइंग क्लब, ग्लाइडिंग क्लब, रेल, रेल बजट, सड़क परिवहन, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सड़क, जलमार्ग परिवहन, पर्यटन, विदेशों में पर्यटन कार्यालय।

१९. डाक-तार. संचार : १९४—१९७

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

डाक-सेवाएं, ग्रामों में डाक सेवा, टेलीफोन, हिन्दी में टेलीफोन निदेशिकाएं, तारघर, गांवों में डाकघर, विभाग में हिन्दी की प्रगति, प्रदर्शनी, अन्तर्राष्ट्रीय सेवा।

२०. सहकारी आन्दोलन : १९९—२०३
संक्षिप्त इतिहास, केन्द्रीय सहकारी बैंक, भूमि-निकास-बैंकों द्वारा प्रदत्त दीर्घकालीन ऋण, वितरण प्रणाली।

२१. उद्योग : २०५—२१५
औद्योगिक प्रगति, नई औद्योगिक नीति, निर्यात, ग्रामीण दस्तकार कार्यक्रम।

२२. योजना : २१७—२२५
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, विकास परिव्यय का स्वरूप, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, भूमि सुधार, सिंचाई, बिजली, उद्योग और खनिज, ग्रामीण और लघु उद्योग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार-कल्याण और पोषाहार, योजना आयोग, छठी योजना।

२३. वाणिज्य-व्यापार : २२७—२३४
निर्यात में वृद्धि, चाय, काफी, तम्बाकू, चीनी, सूती वस्त्र, हस्तशिल्प। आयात, प्रमुख वस्तुओं के निर्यात।

२४. बजट १९७८-७९। २३५—२३९

२५. भारत : जनसांख्यिकी। २४१—२४९

२६. विज्ञान : २५१—२६३
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान, चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान एकांश, कृषि अनुसंधान, प्रतिरक्षा अनुसंधान, परमाणु-शक्ति तथा अन्तरिक्ष अनुसंधान, विज्ञान लेखकों का सम्मान।

२७. भारत में विस्थापित : २६५—२७३
पाकिस्तान व बंगलादेश के विस्थापित, उगांडा से निष्कासन, बर्मा से निष्कासन, तिब्बती विस्थापित, पुनः आगमन, बंगला देश में पुनः उत्पीड़न, पाकिस्तान से पुनः निष्कासन शुरू।

२८. क्रीड़ा : २७५—२८८
१९७८ की उपलब्धियाँ, लॉन टेनिस, ओलम्पिक खेल, ओलम्पिक पदक-तालिका १९७७, ७वें एशियाई खेलों का लेखा-जोखा, भारतीय कुश्तियों का लेखा-जोखा, बाक्सिंग एवं शूटिंग, भारोत्तोलन, बैडमिंटन, तैराकी, एथलेटिक्स, अन्य प्रतियोगिताएं, भारतीय पदक विजेता खिलाड़ी, राष्ट्रमण्डल खेल, भारत में विश्व खेल, भारतीय विश्व-चैम्पियन, हमारे प्रसिद्ध खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ियों के राष्ट्रीय रिकार्ड, भारतीय महिला खिलाड़ियों के राष्ट्रीय रिकार्ड, पुरस्कार एवं सम्मान, विश्व क्रिकेट-सम्मान, विस्डन-अलंकरण, अर्जुन पुरस्कार।

२९. भारतीय चलचित्र : २८९-२९५
एक बड़ा उद्यम, भारत में प्रथम, नई लहर की फिल्में, राष्ट्रीय फिल्म

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

पुरस्कार योजना, राष्ट्रीय पुरस्कार, १९७८ के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विदेशी फिल्मोत्सवों में पुरस्कृत भारतीय फिल्में, सेंसर।

३०. **पाकिस्तानी आक्रमण :** २९७—३०४

भारत पर पाक आक्रमणों का इतिहास, कश्मीर पर आक्रमण (१९४७), कच्छ पर आक्रमण, कश्मीर पर पुनः आक्रमण, (१९६५), भारतीय विमान का अपहरण, १९७१ का आक्रमण, भारत की विजय, शिमला-समझौता।

३१. **चीन का आक्रमण—पृष्ठभूमि :** ३०५—३१०

हमले की शुरूआत, चीन नक्शों में भारतीय क्षेत्र, चीन की सेनाओं का अतिक्रमण।

३२. **समाचार-पत्र एवं प्रसारण :** ३११—३२२

हिन्दी में सर्वाधिक पत्र, समाचार पत्रों और नियतकालिकों की संख्या, समाचार-समितियाँ, प्रेस-सुधार, विदेशी संवाददाताओं का निष्कासन, गुटनिरपेक्ष संवाद संघ, फिल्म प्रभाग, फिल्म समारोह।

३३. **अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष :** ३२३—३२९

राष्ट्रीय योजना, शिशु मृत्यु दर, भयावह स्थिति, पोषण कार्यक्रम, सेवा की व्यवस्था, निराश्रित बच्चे, बाल अपराध, अपराधों की जड़ : बाल अपराध, सरकारी तंत्र, बाल श्रमिक, असंगठित क्षेत्रों में बाल श्रम प्रथा, अनिश्चित भविष्य।

३४. **अन्त्योदय कार्यक्रम :** ३३१—३३३

परिवारों का चयन, उत्तर प्रदेश में प्रगति, राजस्थान में ऋण, हिमाचल प्रदेश।

३५. **विदेशों में भारतवंशी :** ३३५—३४६

बर्मा से शुरूआत, श्रीलंका, बंगलादेश, मलयेशिया और सिंगापुर, मारीशस, फिजी, गुयाना, पूर्वी अफ्रीका, कीनिया, मोम्बासा, भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, भारत सरकार की योजना, रोजगार के बहाने विदेश भेजा जाना।

३६. **राजनीतिक दल :** ३४७—३५२

जनता पार्टी, लोकदल, कांग्रेस (आई), कांग्रेस में विभाजन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम।

३७. **१९८० के मध्यावधि चुनाव :** ३५३—३५६

परिशिष्ट : ३५७—४२४

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल, राज्यसभा, राज्य और संघीय क्षेत्र, राजदूतावास और उच्च आयोग, महत्वपूर्ण घटना-क्रम।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल

जनता की लोकतांत्रिक ढंग से सेवा करने के

अपने संकल्पों को दुहराता है।

—: उपलब्धियां :—

स्थापित उत्पादन क्षमता	१३१५.५ मेगावाट
ई० एच० टी० लाइनों की लम्बाई	६२०५ सर्किट कि०मी०
विद्युतीकृत गांव एवं शहर	२०,०१४
विद्युतीकृत हरिजन बस्तियाँ	४,६११
सिंचाई पम्प जिनके लिए लाइनें बिछाई गई	३,२५,८८२
सकल विद्युत उपभोक्ता	१४,४४,२१०

जन सम्पर्क विभाग मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल
जबलपुर द्वारा प्रसारित

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

शुभ कामनाओं सहित

मध्य प्रदेश ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल

१. प्रदेश के १४ आदिवासी जिलों के विकास प्रक्षेत्रों में १४ परियोजना स्तरीय इकाईयों व पांच खादी केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

२. राज्य की वार्षिक आयोजना के अन्तर्गत देवास, दमोह, भिण्ड और रायपुर जिलों में ग्रामोद्योग का सघन कार्यक्रम किया जा रहा है।

३. प्रदेश के २६ जिलों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की इकाईयों को सहायता दी गई है।

४. टीकमगढ़, दतिया, मुरैना, सतना और गुना जिलों में लीड बैंकों की सहायता से १३२ उद्योग इकाईयाँ स्थापित की गई।

५. ग्वालियर में कंबल केन्द्र द्वारा इस वर्ष ११६३६ नग कंबल का उत्पादन तथा १३.१२ लाख रुपये की बिक्री की गई और ५७९ लोगों को रोजगार दिया गया।

बढ़ते हुए कार्यक्रम की सहायता में सहयोग हेतु समितियाँ, संस्थायें तथा कारीगर सादर आमंत्रित हैं।

कृपया ध्यान दें

अपने घरों, दुकानों, फैक्टरियों और कार्यालयों में जिन बत्तियों, पंखों, कूलरों, हीटरों आदि की आवश्यकता न हो—उन्हें बन्द रखिए।

इससे आपका बिल भी कम आयेगा।

बिजली की शक्ति का अनावश्यक प्रयोग रोक कर राष्ट्रीय उत्पादन में अपना सहयोग दीजिए।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान

संख्या : पी० आर० ओ०/३१९८

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मध्य प्रदेश आपका स्वागत करता है—

❀

मध्य प्रदेश भारतीय इतिहास और भूगोल का ही नहीं कलाओं, दर्शन, धर्मों आदि का भी मध्य स्थल रहा है। अनेक दृष्टियों और परम्पराओं ने यहाँ परस्पर मिल जुलकर मनुष्य की नियति, उसके अस्तित्व के अर्थ और अस्मिता की खोज और साक्षात्कार किया है।

मध्य प्रदेश को पुरातात्विक सम्पदा से समृद्ध होने का गौरव प्राप्त है—

यहाँ:—

- औरछा, इस्लाम नगर, भीरमदेव, नरवर, ग्वालियर का दुर्ग, सिरपुर, हिंगलाजगढ़ का किला।
- इन्दौर में स्थित राजवाड़ा, धुवेला में स्थित राजा छत्रसाल का महल आदि अनेकानेक स्मारक/स्थल पर्यटकों के लिए विशेष दर्शनीय है।
- भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, रायपुर, जबलपुर, धुबेला, रामवन, शिवपुरी, धार और विदिशा में राज्य के महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं जिनमें विशिष्ट पुरावशेषों का अलौकिक प्रदर्शन विद्यमान है।

पुरातत्व-महत्व के स्थलों का भ्रमण कीजिए। विस्तृत जानकारी पुरातत्व विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल से प्राप्त की जा सकती है।

सू० प्र० सं० ४१४५/७६

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मध्य प्रदेश की यात्रा कीजिए

'तीर्थयात्राओं की पावन भूमि'

सांची	: जहाँ भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और महामोग्लायन के अवशेष अवस्थित हैं।
उज्जैन	: भगवान महाकालेश्वर की नगरी, पृथ्वी के केन्द्र बारह-ज्योतिर्लिंगों में से एक।
अमरकंटक	: पतित पावनी नर्मदा का उद्गम स्थान।
चित्रकूट	: जहाँ भगवान राम ने वनवास अवधि का कुछ काल व्यतीत किया और गोस्वामी तुलसीदास को दर्शन दिये।
ओंकारमान्धाता	: पुण्यतोया नर्मदा के बीच ओम गिरिक पर अवस्थित बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक।
महेश्वर	: आद्य शंकराचार्य की चरण धूलि से पुनीता, महिष्मती की पुरातन नगरी।

मध्य प्रदेश में तीर्थ यात्रा एवं दृश्यावलोकन के और भी अनेक दर्शनीय स्थल।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बिहार पंचायती राज फाइनेन्स कारपोरेशन लि०,

(बिहार सरकार का प्रतिष्ठान)

निबंधित कार्यालय :—मथुरा प्रसाद सिन्हा रोड, कदम कुआँ, पटना-३

स्थापित : १९७४

बिहार पंचायती राज फाइनेन्स कारपोरेशन लि०, का मुख्य उद्देश्य विभिन्न पंचायती राज संस्थानों जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जिला बोर्ड आदि को वित्तीय सहायता प्रदान कर गांवों का विकास करना है। यह निगम पंचायतों को ट्रैक्टर की आपूर्ति करता है तथा सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराने के लिए ऋण तो देता ही है, साथ ही कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, गरीबों के उत्थान एवं जीविका के लिए दुधारू मवेशी के क्रय हेतु उन्हें ऋण दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के अभाव को देखते हुए निगम उन क्षेत्रों में गोबर गैस प्लान्ट बैठाने के लिए भी व्यक्तिगत ऋण प्रदान करता है। इतना ही नहीं गाँव के वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने के लिए पुराने कमाउ शौचालय को ग्रामीण शौचालय में प्रतिवर्तित तथा नया ग्रामीण शौचालय बनाने के लिए भी निगम द्वारा व्यक्तिगत ऋण देने की व्यवस्था है। पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एवं लघु उद्योगों की स्थापना भी की जाती है। पंचायत समिति एवं जिला बोर्ड को बाजार लायक दुकान बनाने एवं पंचायत उद्योग की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए भी छोटे-छोटे ऋण का उपबंध किया गया है।

अभी तक इस निगम ने २२०६ गोबर गैस प्लान्ट, १६ ट्रैक्टर, २७८ दुधारू मवेशी, के लिए ऋण वितरित किया है तथा ४७ ग्राम पंचायतों को विभिन्न व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता की है तथा १२ पंचायत उद्योग की स्थापना की गयी है।

वर्तमान में मोकामा में आधुनिक दाल त्रि मील, पूर्णियाँ में फल संचलन इकाई, चक्धरपुर में इमली का सत तैयार करने की इकाई एवं बिहार शरीफ में आलू सोख्ता इकाई बैठाने का प्रस्ताव है।

हस्ताक्षर
(बाघम्बर प्रसाद)
प्रवन्ध निदेशक
बिहार पंचायती राज फाइनेन्स कारपोरेशन लि०
मथुरा प्रसाद सिन्हा रोड, कदम कुआँ, पटना-३

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Phone { Office - 331
Res. - 467

LIGHT HOUSE

PATEL MARKET
P. O. CHAS - 827 013
DIST. DHANBAD (BIHAR)

REPUTED HOUSE FOR INDUSTRIAL & DOMESTIC ELECTRICAL GOODS

Authorised Dealers :

Dowell's Products, Standard Switch Gears & H.R.C. Fuses, Bajaj Products, Blue Star Voltage Stabilisers & Calculator Machine, Keitron Calculator Machine, E. C. E. Lamps & Tubes, Heatry, Rex & Elite Appliances, Lilly Bi-Mettalic Washer, Wilson Mini Break Circuit Breaker, Escorts Heating Element.

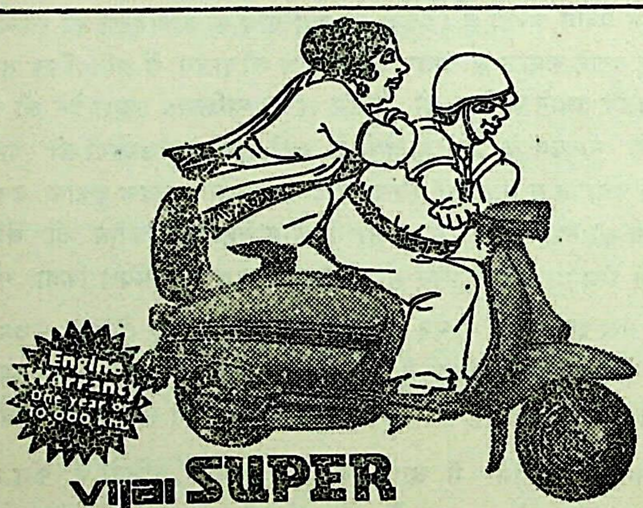

vijai SUPER

The Maximum Performance Scooter with the Technologically Superior Engine.

Other Super Features :

- Super New Magneto - Ensures an unmatched performance of headlight and horn.
- Super Pickup - 0 to 60 kmph in 12.5 seconds.
- Super Comfort - Foot-rest and vertical stepney.

Scooters India Limited

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Gram : "REFRACTORY" Phone : BARAKAR - 231
(4 LINES)

M/s. Kesoram Refractories

(Prop. : KESORAM INDUS. & COTTON MILLS LTD.)

P. O. KULTI

DIST. BURDWAN (W. B.)

Manufacturers of

HIGH QUALITY FIRECLAY REFRACTORIES INCLUDING HIGH ALUMINA AND HIGH GROG, CLAY GRAPHITE STOPPER HEADS, NOZZLES, RAMMING MASSES, CASTABLES AND OTHER SPECIALITIES TO CATER THE REQUIREMENTS OF STEEL PLANTS, FOUNDRIES, CEMENT PLANTS AND OTHER FERROUS AND NON-FERROUS INDUSTRIES.

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

"BY MUTUAL CONFIDENCE
AND MUTUAL AID
ARE GREAT DEEDS DONE........."
WE MARCH SHOULDER TO SHOULDER.
BRINGING UP AN ENLIGHTENED AND
WELL INFORMED PUBLIC ON WHICH RESTS,
OUR CHERISHED DEMOCRATIC FLOWERING,
AWAITS US.

(JANASANYOG, ASSAM)

With best compliments from

Lodging House Committee
GAYA

WELCOMES TOURISTS AND PILGRIMS TO VISIT GAYA

Please arrange to inoculate yourselves
before you visit Gaya.

Lodging House Committee has made elaborate arrangements for the maintenance of health senitation and personal security.

You may avail of stay in the modern, comfortable and centrally located Rest House of the Lodging House Committee at moderate rates.

Reservation on first come first served basis.

PLEASE HELP US TO HELP YOU.

J. K. Sharma
Secretary
Lodging House Committee
GAYA

Mahesh Prasad
District Magistrate & President
Lodging House Committee
GAYA

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Gram : "CERAMIC"
CHIRKUNDA

Phones : Barakar - 405
Chirkunda- 391, 270

M/s. Maithan Ceramic Pvt. Ltd.

P. O. CHIRKUNDA - 828 202

DIST. DHANBAD (BIHAR)

Manufacturer of

TOP QUALITY HIGH GROG FIRECLAY BRICKS FOR COKE-OVEN, STEEL MELTING SHOPS, LADDLES, BLAST FURNACES, STOVES, CHECKER BRICKS FOR BLAST FURNACES, OPEN HEARTH AND REGENERATORS, RECUPERATOR TUBES AND TILES FOR SOAKING PITS, HIGH ALUMINA BRICKS UPTO 70% ALUMINA, INSULATION BRICKS OF ALL DESCRIPTIONS AND CONFORMING TO INDIAN AND FOREIGN SPECIFICATIONS, CASTABLES RAMMING MASSES, PLASTIC ETC. ETC.

Regd. Office

29, GANESH CHANDRA AVENUE

4th FLOOR, CALCUTTA - 700 013

Phone : 26-2384

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

TO OUR BELOVED NATION WE WISH THE PROSPERITY AND SUCCESS IN EVERY FIELD

—: OUR CO-OPERATION :—

We help the poor and middle class people and the Industries under our various schemes.

Sangli Urban Co-operative Bank Ltd.,

HARBHAT ROAD, SANGLI (Maharashtra State)

Estd. : 1935

Serving the nation with its 20 Branch Offices in the District of Sangli, Kolhapur, Beed & Parbhani (Marathawada)

M. H. GODBOLE
CHAIRMAN

Gram : "SHARRAF"

Phones : Barakar 572, Chirkunda 315

M/s. Bengal Bihar Firebricks & Pottery Works P. Ltd.

P.O. MUGMA
DIST. DHANBAD (BIHAR)

Manufacturers of:

High Quality Insulating Bricks and Fireclay Refractories of all Sizes, Shapes & Descriptions

Regd. Office

26, BURTOLLA STREET
CALCUTTA - 700 007
Phones: 33-4897 & 33-4707

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Gram : KHENCO Phone : 7001, 6810

Khurana Engineering Company

H. O. : 21-Cooperative Colony

Bokaro Steel City-827 001

Engineers, Fabricators and erectors of Structure and Mechanical Equipment for Steel plant, Thermal power station, Material handling System and Plant maintenance.

Erectors of Asias Biggest Sinter Cooler at Bokaro Steel Plant.

Erection and Commissioning ASIA's Haviest and longest conveyor system for Visakhapatnam port trust.

Specialist in erection and commissioning of Bell type annealing furnaces.

Specialist in Steel Plant maintenance works.

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Phone - 6826

M/s. SHUBHCONS

MECHANICAL ENGINEERS & CONTRACTORS

114, Co-Operative Housing Colony

Bokaro Steel City - 827 001

Dist. Dhanbad (Bihar)

SPECIALIST IN :

ERECTION OF ROLLING MILLS, MECHANICAL EQUIPMENT, MACHINERIES, OVERHEAD CRANES, CONVEYORS AND CONVEYOR EQUIPMENT, TECHNOLOGICAL PIPELINES AND STRUCTURALS

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Hindustan Aluminium Corporation Limited

(India's Leading Producer of Aluminium)

Producers of

PRIMARY METALS
PROPERZI RODS
ROLLED PRODUCTS
EXTRUSIONS

and

HINDALIUM ALLOY FOR UTENSILS

Works

Post Office - RENUKOOT

District - MIRZAPUR (U.P.)

Grams : HINDALCO, Renukoot
Phone : PIPRI - 79

Lucknow Office

23, VIDHAN SABHA MARG

LUCKNOW - 226 001

Grams : HINDALCO, Lucknow
Phone : Office - 48819

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Phone { Office : 479
Res. : 444

DEEPAK ENTERPRISES

P. O. CHAS - 827 013
DIST. DHANBAD [BIHAR]

MANUFACTURER'S REPRESENTATIVE, GOVT. SUPPLIERS & STOCKIST IN EVERYTHING ELECTRICAL GOODS.

AUTHORISED DEALERS FOR :

THE ENGLISH ELECTRIC CO. OF INDIA LTD.
THE NATIONAL INSULATED CABLE OF INDIA LTD.
JAIPUR METALS ELECTRICALS LTD.
GENELEC LTD.
BELREX INDIA LTD.
ANCHOR INDUSTRIES
BASANT PRAN & CO.

With best compliments of

Bhandaridah Refractory Plant

(The First Refractory Plant in Public Sector)

Bharat Refractories Limited

(A Govt. of India Enterprise)

Bhandaridah Refractories Plant

BHANDARIDAH - 829 132
DIST. GIRIDIH (BIHAR)

TELEX : 063 - 213

PHONE { Bokaro Steel City 6478, 6848
Bermo 51

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

पारिवारिक आदर्श आयुर्वेदीय टानिक

- ताजगी और तन्दुरुस्ती के लिये
- विटामिन "सी" से भरपूर
- कफ खांसी, जुकाम-नाशक
- फेफड़े के विकारों में सहायक
- यौवन रक्षा के लिये
- आयु, बलवर्द्धक
- स्मृति-वर्द्धक
- कब्जियत में लाभदायक
- कैल्शियम एवं खून की कमी के लिये
- त्रिदोष-नाशक

बैद्यनाथ ६०० से अधिक दवाएं पांच आधुनिक कारखानों में तैयार करता है।

बैद्यनाथ दवाएं ८०० विशिष्ट विक्रेताओं तथा ६० हजार विक्रेताओं द्वारा देशभर में मिलती हैं।

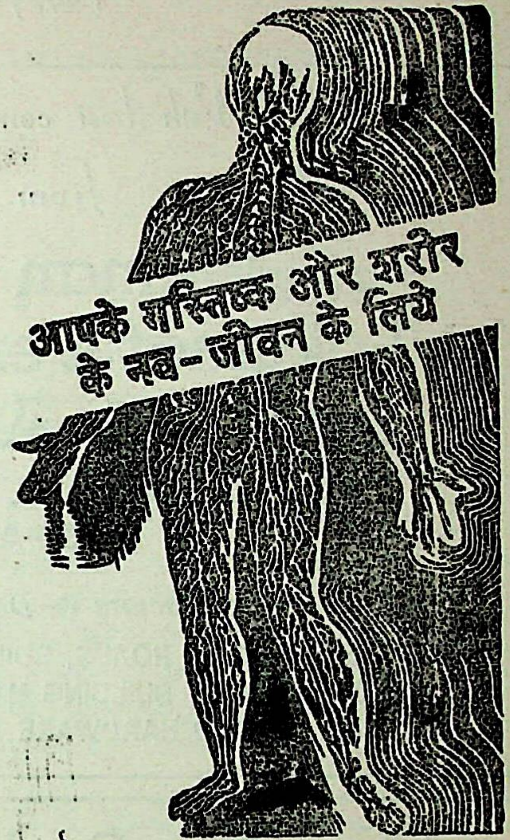

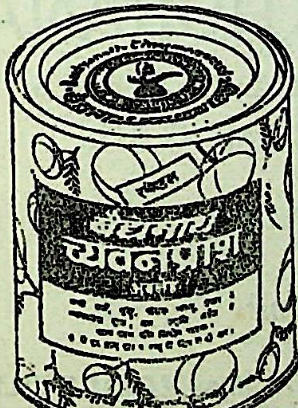

बैद्यनाथ च्यवनप्राश

आयुर्वेद में क्रांति : बैद्यनाथ च्यवनप्राश

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

With best compliments

from

Meman Das
Lokumat Permanand
Lalchand Amar Das

Contractors & Suppliers
BHOPAL

Contractors & Dealing with

CONSTRUCTION OF ROADS, BUILDINGS & GOVERNMENT
SUPPLIERS OF BUILDING MATERIAL, SANITARY
AND HARDWARE ARTICLES.

M/s. M. S. KHURANA

ENGINEERS & BUILDERS
38, AJANTA COMMERCIAL CENTRE

MSK

Associate Firms

M/s. NEW AGE BUILDERS
H-495, SHAH PURA
E-7, ARERA COLONY
BHOPAL

M/s. VASU BUILDERS
H-495, SHAH PURA
E-7, ARERA COLONY
BHOPAL

Sh. G. R. Mantri

Phone No. : 63425, 63254

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

PHONE : 7266

M/s. BHARAT BUILDERS

Engineers & Contractors

(Civil, Structural & Mechanical)
168/E, CO-OPERATIVE COLONY
BOKARO STEEL CITY-827 001
DIST. DHANBAD (BIHAR)

PRESENTLY ENGAGED IN FABRICATION OF STEEL STRUCTURES, ERECTION OF VARIOUS MAJOR EQUIPMENTS SUCH AS CRASHERS, CONVEYING EQUIPMENTS IN DIFFERENT ZONES INCLUDING THE MOST SOPHISTICATED SINTER MACHINE BAND-3 OF BOKARO STEEL PLANT, THE LARGEST OF ITS KIND IN ASIA

With best compliments

from

I. H. CONSTRUCTION CO.

FABRICATOR, ERECTOR, MECHANICAL ENGINEERS & CONTRACTORS

43, CO-OPERATIVE HOUSING COLONY
BOKARO STEEL CITY-827 001
DIST. DHANBAD (BIHAR)

SPECALIST IN CAPITAL REPAIRS OF BLAST FURNACE STEEL MELTING SHOP (WASTE HEAT BOILDERS) FOR OPERATION AND CONSTRUCTION OF BOKARO STEEL PLANT

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

New Bharat Refractories Limited

Manufacturers of

All kinds of Fireclay Bricks & Refractory materials, Pioneer in Coke Ovan Bricks & shapes, Acid proof Bricks, Specialised in pouring Refractories-Sleeves, Bottom pouring etc.

REGD. & HEAD OFFICE

66, G. T. Road, Liluah
Distt. Howrah (W. B.)
Cable : "Lalbawa" Howrah
Phone : 66-3324 & 66-3323
Telex No. 021-3230

WORKS & SALES OFFICE

Bharechnagar (Ramgarh Cantt.)
Distt Hazaribagh (Bihar)
Cable : 'Firebricks'
Phones : Ramgarh Cantt. 48
Kuju 50

Gram : "SHANKAR" RAMGARH CANTT

Phones : Works : Kuju 32 & 62
Resi : Ramgarh-308

M/s. Shankar Refractories Pvt. Ltd.

P.O. BHARECHNAGAR

DIST : HAZARIBAGH (BIHAR)

Manufacturer of

HIGH ALUMINA BRICKS, CLAY GRAPHITE STOPPER HEADS, CASTABLES ETC.

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Gram : "ORIND"
ROURKELA

Phones : 3160 & 3161
CITY OFFICE-3602

M/s. ORISSA INDUSTRIES LIMITED

UDITNAGAR
ROURKELA - 769 012

Manufacturers of

Refractories in Collaboration with Harbison walker Refractories Co.
Pittsburgh, U.S.A.

(ORIND - THE COMPLETE REFRACTORY MAKERS)

Works :

LATHIKATA (NEAR ROURKELA) BARANG (NEAR CUTTACK)

Garm : 'IFICO'
RAMGARH CANTT

Phone : 60 & 192
Telex : 065-240

FOR ALL YOUR REQUIREMENTS OF REFRACTORIES

India Firebricks and Insulation Company Ltd.

(SUBSIDIARY OF BHARAT REFRACTORIES LTD.)
A Government of India Undertaking

Range of Refractories Offered

All Types of Blast Furance Refractories, High Alumina
Bricks Upto 85% AL 203

Ladle Bricks, Coke oven Checkers and Shapes

Castables, Ramming Mass, Mortars and Ceramic Paints

We Employ the Latest Techniques with Intensive Quality
Control, Ensuring High Standard of Products

REGD. OFFICE :
Nirmal Building
21st Floor
Nariman Point,
Bombay-400 021.

WORKS :
NR. Ranchi Road, Rly Station
P.O. Marar - 829117
Dist : Hazaribagh (Bihar)

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

HIMACHAL PRADESH FINANCIAL CORPORATION

Offers Exciting New Opportunities

For Entrepreneurs in Himachal Pradesh

Set up your Industry in the Foothills of the Himalayas in ideal Conditions

- ☐ Cheap and un-Interrupted power supply...............
- ☐ Highly skilled and Motivated Labour...............
- ☐ Ideal Location...............
- ☐ Cheap Land...............
- ☐ Availability of Raw Material...............
- ☐ Subsidies Admissible of Hilly and Backward Areas...............

Besides Financial Assistance

From the Corporation

Himachal Pradesh Invites Industrialists, Hoteliers and Entrepreneurs to Unravel its Industrial Potential

For Details Please Contact

Managing Directer

H.P. FINANCIAL CORPORATION

1st Floor, Kishore Bhawan

The Mall, Simla-171 001

Phone No. 3109, 3552, 5740

Himachal Pradesh - the State Where Things are Happening

OUSTANDING IN THE COMPETITIVE WORLD OF TEXTILES

is the name

Hukamchand Mills Ltd. Indore (M.P.)

(Regd. Office : Mill Premises, Indore)

Manufacturers of

Finest varieties of Cotton and Blended fabrics of the most modern and sophisticated designs with prints bright and exquisite

For Consumers at home and

From

Denmark, Sweden, West Germany, Norway, U.K. Switzerland, Finland, West Indies, Cyprus, and Australia and Newzealand too

Export Office :

48, Mittal Chambers

Nariman Point

Bombay 400 021

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Dealers - Consumers
of
ACID SLURRY
GUARANTEED QUALITY

Active Constituents 85/87%—Brown Dolour Lowest
Spent Acid contents-Best Services
HARD SLURRY (Made with imported DDB)
SOFT SLURRY (Made with LAB)

Enquiries may please be sent to
Shri O.K. Tandon, Marketing Manager
H. P. M. I. D. C. LIMITED
(A Himachal Govt. Undertaking)
HIMRUS, CART ROAD, SIMLA - 171001
Tel : 2754 Gram : Mindcorp

With best compliments

from

Daya Engineering Works Private Limited
ANUGRAHPURI COLONY
GAYA (BIHAR)

Manufacturers of
PRESTRESSED CONCRETE RAILWAY SLEEPERS
POLES & OTHER CEMENT CONCRETE PRODUCTS

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Madhya Pradesh State Forest Development Corporation Limited

B H O P A L

AIMS AT :

Creating man-made forests of Teak and Bomboo

Industrial-linking of forest produce

Establishment of integrated wood based industries

Promoting small-scale and cottage industries

Creating jobs for weaker & Section of Society in remote areas

All round development of Baster by promoting forestry and tribal interests.

Pine-research in Baster with world Bank aid

Our main aim is to make the country green and Prosperous

(*V.K. SETH*)
MANAGING DIRECTOR
MADHYA PRADESH STATE FOREST
DEVELOPMENT CORP. LTD., BHOPAL

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

UNISTAR

Cables & Capacitors

UNISTAR range of products include :-

PEX Cables :

Paper Insulated Power Cables upto 33 KV :
Thermoplastic & Blastomeric Cables :
Mining Cables upto 11 KV : Railway Signalling Cables :
Airfield Defence Cables : Shipbuilding Cables :
Quarry Trailling Cables : Lift Cables :
Drill Cables : Locomotive Cables;
ACC and ACSR Condusctors :
Special Cables to customers specification :
Capacitors for Power Factor Improvement, Fans, Lighting and Motors.

Manufactured by :

Universal Cables Limited

P. O. BIRLA VIKASH
SATNA (M.P.)

With best compliments

from

●

Harbanslal Malhotra & Sons

The makers of

SILVER PRINCE STAINLESS STEEL BLADES

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

The ever present name in every engineering item or industry, leader of the non-ferrous industry striving to serve the National cause, winner of the national award for import substitution.
Proudly take a big step in its endeavour by commissioning a new plant to fulfil their commitment of meeting the evergrowing requirement of hitherto Imported allyos.

Alcobex Metals (P.) Ltd.

24, HEAVY INDUSTRIAL AREA, JODHPUR-3 (RAJASTHAN)

Gram : "ALCOBEX" Telex : 0352-217 Phone : 21771, 23066, 21731

Regd. Office

9-A, Sagar Appartments, 6, Tilak Marg, New Delhi-110 001
Phone : 387693

Regional Offices :

South : 100, Narasimharaja Road
Bangalore. Phone 24953

Gujarat : 28, Relief Road
Ahmedabad. Phone 39254

W. Bengal : 'Dimple Court'
Flat No. E-26
Shakespeare Sarani
Calcutta-700 016.

Selling Agents :

(1)
Rajdhani Metals
1, Ansari Road, Daryaganj
New Delhi-110002.

(2)
Maharashtra Metals Agency
63, Kika Street
Bombay-4.

With Best Compliments From :

Steel Tubes of India Limited

STEEL TUBE ROAD, DEWAS-455 001 (MP)

Gram : STEEL TUBE Phone : 542, 543, 644, 646
Telex : 0732-202 STI IN

Manufacturers and Exporters of :

ERW Steel Tubes in round, squre, rectangular, ovel, triangular and ellipatical shapes, as per British and Indian Standard Specifications.

BRANCHES :

Bombay Calcutta Kanpur Ludhiana Madras New Delhi & Sonepat

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

With best compliments

from

Tractors and Machinery Private Limited

Regd. Office :

25, Ganesh Chandra Avenue

Calcutta-700 013

Workshop :

2, Abudul Ali Row

Calcutta-700 016

Telephone :

Showroom 26-1706 & 26-1707 Workshop 24-1058

Telegrams : TRACTMACH

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

TO SOLVE THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT AND PRICE RISE SAVE WITH THE

Bihar State Co-operative Bank Ltd.

DO YOU KNOW?

1. It offers $\frac{1}{4}$% more rate of interest on all types of accounts than other Commercial Banks and provides all modern banking facilities :
2. The Bank works under the complete guarantee of Govt. of Bihar and under the statutory control of the Reserve Bank of India ;
3. It serves the largest number of agriculturists in the State through 200 branches of the 28 District Central Co-operative Banks and their 29672 affiliated societies ;
4. The Bank has special arrangement for financing agro-bases industrial units working on co-operative lines and thereby solves the problem of unemployment on large scale.
5. It helps in keeping the distribution system in order and arrests price-rise through 1486 Consumers Co-operative Stores of the State :
6. The bank has a strong financial position with a working capital excceding Rs. 69.00 crores ;
7. The Bank's target of Rs. 50.00 crores for financing in currrent year exceeds the target fixed by all other Banks and has target to disburse Rs 100.00 crores to farmers by the end of 1980-81.

For further details, please contact :

B. Prasad, Secretary, Development Department
Bihar State Co-operative Bank Ltd, Patna-4

J. N. Singh, I. A. S.
Special Officer, Cum-Managing Director.

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

GMDC

offers high quality raw materials

FLUORSPAR—in metallurgical & acid grade

SILICA SAND—in various mest sizes

BAUXITE—in various grades

LIGNITE

Forward inquries and orders to :

Gujarat Mineral Development Corporation Limited

(A Government of Gujrat Enterprise)

Opp. Nehru Bridge, 'Khanij Bhawan'

Ashram Road, Ahmedabad-380009

Phone : 76375-76-77-78 **Gram : 'MINCORP'**

Telex : GMDC AM. 012-320

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अधिकांश लोग अभी भी यही सोचते हैं कि हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड सिर्फ इस्पात कारखानों के निर्माण के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। किन्तु सच तो यह है कि आज एच एस सी एल निर्माण कार्य के लगभग हर क्षेत्र में पूर्णतः सुदक्ष हैं।

निर्माण उद्योग की बढ़ती और बदलती हुई जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से अपनी तकनीक, दक्षता और व्यवस्थापन सुविधाओं को निरंतर विकसित करते हुए एच एस सी एल अब सिर्फ कुछ चुनी हुई सेवाएं ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण टर्नकी निर्माण सामर्थ्य उपलब्ध करा रहे हैं।

एच एस सी एल की सामर्थ्य— जो निर्माण के हर क्षेत्र में व्याप्त है।

कार्य संचालन क्षेत्र : एकीकृत स्टील प्लांट ● उपनगरी और भवन ● औद्योगिक प्लांट

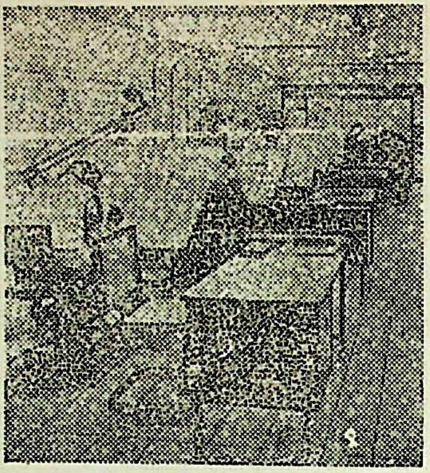

● पुल और राजपथ ● विद्युत प्लांट ● कोक अवेन और केमिकल प्लांट ● साइलो ● ड्राइ डॅक ● बांध ● खनन काम्प्लेक्स।

एच एस सी एल—विदेशों में भी पूर्ण सम्मानित

अब एच एस सी एल की योग्यताओं को विदेशों में भी सम्मान मिल रहा है। इस समय एच एस सी एल लीबिया और ईराक में अनेक परियोजनाओं का काम पूरा करने में संलग्न हैं।

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
१, शेक्सपियर सरणी, कलकत्ता-७०० ०७१

विकास की दिशा में रचनात्मक योगदान

और जो भी कहिए एच एस सी एल उसे तैयार कर देंगे। प्रारम्भिक अभिकल्पन और स्थल-चयन से लेकर अन्तिम संस्थापन और चालू करने तक—यानी एच एस सी एल उपलब्ध कराते हैं निर्माण के हर क्षेत्र में सम्पूर्ण सेवा। संसार में हर जगह।

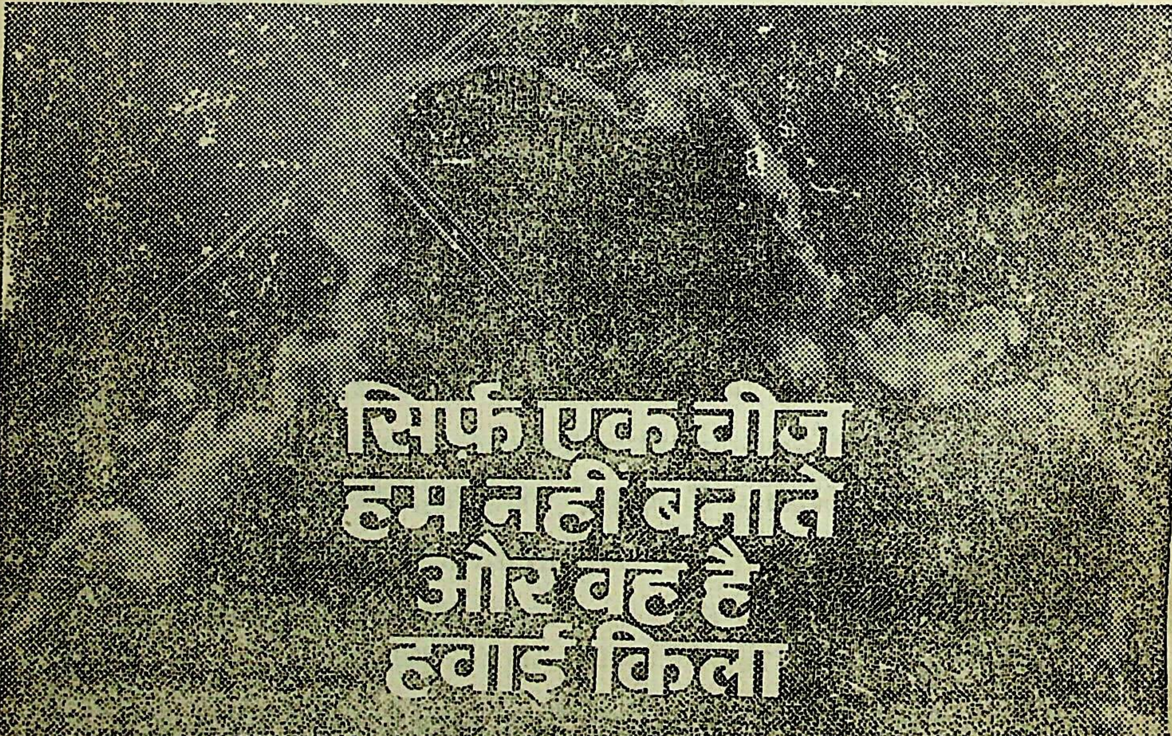

SAA/HSCL/5A HIN 2

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

एक सत्य

कुँआ या खलिहान बनाना
या खेंतों में नहर बनाना
सड़क या मकान बनाना
तो प्रयोग में निश्चित ही लाना
खजुराहो सीमेंन्ट पोजोलाना

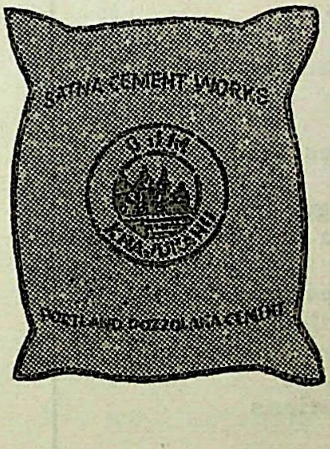

सतना सीमेन्ट वर्क्स सतना (म० प्र०)

प्रो० बिरला जूट मै० कं० लि०, कलकत्ता

पोजोलाना सिमेन्ट की विशेषतायें

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Gujarat State Road Transport Corporation

Achievement Thereof

100% Nationalised Undertaking of Rural Services

Sr. No.	*Details*	*Position as on Last day of the Financial Year.*	
		31-3-61	*31-3-78*
1.	No. of Routes	1774	8858
2.	Effective Kms. operated (In Lacs.)	2.00	11.85
3.	No. of Vehicles held	1767	5670
4.	No. of passenger travelled per day (In Lacs.)	4.01	26.00
5.	Direct Services provided to (A) No. of Villages (Percentage) (B) Population (Percentage)	 — —	 76.9 93.1
6.	No. of Bus Stations	91	185
7.	No. of Pick-up Sheds.	290	1322
8.	No. of places where water arrangement is made.	—	833
9.	No. of Divisions	7	14
10.	No. of Depots	76	109
11.	No. of Refreshment Rooms	120	245
12.	No. of Cloak Rooms	10	71

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ

नागेश्वर भवन, न्यू मार्केट

पटना-८००००१

बिहार राज्य के खाद्यान्न व्यवसायियों की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था के रूप में बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ अपनी समस्त शाखाओं प्रशाखाओं तथा सभी सदस्य बन्धुओं की ओर से १९७९ के वार्षिकी के प्रकाशन पर हार्दिक बधाई।

हमारा प्रकाशन
व्यवसायी संघ संदेश
खाद्यान्न किराना तेल व्यवसाय से
सम्बन्धित बिहार की एक मात्र मासिक पत्रिका

बलराम प्रसाद, एम० काम०
महामन्त्री
बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ
पटना

मध्य प्रदेश वित्त निगम

१ रुपये १०,०००/- से रुपये ३०,००,०००/- तक के ऋण प्रदान करता है।

२ पिछड़े अधिसूचित जिलों में लघु उद्योगों को रियायती वित्तिय सहायता प्रदान करता है।

३ बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों एवं भूतपूर्व सैनिकों को उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष सुविधाओं पर ऋण प्रदान करता है।

४ विश्व बैंक ऋण के अंतर्गत मशीनरी आयात करने हेतु भी ऋण प्रदान करता है।

स्वीकृत ऋण (प्रभावी)	रु० ३,६५०-७६ लाख	जून, १९७९ तक
वितरित ऋण	रु० २,६५६-३५ लाख	,, ,,

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क साधिये :.

शाखाएँ
इन्दौर, भोपाल, जबलपुर
बिलासपुर, ग्वालियर, रायपुर,
सतना, सागर, देवास व रतलाम

प्रधान कार्यालय
वित्त भवन,
बाम्बे आगरा रोड,
इन्दौर-४५२००१

एम० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज प्रस्तुत करती है

मैग्फा के बेजोड़ उत्पादन

(०) मैग्फा मैंगो अमृत (नेक्टर)
(०) मैग्फा मैंगों शरबत
(०) मैग्फा मैंगो (आमरस)
(०) मैग्फा टोमटो केचप
(०) मैग्फा अमरूद की जेली

मैग्फा के शरबत तथा नेक्टर नेसर्गिक आम से बनाये जाते हैं।

स्फूर्ति, ताजगी एवं शक्ति से भरपूर शीतल पेय आपका मन मोह लेंगे।

दि एम० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०
तृतीय खण्ड…पेंचानन…मालवीय नगर, भोपाल

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Enchanting Tamilnadu!

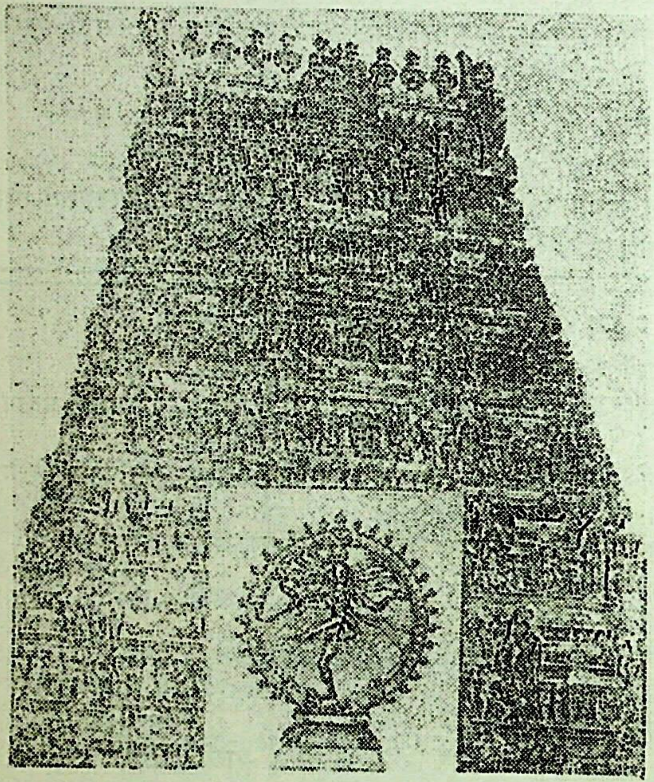

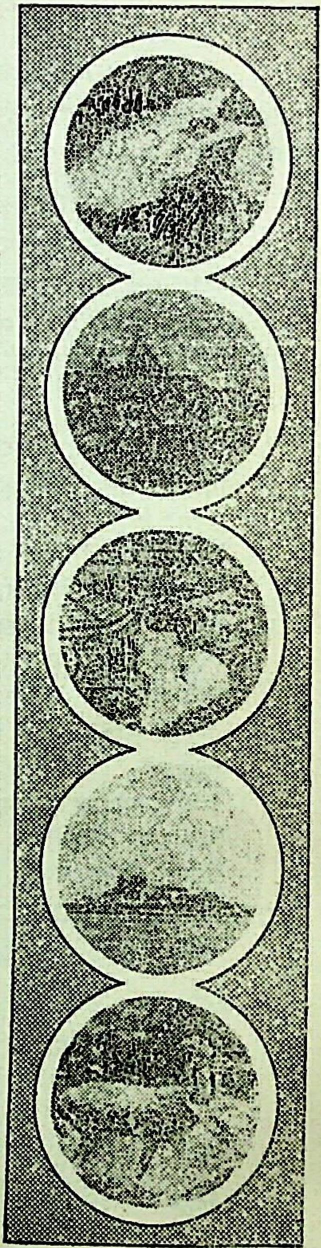

STUDDED WITH TOURIST ATTRACTIONS

Welcome to Tamil Nadu!

Its tourist attractions are simply dazzling!

Come, discover and enjoy its Golden beaches, Silvern waterfalls, the sparkling sea and colourful flora and fauna.

Experience the serenity of its temples, its delightful cultural performances.

Experiences you will never forget!

Its friendly people, radiating with warmth and happiness, will make you feel at home!

Come. And see for yourself!

Issued by
The Director of Information, & Public Relations,
Government of Tamil Nadu, Madras-600 009

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

With Best Compliments From :

READ AND ADVERTISE IN

THE

RAHNUMA-E-DECCAN DAILY

HYDERABAD-12.

Largest-Circulated Urdu Newspaper of SOUTH INDIA

Member of

Indian and Easteran Newspapers Society, NEW DELHI

Audit Bureau of Circulation BOMBAY

Published from Hyderabad

Grams : RAHNUMA

Office : *43210*
Phones : *Press* : *31228*
Res : *31215*

Managing Editor
S. Lateefuddin

Chief Editor
S. Vicaruddin

With Best Compliments

Lakshmi Manufacturing Corporation

Manufacturers of :

RAILWAY WAGON COMPONENTS

Mechanical Engineers & General Order Suppliers,
119/5, Narasingha Dutta Road, Kadamtala,
Howrah-711101

Our W. B. S. T. Registration No. HW/3267A

Phone : 674801

With Best Compliments

Buttweld Industries

ENGINEERS, MANUFACTURERS & EXPORTERS &
RAILWAY WAGON, COACH & LOCO COMPONENTS

(7th Floor)

32, GANESH CHANDRA AVENUE, CALCUTTA-700013

Factory : 67, Howrah Road, Salkia, Howrah.

Phones : Office : 26-6026
: 273341
Factory : 66-5222

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

With Compliments From

Jodhpur Woollen Mills Ltd.

5-6, HEAVY INDUSTRIAL AREA
JODHPUR. (RAJASTHAN)

Manufacturers of:

Woollen Carpet Yarn
Woollen Fabrics
Serge Battle Dress &
Woollen Blankets
Woollen Shawls
Guar Gums Powder

Phones : 21075, 21776, 23216
Telex : 0352-208

Federation of all India Foodgrain Dealers' Associations

The Federation of all India Foodgrain Dealers' Association is a Central apex body of over 400 associations of foodgrain dealers throughout the country and occupies a unique position of its.

The community represented by our Federation has always extended its cooperation in implementing the constructive plans of the Government and containing price rise. The Federation, every year, holds its convention in which various matters affecting the trading community, consumers and farmers are discussed. This is a pioneer organisation which has always been protecting the interests of traders, consumers and the farmers alike. The Federation has always come forward to help the people at the time of natural calamities like drought, famine and floods.

The Federation had the privilege of having its annual conventions inaugurated by eminent leaders of the country during the last twenty years.

The Associations which have not yet become members of the Federation are requsted to join this organisation not only in their own interest but in the larger interest of the Country.

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान, दि.न.नि.

भारत की राजधानी के नागरिकों के लिये निम्न प्रकार सेवारत हैं

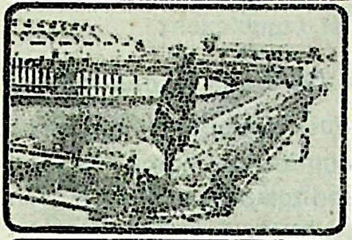

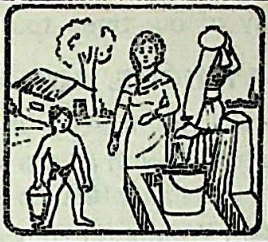

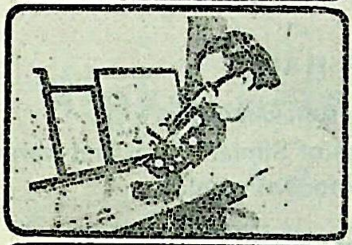

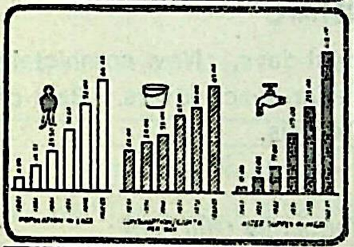

- पीने के लिए तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए विश्व के किसी भी देश के तुलनीय संयंत्रों में शुद्ध करके पानी सप्लाई किया जाता है।
- उपभोक्ता की टूटी तक शोधन के प्रत्येक स्तर पर पानी की कोटि पर निरंतर 24 घंटे नियंत्रण रखा जाता है।
- देश के अन्य महानगरों की तुलना में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अधिकतम दर पर पीने का पानी सप्लाई किया जाता है !
- गरीब लोगों को पीने का पानी प्रदान करने के लिये निशुल्क सार्वजनिक नल लगाये गये हैं।
- अवजल निपटान के लिये एक प्रभावी अवजल निपटान प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
- ओखला अवजल निपटान संयंत्र से भोजनादि पकाने के लिये पाईप द्वारा गैस की सप्लाई की जा रही है।
- खेतिहर भूमि, बागीचों तथा घास के मैदानों के लिये अनेक खाद की सप्लाई की जाती है।

उत्तम सेवाओं के लिये आपका सहयोग अपेक्षित है।

(जन सम्पर्क विभाग, दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान, दि.न.नि. लिंक भवन, बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रसारित)

With best compliments from

Saraf Paper Mills Limited

(Under the supervision of Foreign & Indian Engineers)
Work in speedy progress at Alwar-Rajasthan
Commencing production shortly
For
High quality of writing & printing paper and all other varaities of paper.

Mill :
DELHI-ALWAR ROAD
DISTT. ALWAR (Rajasthan)
Phone : M.I.A. 62

Registered Office :
34, PUSA ROAD
NEW DELHI-110005
Phones : 564359 & 562833

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

An adventurous holiday...........
needs its restful moments too...........
choose any of our three tourist complexes :

HOTEL HOLIDAY HOME, SIMLA (80 beds capacity).

Himachal Tourism's newest and most luxurious, Yet economical Tourist Home. Offers vacation luxury with all the comforts of home. Drive-in and car parking facility, two channel music and telephone in each room. Wall-to-wall carpet. Wonderful view of Simla during night.

HOTEL WILDFLOWER HALL

(Half an hour's reach by car from Simla)

A renowned Tourist Resort on the hilly slopes of Simla. Cosy and warm from the mountain air. With all modern comforts.

HOTEL PALACE, CHAIL

A grafefully built structure, reminiscent of royal days. Now completely renovated for elegant stay. An ideal place for peace lovers. Best of cuisine and reasonable rentals.

For reservation, please contact our Information Offices at :

Chanderlok Building, 36, Janpath, New Delhi.	**Tel. 345320**
S C.O. 1048-49, Sector 22-B, Chandigarh.	**Tel. 21686**
Balaka-6C, 63-8, Ballygunje Cir. Road, Calcutta-19.	
Opposite Railway Station, Pathankot.	**Tel. 416**
Crawferd (M.J.P.) Market, Wholesale Egg Section, 1st Floor, Bombay-400 001.	**Tel. 825986**
The Hall, Simla-1.	**Tel. 3311 & 3956**

Issued by

Managing Director
Himachal Pradesh Tourism
Development Corporation Limited
RITZ ANNEXE, SIMLA-171001.
Tel. 3294 & 3977

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

With Best Compliments

Of

Aloke Refractory Industries

P.O. SARAIDHELA

DIST. DHANBAD (BIHAR)

Gram : 'ARINDS' **Telephone : 3807**

अपने अस्तित्व के प्रारम्भिक काल से ही बौद्ध गया मन्दिर प्रबन्धकारिणी समिति पावन महाबोधि मन्दिर के अनेक विकास कार्यों में संलग्न रही है। इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर के संदर्भ में तीन प्रकार की सेवाएं नियोजित की गई हैं-(१)पूजा पाठ की दृष्टि से मन्दिर प्रायः सोलह घंटे खुला रहता है। जिसके मध्य अनेकानेक श्रद्धालु यात्री एवं पर्यटक अपनी-अपनी परम्परा के अनुसार मन्दिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। पूजा विधि में अगरबत्ती, मोमबत्ती फूल के उपयोग पर ही विशेष बल दिया जाता है।(२)बौधिक विकास की दृष्टि से प्रबन्धकारिणी समिति की ओर से एक पुस्तकालय की व्यवस्था है जिसके माध्यम से अनेकानेक जिज्ञासु अध्ययन एवं धर्म चर्चा करने का अवसर पाते हैं। इस संदर्भ में यहाँ व्यापक पुस्तकालय भवन निर्माणधीन है जिस पर दो लाख से अधिक व्यय का अनुमान है।(३) ध्यान भावना भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रमुखतम अंग है। इस दृष्टि से मुख्य मन्दिर में ही ऊपरी कक्ष में एक व्यवस्थित ध्यान भावना केन्द्र की स्थापना की गई है। यह परितोष की बात है कि इस केन्द्र का अधिकतम उपयोग तीर्थयात्री एवं पर्यटकों के द्वारा किया जाता है। इन्हीं विविध सेवाओं को अधिक से अधिक व्यापक एवं सर्वजन सुलभ बनाने की दिशा में प्रबन्ध समिति कटिबद्ध है। अनुमानित व्यय सहित निर्माण योजनाएं निम्न प्रकार हैं। मुख्य मन्दिर के चारों तरफ के अशोका रेलिंग का निर्माण १.२५ हजार। मुख्य मन्दिर एवं अन्य अनेक स्तूपों का जिर्नोद्धार एक लाख। मुख्य मन्दिर का केमिकल वाश १.१० हजार। गेस्ट हाउस का निर्माण छः लाख। इस निर्माण कार्य में आप सबके स्नेह एवं आर्थिक सहयोग समवेत अपेक्षा है।

अध्यक्ष
बोध गया मन्दिर

अधीक्षक
बोध गया मन्दिर

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

- देश के केन्द्र में स्थित होने से यह कच्चा माल व बाजार दोनों के समीप है
- विकसित भूमि सस्ती दर पर : रु० ४०० से रु० १६०० प्रति एकड़
- पर्याप्त विद्युत
- चुंगी नहीं। प्रवेश शुल्क से मुक्ति
- ६५ विकास खंडों में केन्द्रीय लागत पूँजी अनुदान
- शांत श्रमिक
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट निर्माण व्यय का शत प्रतिशत अनुदान
- स्थायी पूँजी पर व्यय की शत प्रतिशत राशि तक ५ वर्ष बिक्री कर अनुदान।
- पिछड़े जिलों में ८% से ६.५% ब्याज पर वित्तीय सहायता
- बिजली बिल का ३०% तक अनुदान यह अनुदान बिल में ही कम कर दिया जाता है

भारत का हृदय मध्य प्रदेश

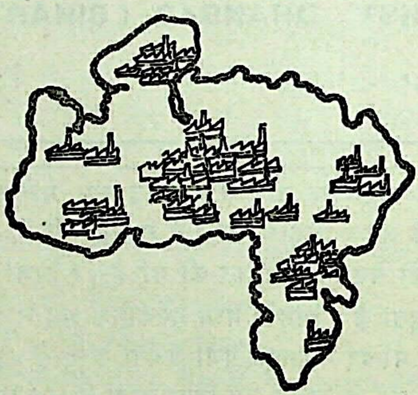

सुविधाओं, औद्योगिक सम्भावनाओं एवं विस्तृत जानकारी हेतु
कृपया सम्पर्क साधें।

मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
'पंचानन' दूसरा माला, मालवीय नगर,
भोपाल-४६२००३ फोन नं० ६२१७७, ६१३६७

सम्पर्क कार्यालय :

मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
६-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली। फोन नं० ५८५६००

मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
१०/१२, मण्डलिक रोड, कोलावा कासवे, दूसरा माला, बम्बई।
फोन नं० २३१५४१

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

गुजरात

उद्योगपतियों के लिए एक औद्योगिक स्वर्ग

- औपचारिकताओं की अविलम्ब पूर्ति।
- अहमदाबाद में एक ही केन्द्र औद्योगिक प्रसार विभाग (इन्डैक्सटब) पर जी० आई० डी० सी०, जी० एस० एफ० सी०, जी० आई० आई० सी० एवं जी० एस० आई० सी०—सम्बन्धित समस्त सेवाएं उपलब्ध हैं।
- व्यावहारिक उद्दीपक का नया पुलंदा।
- २५ लाख रु० की राशि तक नकद सहायता।
- खरीद पर विक्रय-कर में पूर्ण छूट।
- २५ लाख रु० तक व्याज मुक्त विक्रय-कर का ऋण।
- परियोजनाओं (प्रोजेक्ट) की रिपोर्ट के लिए विशेष प्रोत्साहन।
- लगभग ८४ औद्योगिक बस्ती कार्य कर रही हैं।
- राज्य में एस० टी० सी० एवं एम० एम० टी० सी० के कार्यालयों की स्थापना की गई है।
- प्रत्येक जिले में औद्योगिक विकास केन्द्र हैं।
- तत्काल विविधता और औद्योगिक संतुलन की निश्चितता।
- आधार भूत सुविधाओं की सहज उपलब्धि।
- निर्यात उद्योगों के लिए 'कांडला फ्री ट्रेड जोन' एक विशेष आकर्षण।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

OTTO INDIA
61% employee owned.

The majority of Otto India shares—as many as 61%—is owned by its own employees. This instills in them a greater sense of involvement and interest in the Company's progress.

Specialists in Coking Plant technology, Otto India designs and commissions Coking, Gasification and a variety of other Fuel Processing Plants, on a turn-key basis. Otto India also provides comprehensive engineering services, including site survey, project planning and execution, in the disciplines of civil, mechanical and electrical engineering. Both for home and export markets.

Otto India is a Recognised Export House, earning crores of rupees worth of foreign exchange, not only through the export of engineering equipment but also through the export of engineering drawings and services.

Wherever there's steel,
there's OTTO INDIA

OTTO INDIA PRIVATE LIMITED
(an employee controlled company)
9 Camac Street, Calcutta 700 017

CC/OI-2/79

बिहार स्टेट फौरेस्ट डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड

(एक सरकारी प्रतिष्ठान)

२७-पाटलीपुत्र कॉलनी, पटना-८०००१३

आपके वन जो—

मानव जाति के लिए प्रकृति का सुन्दरतम उपहार है,
औद्योगिक कच्चे माल का भण्डार है,
ऋतु की भीषणता को संयत करता है,
कृषि उत्पादन में सहायक है,
वायु-विदुषण नियन्त्रण रखता है,
वनवासी को निरन्तर रोजगार देता है।
राष्ट्रीय आय का एक श्रोत है,

के सतत विकास में प्रयत्नशील है।

आइये,

आप भी वन सम्पदा की सम्वृद्धि में
योगदान कीजिए।

प्रबन्ध निदेशक

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जनता प्रशासन के दो वर्ष

चहुमुखी विकास की दिशा में निश्चित कदम

हरिजनों और कमजोर वर्गों पर सबसे अधिक ध्यान

— पुनर्वास बस्तियों, शहरीकृत गांवों, अनधिकृत बस्तियों, कटरों तथा यमुना पार की ५५ प्रतिशत से भी अधिक आबादी को पहली बार जीवन की बुनियादी सुविधायें देना।

— हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण पर खर्च १९७६-७७ के ४३ लाख रुपये से बढ़कर १०४ लाख रुपये और पहली बार ३७ हरिजनों को बसें खरीदने के लिए आर्थिक सहायता और बस का मालिक बनाना।

— ४४६५ मजदूरों को किराया-खरीद पर मकान देना।

— गांवों के विकास पर २६ करोड़ रुपये खर्च। एक वर्ष में हर गांव में पीने का पानी देने के लिए ११ करोड़ रुपये की योजना। पिछले ३० वर्षों में २५ गांवों को यह सुविधा मिल सकी। इसी प्रकार पहली बार गांवों का लाल डोरा बढ़ाया गया।

— दो लाख लोगों को काम में लगाने के लिए कई लघु उद्योगपुरियों की स्थापना। जिन घरों में कोई भी काम पर नहीं है उनमें कम से कम एक को काम देने की क्रान्तिकारी योजना।

— दूर-दराज की कालोनियों और देहातों में द्वार पर चिकित्सा सुविधा की योजना के अन्तर्गत ५०० बिस्तरों के २ तथा १००-१०० बिस्तरों वाले ७ अस्पतालों की स्थापना की योजना।

— ढाई लाख बच्चों को पोषक और मध्याहार। ७२००० बच्चों को छात्रवृत्ति। हर गरीब बच्चे को मुफ्त वर्दी और किताबें। १६५०० युवक-युवतियों को १६ संस्थानों में रोजगार की शिक्षा। केवल पात्रता के आधार पर प्रवेश। १००-१०० आंगनवाड़ियों की सात योजनाओं के अंतर्गत एक लाख बच्चों व माताओं को शिक्षा, पोषण तथा चिकित्सा सुविधाएं।

— पहली बार दिल्ली में एक वर्ष में ११००० मकान बने और इस वर्ष २०००० मकानों व २२००० सेवा एवं भूखण्डों के निर्माण की योजना। ८० प्रतिशत मकान अल्प आय व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए।

— ५ वर्ष में ७.५ लाख वयस्कों को साक्षर बनाने की योजना।

— पूर्ण नशाबंदी ३१ मार्च १९८० तक।

आइए हम सब अपने देश की राजधानी को विश्व की सुन्दर और सुविधा-सम्पन्न राजधानियों में से एक बनाने के लिए संकल्प लें।

सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रसारित

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

इन्दौर प्राणी संग्रहालय से अनेक वन्य प्राणियों को देखिए—दिखाईए

पं० जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम—खेल गतिविधियों का केन्द्र, भारतीय खेल व कुश्ती के लिए अलग स्टेडियम, सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र : रवीन्द्रनाट्यगृह, नेहरू पार्क में बच्चों की रेल : चेतक व तरणपुष्पकरण—उद्यान नर्सरी, राष्ट्र निर्माता—विभूतियों की प्रतिमाएं—नगर में ९४ उद्यान, बेहतर सुखी जीवन के लिएं शहर का सुनियोजित विकास, जनोपयोगी एवं लाभकारी परियोजनाओं, व्यावसायिक केन्द्रों—दुकानों का निर्माण।

जन्म-मृत्यु-विवाह नोंद कराना आपका कर्तव्य है।

ज्ञान वर्धन के लिए—

वाचनालय-पुस्तकालय-बाल रुचि केन्द्र वाचनालय व अध्ययन केन्द्र। स्वायत्त शासन की गतिविधियों के लिए मध्य प्रदेश का एकमात्र मुखपत्र पाक्षिक 'नागरिक' : वार्षिकी शुल्क १० रुपये।

इन्दौर में आगन्तुकों के लिए स्टेडियम एवं नाट्यगृह पर विश्रान्ति गृह

नगर को सुन्दर, स्वच्छ और विकसित करने में

आपका सहयोग दीजिए

इन्दौर आपका अपना नगर है

(जन सम्पर्क विभाग-इन्दौर नगर पालिक निगम के सौजन्य से)

आपको नन्ही-मुन्नी प्यारी रानी
देखते-देखते हो जाएगी सयानी।

क्या आपने उसके मंगलमय भविष्य की तैयारी की है ?

आई० ओ० बी० के साथ
वैवाहिक जमा खाता खोलिए।

विवरण के लिए हमारी शाखा
से संपर्क करें।

आई. ओ. बी. में पधारिये
हमारे पास आपके लिए ढेर सारी योजनायें हैं।

इण्डियन ओवरसिज बैंक

आपकी प्रगति का सच्चा साथी

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

लखनऊ नगर महापालिका

उद्यानों की नगरी लखनऊ आपका अभिनन्दन करती है, नगर महापालिका अपने नगर के विकास में सतत प्रयत्नशील है।

जन उपयोगी योजनायें—

१. नगर में सफाई कार्य के लिए यांत्रिक व्यवस्था की गई है जिसके अनुसार सचल कूड़ादान, लीडर तथा कूड़े उठाने की नई यांत्रिक डीजल ट्रकों द्वारा कार्य किया जारहा है।

२. **मार्ग प्रकाश व्यवस्था**—नगर के समस्त मार्ग प्रकाश बल्वों को ट्यूब राड में परिवर्तित करने की ३५ लाख रुपये की योजना विचाराधीन है।

३. **फौवारों का निर्माण**—नगर के पिछड़े क्षेत्रों के आधुनिकरण हेतु पार्कों में रंगीन फौवारों का निर्माण, जापानी ढंग से सज्जा और अत्यन्त रमणीक पिकनिक स्पाट के रूप में विकसित किया जा रहा है। १२ नये पार्क तथा ६ बाल उद्यान बनाने की भी योजना है। प्रमुख मार्गों तथा विभिन्न स्थानों पर छायादार तथा फूलों के लगभग २५ हजार वृक्ष तथा पौधे लगाने का कार्य प्रगति पर है।

अनुरोध है कि आप अपने नगर को साफ सुथरा रखें, सड़कों एव पटरियों पर अतिक्रमण न करें, कूड़ा यथा स्थान पर फेंकें, पालतू पशुओं को छुट्टा न छोड़ें तथा जल की बर्बादी न करें।

राधे मोहन सिन्हा
उप प्रशासक

बालकृष्ण चतुर्वेदी
प्रशासक

प्रचार एवं जनसंपर्क अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा प्रसारित

छोटे किसान व खेतिहर मजदूरों की सुख-समृद्धि के लिए,
दुग्ध विकास निगम के क्षेत्र में कार्यरत,
दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ

दूध की धारा
शहरों की ओर बढ़ा रही हैं

उपभोक्ताओं को मिलता है शुद्ध दूध और किसान पशुपालक को :—

- सुबह-शाम दूध का पैसा।
- अपने ही गांव में कृत्रिम रेतन से उन्नत प्रजनन की सुविधा।
- घर पहुँच पशु चिकित्सा सुविधा।
- अपनी ही समिति कार्यालय से संतुलित पशु आहार।
- चरागाह विकास और हरे चारे की खेती के लिए बीज व पौध।
- दृश्य श्राव्य माध्यम व प्रकाशित साहित्य से उन्नत मार्ग का ज्ञान।

आप भी इस ग्राम उत्थान में अपना सहयोग देवें।

मध्य प्रदेश राज्य दुग्ध विकास निगम मर्या०
भोपाल

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

टेलीफोन नं० ३७२४, २४०७

हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

क्लीव लैण्ड, शिमला-१७१००४

हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण जनता की सेवा में निरन्तर कार्यरत

ग्रामीण उद्योगों की स्थापना तथा विकास हेतु ४ प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण तथा अनुदान निम्नलिखित उद्योगों के लिए खादी बोर्ड से प्राप्त कीजिए।

१. अखाद्य तेल व साबुन उद्योग, २. अनाज एवं दाल प्रशोधन उद्योग, ३. जंगली जड़ी-बूटियों का एकत्रण व प्रशोधन, ४. ग्रामीण चमड़ा उद्योग, ५. कत्था उद्योग, ६. कुम्हारी उद्योग, ७. मधु-मक्खी पालन, ८. चूना उद्योग, ९. रेशा तथा वाण उद्योग, १०. गोंद व बरोजा उद्योग, ११. तरखानी तथा लोहारी उद्योग, १२. घरेलू माचिस उद्योग, १३. गुड़ अथवा खाण्डसारी उद्योग, १४. बेंत व बांस उद्योग, १५. फल प्रशोधन, १६. ग्रामीण तेल उद्योग, १७. हाथ कागज उद्योग।

कृपया आज ही हमारे खादी तथा ग्रामोद्योग भंडार—मण्डी, शिमला, चम्बा, कुल्लू नाहन, सोलन, हमीरपुर, ऊना कांगड़ा में पधार कर निम्नलिखित वस्तुएं को क्रय करें—

सूती खादी, ऊनी खादी, रेशमी खादी

तथा

अन्य वस्तुएं:—पशमीना शाल, नमदा, गुदमा, मरीनो शाल, कम्बल, लोइयों, साड़ियां बने बनाये सूती-ऊनी-रेशमी परिधान, शहद, चमड़ा, बाँस व कुम्हारी उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं भी उपलब्ध हैं।

पूर्ण जानकारी के लिए :—

हमारे जिला मुख्यालयों पर स्थित सहायक विकास अधिकारियों, विकास अधिकारी, ग्रामीण उद्योग व्यवस्थापक तथा जिला उद्योग अधिकारियों एवं उद्योग प्रसार अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करें।

दुर्गासिंह राठौर
अध्यक्ष

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

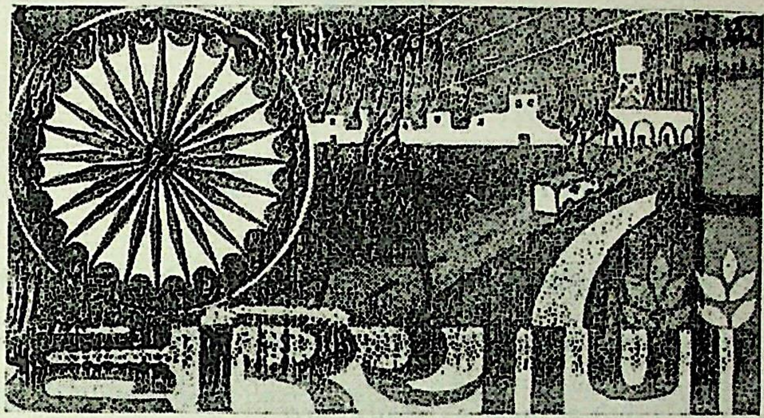

राष्ट्र-निर्माण हमारा सांझा कर्तव्य

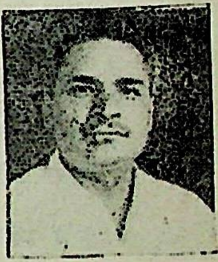

आइये, हम उन शहीदों को प्रणाम करें जिन्होंने स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर अपने जीवन का इसलिए उत्सर्ग कर दिया कि हम सब स्वतन्त्रता का जीवन जी सकें।

हमारी संस्कृति प्राचीन है और हम सब की सांझी है। हमारे समाज में एक ओर तो वैभव प्रदर्शन की प्रवृत्ति है और दूसरी ओर अत्यन्त दरिद्रता है, और ये दोनों ही असहनीय हैं। हमारे समाज में जातिवाद की जड़ें भी काफी गहरी हैं, हमें इसका उन्मूलन करना है। मानवता और समानता के लक्ष्यों को पाने के लिए और आगे बढ़ना है।

राष्ट्र-निर्माण एक ऐसा महान कार्य है जिसमें हम सब को सांझे रूप से योगदान देना है। निर्माण अकेले सरकार का दायित्व नहीं है। यह हम सबके लिए एक चुनौती है।

हरियाणा सरकार राज्य के उत्साही और परिश्रमी लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं से पूरी तरह परिचित है। हमने अत्यन्त सावधानी से अपना पथ निश्चित किया है। मुझे विश्वास है कि नव-निर्माण के इस पथ पर हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे।

भजन लाल
मुख्यमन्त्री, हरियाणा

(निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा द्वारा प्रचारित)

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

NAFED

सहकारिता द्वारा समृद्धि का प्रतीक

देश की ३२०० कृषि सहकारी विपणन समितियों का राष्ट्रीय संगठन :

उद्देश्य

देश भर में फैली हुई अपनी ३१ शाखाओं द्वारा :

१. कृषि उपज का अन्तर्देशीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कर, कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाता है।

२. जीटर ट्रेक्टरों एवं हिन्दुस्तान ट्रेक्टरों का पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में वितरण करता है।

३. हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर के सेब उत्पादकों से उनके सेबों को सीधे प्राप्त कर दिल्ली तथा अन्य नगरों में विक्री कर उनको अपनी फसल का उचित मूल्य दिलाता है।

४. कृषि उपज, फल-सब्जियों आदि की प्रक्रिया एवं परिरक्षण हेतु कारखानों की स्थापना/पुनः संचालन करता है।

५. कृषि उपज में वृद्धि हेतु उर्वरक, उन्नत बीज व कृषि यंत्रों की पूर्ति तथा नवीनतम तकनीकी जानकारी एवं बाजार भाव आदि की घटकों को सूचना देता है।

कृषकों एवं उपभोक्ताओं, दोनों की सेवा में कार्यरत :

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित

सपना बिल्डिंग, ५४, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-११००६५

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जीवन में नया उल्लास और मानसिक शान्ति अर्जित करें।

आप भी मानसिक शान्ति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं जबकि अपने बच्चों को शिक्षा, शादी-विवाह के खर्चे अथवा सेवा-निवृत्ति आय पर निर्भर रहने आदि जैसी जटिल समस्याओं पर काबू पा लें।

सुरक्षा की अनुभूति के साथ ही मानसिक शान्ति भी प्राप्त होती है। आप दोनों प्राप्त कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ बचत करें।

दि पिअरलेस जेनरल फाइनैन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लि०

स्थापित : १९३२

पंजीकृत कार्यालय :
"पिअरलेस भवन"
३, एसप्लानेड ईस्ट
कलकत्ता-७०००६९

कम्पनी द्वारा प्रमाणपत्र धारकों की कुल देय राशि की शत प्रतिशत राशि से भी अधिक राशि "सरकारी प्रतिभूतियों" (गवर्नमेंट सिक्यूरिटी) तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के स्थायी जमा खातों में सुरक्षित रखी गयी है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

BHAGYODAYA

DAWN OF A NEW ERA IN KARNATAKA

The Karnataka Government which over the last seven years has undertaken a series of far-reaching measures for the upliftment of all people below the poverty line, has now on the eve of Rajyotsava launched another series of socio-economic projects for the further betterment of Harijans, Girijans, Backward Classes and the minorities.

BHAGYAMANDIRA

The Karnataka Government which is providing housing facilities to the rural poor has now decided to extend this facility to the urban poor also. 7,450 houses would be constructed within the limits of city and Town Municipalities and in notified areas at a cost of Rs 3 crores during the current year. The Government has also sanctioned Rs. 90 lakhs during the current year for the improvement and development of existing house owned by the families belonging to the economically weaker sections in urban areas.

KANNADA AS OFFICIAL LANGUAGE

This year's Rajyotsava has a special significance. Kannada, which was an official language at the taluka, district and Divisional level, now becomes the Administrative language at the State level. Extensive use of Kannada will be made in all departments throughout the State.

BHAGYA JYOTHI

Bhagya Jyothi is a unique scheme of the Karnataka Government under which 'ONE BULB' connection would be provided to the houses of the poorest in the rural areas. 40,000 houses of 4,000 villages will be benefited by the scheme. Rs. One crore would be spent on this during the current year.

MORE FUNDS AND POWER FOR PANCHAYATS

Karnataka Government has decided to Revitalise the Panchayat Raj institutions by providing more funds and power for their effective functioning. They would be entrusted with the task of developmental works like tank pairs, construction and maintenance of roads, construction of Janata Houses, repairs to Primary school buildings, Mid-day meal arrangement, issuing income certificate for Backward Classes for getting scholarships.

ISSUED BY : THE DIRECTOR OF INFORMATION & PUBLICITY, GOVERNMENT OF KARNATAKA

"युगवार्ता" प्रसंग लेख सेवा

- सामयिक समस्याओं पर विचारोत्तेजक लेख।
- सामाजिक पुनरुत्थान की क्रान्तिकारी योजनाओं का दिग्दर्शन।
- राष्ट्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रस्तुतिकरण करने वाले लेखों द्वारा पिछले ११ वर्षों से समाचार जगत में सेवारत है।
- देश के १०० से भी अधिक पत्र-पत्रिकाएं इस सेवा के नियमित ग्राहक हैं।

प्रति सप्ताह तीन लेख (सोम, बुध एवं शुक्रवार को) प्रसारित किये जाते हैं।

सम्पर्क सूत्र : व्यवस्थापक, "युगवार्ता", ६-एम, भगतसिंह मार्केट, नई दिल्ली-११०००१

दूरभाष : ३४४४३०

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

: १ :

भारत

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा,
हिमालयो नाम नगाधिराजः ।
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य,
स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ।।

महाकवि कालिदास ने 'कुमार संभव' में वर्णन किया है कि भारत उत्तर में देवतात्मा नगाधिराज हिमालय और पूर्व पश्चिम में समुद्र से घिरा हुआ, पृथ्वी के मानदण्ड की तरह स्थित है। हिमालय की चोटियों में ही संसार की सर्वोच्च चोटी 'गौरी शंकर' (सगर माथा) है जिसके कारण साहसी पर्वतारोही हिमालय की ओर आकृष्ट होते रहे हैं।

हिमालय से हमारे देश को शस्यश्यामला बनाने वाली गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी आदि नदियों का उद्‍भव हुआ है। इसकी उपत्यकाओं में जीवनदायिनी औषधियों की भरमार है। भौगोलिक तथा प्राकृतिक दृष्टि से हिमालय को देश के प्रहरी के रूप में माना जाता था। १९६२ में चीन द्वारा उत्तर-पूर्व सीमा की ओर से आक्रमण किये जाने के बाद हिमालय क्षेत्र में स्थित नेपाल, भूटान तथा तिब्बत आदि पड़ोसी देशों का महत्व बढ़ गया। हिमालय के उस पार सोवियत संघ तथा अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी राष्ट्रों के भारत के साथ मैत्री-सम्बन्धों को भी एक विशेष तथा असाधारण महत्व प्राप्त हुआ।

हिमालय की छत्रछाया में जिस भारतीय सभ्यता-संस्कृति का जन्म तथा विकास हुआ है, उसके प्रभाव के कारण ही अनेक विदेशियों ने भारत-भूमि की वन्दना की है। इसे 'देव भूमि' कहा है। भारतीय संस्कृति में हिमालय की पर्वतमालाओं तथा गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों को इतनी गरिमा प्राप्त है कि किसी भी शुभ कार्य का प्रारम्भ करते समय—

गङ्गे च यमुने चैव, गोदावरि, सरस्वति ।
नर्मदे, सिन्धु, कावेरि, जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ।।

आदि नामों का पुण्य-स्मरण किया जाता है। इन्हीं महान् नदियों की शक्ति का उपयोग सिंचाई तथा विद्युत्-निर्माण के लिए करके भारत कृषि-उद्योग में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। भरतखंड, आर्यावर्त, सप्तसिंधु आदि भारत के प्राचीन नाम हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि 'इस देश की गाथा देवता भी गाते हैं। स्वर्ग में देवत्व भोग लेने के बाद देवगण मोक्ष-साधन के लिए यहां पुनः मनुष्य-रूप में जन्म लेते हैं।'

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

'गायन्ति देवाः' किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे ।
स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् ।।

भारत को 'विश्वगुरू' कहलाने का गौरव प्राप्त है । न केवल यूरोप अपितु प्राचीन फारस व अरब आदि देशों में भारत को 'सोने की चिड़िया' या स्वर्णभूमि कहकर स्तुति की जाती रही है ।

भगवान् मनु ने भारत को मानव के लिए प्रेरणा व शिक्षा का केन्द्र बताते हुए कहा था—

एतद्देशप्रसूतस्य, सकाशादग्रजन्मनः ।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्, पृथिव्यां सर्वमानवाः ।।

(यदि संसार में किसी व्यक्ति को सदाचार की शिक्षा ग्रहण करनी हो, तो भारत के विद्वानों से आकर ग्रहण करे ।)

संसार में अनेक संस्कृतियों ने जन्म लिया और वे देखते-ही-देखते मिट गईं, किन्तु भारतीय संस्कृति आज भी संसार को अमरत्व का सन्देश दे रही है । इसीलिए प्रसिद्ध शायर मुहम्मद इकबाल ने कहा था—

यूनान, मिस्र, रोमां, सब मिट गये जहाँ से ।
अब तक मगर है बाकी, नामोनिशाँ हमारा ।।

भौगोलिक परिचय

अंग्रेजों ने भारत को 'इण्डिया' कहा । प्राचीन काल में फारस आदि देशों में भारत को 'हिन्द' कहा जाता था । सिन्धु नदी के यूनानी नाम 'इण्डस' के आधार पर भारत का नाम 'इण्डिया' बना ।

भारत के संविधान में भी इसका मूल नाम 'इण्डिया—जो भारत है' कहा गया है । संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की सूची में इस देश का नाम 'इण्डिया' है ।

भारत के लिए एक और नाम 'हिन्दुस्तान' भी प्रचलित है । किन्तु संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है । भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से ७वां एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा देश है । भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है । भारत-भूमि एशिया के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीप है । यह भूमध्य रेखा के उत्तर में ८° ४' से ३७° ६' उत्तरी अक्षांश रेखाओं तथा ६८° ७' से ९७° २५' पूर्वी देशान्तर रेखाओं के मध्य स्थित है ।

भारत का कुल क्षेत्रफल ३२,८०,४८३ वर्ग किलोमीटर है । उत्तर से दक्षिण तक लम्बाई ३,२१४ कि०मी० है । चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम में २,९३३ कि०मी० है । इसकी सीमा १५,२०० कि०मी० है । समुद्र-तट ६,०८३ कि०मी० लम्बा है ।

प्राकृतिक रचना : हिमालय भारत की उत्तरी सीमा बनाता है । पश्चिम में सिन्धु सागर या अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है । दक्षिण में हिन्द महासागर है । 'वायु पुराण' में कहा गया है—

उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमवद्दक्षिणं च यत् ।
वर्षं तद् भारतं नाम, यत्रेयं भारती प्रजा ।

समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो भू-भाग है वही भारत है । इसमें

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

निवास करने वाली प्रजा भारती कहलाती है।

नक्शे में भारत त्रिभुजाकार दिखाई देता है। इसका आधार उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिन्दमहासागर। दक्षिणी छोर पर यह त्रिभुज नाशपाती की शक्ल ले लेता है। यह अन्तरीप कन्याकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है।

उत्तर में स्थित हिमालय भारत को एशिया के शेष भू-भाग से अलग करता है। यह विश्व की सर्वोच्च पर्वतमाला है। भारत के पश्चिम व पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान व अफगानिस्तान, उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक चीनी तुर्किस्तान (सिकियांग), तिब्बत व नेपाल हैं। पश्चिम में वर्मा है। वंगला देश, पश्चिमी बंगाल व असम के दक्षिण अंचल के वीच स्थित है। उत्तर में भूटान विशेष संधिगों के अन्तर्गत भारत से सम्बद्ध है। दक्षिण में श्रीलंका है, जिसे मन्नार की खाड़ी भारत से अलग करती है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान तथा निकोवार द्वीप-समूह और अरब सागर के लक्ष्यद्वीप, मिनीकाय तथा अमीन दीवी द्वीप-समूह भारत संघ के अन्तर्गत हैं।

भारत अपने में लघु विश्व है। इस कारण राष्ट्रीय 'औसत तापमान' और 'औसत वर्षा' इन शब्दों का भारत के लिए कोई अर्थ नहीं है। राजस्थान की मरुभूमि में औसत वार्षिक वर्षा ४ इंच होती है, चेरापूंजी में ४२५ इंच। इसी प्रकार कश्मीर के कुछ स्थानों में न्यूनतम तापमान ४०° फारनहाइट रहता है और राजस्थान के कुछ स्थानों में अधिकतम तापमान १२०° है। इसलिए स्थानीय औसत की बात की जा सकती है, भारतीय या राष्ट्रीय औसत की नहीं।

देश के विस्तार के अनुपात में समुद्र-तट कम है, क्योंकि खाड़ियों और उप-खाड़ियों की संख्या कम है। भारत का पश्चिमी तट चट्टानी है। पूर्व में समुद्र उथला है। सागरगामी वड़े जहाज दूर ही लंगर डालते हैं।

प्राकृतिक संरचना

प्राकृतिक दृष्टि से भारत तीन क्षेत्रों में विभक्त है।

(१) हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। (२) गंगा-सिन्धु का मैदान। (३) दक्षिणी पठार।

हिमालय : भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत-श्रेणी २५०० किलोमीटर की लम्बाई में पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। इसकी चौड़ाई २४० से ३२० किलोमीटर है। इस पर्वत-श्रेणी के पहाड़ों, घाटियों, पठारों आदि का कुल क्षेत्रफल ५ लाख किलोमीटर है। पूर्व में वर्मा और भारत के मध्य की पर्वतीय दीवार को 'पतकोई' कहते हैं। असम में जयन्तिया, खासी और गारो शाखाएँ हैं। हिमालय की पूर्वी शाखाएँ असम से नीचे उतरकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती हैं। उत्तर-पश्चिमी शाखाएं अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करती हुई अरब सागर तक जाती हैं। उत्तर-पश्चिम शाखाओं में सुलेमान, कान्धार, हिन्दूकुश प्रसिद्ध हैं। अफगानिस्तान की सीमा पर सुलेमान पर्वत में खैबर, खुर्रम, गोमर, वोलन, टोची आदि संकीर्ण मार्ग (दर्रे) हैं। भारत पर प्रारम्भिक आक्रमण इन्हीं दर्रों से हुए थे।

हिमालय पर्वत को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है : महान् हिमालय, लघु या मध्य हिमालय एवं शिवालिक पहाड़ियां।

महान् हिमालय : यह भाग बर्फीला है। इस भाग की ऊँचाई साधारणतः ६,००० से

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

७,००० मीटर तक है। विश्व के उच्चतम पर्वत-शिखर इसी भाग में हैं। एवरेस्ट (गौरी शंकर) ८,८४८ मीटर, कंचनजंघा ८,५८६ मीटर, धौलगिरि ८,०७५ मीटर, नन्दा देवी ७,८१६ मीटर, कामत ७,७५५ तथा अन्नपूर्णा ७,६५० मीटर ऊँचे हैं।

लघु या मध्यम हिमालय—ये महान् हिमालय के निचली ढलान में ३,५०० से ५,००० मीटर की ऊँचाई के हैं तथा ८० किलोमीटर चौड़ाई में फैले हुए हैं। इनमें शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग-जैसे प्रसिद्ध पर्वतीय नगर हैं।

शिवालिक पहाड़ियां—इनकी ऊँचाई १,००० से १,५०० मीटर तथा चौड़ाई १० से ५० कि० मी० तक है। पश्चिमी क्षेत्र में कंटीले जंगल तथा उथले झरने हैं जबकि पूर्वी भाग नेपाल और बंगाल में तराई का रूप धारण कर लेता है। ऊपरी हिस्सों में घने जंगल हैं जहाँ काफी वन्य पशु हैं।

हिमालय की घाटियाँ : कश्मीर, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू आदि हिमालय की अनेक घाटियां हैं। ये प्राकृतिक सौन्दर्य से पूर्ण हैं। इन घाटियों में नदियाँ ऊँचे-ऊँचे जल प्रपात बनाती हैं, जिनमें विद्युत्-उत्पादन की बड़ी क्षमता है।

मैदान : भूगर्भशास्त्र की दृष्टि से गंगा का मैदान उत्तरी सीमा के पहाड़ों का अगला गहरा भाग है। इस भाग का निर्माण पहाड़ों से आई मिट्टी-बालू आदि के जमाव से हुआ है। यह निक्षेप से भरा गड्ढा है। पूर्व में इस निक्षेप में पर्वतों से आई कछारी सामग्री है। पश्चिमी मैदान हवा से उड़ाई गई सामग्री से पूर्ण है। यह सारा निक्षेप पंक और बालू से बना हुआ है।

गंगा-सिन्धु का मैदान २,००० कि० मी० से २,४०० कि० मी० लम्बा तथा २४० से ३२० कि० मी० चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल ७७७,००० वर्ग कि० मी० है। यह पृथक्-पृथक् तीन नदी-प्रणालियों—सिन्धु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसीन या सिंचित क्षेत्र से बना है। इस सारे मैदान के बीच कहीं कोई पहाड़ी नहीं है। पहाड़ से समुद्र तक ढलान इतना क्रमिक रूप से हुआ है कि गंगा के मुहाने से १६०० कि०मी० ऊपर का भाग समुद्री सतह से १५० मी० से अधिक ऊँचा नहीं है। दुनिया भर में इससे बड़ा और इससे अधिक सघन वसा हुआ दूसरा मैदान नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से यह मैदान असुरक्षित है। आक्रामक को रोकने वाला कोई प्राकृतिक अवरोध इसमें नहीं है। इसी कारण इस देश का मुख्य इतिहास इसी मैदान में बना।

भारतीय पठार

देश का तीसरा प्राकृतिक भाग भारतीय पठार या प्रायद्वीपी पठार के नाम से प्रसिद्ध है। यह तीन ओर से उच्च समतल भूमि से घिरा हुआ है और समुद्र तक चला गया है।

भारत के मैदान से इस पठार को अलग करने वाली अनेक पहाड़ियों का समूह है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर चली गई हैं। इसके पूर्व और पश्चिम, दोनों ओर संकीर्ण समुद्र-तट हैं।

गंगा-सिन्धु के मैदान से पठार को विभक्त करने वाली मुख्य पर्वत-श्रेणियों के नाम हैं :- अरावली, विन्ध्य, सतपुड़ा, मैकल और अजन्ता। इनकी ऊंचाई साधारणतया ५५५ से १२०० मीटर तक है। पूर्वी घाट की औसत ऊँचाई ६.१० मीटर है। पश्चिमी घाट ६१५ से १२२० मीटर तक है। पश्चिमी घाट की ऊँचाई कहीं-कहीं २४४० मीटर तक भी हो जाती

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

है। इस समय इसमें सड़कें बन गई हैं तथा रेलगाड़ियां चलने लगी हैं। देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग के मध्य जंगल और पहाड़ियों का अवरोध है।

पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का आरम्भ विन्ध्य पर्वत के ढाल से हो जाता है। ये दोनों दूर दक्षिण में जाकर नीलगिरि पर्वत में मिल जाते हैं। जहां इनका मेल होता है, वहां एक ऊंचा उठा हुआ भाग है जो देश का दक्षिण कोण बनाता है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र और मैसूर से होकर जाता है। इसके पर्वत-शिखरों की ऊंचाई १६०० से २७३५ मीटर के मध्य है। घाट की औसत ऊँचाई ९१५ मीटर है। पूर्वी घाट आन्ध्र प्रदेश से होकर मद्रास तक पहुँचता है। इसकी औसत ऊंचाई ४६० मीटर है। दोनों घाटों के बीच के त्रिभुजाकार पठार के दक्षिण में नीलगिरि पर्वत है, जिसमें प्रसिद्ध दर्शनीय तीर्थ-स्थल उटकमंड है।

नदी-प्रणालियां

भारत की नदियां या नदी प्रणालियां (जल-निकासी प्रणाली) तीन प्रकार की हैं: (१) उत्तर की ओर बहने वाली, (२) पश्चिम की ओर बहने वाली, (३) पूर्व की ओर बहने वाली। दक्षिणी पठार के किनारे या विन्ध्य से निकली नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। जैसे—सोन, चम्बल आदि। दूसरे वर्ग में नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। ये क्रमशः विन्ध्य और सतपुड़ा से निकलकर लगभग समानांतर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। इससे और दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकली नदियां पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मुख्य हैं। मैदानी नदियों से इनमें अन्तर है: (१) इनकी जलपूर्ति एक-मात्र वर्षा से होती है। अतः इनसे निरन्तर पानी नहीं मिलता। (२) इनकी घाटियां सिंचाई के कम उपयुक्त हैं। (३) साल के कुछ मासों में जब नदियाँ सूख जाती हैं, तब ये नौकायन के योग्य नहीं रहतीं।

भारत की नदियों का एक दृष्टि से चार भागों में वर्गीकरण किया गया है: (१) हिमालय की नदियां, (२) दक्षिण की नदियां, (३) तटवर्ती नदियां, (४) आन्तरिक जलक्षेत्र की नदियां। तटीय नदियां, विशेषतः पश्चिमी तट की लम्बाई में हैं। इनका प्रस्रवण क्षेत्र सीमित है। पश्चिमी राजस्थान के आन्तरिक जलक्षेत्र की नदियां अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जातीं और यदि गई भी तो साम्भर तक पहुंचकर ही रह जाती हैं। एक-मात्र लूनी नदी समुद्र के समीप कच्छ के रण तक पहुंचती है। कहते हैं सरस्वती भी इस मरु-भूमि में विलीन हो गई है।

गंगा: गंगा का नदी-क्षेत्र सबसे बड़ा है। भारत में कुल क्षेत्रफल के एक-चौथाई भाग को गंगा से पानी मिलता है। गंगा के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विन्ध्य पर्वत है। इस क्षेत्र में नदियां भी पर्याप्त संख्या में हैं। गंगा गंगोत्तरी में गोमुख से निकलती है। पहाड़ों में इसका नाम भगीरथी, अलकनन्दा आदि है। यमुना, घाघरा, गण्डक और कोसी हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती हैं। बेतवा और सोन भी गंगा में मिलती हैं। पहाड़ों से निकलने के बाद हरिद्वार से यह सीधी दक्षिण की ओर न जाकर एक बड़ी कमान बनाते हुए पूर्व की ओर उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरती है। राजमहल पर्वत (बिहार) के पास गंगा दक्षिण-पूर्व की ओर घूमती है और पश्चिम बंगाल में जाती है। फिर यह

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बंगलादेश में प्रवेश करती है जहां पद्मा कहलाती है। एक धारा हुगली नाम से प० बंगाल में बहती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व वह कई धाराओं में विभक्त हो जाती है।

गोदावरी : इसका क्षेत्र भारत में गंगा के नदी-क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्र सम्पूर्ण भारत का दस प्रतिशत है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र और पश्चिम में सिंधु नदी का क्षेत्र भी लगभग इतना ही है। कृष्णा नदी का क्षेत्र प्रायद्वीप में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा है। महानदी क्षेत्र इसके बाद है। दूर दक्षिण में कावेरी का नदी-क्षेत्र भी इसके समान है।

उत्तर में ताप्ती और दक्षिण में पेन्नार के नदी-क्षेत्र छोटे हैं, लेकिन दोनों कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

ब्रह्मपुत्र : ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम-स्थान मानसरोवर झील के पास है। यहां से निकलने पर पूर्व की ओर लगभग १२८० किलोमीटर बहती है। तिब्बत में इस नदी का नाम त्सांग-पो है। भारत में प्रवेश करने पर यह दक्षिण की ओर बहती है। यहां इसमें दीवांग और लोहित नदियां मिलती हैं और इसका नाम 'ब्रह्मपुत्र' हो जाता है। यहां से फिर असम घाटी में जाती हुई पश्चिम की ओर मुड़ती है। असम घाटी ८०० किलो मीटर लम्बी और ८० किलो मीटर चौड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी 'ग्वालदो' (बंगलादेश) के पास दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ती है। यहां यह गंगा की सर्वाधिक पूर्वी शाखा पद्मा से मिलती है। इन दोनों का मिला प्रवाह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। गिरने से पहले इसमें अनेक नदियां आकर मिलती हैं। इन मिलने वाली नदियों में मेघना नदी (बंगलादेश) मुख्य है।

पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मुख्य हैं। ये पठार की ढाल पर बहती हैं। उसे गहरा काटती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में दो और महत्वपूर्ण नदियां हैं—महानदी और दामोदर। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में शरावती, नेत्रवती, चेरियाल, पेन्नानी और पेरियार नदियां हैं। ये सब नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और अरब सागर या सिंधु सागर में गिरती हैं। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां उत्तरी मैदान की ओर जाती हैं। इन नदियों में चम्बल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चम्बल यमुना नदी में मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी सोन है जो दानापुर (पटना) के पास गंगा में मिलती है। सबसे बड़ी दो नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं, जो पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं।

सिन्धु : पश्चिम में सतलुज और व्यास नदियाँ, सिन्धु की शाखा-नदियां हैं। रावी भी सिन्धु नदी की शाखा है। सिन्धु अरब सागर में गिरती है। भारत की राजधानी सिन्धु और गंगा के मध्य-जलद्वार (वाटर शेड) पर स्थित है।

भारत के मैदान की नदियों की तीन विशेषताएं हैं —१. बारहों मास इनमें पानी प्रवाहित होता है। २. ये सपाट मैदान में बहती हैं। यह मैदान बहुत उपजाऊ और सिंचाई के उपयुक्त है। ३. बारह मास पानी रहने के कारण वर्ष के अधिकांश समय में इनमें नौकायन सम्भव है।

मरुस्थल

गंगा के मैदान के दक्षिण-पश्चिम में विस्तृत मरुस्थल है। यह राजस्थान के पश्चिमी भाग से लेकर गुजरात में कच्छ के रण तक फैला हुआ है। इस रेगिस्तानी क्षेत्र की चौड़ाई

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

३०० से ६४० कि० मी० तथा क्षेत्रफल १,७५,००० वर्ग कि० मी० है। पश्चिमी मरुस्थल रेतीला तथा पूर्वी मरुस्थल पथरीला है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा नदियाँ नहीं हैं। सरस्वती नदी का इसी क्षेत्र में लुप्त होना माना गया है। इस समय इस क्षेत्र में एकमात्र नदी लूनी है जो अजमेर की अनासागर झील से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई कच्छ के रण में प्रवेश करती है। इस नदी का पानी भी वालोया तक मीठा तथा उसके बाद खारा हो जाता है। यहाँ गर्मी की ऋतु में पीने का पानी मुश्किल से मिलता है। राजस्थान का रेतीला भाग साधारणतः अकालग्रस्त रहता है।

जलवायु

भारत का मौसम-विज्ञान-विभाग चार ऋतुएं मानता है—(१) शीत ऋतु (दिसम्बर-मार्च), (२) ग्रीष्म ऋतु (अप्रैल-मई), (३) वर्षा ऋतु (जून-सितम्बर) और (४) दक्षिण पश्चिम मधुवात (मानसून) की वापसी का काल (अक्तूबर-नवम्बर)।

भारतीय परम्परा से साधारणतः ६ ऋतुएं हैं—बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्, हेमन्त और शिशिर।

वर्षा की दृष्टि से देश के चार भाग किये गए हैं—(१) सम्पूर्ण असम और पश्चिमी घाट की तली का पश्चिमी तट तथा उत्तर में बम्बई और दक्षिण में त्रिवेन्द्रम का सारा क्षेत्र भारी वर्षा का है। यहां वर्ष में २०५ से० मी० से अधिक वर्षा होती है। (२) १२७ से २०५ से० मी० तक की वर्षा के प्रदेश हैं—उत्तर-पूर्वी पठार तथा गंगा घाटी का मध्य भाग, (३) कच्छ तक फैली राजस्थान की मरुभूमि, लद्दाख तथा गिलगित तक कश्मीर का पठार बहुत कम वर्षा का क्षेत्र है, (४) मद्रास, दक्षिणी पठार के दक्षिणी और उत्तर-पश्चिमी भाग तथा गंगा के मैदान के उत्तरी क्षेत्र में ५० से १०० से० मी० वर्षा होती है।

भूगर्भीय ढांचा

भूगर्भ की दृष्टि से भी भारत के तीन पृथक्-पृथक भाग हैं। पठार इनमें प्राचीनतम है। हिमालय पर्वत, उसके साथ के पहाड़ और सिन्धु-गंगा का मैदान उसकी तुलना में पीछे के हैं।

प्रायद्वीप भूगर्भीय स्थिरता का एक महान् प्रदेश है। विलक्षण बात यह है कि यह साधारणतः जोरदार भूकंपीय धक्कों से मुक्त है। प्रायद्वीप काल द्वारा रूपान्तरित चट्टानों के आधारभूत मिश्रण से बना है।

भूगर्भशास्त्र के इतिहास की दृष्टि से आज जहाँ हिमालय है, वहां किसी समय समुद्र था। आज भी इस क्षेत्र का बहुत-सा भाग अज्ञात है। पूर्व के बारे में यह बात विशेष रूप से सत्य है। कुछ बातें अभी विवादास्पद हैं। शिवालिक पहाड़ का निर्माण ही पहाड़ों के क्षरण से हुआ है। हिमालय के ऊँचा उठने के कारण बने अग्रगर्त को इसने भरा। ये निक्षेप आजकल बन रहे निक्षेपों से बहुत भिन्न नहीं हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सिन्धु-गंगा का मैदान एक बड़ा कछारी प्रदेश है। कछारी निक्षेप की गहराई काफी है। इस गड्ढ़े की भराई समान रूप से नहीं हुई है। इसकी प्रकृति भी अलग-अलग है।

भूगर्भ-शास्त्र की दृष्टि से पठार बिल्लौरी चट्टान का बना हुआ है। यह हिमालय से बहुत पुराना है। पठार के उत्तर-पूर्व किनारे पर तलहटी चट्टाने हैं। देश का अधिकांश कोयला इनसे मिलता है। देश के कुल कोयला-उत्पादन का ९० प्रतिशत इसी पठार भाग में स्थित झरिया (बिहार) और रानीगंज (प० बंगाल) से मिलता है, यद्यपि कोयला-क्षेत्र अन्य भी हैं, जैसे—गोदावरी घाटी और विन्ध्य पर्वत की उत्तरी ढाल।

पठार का उत्तर-पश्चिमी भाग लावे से पूर्ण है। इसका नाम दक्कन लावा है। यह विश्व-भर में सबसे बड़ा लावा-क्षेत्र है तथा ६,४०,००० वर्ग कि० मी० में फैला हुआ है। यह हजारों मीटर गहरा है। बड़ी मात्रा में लावा होने पर भी, विचित्र बात है कि इस प्रदेश में ज्वालामुखियों का कोई चिह्न नहीं पाया जाता या बहुत कम मिलता है।

शेष पठार में जहां-तहां मूल्यवान खनिज मिलते हैं। पुरानी बिल्लौरी चट्टानों से मैसूर में सोना मिलता है। मैंग्नीज आंन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, तांबा और लोहा बिहार और उड़ीसा में, अभ्रक आँध्र और दक्षिण-पूर्व में, हीरा-पन्ना मध्य प्रदेश में पाये जाते हैं। कुरनूल (आँध्र) में भी हीरे वाली एक चट्टान मिली है।

काठियावाड़ का कच्छ अर्ध-द्वीप है। कच्छ सूखा, चट्टानी, शिलामय और वृक्षहीन क्षेत्र है। यहां भूतेल (पैट्रोल) निकलने की सम्भावना है। तेल के अन्य प्रमुख क्षेत्र असम, त्रिपुरा, मणिपुर और राजस्थान आदि हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

काल गणना

वस्तु एवं समय के 'सूक्ष्मतम' एवं 'महत्तम' स्वरूप का ज्ञान भारतीय ऋषियों को अनादि काल से रहा है। पृथ्वी का जो भाग सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाजन नहीं हो सकता, उसको 'परमाणु' कहते हैं। जिस समग्र का यह परमाणु अंश है उसे 'परम महान्' कहते हैं। यह वस्तु का 'सूक्ष्मतम' और 'महत्तम' स्वरूप है। श्रीमद्भागवत के अनुसार—

'जो काल परमाणु में व्याप्त है, वह परम सूक्ष्म है, जो सृष्टि की उत्पत्ति से प्रलय-पर्यन्त व्याप्त है, वह परम महान् है।'

कालमान को सूक्ष्मतम रूप में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने निश्चित किया। सूक्ष्मतम मान त्रुटि और तत्परस हैं। एक दिन-रात में १७,४९६,०००,००० त्रुटियां या ४६,६५६,०००,००० तत्परस होते हैं। पाश्चात्य देश अणुबम के बनाने से पहले तक सेकेंड तक ही पहुंचे थे और भारतीय एक सेकेंड को १०२,५०० त्रुटियों और ५,१४०,००० तत्परसों में विभक्त कर चुके थे। १९५५ ई० में आणविक घड़ी बनी और पश्चिम ने भी सेकेंड को ९१,९३१,७७० भागों में बांट दिया।

काल का सूक्ष्मतम विभाजन

२ परमाणुओं के संयोग से एक 'अणु' बनता है।

३ अणुओं के संयोग से एक 'त्रसरेणु' बनता है।

(झरोखे में आई सूर्य किरणों में त्रसरेणु उड़ा करते हैं। ऐसे तीन त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है, उसे त्रुटि कहते हैं।)

त्रुटि मान-पद्धति

१०० त्रुटि एक वेध
३ वेध—लव
३ लव—निमेष
३ निमेष—क्षण
५ क्षण—काष्ठा
१५ काष्ठा—लघु
१५ लघु—नाडिका

तत्परस मान-पद्धति

६० तत्परस	१ परस
६० परस	५ विलिप्ता
६० विलिप्ता	१ लिप्ता (विपल)
६० लिप्ता	१ विघटिका (पल)
६० विघटिका	१ घटिका (दण्ड)
६० घटिका	१ दिन-रात

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

६ नाडिका—प्रहर
८ प्रहर—एक दिन रात
१५ दिन-रात—एक पक्ष
२ पक्ष—शुक्ल + कृष्ण—एक मास
२ मास—एक ऋतु होती है
६ मास—एक अयन (उत्तरायण-दक्षिणायन। ये देवों के दिन-रात हैं।)
२ अयन—एक वर्ष

कालचक्र

समय का पुनरावर्तन ही 'कालचक्र' है। गति के बिना कालचक्र गतिशील नहीं हो सकता। वास्तव में कालचक्र का दूसरा नाम 'कालगति' ही है। गति के बिना संसार की कोई भी क्रिया सम्पन्न नहीं हो सकती। यह गति ही सब पदार्थों, जीवों, तत्त्वों तथा लोकों-परलोकों से युक्त होकर उन सबको गतिशील बनाती है। सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, तारे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु—सब इस गति द्वारा ही गतिशील हैं।

सूर्य अथवा चन्द्र की गति के आधार पर ही विभिन्न देशों ने समय-चक्र का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। फलस्वरूप देश-विदेशों में भिन्न-भिन्न प्रकार के पंचागों का प्रचलन हुआ। भारत में ही अनेक पंचांग प्रचलित हैं। सरकार ने सन् १९५२ ई० में समस्त भारत के लिए देशी पंचांगों की गणित-पद्धति में एकरूपता लाने तथा समान पंचांग का निर्धारण करने के लिए एक पंचांग सुधार समिति नियुक्त की थी। समिति के सुझाव पर भारत सरकार ने देश भर के लिए राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक-सम्वत् को निर्धारित करने की घोषणा की।

शक सम्वत् पंचांग का पहला मास चैत्र है और वर्ष ३६५ दिनों का है। सरकार ने २२ मार्च १९५७ को जारी घोषणा में सरकारी कार्यों के लिए भी अंग्रेजी पंचांग के साथ-साथ राष्ट्रीय पंचांग के व्यवहार को लागू कर दिया। सरकार ने यह भी सुझाव दिया कि राष्ट्रीय पंचांग में दिए गए राष्ट्रीय दिनों का सब लौकिक कार्यों में प्रचलित अंग्रेजी तारीखों के समान ही उपयोग किया जाय। इस राष्ट्रीय पंचांग में समस्त भारत के उपयोग के लिए शालिवाहन शकाब्द स्वीकृत किया गया है एवं शकाब्द १८८६, १८९०, १८९४ आदि वर्ष प्लुत वर्ष (लीप ईयर) होंगे। इस प्रकार ऋतुनिष्ठ वर्ष पर आधारित अंग्रेजी तिथिपत्र के साथ राष्ट्रीय पंचांग का सम्बन्ध स्थापित हो गया है।

पहले शक सम्वत् का व्यवहार शाकद्वीपीय ब्राह्मण, जो प्रायः ज्योतिषी होते हैं, करते थे। शक सम्वत् ईसा से ७८ साल पीछे है। चैत्र के बाद के पांच मास ३१-३१ दिनों के होते हैं। इसमें ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार रूपान्तर किए गए हैं। तदनुसार मासों का आरम्भ इस प्रकार है—

शक कैलेंडर	ईस्वी कैलेंडर	शक कैलेंडर	ईस्वी कैलेंडर
१ चैत्र	२२ मार्च, लीप वर्ष में २१ मार्च	१ ज्येष्ठ	२२ मई
१ वैशाख	२१ अप्रैल	१ आषाढ़	२२ जून

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१ श्रावण	२३ जुलाई	१ मार्गशीर्ष-अग्रहायन	२३ नवम्बर
१ भाद्रपद	२३ अगस्त	१ पौष	२२ दिसम्बर
१ आश्विन	२२ सितम्बर	१ माघ	२१ जनवरी
१ कार्तिक	२३ अक्तूबर	१ फाल्गुन	२० फरवरी

पंचांगों में अब पुनः परिवर्तन की आवश्यकता दिखाई देती है। अनुभव किया जा रहा है कि पृथ्वी की गति क्रमशः मन्द होती जा रही है। मत है कि पृथ्वी की गति में १७०० ई० से अब तक ४७ सैकेंड की और १९०३ ई० से ३५ सैकेंड की कमी आ गई है। अतः काल का नया माप ढूंढ़ा जायेगा। इस दिशा में पहला प्रयत्न 'ऐफिमेरिज टाइम' है। इस नये कालमाप का निर्णय चन्द्रमा के आधार पर किया गया है।

अन्य पंचांग

रोमन पंचांग : विश्व में रोमन पंचांग के ही अनुसार अधिकांश कार्य प्रचलित हैं। इस समय १९७९ वां वर्ष चालू है। इस पंचांग में अंग्रेजी मासों के नाम प्रायः रोमन देवताओं के नाम पर हैं। उनका ग्रहों से कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसे जनवरी—जानुस, फरवरी प्रेप्रुअस, मार्च—युद्ध का देवता मार्स (मूलतः मार्च रोमन कैलेंडर में पहला मास था), अप्रैल—लैटिन शब्द—एप्रीलिस, मई—रोमन देवी मैया, जून—जूनो (रोमन देव-मण्डल का एक सदस्य), जुलाई—जूलियस-सीजर, अगस्त—अगस्त सीजर। सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर मास क्रमशः ७, ८, ९, १०, में रोमन मास हैं तथा इनके नाम संख्या सूचक लैटिन शब्दों से बने हैं।

विक्रम संवत : विक्रम संवत् इस देश में सर्वाधिक प्रचलित है। यह राष्ट्रीय सम्वत् है, यद्यपि सरकार द्वारा मान्य नहीं है। इसका प्रारम्भ ईसा से ५७-५८ वर्ष पहले सम्राट् विक्रमादित्य से माना जाता है। अनेक शिलालेखों में इसका उल्लेख है। विक्रमादित्य की शकों पर विजय की स्मृति में यह संवत् चला है। इस समय विक्रमी संवत् २०३६ चालू है।

बौद्ध पंचांग : भगवान् बुद्ध के जन्मकाल, ५४३ ई० पू०, से इसका प्रारम्भ हुआ। पर अब बुद्ध का जन्म-समय ४८७ ई० पू० भी माना जाने लगा है। इसमें कुछ विवाद है। इस कैलेंडर में वर्ष का आरम्भ वैशाख पूर्णिमा से होता है। बुद्ध का जन्म और निर्वाण इसी तिथि को हुआ था।

जैन पंचांग : २४वें तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण काल ५२७ ई० पू० से यह प्रारम्भ हुआ माना जाता है।

सृष्टि संवत् : भारत में सृष्टि संवत् भी प्रचलित है। दान और संकल्प के समय आज भी इसका प्रयोग होता है।

फसली साल : अकबर के समय, १५५५-५६ ई० में, खेती और राजस्व की दृष्टि से फसली साल चलाया गया था। बंगाल में इसी फसली साल को बंगाली वर्ष माना जाता है।

कलियुग संवत् : सृष्टि संवत् के बाद सबसे पुराना संवत् कलियुग संवत् है। इसका प्रारम्भ १८ फरवरी ३१०२ ई० पू० को हुआ था। भारत में आज भी दान और संकल्पों में इसका पाठ किया जाता है।

दयानन्द संवत् : आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती के नाम पर

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

आर्य समाज ने यह चलाया है। इसका आरम्भ उनके निर्वाण से होता है।

मुस्लिम पंचांग : हिजरी संवत का प्रारम्भ १६ जुलाई ६२२ से होता है। यह विशुद्ध रूप से चन्द्र वर्ष है।

विश्व मान्य समय (स्टैण्डर्ड टाइम) : लन्दन के समीपस्थ गांव ग्रीनविच से स्टैण्डर्ड टाइम माना जाता है। १८८४ ई० में एक अन्तर्राष्ट्रीय मेरिडियन कांफ्रेंस हुई थी। उसके निश्चय के अनुसार, ग्रीनविच से होकर जाने वाली मध्याह्न रेखा (मेरिडियन लाइन) को ही प्रधान मध्याह्न-रेखा माना गया और संसार में समय का हिसाब उसी से लगाया जाने लगा। ग्रीनविच के 'मेरिडियन' को शून्य अंश पर मानकर वहां से १८० अंश तक पूर्वीय और पश्चिमी रेखांश की गणना की जाती है। ग्रीनविच के पूर्व किसी के स्थान का समय जानने के लिए ग्रीनविच के समय में प्रति १५ अंश पर १ घंटा और १ अंश पर ४ मिनट का समय घटाना पड़ता है तथा पशिचम के स्थानों के लिए जोड़ना पड़ता है।

भारतीय स्टैण्डर्ड टाइम : भारत का समय ग्रीनविच मीनटाइम (ग्रीनविच मध्य-काल) से साढ़े पांच घंटे आगे है। यह एक जनवरी १९०६ में स्वीकार किया गया था। भारत में अब भारतीय स्टेण्डर्ड टाइम (काल) चलता है। भारत में रेलवे, तारघरों आदि में यही समय प्रयोग में लाया जाता है।

कालमान

ब्रह्माण्ड : इस काल का इन्द्रियगोचर विस्तार विशाल ब्रह्माण्ड है। ब्रह्माण्ड का दूसरा नाम नभोमण्डल भी है। सम्पूर्ण नभोमण्डल असंख्य तारों से भरा है। ब्रह्माण्ड में अनेक सौरमण्डल हैं। तारे इन्हीं सौर मण्डलों में से किसी-न-किसी में हैं। मनुष्य को केवल एक ही सौर मण्डल का आंशिक ज्ञान है, जिसमें हमारी पृथ्वी है। आकाश में दिखते ये असंख्य तारे हमारे लोक, पृथ्वी के ही समान लोक हैं और पृथ्वी से लाखों मील दूर हैं। पृथ्वी से तारों की दूरी प्रकाश-वर्ष द्वारा मापी जाती है। प्रकाश की गति सैकेंड २९७,६०० कि० मी० है। इस गति से एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूर जाता है, वह 'प्रकाशवर्ष' का माप-दंड है। वैज्ञानिक इस प्राचीन भारतीय तथ्य को मानते हैं कि शून्य आकाश में स्थित सभी ज्योतिर्पिंड किसी महान् शक्ति को केन्द्र बनाकर उसके चारों ओर घूमते हैं। यह भी माना जाता है कि सभी पिण्ड अण्डाकार वृत्त में घूमते हैं। इन तारों-ग्रहों-ज्योति-पिंड़ों की संख्या पहले डेढ़ लाख मानी गई। पर अब इस सम्बन्ध में नये-नये तथ्य सामने आ रहे हैं। यह भी अनुमान है कि पृथ्वी के अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रहों पर भी प्राणी रहते हैं। ब्रह्माण्ड में ऐसे तारे भी हैं जो हमारे सौरमण्डल के सूर्य से लाखों गुना बड़े और प्रकाश-मान हैं। ऐसा एक तारा आगस्त्य है जो सूर्य से ८०,००० गुना प्रकाशमान है। 'सेण्ट डोरा' समूह के तारों की ज्योति तीन लाख सूर्यो के बराबर बताई जाती है। बहुत से तारों का भार भी बहुत होता है।

सौर परिवार : हमारे-जैसे सौर परिवार और कितने हैं और इनकी कुल संख्या क्या है, यह पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। हमारे सौर परिवार का केन्द्र सूर्य है। सूर्य के चारों ओर ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य के अपनी धुरी पर घूमने से इसके अंश विकीर्ण हो जाते हैं और वे सूर्य की परिक्रमा करने लगते हैं। हर सौर परिवार में धूमकेतु

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

है। पृथ्वी अपनी गति के अनुसार अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काटती है। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। बाद का क्रम, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का है। आखिरी तीनों ग्रह भारतीय 'नवग्रहों' में नहीं आते। इन ग्रहों के उपग्रह भी हैं, जैसे पृथ्वी का चन्द्रमा। उपग्रह स्वप्रकाश से प्रकाशित नहीं हैं। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सारे ग्रह अपनी कक्षाओं में चलते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं।

सूर्य : हमारे सौर मण्डल का केन्द्र सूर्य है। यह एक स्व-प्रकाशमान गैसीय पिण्ड गोलाकार और अग्निमय है। यह एक तारा है, जो रोशनी और ताप देता है। पृथ्वी से इसकी दूरी १४८८ लाख कि० मी० है। इसका व्यास १३८४ हजार कि० मी० है तथा पृथ्वी की तुलना में इसका गुरुत्व ३,३३,४३४ गुना और आकार १० लाख गुना से अधिक है। सूर्य की सतह पर तापमान ६,००० डिग्री सेण्टीग्रेड है और अन्तर्तल का तापमान ८ करोड़ सेण्टीग्रेड है। सूर्य की भी अपनी धुरी है, जिस पर वह सतत घूमता है। सूर्य विषुवत रेखा पर २५ दिनों में और ध्रुवों पर ३३ दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। सूर्य में तीव्र गुरुत्व आकर्षण है। इसी कारण वह अपने ग्रहों को उनका कक्षाओं में निश्चित रखता है। सूर्य द्वारा यह प्रति सेकेण्ड २० कि० मी० की गति से चलायमान है। सूर्य में काले-काले धब्बे भी हैं। सूर्य में आंधियां उठती हैं। ये धब्बे आंधियों के परिणाम हैं। सूर्य अपने कक्ष का २५ दिन ६ घंटे में पूरा चक्कर लगा लेता है।

पृथ्वी : हमारी पृथ्वी नारंगी के आकार की गोल है। इसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कुछ चपटे-से हैं। यह भी एक चमकते तारे की भांति है। ग्रहों में यह पांचवां बड़ा ग्रह है। इसका क्षेत्रफल ५० करोड़ ४३ लाख १२ हजार ७२६ कि० मी० है। विषुवत रेखा पर इसकी परिधि ३६ लाख ८४ हजार ३८२ कि० मी० है। इसका व्यास १२ हजार ६७२ कि० मी० है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक इसकी परिधि ३८४०१३७७ कि० मी० है। यह एक ठोस पिंड है। इसके भीतर जाने पर हर १५ मिनट पर १० अंश फारनहाइट ताप बढ़ता जाता है। भीतर के मध्य भाग का तापमान तप्त पिघली धातु के बराबर है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर २४ घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाती है। सूर्य के चारों ओर जिस अंडाकार मार्ग से पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसे ग्रह-पथ या 'कक्षा' (आरबिट) कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को ३६५ दिन ५ घंटे ४८ मिनट ४६७/१० सैकेण्ड लगते हैं। इस कालावधि को ही वर्ष कहते हैं। अंडाकार कक्षा पर पृथ्वी के घूमने और उस पर उसकी धुरी के ६६½ अंश झुके रहने से विभिन्न ऋतुएं बनती हैं।

चन्द्रमा : यह पृथ्वी का एक उपग्रह है तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। पृथ्वी से यह ३ लाख ८२ हजार १७६ कि० मी० दूर है। कुछ लोग यह दूरी ३ लाख ८२ हजार २४० कि० मी० मानते हैं। इसका व्यास ३,४५६ कि० मी० है। इसका पिंड ७४१,०००, ०००,०००,००० टन का है। चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा २७ दिन ७ घंटे ४३ मिनट १२ सेकेण्ड में पूरी करता है। पृथ्वी के साथ-साथ चन्द्रमा सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाता है और परिक्रमा वह २६ दिन १२ घंटे ४४ मिनट और ५ सेकेण्ड में पूरी करता है। इसको ही चन्द्रमास कहते हैं। हमारे सामने इसका सदा आधा भाग ही आता है। समुद्र में ज्वार-भाटे चन्द्रमा के कारण आते हैं। अतः वहाँ कोई नहीं रह सकता। सूर्य की ओर इसका जो भाग

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

रहता है, उसका तापमान २०० डिग्री सेंटीग्रेड है। मानव ने चन्द्र पर अपने चरण रख दिए हैं तथा अब उसके विषय में अनेक तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं। रूस व अमेरिका दोनों ने चन्द्र विजय में सफलता प्राप्त कर ली है। भारत ने भी 'आर्यभट्ट' के रूप में अन्तरिक्ष में प्रवेश करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। अब उसने ७ जून १९७९ को 'भास्कर' उपग्रह भेजा है।

आकाश गंगा : आकाश में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई एक सफेद चौड़ी पट्टी-सी है जो रात में दिखती है। यही आकाश गंगा है। यह तारक-पुंजों का समूह है। मध्य में इसकी दो शाखाएं भी हो गई हैं। अंधेरी रात में यह स्पष्ट दिखाई देती है। अनुमान है कि आकाश-गंगा में हमारे सौर परिवार के सदृश अनेक परिवार हैं।

क्रांति-वृत्त : नक्षत्रों की संख्या २७ है। सूर्य के समान ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। सूर्य तारों के बीच से होकर पश्चिम से पूर्व की ओर चलकर वर्ष भर में चक्कर पूरा करता है। उसके इस पथ का नाम क्रांति-वृत्त है। चन्द्रमा भी इसके आस-पास ही पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। चन्द्रमा यह चक्कर २७ दिन, १९ घड़ी, १८ पल और १६ विपल में पूरा करता है। यह प्राचीन माप इस प्रकार का है—६० विपल—१पल, ६० पल-१ घड़ी या दंड, ६० घड़ी या दंड—१ अहो-रात्र दिन-रात। चन्द्रमा २७ दिनों में चक्कर पूरा करता है। अत: गगन-मंडल को भी २७ भागों में विभक्त करके प्रत्येक का उसके काल्पनिक आकार के अनुसार नाम दिया गया है। प्रत्येक नक्षत्र साढ़े १३ अंश का होता है। चन्द्रमा की गति सदा एक समान नहीं रहती। अत: एक नक्षत्र को पार करने में वह ५४ से लेकर ६५ दंड तक समय ले लेता है। अत: प्रत्येक नक्षत्र का मान एक नहीं है। नक्षत्र २७ हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इनके नाम इस प्रकार हैं—अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृग, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुश्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, शततारका, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवति। प्रत्येक नक्षत्र को चार चरणों में बांटा गया है। उत्तराषाढ़ा के चौथे चरण और श्रवण के पहले १५वें भाग को 'अभिजित नक्षत्र' कहते हैं।

राशि : चन्द्रमा की दैनिक गति की सूचना नक्षत्र देते हैं। सूर्य की मासिक गति की सूचना राशियां देती हैं। सूर्य के मार्ग क्रांति-वृत्त के १२वें भाग का नाम राशि है। राशियां १२ हैं। एक राशि में ३० अंश होते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर क्रमश: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धेनु, मकर, कुम्भ और मीन राशियां हैं। इन राशियों के ये नाम इनकी आकृति के अनुसार हैं। प्रत्येक राशि सवा दो नक्षत्र की होती है। सूर्य जब राशि में प्रवेश करता है तो संक्रांति होती है। राशियों के अनुसार १२ संक्रांतियां हैं। मेष संक्रांति पर कभी दिन-रात बराबर होते थे। परन्तु अब मेष-संक्रांति २३ दिन बाद होती है। आकाशस्थ अश्विनी नक्षत्र या मेष राशि आदि के निश्चित तारों से राशियों की गणना करने पर वह निरयन राशियां होती हैं। सायन राशियों की गणना क्रांति वृत्त और विषुवत्-वृत्त के पीछे खिसकते हुए सम्पात-बिन्दु से होती है। यह सम्पात-बिन्दु हर साल ५९ विकला की गति से पीछे हट रहा है। सायन और निरयन राशियों में तीन वर्ष पूर्व २३ अंश, १८ कला और ४१ विकला का अन्तर था।

पृथ्वी दिन-भर में राशि-चक्र की परिक्रमा कर लेती है। फलत: विभिन्न समयों पर पूर्वी क्षितिजों में विभिन्न राशियां दिखाई देती हैं। देश के अक्षांश के अनुसार इनका उदय-

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

काल भिन्न-भिन्न होता है। लग्न का निश्चय इस बात से होता है कि पूर्वी क्षितिज पर कौन सी राशि लगी।

गोलार्द्ध : यदि आकाश के दो भाग इस प्रकार किये जायें कि एक भाग के मध्य उत्तरी ध्रुव पड़े और दूसरे के बीच दक्षिण ध्रुव आये, तो ये दोनों भाग क्रमशः उत्तरी गोलार्द्ध और दक्षिणी गोलार्द्ध होंगे। भूमध्य या विषुवत् रेखा के ठीक ऊपर से आकाश विभक्त माना जाता है। उत्तरी गोलार्द्ध में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह तथा कन्या राशियां हैं। शेष ६ राशियां दक्षिणी गोलार्द्ध में पड़ती हैं।

चन्द्र की गति के अनुसार बारह मास चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा फाल्गुन हैं। सौर मास का आरम्भ संक्रांति से होता है। वार का आरम्भ सूर्योदय से होता है। भारतीय वारों के नाम ग्रहों के नामों पर हैं, जैसे—सूर्य-रविवार, चन्द्र-सोमवार, मंगल-मंगलवार, बुध-बुधवार, बृहस्पति-बृहस्पतिवार, शुक्र-शुक्रवार, शनि-शनिवार।

दिनमान : सूर्य भूमध्य-रेखा के सामने सायन मेष पर आता है तब पृथ्वी पर दिन-रात सर्वत्र समान होते हैं। इसके बाद सूर्य ज्यों-ज्यों उत्तर की ओर बढ़ता है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध क्रमशः दिन बड़ा और रात छोटी होती जाती है। ठीक इसके विपरीत दक्षिण गोलार्द्ध में होता है। सूर्य जब सायन कर्क पर पहुंचता है तब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिण की ओर फिरता है। इससे उत्तर में क्रमशः दिन छोटा और रात बड़ी होने लगती हैं।

सूर्य जब भूमध्य रेखा के सामने सायन तुला पर आता है, तो पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। दक्षिणी गोलार्द्ध में सूर्य का प्रवेश होने पर जब वह सायन मकर पर पहुँचता है, तब दक्षिण में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। इसका ठीक उल्टा उत्तरी गोलार्द्ध में होता है। वहां से सूर्य उत्तरायण होता है। इससे दक्षिण में क्रमशः दिन छोटा और रात कुछ-कुछ बड़ी होने लगती है। सूर्य चक्कर लगाता हुआ पुनः भूमध्य रेखा के सामने सायन मेष में आता है।

भूमध्य रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की दूरी ९० अंश है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात १२-१२ घण्टे के होते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ने पर दिनमान या रात्रिमान बड़ा होने लगता है। साढ़े ६६ अंश पर सबसे बड़ा दिन या रात्रि २४ घण्टे की होती है। ७० अंश पर दो मास के, साढ़ ७८ अंश पर ४ मास के, और ९० अंश पर ६ मास के दिन-रात होते हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Dedicated to the Production of Coal

TO ENSURE

ENERGY

FOR THE NATION

Central Coalfields Limited

(A Subsidiary of Coal India Limited)

DARBHANGA HOUSE, RANCHI

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भारतीय इतिहास

एक विहंगम दृष्टि

वैदिक काल

भारत के इतिहास का प्रारम्भ वेदों से है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने वेदों को संहिता का रूप दिया था। वेदों को भारतीय ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं तथा उनका विश्वास है कि वेद 'अपौरुषेय' हैं।

विश्व के इस आदि-देश भारत का आदिकाल आर्यों से सम्बन्धित है। वेदों में भारत के आदिकाल के भूगोल, इतिहास तथा सामाजिक जन-जीवन का वर्णन है। वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। पश्चिमी इतिहासकार ईसा से ५० हजार वर्ष पूर्व तक ऋग्वेद का काल मानते हैं, किन्तु भारतीय इतिहासकारों ने इसे लाखों वर्ष प्राचीन माना है।

वैदिक साहित्य के अन्तर्गत वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों का समावेश है। वेदों के छः अंग हैं, जो वेदांग कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में एतरेय, तैत्तिरीय, गोपथ, शतपथ, और षड्विंश मुख्य हैं। उपनिषदों की संख्या दो सौ से भी अधिक है। पर भारतीय आचार्यों ने ग्यारह उपनिषदों को मुख्य माना है और इन्हीं का भाष्य किया है।

आर्य-जन एक बड़े परिवार के समान रहते थे। सब 'सजात' होने से एक-समान थे। वर्णाश्रम-व्यवस्था गुण-कर्म के आधार पर की गई। गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम माना जाता था। साधारणतः एकपत्नीव्रत का पालन किया जाता था। स्त्रियां परदे में नहीं रहती थीं। अनेक स्त्रियां ब्रह्मवादिनी थीं। आर्यों का भोजन सादा था। चावल, तिल, जौ, घी, दूध की इनमें प्रधानता थी। गाय को पूज्य और 'अघन्या' माना जाता था।

आर्य लोग ऊन, रेशम, और रुई के वस्त्र पहनते थे। सिर पर पगड़ी धारण करते थे। नीचे अधो-वस्त्र (धोती या साड़ी) और उत्तरीय (चादर) धारण करते थे। स्त्री-पुरुष दोनों स्वर्णादि आभूषण पहनते थे। कुण्डल, केयूर, निष्कग्रीव, कण्ठहार आदि प्रचलित थे।

आर्य एक ईश्वर के उपासक थे। बहुदेवतावाद प्रचलित नहीं था पर आर्य प्रकृति-पूजक भी थे।

आर्यों का जीवन सरल और विचार उच्च थे। वे खेती करते थे और पशु पालते

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

थे। भिषग् (वैद्य) विप्र माना जाता था। जुआ खेलना मना था। समुद्र में चलने वाले पोत और नौयान थे। दूर-दूर तक ये व्यापार करने जाते थे। विमानों का भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है।

राज्य का संचालन राजा या गण-प्रमुख सभा तथा समिति की सहायता से करते थे। राज्याभिषेक के समय की गई अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन न करने वाला राजा सिंहासन से उतार दिया जाता था।

रामायण-काल

सूर्यवंश का विस्तृत कालखंड इतिहास में उपलब्ध है। रामायण-काल में सूर्यवंशी महाराजा रघु के कुल के प्रतापी राजा श्री रामचन्द्र ने छोटे-छोटे अनेक राक्षसों को पराजित किया। उन्होंने वनवासियों के सहयोग से लंका के कुमार्गी एवं अंहकारी राजा रावण से संघर्ष किया तथा इस धर्मयुद्ध में भगवान् राम ने रावण की सत्ता को नष्ट करके लंका की गद्दी पर रावण के धार्मिक व न्यायप्रिय भाई विभीषण को अधिष्ठित कर दिया। श्री राम अपने आदर्श जीवन के कारण 'मर्यादा पुरुषोत्तम' कहलाये। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण काल का रामायण में विस्तार से वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी 'रामचरित मानस' में राम के काल का वर्णन किया है।

महाभारत-काल

महाभारत का युद्ध कौरव पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। इस भयंकरतम युद्ध में १८ अक्षोहिणी सेना मारी गई थी। महाभारत के युद्ध में पांडव मुट्ठी-भर थे जबकि कौरवों के पास भारी सेना थी। श्रीकृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में युद्ध में भाग लिया था, क्योंकि श्रीकृष्ण पांडवों के पक्ष को न्यायपूर्ण मानते थे।

इस भयंकर युद्ध की गाथा को महर्षि वेदव्यास ने 'महाभारत' में लिपिबद्ध किया। महाभारत भारतीय साहित्य का बहुमूल्य ग्रंथ है। भगवान् श्रीकृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को धर्मयुद्ध में भाग लेने के लिए जो उपदेश दिया था वह 'गीता' के रूप में विख्यात है।

मोहनजोदारो-हड़प्पा : यह ऐतिहासिक तथ्य है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा के खण्डहर आर्यों के ही नगरों के ध्वंसावशेष हैं, क्योंकि ये ध्वंसावशेष हड़प्पा तक ही सीमित नहीं हैं। सिन्धु-घाटी से लेकर सुदूरपुर्व में वर्द्धमान, चौबीस परगना तक और लोथल से लेकर चित्तल दुर्ग तक ये मिले हैं। गांधारवल (कश्मीर) से ब्रह्मगिरि तक इनका प्रसार है।

सिन्धु घाटी सभ्यता : मोहनजोदारो व हड़प्पा, नील नदी की घाटी यूफ्रेटस और टिग्रिस की घाटी, हवांग हो-चिआंग-त्से-क्यांग, नदियों की घाटी और सिन्धु घाटी, ये एक समय विश्व में सभ्यता के चार केन्द्र थे। परन्तु भारत में सिन्धु-घाटी की सभ्यता नदी-घाटी सभ्यता नहीं थी, समुद्रवर्ती भी थी और ताम्रलिप्ति (कलकत्ता) से लोथल तक फैली हुई थी। सिन्धु-सभ्यता के लोग तांबे और काँसे का व्यवहार करते थे। यह सभ्यता काठियावाड़ से लेकर मकरान तक और उत्तर में हिमालय तक फैली हुई थी। यदि इसका विस्तार एक त्रिभुज के रूप में माना जाय, तो इसकी तीनों भुजाएँ १५२०,९६०,८८०

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कि० मी० लम्बी होंगी। यह सभ्यता आज मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। ४० से अधिक जगहों की खुदाई हो चुकी है और आगे जारी है।

लोथल (गुजरात) : यहाँ १६५३ ई० में खुदाई हुई। यहाँ भी सिन्धु घाटी की सभ्यता के समान सब-कुछ प्राप्त हुआ है। यह उसी का एक अंग था। इसका काल ३००० ई० पू० से १५०० ई० पू० तक माना जाता है। यह सभ्यता द्रविड़ियनों या प्रोटोद्रविड़ियनों की सभ्यता बताई जाती है। यह अत्यन्त विकसित व उन्नत नगर-सभ्यता थी। यहाँ सुनहरे आभूषण मिले हैं, जिन पर चित्र अंकित हैं।

मध्य-काल

जैन सम्प्रदाय का उदय : जैन सम्प्रदाय के अनुयायियों की संख्या भारत में लगभग एक करोड़ है। जैनी इसे प्राचीनतम सम्प्रदाय मानते हैं। वर्द्धमान महावीर २४वें तीर्थंकर थे। जैन धर्मानुयायी प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव को वैदिक सूक्तों के व्याख्याता मानते हैं। २३वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर बिहार में पारसनाथ पर्वत है और यह जैनियों का प्रमुख तीर्थक्षेत्र है। २४वें तीर्थंकर वर्द्धमान महावीर का जन्म ज्ञातृक राजकुल में हुआ जो वज्जि गणराज्य के संघ में था। इसकी राजधानी कुण्डलग्राम थी। ३० वर्ष की आयु में वर्द्धमान ने घर-बार छोड़ दिया तथा भिक्षु हो गए थे। बारह साल की घोर तपस्या के बाद उन्होंने 'केवलीपद' प्राप्त किया। संसार के संसर्ग से सर्वथा मुक्त होकर तथा सुख-दुःख की भावना से ऊपर उठ, सब वस्तुओं से पृथक् 'केवल रूप' की अनुभूति कैवल्यावस्था है। धर्मप्रचार करते हुए ७२ वर्ष की आयु में राजगृह के समीप 'पावापुरी' (बिहार) में ५२० ई० पू० में उनका निर्वाण हुआ।

जैन मत में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह और परिमाण, ये पाँच व्रत भिक्षु और गृहस्थ दोनों को पालने चाहिएं। जैनों का अहिंसा व्रत बौद्धों से भी अधिक कठोर है।

जैन सम्प्रदाय भारत से बाहर नहीं गया। जैन सम्प्रदाय के अन्तर्गत दिगम्बर और श्वेताम्बर दो उप सम्प्रदाय हैं। श्वेताम्बरों में अनेक सम्प्रदाय हैं। तेरापंथी इनमें से ही हैं। दिगम्बर जैनियों के मन्दिर में प्रतिमाएँ निर्वस्त्र होती हैं।

बौद्ध सम्प्रदाय : शाक्य क्षत्रियों का एक छोटा-सा राज्य हिमालय की तराई में था। इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इस गणराज्य का शासक शुद्धोदन था। शुद्धोदन के घर सिद्धार्थ का जन्म हुआ। इनका गोत्र गौतम था, अतः ये गौतम कहलाये। इनका बालपन ऐश्वर्य और विलास में बीता। सिद्धार्थ को राजकुमारों के योग्य शिक्षा दी गई थी। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। उनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। कपिलवस्तु का भ्रमण करते हुए उन्होंने एक दिन एक मरणासन्न रोगी, एक दिन एक बूढ़ा, और एक दिन श्मशान जा रही एक अर्थी को देखा और इन सबके बाद एक शान्त, प्रसन्न सन्यासी को देखा। चारों का सिद्धार्थ पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह घर-बार छोड़कर भिक्षु होने का विचार करने लगे और एक रात पत्नी और पुत्र को छोड़कर घर से निकल गये। गया पहुँचकर उन्होंने वट-वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तपस्या की। यहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे भोग-विलास व्यर्थ है, वैसे ही तपस्या व्यर्थ है। दोनों के मध्य का मार्ग ही सही है। यही बुद्ध का 'मध्य मार्ग' है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

३६ वर्ष की आयु में भगवान् बुद्ध ने धर्म-प्रचार किया। लुम्बिनी उद्यान में ४८७ ई० पू० बुद्ध का जन्म हुआ और ८० साल की आयु में कुशीनगर (कसिया) में ४०७ ई० पू० निधन हो गया। ४४ साल निरन्तर पर्यटन करते हुए उन्होंने धर्म-प्रचार किया। बुद्ध का अष्टाँग मार्ग है : (१) सम्यक्-दृष्टि, (२) सम्यक्-प्रयत्न, (३) सम्यक्-वचन, (४) सम्यक् संकल्प, (५) सम्यक् कर्म, (६) सम्यक् आजीविका, (७) सम्यक् विचार और (८) सम्यक् ध्यान। भगवान् बुद्ध हिंसा के विरोधी और ऊँच-नीच की भावना से सर्वथा मुक्त थे। वे प्राणी मात्र को एक समान मानते थे। जन्म के कारण किसी को ऊँच या नीच नहीं मानते थे। भगवान् बुद्ध के निधन के कुछ वर्ष बाद उनके शिष्य राजगृह में एकत्र हुए। यहाँ बुद्ध की शिक्षाओं को लेखबद्ध किया गया। बुद्ध ने धर्म प्रचार के लिए संघ की स्थापना की। स्त्रियों को भी भिक्षु बनने का अधिकार दिया। जैन व बौद्ध दोनों सम्प्रदायों ने संस्कृत को अपने प्रचार का माध्यम नहीं बनाया। बौद्धों का साहित्य पालि में और जैनों का अर्ध-मागधी-प्राकृत में है। बाद में संस्कृत में भी इन सम्प्रदायों का साहित्य लिखा गया। दोनों सम्प्रदाय कालांतर में अत्यन्त सीमित होकर रह गए।

यूनानी आक्रमण

ईरान में गये आर्य उस देश को 'आर्यान' या 'एर्यान' कहते थे। ईरान शब्द का मूल यही है। इनकी दो शाखाएं थीं—पार्श (पर्शियन) और मीड। इनमें से पार्श ने साम्राज्य बनाया। हरवमनी के समय लगभग सारा ईरान पार्श साम्राज्य में आ गया था। हरवमनी के वंशजों में डेरियस या दारयवहु (५२१-४२८ ई० पू०) बड़ा प्रतापी राजा था। इसने भारत के तीन प्रदेश सिन्ध, कम्बोज और गांधार जीत लिए। डेरियस ने अपने विजय-स्तम्भों में अपने को ऐर्य, ऐर्य पुत्र (आर्यपुत्र) कहा है। भारत के सिन्धु नदी के भाग को उसने एक क्षत्रप के अधीन रखा था। इसके कारण भारत का संबंध पश्चिमी एशिया से दृढ़ हो गया तथा भारतीय व्यापारी एशिया-माइनर और मिस्र पहुंचने लगे।

दारा के आक्रमण के समय उनका नौ-सेनापति स्काईलक्स (शैलाक्ष) समुद्री मार्ग से सिन्ध के मुहाने तक आया था। इससे भारत के समुद्री व्यापार को बहुत सहायता मिली। ईरानी आक्रमण के कारण भारत में खरोष्टी लिपि आई। भारत की अपनी लिपि इस समय ब्राह्मी थी जिसका वर्तमान रूप नागरी है। खरोष्टी दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी। ईरानी लिपि का नाम अरैमिक था। सिन्धु नदी के पश्चिम के भारतीय प्रदेश में अरैमिक लिपि का प्रचार हुआ। खरोष्टी की वर्णमाला ब्राह्मी के समान थी, पर लिपि उसकी अरैमिक से ली गई थी।

ग्रीस में भी आर्य बसे थे। ग्रीस पर मैसीडोनिया ने हमला किया। मैसीडोनिया के प्रतापी राजा का नाम अमिटस था। उनका लड़का फिलिप हुआ। इसने अपने राज्य का विस्तार किया। फिलिप का लड़का सिकन्दर हुआ। सिकन्दर अरस्तू (अरिस्टटल) का शिष्य था। उसे विश्व-विजय की महत्वांकांक्षा थी। सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले ईरानी साम्राज्य पर अधिकार किया। इससे उसको अनायास हिन्दुकुश तक का भू-भाग मिल गया। ईरान की राजधानी पर्सिपोलस को जीतकर सिकन्दर भारत की ओर बढ़ा। गांधार के राजा आम्भि ने सिकन्दर से मित्रता कर ली। आम्भि की सहायता पाकर सिकन्दर

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ने राजा पोरस (पुरु) पर आक्रमण किया। पुरु वीरता से लड़ा। इस युद्ध के परिणाम के सम्वन्ध में दो मत हैं: सिकन्दर की हार या सिकन्दर की विजय। विद्वानों की नई पीढ़ी दूसरे मत को अधिक पुष्ट व सार्थक मानने लगी है। पुरु की मित्रता प्राप्त कर सिकन्दर आगे बढ़ा। उसको अनेक गणराज्यों से युद्ध करने पड़े। इनमें से ग्लुचुकायन, मद्र और कठ मुख्य थे। कठ की राजधानी साकल (स्यालकोट) नगरी थी। कठ-युद्ध में भारतीय सैनिकों के पराक्रम से सिकन्दर की सेना घवरा गई और उसने युद्ध करने से इन्कार कर दिया। मगध सम्राट महापद्मनन्द की सेना के आतंक से भयभीत सिकन्दर व्यास तक पहुँचकर लौट पड़ा। वापसी में सिकन्दर की सेना को मालवों और क्षुद्रकों ने ललकारा। सिकन्दर इनसे संधि करने को वाध्य हुआ। वहाँ उसके कलेजे में वर्छे की चोट लगी। यह सांघातिक सिद्ध हुई। ३२३ ई० पू० सिकन्दर वैवीलोनिया पहुँचा। यहाँ ३३ वर्ष की आयु में वर्छे के घाव से उसकी मृत्यु हो गई। सिकन्दर के आक्रमण के कारण ग्रीकों का भारत की कला पर प्रभाव पड़ा। मन्दिर-निर्माण, मूर्ति-कला और मुद्रा-निर्माण तथा इसी प्रकार ज्योतिष भी प्रभावित हुए। व्यापार वढ़ा। यवनानी लिपि भी आई। भारत का धर्म, दर्शन व ज्योतिष पश्चिम में पहुंचा।

मौर्य वंश

चन्द्रगुप्त मौर्य : आचार्य चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने भारत से ग्रीक-विजय के प्रभाव को मिटा दिया तथा पुनः भारत की सीमा हिन्दुकुश तक पहुंचा दी। इस प्रकार भारत की राजनीतिक सीमा और प्राकृतिक सीमा एक हो गई। आचार्य चाणक्य का मत था कि हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली एक सहस्र योजन आर्य-भूमि है और इसमें एक चक्रवर्ती राज्य स्थापित होना चाहिए। इस लक्ष्य को उन्होंने अपने शिष्य चन्द्रगुप्त को मगध का सम्राट वनाकर पूरा किया। सेल्यूकस सिकन्दर का एक सेनापति था। सिकन्दर के पदचिह्नों पर चलते हुए उसने भारत पर ३०५ ई० पू० में आक्रमण किया। चन्द्रगुप्त ने उसके मनोरथों को मिट्टी में मिला दिया। पराजित सेल्यूकस ने चन्द्रगुप्त को पैरोपनिसडेई (कावुल) एरिया (हिरात), आर्कोशिया (कंदहार) और जद्रोसिया (कलात, लासवेला और मकरान) के प्रदेश दिये। उसने अपनी कन्या का विवाह भी चन्द्रगुप्त से कर दिया। चन्द्रगुप्त ने अपने यूनानी श्वसुर को ५०० हाथी दिये। मैगस्थनीज चन्द्रगुप्त के दरवार में यूनान का राजदूत होकर आया। चन्द्रगुप्त की सेना में ६ लाख पैदल, ३० हजार घुड़सवार और ९ हजार हाथी थे। ८ हजार से अधिक रथ थे। सेना का प्रवन्ध ६ उपसमितियों द्वारा होता था। खानें राज्य की अपनी थीं, इनसे राज्य को बड़ी आमदनी थी। समुद्र से मोती निकालने का काम राज्य करता था। नमक का कारोवार भी राज्य के अधीन था। चन्द्रगुप्त ने ३२२ ई० पू० से २९८ ई० पू० तक राज्य किया।

चन्द्रगुप्त के पुत्र विंदुसार के दरवार में सेल्यूकस के उत्तराधिकारी राजा एण्टीयोकस का दूत रहता था। मिस्र का राजदूत डायोनीसियस भी दरवार में था। विंदुसार की २७२ ई० पू० में मृत्यु हो गई।

सम्राट अशोक : विंदुसार की मृत्यु के वाद मगध के राजसिंहासन पर अशोक वैठा। उसने सर्वप्रथम कलिंग (उड़ीसा) को जीता। अशोक ने इस विजय के वाद 'धम्म विजय' (धर्म विजय) की ओर ध्यान दिया। बौद्ध मत के प्रचार के लिए उसने देश-विदेश में अपने

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

प्रचारक भेजे। अशोक के 'महामात्य' का कार्य ही धर्म-प्रचार का कार्य देखना था। अशोक ने चिकित्सालय खोले। शिलाओं पर अपने संदेश अंकित कराकर उन्हें भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्रतिष्ठापित किया। ये शिला-लेख अफ़गानिस्तान से लेकर मैसूर तक मिले हैं। सारनाथ से प्राप्त स्तम्भ पर सिंह की चार मूर्तियाँ बनी हुई हैं। कहते हैं, अशोक ने ८४ हजार इमारतें बनवाईं। सारनाथ, राँची और पाटलिपुत्र में अशोक के भवनों के कुछ अवशेष मिले हैं। पाटलिपुत्र के राजप्रसाद को देखकर चीनी यात्री फाहियान चकित रह गया था। उसने उसे देवताओं का बनाया हुआ बताया था। राज्य-शक्ति का धर्म-प्रचार और जन-कल्याण में प्रयोग करने वाला विश्व का यह संभवतः पहला सम्राट था।

मौर्य साम्राज्य प्राची, मध्य, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर—इन पांच मंडलों में विभक्त था। जनपद और जनपद-सभा को कायम रखा गया। ग्राम का शासक 'ग्रामिक' कहलाता था। यह कर वसूल करने के अतिरिक्त मनोरंजन के लिए प्रेक्षाओं (तमाशों) का भी प्रवन्ध करता था। 'ग्रामिक' शासन का एक महत्वपूर्ण अंग था।

केन्द्रीय शासन अठारह विभागों में विभक्त था। प्रत्येक विभाग एक महामात्य के अधीन था। न्यायालय के सामने कोई मुकदमा चलने पर निम्न बातें अवश्य लिपिवद्ध की जाती थीं। (१) तिथि, (२) अपराध का स्वरूप, (३) घटनास्थल, (४) यदि ऋण का हो, तो ऋण की मात्रा, (५) वादी-प्रतिवादी का देश, गाँव, जाति, गोत्र, नाम, पेशा, (६) दोनों पक्षों की युक्तियों-प्रत्युक्तियों का पूर्ण विवरण। मैगस्थनीज ने माना है कि भारत के लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। चोरियाँ अज्ञातप्राय: थीं। लोग सत्यवादी व धर्मात्मा थे।

सारनाथ का स्तम्भ मौर्यकालीन कला का प्रतीक है। अशोक के समय की पाषाण-वेष्टनियाँ (रेलिंग) भी दर्शनीय हैं। इन पर जातकों की कथाएँ उत्कीर्ण हैं। वेष्टनियाँ पत्थर काटकर वनाई गई हैं। साँची का स्तूप महत्त्व का है। आधार के समीप इसका व्यास १०० फुट है। यह लाल रंग के पत्थर से वनाया गया है। गुहा-मन्दिर वनाने की परम्परा का प्रारम्भ इसी समय से हुआ।

मैगस्थनीज के अनुसार भारत में तव सात वर्ग या जातियाँ थीं: (१) दार्शनिक (२) किसान, (३) अहीर, गड़रिये और चरवाहे, (४) कारीगर, (५) सैनिक, (६) राज्य कर्मचारी, और (७) निरीक्षक या गुप्तचर। लोग मितव्ययी थे तथा स्वच्छता व भव्यता-पूर्वक रहते थे। रत्नों के धारण करने की प्रथा थी। लोग अत्यन्त सुन्दर मलमल के बने फूलदार कपड़े पहनते थे। तक्षशिला शिक्षा का महाकेन्द्र था। एक आचार्य के पास ५०० से लेकर दस सहस्र तक छात्र रहते थे। राज्य शिक्षा को सहायता देता था। अधिकांश भाग में सिंचाई होने से साल में दो फसलें होती थीं। अकाल कभी नहीं पड़ता था। अनाज सस्ता था।

मिनान्दर : भारत के ग्रीक राजाओं में मिनान्दर का नाम प्रसिद्ध है। उसकी राजधानी साकल (स्यालकोट) थी। वह बौद्ध था। 'मिलिन्द पाहो' उसका लिखा पालि भाषा में एक ग्रंथ है। तक्षशिला के ग्रीक नरेश अंतलिखित का राजदूत हेलिउदारे विदिशा (म० प्र०) में रहता था। वह वैष्णव हो गया था। वासुदेव (विष्णु) की पूजा के लिए

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

उसका बनाया 'गरुड़-ध्वज' आज भी विद्यमान है। कलिंग-नरेश खोरेवेल ने देमेट्रियस (डेमेस्त्रीय) को हराकर भारत की यवनों से रक्षा की।

शुंग वंश

पुष्यमित्र : मौर्यों का सेनापति था। इसने शुंग राजवंश चलाया। अश्वमेध-यज्ञ किया। एक शिलालेख में इसे 'द्विरश्वमेध याजी' बताया गया है। यवनों ने उसका छोड़ा अश्व पकड़ लिया था। इसके पौत्र वसुमित्र ने उसको छुड़ाया। महाभाष्यकर्ता पतंजलि ने इसका अश्वमेध यज्ञ कराया था। महाभाष्य में कहा गया है : 'पुष्यमित्रं यजामहे'।

सिमुक : मौर्यों के निर्बल होने पर दक्षिण में सिमुक ने २१० ई० पू० सातवाहन वंश की नींव डाली। गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान नगरी इसकी राजधानी थी। इसके वंशज गौतमिपुत्र सातकर्णि ने पश्चिम में अवन्ति तक राज्य का विस्तार किया। इसने शक, पल्हव (पार्थियन) और यवनों (ग्रीकों) को पराजित किया। इसका काल ९९-४४ ई० पू० था। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासज्ञ डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल ने इसी को 'शकारि विक्रमादित्य' बताया है। वासिष्ठी पुत्र श्री पुलमावि के समय सातवाहन राज्य चोल देश तक फैल गया। पुलमावि ने मगध के राजा सुशर्मा को मारकर मगध के कण्व वंश की समाप्ति कर दी। सातवाहन वंश का शासन २२५ ई० तक चला।

कुशाण साम्राज्य : हूणों से भगाये जाने और सीर नदी घाटी में बसने के बाद उसको छोड़कर बैक्ट्रिया पहुँचे यूईश लोगों ने पाँच राज्य स्थापित किये। इनमें एक कुशाण साम्राज्य था। इसका राजा कदफिसस बौद्ध था। चीन के सम्राट को बौद्ध ग्रंथ भेजने वाला यह पहला भारतीय नरेश था। ८० साल की आयु में वह मर गया। इसका उत्तराधिकारी विमकथफिश शैव था। इसने अपना राज्य मथुरा तक बढ़ाया। पाटलिपुत्र के राजा सातवाहन कुन्तल सातकर्णि ने कुशाणों को अनेक युद्धों में पराजय दी और 'शकारि' कहलाया। ७८ ई० में कनिष्क राजगद्दी पर बैठा। इसने सातवाहनों को हराकर अयोध्या-पाटलिपुत्र तक राज्य का विस्तार किया। कनिष्क पाटलिपुत्र से बौद्ध विद्वान् अश्वघोष और बुद्ध के एक कमण्डल को साथ ले गया। उत्तरी भारत से इसने सातवाहन वंश के राज्य को समाप्त कर दिया। कनिष्क ने उत्तर में वंक्षु-सीर नदियों तक के प्रदेशों को जीता। चीन से लड़कर काशगर, खोतान और यारकन्द के प्रदेश इसने अपने साम्राज्य में मिला लिये। वंक्षु और यारकन्द से पाटलिपुत्र तक फैले साम्राज्य के शासन के लिए इसने पुष्यपुर (पेशावर) को अपनी राजधानी बनाया। कनिष्क के सिक्कों पर देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। कुण्डलवन (कश्मीर) विहार में कनिष्क के संरक्षण में बौद्धों की चौथी महासभा हुई। अश्वघोष, वसुमित्र और पार्श्व इसमें ५०० विद्वानों के साथ सम्मिलित हुए थे। त्रिपिटिक का प्रामाणिक भाष्य संस्कृत में तैयार किया गया। मध्य एशिया और चीन में बौद्ध-प्रचारक भेजे गए। महायान सम्प्रदाय का प्रवर्त्तन इसी समय हुआ। कनिष्क की एक सिरकटी मूर्ति मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। कनिष्क ने ४० वर्ष तक राज्य किया। कनिष्क के बाद हविष्क और वासुदेव प्रसिद्ध राजा हुए।

११० ई० में सातवाहनों ने उज्जैन के शक क्षत्रप को हराया और उसके प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। पंजाब के कुणिंद, यौधेय और मालव गणराज्यों ने अपनी सत्ता पुनः स्थापित की। कुशाण साम्राज्य को इन सब ने समाप्त कर दिया।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

नागभारशिव वंश : कुशाणों के साम्राज्य के भस्मावशेषों से उत्पन्न राज्यों में नाग भारशिव वंश मुख्य हैं। इन्होंने ग्वालियर के पास पद्मावती को अपनी राजधानी बनाया। कौशाम्बी से बढ़ते-बढ़ते ये मथुरा पहुँचे। इन्होंने गंगा-यमुना का प्रदेश कुशाणों से जीता था, अतः गंगा-यमुना को अपना राज्यचिह्न बनाया। इस वंश के शासक वीरसेन ने बनारस में गंगा-घाट पर अनेक अश्वमेध यज्ञ किये।

वाकाटक वंश : भारशिव राजाओं का एक सामंत था विन्ध्य शक्ति (२७८ ई०)। इसने कुशाणों को हराया। इसके पुत्र प्रवरसेन ने गुजरात और काठियावाड़ के शकों को मार भगाया। प्रवरसेन के पुत्र का नाम गौतमिपुत्र था। इसका विवाह नागभारशिव वंश के राजा भगनाग की कन्या से हुआ। इससे उत्पन्न पुत्र रुद्रसेन भारशिव और वाकाटक, दोनों वंशों के राज्यों का शासक हुआ। उत्तरी भारत इसके राज्य में आ गया।

गुप्त साम्राज्य : (३१९ ई०-५१० ई०) वाकाटकों के निर्बल होने पर लिच्छवियों ने गंगा के दक्षिण में पाटलिपुत्र को भी जीत लिया। कुशाण साम्राज्य के अन्त में उत्पन्न वीरों में श्रीगुप्त एक था। इसने पूर्वी मगध में अपना राज्य स्थापित किया। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। इसका पौत्र चन्द्रगुप्त (३१९ ई०-३३५ई०)महापराक्रमी हुआ। वह 'महाराजाधिराज' हो गया। चन्द्रगुप्त ने लिच्छवि-गण से मैत्री की तथा उसकी राजकन्या कुमारदेवी के साथ विवाह किया। इस विवाह के कारण गुप्त राज्य और लिच्छवि राज्य एक हो गए। कुमारदेवी का पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन माना जाता है। प्रयाग के एक पुराने स्तम्भ पर इसकी विजय-प्रशस्ति अंकित है। प्रशस्ति हरिषेण की लिखी हुई है। समुद्रगुप्त ने वाकाटक वंश का राज्य समाप्त कर दिया। काँची के राजा विष्णु गोप को हराया। समतट(गंगा-ब्रह्मपुत्र का मुहाना), दवाक(चटगाँव-त्रिपुरा), कामरूप (असम), नेपाल और कुर्तृपुर (कुमायूँ) के राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। कुशाण 'शाहानुशाही' ने भी समुद्रगुप्त का प्रभाव स्वीकार किया। समुद्रगुप्त विद्या और कला-प्रेमी सम्राट था। ३७८ ई० में समुद्रगुप्त का देहान्त हो गया।

चन्द्रगुप्त द्वितीय (३८० ई०-४१३ ई०) : रामगुप्त पर कुशाण-नरेश 'शाहानुशाही' ने हमला कर दिया। रामगुप्त ने संधि की जो शर्तें स्वीकार की थीं, वे उसके छोटे भाई चन्द्रगुप्त को स्वीकार नहीं थीं। चन्द्रगुप्त ने स्त्री-वेष धारण करके कुशाण राजा के अन्तःपुर में प्रवेश किया और उसको मार दिया। रामगुप्त के पराभव पर वह गुप्त राज्य का स्वामी हो गया। ध्रुवदेवी या ध्रुवस्वामिनी के साथ उसने विवाह कर लिया। चन्द्रगुप्त ने कुशाणों को हराया। चन्द्रगुप्त की सेना हिन्दुकुश पर्वतमाला को पार करके वाल्हीक(बल्ख) तक जा पहुँची। दिल्ली में महरौली के पास एक लाट खड़ी है। इस पर चन्द्रगुप्त की विजय की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। वंक्षु नदी से अरब सागर तक साम्राज्य स्थापित करने के बाद इसने **'विक्रमादित्य'** की उपाधि धारण की।

कुमार गुप्त (४१४-४५५ ई०) **:** इसका ४१ वर्ष का शासन शान्ति का शासन रहा। नालन्दा महाविहार की स्थापना इसी ने की। इसमें दूर-दूर के विद्यार्थी शिक्षा पाने आते थे। इस समय हूणों के हमले पुनः प्रारम्भ हो गए, जिनके कारण गुप्त वंश की सत्ता डगमगाने लगी।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

स्कन्द गुप्त (४५५-४६७ ई०) : हूणों से यह वीरतापूर्वक लड़ा, गुप्त राजवंश की लक्ष्मी का उद्धार किया, शकों को हराया।

स्कन्द गुप्त के वाद साम्राज्य क्षीण होता गया। तीरमाण हूण ने ५०० ई० में पंजाब और मालवा जीता। इसका उत्तराधिकारी मिहिरकुल था। इसको गुप्त वँश के नरसिंह वालादित्य ने हराया। मिहिरकुल धर्म से शैव था।

यशो वर्मा हूणों को विजयी करने वाले इस सेनानी का नाम शिलालेखों में 'जनेन्द्र यशो वर्मा' कहा गया है। मन्दसौर (मध्य प्रदेश) का विजय-स्तम्भ इसकी यश गाथा गा रहा है।

गुप्त वंश का साम्राज्य नष्ट होने पर भारत में सार्वभौम सम्राटों का भी अन्त हो गया। पाटलिपुत्र साम्राज्य का इसके वाद फिर उदय नहीं हुआ।

हर्षवर्धन : गुप्त साम्राज्य का अन्त होने पर (१) कन्नौज में मौखरि वंश (२) थानेश्वर में वर्धन वंश और (३) वल्लभि में मैत्रिक वंश राज्य कर रहे थे। गुप्तों का राज्य मगध तक सीमित रहा। इनमें वर्धन वंश का हर्षवर्धन गुप्त वंश के वाद भारत का सवसे विख्यात राजा हुआ।

मौखरि राजवंश ने गुप्तों की आधीनता त्यागकर ईसा की छठी सदी में कन्नौज में अपना राज्य स्थापित किया। ईश्वर वर्मा हूणों से लड़ा था। इसके वाद कन्नौज की गद्दी पर ईश्वर वर्मा और सर्व वर्मा वैठे। सर्व वर्मा ने गुप्त वंशी राजा दामोदर गुप्त को एक युद्ध में मार दिया। सर्व वर्मा के वाद अवन्ति वर्मा और गुह वर्मा राजगद्दी पर बैठे। गुह वर्मा का विवाह थानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्धन की पुत्री राज्यश्री के साथ हुआ। गुह वर्मा की मृत्यु के वाद राज्यश्री कन्नौज की स्वामिनी हुई। प्रभाकरवर्धन के राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दो पुत्र थे। राज्यश्री के राजगद्दी पर आने पर गुप्तों के एक सामन्त नरेन्द्र गुप्त शशांक ने कन्नौज पर आक्रमण किया और राज्यश्री को कैद कर लिया। इस पर राज्यवर्धन एक वड़ी सेना लेकर अपनी वहन की सहायता के लिए कन्नौज पहुंचा। शशांक ने युद्ध न करके, राज्यवर्धन को संधि-वार्ता के आमंत्रण का धोखा देकर उसकी हत्या कर दी। भाई की हत्या का समाचार सुनकर राज्यश्री घबरा गई। उसने सती होने का निश्चय किया और विंध्याचल के जंगल में चली गई। हर्षवर्धन अव भाई की मृत्यु का बदला लेने कन्नौज पहुँचा। हर्षवर्धन स्वतः वहन की खोज में निकला। शशांक का सामना उसके ममेरे भाई भन्डी ने किया। राज्यश्री चित्ता में प्रवेश करने को जव उद्यत थी, तव हर्षवर्धन ढूँढता हुआ पहुंच गया। राज्यश्री की रक्षा हो गई। भण्डी ने इधर शशांक को हराया। हर्षवर्धन थानेश्वर के साथ-साथ अपनी वहन का प्रतिनिधि होकर कन्नौज का भी राज्य करने लगा। राज्यश्री निःसन्तान थी। हर्षवर्धन ने ६ साल तक विजय-यात्रा की। गुप्त वंश का राजा माधवगुप्त हर्षवर्धन का वालसखा था। अतः गुप्तों की ओर से उसका विरोध नहीं हुआ। प्राग्रज्योतिष (असम) का राजा भास्कर वर्मा हर्षवर्धन का मित्र हो गया। हर्षवर्धन ने वल्लभि के शासक मैत्रकवंशीय ध्रुवसेन द्वितीय को हराया। फिर उसने मैत्री कर ली और अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

चालुक्यवंश : नर्मदा के दक्षिण में चालुक्यवंशी पुलकेशी द्वितीय का शासन था। इसकी राजधानी वातापी (बादामी-बीजापुर) थी। पुलकेशी ने पल्ववंशी महेन्द्र वर्मा को जीतकर कावेरी तक अपना राज्य-विस्तार किया था। चोल, पांड्य और केरल राज्य तक उसकी आधीनता स्वीकार करते थे। हर्षवर्धन और पुलकेशी द्वितीय के बीच अनेक युद्ध हुए। हर्षवर्धन उनमें सफल हुआ। हर्षवर्धन प्रयाग के संगम पर हर पांचवें साल एक बड़ा मेला लगवाता था जिसमें वह विपुल धनराशि दान करता था। हर्ष ने कन्नौज में धर्म महासभा का आह्वान किया था। इसमें राजा-महाराजाओं के अतिरिक्त चार हजार बौद्ध भिक्षु और तीन हजार पौराणिक पण्डित सम्मिलित हुए थे।

फाहियान : चीनी यात्री फाहियान गुप्त सम्राटों के राज्य-काल में भारत आया था। बौद्ध ग्रंथ 'त्रिपिटक' की खोज में वह भारत आया तथा यहाँ १५ वर्ष रहकर एक भारतीय जहाज पर चीन लौटा। इसने अपने यात्रा-विवरण में भारतीय शासन की बड़ी प्रशंसा की है। इसने लिखा है कि राज्य के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई भी सोना उछालता चला जाय, कोई उसे नहीं छेड़ता। लेन-देन मौखिक ही होता था। लिखा-पढ़ी और पंचायत की कोई जरूरत नहीं होती। अपराधियों को अपराध के अनुसार दण्ड दिया जाता था। प्राण-दण्ड और शारीरिक दण्ड नहीं दिये जाते थे। राज्य-भर में जीवहिंसा नहीं होती। कोई शराब भी नहीं पीता। चांडाल को छोड़कर लहसुन-प्याज भी कोई नहीं खाता। सुअर और मुर्गी नहीं पाले जाते। शराब की दुकानें नहीं थीं। सूनागार (बूचड़खाने) भी नहीं थे। केवल चांडाल मछली पकड़ते, शिकार खेलते और मांस बेचते थे।

ह्वेन्त्सांग : यह चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय में आया था। १४ साल बाद जब स्वदेश लौटा तब यह अपने साथ अनेक मूर्तियाँ तथा बुद्ध अस्थ्यवशेषों के अतिरिक्त संस्कृत के ६५७ ग्रंथ भी ले गया था। इसकी संग्रहीत सामग्री सियान नगर के समीप 'तायेन' (करुणकल्याण) नामक विहार में आज भी विद्यमान है। ह्वेन्त्सांग ने यहाँ रहकर भारत से लाये हुए ग्रंथों का ३० साल तक चीनी में अनुवाद किया। उसकी समाधि इस विहार से कुछ मील दूर है। इस महायात्री ने १२८ देशों की सीमाओं को पार किया और हजारों ग्रंथों का अनुवाद किया। ह्वेन्त्सांग नालन्दा विश्वविद्यालय में ६ साल रहा था। उस समय वहाँ दस हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। वहाँ की एक इमारत नौ-मंजिली थी। विद्यार्थियों के छात्रावास थे। हरेक विद्यार्थी का कक्ष अलग-अलग था। परन्तु ऐसे भी भवन थे, जहाँ दस हजार छात्र एक साथ बैठकर अध्ययन करते थे। छात्रों को 'द्वार पंडित' की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। 'द्वार पंडित' की परीक्षा बड़ी-कड़ी थी। २५-३० प्रतिशत छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे। शिक्षा, निवास, भोजन, वस्त्र सब निःशुल्क थे।

मुस्लिम आक्रमण

भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण ७१२ ई० में हुआ। मुहम्मद बिन कासिम ने ७१२ में सिन्ध और मुलतान को जीता। परन्तु अरब भारत में स्थायी राज्य स्थापित नहीं कर सके। सिन्ध में बौद्धों ने शहर का दरवाजा खोल दिया था, अतः महाराजा दाहर को अरबों के हाथों पराजय देखनी पड़ी।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

महमूद गजनवी (९९७-१०३० ई०) : पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु पर वह गजनी की गद्दी पर ९९७ ई० में बैठा। १००० से १०२६ के मध्य इसने भारत पर २७ हमले किये। भारत पर उसके आक्रमण साम्राज्य की स्थापना के लिए नहीं हुए वरन् उनका उद्देश्य देश को लूटना था। उसने भारत पर बार-बार हमला किया, पर अपना राज्य स्थापित करने की उसने कभी कोशिश नहीं की। १०२५ ई० में उसने सोमनाथ के मन्दिर पर आक्रमण करके उसे लूटा।

मौहम्मद गौरी (११८६-१२०६ ई०) ११८६ ई० में इसने लाहौर जीता। ११९१ ई० में इसको पृथ्वीराज चौहान ने पानीपत के समीप तरावड़ी में हराया। मौहम्मद गौरी पृथ्वीराज से १७ बार लड़ा और हमेशा हारा। १८वीं बार उसने धूर्तता से काम लिया और पृथ्वीराज को कैद कर लिया। पृथ्वीराज ने अपने सखा कविवर चन्दवरदाई के सहयोग से मौहम्मद गौरी से प्रतिशोध लिया और उसे एक बाण से मार डाला। पृथ्वीराज चौहान शब्दवेध धनुर्विद्या में निपुण थे।

गुलाम वंश (१२०६-१२९० ई०)

कुतुबुद्दीन एबक (१२०६-१२१० ई०) : यह मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था। गौरी के मरने पर यह दिल्ली का शासक हो गया। इसने गुलाम-राजवंश की स्थापना की।

अल्तमश (१२१०-१२३६ ई०) : यह कुतुबुद्दीन एबक का दामाद था। यह उत्तरी भारत का स्वामी हो गया।

रज़िया बेगम (१२३६-१२४० ई०) : यह अल्तमश की बड़ी लड़की थी। यह दिल्ली की मुस्लिम स्त्री-शासिका थी।

रजिया के पश्चात् ३० वर्ष तक दिल्ली के सिंहासन पर नसीरुद्दीन महमूद शासक रहा। किन्तु वास्तविक शक्ति बलबन के हाथ में थी। बलबन हिन्दू था परन्तु १२३६ ई० में वह मुसलमान बन गया। बलबन को मेवात, दोआबा एवं आस-पास के क्षेत्रों में हिन्दू जनता का कठोर दमन करने का श्रेय दिया जाता है। बलबन ने पहली बार दरबार में ईरानी वैभव एवं शिष्टाचार को लागू किया।

खिलजी वंश

अलाउद्दीन खिलजी (१२९६-१३१६ ई०) : यह अपने चाचा और श्वसुर अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके गद्दी पर बैठा। इसके शासन के साथ इस्लामी साम्राज्य का प्रारम्भ हुआ। दक्षिण भारत को पहली बार इसके सेनापति मलिक काफूर ने विजय किया। दक्षिण भारत को लूटकर मलिक काफूर १३११ ई० में दिल्ली लौटा। अलाउद्दीन ने राजपूताना में रणथम्भौर को जीतने के बाद चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वह मेवाड़ की महारानी पद्मिनी को चाहता था। १३१३ ई० में जब उसने चित्तौड़ जीता और किले में प्रवेश किया तो वहाँ उसको एक भी महिला नहीं मिली। रानी पद्मिनी ने एक हजार वीरांगनाओं के साथ जौहर-व्रत किया था—चिता में कूदकर भस्म हो गई थीं। यह चित्तौड़ का 'पहला

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

साका' के नाम से प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी हृदयहीन तथा धर्मान्ध था। अतः प्रजा का प्रेम प्राप्त नहीं कर सका। इसके मरते ही खिलजी साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया।

तुगलक वंश (१३२५-१४१४ ई०)

मोहम्मद तुगलक (१३२५-१३५१ ई०) : गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा। उसको 'बुद्धिमान पागल बादशाह' कहा जाता है। यह दक्षिण-विजय के उद्देश्य से अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद (देवगिरी) ले गया। दिल्ली उजड़ गई। युद्धों का खर्च पूरा करने के लिए इसने ताँबे के सिक्के चलाये। राजकोष खाली हो जाने पर इसने कर बढ़ाये। किसानों को कुचला। किसान खेत छोड़कर जंगलों में भाग गए। आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई। फलतः जगह-जगह विद्रोह हो गए।

फिरोज शाह (१३५१-१३८८ ई०) : मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोजशाह तुगलक गद्दी पर बैठा। कट्टर धर्मान्ध होने के कारण उसने गैर-मुस्लिमों को मुसलमान बनाने के लिए अनेक उपाय बरते। जजिया कर कठोरता से वसूल किया। ब्राह्मण भी इससे मुक्त नहीं रखे गए। साम्राज्य में हो रहे विद्रोह को शान्त करने में तुगलक सर्वथा असमर्थ रहा। इसके बाद के शासक दुर्बल थे। १३९८ ई० में तैमूरलंग ने दिल्ली को लूटा और कत्लेआम किया।

लोदी वंश

इस वंश का पहला शासक बहलोल लोदी था। इसके बाद सिकन्दर लोदी (१४८९-१५१७ ई०) हुआ।

इब्राहीम लोदी (१५१७-१५२६ ई०) : यह सिकन्दर लोदी का बेटा था। इसको बाबर ने पानीपत के पहले संग्राम में हराया। लोदी राजवंश का १५२६ ई० में अन्त हो गया।

मुगल वंश

बाबर (१५२६-१५३० ई०) : बाबर ने मुगल राजवंश की स्थापना की। पानीपत खानवा और घाघरा की लड़ाइयाँ जीतीं। पठानों और राजपूतों को हराया। तुर्की में इसने अपना जीवन-चरित्र लिखा है।

हुमायूँ (१५३०-१५५६ ई०) : यह बाबर का बेटा था और शेरशाह सूरी से हारकर ईरान चला गया था। शेरशाह की मृत्यु के बाद इसने फिर राज्य कायम किया। अकबर इसका बेटा था।

शेरशाह सूरी : शेरशाह सूरी ने हुमायूँ को पराजित किया और उसे भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। सहसराम (बिहार) में बना इसका मकबरा कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसकी मृत्यु १५४५ ई० में हुई।

अकबर (१५५६-१६०५ ई०) : यह १३ साल की आयु में १४ फरवरी १५५६ ई० को गद्दी पर बैठा। सेनापति बैरमखाँ ने पानीपत में हिन्दू राजा हेमचन्द्र को १५५६ ई० में

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

हराया। इसके उपरान्त अकबर का राज्य स्थिर हो गया। राजपूतों को अकबर ने पदों का लालच देकर मुगल साम्राज्य में स्थान दिया किन्तु महाराणा प्रताप आजन्म अकबर से संघर्ष करते रहे। हल्दीघाटी के मैदान में उन्होंने अकबर की सेना से डटकर लोहा लिया। वे अकबर के सम्मुख कभी नहीं झुके। अकबर ने दीन-ए-इलाही मजहब चलाया। वह बहुत ही चालाक शासक था तथा हिन्दुओं को प्रसन्न रखने के लिए उसने कुछ दिनों तक तिलक लगाना व सूर्य को जल देना प्रारम्भ किया। १६०५ ई० में उसकी मृत्यु हो गई।

जहाँगीर (१६०५-१६२७ ई०) : यह अकबर का पुत्र था। इसके शासन में चित्रकारी आलेखन में उन्नति हुई। मेहरुन्निसा से विवाह करके उसने उसको 'नूरमहल' और 'नूरजहाँ' की उपाधि दी थी।

शाहजहाँ (१६२८-१६५७ ई०) : शाहजहाँ का काल मुगल-शासन का स्वर्णयुग माना जाता है। इसके ही शासन-काल में दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, जामा मस्जिद के सदृश इमारतें बनीं तथा वास्तु या स्थापत्य-कला ने बहुत प्रगति की।

औरंगजेब (१६५८-१७०७ ई०) : राज्य में खून की नदियाँ बहाकर, भाइयों की हत्या कर तथा अपने वृद्ध पिता शाहजहाँ को कैद में डालकर गद्दी पर बैठा। इसने धर्मान्धता की नीति बरती। इसका सारा जीवन हिन्दुओं का उत्पीड़न करते हुए बीता। शिवाजी ने औरंगजेब से डटकर संघर्ष किया तथा अनेक बार उसके शासन की जड़ें हिला दीं। गुरु गोविन्दसिंह ने भी औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध तलवार उठाई। औरंगजेब ने हिन्दुओं से जजिया वसूल किया व उनके धर्मस्थानों के प्रति संकीर्ण नीति अपनाई। सिखों के गुरु तेगबहादुर व बन्दा बैरागी की निर्मम हत्या उसकी धर्मान्ध नीति की ही परिचायक है।

सिखों का उत्थान

मुस्लिम काल में अनेक धार्मिक आन्दोलनों का उद्भव हुआ। इनमें सिख मत का आन्दोलन विशेष महत्वपूर्ण है। इस मत के संस्थापक गुरु नानकदेव थे। उनका उद्देश्य हिन्दू धर्म में पैदा हुई कुरीतियों को दूर करके उसकी रक्षा करना था। परन्तु राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इस मत ने एक सैनिक संगठन का रूप धारण कर लिया। 'सिख' शब्द 'शिष्य' शब्द का अपभ्रंश है। गुरु ग्रंथसाहब में भगवान राम-कृष्ण आदि अवतारों की प्रशस्ति भरी पड़ी है। सभी सिख गुरु देवी-देवताओं के आराधक थे तथा हिन्दू धर्म की रक्षा ही उनका उद्देश्य था।

गुरु नानक (१४६९-१५३८ ई०) : गुरु नानकदेव का जन्म १४६९ में पश्चिम पंजाब में ननकाना साहब में हुआ। उनमें बाल्यावस्था में ही वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई थी। फलतः तीस वर्ष की आयु में उन्होंने ईश्वर-भक्ति का प्रचार आरम्भ कर दिया। गुरुनानक एक ईश्वर को मानते थे। उनका विचार था कि ईश्वर-प्राप्ति के लिए निरन्तर नाम का जप करना चाहिए। इसके लिए वे सच्चे गुरु की सहायता प्राप्त करना आवश्यक मानते थे। जाति-पाति के विरोधी थे। गुरु नानकदेव ने देश भर में भक्ति की गंगा प्रवाहित करके आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न की।

गुरु अंगददेव (१५३८-१५५२ ई०) : उनका वास्तविक नाम भाई लहना था। वे गुरु

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

नानकदेव के प्रमुख शिष्य थे और उनके वाद गुरु की गद्दी पर आसीन हुए। उन्होंने गुरुमुखी लिपि बनाई और इसमें गुरुनानक की जीवनी गद्य में लिखी, जिसे 'जन्म साखी' कहा जाता है।

गुरु अमरदास (१५५२-७४ ई०) : यह गुरु अंगददेव के शिष्य थे। उन्होंने गुरु लंगर जारी किया। उन्होंने सिख मत के प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों पर केन्द्र स्थापित किये।

गुरु अर्जुनदेव (१५८१-१६०६ ई०) : यह गुरु रामदास के सबसे छोटे पुत्र थे। इन्होंने अमृतसर को सिखों का तीर्थस्थान बनाया। इन्होंने 'गुरु-ग्रंथ-साहब' तैयार कराया, जिसमें समस्त गुरुओं की वाणियां संग्रहीत हैं। इनके समय सिखों ने राजनीति में भाग लेना आरम्भ कर दिया। गुरु अर्जुनदेव को हिन्दू धर्म त्यागकर मुसलमान बनने पर विवश किया गया तथा इन्कार करने पर तेल के खौलते कड़ाहे में डालकर मार डाला गया। गुरुजी शहीद हो गए किन्तु उन्होंने अपने धर्म की रक्षा की।

गुरु हरगोविन्द सिंह (१६०६-१६४५ ई०) : गुरु अर्जुनदेव ने मृत्यु से पूर्व अपने उत्तराधिकारी को आदेश दिया कि सिख शस्त्र ग्रहण करें। इन्होंने गद्दी पर बैठते ही 'सच्चे बादशाह' का पद ग्रहण किया। इन्होंने सैनिक वेश धारण किया और सिखों को भी ऐसा करने का आदेश दिया। इनको मुगलों के साथ तीन बार युद्ध करना पड़ा जिसमें हमेशा इनकी विजय हुई।

गुरु हरराय (१६४५-१६६१ ई०) : यह गुरु हरगोविन्दसिंह के पुत्र थे। इन्होंने औरंगजेब के भाई दाराशिकोह को शरण दी, जिससे वह इनसे कुपित हो गया।

गुरु हरकिशन (१६६१-६४) : जब यह गुरु की गद्दी पर बैठे तो इनकी आयु केवल पाँच वर्ष की थी।

गुरु तेगबहादुर (१६६४-७५ ई०) : यह गुरु हर गोविन्दसिंह के छोटे पुत्र थे। इनके समय में सिख शक्तिशाली तथा संगठित बन गए। औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली बुलाकर इस्लाम स्वीकार न करने पर ११ नवम्बर १६७५ ई० को निर्ममतापूर्वक हत्या करवा दी।

गुरु गोविन्द सिंह(१६७५-१७०८ ई०) : इनका जन्म २६ दिसम्बर १६६६ ई० को पटना में हुआ। जब यह गद्दी पर बैठे तो इनकी आयु केवल नौ वर्ष की थी। इन्होंने मुगलों के अत्याचारों के विरोध में सारी आयु युद्ध छेड़े रखा। इन्होंने सिखों का संगठन किया और उन्हें सैनिक शिक्षा दी। प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कड़ा और कच्छा पहनने का आदेश दिया। १६९० ई० में मुगल सैनिकों को पराजित किया। १६९५ में उन्होंने राजकुमार मुअज्जम से युद्ध में विजय प्राप्त की। १६९९ में उन्होंने सिखों की एक बड़ी सभा की जहां बलि देने को उत्सुक 'पाँच प्यारों' को चुना। इनके दो पुत्रों को सरहिन्द के मुसलमान शासक ने मुसलमान न बनने पर दीवार में जीवित चिनवा दिया। १७०८ ई० में उन पर एक पठान ने प्राणघातक आक्रमण कर दिया। वे गुरुओं की गद्दी गुरु ग्रंथसाहिब को समर्पित कर स्वर्गवासी हो गए। उनके साथ ही गुरु प्रथा की समाप्ति हो गई।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बन्दा वैरागी : यह राजपूत डोगरा था। यह युवावस्था में ही साधु बन गया। गुरु गोविन्दसिंह ने इसको सिखों का सैनिक नेता नियुक्त किया। इसने मुगलों को कई युद्धों में भारी पराजय दी। सरहिंद के शासक से गुरु गोविन्दसिंह के पुत्रों की हत्या का बदला लिया। मुगल उसे पकड़ने में सफल हुए तथा गरम-गरम चीमटों से मांस नुचवाकर हत्या कर दी। बन्दा वैरागी ने धर्म की रक्षा की, किन्तु इस्लाम स्वीकार नहीं किया। बन्दा बहादुर के पश्चात् सिखों ने पर्वतों पर शरण ली। बाद में सिख संगठन बिखर गया।

महाराजा रणजीतसिंह (१७८०-१८३९ ई०) : १७९९ में इन्होंने लाहौर पर और १८०२ में अमृतसर पर अधिकार कर लिया। १८०९ में वह सतलुज नदी तक अपने राज्य की सीमा विस्तृत करने में सफल हो गए। १८०९ में ही इन्होंने अमृतसर की सन्धि के अनुसार अंग्रेजों से सन्धि कर ली, जिससे सतलुज नदी महाराजा के राज्य की पूर्वी सीमा निर्धारित हुई। महाराजा रणजीतसिंह अत्यन्त धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे। उनके राज्य में कोई गोहत्या नहीं कर सकता था। उनकी यह अभिलाषा थी कि वे अपने कोहेनूर हीरे को भगवान् विट्ठलदेव की मूर्ति को भेंट करें। उन्होंने अटक (१८१३), मुलतान (१८१७), कश्मीर (१८१९) और डेरा इस्माइल खाँ (१८३५) को विजय किया। जून १८३९ ई० में उनका देहान्त हो गया।

महाराजा रणजीतसिंह के पश्चात कोई ऐसा योग्य व्यक्ति न निकला जो राज्य को संभाल सकता। अंग्रेजों ने १८४९ ई० में सिखों को पराजित करके सिख राज्य का अन्त कर दिया।

मराठा काल

'मराठा' शब्द महाराष्ट्र के निवासियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मराठों का इतिहास वीरता, दूरदर्शिता तथा साहस का इतिहास है। मराठे बम्बई के दक्षिण-पूर्वी पठारों में रहते हैं। वे स्वभावतः वीर, तेजस्वी तथा नीतिकुशल माने जाते हैं। सत्रहवीं शताब्दी मराठों के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है। इस काल में महाराष्ट्र में समर्थ गुरु रामदास, संत एकनाथ और संत तुकाराम आदि महापुरुषों ने धार्मिक जागृति का अभियान छेड़कर धार्मिक चेतना के साथ-साथ स्वधर्म व स्वदेश पर मरने की भावना जागृत की। इन महापुरुषों ने मुगलों के अत्याचारों से त्रस्त जनता में संघर्ष की भावना उत्पन्न की।

शिवाजी का उदय : इसी काल में मराठों को वीर, नीतिनिपुण एवं दूरदर्शी नेता शिवाजी का नेतृत्व प्राप्त हुआ। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व ने सभी मराठों को एक झंडे के नीचे संगठित कर दिया। शिवाजी का जन्म १० अप्रैल १६२७ ई० को पूना के निकट शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भौंसले बीजापुर के सुलतान की सेना में उच्चाधिकारी थे। शिवाजी की माता जीजाबाई परम आस्तिक, हिन्दुत्वाभिमानी नारी थीं। वह शिवाजी को प्रतिदिन महाभारत, रामायण व पुराणों की वीर-गाथायें सुनाकर उनमें वीरता का भाव भरती थीं। जीजाबाई ने बालक शिवा को गौ-ब्राह्मण की रक्षा की शपथ दिलाई। शिवाजी पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने बाल्यावस्था में ही एक गोहत्यारे कसाई का वध करके गाय की रक्षा की।

जीजाबाई शिवाजी को संघर्षशील नेता बनाना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने शिवाजी

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

की शिक्षा-दीक्षा का भार कोणदेव नामक एक सुयोग्य ब्राह्मण के हाथों सौंपा। उन्हें शासन-प्रणाली व युद्ध कला की शिक्षा दी गई। उसी समय समर्थ गुरु रामदास नामक तेजस्वी संत धार्मिक प्रचार के साथ-साथ हिन्दुओं में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में लगे हुए थे। उन्हें एक ऐसे वीर की आवश्यकता थी जो मराठों को संगठित करके विदेशी-विधर्मी मुगलों के साम्राज्य से लोहा ले व उसे चकनाचूर करके 'हिन्दवी साम्राज्य' की स्थापना करे। शिवाजी के रूप में उन्हें एक महान् शिष्य मिल गया और शिवाजी को समर्थ गुरु के रूप में एक तेजस्वी महापुरुष का नेतृत्व।

शिवाजी ने अपनी कुलदेवी तुलजा भवानी के सम्मुख प्रतिज्ञा की—**"विदेशी आक्रामक म्लेच्छों के शासन को चकनाचूर करने के लिए सतत संघर्षशील रहूंगा तथा 'हिन्दू-साम्राज्य' स्थापित करके ही चैन से बैठ पाऊँगा।"** शिवाजी ने मराठों को एकत्र किया तथा छोटी-छोटी टोलियाँ बनाकर नकली दुर्गों पर आक्रमण करके युद्ध का पूर्वाभ्यास प्रारम्भ किया। उन्होंने अल्प समय में ही अपनी शक्ति बढ़ा ली। सन् १६४४ ई० में अचानक एक दिन उन्होंने तोरण के दुर्ग पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। शीघ्र ही उन्होंने बीजापुर के दुर्ग रायगढ़-सिंहगढ़-पुरन्दर और कल्याण पर अपना अधिकार कर लिया। सन् १६५९ में बीजापुर के सेनापति अफजल खाँ ने सन्धि के बहाने शिवाजी की हत्या का षड्यन्त्र रचा, किन्तु शिवाजी ने गले मिलते समय सतर्क रहकर अफजल खाँ के वार को असफल कर दिया व उसकी हत्या कर डाली। सन् १६६३ ई० में शिवाजी ने औरंगजेब के सेनापति शाइस्त खाँ को पराजित किया। औरंगजेब ने जयसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। शिवाजी को उस विशाल सेना के सम्मुख घिर जाना पड़ा। उन्होंने चतुराई से काम लेकर सन्धि कर ली। जयसिंह के अनुरोध पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुँचे। किन्तु औरंगजेब ने उन्हें दरबार में धोखे से बन्दी बना लिया। शिवाजी चतुराई के साथ मिठाई के एक बड़े टोकरे में छिपकर जेल से बाहर निकल गए। मुक्त हो जाने पर उन्होंने पुनः अपने सभी किलों पर अधिकार कर लिया। १६७४ ई० में उनका राज्याभिषेक किया गया और उन्हें 'छत्रपति' की उपाधि से विभूषित किया गया।

शिवाजी अत्यन्त धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय तथा वीर शासक थे। छापामार युद्ध-कला के कारण उन्होंने मुगलों की बड़ी-बड़ी सेनाओं को करारी मात दी। शिवाजी अपने धर्मशास्त्रों का निष्ठा के साथ पालन करते थे। इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को शत्रुओं की स्त्रियों में भी माता की भावना रखने का आदेश दिया था। निर्धनों व कृषकों के हित के लिए उन्होंने जागीरदारी प्रथा समाप्त कर दी थी। १३ अप्रैल १६८० ई० को शिवाजी का देहान्त हो गया।

शिवाजी के उत्तराधिकारी

सम्भाजी (१६८०-८९ ई०) : शिवाजी का पुत्र सम्भाजी एक अयोग्य ओर विलासी व्यक्ति था। पिता की मृत्यु के पश्चात् जब वह गद्दी पर बैठा तो मराठों का संगठन कमजोर पड़ गया। शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब का ध्यान मराठों की ओर पुनः आकृष्ट हुआ। उसने सम्भाजी पर आक्रमण कर दिया। सम्भाजी और उसका पेशवा दोनों पकड़े गए। सम्भाजी में आखिर था तो शिवाजी का ही रक्त। अतः उसका स्वाभिमान जाग

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

उठा और उसने मुगलों को मराठों का कोष बताने से इंकार कर दिया। बादशाह की आज्ञा से सम्भाजी की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई।

राजाराम (१६८६-१७०० ई०) : सम्भाजी की हत्या के बाद उसके छोटे भाई राजाराम ने अपने को राजा घोषित किया। परन्तु वह भी योग्य शासक नहीं था। मराठा सरदारों ने उसे जिंजी के किले में भेज दिया और मुगलों से युद्ध जारी रखा। सन् १७०० ई० में राजाराम की मृत्यु हो गई।

ताराबाई (१७००-१७०८ ई०) : राजाराम के बाद उसकी विधवा रानी ताराबाई ने अपने चार वर्षीय पुत्र को गद्दी पर बैठाकर शासन-भार अपने हाथों में ले लिया। उसके समय में मराठों ने बुरहानपुर, सूरत, भड़ौच पर आक्रमण किये।

शाहूजी (१७०८-१४ ई०) : १७०८ ई० में सम्भाजी का पुत्र शाहूजी गद्दी पर बैठा। उस समय वह मुगलों की कैद में था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुरशाह ने उसे रिहा कर दिया। उसने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। शाहूजी भी एक अयोग्य शासक था। १७१४ ई० में राज्य पेशवाओं के हाथ आ गया।

पेशवाओं का उत्थान

शिवाजी के उत्तराधिकारियों के अयोग्य होने के कारण पेशवाओं की शक्ति बढ़ गई। शाहू ने सत्तारूढ़ होने के बाद बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बना लिया और स्वयं निश्चिन्त होकर भोग-विलास में मग्न रहने लगा। पेशवा बालाजी विश्वनाथ योग्य राजनीतिज्ञ था। उसने सैय्द भाइयों की सहायता से मुगल बादशाह फरुखसियर को मरवा दिया। सैयद भाइयों ने जो प्रदेश शिवाजी के समय मराठों से जीते थे वे पुनः पेशवा को लौटा दिए।

बाजीराव प्रथम (१७२०-४० ई०) पेशवाओं के पैतृक अधिकार के कारण बालाजी बाजीराव की मृत्यु पर उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। उसकी यह हार्दिक आकाँक्षा थी कि 'हिन्दू राज्य' का झंडा अटक से कृष्णा नदी तक फहरा उठे। उसने १७२४ में मालवा पर अधिकार किया। १७२८ ई० में उसने निजाम को पराजित किया। उसने गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त की और बुन्देलखंड जीतकर बुन्देला को दे दिया। उसने मुगलों और निजाम की संयुक्त सेना को १७३८ ई० में पराजित किया जिससे उसे ३० लाख रु० हर्जाना एवं मालवा, नर्मदा और चम्बल के मध्य की भूमि पर अधिकार प्राप्त हुआ। १७३९ ई० में उसने पुर्तगालियों पर हमला किया और उनसे कुछ क्षेत्र लिए। उसने मराठा संघ की स्थापना की। १७४० ई० में उसका निधन हो गया।

बालाजी बाजीराव (१७४०-६१ ई०) : बाजीराव की मृत्यु पर उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। उस समय उसकी आयु १९ वर्ष थी। १७४८ में शाहूजी की मृत्यु पर वह स्वयं राजा बन बैठा और अपनी राजधानी पूना बनाई। उसने उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई सदाशिवराव ने १७५८ में हैदराबाद के निजाम को उदगीर में परास्त किया जिससे मराठों को बीजापुर का बहुत-सा क्षेत्र एवं

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बुरहानपुर व असीरगढ़ के किले प्राप्त हुए। मराठों ने अब लगभग सारे भारत से चौथ वसूल की परन्तु उनकी १७६१ ई० में विदेशी आक्रमणकारी अब्दाली के हाथों भयंकर पराजय हुई। इस युद्ध ने मराठों का भारत में 'हिन्दू साम्राज्य' स्थापित करने का स्वप्न सदा के लिए भंग कर दिया। इस पराजय से बालाजी बाजीराव के हृदय पर गहरा आघात लगा और १७६१ ई० में उनकी मृत्यु हो गई।

माधवराव (१७६१-७२ ई०) : माधवराव पेशवा १६ वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। पानीपत की पराजय से हैदराबाद का निजाम, मैसूर का हैदरअली व अंग्रेज़ मराठों को दुर्बल समझकर अपनी-अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे थे। परन्तु माधवराव ने कहीं युद्ध और कहीं नीति से सबको अपने वश में कर लिया। माधवराव ने वे सभी राज्य पुनः हस्तगत कर लिए, जो पानीपत के युद्ध से पूर्व मराठों के पास थे। माधवराव ने जाटों, राजपूतों और रुहेलों से भी चौथ वसूल की। १७७२ में उसने मुगल गद्दी के उत्तराधिकारी शाहआलम को सेना के बल पर गद्दी पर बैठाया। १७७२ ई० में २८ वर्ष की अल्पायु में माधवराव की मृत्यु हो गई।

मराठों का पतन

माधवराव के कोई पुत्र न था। अतः उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके भाई नारायणराव को पेशवा बनाया गया। परन्तु उसके चाचा नारायण ने १७७३ में षड्यंत्र द्वारा उसकी हत्या करा दी। मराठा सरदारों ने नारायण को पेशवा मानने से इंकार कर दिया और १२ व्यक्तियों की एक शासन-कर्तृ-समिति बनाई, जिसने शासन की बागडोर संभाल ली।

बाजीराव द्वितीय (१७६६-१८१८ ई०) : माधवराव द्वितीय भी निःसंतान ही मर गया। इस कारण पेशवा-पद के लिए झगड़ा उत्पन्न हो गया। नाना फड़नवीस ने रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव को पेशवा बना दिया लेकिन वह स्वयं सर्वेसर्वा बना रहा और टीपू सुल्तान को पराजित किया। १७६५ में उसने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। १७६४ ई० में मराठों के प्रसिद्ध सरदार महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई। सन् १८०० ई० में नाना फड़नवीस की भी मृत्यु हो गई। नाना फड़नवीस की मृत्यु के पश्चात् छोटे-छोटे सरदारों की फूट को कोई रोक न सका और मराठों की शक्ति समाप्त हो गई। अब पेशवा के पद के लिए झगड़ा उठ खड़ा हुआ। जसवन्तराव होल्कर ने अमृतराव को पेशवा घोषित किया। बाजीराव द्वितीय ने पूना से भागकर अंग्रेजों की शरण ली। अंग्रेजों ने उसके साथ सन् १८०३ ई० में बसीन की संधि की और उसे पुनः पेशवा बना दिया। परन्तु उस पर अंग्रेजों का प्रभुत्व छा गया। इस प्रभुत्व से मुक्त होने के लिए उसको अंग्रेजों से १८१७ ई० में युद्ध करना पड़ा। युद्ध में उसकी हार हुई और अंग्रेजों ने मराठा राज्य छीन लिया। पेशवा को वार्षिक पेंशन और छोटी-सी जागीर दे दी गई। इस प्रकार मराठों के इतिहास का अन्त हो गया।

अंग्रेजों का अधिकार

अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने की आड़ लेकर ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना करके अपने पैर जमाये और धीरे-धीरे उन्होंने देश पर अधिकार कर लिया।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ब्रिटेन ने भारत पर आधिपत्य करने के बाद क्लाइव को बंगाल के शासन का प्रमुख बनाया। सन् १७७७ ई० में क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। इस विजय ने क्लाइव को भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापक के रूप में चर्चित कर दिया।

भारत के गवर्नर जनरल

ब्रिटेन ने भारत में अपना पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्ज (१७७८-१७८५ ई०) को नियुक्त किया। उन्होंने बंगाल, अवध और निजाम को ब्रिटिश शासन में मिलाया। वारेन हेस्टिंग्ज के बाद लार्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बने। उन्होंने पंजाब, दक्षिण बर्मा को ब्रिटिश शासन में मिलाया। उनके समय में ही भारत में रेलवे लाइन बननी प्रारम्भ हुई, डाक-तार घर खोले गए।

लार्ड डलहौजी के बाद लार्ड केनिंग (१८५६-५८ ई०) गवर्नर जनरल बने। भारत की स्वाधीनता का १८५७ का प्रथम संग्राम उन्हीं के समय में प्रारम्भ हुआ। १८५७ के आन्दोलन के विफल हो जाने पर भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। बाद में गवर्नर जनरल को 'वायसराय' नाम दिया गया।

वायसराय

लार्ड केनिंग (१८५८-१८६३ ई०) ने भारत में ब्रिटिश शासन का पुनर्गठन किया।

लार्ड रिपन (१८८०-१८८४ ई०)ने स्वायत्त शासन कानून बनाया, शिक्षा के प्रसार की ओर ध्यान दिया तथा मजदूरों के हितों की की रक्षा के लिए फैक्ट्री कानून बनाया।

लार्ड कर्जन (१८९९-१९०५ ई०) ने तिब्बत को पराजित करके अंग्रेजों को उसकी परराष्ट्र-नीति का भार सौंपा। उन्होंने कबाइली इलाके की रक्षा के लिए कबाइली सेना गठित की। १९०५ ई० में उन्होंने बंगाल को विभक्त किया। जब देश में बंग-विभाजन के विरोध में जन रोष भड़का तो १९११ ई० में उसे रद्द कर दिया गया।

लार्ड मिण्टो (१९०५-१९१० ई०) ने मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन-प्रणाली मान्य करके मुसलमानों में पृथक्ता के बीज बोये जिसके कारण पाकिस्तान की योजना बनी।

लार्ड हार्डिंज (१९१०-१९१६ ई०) : जार्ज पंचम के राज्याभिषेक के समय दिल्ली में उत्सव मनाया गया तथा लार्ड हार्डिंज की शोभा-यात्रा निकाली गई, लेकिन चांदनी चौक में शोभा यात्रा पर क्रान्तिकारियों ने बम फेंक दिया। लार्ड हार्डिंज सौभाग्य से बच गए।

लार्ड चैम्सफोर्ड (१९१६-१९२० ई०) ने इण्डिया एक्ट १९१९ बनवाया। रौलट एक्ट, मार्शल ला और असहयोग आन्दोलन लार्ड चेम्सफोर्ड के समय की मुख्य घटनाएं हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

लार्ड रीडिंग (१९२१-१९२६ ई०):के समय में गाँधीजी के नेतृत्व में प्रिंस आफ वेल्स की भारत-यात्रा का बहिष्कार किया गया। सविनय कानून भंग आन्दोलन चला तथा विदेशी माल के बहिष्कार का आन्दोलन भी उन्हीं के समय में हुआ।

लार्ड इरविन (१९२६-१९३० ई०) : गाँधीजी के नेतृत्व में लाहौर कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य घोषित किया तो नमक कानून भंग के साथ-साथ सामूहिक कानून भंग आन्दोलन ने जोर पकड़ लिया। गाँधीजी ने दांडी में नमक कानून भंग किया। मार्च १९३१ ई० में लार्ड इरविन ने आन्दोलन की व्यापकता देखकर गाँधीजी से समझौता किया तब जाकर यह आन्दोलन समाप्त हुआ।

लार्ड विलिंगडन (१९३०-१९३६ ई०) : के समय १९३० ई० में दूसरी व तीसरी गोल मेज कान्फ्रेंस हुई। उन्हींके आदेश पर कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया। रैम्जे मैकडानेल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा के विरोध में गाँधीजी ने आमरण अनशन किया।

लार्ड लिनलिथगो(१९३६-१९४३ ई०):ने प्रान्तों में इण्डिया एक्ट १९३५ ई० लागू कराया तथा चुनाव होने पर देश के आठ प्रान्तों में काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल बने। लार्ड लिनलिथगो द्वारा अड़ंगे व असहयोग की नीति अपनाई जाने पर १९३९ ई० में काँग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिया। ८ अगस्त १९४२ ई० को कांग्रेस ने बम्बई में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन का सूत्रपात किया तो लार्ड लिनलिथगो ने दमनचक्र प्रारम्भ करके भारतीय जनता पर अत्याचार कराये।

लार्ड वेवल(१९४३-१९४७ ई०):के समय में १९ दिसम्बर १९४६ ई० को संविधान परिषद् की पहली बैठक डा० राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया तथा भारत-विभाजन की मांग की। जिन्ना आदि ने स्पष्ट घोषणा की कि मुसलमान अलग राष्ट्र हैं तथा वह किसी भी कीमत पर हिन्दुओं के साथ रहने को तैयार नहीं हैं। इसी काल में आजाद हिन्द फौज के तीन जनरलों पर लालकिले में मुक़दमा चला।

लार्ड माउण्टबेटन (१३ मार्च १९४७ ई० से १४ अगस्त १९४७ ई०) : ६ जून १९४७ को भारत-विभाजन की घोषणा की गई। १५ जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इण्डिया इण्डिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया। १५ जुलाई १९४७ ई० को विधिवत् भारत को विभक्त करके पाकिस्तान की घोषणा कर दी गई।

भारत संघ के गवर्नर जनरल

लार्ड माउण्टबेटन (१५ अगस्त १९४७ से २० जून १९४८ तक)।

श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (२१ जून १९४८ से २५ जनवरी १९५० तक)।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भारत के राष्ट्रपति

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद चुने गए। २६ जनवरी १९५० ई० से १९६२ ई० तक वे इस पद पर आसीन रहे। उनके बाद उपराष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् मई १९६२ में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने अप्रैल १९६७ तक इस पद को प्रतिष्ठित किया। अप्रैल १९६७ ई० में डा० जाकिर हुसैन राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ३ मई १९६९ ई० को उनका अचानक निधन हो गया। भारत के चौथे राष्ट्रपति डा० वी० वी० गिरि निर्वाचित हुए। अगस्त १९७४ में श्री फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति चुने गए। ११ फरवरी १९७७ को उनका निधन हो गया। अगस्त १९७७ में श्री नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति पद पर निर्विरोध अधिष्ठित हुए।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Cambridge Publications

English

Our English Reader Stage I, II, III, IV, V & VI
The Phonic Spell Way Book I, II. III, IV, V & VI

Arithmetic

Elementary School Arithmetic Book I Part I & I (II)
Elementary School Arithmetic Book II, III & IV

Social Studies

History for Class VI, VII & VIII
Civics for Class VI, VII & VIII
Geography for Class VI, VII & VIII

General Science

Learning Science by Stages Stage I, II, III, IV, V, VI
Learning Science by Stages Stage VII & VIII

Cambridge Publishing House
Educational Publishers
D-36, South Extension Part-I
New Delhi-110049

Grams : 'Cambridge' New Delhi
Phones: 619125/619126

Barauni Fertilizer Factory

— *A Symbol of national reconstruction*

— *A Perennial source of farmer's prosperity*

Situated on the gateway of agriculturally rich North Bihar, Barauni Fertilizer Factory, a unit of Hindustan Fertilizer Corporation Limited, has become a perennial source of agriculturists' prosperity. The annual rated capacity of this plant is 3,30,000 tonnes of urea. With the proper use of urea in such a quantity about 15 million tonnes of additional foodgrains can be produced.

We have so far produced 2,34,500 (approx) Metric tonnes of Urea valued Rs. 41 crore 4 lakhs (approx) most of which have reached the field of farmers. This quantity of urea can help in producing 7 lakh tonnes of additional foodgrains.

Issued by

Public Relations Officer
Hindustan Fertilizer Corpn. Limited

Barauni Unit

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

स्वाधीनता संग्राम

भारत पर सबसे पहले विदेशी मुसलमानों ने आक्रमण किया तथा उन आक्रमणों का भारतीय जनता ने डटकर मुकावला किया। किन्तु भारत के राजा-महाराजाओं की आपसी फूट का हमलावरों ने लाभ उठाया और उनका शासन देश पर स्थापित हो गया।

अकबर के शासनकाल में जहाँ महाराणा प्रताप देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहे वहां औरंगजेब आदि मुस्लिम बादशाहों के शासन के विरुद्ध एक ओर छत्रपति शिवाजी ने तो दूसरी ओर सिख नेता गुरु गोविन्द सिंह, बन्दा वैरागी आदि ने संघर्ष किया। मुगल शासकों से देश को स्वाधीन कराने के लिए देश में निरंतर स्वाधीनता-संग्राम चलता ही रहा। भारतीय रणवांकुरों ने विदेशी आक्रांता शासकों को चैन से कदापि नहीं बैठने दिया।

मुगलों के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने भारत में व्यापार की आड़ में अपने पांव जमाने प्रारम्भ किये। उन्होंने व्यापारिक सुविधा के नाम पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की। अंग्रेज कम्पनी के नाम पर छोटे-छोटे राजाओं में फूट डालकर उन्हें लड़ाते रहे व सम्पूर्ण देश पर शासन करने का षड्यन्त्र रचते रहे। अन्त में चालाक अंग्रेज आपसी फूट का लाभ उठाने में सफल हुए और उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया।

१८५७ का स्वातन्त्र्य-समर

देश की वागडोर छल-वल से अपने हाथों में लेते ही देश को सदैव के लिए गुलाम बनाये रखने के लिए अंग्रेजों ने शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन किया तथा 'फूट डालो और राज्य करो' का सूत्र अपनाकर देश की जनता को लड़ाने का षड्यन्त्र रचा। स्थान-स्थान पर गो-हत्या को प्रोत्साहन देकर हिन्दू-मुस्लिम झगड़े प्रारम्भ करा दिए गए।

१८५१ ई० में जब बाजीराव पेशवा का देहान्त हुआ तो अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र नाना को गद्दी पर बैठाने से इन्कार कर दिया। १८५६ ई० में झांसी के महाराजा गंगाधर राव का देहान्त हुआ तो उनके दत्तक पुत्र दामोदर के राज्याभिषेक में भी अंग्रेजों ने बाधा डाली। फिर क्या था, सुपुप्त चिनगारी भड़क उठी। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने उद्घोष किया—'मैं झांसी फिरंगी को नहीं दूंगी।' महारानी लक्ष्मीबाई रणचंडी का रूप धारण करके रणांगण में कूद पड़ी और अंग्रेजों से प्रबल संघर्ष किया। उधर नाना साहब

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

पेशवा आदि ने स्वाधीनता-संग्राम की तैयारियाँ प्रारम्भ कर दीं। चारों ओर अंग्रेज शासकों के विरुद्ध वातावरण बनने लगा।

प्रथम आहुति

१८५७ के स्वातन्त्र्य-समर के महान् यज्ञ में पहली आहुति दी युवा सैनिक वीर मंगल पाण्डे ने। अंग्रेज हिन्दू सैनिकों का धर्म भ्रष्ट करने की दृष्टि से कारतूसों में गाय की चर्वी लगाते थे। जैसे ही सैनिकों को यह पता चला कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं, उनके अन्दर रोष व क्षोभ की भावना व्याप्त हो गई। एक दिन अचानक एक सैनिक मंगल पाण्डे ने सेना की परेड़ में खुला विद्रोह कर दिया और घोषणा की—'गोमाता की चर्वी से बने कारतूस को मुँह लगाकर हम अपना धर्म भ्रष्ट कदापि नहीं करेंगे।' मंगल पाण्डे से जब राइफल रख देने के लिए कहा गया तो उस तेजस्वी वीर सेनापति ने अंग्रेज सार्जेंट पर आक्रमण करके उसे जान से मार डाला। मंगल पाण्डे को गिरफ्तार कर लिया गया। सैनिक अदालत ने उसे मौत की सजा दी और इस प्रकार १८५७ के स्वातन्त्र्य-युद्ध के महान् यज्ञ में पहली आहुति उस वीर ने दी।

वीर मंगल पांडे का बलिदान रंग लाया और सेना में विद्रोह की भावना फैलती गई। मंगल पांडे के बलिदान के बाद ६ मई १८५७ ई० को मेरठ छावनी के ९० घुड़-सवार सैनिकों ने गाय की चर्वी लगे कारतूसों को छूने तक से इन्कार कर दिया। परिणाम-स्वरूप उन्हें बन्दी बना लिया गया। सैनिक अदालत ने उन्हे दस-दस वर्ष की सजा सुना दी।

भारतीय सिपाहियों ने संगठित होकर क्रांति का बिगुल बजा दिया। उन्होंने १० मई को मेरठ के तोपखाने व शस्त्रागार पर आक्रमण करके उसपर अधिकार कर लिया। सैनिकों ने मेरठ से दिल्ली की ओर कूच कर दिया और १५ मई को दिल्ली पहुँचकर अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया व उनके पैर उखाड़ दिए। एक बार पुनः बहादुरशाह जफर को दिल्ली के तख्त पर बैठा दिया गया।

मेरठ के बाद कानपुर, इलाहाबाद, झांसी, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़ आदि में भी अंग्रेजों का कत्ले-आम प्रारम्भ हो गया। ३१ मई तक समस्त उत्तर प्रदेश क्रान्ति की ज्वाला से धधकने लगा। कानपुर के नाना साहब ने अंग्रेजों को खदेड़कर शासन पर अधिकार कर लिया। तात्या टोपे आदि ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। उधर झाँसी की महारानी लक्ष्मीबाई के अंग्रेजों से युद्ध करते समय बलिदान हो जाने से समस्त देश में नई चेतना उत्पन्न हुई। दूसरी ओर बिहार के वीर राजा कुँवरसिंह, नाना साहब और तात्या टोपे आदि ने फिरंगियों के विरुद्ध संघर्ष करके जनता में स्वाधीनता की भावनाएँ भरीं। स्थान-स्थानं पर अंग्रेजों का कत्ले-आम प्रारम्भ कर दिया। अंग्रेजों ने दमन व अत्याचार का सहारा लेकर स्वाधीनता की इस चिनगारी को बुझाने का भरसक प्रयास किया किन्तु देश के कोने-कोने से 'निकालो फिरंगी को' की आवाज और भी तेजी से गूँज उठी। कुछ भारतीय सैनिकों द्वारा ही अंग्रेजों को सहयोग दिये जाने के परिणाम-स्वरूप समस्त भारत पर पुनः अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया। अंग्रेज इस क्रांति

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

को दवाने में सफल हो गए। स्थान-स्थान पर क्रांतिकारियों को सामूहिक रूप से फांसी पर लटकाया गया और तोपों के मुँह से बाँधकर उड़ाया गया।

कूकों का बलिदान

सन् १८७२ ई० में नामधारी सिखों के नेता कूका सद्गुरू रामसिंह ने देश से अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ने के लिए अभियान प्रारम्भ किया। असहयोग-आन्दोलन का सूत्रपात भी कूकों ने किया। स्वदेशी का प्रयोग करके उन्होंने जनता में राष्ट्रीय भावनाएँ उत्पन्न कीं। सरकार कूकों के इस अभियान से बौखला उठी। उसने उन पर अनेक प्रतिवन्ध लगा दिए। मलेरकोटला में कुछ कसाइयों ने गो हत्या कर दी तो धर्माभिमानी कूकों ने यह सहन नहीं किया तथा उन्होंने कसाइयों का वध कर डाला। अंग्रेजों को मौका मिल गया और उन्होंने अनेक कूका वीरों को फांसी पर लटका दिया। ४८ कूकों को तोप के मुँह से बांधकर उड़ा दिया गया। सद्गुरु रामसिंह को जेल में डालकर उन पर अमानवीय अत्याचार किये गए।

कांग्रेस की स्थापना

सन् १८८५ ई० में सर ए० ओ० ह्यूम नामक अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना की। २७ दिसम्वर १८८५ ई० को वम्बई में काँग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। कुछ ही समय में काँग्रेस में देश के अनेक प्रमुख नेता शामिल हो गए। पंडित मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपतराय, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, विपिनचन्द्र पाल, महात्मा गाँधी, अजमल खां आदि ने जैसे ही काँग्रेस में प्रवेश किया तो काँग्रेस ने राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया। अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा किया तो कांग्रेस ने उसका प्रबल विरोध किया। कुछ ही समय में काँग्रेस में दो दल वन गए, एक था 'नरम दल' और दूसरा 'गरम दल'। गरमदल में लोकमान्य तिलक, विपिनचन्द्र पाल एवं लाला लाजपतराय आदि थे। नरमदल में मोतीलाल नेहरू, मदनमोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, गोपालकृष्ण गोखले आदि थे। लोकमान्य तिलक ने 'केसरी' के माध्यम से जनता में स्वाधीनता की भावना उत्पन्न करने का अभियान चलाया। दूसरी ओर पंजाब में लाला लाजपतराय ने अपने लेखों के माध्यम से जनता में स्वाधीनता की चिनगारी प्रज्ज्वलित की।

बंग-भंग का विरोध करने के लिए बंगाल में स्वदेशी आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। काँग्रेस के गरमदलीय नेताओं की अपील पर जनता ने विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार प्रारम्भ कर दिया। बंगाल से प्रारम्भ हुआ यह स्वदेशी आन्दोलन कुछ ही समय में समस्त देश में फैल गया। उधर पंजाब में अंग्रेजों ने दमनचक्र को और कड़ा कर दिया। लाला लाजपतराय ने दमनकारी प्रवृत्ति का खुलकर विरोध किया। लालाजी के ओजस्वी भाषणों व लेखों ने न केवल पंजाब में अपितु समस्त देश में खलवली मचा दी। अन्त में सरकार ने उन्हें बन्दी वना लिया। महाराष्ट्र में श्री लोकमान्य तिलक को बन्दी बनाकर माँडले (वर्मा) जेल में नजरबन्द कर दिया गया।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

गांधीजी का सत्याग्रह

दक्षिण अफ्रीका में गाँधी जी ने 'गोरों' द्वारा कालों पर, विशेषकर भारतीयों के साथ किये जाने वाले भेद-भाव व अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। गोरों ने उन पर आक्रमण भी किये किन्तु गांधी जी ने अहिंसात्मक तरीके से अपना आन्दोलन जारी रखा। उन्हें बन्दी बनाया गया। जेल से छूटते ही उन्होंने सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। सत्याग्रह की व्यापकता से अंग्रेजों को झुकना पड़ा। सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आ गए। गोपालकृष्ण गोखले की प्रेरणा से वे कांग्रेस में शामिल हो गए। गाँधी जी ने भारत की जनता को अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा की गई ज्यादतियों व भेद-भाव की नीति से अवगत कराया।

प्रथम महायुद्ध

सन् १९१४ ई० में यूरोप में युद्ध प्रारम्भ हो गया। अंग्रेज भी उस युद्ध में कूद पड़े। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं ने अंग्रेजों को युद्ध में सहायता देने की घोषणा की तो गरम दल के नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। लाला लाजपतराय ने स्पष्ट घोषणा की कि 'अंग्रेज हमारे शत्रु हैं, अतः हमें उनकी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करनी चाहिए।' देश की अधिकांश जनता की यही आकाँक्षा थी कि किसी भी प्रकार अंग्रेजों की पराजय होनी चाहिए, जिससे उनकी शक्ति क्षीण हो और वे देश से भगाये जा सकें।

विदेशों में क्रांति की ज्वाला

इधर लोकमान्य तिलक आदि देश में जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, उधर श्री तिलक की प्रेरणा से श्री विनायक दामोदर सावरकर लंदन पहुँचकर सशस्त्र क्रांति की ज्वाला धधकाने में संलग्न थे।

इंगलैंड में भारतीय देशभक्त श्री श्यामजी कृष्णवर्मा ने 'इंडिया हाउस' को भारतीय क्रांतिकारियों का एक केन्द्र बना रखा था। सावरकर भी 'इंडिया हाउस' में ही रहकर युवकों का संगठन कर रहे थे। लन्दन में भाई परमानन्द, सेनापति बापट, मदनलाल ढींगरा, रासबिहारी बोस, लाला हरदयाल आदि देश की स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील थे। उन्होंने 'फ्री इण्डिया सोसायटी' संस्था खोल रखी थी।

सबसे पहले इंगलैण्ड में वीर सावरकर लिखित '१८५७ का भारतीय स्वातन्त्र्य समर' ग्रन्थ ने खलबली मचाई। अंग्रेजों ने इस ग्रन्थ को प्रकाशित होने से पूर्व ही जब्त कर लिया। सावरकर की प्रेरणा पर भारतीय युवक मदनलाल ढींगरा ने लन्दन में १ जुलाई १९०९ को सर कर्जन वायली को भरी सभा में गोली से उड़ा दिया तथा खुलकर अपने कार्य के समर्थन में वक्तव्य दिया तो समस्त विश्व का ध्यान भारतीय स्वाधीनता-आन्दोलन की ओर आकर्षित हुआ। अंग्रेज सावरकर को बन्दी बनाने के लिए तत्पर हो गए।

१९ अप्रैल १९०९ ई० को नासिक के अंग्रेज जिलाधीश मि० जैक्सन को १६ वर्षीय बालक कान्हेरे ने गोली से भून डाला। इस काण्ड के सम्बन्ध में सावरकर के बड़े भाई श्री गणेश दामोदर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। १३ मार्च १९१० ई० को लन्दन के रेलवे स्टेशन पर श्री सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। वन्दी बनाकर भारत

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

लाये जाते समय सावरकर जलयान से समुद्र में कूद पड़े किन्तु उन्हें फ्रांस के किनारे पर पुनः पकड़ लिया गया और भारत लाकर दो आजन्म कारावासों का दण्ड देकर अण्डमान भेज दिया गया। वीर सावरकर ने पूरे १३ वर्षों तक अण्डमान में यातनाएँ सहन कीं। इसी काल में रासबिहारी बोस, लाला हरदयाल, राजा महेन्द्र प्रताप, सरदार अजीतसिंह आदि ने विदेशों में गदर पार्टी के माध्यम से सशस्त्र क्रांति द्वारा देश को स्वाधीन कराने का अभियान चलाया।

देश की अधिकांश जनता का यह विश्वास था कि अत्याचारी व साम्राज्यवादी अंग्रेजों को सशस्त्र क्रांति से ही देश से खदेड़ा जा सकता है। इसलिए स्थान-स्थान पर सशस्त्र क्रांतिकारियों के संगठन बने तथा कहीं खुदीराम बोस ने, तो कहीं हेमू कालानी ने और कहीं बब्बर अकालियों ने अंग्रेजों की हत्या की। युवकों में शहीद होने की होड़ लग गयी।

लार्ड हार्डिंज पर बम

राजधानी दिल्ली में लार्ड हार्डिंज की शोभा-यात्रा का आयोजन था। २३ दिसम्बर १९१२ ई० को जसे ही लार्ड की शोभा-यात्रा चांदनी चौक से गुजर रही थी कि उस पर एक बम फेंका गया। लार्ड तो बच गए किन्तु उनके पीछे बैठा अंगरक्षक मारा गया। इस घटना से समस्त विश्व का ध्यान भारतीय स्वाधीनता-आन्दोलन की ओर आकर्षित हुआ। 'दिल्ली षड्यंत्र' केस के नाम से १३ क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। अवधबिहारी, मास्टर अमीरचन्द, भाई बालमुकन्द और बसन्तकुमार को तो फांसी पर लटका दिया गया, बाकी ९ व्यक्तियों को आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया। श्री रासबिहारी बोस पर भी अभियोग था, किन्तु वे पुलिस के हाथ नहीं आये तथा विदेश चले गए। उधर लाला हरदयाल के नेतृत्व में विदेशों में, अमेरिका में बसे भारतीयों ने 'गदर पार्टी' की स्थापना की। भारत की स्वाधीनता के प्रचार के लिए अमेरिका से 'गदर' नामक एक पत्र भी निकाला गया। स्थान-स्थान पर प्रवासी भारतीयों ने चन्दा एकत्रित किया तथा क्रांतिकारी योजना के लिए भारी मात्रा में धन भेंट किया। गदर पार्टी ने जहां विदेशों से भारत को गुप्त रूप से शस्त्र भिजवाये वहां बम आदि बनाने का प्रशिक्षण देकर युवकों को भारत भेजा गया। भारत में क्रांति की पुनः योजना बनाई गई। काशी को केन्द्र बनाकर क्रांतिकारियों ने अपनी योजनाएँ प्रारम्भ कीं। अनेक क्रांतिकारियों ने गुप्त रूप से सैनिक छावनियों में पहुंचकर सैनिकों से संपर्क स्थापित किया तथा उनमें देशभक्ति व स्वाधीनता की भावनाएँ जागृत कीं। मराठा युवक श्री विष्णु गणेश पिंगले ने अमरीका से भारत आकर इस योजना में भाग लिया। इसी बीच कुछ सरकारी भेदिये क्रांतिकारियों से आ मिले और एक दिन उन्होंने श्री पिंगले को मेरठ छावनी में कुछ बमों के साथ रंगे हाथों पकड़वा दिया। पुलिस ने भेदिये की सूचना के आधार पर अनेक स्थानों पर छापे मारे तथा अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ़्तार कर लिया। इस प्रकार से एक बार पुनः क्रांति की योजना विफल हो गई। सरकार ने पिंगले व अन्य क्रांति-वीरों को फांसी देकर आतंक फैलाने का पूरा प्रयास किया।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

काले कानून का विरोध

क्रान्तिकारी आन्दोलन को दबाने के बाद अंग्रेजों ने सन् १६१८ ई० में रौलट एक्ट बनाकर जनता को और भी अधिक बेड़ियों में जकड़ दिया। कांग्रेस के गरम दल के नेताओं ने काले कानून का डटकर विरोध किया। इसी बीच श्री लोकमान्य तिलक ने उद्घोष किया—'स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा उसे प्राप्त करके ही दम लेंगे।' लोकमान्य तिलक के इस उद्घोष ने समस्त देश में नई चेतना व जागृति उत्पन्न कर दी। उधर गांधी जी ने सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ दिया। जगह-जगह हड़तालें हुईं, विदेशी माल की होली जलाई गई।

जलियांवाला काण्ड

रौलट एक्ट का समस्त देश में घोर विरोध किया गया। १३ अप्रैल १६१६ ई० को अमृतसर में वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में काले कानून को एक कलंक बताया गया। इसी बीच अंग्रेज अधिकारी डायर ने जलियांवाला बाग को सशस्त्र सैनिकों द्वारा चारों ओर से घिरवा दिया। जलियांवाला बाग के द्वार पर मशीनगनें व राइफलें लगवा दी गईं। डायर ने सभा में शांत बैठे श्रोताओं पर गोलियों की बौछार प्रारम्भ करा दी। छोटे-छोटे बच्चों, वृद्धों व महिलाओं तक को बुरी तरह से गोलियों से भून डाला गया। जब निहत्थे लोगों ने बाग के पास की एक गली में शरण लेने का प्रयास किया तो गोरों ने उनका पीछा करके उनकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर डाली। इस हत्याकांड में सैकड़ों जानें गईं तथा सैकड़ों घायल हुए। जलियांवाला बाग काण्ड का समाचार फैलते ही समस्त देश में जगह-जगह रोषपूर्ण सभाएं व प्रदर्शन किये गए।

काकोरी काण्ड

जलियांवाला बाग काण्ड ने युवकों के हृदय को विद्रोह व विक्षोभ से भर दिया। सरदार भगतसिंह, चन्द्रशेखर आज़ाद आदि ने सशस्त्र क्रांति द्वारा देश को स्वाधीन करने की प्रतिज्ञा ली। क्रान्ति के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से सन् १६२५ ई० में सरकारी खजानों को लूटने की योजना बनाई गई। उत्तरप्रदेश के काकोरी(शाहजहांपुर) रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूटा गया। इस सम्बन्ध में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्लाखाँ, ठाकुर रोशनसिंह एवं राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी को फांसी पर लटका दिया गया तथा श्री मन्मथनाथ गुप्त एवं श्री विष्णुशरण दुबलिश आदि अनेक क्रान्तिकारियों को काला पानी भेजा गया।

साइमन कमीशन का विरोध

भारतीय जनता के क्षोभ को शान्त करने के लिए सन् १६२८ ई० में इंगलैंड से सर जान साइमन के नेतृत्व में 'साइमन कमीशन' भारत भेजा गया। यह घोषणा की गई कि कमीशन भारतीय जनता के क्षोभ के कारणों का अध्ययन करके उनकी समस्याओं के हल के लिए सुझाव देगा। कांग्रेस ने कमीशन के बहिष्कार की घोषणा कर दी। कमीशन के सदस्य

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जहाँ भी गए उन्हें काले झंडे दिखाए गए तथा 'साइमन कमीशन वापस जाओ' के नारे लगाये गए। ३० अक्तूबर १९२८ ई० को जैसे ही कमीशन लाहौर पहुँचा, लाला लाजपतराय के नेतृत्व में जनता ने कमीशन को काले झंडे दिखाने के लिए एक जुलूस निकाला। अंग्रेज अधिकारियों ने पुलिस को जुलूस पर अन्धाधुन्ध लाठियाँ बरसाने का आदेश दिया। पुलिस ने जनता तथा विशेषकर लाला लाजपतराय पर अमानुषिक ढंग से लाठियाँ बरसाईं। लालाजी लाठियों के प्रहार से घायल होकर गिर पड़े। उन्हें भयंकर चोटें आई थीं, जिसके कारण १७ नवम्बर को उनका निधन हो गया। निधन से पूर्व लालाजी ने कहा था, **'मेरे शरीर पर पड़ी एक-एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक-एक कील बनेगी।'** लाला लाजपतराय के निधन का समाचार फैलते ही समस्त देश में हड़ताल हो गई, शोक सभाएं करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सरदार भगतसिंह एवं उनके साथी क्रान्तिकारियों ने लालाजी की निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने का निर्णय किया। राजगुरु ने १५ दिसम्बर १९२८ ई० को सैंडर्स की गोली मार कर हत्या कर दी। राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, सुखदेव आदि की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयत्नशील थी। इसी बीच फरारी की अवस्था में भगतसिंह ने केन्द्रीय असेम्बली भवन पहुंचकर दर्शक दीर्घा से एक बम फेंका जिसके धड़ाके से समस्त अंग्रेजी साम्राज्य दहल उठा। मुकदमे का नाटक रचकर सरकार ने भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी पर लटकाकर शवों को सतलुज नदी के किनारे जला दिया। फांसी पर लटकाए जाने के समाचार से देश में रोष की लहर दौड़ गई। अनेक नगरों में हड़तालें हुईं। गांधी इरविन समझौते का भी जनता ने तीव्र विरोध किया।

गोलमेज सम्मेलन

भारतीय जनता में स्वाधीनता के लिए उमंग व जागृति देखकर ब्रिटिश शासन दहल उठा। उसने भारतीय जनता की समस्याओं पर विचार करने के नाम पर इंगलैंड में गोल मेज सम्मेलन आमंत्रित किया। सम्मेलन में गांधी जी व अन्य भारतीय नेता सम्मिलित हुए, किन्तु अंग्रेजों का यह 'नाटक' सफल नहीं हुआ। गांधी जी जैसे ही सम्मेलन से वापस भारत लौटे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज सरकार ने खीझकर कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। स्थान-स्थान पर कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्त्ताओं की अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियां होने लगीं। लाखों व्यक्तियों को जेल में बन्द कर दिया गया। सन् १९३६ ई० में समस्त देश में आम चुनावों का नाटक रचा गया। कांग्रेस भी चुनाव-मैदान में उतरी और उसने ११ में से सात राज्यों में बहुमत प्राप्त कर लिया। कांग्रेस ने यह शर्त रखी कि यदि गवर्नर मन्त्रिमण्डल के कार्यों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन देंगे तभी कांग्रेस मन्त्रिमण्डल का गठन करेगी। पहले तो अंग्रेजों ने शर्त को स्वीकार नहीं किया, किन्तु जब गैर-कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल विश्वास प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो गए तो यह शर्तें माननी पड़ी और कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बन गए।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सन् १९३८ ई० के नवम्बर मास में जर्मनी व ब्रिटेन के बीच युद्ध की ज्वाला धधक उठी। ब्रिटिश सरकार ने बिना मन्त्रिमण्डलों से सहमति लिये ही यह घोषणा कर दी कि भारत भी ब्रिटेन की ओर से लड़ाई में शामिल है। इस घोषणा का कांग्रेस व गांधी जी ने खुला विरोध किया। देश के ९ राज्यों ने विरोध में प्रस्ताव पारित किये।

अंग्रेजो भारत छोड़ो

सन् १९४० ई० के प्रारम्भ में गांधीजी ने भारतीयों का आह्वान किया कि वे इस लड़ाई में किसी भी तरह सहयोग कदापि न दें। उन्होंने सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। हजारों व्यक्ति सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए।

८ अगस्त १९४२ ई० को बम्बई कांग्रेस में गांधीजी ने **'अंग्रेजो भारत छोड़ो'** आन्दोलन की घोषणा कर दी। ९ अगस्त को सरकार ने कांग्रेस कार्यसमिति के तमाम सदस्यों को बन्दी बना लिया। देश के कोने-कोने में कांग्रेसी-नेताओं की पकड़-धकड़ प्रारम्भ कर दी गई। अनेक स्थानों पर पुलिस-ने अहिंसक व शांत जुलूसों व सत्याग्रहियों पर लाठियां व गोलियां चलाकर सैकड़ों देश भक्तों को मार डाला। १९४२ ई० के इस जन-आन्दोलन में प्रत्येक स्थान पर **'अंग्रेजो भारत छोड़ो'** के उद्घोष गूंज उठे। महिलाओं व बालकों ने भी आहुतियां दीं।

आजाद हिन्द सेना की स्थापना

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने सन् १९४० ई० में बम्बई में वीर सावरकर से भेंट की और उनसे विचार-विनिमय करके वे गुप्त रूप से भारत से निकल गए तथा विदेशों में जाकर प्रवासी भारतीयों से भारत की स्वाधीनता के सम्बन्ध में बातचीत की। फलतः नेताजी ने सन् १९४२ में **आजाद हिन्द सेना** की स्थापना की। जापान और ब्रिटेन में उन दिनों युद्ध छिड़ा हुआ था। नेताजी ने 'आजाद हिन्द सेना' के माध्यम से युद्ध में ब्रिटेन को क्षति पहुँचाने का प्रयास किया। उन्होंने **आजाद हिन्द सेना** का मुख्यालय सिंगापुर में बनाया। वहीं से **'आजाद हिन्द'** नामक पत्र भी निकाला। नेताजी के आह्वान पर प्रवासी भारतीयों ने उनके चरणों में धन का अम्बार लगा दिया। छोटे-छोटे बच्चों ने भी उनकी सहायता की। नेताजी को सोने में तोलकर उन्हें सोना भेंट किया गया। नेताजी ने आजाद हिन्द सेना के अन्तर्गत महिलाओं की एक ब्रिगेड भी बनाई, जिसका नाम **'रानी झांसी ब्रिगेड'** रखा गया। महिलाओं ने भी अंग्रेजों से डटकर युद्ध किया व उनके छक्के छुड़ाये। जापान में नेताजी को प्रसिद्ध भारतीय क्रान्तिकारी श्री रासबिहारी बोस का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। श्री बोस ने पहले ही अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र सेना का गठन कर लिया था। २१ अक्तूबर १९४३ ई० को सिंगापुर में आजाद भारत की एक अन्तरिम सरकार की घोषणा की गई। नेताजी ने घोषणा की—**'तुम मुझे खून दो—मैं तुम्हें आजादी दूंगा।'** उन्होंने **'दिल्ली चलो'** व **'जयहिन्द'** का नारा दिया। सन् १९४४ में आजाद हिन्द सेना ने बर्मा और असम के मोर्चों पर अंग्रेजों से डटकर टक्कर ली। एक बार तो आजाद हिन्द सेना ने अण्डमान द्वीप से ब्रिटिश झंडे को उतारकर भारतीय ध्वज फहरा दिया। नेताजी ने अण्डमान पहुंचकर उस जेल कोठरी को देखा, जिससे वीर सावरकर आदि क्रान्तिकारियों ने अनेक वर्षों तक यातनाएं सहन की थीं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सन् १९४५ ई० में अचानक जापान की पराजय हो गई। अंग्रेजों ने जापानी सैनिकों के साथ-साथ आजाद हिन्द सेना के जवानों पर भी अत्याचार प्रारम्भ किये। सैकड़ों भारतीय सैनिकों को निर्ममता के साथ मार डाला गया।

अंग्रेजों की जीत के बाद नेताजी सेगांव से जापान के लिए रवाना हुए। माना जाता है कि रास्ते में फारमोसा के पास विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उनका देहान्त हो गया। उनकी मृत्यु की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में अभी भी विवाद बना हुआ है।

स्वाधीनता का उदय

देश में चारों ओर अंग्रेजों के विरुद्ध विषाक्त वातावरण बनता जा रहा था। एक ओर सशस्त्र क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों पर आतंक जमा रखा था, दूसरी ओर कांग्रेस के जन-आन्दोलन ने। अन्त में लाचार होकर अंग्रेजों को भारत से अपना बिस्तर गोल करने का निर्णय लेना ही पड़ा। अंग्रेजों ने कांग्रेस-प्रतिनिधि के नाते श्री जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमन्त्रण दिया। २ सितम्बर १९४६ ई० को कांग्रेस मंत्रिमण्डल की घोषणा कर दी गई।

अंग्रेजों तथा मुस्लिम लीगियों ने भारत-विभाजन का षड्यन्त्र रचा तथा इसकी भूमिका बनाने के लिए जगह-जगह हिन्दू-मुस्लिम दंगे भड़काये। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने दो राष्ट्र के सिद्धान्त के आधार पर घोषणा की कि भारत में मुसलमान अलग राष्ट्र है तथा वे किसी भी स्थिति में हिन्दुओं के साथ नहीं रह सकते। जिन्ना के संकेत पर नोआखाली, लाहौर, मुलतान, झंग तथा अन्य स्थानों पर वहाँ के अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर अमानवीय अत्याचार किये गए। उन्हें मार-काटकर भगाया जाने लगा। उनके घरों व सम्पत्ति को जला कर राख कर डाला गया। मुस्लिम लीग का षड्यन्त्र सफल हुआ और भारत-विभाजन की बात स्वीकार कर ली गई। भारत को दो भागों में विभक्त कर दिया गया। मुसलमानों ने अपने देश का नाम 'पाकिस्तान' रखा।

१५ अगस्त १९४७ ई० को जहाँ देश स्वाधीन हुआ वहाँ उस दिन भारत माँ के खंड-खंड भी किये गए। स्वाधीनता की घोषणा के साथ ही मार-काटकर भगाये जाने वाले लाखों-लाखों लोगों की चीत्कार सुनाई दी। लाखों व्यक्तियों को बे-घर-बार होकर दर-दर की ठोकरें खानी पड़ीं, लाखों को गाजर-मूली की तरह काट डाला गया। स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में, भारत-विभाजन के परिणामस्वरूप शहीद हुए लाखों नर-नारियों को बलिदानियों की पंक्ति से, कदापि अलग नहीं किया जा सकता।

अंग्रेजों के देश से विदा होने के बाद भी देश की कुछ बस्तियों पर फ्रांस और पुर्तगालियों का आधिपत्य था। दादरा और नगर हवेली, पांडिचेरी तथा गोआ पराधीन थे। जहां इन बस्तियों की जनता ने स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया वहाँ अन्त में भारत सरकार को सशस्त्र कार्रवाई करने को बाध्य होना पड़ा। तब जाकर इन बस्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

नेहरूजी का नेतृत्व

१५ अगस्त १९४७ ई० को स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमन्त्रित्व में देश ने नई करवट ली।

भारत में ५५० से अधिक रियासतें थीं। देश की स्वाधीनता व अखंडता की रक्षा के लिए उनका एकीकरण आवश्यक था। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वाधीन भारत के प्रथम गृहमंत्री बने। उन्होंने बड़ी कुशलता व दृढ़ता के साथ अधिकांश रियासतों के राजाओं की भारतीय केन्द्रीय शासन के अधीन होने की स्वीकृति प्राप्त कर ली। जूनागढ़ व हैदराबाद के नवाबों ने पाकिस्तान से मिलने की शरारत की किन्तु लौहपुरुष सरदार पटेल ने दृढ़ता के साथ काम लिया। जूनागढ़ रियासत की जनता ने नवाब की पाकिस्तान के साथ मिलने की घोषणा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अन्त में यह राज्य काठियावाड़ में मिला लिया गया। इसी प्रकार हैदराबाद के नवाब ने पाकिस्तान से साठगाँठ करके रजाकारों की सेना गठित की किन्तु सरदार पटेल ने स्थिति पर काबू पाने के लिए १३ सितम्बर १९४८ ई० को भारतीय सेना हैदराबाद भेजकर निजाम की सेना व रजाकारों के हौसले पस्त कर दिए। अन्त में निजाम ने भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया।

कश्मीर पर आक्रमण : कश्मीर के महाराजा हरिसिंह अपनी रियासत को स्वाधीन रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विलयपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये। कश्मीर पर पाकिस्तान के दांत गड़े थे अतः पाकिस्तान ने १९४७ में ही सीमान्त के कबाइलियों को उकसाकर व खुले रूप में उनकी सहायता करके कश्मीर पर आक्रमण करा दिया। जब पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर से कुछ मील दूर रह गए तो महाराजा हरिसिंह ने भारत में मिलने की घोषणा करके भारत सरकार से कश्मीर की रक्षा की मांग की। सेनाध्यक्ष महाराजा राजेन्द्रसिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने कश्मीर पहुँचकर पाकिस्तानी कबाइलियों के षड्यंत्र को असफल कर दिया। राष्ट्रसंघ ने 'युद्धविराम' का आदेश दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर के एक भाग पर अधिकार कर लिया, जिस पर वह आज भी बलात् कब्जा किये हुए है।

गांधीजी की हत्या : देश के विभाजन के परिणामस्वरूप हुए सांप्रदायिक दंगों के विषाक्त वातावरण में ३० जनवरी १९४८ ई० को एक युवक ने गांधीजी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधीजी की हत्या से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई।

प्रथम राष्ट्रपति : भारत का संविधान बनाया गया तथा २६ जनवरी १९५० ई० को देश में प्रजातांत्रिक शासन की घोषणा की गई। डॉ० राजेन्द्रप्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्र-पति निर्वाचित हुए। भारतीय संविधान में देश के समस्त नागरिकों को समान अधिकार दिये गए तथा भारत को **'धर्मनिरपेक्ष गणराज्य'** घोषित किया गया।

राज्य पुनर्गठन आयोग : स्वाधीनता के बाद कुछ प्रांतों की जनता ने भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की मांग की। इसके लिए आन्दोलन भी किए गए। आंदोलनों के कारण सरकार को बाध्य होकर २९ दिसम्बर १९५३ ई० को 'राज्य पुनर्गठन आयोग' नियुक्त करना पड़ा। आयोग के सुझावों पर राज्यों की सीमाओं में हेरफेर हुए। बम्बई प्रांत को गुजरात व महाराष्ट्र दो राज्यों में विभक्त किया गया तथा अन्य अनेक राज्यों का पुनर्गठन हुआ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

गोआ की स्वाधीनता : गोआ को पुर्तगालियों ने गुलाम बना रखा था। उसकी मुक्ति के लिए १५ अगस्त १६५५ ई० को अनेक सत्याग्रहियों ने गोआ की सीमा पर पहुँचकर पुर्तगालियों की गोलियाँ खाईं। गोआ के अन्दर क्रांतिवीर मोहन रानाडे, सुधीर फड़के तथा अन्य क्रांतिकारियों ने पुर्तगालियों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति छेड़ दी थी। उधर गोआ की जनता भी सालाजार के अत्याचारों से त्रस्त होकर स्वाधीनता के लिए संघर्ष-रत थी।

दिसम्बर १६६१ ई० में सरकार ने गोआ की मुक्ति के लिए सेना को आदेश दिया तथा भारतीय सेना ने पुर्तगाली साम्राज्यवादियों को कुछ ही घंटों में देश छोड़ने को बाध्य कर दिया। गोआ व दमन-दीव पर पुर्तगाली झंडे के स्थान पर तिरंगा फहरा उठा।

सन् १६६२ में डॉ० राजेन्द्रप्रसाद राष्ट्रपति पद से निवृत्त हुए। उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉ० राधाकृष्णन् ने मई १६६२ ई० में राष्ट्रपति पद ग्रहण किया।

चीन का आक्रमण : भारत स्वाधीनता के बाद तेजी के साथ विकास की ओर अग्रसर हो रहा था। देश के विकास के लिए नई-नई परियोजनाएँ चालू थीं तथा कृषि, उद्योग व अन्य क्षेत्रों में वह आशातीत-प्रगति कर रहा था। चीन से यह प्रगति सहन न हुई और उसने प्रगति को अवरुद्ध करने की दृष्टि से भारत को धमकियाँ देना आरम्भ कर दिया। २० अक्तूबर १६६२ ई० को चीन ने अचानक उत्तरी सीमांत पर आक्रमण कर दिया। देश ने एक होकर चीनी आक्रमण का मुकावला किया। भारतीय सैनिकों ने चीनियों से चप्पे-चप्पे की रक्षा के लिए संघर्ष किया। अन्त में चीन को विश्व का जनमत देखकर युद्ध बंद करना पड़ा।

नागालैंड : नागाप्रदेश के विद्रोही नागाओं ने चीन व पाकिस्तान के संकेत पर विध्वंसात्मक कार्रवाइयाँ जारी कीं। नागाओं को अधिक सुविधाएँ प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने सन् १६६३ में 'नागालैंड' को भारत का १६वां राज्य घोषित कर दिया।

नेहरूजी का निधन : २७ मई १६६४ ई० को प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का अचानक निधन हो गया। समस्त देश में उनके निधन से शोक की लहर दौड़ गई। श्री लाल बहादुर शास्त्री उनके स्थान पर प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। शास्त्रीजी ने बड़ी कुशलता के साथ देश को प्रगति की ओर अग्रसर करने में योग दिया। उन्होंने 'कृषि-क्रांति' को मुख्य लक्ष्य बनाया तथा देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की।

शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत का गौरव

अगस्त १६६५ में पाकिस्तान ने काश्मीर में घुसपैठिये भेज कर उस पर बलात् अधिकार करने का षड्यन्त्र रचा। भारतीय सैनिकों ने इस षड्यंत्र को असफल कर दिया। पाकिस्तान के नापाक इरादों को धूल में मिलाने के लिए प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने भारतीय सेना को लाहौर की ओर कूच करने का आदेश दिया। सेना ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान के मद को चूर किया तथा उसके काफी भू-भाग पर अपना अधिकार कर लिया। शास्त्रीजी ने देश को **'जय जवान—जय किसान'** का नारा दिया। अल्पकाल में ही उस विजय ने शास्त्री जी के प्रति भारतीय जनता के हृदय में अपार श्रद्धा की भावना भर दी।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

रूस ने मध्यस्थता करके ताशकन्द में जनवरी १९६६ में समझौता बैठक का अयोजन किया। श्री लालबहादुर शास्त्री ने ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए किन्तु अचानक १० जनवरी १९६६ ई० को ताशकन्द में ही उनका निधन हो गया।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी

शास्त्री जी के निधन के बाद सन् १९६६ ई० में श्रीमती इन्दिरा गांधी स्वतंत्र भारत की तीसरी प्रधानमंत्री निर्वाचित हुईं। श्री मोरारजी देसाई उप-प्रधानमंत्री चुने गए।

सन् १९६७ ई० के चतुर्थ महानिर्वाचन में कांग्रेस पहली बार ६ राज्यों में बहुमत प्राप्त करने में असफल रही। इस निर्वाचन के बाद दल-बदल की प्रवृत्ति इतनी तेजी से बढ़ी कि समस्त देश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण व्याप्त हो गया। अनेक विधानसभा सदस्यों ने एक-एक दिन में दो-दो दल बदल कर कठिनाइयाँ उत्पन्न कर दीं। कई राज्यों में एक के बाद एक सरकारें गिरीं और नई बनीं, किन्तु वह भी स्थिर न रह सकीं। अन्त में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। फरवरी १९६९ में बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब वं पश्चिमी बंगाल में मध्यावधि चुनाव हुए। इनमें भी कांग्रेस को किसी भी राज्य में स्पष्ट बहुमत न मिल सका तथा पंजाब व बंगाल में संयुक्त दलों की सरकारें बन गईं जबकि उत्तर प्रदेश तथा बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाने में सफल हुई।

कांग्रेस का विघटन

१९६९ में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्री मोरारजी देसाई, कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा, श्री के० कामराज तथा अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध ही षड्यंत्र रचना प्रारम्भ कर दिया। वे कांग्रेस में केवल दब्बू व पिछलग्गू किस्म के व्यक्तियों को ही रहने देना चाहती थीं। इसी बीच राष्ट्रपति पद का प्रश्न आया तो श्रीमती गांधी ने स्वयं श्री नीलम संजीव रेड्डी का नाम प्रस्तुत किया किन्तु बाद में **'आत्मा की आवाज'** के नाम पर वे श्री रेड्डी को पराजित कराने के लिए डट गईं। उन्होंने श्री गिरि का समर्थन किया।

सितम्बर १९६९ में कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा ने श्रीमती गांधी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। श्रीमती गांधी ने अलग कांग्रेस बना ली तथा उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को **'प्रतिक्रियावादी'** आदि कहना शुरू कर दिया। इस प्रकार 'नई कांग्रेस' व 'संगठन कांग्रेस' दो दल बन गए।

श्री मोरारजी देसाई, श्री निजलिंगप्पा, श्री के० कामराज, श्री चन्द्रभानु गुप्त तथा श्री अशोक मेहता आदि पुराने व वरिष्ठ नेता संगठन कांग्रेस में शामिल हो गए।

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी व उनके मन्त्रिमंडल ने लोकसभा के मध्यावधि चुनाव का निर्णय लिया तथा फरवरी १९७१ में चुनाव सम्पन्न हुए जिसमें सत्ता कांग्रेस को आशातीत सफलता प्राप्त हुई तथा भारी बहुमत से श्रीमती गांधी पुनः प्रधानमंत्री निर्वाचित हुईं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

72,N61 15269

बंगलादेश का निर्माण

३ दिसम्बर १९७१ को अचानक पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हवाई आक्रमण कर दिया। भारत ने आक्रमण का जोरदार जवाब दिया तथा पूर्वी सीमा पर बंगला देश की मुक्तिवाहिनी को सहयोग देते हुए भारतीय सेना बंगला देश को पाकिस्तान के खूनी पंजों से मुक्त कराने के लिए आगे बढ़ी।

भारतीय सेना ने दोनों क्षेत्रों में पाकिस्तानी आक्रमणकारी सेना के दांत खट्टे कर दिए। समस्त देश एक होकर देश की सुरक्षा के लिए खड़ा हो गया।

१६ दिसम्बर को ढाका पर अधिकार होते ही भारत ने युद्धविराम की घोषणा कर दी। लगभग एक लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पाकिस्तान की भारी पराजय ने राष्ट्रपति याह्या खाँ को सत्ता से हटने को बाध्य किया। नये राष्ट्रपति श्री भुट्टो ने भारत से समझौते की पेशकश की और २८ जून को श्री भुट्टो समझौते के लिए शिमला पहुंचे। तीन जुलाई को एक समझौते पर प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा श्री भुट्टो ने हस्ताक्षर किये। समझौते के बाद श्री भुट्टो व पाकिस्तान ने पुनः अपना रवैया बदलना प्रारम्भ कर दिया, जिससे समझौते के कार्यान्वयन में बाधाएं आईं किन्तु भारत ने समझौते के प्रति रुचि ली। अन्त में अजीज अहमद के नेतृत्व में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल १७ अगस्त १९७३ को दिल्ली आया तथा १० दिन की वार्ता के बाद २७ अगस्त को दोनों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने पाकिस्तानी युद्धबन्दी लौटा कर सद्भावना का परिचय दिया।

श्रीमती गांधी : तानाशाही का अंत

श्रीमती इंदिरा गांधी १९७१ की जीत से मदोन्मत्त होकर तानाशाही की ओर बढ़ने लगीं।

श्रीमती गांधी ने अपने पुत्र संजय गांधी को अपना उत्तराधिकारी बनाने का सुनियोजित षड्यंत्र शुरू कर दिया।

श्री राजनारायण ने श्रीमती गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव में अनियमितताएं बरतने के आरोप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मामला दायर कर दिया। उन्होंने इस बात के ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए कि श्रीमती गांधी ने चुनाव में भ्रष्ट तरीके अपनाए। १२ जून १९७५ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जगमोहनलाल सिन्हा ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए श्रीमती गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया।

श्रीमती गांधी का नैतिक कर्तव्य था कि वे प्रधानमंत्री पद से तुरन्त त्यागपत्र देकर आदर्श उपस्थित करतीं। परन्तु उन्होंने दुस्साहसपूर्वक सत्ता पर अधिकार रखने का षड्यन्त्र रच लिया। श्रीमती गांधी, तथा संजय गांधी आदि ने अन्दर ही अन्दर देश को तानाशाही में जकड़ डालने की योजना बना ली।

जनसंघ, संगठन कांग्रेस, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी आदि प्रमुख राजनीतिक दलों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी से अविलम्ब त्यागपत्र देने की मांग की। लोकनायक

❁ मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय ❁
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri
आगत क्रमांक......1262.........

श्री जयप्रकाशनारायण के नेतृत्व में श्री मोरारजी देसाई, श्री अटल विहारी वाजपेयी, चौधरी चरणसिंह आदि नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर श्रीमती गांधी का त्यागपत्र लेने की मांग की। तमाम देश में यह मांग की जाने लगी कि श्रीमती गांधी अपने पद से तुरन्त त्यागपत्र दें।

श्रीमती गांधी व उनके साथियों ने गुप्त रूप से देश को तानाशाही में जकड़ने का षड्यन्त्र रच डाला। २५ जून १९७५ की आधी रात को 'इमर्जेंसी' घोषित कर श्री जयप्रकाश नारायण, श्री मोरारजी देसाई, चौ० चरणसिंह, श्री अटल विहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी आदि शीर्षस्थ नेताओं को गिरफ्तार कर जेलों में ठूंस दिया गया। पहले ही दिन देशभर से हजारों व्यक्ति गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिए गए।

श्रीमती गांधी यह जानती थीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर्वाधिक प्रभावी संगठन है। कांग्रेसियों व कम्युनिस्टों की निगाह में यह संगठन कांटा वना हुआ था। अतः ४ जुलाई को संघ पर प्रतिवंध लगाकर उसके कई हजार कार्यकर्ताओं को वन्दी वना लिया गया। श्री वालासाहव देवरस आदि को गिरफ्तार किया गया।

श्री नानाजी देशमुख तथा संघ के हजारों कार्यकताओं ने भूमिगत रहकर तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। जार्ज फर्नान्डीस ने भी गुप्तरूप से देशभर का दौराकर जागृति पैदा की। श्री सुब्रह्मण्यम् स्वामी ने गुप्त रूप से विदेश जाकर संसार भर में इस तानाशाही के विरुद्ध वातावरण वनाया।

सरकार ने सेंसर लगाकर जहां 'प्रेस' का गला घोट डाला वहां देश की चारों प्रमुख समाचार समितियों पर भी अपना अधिकार कर लिया।

श्रीमती गांधी ने जहां 'बीस सूत्री कार्यक्रम' की घोषणा की वहां संजय गांधी ने अलगसे पांच सूत्री कार्यक्रम घोषित कर दिया। इन कार्यक्रमों का देशभर में ढिंढोरा पीटकर जनता का ध्यान तानाशाही से हटाने का प्रयास किया जाने लगा। किन्तु जनता में अन्दर ही अन्दर 'तानाशाही' की घुटन से आक्रोश वढ़ने लगा। 'नसबन्दी' के नाम पर संजय गांधी तथा उनके कठपुतली मुख्यमंत्रियों एवं अधिकारियों ने जनता पर मनमाने अत्याचार शुरू कर दिए। पूरे डेढ़ वर्षों तक जहाँ लाखों व्यक्ति जेलों में यातनाएं सहन करते रहे वहाँ करोड़ों भारतवासी वाहर रहकर तानाशाही की जकड़न में साँस लेते रहे।

अंत में तानाशाही के अंतिम दिन नजदीक आते गए। जनवरी १९७७ में श्रीमती गांधी ने लोकसभा के चुनाव कराने की घोषणा कर दी।

श्री जयप्रकाशनारायण तो पहले ही 'मृत्यु के कगार' पर समझकर जेल से रिहा किए जा चुके थे अन्य प्रमुख नेता भी रिहा कर दिए गए। जयप्रकाशजी के आह्वान पर सभी विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर 'जनता पार्टी' का गठन कर लिया। चुनाव में 'जनता पार्टी' ने न केवल कांग्रेस को बुरी तरह हराया अपितु प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी तथा उनके पुत्र संजय गांधी को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। सबसे वड़ी वात तो यह हुई कि उत्तर प्रदेश, विहार, राजस्थान तथा हरियाणा में तो कांग्रेस को एक भी सीट

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

नहीं मिली। मध्यप्रदेश में उसका एक प्रत्याशी ही विजयी हुआ। इस प्रकार श्रीमती इन्दिरा गांधी के तानाशाह बनने का स्वप्न चकनाचूर हो गया।

श्री मोरारजी देसाई

वयोवृद्ध गांधीवादी नेता श्री मोरारजी देसाई २४ मार्च १९७७ को भारत के चौथे प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। उन्होंने सबसे पहली घोषणा यही की कि "अब कोई तानाशाही का शिकार नहीं होगा तथा किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार नहीं छीने जाएंगे।"

मोरारजी भाई ने महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलते हुए देश को 'आदर्श शासन' देने की घोषणा की। इस प्रकार भारत ने 'दूसरी आजादी' प्राप्त कर नए युग में प्रवेश किया।

जनता पार्टी में विघटन हो जाने के परिणामस्वरूप १५ जुलाई १९७९ को श्री मोरारजी देसाई को पद तथा मंत्रिमंडल का त्यागपत्र देना पड़ा।

भारतीय इतिहास का तिथि-क्रम

ईसा पूर्व

३१०२	महाभारत युद्ध का अन्त एवं कलियुग सम्वत् का आरम्भ ; परीक्षित का राज्याभिषेक
२७००	वर्प में पाई गई सिन्धु घाटी मुद्राओं की तिथि
१३७५	वैदिक देवताओं का उल्लेख करने वाले बोगज कुई अभिलेख की तिथि
८१७	जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म-काल
५४४	बुद्ध-निर्वाण की तिथि, लंका की परम्परा के अनुसार
५२६	महावीर-निर्वाण के सम्वत् का आरम्भ, जैन परम्परा के अनुसार
३२७-२६	सिकन्दर का आक्रमण
३२४	मौर्य साम्राज्य की स्थापना

ईसा पश्चात्

७८	शक सम्वत् का आरम्भ
२४८	त्रैकूटक कलचुरि सम्वत् का आरम्भ
३२०	गुप्त साम्राज्य का उदय एवं गुप्त सम्वत् का आरम्भ
३८८	शक शासन का भारत में अन्त
६०६	हर्षवर्धन का राज्याभिषेक
६०९	पुलकेशिन का राज्याभिषेक
६२०	चीनी यात्री ह्वेनत्सांग की भारत यात्रा
७११	सिन्ध पर मुहम्मद बिन कासिम का आक्रमण
७१२	दाहर की पराजय एवं मृत्यु, सिन्ध पर अरबों का अधिकार
७५३	राष्ट्रकूट वंश का उदय

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

८१५ नागभट् (प्रतिहार) द्वारा अरबों पर आक्रमण
८३८ भोज प्रतिहार का कन्नौज की गद्दी पर अभिषेक
८७५ पश्चिमी अफगानिस्तान पर मुस्लिम आधिपत्य
१००१ शाही राजा जयपाल महमूद गजनवी द्वारा पराजित
१०२६ सारनाथ के मन्दिर पर महमूद गजनवी का आक्रमण
११९१ तराइन का प्रमुख युद्ध, मुहम्मद गोरी की पराजय
११९२ तराइन का द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज चौहान की पराजय, दिल्ली पर मुस्लिम अधिकार
११९४ कन्नौज के राजा जयचन्द्र की पराजय व मृत्यु
१२०० इख्तियार खिलजी द्वारा बंगाल पर अधिकार
१२९२ अलाउद्दीन खिलजी का भेलसा (विदिशा) पर अधिकार
१२९४ अलाउद्दीन द्वारा देवगिरि की लूट
१२९७ गुजरात पर मुस्लिम आधिपत्य
१३०१ रणथम्भौर पर खिलजी की विजय
१३०२-१३०३ चित्तौड़ की विजय
१३०६-१३१० मलिक काफूर के दक्षिण भारत पर हमलें
१३२१-१३२३ वारंगल पर मुहम्मद-बिन तुगलक के धावे
१३२७ मुहम्मद-बिन तुगलक की राजधानी दिल्ली से देवगिरि (दौलताबाद) को
१३३६ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
१४६९ गुरु नानक का जन्म
१४९८ वास्कोडिगामा भारतीय तट पर
१५१० गोआ पर पुर्तगालियों का अधिकार
१५२६ पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर की लोदी पर विजय
१५२७ खनुआ का युद्ध, बाबर से राणा सांगा पराजित
१५२९-१५३० विजय नगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय की मृत्यु
१५३३ चित्तौड़ पर गुजरात के बहादुर शाह का अधिकार
१५३८ गुरु नानक का निधन
१५४० हुमायूं शेरशाह सूरी से हारा
१५५५ हुमायूं का दिल्ली पर पुनः अधिकार
१५५६ पानीपत का द्वितीय युद्ध : हेमचन्द्र विक्रमादित्य अकबर से पराजित
१५६५ तालीकोट्टा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त
१५६८ हल्दीघाटी की लड़ाई
१५६९ रणथम्भौर और कालिंजर का पतन
१५८२ उड़ीसा पर मुस्लिम अधिकार
१५९७ राणा प्रताप की मृत्यु
१६०६ गुरु अर्जुनदेव का बलिदान
१६०९ पहली डच फैक्टरी की पुलीकट में स्थापना

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१६१२ पहली अंग्रेज फैक्टरी की सूरत में स्थापना
१६३४ अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार की अनुमति
१६४६ शिवाजी का तोरण दुर्ग पर अधिकार
१६५६ शिवाजी का जावली पर अधिकार
१६५९ शिवाजी द्वारा अफजल खां का वध
१६६४ शिवाजी का सूरत पर पहला धावा
१६६६ शिवाजी की आगरा में गिरफ्तारी और पलायन
१६६८ औरंगजेब द्वारा मन्दिरों के विध्वंस की आज्ञा
१६६९ मथुरा के निकट जाटों का विद्रोह
१६७० सूरत पर शिवाजी का दूसरा धावा
१६७२ सतनामी विद्रोह
१६७४ शिवाजी द्वारा हिन्दू पदपादशाही की स्थापना
१६७५ गुरु तेग बहादुर का बलिदान
१६७९ जजिया कर पुनः लागू
१६८० शिवाजी की मृत्यु
१६८१ औरंगजेब का दक्षिण को प्रस्थान
१६८६ बीजापुर राज्य का पतन
१६८७ गोलकुण्डा राज्य का पतन
१६९० सम्भाजी की हत्या
१७०७ औरंगजेब की दक्षिण में मृत्यु
१७०८ शाहू मराठों का राजा बना, गुरु गोविन्दसिंह की दक्षिण में मृत्यु
१७१६ बन्दा बैरागी की हत्या
१७१७ जजिया पुनः लागू
१७३५ मालवा पर मराठों का अधिकार
१७४७ अहमदशाह अब्दाली का पहला आक्रमण
१७५७ दिल्ली और मथुरा पर अब्दाली के हमले, प्लासी की लड़ाई, बंगाल में अंग्रेजों के पैर जमे
१७५८ पंजाब पर मराठों का कब्जा, अटक पर भगवाध्वज फहराया
१७६१ पानीपत का तृतीय युद्ध, अब्दाली से मराठों की हार, कर्नाटक में हैदर अली का उदय, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को खदेड़ा
१७६४ बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत
१७७० बंगाल में भीषण अकाल, सन्यासी विद्रोह
१७७२ मराठों ने मुगल सम्राट् शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया
१७७५ राजा नन्दकुमार को अंग्रेजों द्वारा फांसी
१७७५-१७८२ प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध
१७८१ काशी के राजा चेतसिंह को गद्दी से उतारा गया
१७९२ महाराजा रणजीतसिंह गद्दी पर बैठे

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१७९९	टीपू की पराजय और मृत्यु, मैसूर की स्वतंत्रता का अन्त
१८१८	मराठा साम्राज्य का अन्त
१८३५	अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली के पक्ष में निर्णय
१८३९	महाराजा रणजीतसिंह की मृत्यु
१८३९-१८४२	प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजों की पराजय
१८४३	सिन्ध की स्वाधीनता का अपहरण
१८४५	पंजाब की स्वाधीनता का अन्त
१८५३	पहली रेलवे एवं टेलिग्राफ लाइन
१८५५	सन्थाल विद्रोह
१८५७	प्रथम स्वातंत्र्य समर
१८५८	ईस्ट इण्डिया कम्पनी की जगह सम्राट् का सीधा शासन ; झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान
१८६५	उड़ीसा में अकाल; यूरोप से टेलीग्राफ सम्बन्ध प्रारम्भ
१८७४	बिहार में अकाल; आर्य समाज की स्थापना
१८७६	भारतीय जनता का निरस्त्रीकरण
१८७९-१८८०	वासुदेव बलवन्त फड़के का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह
१८८३	आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती का निधन
१८८५	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म
१८९१	मणिपुर विद्रोह
१८९३	विवेकानन्द का शिकागो-वक्तृत्व; अरविन्द घोष का भारत को प्रस्थान
१९०५	प्रथम वंग-भंग
१९०६	मुस्लिम लीग का जन्म; सूरत कांग्रेस भंग; तिलक माण्डले जेल को
१९०९	मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व मिला
१९११	वंग-भंग वापस; वीर सावरकर को दो आजन्म कारावास की सजा
१९१२	राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को
१९१४-१९१५	प्रथम विश्वयुद्ध
१९१५	गांधीजी का भारत-आगमन
१९१६	हिन्दू-मुस्लिम लखनऊ-समझौता
१९१९	जलियांवाला बाग काण्ड
१९२०	खिलाफत व असहयोग आन्दोलन; तिलक की मृत्यु; कांग्रेस का नेतृत्व गांधीजी के हाथों में
१९२१	मोपला विद्रोह
१९२५	राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना; स्वामी श्रद्धानन्द का बलिदान
१९२७	साइमन कमीशन ; लाला लाजपतराय की लाठी-प्रहारों से मृत्यु
१९२८	पण्डित मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ; गाँधी जी की एक वर्ष में स्वराज्य लाने की घोषणा

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१९२९	भगतसिंह ने असेम्बली में बम फेंका; यतीन्द्रनाथदास की भूख-हड़ताल से जेल में मृत्यु; कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाराज्य के लक्ष्य की घोषणा
१९३०	(२६ जनवरी) स्वाधीनता दिवस मनाया गया
१९३०	गांधीजी का डांडी मार्च; नमक सत्याग्रह
१९३५	नया भारत सरकार एक्ट : संघीय संविधान का जन्म ; राज्यों में उत्तरदायी शासन
१९३७-१९३९	सात राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल
१९३९	द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ ; त्रिपुरा कांग्रेस में सुभाषचन्द्र बोस का अध्यक्ष-पद से त्यागपत्र
१९४०	सुभाषचन्द्र बोस की गिरफ्तारी ; कांग्रेस का व्यक्तिगत सत्याग्रह
१९४१	सुभाषचन्द्र बोस का भारत से पलायन ; जापान युद्ध में सम्मिलित ; विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर का निधन
१९४२	'भारत छोड़ो' आन्दोलन
१९४३	सुभाषचन्द्र बोस जापान में ; आजाद हिन्द सेना का गठन
१९४५	द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त ; शिमला सम्मेलन
१९४६	जलसेना में विद्रोह ; कैबिनेट मिशन का आगमन ; अन्तरिम सरकार ; मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन ; भयंकर रक्तपात
१९४७	लार्ड माउण्टबेटन का आगमन ; भारत का विभाजन एवं स्वाधीनता-प्राप्ति; पाकिस्तानी कबाइलियों का कश्मीर पर आक्रमण
१९४८	महात्मा गाँधी की हत्या (३० जनवरी)
१९५०	गणतन्त्रात्मक संविधान लागू ; अरविन्द घोष का निधन
१९५३	डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी का कश्मीर में निधन
१९६१	गोआ पुर्तगाली गुलामी से मुक्त
१९६२	चीन का भारत पर आक्रमण
१९६४	प्रधानमन्त्री श्री नेहरू का निधन (२७ मई)
१९६५	पाकिस्तान का आक्रमण व भारत की विजय
१९६६	प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री का ताशकन्द में निधन
१९६९	राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन का निधन ; श्री बराह गिरि व्यंकट गिरि राष्ट्रपति निर्वाचित ; बैंकों का राष्ट्रीयकरण
१९७०	असम के अन्तर्गत मेघालय उपराज्य की स्थापना एवं केन्द्र शासित हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा ; प्रिविपर्स एवं विशेषाधिकार उन्मूलन प्रस्ताव लोकसभा में पारित, परन्तु राज्यसभा में पारित न हो सका
१९७१	लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में नई कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त ; बंगलादेश में पाकिस्तानी सेना के भीषण नरसंहार के परिणामस्वरूप एक करोड़ विस्थापित भारत में

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१९७१ ३ दिसम्बर को पाकिस्तान का भारत पर खुला आक्रमण ; १४ दिनों के युद्ध में बंगला देश पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त ;
१६ दिसम्बर को ढाका में भारतीय सेना के समक्ष जनरल नियाजी के नेतृत्व में ९३ हजार पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा आत्मसमर्पण

१९७२ शिमला में भुट्टो-इन्दिरा समझौता-वार्ता सम्पन्न

१९७३ भारत द्वारा पाकिस्तानी युद्ध वन्दियों की रिहाई

१९७४ १८ मई को भारत ने अपना पहला सफल आणविक परीक्षण पोखरण (राजस्थान) में किया

१९७५ २६ जून को आपात-स्थिति लागू ; श्री जयप्रकाश नारायण, श्री मोरारजी देसाई, श्री अटलविहारी वाजपेयी, श्री चरणसिंह, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री मधु लिमये आदि वरिष्ठ नेता गिरफ्तार
४ जुलाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि संगठनों पर प्रतिबंध की घोषणा ; श्री वालासाहब देवरस आदि गिरफ्तार।

१९७६ १० सितम्बर को इंडियन एयरलाइन्स का बोइंग ३७३ विमान अपहृत कर लाहौर ले जाया गया ; संसद में ४२वाँ संविधान संशोधन विधेयक स्वीकृत ; लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष वढ़ाए जाने का विधेयक स्वीकृत

१९७७ लोकसभा चुनाव की घोषणा ; राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीनअली अहमद का निधन ; श्री जगजीवन राम तथा अन्य काँग्रेसी नेताओं द्वारा काँग्रेस से त्यागपत्र
मार्च में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह पराजय ; श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता सरकार का गठन ; श्री नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति निर्वाचित ; श्रीमती इन्दिरा गाँधी आदि द्वारा इमर्जेंसी के दौरान कराई गयी ज्यादतियों की जांच के लिए शाह आयोग का गठन ;

१९७८ जनता सरकार द्वारा 'मीसा' रद्द ; काँग्रेस का पुनः विघटन ; इन्दिरा गांधी के विरुद्ध श्री चह्वाण आदि का खुला विद्रोह ; श्रीमती गाँधी तथा संजय गांधी गिरफ्तार ; शाह आयोग ने श्रीमती गाँधी आदि को दोषी करार दिया

१९७९ इमर्जेंसी की ज्यादतियों के निर्णय के लिये संसद द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन

१९७९ ७ जून को दूसरा उपग्रह 'भास्कर' छोड़ा गया।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

प्राचीन साहित्य

वैदिक संहिता

भारत का सबसे प्राचीन साहित्य वेद है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद मुख्यतया पद्य में हैं यद्यपि उनमें गद्य भाग भी विद्यमान है। वैदिक पद्य को 'ऋग्' या 'ऋचा' कहते हैं। वैदिक गद्य को 'यजुष्' कहा जाता है और वेदों में जो गीतात्मक (छंदरूप) पद्य हैं, उन्हें 'साम' कहते हैं। प्राचीन समय में वेदों को 'त्रयी' भी कहते थे। ऋचा, यजुष् और साम, इन तीन प्रकार के पदों में होने के कारण ही वेद की 'त्रयी' संज्ञा भी थी। पर वैदिक मंत्रों का संकलन जिस रूप में आजकल उपलब्ध होता है, उसे 'संहिता' कहते हैं। विविध ऋषि वंशों में जो श्रुति द्वारा मंत्र चले आते थे, बाद में उनका संकलन व संग्रह किया गया। इस कार्य का प्रधान श्रेय मुनि वेदव्यास को है। वेदव्यास ने वैदिक सूक्तों का संहिता-रूप में संग्रह किया। उनके द्वारा संकलित वैदिक संहिताएं चार हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।

ऋग्वेद में कुल मिलाकर १०१७ सूक्त हैं। यदि ११ बाल-खिल्य सूक्तों को भी इनके अंतर्गत कर लिया जाय, तो ऋग्वेद के कुल सूक्तों की संख्या १०२८ हो जाती है। संभवतः ये बालखिल्य सूक्त परिशिष्ट रूप में हैं और बाद में जोड़े गए हैं। यही कारण है कि अनेक विद्वान इन्हें ऋग्वेद का अंग नहीं मानते और इस वेद की कुल सूक्त संख्या १०१७ समझते हैं। ये १०१७ या १०२८ सूक्त १८ मण्डलों में विभक्त हैं। वेद के प्रत्येक सूक्त व ऋचा (मंत्र) के साथ उसके 'ऋषि' और 'देवता' का नाम दिया गया है। ऋषि का अर्थ है, मंत्रद्रष्टा या मंत्र का दर्शन करने वाला। यजुर्वेद के दो प्रधान रूप इस समय मिलते हैं, शुक्ल-यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं जिसकी दो शाखाएं उपलब्ध हैं—कण्व और माध्यंन्दिनीय। कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएं प्राप्त होती हैं—काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रेयी संहिता और तैत्तरीय संहिता।

सामवेद की तीन शाखाएं इस समय मिलती हैं—कौथुम शाखा, राणायनीय शाखा और जैमनीय शाखा। पुराणों में तो सामवेद की सहस्र शाखाओं का उल्लेख है। सामवेद के दो भाग हैं—पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। दोनों भागों को मिलाकर मंत्र-संख्या १८१० है। इसमें अनेक मंत्र ऐसे भी हैं, जो एक से अधिक बार आये हैं। यदि इन्हें अलग कर दिया जाय, तो सामवेद के मंत्रों की कुल संख्या १५४९ रह जाती है। इनमें से भी १४७४

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मंत्र ऐसे हैं, जो ऋग्वेद में भी पाये जाते हैं। इस् प्रकार सामवेद के अपने मंत्रों की संख्या केवल ७५ रह जाती है। सामरूप में ऋचाएं वैदिक ऋषियों द्वारा संगीत के लिए प्रयुक्त होती थीं। अथर्ववेद की दो शाखाएँ इस समय मिलती हैं—शौनक और पिप्पलाद। अथर्ववेद में कुल मिलाकर २० काण्ड और ७३२ सूक्त हैं। सूक्तों में मंत्रों को यदि गिना जाय, तो उनकी संख्या ६००० के लगभग पहुंच जाती है। इनमें से भी बहुत से मंत्र ऐसे हैं, जो ऋग्वेद में भी पाये जाते हैं।

वैदिक साहित्य में चार वैदिक संहिताओं के अतिरिक्त ब्राह्मण-ग्रन्थों को भी सम्मिलित किया जाता है। इन ब्राह्मण-ग्रन्थों में उन अनुष्ठानों का विशद रूप से वर्णन है, जिनमें वैदिक मंत्रों को प्रयुक्त किया जाता है। अनुष्ठानों के अतिरिक्त इनमें वेद मंत्रों के अभिप्राय व विनियोग की विधि का भी वर्णन है। प्रत्येक ब्राह्मण-ग्रन्थ का किसी वेद के साथ संबंध है और उसे उसी वेद का ब्राह्मण माना जाता है। ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण-ग्रन्थ ऐतरेय है। ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण-ग्रन्थ कौशीतकी या सांख्यायन है। कृष्ण-यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ है, जो अत्यंत विशाल ग्रन्थ है। इसमें कुल मिलाकर सौ अध्याय हैं, जिन्हें चौदह कांडों में विभक्त किया गया है। सामवेद के तीन ब्राह्मण हैं—तांड्य महाब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। अनेक विद्वानों के अनुसार ये तीनों ब्राह्मण अन्य ब्राह्मण-ग्रन्थों की अपेक्षा प्राचीन हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ है।

वैदिक ऋषि आध्यात्मिक, दार्शनिक व पारलौकिक विषयों का भी चिंतन किया करते थे। आत्मा क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, सृष्टि किन तत्वों से बनी है, इस सृष्टि का कर्त्ता व नियामक कौन है, जड़ प्रकृति से भिन्न जो चेतन सत्ता है उसका क्या स्वरूप है—इस प्रकार के प्रश्नों पर भी वे विचार किया करते थे। इन गूढ़ विषयों का चिंतन करने वाले ऋषि व विचारक प्रायः जंगलों व अरण्यों में निवास करते थे, जहां वे आश्रम बनाकर रहते थे। यहीं उस साहित्य की सृष्टि हुई, जिसे आरण्यक व उपनिषद् कहते हैं। अनेक आरण्यक ब्राह्मण ग्रन्थों के ही भाग हैं। इन ऋषियों ने अरण्य में स्थापित आश्रमों में जिन आरण्यकों व उपनिषदों का विकास किया, उनकी संख्या दो सौ से भी ऊपर है।

ऐतरेय उपनिषद्—यह ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण का एक भाग है। ऋग्वेद के दूसरे ब्राह्मण-ग्रन्थ कौशीतकी ब्राह्मण के अन्त में भी आरण्यक भाग है, जिसे कौशीतकी उपनिषद् कहते हैं।

यजुर्वेद का अन्तिम अध्याय ईशोपनिषद् के रूप में है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण-ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण का अंतिम भाग आरण्यक रूप में है, जिसे बृहदारण्यकोपनिषद् कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण-ग्रन्थों के अन्तर्गत कठोपनिषद्, श्वेताश्वतरोपनिषद्, तैत्तीरीय उपनिषद् और मैत्राणीय उपनिषद् हैं। सामवेद के ब्राह्मण-ग्रन्थों के साथ संबध रखने वाले उपनिषद् केन और छन्दोग्य हैं। अथर्ववेद के साथ मुण्डकोपनिषद्, प्रश्नोपनिषद् और माण्डूक्य उपनिषद् का संबंध है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वेदांग

वैदिक साहित्य के महत्वपूर्ण भाग वे ग्रन्थ भी हैं, जिन्हें 'वेदांग' नाम से जाना जाता है। वेदांग संख्या में छः हैं—शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प।

शिक्षा का अभिप्राय उस शास्त्र से है, जिसमें वर्णों व शब्दों का सही उच्चारण प्रतिपादित किया जाता है। इस शास्त्र के प्राचीन ग्रन्थ प्रातिशाख्य कहे जाते हैं। विभिन्न वैदिक संहिताओं के प्रातिशाख्य निम्नलिखित हैं—(१) शौनक द्वारा रचित ऋग्वेद-प्रातिशाख्य, (२) तैत्तरीय प्रातिशाख्य सूत्र, (३) कात्यायन द्वारा विरचित वाजसनेयी प्रातिशाख्य सूत्र और (४) अथर्ववेद प्रातिशाख्य सूत्र। इन चार प्रमुख प्रातिशाख्यों के अतिरिक्त भारद्वाज, वशिष्ठ, व्यास, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों द्वारा रचित अन्य प्रातिशाख्य ग्रन्थ भी हैं। इन सबमें वेद-मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण के ढंग का प्रतिपादन किया गया है। प्रातिशाख्य से पूर्व भी शिक्षा-शास्त्र की सत्ता थी। प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार इस शास्त्र का प्रारम्भ वाभ्रव्य ऋषि द्वारा हुआ था।

वेदों को भली प्रकार से समझने के लिए व्याकरण शास्त्र बहुत उपयोगी है। संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ पाणिनीय अष्टाध्यायी है, जिसे पाणिनि मुनि ने वनाया था। किन्तु पाणिनि अष्टाध्यायी वेदांग के अन्तर्गत नहीं है, क्योंकि उसमें प्रधान तथा लौकिक संस्कृत-भाषा का व्याकरण दिया गया है। वेद या छन्दस् भाषा के नियम उसमें अपवाद रूप से ही दिये गए हैं। अष्टाध्यायी के रूप में संस्कृत-व्याकरण अपने विकास व पूर्णता की चरम सीमा को पहुंच गया था। चन्द्र, इन्द्र आदि अनेक प्राचीन वैयाकरणों के ग्रन्थों की सत्ता के प्रमाण प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। यास्क के निरुक्त में शाकपूणि नामक एक आचार्य का उल्लेख आता है, जो व्याकरण शास्त्र का वड़ा आचार्य था।

निरुक्त शास्त्र भी एक वेदांग है, जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति या निरुक्ति का प्रतिपादन किया गया है। यास्काचार्य का निरुक्त इस शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रन्थ है। ज्योतिष-शास्त्र भी छः वेदांगों में से एक है। वाद में इस शास्त्र का भारत में बहुत विकास हुआ और आर्यभट्ट, वराहमिहिर आदि अनेक ऐसे आचार्य हुए, जिन्होंने इस विद्या को बहुत उन्नत किया, पर प्राचीन युग का केवल एक ग्रन्थ इस समय मिलता है जिसका नाम 'ज्योतिषवेदांग' है।

वैदिक साहित्य के पश्चात् सूत्र-साहित्य प्रारम्भ होता है। सूत्रों के तीन विभाग हैं —(१) कल्पसूत्र, (२) गृह्यसूत्र, और (३) धर्मसूत्र। कल्पसूत्रों में वैदिक यज्ञों का शास्त्रीय ढंग से वर्गीकरण और वर्णन किया गया है। गृह्यसूत्र में गृहस्थ से सम्बन्ध रखने वाले संस्कारों, कर्मकाण्ड और यज्ञों का विधान है।

वर्तमान समय में जो सूत्र ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उनमें अधिक महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं—गौतम धर्मसूत्र, बौधायनसूत्र, आपस्तम्वसूत्र, मानवसूत्र, काठकसूत्र, कात्यायन श्रौतसूत्र, पारस्कर गृह्यसूत्र, आश्वालायन श्रौतसूत्र, आश्वालायन गृह्यसूत्र, सांख्यायन श्रौत-

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सूत्र, सांख्यायन गृह्यसूत्र, लाट्यायन श्रौतसूत्र, गोभिल गृह्यसूत्र, कौशिक सूत्र और वैतान श्रौतसूत्र। इन विविध सूत्र-ग्रन्थों के नाम से ही यह बात सूचित होती है कि इनका निर्माण विविध प्रदेशों में और विविध सम्प्रदायों में हुआ है।

सूत्रों के पश्चात् अपने वर्तमान रूप में **रामायण** और **महाभारत**, दो भारतीय महाकाव्य आते हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने अपने नायक भगवान श्री राम के चरित्र के आधार से तत्कालीन राजनीति, समाजनीति, धर्म और दूसरे अन्य विषयों का चित्रण किया है। मूल महाभारत के रचयिता व्यास जी थे। इन दोनों ग्रन्थों के साथ ही पुराणों का उल्लेख करना आवश्यक है। शायद रचना-क्रम में ये अपने मुख्य भागों में महाकाव्यों के ही समकालीन हैं, परन्तु विषय की दृष्टि से भारतीय इतिहास के आदिम काल से लेकर गुप्तकाल तक की सामग्री इनमें संग्रहीत है। परम्परानुसार पुराणों की संख्या अठारह बताई जाती है। वाराह पुराण में पुराणों की नामावली इस क्रम से दी हुई है—ब्रह्म पुराण, पद्मपुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कण्डेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कन्द पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण तथा ब्रह्माण्ड पुराण। वैसे सभी पुराणों का उपयोग किसी-न-किसी रूप में भारतीय इतिहास-रचना के निमित्त होता ही है, किन्तु मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, और अग्नि पुराण का अपेक्षाकृत अधिक महत्व है। पौराणिक परिभाषा के अनुसार इनमें पांच विषय हैं—(१) सर्ग (सृष्टि), (२) प्रतिसर्ग, (३) वंश (देवताओं का,) (४) मन्वन्तर और (५) वंशानुचरित (राजवंशों का क्रमिक इतिहास)।

छः वेदांगों के अतिरिक्त इस युग में चार उपवेदों का भी विकास हुआ। ये उपवेद निम्नलिखित हैं—आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, और गान्धर्ववेद। चिकित्सा ज्ञान आयुर्वेद के अन्तर्गत है। चरक, सुश्रुत आदि आचार्यों ने चिकित्सा-शास्त्र -सम्बन्धी जो ग्रन्थ लिखे थे वे उपलब्ध हैं। इन विद्याओं का उपवेद समझा जाना ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि प्राचीन आर्य केवल याज्ञिक अनुष्ठान और ब्रह्मविद्या का ही चिन्तन नहीं करते थे, अपितु चिकित्सा, युद्ध-विद्या, शिल्प और संगीत आदि लौकिक विषयों का भी अनुशीलन करते थे।

छान्दोग्य

छान्दोग्य उपनिषद् के सप्तम प्रपाठक में महर्षि सनत्कुमार और नारद का संवाद आता है, जिसमें सनत्कुमार के यह पूछने पर कि उन्होंने किन-किन विषयों का अध्ययन किया है नारद ने इस प्रकार उत्तर दिया—"हे भगवन्! मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन किया है, मैंने पंचम वेद इतिहास पुराण को पढ़ा है। मैंने पितृ विद्या, राशिविद्या, (गणित), दैवविद्या, निधि-विद्या (खान सम्बन्धी विद्या), वाक्योवाक्य (तर्कशास्त्र), एकायन (नीति शास्त्र), ब्रह्मविद्या (अध्यात्म-शास्त्र), भूतविद्या, क्षात्र-विद्या (युद्ध शास्त्र), नक्षत्र-विद्या (ज्योतिष), सर्प-विद्या और देवजन विद्या को पढ़ा है।"

अन्य अनेक लौकिक विद्याओं के समान इस युग में दण्ड-नीति या अर्थशास्त्र का भी भली भांति विकास हुआ। महाभारत का शांतिपर्व राजधर्मशास्त्र का अत्यन्त उत्कृष्ट व

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

विशद ग्रन्थ है। इससे उस युग का राजनीति व राजनीतिक विचारों पर बहुत सुन्दर प्रकाश पड़ता है। कौटिलीय अर्थशास्त्र की रचना बौद्धकाल के बाद में हुई, पर उसमें अनेक प्राचीन आचार्यों का उल्लेख मिलता है, जिनकी सम्मति को बार-बार आचार्य चाणक्य ने उद्धृत किया है। इसमें से कतिपय के नाम निम्नलिखित हैं—भारद्वाज, विशालाक्ष, पाराशर, पिशुन, कौणपदन्त, वातव्याधि और बाहुदन्तीपुत्र। इन आचार्यों के अतिरिक्त चाणक्य ने मानव बार्हस्पत्य, औशनस आदि अनेक सम्प्रदायों का उल्लेख किया है, जिनमें दण्डनीति व राजनीति शास्त्र-सम्बन्धी विविध विचारधाराओं का विकास हुआ था।

भारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार छः आस्तिक दर्शन हैं। इनके नाम निम्नलिखित हैं—सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमाँसा और वेदांत। ये छः दर्शन आस्तिक व वेदसम्मत माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त कतिपय अन्य दर्शनों का विकास भी प्राचीन समय में हुआ था, जिन्हें नास्तिक व लोकायत कहा जाता है।

जैन साहित्य

जैन लोगों के धार्मिक साहित्य को हम प्रधानतया छः भागों में विभक्त कर सकते हैं—(१) द्वादश अंग, (२) द्वादश उपांग, (३) दस प्रकीर्ण, (४) षट् छंदसूत्र, (५) चार मूल सूत्र, (६) विविध।

द्वादश अंग : (१) आयारंग सूत्र, (२) सूत्र कृदंग, (३) स्थानांग, (४) समवायांग, (५) भगवती सूत्र, (६) ज्ञानधर्म कथा, (७) उवासगदसाओ, (८) अन्तःकृद्दशा, (९) अनुतरोपपातिक दशा, (१०) प्रश्न-व्याकरण, (११) विपाकश्रुतम, (१२) दृष्टि वाद।

द्वादश उपांग : प्रत्येक अंग का एक-एक उपांग है। इनके नाम निम्नलिखित हैं—(१) औपपातिक, (२) राजप्रश्नीय, (३) जीवाभिगम, (४) प्रज्ञापना, (५) जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, (६) चन्द्रप्रज्ञप्ति, (७) सूर्यप्रज्ञप्ति, (८) निरयावली, (९) कल्पावतंसिका, (१०) पुष्पिका, (११) पुष्पपूलिका, (१२) वृष्णिदशाः।

दस प्रकीर्ण : इनमें जैन धर्म सम्बन्धी विविध विषयों का वर्णन है। इनके नाम निम्नलिखित हैं—(१) चतुःशरण, (२) संस्तारक, (३) आतुरप्रत्याख्यानम, (४) भक्ता परिज्ञा, (५) तन्दुलवैचारिका, (६) चन्द्रवैध्यक, (७) गणिविद्या, (८) देवेन्द्रस्तव, (९) वीरस्तव (१०) महाप्रख्यान।

षट् छंदसूत्र : इन सूत्रों में जैन भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए विविध नियमों का वर्णन करके उन्हें दृष्टान्तों द्वारा स्पष्ट किया गया है। छंदसूत्रों के नाम निम्नलिखित हैं—(१) व्यवसाय सूत्र, (२) वृहत्कल्प सूत्र, (३) दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र, (४) निशीथ सूत्र (५) महानिशीथ सूत्र, (६) जित कल्प सूत्र।

चार मूल सूत्र—इनके नाम निम्नलिखित हैं—(१) उत्तराध्ययन सूत्र, (२) दशवैकालिक सूत्र, (३) आवश्यक सूत्र, (४) ओकनिर्युति सूत्र।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

विविध

इस श्रेणी में बहुत से ग्रन्थ आते हैं, परन्तु उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण नन्दिसूत्र और अनुयोगद्वार हैं। इनमें बहुत प्रकार के विषयों का समावेश है। जैन भिक्षुओं को जिन विषयों का भी परिज्ञान था, वे प्रायः सभी इनमें आ गए हैं।

बौद्ध साहित्य

विनय-पिटक के तीन भाग हैं—(१) सुत्तविभंग, (२) खन्धक और (३) परिवार। सुत्तविभंग दो भागों में विभक्त हैं। भिक्खुविभंग और भिक्खुनीविभंग। खन्धक के अन्तर्गत दो ग्रन्थ हैं—महावग्ग और चल्लुवग्ग। विनयपिटक का सार 'परिवार' है और उसमें प्रश्नोत्तर रूप से बौद्ध भिक्षुओं के नियम व कर्त्तव्य दिये गए हैं। सुत्त-पिटक के अन्तर्गत पांच निकाय हैं—(१) दीर्घ निकाय, (२) मज्झिम निकाय, (३) अंगुत्तर निकाय, (४) संयुक्त निकाय और (५) खुद्दक निकाय। दीर्घ निकाय के तीन खण्ड हैं और उनमें कुल मिलाकर ३४ दीर्घाकार सुत्त या सूक्त हैं। उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध महापरिनिब्बानसुत्त है। मज्झिम निकाय में कुल मिलाकर मध्य आकार के १२५ सुक्त हैं। अंगुत्तर निकाय के कुल सुत्तों की संख्या २३००० है, जिन्हें ११ खण्डों में विभक्त किया गया। संयुक्त निकाय में ५६ सुत्त हैं, जिन्हें पांच वग्गों (वर्गों) में बाँटा गया है। खुद्दकनिकाय के अन्तर्गत १५ विविध ग्रन्थ हैं—जिनके नाम निम्नलिखित हैं—खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिबुतक, सुत्तपिपात, विमानवत्थु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक निद्देस, पटिसंभिदा, अपदान, बुद्धवंस और चरियापिटक। इनमें ५५० के लगभग कथाएं दी गई हैं, जिन्हें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं के रूप में लिखा गया है। अभिधम्म-पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन और अध्यात्म चिन्तन सम्मिलित हैं। इसके अन्तर्गत सात ग्रन्थ हैं—(१) धम्मसंगनि, (२) विभंग, (३) धातु कथा, (४) पुल पंजति, (५) कथावत्थु, (६) यमक और (७) पठ्ठान। बौद्ध धर्म के जिस साहित्य का ऊपर परिचय दिया गया है वह पाली भाषा में है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भारतीय विचारक

महापुरुष एवं समाज-सुधारक

भारत ऋषि-मुनियों एवं महापुरुषों का धर्मप्राण देश है। विभिन्न कालों में अनेक ऋषि-मुनियों, महापुरुषों एवं समाज-सुधारकों ने नास्तिकता एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करके आध्यात्मिकता एवं नैतिकता का प्रचार-प्रसार किया। इन महान् पुरुषों के कारण ही भारत ने 'जगत्गुरु' पद प्राप्त किया।

महर्षि वेदव्यास : ये महर्षि पाराशर के पुत्र थे। उन्होंने वेद-ज्ञान संकलित किया इसलिए 'वेदव्यास' कहलाये। बाद में उन्होंने पुराणों का संकलन किया। 'महाभारत' के रचयिता भी वेदव्यास ही थे। 'वेदांत दर्शन' की भी उन्होंने रचना की।

मनु : मनु ने ही 'मनुस्मृति' के रूप में मानव (व्यक्ति एवं समाज) के लिए प्रथम आचार-विचार संहिता की रचना की। मनु ने महर्षि भृगु से ज्ञान प्राप्त किया था। मनुस्मृति धर्मशास्त्र एवं समाजशास्त्र का मुख्य आधार है।

महर्षि याज्ञवल्क्य : मिथिला में महाराजा विदेह की सभा मे गार्गी से उनका शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने 'शतपथ ब्राह्मण', 'प्रतिज्ञा सूत्र' एवं 'याज्ञवल्क्य स्मृति' की रचना की। उन्होंने व्याकरण, धनुर्वेद तथा आयुर्वेद पर भी कुछ ग्रन्थ लिखे।

आदिकवि वाल्मीकि : "मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः
यत् क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः कमामोहितम्।"

आदिकवि के मुख से उपर्युक्त प्रथम श्लोक व्याध द्वारा क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक के मारे जाने पर निकला। वाल्मीकि प्रारम्भ में लूट-मार व हिंसा करके परिवार का पालन करते थे। एक बार घर वालों के इस उत्तर से कि "लूट आप करते हैं अतः फल भी आप ही भोगें, हम क्यों ?" उनका जीवन बदल गया। वाल्मीकि ने पापों के प्रायश्चित के लिए तपस्या की। वे महर्षि बन गए। तमसा के तट पर उनके आश्रम में श्री राम द्वारा निर्वासिता सीता रहीं और वहीं लव-कुश हुए। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की।

महर्षि पतंजलि : पाणिनि के व्याकरण पर महाभाष्य के अतिरिक्त पतंजलि ने वैद्यक शास्त्र, व्याकरण शास्त्र एवं योगशास्त्र की रचना की। आयुर्वेदशास्त्र के क्षेत्र में

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वही चरक कहलाये। योग व तपस्या के वल पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अथाह ज्ञान प्राप्त किया।

भगवान महावीर : जैन धर्म के २४वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म वज्जि गणराज्य के ज्ञातृक राजकुल में हुआ। ३० वर्ष की आयु में भिक्षु होकर उन्होंने 'केवलि' पद प्राप्त किया तथा धर्म का प्रचार किया। पावापुरी (विहार) में धर्म-प्रचार करते हुए ५२६ ई० पूर्व में उनका निधन हो गया।

गौतम बुद्ध : लुम्बिनी उद्यान में ५६७ ई० पूर्व महाराज शुद्धोदन के घर सिद्धार्थ का जन्म हुआ। अचानक सांसारिक माया के कुछ दृश्य देखकर वे गृहस्थी से विरक्त हो कर भाग निकले। गया में वट वृक्ष के नीचे तपस्या करने के वाद उन्होने 'सम्वोधि' प्राप्त की और तत्-पश्चात् उन्होंने बौद्ध मत की स्थापना की। वे हिंसा व ऊंच-नीच की भावना के प्रवल विरोधी तथा समानता के पोषक थे।

आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य : जिस समय भारत पर बौद्धों का प्रभाव बढ़ रहा था उस समय केरल के एक नम्बूद्रीपाद ब्राह्मण के घर में शंकर ने जन्म लिया। शंकर ने अल्पायु में ही वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन करके सनातनधर्म की रक्षा के लिए नास्तिकों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। उन्होंने समस्त देश की यात्रा की तथा सनातनधर्म की पुनः स्थापना की। आचार्य शंकर ने पुरी, द्वारिका, शृंगेरी एवं बद्रीनाथ में अपने पीठ स्थापित करके एक-एक शिष्य पर देश के चारों कोनों में धर्म-प्रचार का भार सौंपा। उन्होंने अनेक शास्त्रों का भाष्य किया। उनके शास्त्रार्थों से पराजित होकर अनेक बौद्ध विद्वानों ने सनातन धर्म की शरण ग्रहण की। उनके अद्वैतवाद का न केवल भारत अपितु विदेशों में भी भारी प्रभाव पड़ा। आज भी उनके द्वारा स्थापित चारों पीठों पर उनके उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य अधिष्ठित हैं।

श्री रामानुजाचार्य : श्री रामानुजाचार्य का जन्म दक्षिण भारत के तिरुकुनूर ग्राम में हुआ। उन्होंने कांची में विद्या व शास्त्रों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण भारत की यात्रा करके धर्म प्रचार किया। विशिष्टाद्वैत मत का प्रचार किया तथा 'प्रस्थानत्रयी' का भाष्य किया। श्रीरंगम् में श्री रंगनाथ मंदिर का विस्तार कराया। आचार्य रामानुज की परम्परा में अव तक अनेक उच्चकोटि के विद्वान आचार्य होते आए हैं।

श्री मध्वाचार्य : श्री मध्वाचार्य का जन्म विक्रम सम्वत् १२९५ में मद्रास के वेलिलि ग्राम में हुआ था। उनका बचपन का नाम वासुदेव था। ११ वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने सन्यास लेकर धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लिया तथा गीता का भाष्य किया। देश का भ्रमण करके उन्होंने भक्ति की धारा प्रवाहित की। उन्होंने द्वैत मत का प्रचार किया।

श्री निम्बार्काचार्य : गोदावरी के तट पर वैद्यपत्तन के निकट श्री अरुमुनि के घर नियमानन्द का जन्म हुआ। वे ही आगे चलकर निम्बार्काचार्य के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने वेदान्त सूत्रों पर 'वेदांत पारिजात सौरभ' नाम से भाष्य लिखा। श्रीमद्भागवत को प्रमुख धर्मग्रन्थ मानकर उन्होंने देश में द्वैताद्वैत सिद्धान्त का प्रचार किया

श्री वल्लभाचार्य : श्री वल्लभाचार्य का जन्म दक्षिण भारत के एक विद्वान् तैलंग ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने ग्यारह वर्ष की आयु में ही काशी में श्री माधवेन्द्रपुरी

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

नामक शास्त्रज्ञ विद्वान से शास्त्राध्ययन किया। देश की धर्मप्रचार-यात्रा की तथा पंडितों से शास्त्रार्थ किये। उन्होंने शुद्धाद्वैत सिद्धान्त की प्रतिष्ठापना की। वे 'पुष्टि मार्ग' के संस्थापक थे।

श्री रामानन्दाचार्य : मुगलों के समय में पीड़ित हिन्दू जनता में भक्ति की भावना के द्वारा आत्मविश्वास उत्पन्न करने वालों में आचार्य रामानन्द का नाम प्रमुख है। संत कबीरदास ने आचार्य रामानन्द से ही 'राम-नाम' की दीक्षा ली थी। उन्होंने शैवों और वैष्णवों के द्वेष को दूर किया तथा हिन्दू जनता में मुगल शासकों के अत्याचारों का धैर्य-पूर्वक सामना करने की भावना जागृत की। उन्होंने ऊँच-नीच की भावना को अधर्म बताया तथा एकता व समानता का प्रचार किया।

चैतन्य महाप्रभु : उनका जन्म बंगाल के नदिया ग्राम में हुआ था। जन्म का नाम निमाई था। अल्पायु में ही पांडित्य प्राप्त कर लिया तथा तत्पश्चात् भक्ति की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने श्रीमद्भागवत को ही गीता एवं ब्रह्मसूत्र का भाष्य माना। भगवन्न-नाम संकीर्तन को वे मुक्ति का साधन मानते थे।

समर्थगुरु रामदास : औरंगजेब के अत्याचारों से त्रस्त हिन्दू जनता में नवचेतना उत्पन्न करने के लिए महाराष्ट्र में समर्थगुरु रामदास का जन्म हुआ था। बारह वर्ष की घोर तपस्या के पश्चात् श्री समर्थ ने बद्रीनाथ से रामेश्वरम् तक की तीर्थ-यात्रा की तथा अनेक स्थानों पर भगवान् राम व महावीर हनुमान के मंदिर स्थापित कराये। उन्होंने 'श्री राम जय राम जय जय राम' का महामंत्र हिन्दू जनता को दिया तथा शिवाजी को मुगल साम्राज्य ध्वस्त करके 'हिन्दू राज्य' स्थापित करने की प्रेरणा दी। 'दासबोध' समर्थ गुरु रामदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है।

संत तुकाराम : उनका जन्म सम्वत् १६६५ में महाराष्ट्र में हुआ था। अल्पायु में ही वे भजन, कीर्तन एवं स्वाध्याय में लीन रहने लगे। उन्होंने प्रभु-भक्ति के अनेक पद रचे। संत तुकाराम भगवान् विट्ठलनाथ के उपासक थे। कुछ कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने उन्हें शूद्र बताकर उनके विरुद्ध प्रचार किया किन्तु उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि भगवान् के मंदिर में कोई ऊँच-नीच नहीं है, सब बराबर हैं। छत्रपति शिवाजी का समर्थगुरु रामदास से साक्षात्कार कराने वाले संत तुकाराम ही थे। उनके 'अभंग' महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय हैं।

संत ज्ञानेश्वर : उनका जन्म भी महाराष्ट्र में ही हुआ था। उनको भी कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने अस्पृश्य बताकर घृणा प्रकट की किन्तु उन्होंने चमत्कार दिखाकर कट्टरपंथियों को लज्जित कर दिया। १५ वर्ष की आयु में ही उन्होंने 'ज्ञानेश्वरी' गीताभाष्य किया। संत ज्ञानेश्वर ऊँच-नीच की भावना के प्रबल विरोधी थे।

सन्त एकनाथ : पैठण (महाराष्ट्र) में जन्म लेने के बाद केवल सात वर्ष की आयु में ही उन्होंने शूलभंजन पर्वत पर भगवान् श्रीकृष्ण की उपासना की। चतुःश्लोकी भागवत पर ओवी छंदों में एक ग्रंथ लिखा। वे प्राणिमात्र में भगवान् के दर्शन करते थे। गंगोत्री से गंगाजल की कांवर लेकर रामेश्वरम् जाते समय रास्ते में प्यास से तड़पते गधे को उन्होंने

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

गंगाजल पिला दिया, और तब साक्षात् रामेश्वरम् ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिये। इसी प्रकार पितृ-श्राद्ध के समय पांच भूखे चमारों को उन्होंने भोजन कराया। इस पर ब्राह्मणों ने भोजन करने से इंकार कर दिया, किन्तु पितरों ने साक्षात् प्रकट होकर श्राद्ध-भोजन ग्रहण किया। उन्होंने भागवत एवं एकादश स्कंध का भाष्य किया। रुक्मिणी स्वयंवर एवं रामायण भी उन्होंने लिखी।

संत नामदेव : छीपी परिवार में जन्मे संत नामदेव की भक्ति से प्रभावित होकर अनेक ब्राह्मणों को भी उनका शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ा। पंढरपुर में विट्ठल भगवान् की उपासना की तथा घमंडी ब्राह्मणों के मद को चूर करके भगवद्-साक्षात्कार किया। संत ज्ञानेश्वरजी के साथ तीर्थयात्रा करके भगवन्नाम-संकीर्तन का प्रचार किया। पंजाब जाकर वहाँ भी भक्ति की धारा प्रवाहित की। गुरुमुखी में 'नामदेव की जन्मसाखी' लिखी गई। 'गुरुग्रंथ-साहब' में उनके पद मिलते हैं।

गुरु गोरखनाथ : वे नेपाल के सिद्ध संत मत्स्येंद्रनाथ के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने तप एवं हठयोग का प्रचार किया तथा सिद्धि प्राप्त की। उन्होंने आलस्य, प्रमाद, भोग तथा भेदभाव की भावना का प्रबल विरोध करके तप, त्याग एवं योग को साधना का मार्ग बताया। उनके 'नाथ सम्प्रदाय' का भारत के अतिरिक्त नेपाल में भी प्रमुख स्थान है।

संत कबीरदास : छुआछूत, पाखण्ड एवं कुरीतियों पर तीव्र प्रहार करने वाले संत कबीरदास ने स्वामी रामानंद से 'राम-नाम' की दीक्षा प्राप्त करके कपड़ा बुनने के साथ-साथ दोहे लिखने प्रारम्भ किये। ढोंग एवं पाखण्ड पर उन्होंने अपनी साखियों में तीव्र व्यंग किया तथा आडम्बर रहित भक्ति का प्रचार किया। वे भगवान राम के उपासक थे। उनके दोहों में वेद, रामायण व पुराणों का सार है।

गुरु नानकदेव : सिख पंथ के सस्थापक संत नानकदेव का जन्म १४६९ ई० में पंजाब के तलवण्डी गाँव में हुआ था। भेदभाव एवं घृणा को त्यागकर एक ईश्वर की आराधना का उन्होंने सन्देश दिया। तीर्थयात्रा के बाद वे बलोचिस्तान होते हुए बगदाद, ईरान, कंधार तथा मक्का तक गये तथा ईश्वर-भक्ति का प्रचार किया। ईश्वर की सर्व-व्यापकता को उन्होंने अपने चमत्कारों से सिद्ध कर दिखाया। 'गुरु ग्रन्थसाहब' में नानकदेव की अमर वाणी का संग्रह है।

संत तुलसीदास : मुगलों के अत्याचारों से त्रस्त हिन्दू जनता में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के तेजस्वी जीवन-चरित्र से आशा का संचार करने वाले गोस्वामी तुलसी दास का भारत के जनजीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने 'रामचरितमानस' लिखकर जनता में धार्मिक चेतना जागृत की तथा अत्याचारों से प्रबल संघर्ष करने का साहस उत्पन्न किया। संवत् १६३१ में गोस्वामीजी ने अयोध्या में 'रामचरितमानस' लिखना प्रारम्भ किया। तत्पश्चात् काशी के असी घाट पर उनकी भक्ति एवं लेखनी दोनों चलती रहीं। गोस्वामीजी ने कवितावली, दोहावली, विनयपत्रिका, जानकीमंगल, पार्वतीमंगल आदि की भी रचना की। उन्होंने ब्रजभाषा व अवधी में काव्य लिखे।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

राजा राममोहनराय : बंगाल के राधानगर में सन् १७७४ ई० में उनका जन्म हुआ फारसी पढ़ने के बाद वे संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजे गए । उपनिषदों से 'एक ही ब्रह्म' की प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने बहुदेवतावाद का विरोध किया । वैष्णवधर्म में व्याप्त कुरीतियों का उन्होंने खण्डन किया । हिन्दूसमाज में कुछ समय से स्त्रियों के साथ होने वाले अत्याचारों का उन्होंने विरोध किया । सन् १८२८ ई० में 'ब्रह्मसमाज' की स्थापना की तथा सती-प्रथा, बाल-विवाह, कन्या-विक्रय आदि के विरोध में प्रचार अभियान चलाया । वे स्त्री-शिक्षा तथा स्त्री-पुरुष के समानाधिकार के प्रबल समर्थक थे । उनके प्रयास से स्त्री-शिक्षा का भारी प्रचार हुआ । अपने विचारों के प्रचारार्थ वे इग्लैंड गए । २७ सितम्बर १८३३ ई० को वहीं उनका निधन हो गया ।

स्वामी दयानन्द सरस्वती : सन् १८२४ ई० में काठियावाड़ के टंकारा गांव में उन्होंने जन्म लिया । मथुरा में स्वामी विरजानन्द से शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त उन्होंने हिन्दू समाज की कुरीतियों पर प्रहार करने का बीड़ा उठाया व 'आर्यसमाज' की स्थापना की । उन्होंने मूर्तिपूजा, अवतारवाद, मृतक श्राद्ध, अस्पृश्यता आदि का विरोध किया तथा काशी के कट्टरपंथी पण्डितों से शास्त्रार्थ किया । वेदों का शुद्ध भाष्य किया तथा 'सत्यार्थ-प्रकाश' व 'गोकरुणानिधि' लिखीं । 'सत्यार्थप्रकाश' में उन्होंने अवैदिक मतों का तर्कपूर्ण खंडन किया तथा अस्पृश्यता व आडम्बरों को धर्मविरोधी सिद्ध किया । स्वामीजी ने बाल-विवाह का विरोध किया व विधवा-विवाह का समर्थन । उन्होंने सबसे पहले हिन्दी को राष्ट्रभाषा का नाम दिया, गोहत्याबंदी की मांग की तथा भारत की स्वाधीनता की ज्योति प्रज्जवलित की । उन्हें कई बार जान से मार डालने का प्रयास किया गया । जोधपुर में धोखे से भोजन में विष दिये जाने से १६ अक्तूबर १८८३ ई० को ६० वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया ।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस : हुगली जिले के कामारपुर ग्राम में १८ फरवरी १८३६ ई० को श्री खुदीराम चट्टोपाध्याय के घर बालक गदाधर का जन्म हुआ । इसी बालक ने आगे चलकर मां काली के मन्दिर के पुजारी के रूप में धर्म-साधना प्रारम्भ की । काली की उपासना के अतिरिक्त उन्होंने राम व कृष्ण के नाम का संकीर्तन किया । काली मां ने उन्हें साक्षात् दर्शन देकर सिद्ध सन्त बना दिया । वे अत्यन्त त्यागी व विरक्त सन्त थे । नरेन्द्र-दत्त नास्तिक युवक को 'स्वामी विवेकानन्द' बनाने वाले परमहंस ही थे । १५ अगस्त १८८६ ई० को वे ब्रह्म-लीन हो गए ।

संत नारायण गुरु : केरल के एक गांव में १८५४ ई० में एडवार (पिछड़ी) जाति में उनका जन्म हुआ । उस समय पिछड़ी जाति के लोगों को अछूत मानकर उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था तथा उन्हें मन्दिरों में नहीं जाने दिया जाता था, जिसके कारण पिछड़ी जाति के लोग धर्म-परिवर्तन करने को बाध्य हो रहे थे । संतजी ने एडवार जाति के २० लाख व्यक्तियों में हिन्दू धर्म के प्रति गौरव की भावना जागृत की तथा उनके लिए स्थान-स्थान पर नए मन्दिर व विद्यालय बनाए । उन्होंने अपने अनुयायियों को स्वधर्म पर मर मिटने तथा 'एक जाति एक धर्म व एक भगवान' की प्रेरणा दी तथा धर्मान्तरित

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

होने से रोका। रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह करके उन्होंने हिन्दू धर्मशास्त्रों की महत्ता का प्रचार किया।

लोकमान्य तिलक : 'स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' के उद्घोषक बाल गंगाधर तिलक का जन्म २३ जुलाई १८५६ ई० को रत्नागिरि में हुआ था। 'केसरी' व 'मराठा' के सम्पादक के रूप में उन्होंने जहां देश की स्वाधीनता की ज्योति जलाई वहाँ हिन्दू धर्म महत्ता, गोरक्षा एवं युवकों में नैतिकता उत्पन्न करने में भारी योगदान किया। १९०२ ई० में जव अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया तो जेल में ही उन्होंने 'गीता रहस्य' लिखा। ३१ जुलाई १९२० ई० को उनका निधन हो गया।

स्वामी श्रद्धानन्द : जालन्धर जिले के तलवन गांव में १८५९ में उनका जन्म हुआ। काशीं में शिक्षा-दीक्षा हुई। बरेली में स्वामी दयानन्दजी के सत्संग से प्रभावित होकर आर्यसमाज को जीवन सर्मपित कर दिया। संस्कृत एवं वैदिक धर्म के प्रचार के लिए जालन्धर व अन्य स्थानों पर कन्या महाविद्यालयों की स्थापना कराई। गुरुकुल की स्थापना की। अन्तिम समय तक गुरुकुल के प्रचार व प्रसार में लगे रहे। विधर्मी बनाये गए हिन्दुओं को शुद्ध करके पुनः वैदिक धर्म में लाने के लिए शुद्धि आन्दोलन चलाया। २३ दिसम्बर १९२६ ई० को अब्दुल रशीद नामक एक मतांध व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।

महामना पं० मदनमोहन मालवीय : मालवीयजी का जन्म २५ दिसम्बर १८६१ ई० को तीर्थराज प्रयाग में हुआ था। वे दृढ़ सनातनधर्मी थे। हिन्दू संस्कृति का प्रचार एवं गोरक्षा उनके मुख्य लक्ष्य थे। पुराणों पर उनकी दृढ़ आस्था थी। महामना ने भारतीय शिक्षा-पद्धति के प्रसार के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्पृश्यता को वे अधर्म मानते थे। स्त्री व अछूतों को उन्होंने मन्त्र व यज्ञोपवीत का अधिकार दिया तथा हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश का खुला समर्थन किया। समाज-सुधार व शिक्षा-प्रसार के साथ-साथ राष्ट्रीय आन्दोलन में उन्होंने भाग लिया। 'अभ्युदय' का सम्पादन किया। नोआखाली (पूर्वी बंगाल) के हत्याकांड के समाचारों से उन्हें आघात लगा व १२ नवम्बर १९४६ ई० को उनका निधन हो गया।

स्वामी विवेकानन्द : १२ जनवरी १८६३ ई० को बंगाली परिवार में नरेन्द्र दत्त का जन्म हुआ। कालेज में अध्ययन करते समय उनमें नास्तिकता व भौतिकता ने घर कर लिया। एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस से भेंट के समय नरेन्द्र ने कहा—'यदि ईश्वर हैं तो क्या आप उसे दिखा सकते हैं?' परमहंस ने हंसते हुए कहा, 'देखो यह रहा ईश्वर'। बस फिर क्या था नरेन्द्र परम आस्तिक बन गए व आगे चलकर स्वामी विवेकानन्द के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने सन् १८९३ ई० में शिकागो की विश्वधर्म परिषद् में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तीन वर्ष तक उन्होंने अमेरिका में हिन्दू दर्शन व भारत की महत्ता का प्रचार किया। स्वामी विवेकानन्द ने घोषणा की—'आध्यात्मविद्या, हिन्दू धर्म एवं दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जायगा।' स्वामी विवेकानन्द ने अस्पृश्यता, शोषण तथा आडम्बर पर प्रहार किये। दरिद्रनारायण की सेवा को उन्होंने सबसे बडा धर्म

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बताया। अमेरिका के वाद ब्रिटेन, स्विटजरलैंड आदि देशों में पहुंचकर हिन्दू दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने भौतिकवादियों से कहा 'धर्म अनुभूति की वस्तु है, तर्क की नहीं।'

योगिराज अरविन्द : उनका जन्म १८७१ ई० में वंगाल में हुआ था। उन्होंने अपने ओजस्वी लेखों व भाषणों द्वारा शिक्षित समुदाय में राष्ट्रीयता के अंकुर उत्पन्न किये। उन्होंने आह्वान किया कि 'राष्ट्र माता है, जगज्जननी का स्वरूप है। वन्देमातरम् गीत-मात्र न होकर एक मन्त्र है।' क्रान्तिकारियों से भी उनका सम्पर्क रहा। राष्ट्रभक्ति के आरोप में उन्हें जेल की यातनाऐं सहन करनी पड़ी। जेल में उन्होने आध्यात्म-साधना की व भगवान् श्रीकृष्ण का साक्षात्कार किया। पांडिचेरी में एक आश्रम की स्थापना की। १९५० में उनका निधन हो गया।

स्वामी रामतीर्थ : उनका जन्म २२ अक्तूवर १८७३ ई० को दीपावली के दूसरे दिन पंजाव के मुरलीवाल गांव में हुआ था। उनका मूल नाम तीर्थराम था। अल्पायु में ही उनमें धार्मिक रुचि उत्पन्न हो गई, किन्तु साथ ही पढ़ाई में भी रुचि रही तथा मैट्रिक से एम० ए० तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कीं। गणित में विशेष योग्यता प्राप्त की। रामतीर्थ भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में तल्लीन रहते थे। उन्होंने भारत में धर्म-प्रचार के वाद जापान व अमेरिका में हिन्दू संस्कृति का प्रचार किया। पाश्चात्य विद्वान उनकी विद्वत्ता एवं वक्तृत्व शक्ति से बहुत अधिक प्रभावित हुए। सन् १९०३ ई० में ३० वर्ष की आयु में दीपावली के दिन उनका देहान्त हो गया।

महात्मा गांधी : महात्माजी उन समाज-सुधारक महापुरुषों में से थे जिन्होंने हरि-जनोद्धार को प्राथमिता देकर अस्पृश्यता के उन्मूलन का कदम उठाया। उनका जन्म २ अक्तूबर १८६९ ई० को पोरवन्दर में हुआ था। उन्होंने ऊँच-नीच व भेद-भाव के विरुद्ध जन-आन्दोलन प्रारम्भ किया तथा स्वदेशी का प्रचार किया। स्वाधीनता आन्दोलन के साथ साथ उन्होंने समाज सुधार आन्दोलन प्रारम्भ किये तथा सफलता प्राप्त की। राम-नाम में वे अपूर्व शक्ति मानते थे। धार्मिक सहिष्णुता के लिऐ वे आजन्म कार्यरत रहे। सत्य, अहिंसा को वे सबसे बड़ा अस्त्र मानते थे। इसीलिए अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने हिंसा का कभी समर्थन नहीं किया तथा अहिंसात्मक 'सत्याग्रह' को साधन बनाया। ३० जनवरी १९४८ ई० को उनकी हत्या कर दी गयी।

डा० हेडगेवार : संवत् १९४६ में वर्ष प्रतिपदा के दिन नागपुर में श्री बलीराम पन्त के घर उनका जन्म हुआ। वचपन में ही स्वाधीनता आन्दोलन में कूद पड़े। सन १९२५ ई० में विजयादशमी के दिन हिन्दू-संगठन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' की स्थापना की। हिन्दू समाज में व्याप्त ऊँच-नीच व अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करके सभी को एक संगठन-सूत्र में बाँधने की दिशा में प्रयत्न प्रारम्भ किया। हिन्दू समाज में स्व-राज्य के लिए जागृति उत्पन्न की। अनुशासित जीवन को सफलता का प्रमुख साधन प्रतिपादित किया। उनका मूलमन्त्र था—'आपसी भेदभाव को समाप्त करके, पूर्ण-रूपेण संगठित एवं अनुशासित होकर राष्ट्र व समाज की सेवा में संलग्न रहना।' सन १९४० में उनका स्वर्गवास हो गया।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

श्री वि. दा. सावरकर : २८ मई १८८३ को भगूर (महाराष्ट्र) में जन्म हुआ। श्री सावरकर केवल क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं थे अपितु सामाजिक व धार्मिक क्रांति के क्षेत्र में भी उन्होंने भारी कार्य किया। हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में अस्पृश्यता, सामाजिक कुरीतियों, सड़ी-गली परम्पराओं के विरुद्ध लेखनी उठाकर हिंदू संगठन पर बल दिया। वे उच्चकोटि के विचारक व समाज सुधारक थे।

श्री मा. स. गोलवलकर (गुरुजी) : उनका जन्म १९ फरवरी १९०६ को नागपुर में हुआ था। हिंदू विश्वविद्यालय (काशी) से एम० एस-सी० किया तथा नागपुर में कानून की डिग्री प्राप्त की। डा० हेडगेवार जी के सम्पर्क में आकर अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित कर दिया। १९४० में डाक्टर साहब के दिवंगत होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक का भार संभाला।

श्री गुरुजी एक कुशल संगठक, सुलझे हुए विचारक तथा आध्यात्मिक महापुरुष थे। उन्होंने हिंदू समाज को ऊंच-नीच की भावना त्यागकर संगठित होने की प्रेरणा दी। वे राष्ट्रीयता की भावना को सर्वोपरि महत्व देते थे।

५ जून १९७३ को नागपुर में उनका देहावसान हो गया।

डा० राधाकृष्णन् : भारत के राष्ट्रपति होने के साथ-साथ वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दार्शनिक तथा महान विचारक थे। हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, फिर उप-कुलपति रहे। सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। वहीं उपनिषदों का भाष्य किया। वे हिन्दू दर्शन तथा हिन्दू धर्म के महान ज्ञाता थे। हार्ट आफ हिन्दुस्तान, हिन्दू वे आफ लाइफ, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, धर्म और समाज आदि उनकी बहुचर्चित तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त पुस्तकें हैं। १७ अप्रैल १९७५ को मद्रास में उनका निधन हो गया।

डा. राममनोहर लोहिया : उनका जन्म सन् १९१० में अग्रवाल परिवार में हुआ था। वे स्वाधीनता सेनानी, समाजवादी चिंतक तथा क्रांतिदर्शी थे। वे मार्क्स तथा महात्मा गांधी दोनों से प्रभावित रहे। 'गैर कांग्रेसवाद' का उद्घोष कर उन्होंने सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। १९७३ में उनका निधन हो गया।

पं० दीनदयाल उपाध्याय : उनका जन्म २५ सितम्बर, १९१६ को नगला चन्द्रभान (मथुरा) में हुआ था। १९३७ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जीवन समर्पित कर दिया। १९५१ में जनसंघ की स्थापना में योगदान। जनसंघ के महासचिव तथा अध्यक्ष पद पर रहे। 'राष्ट्रधर्म' तथा 'पांचजन्य' का सम्पादन किया।

वे महान चिंतक तथा राजनीति के व्याख्याता थे। ११ फरवरी १९६८ को उनकी रेल में हत्या कर दी गयी।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भारतीय पर्व और त्योहार

भारत में विभिन्न मतावलम्बियों द्वारा जो पर्व व त्योहार मनाये जाते हैं उनका देश की ऋतु, संस्कृति व इतिहास से अटूट सम्बन्ध है। ये पर्व और त्योहार जन-जीवन में नया उल्लास व उत्साह भरने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होते हैं। भारतीय पर्वों के पीछे धार्मिक पृष्ठभूमि के साथ-साथ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि भी विद्यमान है।

राष्ट्रीय त्योहारों में दीपावली, होली, विजयदशमी एवं रक्षाबन्धन चार प्रमुख हैं। धार्मिक दृष्टि से शिवरात्रि, कृष्णजन्माष्टमी, रामनवमी, दुर्गापूजा आदि प्रमुख पर्व हैं। जैन समाज महावीर जयन्ती एवं अनन्त चतुर्दशी, बौद्ध समाज बुद्ध-जयन्ती एवं सिख समाज गुरुनानक-जयन्ती पर्व विशेष उत्साह से मनाते हैं। मुसलमानों के त्योहारों में बकरीद, मुहर्रम, इदुलफितर एवं रमजान प्रमुख हैं। ईसाई क्रिसमस, ईस्टर-डे, गुडफ्राइडे आदि त्योहार मनाते हैं।

दीपावली : भारत का यह विजयोत्सव कहा जाता है। यह पर्व कार्तिक अमावस्या (अक्तूबर-नवम्बर) को पड़ता है। सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टि से यह त्योहार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम के राक्षसराज रावण पर विजय के बाद लंका से अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस राष्ट्रीय पर्व के पीछे वैज्ञानिक पुट यह है कि वर्षा में मकानों में जो सील व कीड़े-मकोड़े, मच्छर आदि पैदा हो जाते हैं, उन्हें दूर करने के लिए दीपावली पर्व पर मकानों व दुकानों की सफाई, सफेदी व रोशनी की जाती है। पौराणिक दृष्टि से यह पर्व लक्ष्मी-पूजन का पर्व है। इस दिन विशेष रूप से व्यापारी-समाज नया बही-खाता बदलकर लक्ष्मी-पूजन करता है।

छठ (सूर्य पूजन) : यह पर्व दीपावली के बाद कार्तिक (अक्तूबर-नवम्बर) मास के शुक्लपक्ष में षष्ठी एवं सप्तमी दो दिनों तक मनाया जाता है। इसलिए इसे 'षष्ठी-व्रत' भी कहते हैं। यह वास्तव में सूर्यपूजन का पर्व है। इसमें षष्ठी की संध्या एवं सप्तमी के प्रातः क्रमशः डूबते और उगते सूर्य को किसी तालाब, झील या नदी के किनारे नारियल, केले एवं पकवानों (गेहूं और गुड़ से बने) का अर्घ्य दिया जाता है। छठ, बिहार का सर्वप्रमुख पर्व है तथा उत्तर प्रदेश, बंगाल, नेपाल आदि में भी मनाया जाता है।

विजयदशमी : विजयदशमी पर्व आश्विन शुक्ल १० (सितम्बर-अक्तूबर) को होता है। इस त्योहार को दशहरा के नाम से भी पुकारते हैं। इतिहास एवं सांस्कृतिक दृष्टि से यह दिन भगवान् श्रीराम द्वारा अधर्म पर धर्म की व असत्य पर सत्य की विजय के पर्व के रूप में देश के कोने-कोने में मनाया जाता है। विजय दशमी के दिन रामलीलाओं में रावण

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

के बड़े-बड़े पुतलों को जलाया जाता है। इस दिन शस्त्रास्त्रों का पूजन किया जाता है। दशहरे के दिनों में ही आसुरी प्रवृत्तियों पर दैविक प्रवृत्तियों की विजय के प्रतीक स्वरूप देश में शक्तिपूजा के रूप में दुर्गापूजा महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, असम, नेपाल, बंगला देश आदि में दुर्गापूजा पर विशेष उत्सव आयोजित किये जाते हैं। मैसूर का दशहरा समस्त देश में प्रसिद्ध है। भारत के अतिरिक्त नेपाल, इंडोनेशिया, मारीशस, फीजी, ट्रिनीडाड, थाईलैंड एवं अन्य देशों में भी विजयदशमी उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है।

रक्षाबंधन : यह भाई-बहन के पवित्र प्रेम का पर्व है। यह श्रावण मास की पूर्णमासी (अगस्त) के दिन मनाया जाता है। रक्षावन्धन के दिन समस्त हिन्दू समाज में बहनें अपने भाइयों की कलाई में रक्षासूत्र (राखी) बाँधती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा इन्द्र के काल में राक्षस साधु-सन्तों व ब्राह्मणों पर अमानवीय अत्याचार करते थे। ब्राह्मणों ने इन्द्र के पास जाकर उनको राक्षसों के उन्मूलन की प्रेरणा दी और स्मरण रखने के लिए इन्द्र के हाथ में धागा बांधा। इन्द्र ने प्रतिज्ञा का पालन करते हुए राक्षसों का वध कर डाला। उसी उपलक्ष्य में यह प्रारम्भ हुआ तथा ब्राह्मण आज भी क्षत्रियों को राखी बाँधते हैं।

सरस्वती पूजन (वसंत पंचमी) : माघ मास (फरवरी-मार्च) के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन यह पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। समस्त भारत में छात्र-छात्राएँ इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस अवसर पर सरस्वती की प्रतिमाएँ वनाई जाती हैं तथा पूजन के दूसरे दिन विसर्जित कर जल में प्रवाहित कर दी जाती हैं। इस तिथि को बसन्त का आगमन-दिन भी मानते हैं। इस दिन अनेक स्थानों पर हकीकतराय बलिदान दिवस भी मनाते हैं।

होली : यह उल्लास व आमोद-प्रमोद का प्रमुख पर्व है। यह फाल्गुनी पूर्णिमा (मार्च) को होता है। होली पर बिना भेद-भाव के समस्त हिन्दू जन आपस में गले मिलते हैं। एक-दूसरे पर रंग व गुलाल डालकर आमोद-प्रमोद करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार होली का प्रारम्भ हिरण्यकश्यप के समय से हुआ। अनीश्वरवादी हिरण्यकश्यप पर उसके ही ईश्वर-विश्वासी पुत्र भक्त प्रहलाद की विजय का यह पर्व है। पुत्र की हत्या के अनेक प्रयत्नों में असफल होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाकर प्रहलाद को आग में जलाना चाहा। होलिका को आग में न जलने का वरदान था। ईश्वर की विचित्र लीला कि होलिका तो जलकर राख हो गई, किन्तु प्रहलाद का बाल बांका न हुआ। होली की रात लकड़ियों व गोबर-उपलों के एक बड़े ढेर में आग लगाकर उस आग में गेहूं की बालियां भूनने की प्रथा है। इसे 'नवान्नेष्टि यज्ञ' के नाम से पुकारते हैं। यह हिन्दुओं के पुराने वर्ष की समाप्ति एवं नव वर्ष के प्रारम्भ का पर्व है।

वैशाखी : वैशाखी पर्व विशेष रूप से पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। १६८९ में गुरु गोविन्द सिंह जी ने इसी दिन 'खालसा' पंथ की स्थापना की थी अतः सिख इस पर्व को उल्लास के रूप में मनाते हैं। इस दिन भांगड़ा नृत्य कर आनन्द मनाया जाता है।

वैशाखी के दिन ही अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने हत्याकांड कराया

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

था अतः उसकी स्मृति भी इस दिन से जुड़ गयी है।

इस दिन हिन्दू नदियों में स्नान करना पुण्य कार्य समझते हैं।

महावीर जयन्ती : भारत में जैन मतावलम्बियों की काफी संख्या है। वे तीर्थंकर भगवान् महावीर का जन्मदिन प्रति वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदसी को धूम-धाम से मनाते हैं। महावीर जयन्ती के दिन समस्त देश के जैन मन्दिरों को सजाया जाता है। मन्दिरों में जैनमत से सम्वन्धित उपदेश होते हैं तथा भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य आदि के सिद्धान्तों पर विद्वान् प्रकाश डालते हैं।

बुद्ध जयन्ती : बुद्ध जयन्ती समारोह प्रतिवर्ष वैशाखी पूर्णिमा (मई) को मनाया जाता है। यह गौतम बुद्ध (राजकुमार सिद्धार्थ) का जन्म, ज्ञान-प्राप्ति एवं महानिर्वाण-दिवस है। बौद्ध विहारों में लामा भगवान् बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हैं। बौद्ध मतावलम्वी व्रतादि धार्मिक कार्य करते हैं तथा बुद्ध भगवान् की शिक्षाओं पर चलने का व्रत लेते हैं।

नानक जयन्ती : सिख मत के संस्थापक गुरु नानकदेव की जयन्ती प्रतिवर्ष समस्त देश में धूम-धाम से मनाई जाती है। नानक-जयन्ती पर गुरुद्वारों को सजाया जाता है, उन पर रोशनी की जाती है तथा 'गुरु ग्रन्थ साहव' का स्थान-स्थान पर पाठ किया जाता है। नानक जयन्ती के अतिरिक्त सिख समाज गुरु गोविन्दसिंह जयन्ती, गुरु अर्जुनदेव बलिदान दिवस, गुरु तेग वहादुर वलिदान दिवस आदि समारोह भी मनाता है। गुरु गोविन्दसिंह के जन्मदिन पर पटना स्थित हर-मन्दिर में समारोह आयोजित किया जाता है।

पोंगल : जनवरी के महीने में किसान-वर्ग तमिलनाडु, कर्नाटक एवं आन्ध्र में पोंगल त्योहार मनाता है। पोंगल सूर्य, वरुण और वायु को फसल की सफलता के लिए धन्यवाद देने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन वैलों व गायों को सजाकर उनकी पूजा की जाती है। इन प्रदेशों में पोंगल त्योहार तीस दिन तक मनाया जाता है।

ओणम् : यह त्योहार केरल में सितम्बर में वर्षा समाप्त होते ही असुर राजा महा-बली की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन वसन्ती रंग के कपड़े पहनकर लोग उल्लास मनाते हैं।

गणेश चतुर्थी : वुद्धि के देवता गणेश की पूजा का यह पर्व है। यह भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी (अगस्त-सितम्वर) के दिन मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश पूजा का भारी महत्त्व है। इस दिन के एक माह पूर्व से गणेश पूजन प्रारम्भ होकर मूर्ति विसर्जन किया जाता है। महाराष्ट्र में श्री लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रीय दिवस के रूप में गणेश चतुर्थी पर्व मनाना प्रारम्भ किया था। इस पर्व के माध्यम से स्वाधीनता के प्रचार में भारी योगदान मिला। प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के दिन युवक देश को स्वाधीन कराने की प्रतिज्ञा लेते थे।

श्री कृष्णजन्माष्टमी : यह पर्व भगवान् श्रीकृष्ण के जन्म दिन के रूप में भाद्रपद के कृष्णपक्ष की अष्टमी (जुलाई-अगस्त) को सम्पूर्ण देश में मनाया जाता है। कृष्णजन्मा-ष्टमी पर व्रज विशेषकर गोकुल, मथुरा व वृन्दावन में विशेष उत्सव आयोजित किये जाते हैं।

रामनवमी : चैत्र शुक्ला ९ को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्री राम के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रामनवमी पर्व भी समस्त देश में मनाया जाता है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

शिवरात्रि : फाल्गुन कृष्णपक्ष चतुर्दशी (मार्च) को समस्त देश में शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। उस दिन शिवालयों (मन्दिरों) को सजाया जाता है व धार्मिक श्रद्धालु रात्रि जागरण करके भगवान् शिव की आराधना करते हैं। आर्यसमाजी शिवरात्रि पर्व को 'बोध दिवस' के रूप में मनाते हैं। आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती को इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। शिवरात्रि पर्व पर काशी में विशेष दर्शनीय आयोजन किये जाते हैं। भारत के अतिरिक्त नेपाल में शिवरात्रि महान् पर्व के रूप में मनाया जाता है। वहाँ भगवान् पशुपतिनाथ की पूजा के लिए अनेक देशों के हिन्दू पहुँचते हैं। मारीशस में भी शिवरात्रि पर्व विशेष समारोह के साथ मनाया जाता है।

मकर संक्रांति—यह पर्व शीतकाल में धूमधाम से मनाया जाता है। फसल कटाई के बाद जनवरी में इसे मनाया जाता है। बहुत से धर्म विश्वासी नर-नारी गंगा के पावन तट पर स्थित हरिद्वार, काशी, प्रयाग आदि तीर्थों में जाकर एक मास तक का 'कल्पवास' करते हैं। दान, कथा-कीर्तन का आयोजन करते हैं।

वर्ष गणना के सौर सिद्धान्त के अनुसार संक्राति से ही महीने का आरम्भ होता है।

इस दिन तिलों से युक्त मिठाई आदि खाने की परम्परा है। तिल व अनाज का दान भी किया जाता है।

गुरु पूर्णिमा—हमारे देश में गुरु को अत्यन्त महत्व दिया गया है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिक्षा तथा धार्मिक क्षेत्र के प्रेरक गुरु के प्रति आदर व श्रद्धा प्रदर्शित किये जाते हैं। गुरु दक्षिणा प्रदान की जाती है।

श्रावण की पूर्णिमा को शुरू होने वाले इस दिन चारों पीठों के शंकराचार्य तथा संन्यासी अपना 'चातुर्मास' शुरू करते हैं।

मुस्लिम त्योहार

ईद-उल-जुहा (बकरीद) : यह मुसलमानों का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार मुस्लिम वर्ष के अन्तिम मास के दसवें दिन इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश से अपने पुत्र का स्वयं बलिदान करने और उसके पुन: जीवित हो जाने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान अपने घरों में पशुओं की बलि चढ़ाते हैं।

मुहर्रम : मुस्लिम संवत् के मुहर्रम मास के दसवें दिन पैगम्बर के नातियों हसन और हुसैन के बलिदान की याद में मनाया जाता है। मुसलमानों का एक वर्ग इस दिन ऊँचे-ऊँचे ताजिये बनाकर निकालता है। मुस्लिम नर-नारी हसन-हुसैन की याद में विलाप करते हैं। शोक दस दिन तक मनाया जाता है। ताजियों को जमीन में गाड़ दिया जाता है। मुसलमानों का दूसरा वर्ग ताजिये निकालने को बुतपरस्ती मानकर उसका विरोध करता है।

रमजान : मुस्लिम पंचाग के रमजान मास में इस्लाम मतावलम्बी दिन भर रोजे रखते हैं तथा शाम को नमाज के पश्चात् रोजे खोलते हैं। यह क्रम पूरे मास चलता है।

ईद-उल-फितर : रजमान के पश्चात् पूरे चांद के दूसरे दिन यह पर्व आता है। इस दिन मुसलमानों के धार्मिक ग्रन्थ कुरान की रचना सामने आई थी।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ईसाई त्योहार

क्रिसमस : प्रतिवर्ष २५ दिसम्बर को क्रिसमस अर्थात् बड़ा दिन मनाया जाता है। यह ईसा का जन्म दिन है। इस दिन समस्त देश के ईसाई गिरजों को सजाते हैं, ईसा की पूजा करते हैं व बाइबिल का पाठ करते हैं। घरों में केक काटकर व नाच-गाकर उल्लास मनाया जाता है।

ईस्टर डे : ईसा मसीह के पुनरुज्जीवन दिवस के रूप में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में असहायों की सहायता का विशेष महत्त्व है।

राष्ट्रीय दिवस

स्वाधीनता दिवस : साँस्कृतिक व धार्मिक पर्वों के अतिरिक्त स्वाधीनता दिवस व गणतंत्र दिवस भारत के दो राष्ट्रीय पर्व हैं। १५ अगस्त १९४७ को भारत स्वाधीन हुआ था इसलिए प्रत्येक वर्ष १५ अगस्त को देश में स्वाधीनता दिवस समारोह मनाया जाता है। १५ अगस्त को प्रधानमंत्री लालकिले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं व जनसमूह को स्वाधीनता पर्व का संदेश देते हैं। इस दिन समस्त देश में सभाएँ, जुलूस एवं अन्य आयोजन करके हर्ष मनाया जाता है। सभी शिक्षण-संस्थाओं, सरकारी कार्यालयों व अन्य स्थानों पर राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। बच्चों में मिठाई वितरित की जाती है।

गणतंत्र दिवस : २६ जनवरी १९५० को नया संविधान लागू करके गणतन्त्र दिवस की विधिवत् घोषणा की गई थी। प्रत्येक वर्ष २६ जनवरी को देश में गणतन्त्र दिवस समारोह मनाया जाता हैं। गणतन्त्र दिवस पर राजधानी में राष्ट्रपति भवन के सामने से लाल किले तक विशाल परेड निकलती है जिसमें विभिन्न झांकियां, सेना के जवानों, आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों आदि का प्रदर्शन किया जाता है। गणतन्त्र दिवस पर जगह-जगह गणतन्त्र व देश की स्वाधीनता की रक्षा का संकल्प लिया जाता है। दिल्ली में राष्ट्रपति-भवन तथा अन्य सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

उ.प्र. राज्य.
सहकारी भूमि विकास बैंक
द्वारा किसान भाइयों को
और अधिक सुविधा
ब्याज की दर में कमी

पुरानी दरें 10% 11% योजना अनुसार

नई लागू दरें 9½% से 10½% योजना अनुसार

उद्देश्य	ब्याज को दर
1. अल्प सिंचाई/भूमि समतलीकरण नलकूप, पम्प-सेट, कूप, कूप-बोरिंग-रहट कूप का सुधार, प्रक्षेत्र विकास कार्य, उर्जीकरण, गूल निर्माण बन्धी निर्माण तथा भूमि संरक्षण एवं भूमि समतलीकरण (सभी श्रेणी के कृषकों के लिए)------------------------	9,5% प्रति-वर्ष
2. अन्य विविध उद्देश्य (Diversified purposes) फलोद्यान दुग्ध विकास योजनाएं ट्रैक्टर पावर टिलर तथा पावर थ्रेसर आदि (अ) लघु कृषकों के लिए -------------------	9,5% प्रति वर्ष
(ब) अन्य कृषक (मध्यम एवं उच्च श्रेणी के कृषको के लिए)---------------	10.5% प्रति वर्ष

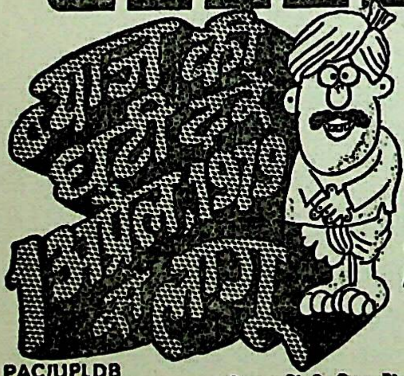

किसानों का अपना बैंक
भूमि विकास बैंक

PAC/UPLDB

किसानों के हित में उ० प्र० राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि० द्वारा प्रसारित

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भारत दर्शन

तीर्थ, ऐतिहासिक एवं पर्यटन-स्थल

भारत देवी-देवताओं, ऋषि-मुनियों एवं संत-महात्माओं का धर्मप्राण दिव्य देश है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भारत का कण-कण पवित्र है, इसका हर कंकर शंकर है। भारत में हिमालय की चोटी से लेकर दक्षिण के समुद्र के किनारे तक ऐसे असंख्य तीर्थ हैं जिनका अपना विशेष धार्मिक व सांस्कृतिक महत्त्व है। इन तीर्थों अर्थात् मंदिरों, मठों व धामों के दर्शन के लिए देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक के लाखों यात्री श्रद्धापूर्वक जाते हैं। इन पावन तीर्थों में धार्मिक एकता व सहिष्णुता के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता साकार दृष्टिगोचर होती है। दक्षिण के श्रद्धालु नर-नारी जब हजारों मील उत्तर में बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं तो ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाता है कि जैसे समस्त भारत एक है, भेद-भाव की दीवारें कहीं नजर नहीं आतीं। तीर्थ-स्थलों के अतिरिक्त पर्यटन-स्थानों का अपना अलग महत्व है।

उत्तर-प्रदेश

गंगोत्री : गंगा का भारतीय इतिहास में विशेष महत्त्व है। गंगा की महत्ता शास्त्रों के अतिरिक्त विदेशियों ने भी स्वीकार की है। गंगा गंगोत्री से निकली है। गंगोत्री हिमालय की चोटी के पास स्थित पवित्र व रमणीक तीर्थस्थल है। पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा भगीरथ घोर तपस्या के बाद जन-कल्याण की दृष्टि से गंगा को गोमुख के नीचे भूतल पर लाये थे। गंगोत्री तीन हजार मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। वहाँ गंगा जी का एक सुन्दर मंदिर है। श्रद्धालु नर-नारी गंगा-स्नान के साथ-साथ गंगा मंदिर के दर्शन व परिक्रमा करते हैं।

केदारनाथ : यह भारत के बारह ज्योतिर्लिङ्गों में से एक लिङ्ग माना जाता है। शिव-पुराण के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पाण्डवों ने इस स्थान पर निवास किया था। केदारनाथ लगभग ३५०० मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। मन्दिर के पास ही द्रौपदी और पाँचों पांडवों की मूर्तियाँ विद्यमान हैं।

बद्रीनाथ : चार धामों में बद्रीनाथ धाम का प्रमुख स्थान है। जब आने-जाने के साधन नहीं थे तब भी लाखों हिन्दू नर-नारी बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए पैदल ही निकल पड़ते

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

थे और महीनों तक चलकर बद्रीनाथ धाम पहुंचते थे। बद्रीनाथ की यात्रा के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी व जोशीमठ होकर जाना पड़ता है। जोशीमठ में आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ है। वहाँ शंकराचार्यजी ने तपस्या की थी। बद्रीनाथपुरी अलकनन्दा के पवित्र तट पर बसी हुई है। मन्दिर का पुजारी रावल कहलाता है तथा वह केरल का नम्बूद्रीपाद ब्राह्मण ही होता है। उत्तर भारत के मन्दिर में दक्षिण का पुजारी रखा जाना राष्ट्रीय, धार्मिक व साँस्कृतिक एकता का जीता-जागता उदाहरण है।

हस्तिनापुर : (मेरठ) कुरुवंश की प्राचीन राजधानी था।

कुशीनगर (देवरिया) : भगवान् बुद्ध का निर्वाणस्थल।

हरिद्वार : हरिद्वार उत्तर भारत का प्रमुख तीर्थस्थल है। गंगा-गोमुख से निकलने के बाद मैदानी क्षेत्र में आई तथा उसी मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार बसा हुआ है।

हरिद्वार में पहाड़ियों की तलहटी के किनारे गंगा बहती है तथा उसी पर 'हर की पौड़ी' बनी हुई है। हर की पौड़ी के बिलकुल पास ही ब्रह्मकुण्ड है। पौराणिक कथा के अनुसार अमृत मंथन के समय देवताओं व असुरों के बीच छीना-झपटी में अमृत की एक बूंद ब्रह्मकुण्ड में गिरी थी। ब्रह्मकुण्ड में स्नान करना मुक्ति का साधन कहा गया है। हरिद्वार में सप्तऋषि आश्रम, भीमगोड़ा तथा अन्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। हरिद्वार की पहाड़ियों में मनसा देवी व चंडी के मन्दिर हैं। हरिद्वार में कुम्भ का मेला भी लगता है। शिक्षा की दृष्टि से भी हरिद्वार का अपना विशेष महत्त्व है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय तथा ऋषिकुल महाविद्यालय के माध्यम से संस्कृत शिक्षा की दिशा में काफी प्रगति हुई है। हरिद्वार के पास ही ऋषिकेश एवं लक्ष्मण झूला तीर्थ हैं। ऋषिकेश में गंगा-तट पर स्वर्गाश्रम, गीता आश्रम तथा अन्य अनेक मठ-मन्दिर व सत्संग-भवन बने हुए हैं।

काशी (वाराणसी) : वाराणसी को प्राचीन शास्त्रों में काशी के नाम से अभिहित किया गया है। काशी आशुतोष भगवान् शिव की नगरी मानी जाती है। पुराणों में 'काशी तीन लोक से न्यारी' कहकर महत्ता प्रदर्शित की गई है। काशी में भगवान् श्री विश्वनाथ का अत्यन्त प्राचीन व विशाल मन्दिर है। काशी में गंगा स्नान का विशेष महत्त्व माना जाता है। यहाँ के दो घाट—दशाश्वमेध और मणिकर्णिका—बहुत प्रसिद्ध हैं। विश्वनाथ मन्दिर के एक भाग को धर्मान्ध बादशाह औरंगजेब ने ध्वस्त करके उस पर मस्जिद का निर्माण कराया था, जो मस्जिद आज भी विद्यमान है। काशी शिक्षा का प्रमुख केन्द्र है। महामना पंडित मदनमोहन मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय संसार के प्रमुख विश्वविद्यालयों में गिना जाता है।

प्रयाग : प्रयाग को पुराणों व प्राचीन ग्रंथों में 'तीर्थराज' के नाम से पुकारा गया है। अग्निपुराण में इसे प्रजापति की वेदी तथा प्रजापति का क्षेत्र कहा गया है। प्रयाग में गंगा, यमुना व सरस्वती का संगम है। महाराजा हर्षवर्धन हर पाचवें वर्ष प्रयाग में पहुँचकर अपने राजकोष का एक बड़ा भाग दान करते थे। प्रयाग में त्रिवेणी, बिंदुमाधव, सोमेश्वर, भारद्वाज आश्रम, नाग वासुकी, अक्षयवट, शेषजी एवं संगम दर्शनीय स्थल हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी प्रयाग का बहुत महत्त्व है। पं० मोतीलाल नेहरू का प्रयाग स्थित निवास-स्थान 'आनन्द भवन' स्वाधीनता-आंदोलन का एक केन्द्र रहा था। आज वह राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में दर्शनीय स्थल है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

राजापुर : गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म-स्थान।

श्रावस्ती : हिमालय की उपत्यका में गौतम बुद्ध की जन्म-स्थली।

चित्रकूट : उत्तर प्रदेश के जिला बाँदा में स्थित चित्रकूट एक पवित्र तीर्थस्थल है। मंदाकिनी नदी के तट पर बसी इस नगरी में भगवान् श्रीराम, लक्ष्मण व सीता ने वनवास के समय काफी दिनों तक विश्राम किया था। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी चित्रकूट में ही तपस्या की थी तथा उन्हें भगवान् श्रीराम का साक्षात्कार हुआ था। चित्रकूट में तुलसी मन्दिर भी दर्शनीय है। मंदाकिनी के पास ही कामदगिरि नामक एक चोटी है जिस पर भगवान् राम ने तपस्या की थी। इस स्थल की परिक्रमा की जाती है। पास ही हनुमान-गढ़ी, सीता रसोई आदि पवित्र स्थान हैं।

अयोध्या : जिला फैजाबाद-स्थित श्री अयोध्याजी भगवान् श्री राम की जन्म-स्थली के रूप में दर्शनीय है। अयोध्या में श्री राम का ऐतिहासिक व प्राचीन मन्दिर है। सरयू नदी के घाट दर्शनीय हैं। अयोध्या नगरी कभी अपने वैभव के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी किन्तु अब वहाँ पर प्राचीन खण्डहर ही विद्यमान हैं। अयोध्या सप्तपुरियों में से प्रथम पुरी मानी गई है। भगवान् श्रीराम से पूर्व भी सूर्यवंशी राजाओं की यह राजधानी रही। अयोध्या नगरी पर अनेक बार मुसलमान बादशाहों ने आक्रमण करके उसे ध्वस्त करने के प्रयास किये। श्रीराम के जन्म-स्थल को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई गई।

मथुरा-वृन्दावन : भगवान् श्रीकृष्ण की जन्म-स्थली व लीलाभूमि होने के कारण ब्रज क्षेत्र का तीर्थों में अग्रणी स्थान है। मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना आदि भगवान् श्रीकृष्ण के कारण प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं। मथुरा यमुना के किनारे बसा हुआ प्राचीन नगर है। यहाँ द्वारिकाधीशजी की मूर्ति में कीमती हीरा जड़ा हुआ है। वृन्दावन मन्दिरों का नगर है। रंगजी के मन्दिर में एक विशाल सोने का खम्भा है जिस पर कला का सुन्दर चित्रण है। बाँके बिहारीजी का मंदिर भी विशेष दर्शनीय है। वृन्दावन के पास ही श्रीकृष्ण की जन्म स्थली गोकुल ग्राम है। तीर्थयात्री वृन्दावन के बाद गोकुल व बरसाना की यात्रा करते हैं।

आगरा : 'ताजमहल' के कारण यह विश्व-भर के पर्यटकों का आकर्षण-केन्द्र है। ताजमहल के अतिरिक्त आगरा किला, सिकन्दरा, आसफजहाँ का मकबरा आदि मुगल शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं।

फतहपुर सीकरी : आगरा से ३२ कि० मी० दूर यह ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ अकबर द्वारा निर्मित शेख सलीम चिश्ती का मकबरा दर्शनीय है।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी के साथ-साथ यह नगर मुस्लिम सभ्यता का प्रतीक है। ईमामबाड़ा मुस्लिम शैली का अद्भुत नमूना है। यहाँ के नवाबों की शान-शौकत के सम्बन्ध में अनेक किस्से प्रचलित हैं। लक्ष्मण टीला नामक स्थान के कारण इस नगर का नामकरण लखनऊ हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। गोमती नदी शहर के बीच से बहती है।

मसूरी : देश के प्रमुख पर्वतीय स्थलों मे से एक है और 'पर्वतों की रानी' के नाम से प्रसिद्ध है। यह लगभग दो हजार मीटर की ऊंचाई पर स्थित अत्यन्त रमणीक स्थल है। गर्मियों के दिनों में पर्यटकों के लिए यह स्वर्ग-समान है। पास ही चकरौता नामक सुन्दर पर्यटन-स्थल है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

नैनीताल : यह एक सुन्दर व आकर्षक झील के किनारे वसा हुआ पर्वतीय स्थल है। यह समुद्र तल से २२०० मीटर ऊंचा है। इसके पास ही रानीखेत एवं भीमताल नामक सुन्दर नगरी है। अल्मोड़ा भी नैनीताल के पास ही है। उत्तर प्रदेश में मसूरी, नैनीताल एवं अल्मोड़ा प्रमुख पर्वतीय स्थल हैं।

बिहार

पटना : यह चन्द्रगुप्त मौर्य एवं अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र के ध्वंसावशेषों पर वसा हुआ अत्यन्त प्राचीन नगर है। एक हजार वर्ष तक भारत की राजधानी रहा है। सिखों के अन्तिम गुरु गोविन्दसिंह का जन्म-स्थान होने के कारण यह सिखों का तीर्थस्थल भी है। यहां के 'हर-मन्दिर' के दर्शनार्थ सिख यात्री आते हैं। यह बिहार की राजधानी है।

नालन्दा : गुप्त सम्राटों द्वारा स्थापित नालन्दा विश्वविद्यालय कभी संसार का सर्वाधिक विशाल व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यहाँ १० हजार छात्र एक साथ अध्ययन करते थे। चीनी विद्वान् ह्वेन्त्सांग ने उसमें सात वर्ष रहकर अध्ययन किया था। १३वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रान्ताओं ने उसे ध्वस्त कर डाला। आज भी विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेषों के दर्शनार्थ देश-विदेश के पर्यटक आते हैं।

बोध गया : यह गया से १० कि० मी० दूर है। इसी नगरी में भगवान् बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर आत्मज्ञान प्राप्त किया था। अशोक द्वारा निर्मित ५५ मीटर ऊंचा बुद्ध का मन्दिर दर्शनीय है। गया श्राद्ध-संस्कार के लिए प्रसिद्ध है।

वैशाली : यह लिच्छवि राजवंश की राजधानी थी। इसे वैभव की नगरी माना जाता था। गौतम बुद्ध ने भी कुछ समय वैशाली में व्यतीत किया था, अतः अशोक ने उनकी स्मृति में एक स्मृतिचिह्न बनवाया। गुप्त सम्राटों के समय वैशाली सभ्यता का एक महान् केन्द्र थी। अब वैशाली जिला वन गया है, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है।

पावापुरी : जैन मत के २४वें तीर्थंकर भगवान् महावीर की निर्वाण-स्थली के रूप में पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थस्थल है। यहाँ जलमंदिर तथा जैन मंदिर दर्शनीय हैं।

पारसनाथ पर्वत : २३वें जैन तीर्थंकर पारसनाथ का निर्वाणस्थल होने के कारण यह जैनियों का तीर्थस्थल है। अत्यन्त रमणीक होने के कारण यहाँ पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। पहाड़ी पर पारसनाथजी के चिह्न तथा मन्दिर हैं। यह हजारीबाग से लगभग ८० कि० मी० की दूरी पर स्थित है।

रांची : यह बिहार का पर्वतीय स्थल है। इस नगरी की प्राकृतिक रमणीयता, सुन्दर पहाड़ियां, वन तथा झरने पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हिरनी झरना, मोराबारी पहाड़ी आदि रमणीक स्थान हैं। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन एवं अन्य औद्योगिक संस्थानों के कारण यह नगरी निरन्तर प्रगति कर रही है।

राजगृह : कभी वहां मगध सम्राट् बिम्बिसार का शासन था। गौतम बुद्ध भी इसी नगरी में रहे। जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी १४ वर्ष राजगृह व नालन्दा में व्यतीत किये थे। यह बौद्धों, जैनियों तथा सनातनधर्मियों सभी का तीर्थस्थल है। मनियार मठ,

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सप्तपर्णी गुफा, गर्म झरने की सप्त धाराएं, करण्डा तालाव, विम्बिसार जेल, गृद्धकूट पर्वत आदि दर्शनीय स्थल हैं। यह पटना से १०४ कि० मी० दूर है। जरासंध और कृष्ण का मल्लयुद्ध यहीं हुआ था। हिन्दू मान्यताओं के अनुसार हर चौथे वर्ष पड़ने वाले अधिक मास (मलमास) में सभी देवी-देवता यहीं वास करते हैं जिसके उपलक्ष में एक मास तक यहाँ लाखों तीर्थयात्रियों का जमाव रहता है। यहाँ इस अवसर पर गर्म जल के कुण्डों में स्नान का महत्त्व है।

हजारीबाग-नेशनल पार्क : घने जंगलों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) पर्यटकों के लिए भारी मनोरंजन का केन्द्र है। १८१ वर्ग कि० मी० क्षेत्र के इस विशाल उद्यान में विभिन्न नस्लों के शेर, चीते, गेंड़े, हिरन, जंगली जानवर, चिड़िया, तोते, मोर आदि की बहुतायत है।

शेरशाह का मकबरा : रोहतास जिले के मुख्यालय सहसराम में शेरशाह सूरी का विशाल मकवरा मुस्लिम शिल्प का महान् नमूना है। एक तालाव के बीच बना यह मकबरा अत्यन्त विशाल व कलात्मक है।

सीतामढ़ी : यह वही स्थान है जहाँ सीताजी का जन्म हुआ था। यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। अकाल पड़ने की स्थिति में राजा जनक ने यहां हल चलाया था जहाँ पृथ्वी से एक कुम्भ निकला जिसमें सीता थीं। राजा जनक की राजधानी यहाँ से २८ मील दूर जनकपुर में थी जो अब नेपाल में है। यहाँ जानकी नवमी का विशाल मेला लगता है।

मध्य प्रदेश

साँची (विदिशा) : यहाँ दो हजार वर्ष से भी अधिक प्राचीन स्तूप हैं। ये सम्राट् अशोक के समय के हैं। स्तूपों के द्वारों पर जातक कथाओं के दृश्य अंकित हैं। स्तूपों के आस-पास प्राचीन विहार व मन्दिरों के भग्नावशेष बिखरे पड़े हैं। यह भोपाल से ६५ कि० मी० दूर है।

खजुराहो : यहाँ के विश्वविख्यात मन्दिर हिन्दू स्थापत्यकला के अद्भुत नमूने हैं। मन्दिरों की ऊँचाई को देखकर बड़े-बड़े विदेशी वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। खजुराहो की पत्थर की मूर्तियाँ बिलकुल प्राणवन्त दिखती हैं। देश-विदेश के कलाकार इस भारतीय कला को देखकर मुग्ध हो जाते हैं।

भोपाल : मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है।

पंचमढ़ी : यह मध्य प्रदेश का पर्वतीय स्थल है। रजत प्रपात, जलावतरण, सुन्दर कुण्ड, पाण्डव गुफाएँ, छोटा महादेव, धूतगढ़, और चौरागढ़ के पर्वत शिखर अत्यन्त दर्शनीय हैं। मध्य प्रदेश सरकार के कार्यालय गर्मियों में पंचमढ़ी ही पहुंच जाते हैं। पंचमढ़ी बम्बई कलकत्ता मुख्य रेलवे लाइन के पिपरिया रेलवे स्टेशन से ४८ कि०मी० दूर है।

उज्जैन : उज्जैन को प्राचीन शास्त्रों में उज्जयिनी या अवन्तिका के नाम से अभिहित किया गया है। महाराजा विक्रमादित्य के समय में उज्जयिनी भारत की राजधानी थी। द्वादश ज्योतिर्लिङ्गों में से एक लिंग तथा ५१ शक्तिपीठों में एक पाठ यहाँ प्रतिष्ठित हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

उज्जैन में पवित्र क्षिप्रा नदी बहती है। क्षिप्रा को भगवान् विष्णु के शरीर से प्रकट नदी माना जाता है। क्षिप्रा के तट पर पक्के व आकर्षक घाट बने हुए हैं। उज्जैन में १२ वर्ष में एक बार कुम्भ भी लगता है। महाकालेश्वर मन्दिर यहाँ का सबसे प्रमुख व दर्शनीय मन्दिर है।

संगमरमर की पहाड़ियाँ : जबलपुर से लगभग २४ कि०मी० दूर संगमरमर की पहाड़िगाँ प्रारम्भ हो जाती हैं। संगमरमर की पहाड़ियों के मध्य नर्मदा की कल-कल करती धारा मनोरम दृश्य उपस्थित कर देती है। यह घाटी अत्यन्त मनोरम है। नर्मदा के तट से कुछ दूरी पर स्थित पहाड़ी पर कलचुरिवंश के समय का एक भव्य चौंसठ योगिनी मन्दिर है।

मांडू : यह प्रदेश का अत्यन्त रमणीय स्थल है। मालवा के शासक बाजबहादुर और रूपमती के प्रणय के प्रतीक एक भवन के खण्डहर से इसकी विशालता का संकेत मिलता है। यह इन्दौर से ९६ कि० मीटर की दूरी पर स्थित है।

शिवपुरी : नैसर्गिक जल-प्रपातों एवं तालाबों की नगरी शिवपुरी कभी ग्वालियर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। राष्ट्रीय उद्यान के पास सख्या सागर तथा माधव सागर झीलें सौन्दर्य को और बढ़ाती हैं। १८९ कि० मी० क्षेत्र के विशाल राष्ट्रीय उद्यान में शेर, चीता, रीछ, नीलगाय, हिरन एवं लकड़बग्घे भारी संख्या में पाये जाते हैं।

ग्वालियर : यहाँ का भव्य किला, अकबर द्वारा सम्मानित फकीर गौस का मकबरा, महान संगीतज्ञ तानसेन की समाधि, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि आदि दर्शनीय हैं।

इन्दौर : यह महारानी अहिल्याबाई होल्कर की राजधानी थी।

राजस्थान

जयपुर : इस नगर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह ने १७२८ में की थी। गुलाबी रंग के पत्थरों से बनाया गया यह नगर हिन्दू वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। महाराजा का संग्रहालय, हवामहल, बाग एवं वेधशाला दर्शनीय हैं। यहाँ से १० कि०मी० दूर स्थित आमेर एक ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थल है। यह राजस्थान की राजधानी है।

उदयपुर : यह राजस्थान के अत्यन्त रमणीक स्थलों में एक है। इसकी स्थापना महाराणा उदयसिंह ने की थी। इसे 'झीलों की नगरी' भी कहा जाता है। पहाड़ियों के नीचे आकर्षक झील है जिसमें पर्यटक नौका-विहार करके आनन्द प्राप्त करते हैं। महाराणा पैलेस एवं महाराणा द्वारा निर्मित मन्दिर दर्शनीय हैं।

चित्तौड़गढ़ : उदयपुर के निकट ही चित्तौड़ नामक ऐतिहासिक स्थल है। चित्तौड़ में एक विशाल किला है। चित्तौड़ सिसौदिया राजपूतों की राजधानी थी तथा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय इसी गढ़ में महारानी पद्मिनी आदि क्षत्राणियों ने पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए साका (जौहर) किया था। किले में 'पद्मिनी पैलेस', मीरा मन्दिर, विजय स्तम्भ आदि दर्शनीय हैं। महाराणा कुम्भा ने मुगल आक्रान्ताओं को पराजित करने के उपलक्ष में विजय-स्तम्भ निर्मित कराया था। हल्दीघाटी के ऐतिहासिक मैदान के पास महाराणा प्रताप के 'चेतक' घोड़े की समाधि बनी हुई है। उदयपुर के पास ही महाराणा प्रताप के आराध्यदेव भगवान् श्री एकलिङ्गजी का ऐतिहासिक मन्दिर भी दर्शनीय है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

नाथद्वारा : यह राजस्थान का प्रमुख तीर्थस्थल है। पुष्टिमार्गीय वैष्णवों के आराध्य भगवान् विट्ठलदेव की अत्यन्त प्राचीन ऐतिहासिक प्रतिमा है। विशाल मन्दिर कला का अद्भुत नमूना है।

श्री महावीरजी : जैन सम्प्रदाय का पवित्र तीर्थस्थान है।

आबू पर्वत : सैलानियों एवं पर्यटकों के लिए अत्यन्त रमणीक स्थान है। ग्रीष्म-काल में इसकी अपूर्व छटा होती है। यहां के दिलवाड़ा मन्दिर का जैन मन्दिरों में प्रमुख स्थान है। ये संगमरमर से निर्मित किए गए हैं।

पुष्कर : यह देश के प्रमुख तीर्थों में से है। यह अहमदाबाद-दिल्ली मार्ग के बीच अजमेर के पास स्थित है। पुष्कर में एक विशाल तालाब है जिसमें यात्री स्नान करने के बाद अपने पुरखों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहां ब्रह्माजी एवं वाराह भगवान् के अद्भुत मन्दिर हैं। ब्रह्माजी की चार मुख वाली प्रतिमा कलात्मक व दर्शनीय है। पुष्कर में वृन्दावन के रंगजी के मन्दिर की आकृति का रंगजी का मन्दिर भी है। विशाल तालाब के अतिरिक्त ज्येष्ठ सरोवर, कनिष्ठ सरोवर व बूढ़ा सरोवर भी हैं। इन सरोवरों में यात्री स्नान करते हैं।

अजमेर : अजमेर स्थित दरगाह ख्वाजा साहब मुस्लिमों का प्रमुख तीर्थस्थल है। मुस्लिम सन्त मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा भी यहीं है। देश-विदेश के लाखों मुस्लिम श्रद्धालु प्रतिवर्ष अजमेर की दरगाह की तीर्थयात्रा के लिए एकत्रित होते हैं।

गुजरात

द्वारिकापुरी : द्वारिकापुरी को भगवान् श्रीकृष्ण ने मथुरा वृन्दावन से पश्चिम समुद्रतट पर जाकर बसाया था। पुराणों के अनुसार जब भगवान् श्रीकृष्ण ने राक्षस कंस का बध कर दिया तो उसके श्वसुर जरासन्ध ने बदले की भावना से श्रीकृष्ण पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिया। युद्ध व झंझट से बचने के लिए एक बार श्रीकृष्ण के हृदय में ब्रज क्षेत्र छोड़कर दूर जाकर बसने की इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने समुद्रतट पर जाकर एक नगरी बसाई। इस नगरी का नाम आगे चलकर द्वारिकापुरी पड़ा। द्वारिकापुरी में गोमती नदी आकर समुद्र से मिलती है। वहां द्वारिकाधीशजी का विशाल मन्दिर है जिसे 'रणछोड़जीका मन्दिर' भी कहा जाता है। द्वारिका में अब भी बड़े बड़े विशाल व प्राचीन महल हैं। महल के दक्षिण में सत्यभामा और जामन्ती के महल हैं तथा उत्तर की तरफ राधा और रुक्मिणी के महल हैं। ऐसी किंवदन्ती है कि यह महल श्रीकृष्ण ने निर्मित कराये थे। द्वारिका से ३९ कि० मी० दूर भगवान् श्रीकृष्ण के मित्र सुदामाजी के नाम पर सुदामापुरी बसी हुई है। सुदामापुरी में सुदामाजी व श्रीकृष्ण के मन्दिर हैं। द्वारिका में प्रद्युम्न, द्वारिकाधीश, बलराम, देवकी आदि के भव्य व आकर्षक मन्दिर हैं। मन्दिर की किवाड़ों की चौखटें चांदी के पत्तरों से जड़ित हैं तथा आकर्षक हैं। आद्य जगतगुरु शंकराचार्य ने चार पीठों में से एक पीठ 'शारदा पीठ' के नाम से द्वारिका में स्थापित किया था।

सोमनाथ मन्दिर : समुद्र तटपर वेरावल में ऐतिहासिक सोमनाथ मन्दिर है। इस

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मन्दिर को महमूद गजनवी ने लूटा व तोड़ा। देश के स्वाधीन होने पर सरदार पटेल ने मन्दिर का पुनरुद्धार कराया।

सूर्य मन्दिर मोधरा : यह मन्दिर हिन्दू स्थापत्यकला का उत्कृष्ट नमूना है। मन्दिर के खम्भे तथा छत आदि पर सुन्दर कलाकारी की गई है। इसमें सूर्य देवता की प्रतिमा है।

पालिताना के जैन मन्दिर : यह जैनियों का प्रमुख तीर्थ है। इसे मन्दिरों का नगर कहा जाता है। इसमें ८६३ भव्य व विशाल जैन मन्दिर हैं। जैनियों के अतिरिक्त पर्यटक भी भारी संख्या में इस नगर में आते हैं। प्राय: सभी मन्दिर संगमरमर के बने हुए हैं। गिरनार के जैन मन्दिर भी दर्शनीय हैं।

गिरि वन : एशिया भर में गिरि वन ही एक मात्र ऐसा वन है जहां शेरों के झुण्ड मुक्त विचरण करते देखे जा सकते हैं। १२८० वर्ग कि० मी० क्षेत्र के इस वन में लगभग ३०० शेर हैं। पर्यटक कारों व बसों में वन के बीच खड़े हो जाते हैं तथा चारों ओर शेरों के झुण्ड उन्हें घेर लेते हैं।

साबरमती आश्रम : महात्मा गांधी के कार्यक्षेत्र के रूप में साबरमती आश्रम भी एक तीर्थस्थल व पर्यटन स्थल के रूप में आकर्षण का केन्द्र है।

टंकारा : आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती के जन्म स्थान के रूप में यह ऐतिहासिक स्थल है। प्रतिवर्ष यहां मेला लगता है।

अहमदाबाद : अहमदावाद की हिलती मीनारें पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं। इन ऊँची व विशाल मीनारों पर उत्कृष्ट शैली की कारीगरी अंकित है। अहमदाबाद में ही शाहआलम का रोजा, सिद्दी सय्याद की जाली, सरखेज रोजा, राज भवन आदि दर्शनीय हैं। यह गुजरात की राजधानी है।

पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर

अमृतसर : यह सिखों के पवित्र स्थान स्वर्ण मन्दिर एवं तालाब तथा सनातनधर्मियों के दुर्ग्याना मन्दिर के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण मन्दिर तालाब के किनारे है। तालाब व मंदिर दोनों ही भव्य व आकर्षक हैं। जलियांवाला बाग, जहाँ अंग्रेजों ने नृशंस हत्याकाण्ड किया था, पर्यटकों के लिए ऐतिहासिक स्थल है।

चंडीगढ़ : पंजाब व हरियाणा की राजधानी है।

ज्वालाजी : ज्वालाजी होशियारपुर से लगभग ८८ कि० मी० दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। यह ५१ शक्तिपीठों में से एक पीठ है। यहां पर ज्वाला (ज्योति) के रूप में भगवती के दर्शन होते हैं। महाराजा रणजीतसिंह ने मन्दिर के ऊपरी भाग को स्वर्णपत्रों में मढ़वाकर अपनी श्रद्धा का परिचय दिया था। ज्वालाजी से ४० कि० मी० दूर काँगड़ा का प्रसिद्ध मन्दिर है। यहाँ पर वज्रेश्वरी देवी की पिण्डी है। कुछ ही दूरी पर चामुण्डादेवी तथा वैद्यनाथ महादेव के मन्दिर हैं।

नैनादेवी : (होशियारपुर), पहाड़ी पर भगवती नैनादेवी का प्रसिद्ध मन्दिर है। गुरु गोविन्दसिंह नैनादेवी के उपासक थे।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

शिमला : यह हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय स्थल है। शिमला के पास ही कांगड़ा घाटी है। ग्रीष्मकाल में देश-विदेश के पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है।

श्रीनगर : जेहलम नदी के किनारे बसी हुई यह नगरी भारत का स्वर्ग मानी जाती है। शालीमार बाग, निशात बाग, चश्मेशाही आदि मुगल सम्राटों की स्मृति के केन्द्र हैं। पहलगांव, डल झील आदि रमणीक स्थल हैं। कश्मीर के सभी रमणीक स्थल देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए स्वर्गतुल्य हैं।

अमरनाथ : श्रीनगर से ऊँचाई पर अमरनाथजी का प्रसिद्ध मन्दिर है। पौराणिक कथानुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भस्म हुई सती के वियोग में पार्वती को यहाँ अमरकथा सुनाई गई थी। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर से मार्तण्डतीर्थ, चन्दनवाड़ी, पहलगाँव आदि होते हुए जाना पड़ता है। चन्दनवाड़ी में ही भगवान् शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। ४१०० मीटर की ऊँचाई पर स्थित अमर गुफा में पहुंचकर यात्री अपना जीवन सफल मानते हैं। गुफा के पास ही अमरगंगा है। अमरगंगा में बर्फ का प्राकृतिक शिवलिंग भी है जिसे देखकर दर्शकों को आश्चर्यचकित होना पड़ता है।

वैष्णव देवी : जम्मू के ऊधमपुर जिले में चित्रकूट पर्वत के नीचे वैष्णव देवी का पीठ विद्यमान है। वैष्णवदेवी के दर्शनों के लिए प्रतिवर्ष आश्विन नवरात्र से दिसम्बर के अन्त तक कई लाख यात्री भारत के कोने-कोने से आते हैं। १४ कि० मी० कठिन चढ़ाई को भी श्रद्धालु जन 'जयमाता की—'जयमाता की' उद्घोषों के साथ यों ही पूरा कर लेते हैं। यात्रा के बीच बाणगंगा पड़ती है। पुराणों के अनुसार भगवती ने वाण द्वारा पृथ्वी से जल निकाला था।

उड़ीसा

जगन्नाथपुरी : समुद्र तट पर स्थित जगन्नाथपुरी भारत की अत्यन्त प्राचीन नगरी व तीर्थस्थल है। पुराणों के अनुसार इस नगरी व मन्दिर को स्वयं भगवान् विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया था। पुरी में भगवान् जगन्नाथजी का एक विशाल मन्दिर है। मन्दिर में भगवान् श्रीकृष्ण, बलराम एवं उनकी बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियाँ हैं। यह भारत में पहला मन्दिर है जिसमें श्रीकृष्ण के भाई-बहनों की प्रतिमाएं हैं। विशाल मन्दिर के चारों ओर श्रेष्ठ वास्तुकला की परिचायक झाँकियां, मूर्तियों के रूप में चित्रित हैं। मन्दिर में गणेशजी, बटेरा महादेव, पट मंगलादेवी, नृसिंह, विमलाक्षी देवी और सरस्वती देवी की आकर्षक प्रतिमाएं हैं। मन्दिर में देश की प्रायः सभी पवित्र नदियों के नाम पर कुए भी हैं। प्रतिवर्ष जगन्नाथजी की रथयात्रा निकाली जाती है जिसमें देश के कोने-कोने से लाखों व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। भगवान् की मूर्तियों को एक विशाल रथ में सजाकर निकाला जाता है। पुरी समुद्र तट पर बसी हुई है। समुद्र तट अत्यन्त रमणीक है जिसमें तीर्थयात्री स्नान करते हैं। पुरी में आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठों में से एक 'गोवर्धन पीठ' भी विद्यमान है।

भुवनेश्वर : यहाँ लिंगराज, मुक्तेश्वर तथा परशुरामेश्वर मन्दिर हैं। भगवती पार्वती का भी दर्शनीय मन्दिर है। पास की गुफाओं मे कभी जैन मुनियों ने तपस्या की थी। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कोणार्क मन्दिर : पुरी के निकट ७०० वर्ष पुराना कोणार्क मन्दिर है। पुराणों के अनुसार भुवन भास्कर स्वर्णरथ पर समुद्र से निकलते दिखाई दिये थे, उनकी छाया पर ही मन्दिर का निर्माण किया गया।

कटक : १३०० वर्षों तक उत्कल की राजधानी रहा।

हरियाणा

कुरुक्षेत्र : यह महाभारत युद्ध से सम्बन्धित ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है। यहाँ अनेक मन्दिर तथा तालाब हैं। सन्निहित सरोवर विशाल तालाब है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा भगवान् कृष्ण के मन्दिर हैं। इनके पास ज्योतिसर नामक स्थान है जहाँ श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश किया था। तीन मील दूर बाण गंगा है। इसके अतिरिक्त श्रवणनाथ मन्दिर, गीता भवन आदि दर्शनीय स्थल हैं।

पानीपत : पृथ्वीराज चौहान व मुहम्मद गोरी के युद्ध के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ मराठों और मुगलों के युद्ध हुए थे।

पिंजौर : कालका से तीन मील पूर्व स्थित पिंजौर उत्तर भारत का अद्वितीय मनोरम स्थल है। इसका सम्बन्ध पांडवों के १२ वर्ष के वनवास से है। यहां का मुगल गार्डन अत्यंत विशाल व मनोरम है।

सोहना के गर्म झरने : दिल्ली से ५६ कि० मी० दूर स्थित सोहना के गर्म झरने भी दर्शनीय हैं। खाज खुजली व एक्जिमा के रोगी इन झरनों के पानी में स्नान करने आते हैं।

कलेसर : यह हरियाणा का प्रमुख मनोरंजन व क्रीड़ास्थल है। यहां मछली के शिकार तथा सुअर, हिरन, चीतल तथा जंगली जानवरों के शिकार के लिए लोग आते हैं। इसमें मोर भी बहुतायत में हैं। यह यमुना नदी के किनारे पर है।

महाराष्ट्र

बम्बई : यह समुद्र तट पर स्थित भारत के प्रमुख व विशाल नगरों में से है। गेटवे आफ इण्डिया, फ्लोरा फाउण्टेन, विक्टोरिया गार्डन, हैंगिग गार्डन, मेरिन ड्राइव, चौपाटी आदि बम्बई के रमणीक व दर्शनीय स्थल हैं। प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। इसका प्राचीन नाम मुम्बई है।

एलीफेंटा की गुफाएँ : ये विश्वप्रसिद्ध गुफाएँ बम्बई के अपोलो बन्दरगाह से ९ कि० मी० की दूरी पर हैं। गुफाओं में त्रिमूर्ति भगवान् शिव की प्रतिमा अत्यन्त कलात्मक व शिल्प की दृष्टि से अद्भुत है।

अजन्ता-एलोरा की गुफाएं : ये औरंगाबाद के पास ऐतिहासिक व दर्शनीय गुफाएं हैं। अजन्ता की गुफाओं में १७ सनातनधर्मी मन्दिर, १२ बौद्ध तथा ५ जैन मन्दिरों का समावेश है। एक सीधी ८४ मीटर ऊँची चट्टान को काटकर मन्दिर बनाये गए हैं। चट्टानों को खोदकर लम्बी गुफा बनाई गई है। ये भित्तिचित्र विश्व की कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। एलोरा की गुफाएं भी सनातनी, बौद्ध व जैनियों की एकता की प्रतीक हैं। गुफाएँ ४३ हैं। कैलाशपति शिव का मन्दिर अत्यन्त दर्शनीय है। इसे ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है। गुफाओं के चारों ओर की सांत कोठरियों में हिन्दू देवता प्रतिष्ठित हैं। इन गुफाओं को देखने देश-विदेश के पर्यटक आते हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

पुणे : यह महाराष्ट्र का ऐतिहासिक नगर है। शनिवार वाड़ा, जीजामाता उद्यान, पर्वती, केसरीवाड़ा आदि दर्शनीय स्थल हैं। पूना से ३५ कि० मी० दूर शिवाजी का सिंहगढ़ ऐतिहासिक स्थल है। देश के प्रमुख शिक्षा-केन्द्रों में इसकी गणना है।

प्रतापगढ़ ; यहाँ भी शिवाजी का विशाल किला है। इसी स्थान पर शिवाजी ने अफजल खां का बध किया था।

महाबलेश्वर : यह महाराष्ट्र का पर्वतीय स्थल है। यहाँ ग्रीष्मकाल में देश-विदेश के पर्यटक मनोरंजन के लिए आते हैं।

नासिक : यह देश के प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थलों में है। यहाँ कुम्भ मेला भी लगता है। यहाँ पंचवटी, अम्बकेश्वर आदि स्थान हैं। भगवान् श्री राम ने १४ वर्ष वनवास के समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किये थे। श्री राम के अनेक दर्शनीय मन्दिर यहां हैं।

असम व त्रिपुरा

गोहाटी (कामरूप) : यह असम का प्राचीन व सुन्दर नगर है। यह कोच राजाओं की राजधानी थी तथा इसका नाम प्राग्ज्योतिष्पुर था। यहाँ के कामाख्या मन्दिर, नवग्रह मन्दिर, उमानन्दा मन्दिर, भुवनेश्वरी मन्दिर आदि प्रसिद्ध स्थल हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे बना हुआ शुक्लेश्वर जनार्दन मन्दिर अत्यन्त रमणीक है। गोहाटी से १२ किलोमीटर दूर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है।

अगरतला : त्रिपुरा की राजधानी।

चन्दुबी झील : गोहाटी से ६४ किलोमीटर दूर खासी एवं गारो पहाड़ियों में सुन्दर व आकर्षक चन्दुबी झील है। यहाँ मछली के शिकार की सुविधा है।

शिलांग : यह असम का सुन्दर पर्वतीय स्थल है। यहाँ के झरनों, झीलों तथा पार्कों की छटा अत्यन्त मनोरम है। हाथी झरना बहुत रमणीक है।

चेरापूंजी: यह समस्त विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ ५०० इंच वर्षा प्रतिवर्ष होती है। यहाँ रामकृष्ण आश्रम दर्शनीय है।

जोरहट : यह चाय की नगरी है। यहाँ अनेक तकनीकी शिक्षा-केन्द्र हैं। असम में इस नगर का बहुत महत्त्व है।

शिवसागर : यहां असम का सबसे विशाल मन्दिर है जो शिवसागर तालाब के किनारे बना हुआ है। इसका निर्माण अहोम राजाओं ने कराया था।

तेजपुर : यह कभी राजा बलि की राजधानी था।

तमिलनाडु

मद्रास : तमिलनाडु की राजधानी मद्रास अत्यन्त सुन्दर, विशाल व आकर्षक नगर है। दक्षिण भारत की सभ्यता का यह प्रमुख केन्द्र है। यहाँ हिन्दू शैली के अनेक विशाल मन्दिर हैं वहाँ ईसाइयों के भी अनेक विशाल व भव्य चर्च हैं। यहां का सेंट मेरी चर्च भारत के सबसे पुराने चर्चों में से है जो सन् १६८० ई० में बनाया गया था। नेशनल आर्ट गैलरी में नटराज एवं राम-परिवार की कलात्मक प्रतिमाएँ दर्शनीय हैं। मल्लिकार्जुन, चेन्नाकेशव, भगवान् कपिलेश्वर, पार्थसारथी आदि शैव एवं वैष्णव मन्दिर हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

रामेश्वरम् : दक्षिण भारत में स्थित एक प्राचीन व सुन्दर तीर्थस्थल है। इस तीर्थ का सम्बन्ध भगवान् राम की लंका-विजय से बताया जाता है। भगवान् श्रीराम ने यहाँ शिव मन्दिर में पूजा की थी। रामेश्वरम् दक्षिण में समुद्रतट पर स्थित है। रामेश्वरम् में समुद्र तट पर एक विशाल पुल है। पहले यह ढाई मील लम्बा पुल पत्थरों का बना हुआ था किन्तु अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में कुशल इंजीनियरों से पत्थर के पुल पर ही रेलवे पुल तैयार कराया। रामेश्वरम् का विशाल व आकर्षक मन्दिर भारत की प्राचीन निर्माण एवं स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। मन्दिर के बरामदे में और अन्य भागों में सैकड़ों ऊँचे-ऊँचे खम्भे लगे हुए हैं। खम्भों पर भारतीय कला कौशल का सुन्दर काम है। मन्दिर का प्रवेश द्वार देखते ही बनता है। समुद्र तट पर आगस्त्य मुनि का एक आश्रम बना हुआ है। कहा जाता है कि इस स्थान पर आगस्त्य मुनि ने तपस्या की थी। रामेश्वरम् में अनेक पवित्र कुण्ड हैं।

कन्याकुमारी : तपश्चर्या करती हुई श्री कुमारीदेवी का मन्दिर। स्वामी विवेकानन्द की तपस्यास्थली है। विवेकानन्द शिला स्मारक भव्य व दर्शनीय है।

श्रीरंगम् मंदिर : तिरुच्चिरापल्ली के निकट कावेरी के द्वीप को श्रीरंगम् कहते हैं। यहाँ विष्णु भगवान् का एक विशाल व दर्शनीय मन्दिर है जिसमें एक हजार खम्भों का विशाल हाल है।

महाबलीपुरम् : यह मद्रास से ८८ कि० मी० की दूरी पर बंगाल की खाड़ी के तट पर है। मन्दिर की मूर्तियाँ चट्टानों को काटकर-तराशकर बनाई गई हैं। 'पाँच रथ' 'महिषासुर मण्डप', 'कृष्ण मण्डपम्', 'अर्जुन तपस्या' आदि दर्शनीय कलात्मक मूर्तियाँ हैं।

चिदम्बरम् : यहाँ विश्वविख्यात नटराज शिव का विशाल व ऐतिहासिक मन्दिर है। मन्दिर की दीवारों पर नाट्यशाला में वर्णित १०८ मुद्राओं का चित्रांकन किया गया है। यह मद्रास से २४० कि० मी० दूर है।

पाण्डिचेरी : यहाँ योगी अरविन्द का प्रसिद्ध आश्रम है।

मीनाक्षी : मदुरै में मीनाक्षी का अत्यन्त दर्शनीय मन्दिर है। मन्दिर चारों ओर गोपुरम् से घिरा हुआ है। मन्दिर का हाल सहस्र स्तम्भों का है। यह द्रविड़ शिल्प का उत्कृष्ट नमूना है।

तंजौर : यहाँ श्री वृहदेश्वर का विख्यात विशाल मन्दिर है। यह चोल नरेशों की राजधानी थी।

कांचीपुरम् : यह पल्लवों की राजधानी थी। यह मन्दिरों की नगरी है। यहाँ के वरदराजा स्वामी मन्दिर, कैलाशनाथ मन्दिर, एकम्बरेश्वर मन्दिर आदि दक्षिण भारतीय शिल्प के सुन्दर नमूने हैं। श्री शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित कामकोटी पीठ है।

कर्नाटक

बंगलौर : कर्नाटक की राजधानी बंगलौर देश के सुन्दर नगरों में से है। यहाँ का लांल बाग एशिया भर में अपनी किस्म का एक है। इसे हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बनवाया था। बंगलौर के पास ही नदी हिल्स, कोलार सोने की खानें, शिवगंगा, चामराज सागर आदि आकर्षक स्थल हैं।

मैसूर : यहाँ का दशहरा समस्त विश्व में प्रसिद्ध है। चामुण्डी पहाड़ी पर देवी चामुण्डी का दर्शनीय मन्दिर है।

वृन्दावन गार्डन : मैसूर से केवल १८ कि० मी० की दूरी पर कृष्णराज सागर डैम के पास वृन्दावन गार्डन है। कावेरी नदी के तट पर नौका-विहार में अपूर्व आनन्द आता है।

बाँदीपुर का खेदा : मैसूर जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बाँदीपुर के जंगलों में जहाँ हाथियों को घेरकर पकड़ते हैं, उसे 'खेदा' कहते हैं। हाथियों के खेदे को देखने के लिए पर्यटक आते हैं।

शिवसुन्दरम् : यहाँ के गगनचुक्की तथा बड़ी चुक्की झरने बहुत ही मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। भगवान् शिव का मन्दिर भी दर्शनीय है।

बेलूर : होयसाल नरेशों द्वारा निर्मित चन्ना केशव मन्दिर शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। बेलूर से १४ कि० मी० दूर होयशलेश्वर शिव-मन्दिर दर्शनीय है।

श्रृंगेरी : जगदगुरु शंकराचार्य का आद्यपीठ तथा शारदा देवी का प्रख्यात मन्दिर है।

हैम्पी के खण्डहर : हैम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अब भी तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर १६ कि० मी० के अन्दर प्राचीन नगर के खण्डहर बिखरे पड़े हैं। इन ध्वंसावशेषों को देखकर दक्षिण भारत के एक महान साम्राज्य की विशालता का पता चलता है। हैम्पी में पट्टाभिराम मन्दिर, विट्ठल मन्दिर, नृसिंह मन्दिर आदि दर्शनीय हैं।

बीजापुर : बंगलौर से ६६४ कि० मी० दूर बीजापुर आदिलशाह राजवंश का प्राचीन नगर है। यहां की जामा मस्जिद, इब्राहीम रोजा, मुहम्मद आदिलशाह का मकबरा, गोल गुम्बद आदि मुगल शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं।

केरल

तिरुअनन्तपुरम् (त्रिवेंद्रम) : यह रोम की तरह पहाड़ी पर बसा हुआ सुन्दर शहर है। नगर में अनन्तनाग मन्दिर, पद्मनाभस्वामी मन्दिर, चित्रालयम (आर्ट गैलरी), चिड़ियाघर एवं संग्रहालय दर्शनीय हैं।

कालडि (त्रिचूर) : आद्य शंकराचार्यजी का जन्म स्थान।

क्विलोन : त्रिवेन्द्रम से ७१ कि० मी० उत्तर में स्थित क्विलोन में ही सन् १३३० ई० में रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के मुखिया पोप का पहला प्रतिनिधि पहुँचा था। क्विलोन से त्रिवेन्द्रम तक नारियल के घने वृक्षों से घिरा जलमार्ग पर्यटकों के लिए नया अनुभव प्रस्तुत करता है।

अलेप्पी : इसे नहरों के जाल के कारण 'भारत का वेनिस' कहते हैं। काली मिर्च की खेती और नारियल की जटाओं के सामान का निर्माण यहाँ के प्रमुख धंधे हैं।

पेरियर संरक्षित वन : भारत के वन्य जीवन की सर्वोत्तम झाँकी इस वन में देखने को मिलती है। हाथी, हिरण, जंगला भैसे और बाघ यहाँ स्वच्छन्द विचरण करते दिखाई देते हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कोचीन : अठारह शताब्दी पहले चीन के व्यापारी कोचीन आते थे। यहाँ यहूदियों का प्राचीन मन्दिर और डच शासकों द्वारा बनाया गया महल दर्शनीय है।

त्रिचूर : कोचीन से ७४ कि० मी० दूर स्थित त्रिचूर केरल का सबसे फैशनेवल नगर समझा जाता है। रेंगने वाले जीवों के कारण यहाँ का चिड़ियाघर प्रसिद्ध है।

आन्ध्र प्रदेश

तिरुपति : यहां श्री वालाजी (व्यंकटेश) का प्रख्यात मन्दिर है। अत्यन्त विशाल व प्राचीन इस मन्दिर की बहुत अधिक मान्यता है।

श्री शैलम् (कुर्नूल) : यह ज्योतिर्लिंगों में से एक है।

लेपाक्षी : विजयनगर साम्राज्यकालीन मन्दिर कलात्मक है।

कालहस्ति (चित्तूर) : यहाँ प्रख्यात शैव तीर्थ है।

हैदराबाद : इसका प्राचीन नाम भाग्यनगर था। यह आन्ध्र प्रदेश की राजधानी है। यहाँ की चार मीनारें व सालारजंग संग्रहालय दर्शनीय हैं।

पश्चिमी बंगाल

कलकत्ता : यह भारत के बड़े नगरों में से है और पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यहां भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, ज्युलाजिकल गार्डन, सबसे बड़ा संग्रहालय, कलकत्ता म्यूजियम तथा सबसे बड़ा पुल हावड़ा ब्रिज है। काली का प्रसिद्ध मन्दिर, रामकृष्ण परमहंस का दक्षिणेश्वर मन्दिर तथा स्वामी विवेकानन्द का बेलूर मठ दर्शनीय हैं।

नवद्वीप : भागीरथी गंगा के तट पर चैतन्य महाप्रभु की लीलाभूमि।

गंगासागर : भागीरथी गंगा यहां समुद्र में मिली है। यहां कपिल मुनि का आश्रम तथा मन्दिर हैं।

शान्तिनिकेतन : विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय।

दिल्ली

भारत की राजधानी होने के कारण दिल्ली का विशेष महत्त्व है। यह सन् १९११ ई० से भारत की राजधानी है। यमुना तट पर बसा हुआ यह विशाल नगर पर्यटकों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केन्द्र है। लालकिला, जामा मस्जिद, हुमायूं का मकवरा, पांडवों का किला, कुतुबमीनार, बिरला मन्दिर, चिड़ियाघर, नेहरू संग्रहालय, गुड़ियाघर आदि दर्शनीय स्थल हैं। कुतुबमीनार के पास पुष्करणवंशी चन्द्रवर्मा द्वारा निर्मित लौहस्तम्भ एक ऐतिहासिक महत्व का और अपने ढंग का अनूठा स्तम्भ है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

राष्ट्रीय मानबिन्दु

हमारा राष्ट्रीय चिह्न : सारनाथ में अशोक निर्मित 'सिंह स्तम्भ' और उसके शीर्ष पर निर्मित त्रिसिंह मूर्ति ही हमारा राष्ट्रीय चिह्न है। भारत सरकार ने २६ जनवरी १९५० को इसकी घोषणा की। राजचिह्न में तीन सिंह दिखाई देते हैं। चौरस पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में एक चक्र है जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। चिह्न के नीचे देवनागरी लिपि में उपनिषद् का एक वाक्य 'सत्यमेव जयते' अंकित है।

राष्ट्रीय ध्वज : २३ जुलाई १९४७ को विधानपरिषद् ने राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृत किया। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में यही झण्डा फहराया गया था। इसमें लाल, पीला और हरा रंग था। श्रीमती कामा और उनके साथी क्रान्तिकारियों ने पेरिस में भी इसी तरह का झंडा फहराया था। १९१७ में लोकमान्य तिलक ने होमरूल आन्दोलन के सिलसिले में झण्डा फहराया। गांधीजी ने १९२१ में तिरंगा झण्डा स्वीकार किया। यही विधानपरिषद् ने माना। झण्डे पर केवल चर्खे की जगह चक्र कर दिया। यह झण्डा आयताकार तीन पट्टियों से बना है। सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में श्वेत और नीचे हरा रंग है। श्वेत पट्टी के मध्य में नीले रंग का चक्र है। यह चक्र सारनाथ के सिंह स्तम्भ वाले धर्मचक्र की तरह का है।

राष्ट्रीय ध्वज के नियम : ध्वज फहराने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। यह ध्वज सर्वोपरि रहना चाहिए। इसके दाहिनी ओर और इसके ऊपर कोई अन्य ध्वज नहीं फहराना चाहिए, ध्वज को लिटाकर या झुकाकर कहीं न ले जाना चाहिए। जुलूस में डंडा ध्वजवाहक के दायें कंधे पर रहना चाहिए। मकान आदि पर डंडे आदि के सहारे फहराना हो तो केसरिया भाग ऊपर रहना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज सरकारी भवनों पर ही फहराया जाना चाहिए।

स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी के जन्मदिन व अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज या उसके मिलते-जुलते ध्वज का उपयोग व्यापार, व्यवसाय, पेटेंट आदि में बगैर केन्द्रीय सरकार की अनुमति के नहीं किया जा सकता। ऐसा करना अपराध है।

राष्ट्रगान—रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित **'जन-गण-मन अधिनायक जय हे'** २४ जनवरी १९५० को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। यह गान पहली बार २७

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

दिसम्बर, १९११ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गान के पांच अंश है। प्रथम अंश को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है, जो इस प्रकार है—

जन-गण-मन अधिनायक, जय हे
भारत भाग्य विधाता
पंजाव-सिन्धु-गुजरात-मराठा-द्राविड़-उत्कल-वंग
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा-उच्छल-जलधि-तरंग
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय-गाथा।
जन-गण-मंगलदायक, जय हे
भारत-भाग्य-विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

राष्ट्रीय गीत—उसी समय राष्ट्रीय गीत भी स्वीकार किया गया, और यह निर्णय हुआ कि बंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा रचित गीत **'वन्दे मातरम्'** को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया जाय। यह गीत राष्ट्रीय आन्दोलन में महान् प्रेरणास्रोत रहा। इसे बंकिमचन्द्र के उपन्यास 'आनन्द मठ' से लिया गया है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के १८९६ के अधिवेशन में पहली वार गाया गया था। गीत इस प्रकार है—

वन्दे मातरम्
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्
शस्यश्यामलाम् मातरम्
शुभ्र ज्योत्स्नाम्-पुलकित यामिनीम्
फुल्लकुसुमित-द्रुमदल शोभिनीम्
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्
सुखदाम् वरदाम् मातरम्

राष्ट्रीय पक्षी—भारत सरकार ने १९६४ में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

उपग्रह–'भास्कर'

पांच वर्ष के अन्दर भारत ने 'आर्यभट्ट' के बाद इस वर्ष ७ जून १९७९ को दूसरा उपग्रह 'भास्कर' छोड़कर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा तैयार किया गया उपग्रह 'भास्कर' ७ जून को सोवियत संघ की सहायता से सोवियत संघ में एक स्थान से छोड़ा गया। इस उपग्रह का वजन ४४४ किलोग्राम है और इसका उद्देश्य भू-पर्यवेक्षण और पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाना है।

इस उपग्रह की सहायता से वनों, जल-विज्ञान, पहाड़ों पर वर्फ के जमा होने और पिघलने, भूमि-उपयोग और महासागरीय सतह आदि के सम्वन्ध में प्रयोग किये जायेंगे। इन परीक्षणों से प्राप्त जानकारी से बाढ़ आदि का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा और बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा और समय पर रोकथाम के उपाय किए जा सकेंगे। इन प्रयोगों में लगभग २० संस्थायें भाग लेंगी।

भास्कर उपग्रह अपनी धुरी पर ही एक चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घूम रहा है। इस उपग्रह में टेलीविजन कैमरे लगे हुए हैं जो पृथ्वी के चित्र ले रहे हैं। इस उपग्रह को जमीन से ही नियंत्रित किया जा रहा है।

'भास्कर' में कई अतिरिक्त प्रौद्योगिक विशेषतायें हैं जो भारत के भविष्य के दूर-संवेदन उपग्रहों के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन 'भास्कर' के आधारभूत ढांचे की आकृति आर्यभट्ट के समान ही है।

'भास्कर' में कुछ अतिरिक्त उपकरण भी लगाए गए हैं जो परिभ्रमण गति को नियंत्रित करते हैं। इस अन्तरिक्ष यान का, इसके परिभ्रमण के दौरान, बेहतर ढंग से नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त नियंत्रक उपकरण भी लगाए गए हैं। टी० वी० कैमरों के, शटरों के संचालन के लिए भी एक क्षितिज भेदी संवेदक लगाया गया है जो कैमरों के पृथ्वी की ओर उदवृत्त होने की स्थिति की सूचना देगा।

इसमें टी० वी० चित्र आंकड़ों को पृथ्वी पर भेजने के लिए ९१.३९ किलोबिट प्रति सेकिण्ड की गति की दूर मिति प्रणाली भी लगाई गई है। यह २२४ बिट प्रति सेकिण्ड की गति वाली दूरमिति प्रणाली के अतिरिक्त है जो आर्यभट्ट में भी थी।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भास्कर को तैयार करने में करीब ६०० भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने योग दिया। यह काम ४ वर्ष मे पूरा हुआ तथा इस पर कुल मिलाकर ६.५ करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसमें सोवियत संघ में हुआ प्रक्षेपण का खर्च शामिल नहीं है। इसकी व्यवस्था सोवियत संघ ने निःशुल्क की थी।

परीक्षण उद्देश्य

भास्कर के परीक्षणों से कई क्षेत्रों और संस्थाओं के लिए उपयोगी जानकारी मिलेगी। जहाँ तक भू-गर्भीय और खनिज अन्वेषण का प्रश्न है, बिहार की अभ्रक पट्टी, कर्नाटक की चित्रदुर्ग पट्टी, नागपुर के पास का साकोली समूह, पूना के पास दक्कन ट्रैक और राजस्थान का खेतड़ी (ताँबा) क्षेत्र, सरगुजा के समीप का यूरेनियम क्षेत्र, गुजरात के बनासकांठा और सबरकांठा जिले शामिल हैं।

भास्कर का विवरण

दूसरा भारतीय उपग्रह भास्कर दीखने में आर्यभट्ट जैसा ही है। यह अर्ध-गोलाकार है और इसके २६ फलक हैं। इसकी ऊँचाई १५६० मि० मी० और व्यास १५९० मि० मी० हैं। इसका भार ४४४ किलोग्राम है। उपग्रह के ऊपरी भाग में सौर सेल लगे हैं जो उपग्रह के परिचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। उपग्रह के तीन भाग हैं— ऊपरी खोल, मध्यवर्ती डेकप्लेट तथा तले का खोल। ये विशेष अल्युमीनियम मिश्र धातु के बने हैं। उपग्रह के मध्यवर्ती डेकप्लेट पर प्रमुख उरकरण रखे हुए हैं। निचले तल में नाइट्रोजन गैस की बोतलें सम्बद्ध नलकियाँ और वायुवीय यंत्र हैं। इनका परिचालन भूमि से भेजे जाने वाले आदेशों से किया जाता है जिसका उद्देश्य उपग्रह की अपनी धुरी पर घूमने की गति को बनाए रखना तथा घूमने की अक्ष की इस तरह मोड़ना है, जिससे कि फोटोग्राफी के लिए कैमरों का रुख पृथ्वी की तरफ हो जाए।

उपग्रह संबंधी इस परियोजना का कार्यान्वयन इसरी उपग्रह केन्द्र, बंगलौर के प्रबंध में हुआ। अन्तरिक्ष यान के मुख्य ढांचे और उप-प्रणालियों की डिजाइन और विकास तथा समूचे अन्तरिक्ष यान को जोड़ने और उसकी जांच का काम इसरी उपग्रह केन्द्र ने किया। दो प्राथमिक नीतभार के डिजाइन और विकास तथा टेलीविजन और उपग्रह माइक्रोवेव रेडियो मीटर से प्राप्त आंकड़ा उत्पादों के तैयार करने और उन्हें उपभोक्ताओं के उपयोग लायक बनाने का काम अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र अहमदाबाद ने किया। श्रीहरिकोट और अहमदाबाद में भू-केन्द्रों को स्थापित करने और उनके परिचालन करने का काम श्रीहरिकोट केन्द्र के इसरी ट्रैकिंग नेट वर्क के अन्तर्गत पूरा हुआ।

उपग्रह के विकास में जिन भारतीय संगठनों ने महत्वपूर्ण योगदान किया उनमें— हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०; कन्ट्रोलेरेट इन्सपेक्शन आफ इलैक्ट्रानिक्स; सेन्ट्रल मशीन टूल्स इंस्टीट्यूट, इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०; हेग्डे एण्ड गोले खि०, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र; हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०; भारतीय विज्ञान संस्थान; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान; इंडो-बर्मा पैट्रोलियम; इंडियन, टेलीफोन इंडस्ट्रीज और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के नाम उल्लेखनीय हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भास्कर का सफलापूर्वक छोड़ा जाना बाहरी अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोग में भारत-सोवियत सहयोग के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम है।

'आर्यभट्ट'

१९ अप्रैल, १९७५ को भारत ने आर्यभट्ट नाम का अपना पहला उपग्रह बाह्य आकाश में छोड़ा। यह उपग्रह हर ९६ मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर रहा है।

उपग्रह क्या होता है ?

एक ग्रह के इर्द-गिर्द घूमने वाली वस्तु को उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी से पहला उपग्रह सोवियत संघ ने ४ अक्तूबर १९५७ को छोड़ा था। इसका नाम था स्पुतनिक-१। तब से अब तक फुटबाल के आकार से लेकर अन्तरिक्ष प्रयोगशाला (स्काइलैब) तक छोटे-बड़े अनेक उपग्रह छोड़े जा चुके हैं।

हमारे उपग्रह का नाम प्राचीन भारत के एक बड़े वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। आर्यभट्ट प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषशास्त्री और गणितशास्त्री थे। उनका जन्म ४७६ ई० में पाटलिपुत्र (पटना) के कुसुमपुरा स्थान में हुआ था। जब वह अभी २३ वर्ष के ही थे, उनकी पहली प्रसिद्ध पुस्तक 'आयभट्टीय' प्रकाशित हुई। आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और पृथ्वी तथा चन्द्रमा आदि विभिन्न खगोल पिण्ड किसी चुम्बकीय शक्ति के कारण एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। इसके अलावा आर्यभट्ट ही आधुनिक बीजगणित के प्रवर्तक थे। त्रिकोणमितीय क्रिया-कलापों की पहली बुनियादी परिभाषा भी आर्यभट्ट ने ही दी और शून्य के महत्त्व को बताने वाले भी वही थे। उन्होंने ही पहली बार π (पाई) का दशमलव के चार स्थानों तक सही मूल्य निर्धारित किया था।

आर्यभट्ट का वजन और शक्ल !

पहले स्पुतनिक के मुकाबले में आर्यभट्ट काफी बड़ा है। यह एक बहुत बड़ी गेंद की तरह है जिसकी शक्ल हीरे से मिलती है। इसकी २६ सतहें हैं। इसका वजन ३६० कि० ग्रा० और लम्बाई १.६ मीटर और व्यास १.२ मीटर है।

उपग्रह का जीवन काल ?

आर्यभट्ट सफलता से काम कर रहा है और आगे करता रहेगा। आर्यभट्ट में भरे हुए नाइट्रोजन गैस के छः सिलेण्डर हैं। आमने-सामने लगे नोजल से निकलने वाली गैस की वजह से उपग्रह एक मिनट में पचास चक्कर लगाता रहता है। परिक्रमा में रहने के लिए यह बहुत जरूरी है। लेकिन जब यह गैस खत्म हो जायेगी, तब आर्यभट्ट एक बच्चे के खिलौने की तरह गिर पड़ेगा। यह बिलकुल इस तरह है जैसे एक लट्टू जब तक घूमता रहता है, वह हथेली या जमीन पर सीधा खड़ा रहता है, लेकिन ज्यों ही उसका घूमना बन्द हुआ, वह गिर पड़ता है।

यह सही है कि हमारे देश में थुम्बा में राकेट छोड़ने की व्यवस्था है, लेकिन भारत के पास ऐसा बूस्टर राकेट नहीं है जो वजनी आर्यभट्ट को पृथ्वी की परिक्रमा के लिए बाह्य आकाश में धकेल सकता। इस काम के लिए २९००० मील प्रति घंटे (चुटकी बजाते, यानी एक सैकेण्ड में ८ मील) की रफ्तार की जरूरत होती है। आशा है कि भारत स्वयं भी जल्दी ही ऐसे राकेटों का निर्माण कर लेगा।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

परमाणु विस्फोट

भारत ने १९७४ वर्ष के दौरान सफल आणविक परीक्षण करके तथा १९७५ में अन्तरिक्ष में आर्यभट्ट भेजकर विज्ञान के क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त की उससे सारी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी।

भारत विश्व का पहला राष्ट्र है, जिसने अपना पहला परमाणु विस्फोट भूमि के अन्दर किया। यह विस्फोट १८ मई, १९७४ को भारतीय समयानुसार सुबह ८ बजकर ५ मिनट पर पोखरण (राजस्थान) में १०० मीटर से अधिक गहराई पर किया गया तथा इसमें अन्तः स्फोट की प्रणाली का उपयोग किया गया।

सभी अणुशक्ति राष्ट्रों—अमरीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने परमाणु विस्फोट के सिलसिले में परम्परागत क्रम का पालन किया अर्थात् पहले वायुमण्डल में परमाणु विस्फोट फिर अणु-आयुधों में पूर्णतः और तब भूमिगत विस्फोट।

यह विस्फोट शत-प्रतिशत भारतीय प्रयास था तथा इसमें प्रयुक्त प्लूटोनियम भारत में ही तैयार किया गया था। इसके लिए अलग से कोई बजट-व्यवस्था नहीं की गई थी तथा इसको अनुसंधान व विकास के निर्धारित बजट में ही पूरा किया गया। इस परीक्षण के लिए न तो विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी और न किसी अन्य देश का सहारा लेना पड़ा।

यह प्लूटोनियम ओर विखण्डन (फिश्न) की पूर्णतया भारतीय तकनीकी के उपयोग से किया गया। यह विस्फोट चट्टानों से सम्बन्धित गति विज्ञान तथा नहरों, जलाशय आदि के निर्माण में परमाणु विस्फोट के उपयोग के बारे में अध्ययन करने की दृष्टि से किया गया।

इस परीक्षण का एक और उद्देश्य कमी वाले क्षेत्रों में पृथ्वी के गर्भ में छिपे गैस और तेल को ऊपर की ओर लाने की संभावनाओं का अध्ययन करना भी था। परमाणु विस्फोट से अन्य तरीकों की अपेक्षा इस दिशा में काफी सहायता मिलती है।

अन्तःस्फोट प्रणाली में एक पात्र में प्लूटोनियम के कई टुकड़े एक-दूसरे से अलग करके रखे जाते हैं। एक रासायनिक विस्फोट द्वारा इन टुकड़ों को साथ-साथ लाते हैं जिससे विस्फोट पिण्ड बन जाता है जो परमाणु विस्फोट के लिए आवश्यक होता है।

परमाणु बम और परमाणु साधन में अन्तर है। परमाणु बम का उद्देश्य विनाश होता है। अतः इसमें रेडियोधर्मिता को नियन्त्रित करने का प्रयत्न नहीं किया जाता जबकि परमाणु साधन का शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

विस्फोट के एक घंटे बाद ही परीक्षण स्थल की भूमि से ३० मीटर ऊंचाई पर हैलीकोप्टर से की गई जांच से पता चला कि विस्फोट के परिणामस्वरूप कोई उल्लेखनीय रेडियोधर्मिता नहीं पाई गई। परीक्षण के डेढ़ घंटे बाद ही वैज्ञानिकों का एक दल परीक्षण स्थल के ३०० मीटर समीप तक पहुँच गया था।

परमाणु अस्त्रों और परमाणु शक्ति के बारे में भारत में भिन्न परम्परा रही है। १२ मार्च, १९५४ को डॉ० भाभा ने टाटा ट्रस्ट के पास मौलिक शोध संस्थान की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजते हुए भविष्यवाणी की थी कि जब बिजली के उत्पादन में परमाणु

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

शक्ति का सफल उपयोग किया जा चुका है, तब अब से कुछ दशक बाद भारत को विशेषज्ञों के लिए विदेशों का मुँह नहीं ताकना पड़ेगा, बल्कि विशेषज्ञों का दल भारत में ही तैयार हो जाएगा।

डॉ० भाभा की भविष्यवाणी

१९५४ में जेनेवा में प्रथम 'शान्ति के लिए परमाणु' सम्मेलन में डॉ० भाभा ने भविष्यवाणी की थी कि अगले बीस वर्षों में द्रवण शक्ति का उद्भव होगा। एशिया में भारत ने चीन और जापान से भी पहले १९५६ में प्रथम अनुसंधान रिएक्टर 'अप्सरा' की स्थापना की थी। इसी प्रकार प्लूटोनियम अलग करने की पहली सुविधा की स्थापना १९६४ में ही देशी साधनों के आधार पर की गई थी।

हमारे पास थोरियम के विशाल भंडार हैं, जबकि यूरेनियम के भंडार सीमित हैं। हमारी औद्योगिक अवस्थापना पर्याप्त विकसित नहीं थी कि उसके आधार पर एक विस्तृत परमाणु कार्यक्रम शुरू किया जा सकता। एक ओर तो हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति है, वहीं दूसरी ओर वह तथ्य भी है कि प्रधान औद्योगिक शक्तियां अन्य देशों में परमाणु उद्योग के विकास के प्रति संवेदनशील हैं। इसलिए जान-बूझकर भारी पानी प्राकृतिक यूरेनियम रिएक्टर से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तक के लिए आत्मनिर्भर विकास नीति अपनाई गई। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर थोरियम को फिसाइल यूरेनियम २३३ में बदलेगा और इस प्रकार से हमारा देश परमाणु शक्ति कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहेगा। विकास की इन सभी अवस्थाओं में भारत ने बड़ी दूरदर्शिता दिखाई है।

शांतिपूर्ण उपयोग

टाटा मूलभूत शोध संस्थान की स्थापना से परमाणु शक्ति का विकास हुआ। जब रचनात्मक कार्यों के लिए शान्तिपूर्ण विस्फोटों का सामान्य रूप से उपयोग होने लगेगा तब हम अमरीकियों, रूसियों और चीनियों पर इस बात के लिए निर्भर नहीं रहना चाहेंगे कि वे ऐसी परियोजनाएँ हमारे देश में आरम्भ करें। उस समय तक हम आशा करते हैं कि हमारे वैज्ञानिक अच्छी तरह प्रशिक्षित हो जायेंगे और विश्व की नवीनतम तकनीक से अवगत हो जायेंगे। यह जानते हुए कि इस तकनीक के विकास में १५-२० वर्ष लग जायेंगे, भारत ने इसके लिए अभी से प्रयास आरम्भ कर दिए हैं। ●

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भूमि कटाव की रोकथाम के लिये

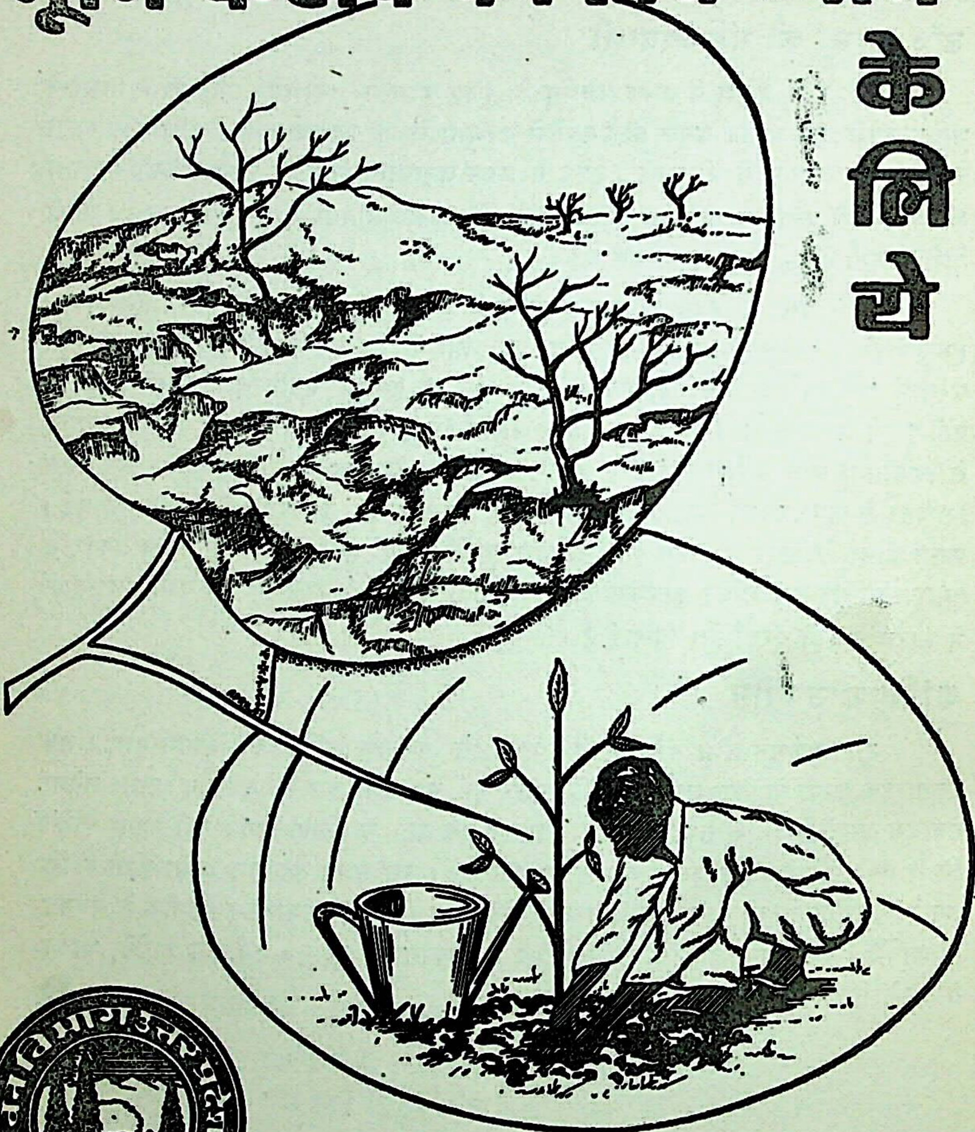

अधिक से अधिक वृक्ष लगाइये

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भारत की शासन-व्यवस्था

संविधान

स्वाधीन भारत का संविधान तैयार करने के लिए १९४६ में संविधान सभा का गठन प्रख्यात विधिवेत्ता और स्वाधीनता सेनानी डॉ० सच्चिदानन्द सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। उनके अस्वस्थ हो जाने के बाद डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद उसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

१९४६ के चुनाव से बनी प्रान्तीय सभाओं द्वारा चुने गये और केन्द्रीय सभा (असेम्बली) के सदस्यों को मिलाकर संगठित 'संविधान सभा' ने स्वाधीन भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए २९ अगस्त, १९४७ को डॉ० भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में सात सदस्यों की एक समिति बनाई थी। सर्वश्री गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, टी०टी०कृष्णामाचारी, मोहम्मद सादुल्ला, एन० माधव राव और डी० पी० खेतान उसमें सम्मिलित थे। समिति को संविधान का प्रारूप तैयार करने में कुल १४१ दिन लगे। उस पर सारे देश में सूक्ष्म विचार के लिए आठ महीने का समय दिया गया।

संविधान सभा ने ४ नवम्बर, १९४८ को इस पर विचार प्रारम्भ किया और ११४ दिनों की बहस के बाद २६ नवम्बर, १९४९ को संविधान स्वीकार कर लिया। उसमें ३९५ अनुच्छेद व ९ अनुसूचियाँ थीं। २४ जनवरी १९५० को प्रारम्भ हुए संविधान सभा के १२वें सत्र में डॉ० राजेन्द्रप्रसाद सर्वसम्मति से भारत संघ के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। एक विशाल समारोह में भारत के संविधान की अधिकृत प्रतियों पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किये और २६ जनवरी, १९५० को यह संविधान लागू हुआ।

संविधान का उद्देश्य भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना है। इसकी उद्देशिका में कहा गया है : हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अभिनियमित और

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

आत्मार्पित करते हैं।

राज्य : भारत राज्यों का संघ है। भारत में निम्नलिखित २२ राज्य हैं—(१)असम (२) आन्ध्रप्रदेश (३) उत्तर प्रदेश (४) उड़ीसा (५) केरल (६)जम्मू-कश्मीर (७) गुजरात (८) नागालैंड (९) पंजाव (१०) पश्चिम बंगाल(११) बिहार (१२) महाराष्ट्र (१३) तमिलनाडु (१४) मध्यप्रदेश (१५) कर्नाटक (१६) राजस्थान (१७) हरियाणा (१८) हिमाचल प्रदेश (१९) मेघालय (२०)त्रिपुरा (२१)मणिपुर तथा (२२)सिक्किम।

संघ राज्य क्षेत्र : संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या ९ है। दिल्ली, लक्ष द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, पांडीचेरी, गोआ-दमन-दीव, दादर-नगर हवेली, चंडीगढ़, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश।

मेघालय राज्य और अरुणाचल एवं मिजोरम के केन्द्र-शासित क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम १९७१ के द्वारा निर्मित किये गये।

संविधान की विशेषताएँ

(१) भारत का संविधान लिखित है। यह विश्व का वृहत्तर संविधान है। इसमें संघ तथा इकाइयों की सरकारों का संगठन, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्ति और उनके आपसी सम्बन्ध, व्यक्ति के अधिकार आदि विषयों की विशद् व सूक्ष्म व्याख्या की गई है। इसके २२ भागों में कुल ३९५ अनुच्छेद एवं ९ अनुसूचियाँ हैं।

(२) इसमें एक सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न गणराज्य की व्यवस्था की गई है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित अन्तिम पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि यह संविधान सर्वसाधारण द्वारा निर्मित है तथा सर्वभौम शक्ति जनता के ही हाथों में है। सरकार का उद्भव प्रत्यक्षतः जनता द्वारा होता है। यह जनता के नाम पर निर्दिष्ट तथा सस्थापित है अतः इसमें लोकतांत्रिक विशेषताएँ हैं। राज्य का प्रधान(राष्ट्रपति) निर्वाचित होता है, इस कारण भारतीय संविधान के अनुसार गणराज्य की भी स्थापना हुई है।

(३) संविधान भारत के लिए एक संघात्मक शासन की व्यवस्था करता है, परन्तु आपात स्थिति में यह एकात्मक सरकार का उपवन्ध करता है। संविधान में केन्द्र व राज्य सरकारों की शक्ति का स्पष्टतः विभाजन किया गया है। विधायी शक्तियों की तीन सूचियाँ दी गई हैं। संघीय सूची में ९८ विपय हैं जिनके सम्बन्ध में केवल संसद् विधि निर्माण कर सकती है। राज्यसूची में ६१ विषय हैं जिनके अनन्तर केवल विधान मण्डल ही कानून बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची में ५२ विषय दिए गए हैं जिन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं परन्तु केन्द्र एवं राज्य में विरोध उत्पन्न होने पर संसद् के विधान को ही मान्यता दी जाएगी।

(४) संविधान द्वारा कार्यपालिका को विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। अतः संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संविधान के अन्तर्गत केन्द्र में द्वि-सदनीय संसद् की व्यवस्था है। राज्यों के लिए दो सदन अनिवार्य नहीं है। यह पूर्णतः उनकी इच्छा व आवश्यकता अनुभव करने पर निर्भर है। केन्द्र में दो सदन हैं—लोकसभा व राज्यसभा। राज्यों में प्रायः दो सदन हैं, पर कुछ राज्यों में विधान परिषद् को १९७०-७१ में समाप्त कर दिया गया था।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

(५) भारत के सभी नागरिकों को बिना धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म-स्थान के भेद-भाव के कुछ अधिकार प्रदान किये गये हैं। संविधान में मूल अधिकारों को सात समूहों में रखा गया है। नागरिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। राज्य पर यह पाबन्दी है कि वह ऐसा कोई कानून न बनायें जिसके कारण नागरिक अधिकारों में कटौती हो।

(६) संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद ३८ से ५१ तक राज्य को कुछ आदेश दिए गए हैं जिन्हें राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व कहा जाता है। यह निर्देश राष्ट्र के प्रशासन में बुनियादी महत्त्व के माने गए हैं। इन आदेशों का अनुपालन राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक नहीं, क्योंकि न्यायालय के माध्यम से सरकार पर इन आदेशों के अनुपालन का दबाव नहीं डाला जा सकता। इन आदेशों में आर्थिक और प्रशासनिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण, नागरिकों को रोजी, शिक्षा और कुछ मामलों में सरकारी सुरक्षा पाने का अधिकार दिए जाने, समान नागरिक संहिता बनाने, न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक् करने का आदेश प्रमुख है।

(७) संविधान की व्याख्या करने, नागरिकों को न्याय दिलाने तथा केन्द्र व राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों आदि को निबटाने के लिए संविधान ने एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की है।

(८) भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है।

(९) इस संविधान में लचीले व कठोर गुणों का अद्भुत सम्मिश्रण है। न तो यह इस मात्रा में लचीला है कि कार्यपालिका के हाथों का खिलौना ही बन जाय और न ही इतना कठोर कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन ही न किया जा सके।

(१०) संघीय शासन-प्रणाली में कहीं-कहीं दोहरी नागरिकता के उपबन्ध भी होते हैं। नागरिक सम्पूर्ण संघ के साथ-साथ अपने राज्य का भी नागरिक होता है। परन्तु भारत में एकल नागरिकता ही प्रदान की गई है। सभी भारतीय संघ के नागरिक हैं।

नागरिकता

भारतीय नागरिकता विषयक प्रश्नों के बारे में संविधान के भाग २ में (अनुच्छेद ५ से ११ तक) उपबन्ध किया गया है। इसके अनुसार एकल तथा समान नागरिकता की व्यवस्था की गई है।

संविधान के अनुच्छेद ५ के अनुसार संविधान लागू होने के दिन, २६ जनवरी १९५० को, प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्य क्षेत्र में अधिवास था, तथा जिसका जन्म भारत राज्य क्षेत्र में हुआ था, अथवा जिसके माता-पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ था, अथवा जो इसके लागू होने के ठीक पूर्व कम-से-कम ५ वर्ष तक भारत में सामान्यत: निवासी था, भारत का नागरिक होगा। उपर्युक्त नियम के अतिरिक्त जो व्यक्ति १९ जुलाई, १९४८ से पूर्व पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन कर आया है, वह भारत का नागरिक समझा जाएगा, यदि वह अनुच्छेद की अन्य शर्तों को पूरा करता है। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी भारत के नागरिक हो सकते हैं, यदि वे भारत के विदेश स्थित राजनयिक या

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के पास अपना नाम दर्ज करा दें। दिसम्बर, १९५५ में एक नागरिकता अधिनियम पारित किया गया जिसमें नागरिकता के अर्जन (प्राप्ति), हानि (छीनने), परित्याग आदि की शर्तें दी गई हैं।

मूल अधिकार

प्रत्येक लोकतंत्रीय शासन-प्रणाली में कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें मौलिक समझा जाता है। इन अधिकारों का उद्देश्य समाज और व्यक्ति के हितों में संतुलन लाना होता है। संविधान के तीसरे अध्याय में (अनुच्छेद १२ से ३५ तक) ये अधिकार प्रदत्त किये गए हैं। हालांकि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कुल उतने ही अधिकार नही हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह अधिकथित किया है कि संसद मूल अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती है। किन्तु संविधान में यह उपबन्ध भी है कि राष्ट्रीय आपात के समय मूल अधिकारों को निलम्बित किया जा सकता है।

संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को ७ वर्गों में बांटा गया है—

समता का अधिकार : इसके अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को भारत राज्य क्षेत्र में, समता के अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेद-भाव न बरतने की एवं राज्याधीन पदों पर नियुक्ति के संबंध में सबके लिए समता की व्यवस्था है। साथ ही, सार्वजनिक होटलों, भोजनालयों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, सार्वजनिक कुओं, तालाबों, स्नान घाटों एवं सार्वजनिक समागम-स्थान का सभी नागरिक उपयोग करने के अधिकारी हैं।

स्वातन्त्र्य अधिकार : इसके अन्तर्गत नागरिकों को वाक्-स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य का, शान्तिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का, संस्था या संघ बनाने का, देश-भर में सर्वत्र अबाध भ्रमण-संचरण का, किसी भी स्थान पर निवास का, सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का तथा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार प्राप्त है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के विषय में कतिपय संरक्षण दिए गए हैं। प्राण और दैहिक स्वाधीनता भी संरक्षित है। कुछ अवस्थाओं में बन्दीकरण और नजरबन्दी से भी संरक्षण दिया गया है। किन्तु इन सभी अधिकारों पर युक्तियुक्त बंधन लगाये जा सकते हैं। युक्तियुक्तता का निर्णय न्यायालय ही कर सकते हैं।

शोषण के विरुद्ध अधिकार : इस अधिकार के द्वारा मानवों का व्यापार (जिनमें अनैतिक कार्यों के लिए स्त्रियों का व्यापार भी सम्मिलित है) और जबरदस्ती काम कराना निषिद्ध कर दिया गया है। ऐसा करने वाले दंडित हो सकते हैं परन्तु राज्य सार्वजनिक हित में 'अनिवार्य सेवा' करा सकता है। १४ वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों, खानों एवं किसी अन्य संकटमय नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता।

धर्म स्वातन्त्र्य का अधिकार : इसके अन्तर्गत सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता का उल्लंघन न करते हुए व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

संस्कृति व शिक्षा-सम्बन्धी अधिकार : नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति बनाये रखने का अधिकार है। उसे राज्य द्वारा घोषित एवं राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा-संस्था में प्रवेश पाने के लिए धर्म, मूलवंश, जाति अथवा भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकेगा। भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण-संस्था स्थापित करने का भी अधिकार है।

सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार : कोई भी व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति को बिना प्रतिकर (मुआवजा) दिये अधिग्रहीत नहीं किया जा सकता। पर संविधान के २५वें संशोधन के द्वारा प्रतिकर शब्द को हटाकर 'राशि' बना दिया गया है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार : डॉ० अम्बेडकर के शब्दों में 'यह अधिकार संविधान की आत्मा और हृदय है।' इसके द्वारा नागरिकों को, मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय में दावा करने का अधिकार है। न्यायालय निदेश, आदेश तथा रिट जारी करके नागरिकों के प्रदत्त अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।

राज्य के निदेशक तत्त्व

संविधान में कतिपय सामाजिक अथवा आर्थिक सिद्धान्तों को सम्मिलित किया गया है और विधायिका तथा कार्यपालिका से उनका पालन करने की अपेक्षा की गई है। इन सिद्धान्तों का उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र की प्राप्ति है। उनका विवरण इस प्रकार है—

(१) राज्य लोक-कल्याण की उन्नति के हेतु ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनायेगा और उसका ऐसा संचालन करेगा, जिसमें समान रूप से नर-नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, समुदाय की भौतिक सम्पत्ति और साधनों का स्वामित्व और उस पर नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि वह सामूहिक हित का साधन हो, आर्थिक प्रणाली ऐसी हो जिसमें धन और उत्पादन के साधन आम लोगों के हित के विरुद्ध केन्द्रित न हों; श्रमिकों की शक्ति एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और इन्हें विवश होकर ऐसा रोजगार न करना पड़े जो उनकी आयु शक्ति के अनुकूल न हो।

(२) राज्य ग्राम-पंचायतों का गठन करके उन्हें ऐसी शक्तियाँ एवं प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्तशासन की इकाइयों के रूप में काम करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।

(३) राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार सबको काम और शिक्षा पाने का समान अधिकार दिलायेगा और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी व अपाहिजपन की अवस्था में सबको वित्तीय सहायता देगा।

(४) राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने तथा प्रसूती सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।

(५) राज्य श्रमिकों को काम, निर्वाह योग्य मजदूरी, शिष्ट और उन्नत जीवन-स्तर बनाने की दृष्टि से उपयुक्त कानून और व्यवस्था बनाने का, विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

उद्योगों को, वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही वह श्रमिकों को अवकाश के उपभोग की दृष्टि से सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर भी प्रदान करेगा।

(६) भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिये राज्य एक-समान व्यवहार संहिता (सिविल कोड) बनाने का प्रयास करेगा।

(७) राज्य, १४ वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबन्ध करने का प्रयास करेगा।

(८) राज्य, जनता के दुर्बलतर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के शिक्षा तथा अर्थ-सम्बन्धी हितों की रक्षा करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उन्हें संरक्षण प्रदान करेगा।

(९) राज्य नागरिकों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने, जीवन-स्तर को ऊँचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए भरसक प्रयास करेगा।

(१०) राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतः गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल के परिरक्षण और संवर्धन के लिए तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए अग्रसर होगा।

(११) राज्य राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों एवं सांस्कृतिक सम्पत्ति की रक्षा करेगा।

(१२) राज्य की लोक-सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए राज्य अग्रसर होगा।

(१३) राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का, अन्तर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने का तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निबटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।

केन्द्रीय कार्यपालिका

सांविधानिक संरचना में शीर्षस्थ व्यक्ति है—राष्ट्रपति। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा कर सकता है। राष्ट्रपति को इस संघ के प्रधान एवं राज्यपालों को राज्यों के प्रधान के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमण्डल का संयुक्त रूप ही केन्द्रीय सरकार में अभिहित होता है। इसी को भारत सरकार या केन्द्र सरकार कहते हैं। भारत सरकार की राजधानी दिल्ली में है। जहां से २२ राज्य सम्बद्ध हैं तथा संघीय क्षेत्रों पर सीधा केन्द्र का शासन है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

राष्ट्रपति

भारत संघ का एक राष्ट्रपति होता है जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। सेनाओं का सर्वोच्च समादेश भी राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद् के दोनों सदनों के सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं।

राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित अर्हतायें अनिवार्य हैं—(१) वह भारत का नागरिक हो, (२) उसकी आयु ३५ वर्ष हो चुकी हो, (३) उसमें लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की अर्हतायें विद्यमान हों, तथा (४) वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद के पर आसीन न हो। (उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल तथा मंत्रीपद लाभकारी नहीं माने जाते)।

राष्ट्रपति का निर्वाचन ५ वर्ष के लिए होता है। मृत्यु, त्यागपत्र या पदत्याग की अवस्था में राष्ट्रपति का पद ५ वर्ष के लिए ही भरा जाता है, न कि शेष काल के लिए। राष्ट्रपति को प्रतिमाह १०,००० रु० वेतन और निःशुल्क आवास प्राप्य है। वेतन के अतिरिक्त कई प्रकार के भत्ते भी राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। १९६२ में पारित राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम के अनुसार सेवानिवृत्ति होने के बाद उनके जीवन-काल के लिए उनकी पेंशन १५,००० रु० और उनके निजी सचिवालय के लिए १२,००० रु० प्रति वर्ष नियत की गई। उन्हें निःशुल्क चिकित्सा-सुविधा भी प्राप्त होगी।

संविधान के ६१वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अपने पद से हटाये जाने की विधि का विवरण है। इसके अनुसार राष्ट्रपति पर 'महाभियोग' लाने के लिए संसद् के किसी भी सदन में कोई भी सदस्य दोषारोपण कर सकता है, यदि (क) महाभियोग के प्रस्ताव पर सदन के सदस्यों की कुल संख्या के कम-से-कम चौथाई भाग ने हस्ताक्षर किये हों, (ख) प्रस्ताव के लिए कम-से-कम १४ दिन पूर्व लिखित सूचना दी गई हो, (ग) वह प्रस्ताव सदन के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया हो। इन सारी स्थितियों के बाद दूसरा सदन इन अभियोगों की जांच करेगा। जांच के समय राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने अथवा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। अगर इस जांच करने वाले सदन में दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। त्यागपत्र की सूचना वह उपराष्ट्रपति को देगा, जिसकी सूचना वह लोकसभा को दे देगा।

राष्ट्रपति के अधिकार : राष्ट्रपति के अधिकारों को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है : (१) **कार्यपालिका अधिकार**—(क) कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं। सरकार के सभी अधिकारी उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं और वह कार्य के सुविधापूर्वक संचालन के लिए नियम बनाता है। (ख) **सैनिक अधिकार**—भारत की सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति को सौंपी गई है। वह स्थल-सेना, जल-सेना एवं वायु-सेना का प्रधान है। (ग) **विदेशी मामले तथा कूटनीतिक अधिकार**—अन्तर्राष्ट्रीय ममलों में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करता है तथा राजदूतों एवं राजनीतिक प्रति-

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

निधियों को नियुक्त करने का अधिकार उसे प्राप्त है। सभी अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं।

(२) **आपातकालीन अधिकार :** राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि (क) भारत की सुरक्षा वाह्य आक्रमण या आन्तरिक गडवडी के कारण खतरे में पड़ जाय; (ख) किसी राज्य की सरकार संविधान के उपवंधों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती हो; (ग) वित्तीय स्थायित्व का खतरा हो जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाए। (३) **विधायन के अधिकार**—राष्ट्रपति केन्द्रीय विधानमंडल का भाग है। वह संसद को आहूत और उसका सत्रावसान करता है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रतिवर्ष सत्र के पहले दिन संसद में अभिभाषण देता है। नए राज्यों को मान्यता देने की अथवा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन-सम्बन्धी या वित्त-विधेयकों आदि पर विचार करने की संसद से सिफारिश करता है। विधेयकों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करता है। सत्रावसान की अवधि में किसी भी समय वह अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। राज्यसभा में १२ सदस्यों को तथा लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद् में वित्तीय विधेयक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष का अनुमानित आय-व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति देता है।

(४) **न्यायिक अधिकार :** राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति के दण्ड को क्षमा कर सकता है तथा उसके दण्ड को स्थगित कर सकता है।

उपराष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद ६३ में राष्ट्रपति के अलावा एक उपराष्ट्रपति का उपवन्ध है। वह राष्ट्रपति के पश्चात् सर्वोच्च पदाधिकारी है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति पद की पात्रता हेतु भारत का नागरिक, ३५ वर्ष की आयु एवं राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता होना आवश्यक है। इसका कार्यकाल ५ वर्ष है, किन्तु इसके पूर्व भी वह त्यागपत्र दे सकता है। राज्यसभा का बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं लोकसभा द्वारा उसकी स्वीकृति मिल जाने पर उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव की सूचना १४ दिन पूर्व देनी पड़ती है। राष्ट्रपति के अस्वस्थ होने या अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्य-भार संभालता है और राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में नये राष्ट्रपति चुने जाने तक वह राष्ट्रपति का कार्य करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होने पर भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य करेंगे और उसके अभाव में वरिष्ठतम न्यायाधीश यह कार्य करेंगे।

मन्त्री परिषद : राष्ट्रपति को परामर्श और सहायता देने के लिए, मन्त्रिपरिषद् की नियुक्ति प्रधानमन्त्री की सिफारिश के अनुसार स्वयं राष्ट्रपति करता है। कार्यपालिका शक्ति

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वस्तुतः प्रधानमन्त्री और उसके मन्त्रिमण्डल में ही सन्निहित है। संघीय सरकार का सारा कार्य सम्भालने का उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद् पर ही है।

साधारणतः लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है, उसके नेता को राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् बनाने के लिए आहुत करता है। दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। प्रधान मन्त्री फिर अपने सहयोगी मन्त्रियों को चुनता है। प्रधानमन्त्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति उनको मन्त्री नियुक्त करता है, उनके विभाग निर्धारित करता है। मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से संसद् के प्रति उत्तरदायी होती है। पर राज्यसभा को मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार लोकसभा को ही है।

प्रधानमन्त्री : लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। सिद्धांततः जो अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, उनको व्यवहार में प्रधानमन्त्री ही लाता है। प्रधानमन्त्री अपने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। विभिन्न मन्त्रालयों के कार्यों में एकसूत्रता लाता है। सरकार के सब विभागों पर नियंत्रण और अधीक्षण रखता है। वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। प्रधानमन्त्री के पदत्याग पर सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् का पदत्याग माना जाता है। लोकसभा में वह सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् का प्रतिनिधित्व करता है। संसद् के सम्मुख वह सरकारी नीति, कार्य और निर्णयों का विश्लेषण करता है।

संसद्

भारत में शासन की संसदीय पद्धति अपनाई गई है। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद् करती है जो संसद् के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष होता है। संघीय संसद् राष्ट्रपति, राज्य और लोकसभा को मिलाकर बनी है।

संसद् की शक्ति और अधिकार : संघीय सूची में दिए गए ९८ और समवर्ती सूची के ५२ विषयों पर संसद् कानून बना सकती है। जो विषय राज्य को नहीं दिए गए हैं और समवर्ती सूची में नहीं हैं, भी संसद् में निहित माने जाते हैं। साधारणतः राज्यों के विषय संसद् के विचार-क्षेत्रों में नहीं आते। राज्यों के लिए निर्धारित ६१ विषयों पर संसद् तभी विधि बना सकती है, जब राज्य-विधानमंडल इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार करके केंद्रीय सरकार को दे। राष्ट्रीय या सार्वजनिक वित्त पर संसद् का पूर्ण नियंत्रण है। संसद् की अनुमति के बिना सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। भारत संघ के सुशासन के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसद् राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। संसद् न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन न्याय की विशुद्धता और न्याय-दान के कार्य को सतत् जारी रखने का ध्यान रखती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद् पर अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित कर सकती है और उसके पारित होने की दशा में मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना होता है। संसद् को संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार है। यह न्यायधीशों पर भी महाभियोग लगा सकती है। राष्ट्रपति शासन-काल में यह राज्यों के कानून बना सकती है और उनके बजट भी पास कर सकती है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

राज्यसभा : संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या २५० नियत की गई है। राष्ट्रपति द्वारा १२ सदस्य मनोनीत होते हैं। मनोनयन साहित्य, कला विज्ञान और समाज-सेवा के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त लोगों में से होता है। शेष सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। इनका चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा सानुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार किया जाता है। ३० वर्ष या इसके आयु का भारत का प्रत्येक नागरिक इसका उम्मीदवार हो सकता है। इसके सदस्य ६ वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जिनमें से एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष बाद सेवा-निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए यह सदन कभी भंग नहीं होता। उपराष्ट्रपति इस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है।

लोकसभा : इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन-पद्धति द्वारा जनता के चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं। इसकी सदस्यता के लिए भारत के नागरिक को २५ वर्ष या इससे अधिक आयु का होना आवश्यक है। संविधान की धारा ८१ के अनुसार इसकी अधिकतम सदस्य संख्या ५४५ है। ये मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं। अधिकतम २ एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में स्वविवेकानुसार मनोनीत किये जा सकते हैं। केन्द्रशासित प्रदेशों से अधिकतम २० प्रतिनिधि होते हैं। साधारणतः लोकसभा का कार्यकाल ५ वर्ष का होता है परन्तु राष्ट्रपति इसे इस अवधि के बीच में भी भंग कर सकता है।

लोकसभा और राज्यसभा के मध्य सम्बन्ध : दोनों सदनों का कार्य-विधि का निर्माण करना है। विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर ही अधिनियम बन सकते हैं। दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। अर्थ विधेयकों के सम्बन्ध में राज्यसभा का अधिकार केवल विचार करना भर है। मुख्य कार्यपालिका केन्द्रीय मन्त्रि-परिषद् है, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

विषयों का वर्गीकरण

संविधान की सप्तम अनुसूची में विधियों के विषयों को तीन सूचियों में विभक्त किया गया है। प्रथम सूची में संघीय विषय हैं, दूसरी में राज्य के विषय हैं। तीसरी सूची में शामिल विषयों पर, संविधान के उपबंधों के अधीन, विधि बनाने के लिए केन्द्र व राज्य दोनों सशक्त हैं। इसे समवर्ती सूची कहते हैं।

संघीय सूची : सुरक्षा, परराष्ट्र, संचार, डाक-तार, मुद्रा-चलन, आयकर, आदि मिलाकर कुल ९८ संघीय विषय हैं।

राज्य सूची : इसके अन्तर्गत स्थानीय स्वायत्तशासन, सार्वजनिक कल्याण, कानून और व्यवस्था, भूराजस्व, वन, न्याय व्यवस्था, पुलिस, जेल, कृषि, पंचायतराज और मत्स्य-पालन आदि हैं। इन विषयों की कुल संख्या ६१ है।

समवर्ती सूची : ये ऐसे विषय हैं जिनमें केन्द्र और राज्य, दोनों को विधि निर्माण का अधिकार है। इनमें मुख्य हैं शिक्षा, विवाह, तलाक, श्रम-कल्याण, दिवालियापन, श्रम-संगठन, सामाजिक सुरक्षा, फौजदारी और दीवानी संहिता, व्यापार और उद्योग, समाचार पत्र, छापा खाना, आर्थिक नियोजन आदि। इन विषयों की कुल संख्या ५२ है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

उपर्युक्त वर्गीकरण से छूटे, अनुल्लिखित या नये विषय 'अवशिष्ट विषय' होंगे और वे संघ सरकार के अंतर्गत होंगे। संसद ही इन विषयों में निर्णय कर सकती है।

संघ-राज्य क्षेत्र

संविधान ने जिन प्रदेशों को पहले 'ग' राज्यों की सूची में रखा था, वे अब संविधान में किए गए नौ संशोधनों के बाद से संघ राज्य क्षेत्र कहे जाते हैं। इनकी कुल संख्या अब ९ है। संविधान के १४वें संशोधन के द्वारा अधिकांश संघीय प्रदेशों में विधानसभा की व्यवस्था १९७३ में की गई है। दिल्ली में उसे महागर परिषद कहते हैं। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अधिकतम २० है। दिल्ली के लोकसभा में सात और राज्यसभा में तीन प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा में पांडिचेरी, मिजोरम ओर अरुणांचल को एक एक स्थान दिया गया।

अल्पसख्यकों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध : परिगणित वर्ग और जनजातियों के लिए संसद् और राज्यों के विधानमण्डलों में कुछ स्थान सुरक्षित हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समाज के दो प्रतिनिधि हैं। यदि राष्ट्रपति अनुभव करें कि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो मनोनीत कर सकते हैं। विधानसभाओं के लिए राज्यपालों को भी यही अधिकार प्राप्त है।

संविधान के लागू होने के दस साल बाद, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था समाप्त होनी थी। परन्तु १९७० में एक संशोधन द्वारा वह अवधि १९८० तक बढ़ा दी गई है।

भाषा

संविधान के अनुच्छेद ३४३ के अनुसार भारत संघ की भाषा नागरी लिपि में लिखी हिन्दी है (सरकारी कामों में रोमन अंक रहेंगे)। हिंदी को प्रशासनिक कार्य के योग्य बनाने के लिए संविधान लागू होने से १५ साल तक अंग्रेजी जारी रहने देने का उपबन्ध किया गया, तदनुसार २६ जनवरी, १९६५ से संघ की भाषा हिन्दी घोषित की गई। १९६५ के बाद अंग्रेजी का व्यवहार समाप्त किया जाना था। परन्तु १९६३ में ही संविधान की धारा ३४३ (३) के अधीन राजभाषा अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार १९६५ के बाद भी अंग्रेजी अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही अंग्रेजी में जारी रह सकती है। विधेयक और अधिनियम पहले के समान अंग्रेजी में बन सकते हैं। कानूनी तौर पर अंग्रेजी सह-राजभाषा है परन्तु व्यवहार में वही राजभाषा है।

हिन्दी के अतिरिक्त अन्य १४ क्षेत्रीय भाषाओं— असमिया, बंगला, उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, कश्मीरी, तेलुगु, सिन्धी, तमिल, मलयालम, कन्नड और उड़िया का उल्लेख राष्ट्रीय भाषाएँ कहकर हुआ है।

निर्वाचन आयोग

यह एक स्थायी आयोग है। संसद्, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का नियंत्रक निर्वाचन आयुक्त होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इस का प्रधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जो अपने पद से उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जा सकता है, जिस तरह उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश। आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची तैयार करता है। कोई भी व्यक्ति धर्म, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर उसमें अपना नाम लिखाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मतदाता सूची हर साल पुनरीक्षित की जाती है। चुनाव-चिह्नों का आवंटन और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार भी निर्वाचन आयोग को है।

वित्त आयोग

संविधान में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था है। यह आयोग हर पांचवें वर्ष नियुक्त किया जाता है। आयोग कुछ करों (आयकर, उत्पादन शुल्क और कुछ निर्यात करों आदि) के विषयों में केन्द्र और राज्यों के मध्य वितरण के अनुपात के सम्बन्ध में सिफारिश करता है। पहला वित्त आयोग १९५१ में, दूसरा १९५७ में, तीसरा १९६० में, चौथा १९६४ में और पांचवाँ १९६९ में नियुक्त किया गया था। छठा वित्त आयोग श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी की अध्यक्षता में १९७२ में नियुक्त हुआ। १९७७ में सातवाँ वित्त आयोग श्री जे. एम. शैलेट की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया।

भारत की संचित निधि

केन्द्र और राज्य क्रमशः 'भारत की संचित निधि' और 'राज्य की संचित निधि' का निर्माण करने के लिए वाध्य हैं। संसद् और विधानसभाएं जब तक विनियोग विधेयक पारित न करें और राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति न दें, तब तक सरकार इसमें से एक पैसा भी व्यय करने की अधिकारी नहीं है। भारत और राज्यों के लिए आकस्मिक निधि की स्थापना की गई है। विनियोग विधेयक पारित न होने तक इस निधि से सरकारें खर्च कर सकती हैं।

लोक सेवा आयोग

संविधान में एक संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के आयोगों की स्थापना का उपबन्ध है। दो या अधिक राज्य एक ही आयोग रखने के लिए सहमत हो सकते हैं। सदस्यों की नियुक्ति यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा होती है। आयोग सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं संचालित करता है। सेवाओं में नियुक्ति, पदोन्नति, पदावनति आदि के मामलों में आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। संघ लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जो संसद् के समक्ष रख दिया जाता है।

बजट

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति संसद् के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाता है। इसे वार्षिक वित्त विवरण कहा गया है। इसे ही बजट कहा जाता है। वार्षिक बजट में अनुमान होने पर भी वर्ष में अकल्पित आवश्यकतायें उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे युद्ध, बाढ़, अकाल आदि के कारण। इसके लिए पूरक अनुमान का उपवन्ध किया गया है। बजट साल-भर की आवश्यकता को न पूरा करे तब ही पूरक अनुमान केन्द्रीय सरकार संसद् में तथा राज्य सरकारें विधान सभाओं में पेश करती हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

व्यापार और व्यवसाय—संविधान भारत भर में नागरिकों को व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता देता है। किन्तु संसद् और राज्यों के विधानमण्डलों को इसको मर्यादित और प्रतिवंधित करनेके लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये कानून किसी वस्तु की दुर्लभता होने की अवस्था में या राष्ट्रीय हित में आवश्यकता होने पर बनाए जा सकते हैं। सार्वजनिक हित में व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। संसद् उपर्युक्त उपबंधों को लागू करने के लिए एक परिषद् भी स्थापित कर सकती है।

क्षेत्रीय परिषदें—ये संविधान के भाग नहीं हैं, पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के पारस्परिक मतभेदों को दूर करने का काम भी ये करती हैं। साथ ही विघटनकारी शक्तियों के प्रभाव को मिटाना और भारत की एकता को दृढ़ करना भी इनका कार्य है। यह विशुद्ध परामर्शदात्री व दो या दो से अधिक राज्यों से सम्बन्धित एक सी समस्याओं पर विचार करने वाली संस्था है। परिषदें यों हैं—

(१) **उत्तरी क्षेत्र**—पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़ और जम्मू-कश्मीर। (२) **मध्य क्षेत्र**—उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश। (३) **पूर्वी क्षेत्र**—विहार पश्चिम वंगाल, उड़ीसा, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। (४) **पश्चिमी क्षेत्र**—गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन-दीव, दादरा और नगर-हवेली। (५) **दक्षिण क्षेत्र**—तमिलनाडु, आन्ध्र, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी। पूर्वी क्षेत्र को पुनर्गठित करके पूर्वोत्तर क्षेत्र नामक एक नया क्षेत्र बनाया गया।

(१) **क्षेत्रीय परिषद् की रचना**—राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केन्द्रीय मन्त्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। (२) प्रत्येक सम्बन्धित प्रदेश का मुख्यमन्त्री और दो-दो मन्त्री भी परिषद् में होते हैं। मन्त्री राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। (३) जहां संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित होगा वहां राष्ट्रपति दो से अधिक व्यक्तियों को परिषद् में मनोनीत नहीं करेंगे।

क्षेत्रीय परिषद् में निम्नलिखित भी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं: (क) राज्यों के मुख्य सचिव। (ख) योजना आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति। (ग) राज्यों के विकास आयुक्त। परिषद् के परामर्शदाता उसके विचार-विमर्श में भाग लेने के अधिकारी हैं, मत देने के नहीं।

क्षेत्रीय परिषद् का कार्य: प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् एक परामर्शदात्री संस्था होती है और राज्यों के पारस्परिक हितों के प्रश्नों पर विचार करती है। यह इन विषयों पर विचार और सिफारिश कर सकती है: (क) आर्थिक और सामाजिक योजना-सम्बन्धी सामान्य हित के विषय; (ख) सीमा-विवाद, भाषायी अल्पसंख्यक और अन्तर्राज्य परिवहन से सम्बद्ध विषय और (ग) राज्यों के पुनर्गठन से उत्पन्न कोई विषय।

क्षेत्रीय परिषद् का उद्देश्य: (१) देश में भावात्मक एकता का निर्माण करना; (२) उग्र प्रादेशिकता, आंचलिकता, भाषावाद और अन्य इसी प्रकार की प्रवृत्तियों पर रोक लगाना; (३) सामाजिक और आर्थिक मामलों में अधिक अच्छा सहयोग उत्पन्न करना। इस प्रकार समाज के कल्याण के लिए समरूप नीतियों को विकसित करना: (४) विकास

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

की मुख्य परिकल्पनाओं को सफल बनाने में परस्पर सहयोग करना। तदनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान मिलकर चम्बल घाटी के डाकुओं का सफाया करते रहे हैं। उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में एक सामान्य पुलिस रिजर्व फोर्स बनाई गई है।

जनजातीय असम के क्षेत्र : असम के आदिमजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए एक विशेष व्यवस्था है। इसके द्वारा कुछ स्वायत्तशासी जिले तथा प्रदेशों की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति की ओर से असम के राज्यपाल को इन क्षेत्रों का भार सौंपा गया है और इन जिलों तथा प्रदेशों के लिए परिषदें बनाने का अधिकार दिया गया है। इन परिषदों को अपने-अपने क्षेत्र के लिए नियम बनाने, कुछ विषयों में कानून बनाने, विवादों और मुख्य मुकदमों को सुनने और निपटाने के लिए ग्राम न्यायालय गठित करने, जिला व प्रादेशिक कोष का प्रशासन करने और विद्यालय, औषधालय और बाजार आदि स्थापित करने आदि के अधिकार हैं। असम के राज्यपाल को स्वायत्तशासी जिलों व प्रदेशों के प्रशासन का निरीक्षण करने और इस विषय में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार है।

विशेष अधिकारी : राष्ट्रपति अनुसूचित भाषायी अल्पसंख्यकों की शिकायतें दूर करने में मदद देने के लिए भी एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं।

आंचलिक समितियां : १९५६ में राज्यों के भाषावार पुनर्गठन के समय से ये समितियां पंजाब और आंध्र प्रदेश की भाषायी और सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए बनाई गई हैं।

अन्तरराज्य परिषद् : राष्ट्रपति निम्नलिखित बातों के लिए अंतर्राज्य परिषद् स्थापित कर सकते हैं; (१) राज्यों में उत्पन्न विवादों के कारणों की जांच करने और उनके विषय में राय देने के लिए। जैसे कृष्णा गोदावरी नदियों के पानी वितरण के बारे में उठे विवाद के हल के लिए 'गुलाटी समिति' नियुक्त की गई थी। (२) राज्यों और संघ के मध्य के सामान्य विषयों की जांच करने और उनको निपटाने के लिए (३) संघीय ढाँचे को दृढ़ करने और इसकी इकाइयों के साथ इसका सम्बन्ध घनिष्ठ करने के लिए।

लोक लेखा समितियां : संविधान में निहित है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति उसको संसद् के दोनों सदनों के सामने उपस्थित करेंगे। सदनों की सदस्य संख्या चूंकि विशाल है, अतः उनके सदस्यों की एक समिति इस प्रतिवेदन की परीक्षा करती है। यही लोक लेखा समिति है।

भाषयी अल्पसंख्यकों का संरक्षण

(१) राज्य एकभाषी माना जायगा, यदि जनसंख्या का ७० प्रतिशत से अधिक भाग एक भाषा बोलने वाला हो। (२) यदि जनसंख्या का ३० प्रतिशत या इससे अधिक भाग एक भिन्न भाषा बोलने वाला हो तो वह द्विभाषी राज्य माना जायगा। (३) राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी कि अखिल भारतीय सेवाओं में भविष्य में १० प्रतिशत लोग राज्य में बाहर के भरती किए जायें। इस पर ध्यान रखा जाता है। (४) भाषिक अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की व्य व

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

स्था की गई है। यदि एक विद्यालय में ऐसे ४० और एक कक्षा में ऐसे दस छात्र हों तो उन्हें उनकी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। (५) राष्ट्रपति अल्प-संख्यक आयुक्त नियुक्त करेगा जो उन्हें वार्षिक रिपोर्ट देगा। (६) अल्पसंख्यकों के विद्यालयों को राज्य मान्यता देगा।

संघ की न्यायपालिका

भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् एवं स्वतंत्र रखा गया है।

संविधान में संशोधन प्रक्रिया

संविधान के २०वें भाग के अनुच्छेद ३३८ में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। यदि संसद् के दोनों सदन बहुमत से और उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई मत से संशोधन विधेयक पारित कर दें, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह संशोधन संविधान का अंग हो जाएगा। परन्तु यदि कोई संशोधन (क) अनुच्छेद ५४, ५५, ७३, १६२, २४१ (ख) भाग ५ के अध्याय ४, भाग ६ के अध्याय ५ या भाग ११ के अध्याय १ में, अथवा (ग) सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में, (घ) संसद् में राज्यों के प्रतिनिधित्व अथवा (ङ) इस अनुच्छेद (३६८) के उपबन्धों में कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो ऐसे उपबंध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किये जाने से पूर्व राज्यों में से कम-से-कम आधों के विधानमण्डलों से पारित संकल्पों द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त विषयों का साधारणतया राज्यों के अधिकारों शक्तियों एवं संविधान के संघात्मक रूप पर प्रभाव पड़ता है। संविधान के २४वें संशोधन के द्वारा संसद् एवं आधे राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति व्यक्त करने का राष्ट्रपति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। इस संशोधन के द्वारा, संविधान के संशोधन का अधिकार देने वाले अनुच्छेद ३६८ का ही संशोधन किया गया है।

इस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कटौती किये जाने पर अनुच्छेद १३ द्वारा लगाई गई पाबन्दी को भी समाप्त कर दिया था।

जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार है—ऐसा संशोधन जम्मू कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह अनुच्छेद ३७० की धारा (१) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू न किया जाय।'

संविधान में संशोधन

२६ जनवरी, १९५० को भारतीय संविधान लागू हुआ। तब से अब तक ४५ संशोधन किये गये हैं।

प्रथम सशोधन : (१९५१ ई०) : इसके द्वारा अनुच्छेद १५, १९, ८५, ८७, १७४, १७६, ३४१, ३४२ और ३७२ में छोटे-मोटे परिवर्तन के अतिरिक्त दो नये अनुच्छेद ३१-क

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

और ३१-ख जोड़े गए और आठवीं अनुसूची के बाद नवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसकी मुख्य बातें हैं—भेदभाव का निषेध, विदेशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के हित में और बदनामी फैलाने या किसी अपराध के लिए भड़काने के सम्बन्ध में नागरिकों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की राज्य-शक्ति को विस्तृत कर दिया गया। नौवीं अनुसूची में जमींदारी उन्मूलन सम्बन्धी विभिन्न राज्यों के १३ अधिनियमों को शामिल किया गया और कहा गया कि इनको किसी न्यायालय में, मौलिक अधिकारों के हनन के नाम पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

द्वितीय संशोधन (१९५२) : इस संशोधन के द्वारा ८१ (१) (ख) का संशोधन करके लोकसभा में प्रतिनिधित्व का नया मान नियत किया गया। मूल अनुच्छेद में यह उपबन्ध था कि लोकसभा में अधिक से अधिक ७,५०,००० व्यक्तियों के लिए कम से कम एक सदस्य होगा और कम से कम ५ लाख व्यक्तियों के लिए १ से अधिक सदस्य नहीं होगा। इस संशोधन के द्वारा जनसंख्या की ऊपरी सीमा हटा दी गई।

तृतीय सशोधन (१९५३) : सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची की तेंतीसवीं मद के स्थान पर एक नई मद रख दी गई, जिसमें खाद्य-सामग्रियों, पशुओं के चारे, कपास और जूट को ऐसी अतिरिक्त मदों के रूप में सम्मिलित किया गया, जिनका उत्पादन-संभरण यदि लोकहित में उपयोगी हों, तो केन्द्र द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें आयातित वस्तुओं का नाम भी जोड़ दिया गया।

चतुर्थ संशोधन (१९५५) : इसका संबंध केवल जमींदारी उन्मूलन कानूनों से था, जो समाज कल्याण के उद्देश्य से बनाये गए कानूनों की शृंखला में सर्वप्रथम थे। संसद् को या राज्य विधानमण्डलों को यह अधिकार दिया गया कि वे व्यापार या वाणिज्य के किसी विशेष क्षेत्र में राज्य का एक एकाधिकार शुरू करने के लिए कानून बना सकते हैं। नौवीं अनुसूची में ७ नये अधिनियम शामिल किए गए। यह भी प्रावधान किया गया कि मुआवजे की राशि की अनुपयुक्तता के आधार पर सरकार द्वारा अर्जित किसी सम्पत्ति की वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

पंचम संशोधन (१९५५) : इसके द्वारा राष्ट्रपति को समय-सीमा नियत करने की शक्ति प्रदान की गई कि उस सीमा के अन्दर राज्य विधानमण्डल किन्हीं ऐसे प्रस्तावित केन्द्रीय कानूनों पर विचार प्रकट कर सकते हैं, जिनका उन राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं आदि पर प्रभाव पड़ता है।

षष्ठ सशोधन (१९५६) : अन्तर्राज्यीय लेन देन के सिलसिले में वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर करों से सम्बंधित है। इसके द्वारा केंद्र को अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के सिलसिले में समाचारपत्रों से भिन्न कुछ अन्य वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर कर लगाने तथा उनका नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त हो गया।

सप्तम संशोधन (१९५६) : इस अधिनियम के द्वारा राज्य की तीन श्रेणियाँ (क,ख,ग) समाप्त करके सारे देश को १४ राज्यों, ६ केंद्रशासित क्षेत्रों में पुनर्गठित कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन के कारण ही यह संशोधन किया गया। इसी संशोधन के द्वारा विधान सभाओं की क्षेत्रीय समतियां तथा विदर्भ, मराठवाड़ा, बाकी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

के लिये पृथक् विकास बोर्डों की स्थापना की गई। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का विस्तार इसी संशोधन के द्वारा किया गया।

अष्टम संशोधन (१९५९) : इसके द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिए सीटों का आरक्षण और लोक सभा तथा राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो-इन्डियनों का प्रतिनिधित्व २६ जनवरी १९६० से १० वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

नवम संशोधन (१९६०) : इस अधिनियम द्वारा संविधान की पहली अनुसूची में इस प्रकार संशोधन किया गया ताकि १९५८ और १९५९ में भारत और पाकिस्तान की सरकारों के मध्य समझौते के अनुसार कुछ भू-भाग को पाकिस्तान को हस्तांतरित किया जा सके।

दशम संशोधन (१९६१) : इस अधिनियम द्वारा दादर और नागर हवेली के स्वतंत्र क्षेत्रों को भारतीय संघ में मिला लिया गया और राष्ट्रपति को विनियम बनाने की शक्ति के अधीन उनके प्रशासन की व्यावस्था की गयी।

ग्यारहवां संशोधन (१९६१) : इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उचित निर्वाचक मण्डल में कोई स्थान रिक्त था। इसके द्वारा यह भी व्यवस्था की गयी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जायगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे।

बारहवाँ संशोधन (१९६२) : इस संशोधन द्वारा पुर्तगाल से मुक्त कराये गए गोवा, दमन, दीव को भारत के केन्द्रशासित प्रदेशों में सम्मिलित कर लिया गया। यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

तेरहवां संशोधन (१९६२) : यह संशोधन इसलिए किया गया कि भारत सरकार और 'नागा पीपुल्ज कनवेंशन' के मध्य हुए एक समझौते के अनुसार एक पृथक राज्य (नागालैंड) के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाय।

चौदहवाँ संशोधन (१९६२) : इसके द्वारा व्यवस्था की गयी (क) केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए विधानमण्डल और मन्त्रिपरिषदें बनाई जायें, (ख) फ्रांस के अधिकार से मुक्त पांडिचेरी, कारीकरम, माही और यमन को केन्द्रशासित प्रदेश बना दिया जाय, (ग) गोवा, दमन और दीव को एक अलग केन्द्रशासित प्रदेश बना दिया जाय जिनका एक पृथक् विधानमण्डल हो।

पन्द्रहवाँ संशोधन (१९६३)—(क) इस संशोधन द्वारा सरकारी कर्मचारियों का वैधानिक कार्यवाही के विषय में अधिकार केवल एक जांच तक ही समिति कर दिया गया, (ख) राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गयी कि संदेह की स्थिति में वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सही आयु का निश्चय भारत के मुख्य न्यायाधि-पति के परामर्श से कर सकता है, (ग) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु ६० से बढाकर ६२ वर्ष कर दी गयी।

सोलहवां संशोधन (१९६३)—इसके द्वारा राज्य सरकारों को देश के विघटनकारी तत्वों पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार दिया गया। साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा देश से अलग होने की मांग को निर्वाचन का प्रश्न बनाने से रोका गया। इसके अतिरिक्त संसद

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

एव राज्य विधानमण्डलों के उम्मीदवारों, केन्द्र तथा राज्य के मन्त्रियों, संसदसदस्यों एवं विधायकों, सर्वोच्च न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक को 'भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता को बनाए रखने' की शपथ लेना आवश्यक बना दिया गया।

सत्रहवां संशोधन (१९६४-६५)—इस संशोधन द्वारा सरकार को विना बाजार भाव से मुआवजा दिए उस भूमि का अधिग्रहण करने से रोक दिया गया है, जिस पर कोई व्यक्ति स्वयं खेती कर रहा है या जो (उस समय लागू) भूमि रख सकने की अधिकतम सीमा के अन्दर जमीन रखता हो। इसके द्वारा संविधान की नवम सूची में ४३ नए अधिनियम जोड़ दिए गए।

अठारहवाँ संशोधन (१९६६)—यह संशोधन पंजाब के भाषा के आधार पर पुनर्गठन को सुकर बनाने की दृष्टि से किया गया। इसी संशोधन के द्वारा पंजाब का कुछ क्षेत्र हिमाचल में मिलाने तथा चण्डीगढ़ को केन्द्रशासित प्रदेश बना देने का अधिकार सरकार को प्रदान किया गया।

उन्नीसवां संशोधन (१९६६)—इस संशोधन के द्वारा निर्वाचन याचिकाओं की सुनवायी सीधे उच्च न्यायालयों में और उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में करने की व्यवस्था की गयी।

बीसवाँ संशोधन (१९६६)—यह संशोधन उच्च न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा, जिनकी नियुक्तियां उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रभावहीन घोषित कर दी गयी थीं, की गयी नियुक्तियों, तैनातियों, स्थानान्तरणों, निर्णयों, डिक्रियों, सजाओं तथा आदेशों को वैध बनाने के लिए किया गया था।

इक्कीसवां संशोधन (१९६९)—इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करके उसे १४ राजभाषाओं में स्थान दिया गया।

बाईसवां संशोधन (१९६९)—इसके द्वारा असम राज्य के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों का एक स्वायत्त राज्य और इस राज्य के लिए एक स्थानीय विधानमण्डल या मंत्रिपरिषद् या दोनों बनाने का उपबन्ध अनुच्छेद २४४ को अन्तःस्थापित करके किया गया।

तेईसवां संशोधन (१९६९)—इसमें अनुच्छेद ३३०, ३३२ व ३३३ का संशोधन किया गया और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो-इंडियन कम्युनिटी के प्रतिनिधित्व के लिए नाम निर्देशित करने की मर्यादा और दस वर्ष बढ़ाई गई।

चौबीसवां संशोधन (१९७१)—इसके द्वारा संसद् को संविधान की समस्त धाराओं को संशोधित करने का अधिकार मिला है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने १९६८ में एक निर्णय यह दिया था कि संसद् को नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कटौती करने का अधिकार नहीं है। यह संशोधन अधिकार की प्राप्ति के लिए किया गया है। इसके द्वारा किसी विधेयक पर सहमति व्यक्त करना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य कर दिया गया है

पच्चीसवां संशोधन (१९७१)—इसके द्वारा संसद् को विधि द्वारा जनहित में निजी सम्पत्ति के अधिग्रहण का असीम अधिकार दिया गया है। इसमें मुआवजा देना अनिवार्य

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

नहीं रह गया। जो भी राशि दी जायगी उसके विरोध में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संशोधन में यह उपबन्ध भी है कि राज्य निजी सम्पत्ति के अधिग्रहण से सम्बन्धित विधि बनाने से पूर्व इस विषय में राष्ट्रपति की सम्मति ले।

छब्बीसवां संशोधन (१९७१)—इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेदों २९१ व ३६२ को लुप्त करके नये अनुच्छेद ३६३ (क) का प्रवेश किया गया। इसके द्वारा भूतपूर्व राजाओं के प्रिवी पर्सों व विशेषाधिकारों को तत्काल समाप्त कर दिया गया।

सत्ताईसवां संशोधन (१९७१)—इसके द्वारा अनुच्छेद २३९ (क) और २४० में संशोधन किया गया तथा दो नए अनुच्छेद २३९ (ख) और ३७१ (ग) का समावेश किया गया। इसके द्वारा संसद् और राष्ट्रपति को मिजोरम और अरुणांचल समेत सभी केन्द्र शासित क्षेत्रों में विधानमण्डल बनने तक नियम या कानून बनाने या वहां के प्रशासक को इसके लिए अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है।

अट्ठाईसवां संशोधन (१९७२)—इसके द्वारा एक नए अनुच्छेद ३१२ (क) का संविधान में प्रवेश हुआ, अनुच्छेद ३१४ लुप्त कर दिया गया। इसके अन्तर्गत संसद् को कुछ प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की सेवा-शर्तों में परिवर्तन तथा सेवा-समाप्ति का अधिकार दिया गया। इसी संशोधन के अनुसार भारतीय नागरिक सेवा अधिकारियों (आई० सी० एस०) के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए।

उनत्तीसवां संशोधन (१९७२)—इसके द्वारा संविधान की नवम अनुसूची में केरल के भूमि-सुधार-सम्बन्धी दो और अधिनियम शामिल करके, संरक्षित भूमि-सुधार कानूनों की संख्या ६६ कर दी गई।

तीसवां संशोधन (१९७२)—इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद १३३ में परिवर्तन किया गया। इस संशोधन से पूर्व २०,००० रुपये अथवा इससे अधिक राशि के सिविल विवादों पर ही उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती थी। परन्तु अब सम्पत्ति के मूल्य पर दृष्टिपात न करते हुए मामले के संवैधानिक महत्व के आधार पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हो सकती है।

इकतीसवां संशोधन (१९७३)—इसके द्वारा संविधान की धारा ८१ में संशोधन करके लोकसभा में राज्यों को ५०० से बढ़ाकर अधिकतम ५२५ स्थान और केन्द्रशासित क्षेत्रों को २५ से घटाकर अधिकतम २० स्थान निर्धारित किये गए। यह भी प्रावधान किया गया कि किसी राज्य विशेष की आबादी जब तक ६० लाख से बढ़ न जाए, राज्यों को लोकसभा में आवंटित स्थानों में परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठेगा।

बत्तीसवां संशोधन (१९७३)—इसके द्वारा आंध्र में विभाजनवादी आन्दोलन को सुलझाने की दृष्टि से उक्त प्रदेश के आन्ध्र, तेलंगाना एवं रायल सीमा क्षेत्र के निवासियों को शिक्षण-संस्थाओं तथा सरकारी सेवाओं में पृथक्-पृथक् अनुपात में प्रतिनिधित्व दिए जाने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करने का राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्रदान किया गया।

इसके द्वारा संविधान में धारा ३७१ ङ जोड़कर आंध्र में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए निर्देश दिया गया।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

तेतीसवां संशोधन (१९७३)—इसके द्वारा विधानमण्डल या संसद् के सभाध्यक्षों को विधायकों या संसत्सदस्यों के त्यागपत्र को स्वीकार किये जाने के पूर्व जांच-पड़ताल करके इस बात की तसल्ली कर लेने का निर्देश दिया गया है कि सम्बद्ध सदस्य ने स्वेच्छा से त्याग-पत्र दिया है।

चौतीसवां संशोधन (१९७४)—इसके द्वारा विभिन्न राज्यों द्वारा निर्मित २२ अधिनियमों को, जो भूमि-सुधार से सम्बन्धित हैं, संविधान की नवम सूची में शामिल किया गया जिससे उनकी वैधानिकता को चुनौती न दी जा सके। उक्त अनुसूची में शामिल विधेयकों की संख्या ८८ हो गई।

पैंतीसवां संशोधन (१९७४)—इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद २ (क) जोड़कर सिक्किम को भारत के सह-राज्य का दर्जा प्रदान किया और उसे लोकसभा एवं राज्यसभा में एक-एक स्थान दिया गया।

छत्तीसवां संशोधन (१९७५)—इस ऐतिहासिक संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सम्पूर्ण रूप से शामिल किए जाने के बारे में सिक्किम विधानसभा के प्रस्ताव को, जिस पर सिक्किम में जनमत संग्रह कराकर जनता की सम्मति प्राप्त कर ली गई थी, स्वीकार किया गया और सिक्किम भारत का २२वां राज्य घोषित कर दिया गया।

सैंतीसवां संशोधन (१९७५)—इसके द्वारा केन्द्रशासित क्षेत्र अरुणांचल में विधान-सभा की स्थापना की गई।

अड़तीसवां संशोधन (१९७५)—इसके द्वारा राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के लिए परिस्थितियों की विद्यमानता के बारे में निर्णय को ही अन्तिम कहा गया है। इसके बाद कोर्ट में कुछ नहीं किया जा सकता।

उनतालीसवां संशोधन (१९७५)—इसके द्वारा प्रधानमन्त्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी भी आपत्ति को अमान्य ठहराया गया।

चालीसवां संशोधन (१९७५)—इसके द्वारा विभिन्न प्रदेशों की भूमि, जल आदि की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में निर्णय लिए गए।

इकतालीसवां संशोधन (१९७६)—इस संशोधन द्वारा राज्यों के सेवा आयोगों के और संघ सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा-निवृत्ति की आयु ६० वर्ष से बढ़ाकर ६२ वर्ष कर दी गई।

बयालीसवां संशोधन (१९७६)—इस संशोधन द्वारा संविधान में इतने अधिक परि-वर्तन किए गए हैं कि एक प्रकार से संविधान को एक नया रूप दे दिया गया। संसद् को अत्यधिक शक्तिशाली कर दिया गया। न्यायालयों की शक्ति क्षीण कर दी गई और विधि का पुनर्विलोकन करके विधि को संविधान के प्रतिकूल होने के आधार पर किसी अधिनियम को शून्य घोषित करने की शक्ति पर बहुत से प्रतिबन्ध लगा दिए गए। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ सीमित हो गईं। कार्यपालिका को यह शक्ति दी गई कि वह

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

किसी संगठन को राष्ट्र-विरोधी घोषित कर प्रतिबन्ध लगा दे। इस प्रकार की घोषणा का पुर्नविलोकन करने का अधिकार न्यायपालिका को नहीं होगा।

इस संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आपातस्थिति भारत के किसी एक भाग में भी लगाई जा सकती है। आपातस्थिति लगाने के लिए जो परिस्थितियाँ होनी चाहिएँ उनकी विद्यमानता के बारे में किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी। संविधान के अनुच्छेद ३६८ के अधीन यदि संसद् संविधान में कोई संशोधन करेगी तो उस संशोधन पर किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया जा सकेगा।

संसद् के सदनों की और राज्य के विधानमण्डलों की अवधि ५ वर्ष से बढ़ाकर ६ वर्ष कर दी गई। इस संशोधन को जनता सरकार ने निरस्त कर दिया।

तितालीसवां संशोधन (१९७७)—४२वें संशोधन द्वारा उच्च न्यायालयों के समादेश जारी करने के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। इस संशोधन के द्वारा उन्हें पुनस्थापित किया गया।

चवालिसवां संशोधन (१९७८)—लोक सभा ने २३ अगस्त १९७८ को सर्वसम्मति से संविधान में ४४वें संशोधन का विधेयक पारित कर दिया।

इस विधेयक का उद्देश्य आपातकाल के समय ४२वें संशोधन द्वारा लायी गई विकृतियों को दूर करना और मौलिक अधिकारों को अनअतिक्रमणीय बनाना है। इसके अलावा इस विधेयक द्वारा पहली बार यह व्यवस्था की गयी कि संशोधन के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन के लिए जनमत संग्रह किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार ने १९ जून १९७९ को संविधान (४४वां संशोधन) अधिनियम, १९७८ की अधिकांश धाराएँ तुरन्त प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी।

इस अधिनियम की धारा संख्या १७, १८, १९, २०, २१ और ३० का सम्बन्ध उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र से है। यह समय न्यायालयों को अपने कार्य विधि नियमों में संशोधन करने के लिए दिया गया है।

धारा २, ४, ५, ६, ७, ८ और ३४ सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर निकाल देते हैं और उसे ऐसा अधिकार बना देते हैं जिसका नियमन साधारण कानून के अनुसार होगा। धारा ६ का उद्देश्य अनुच्छेद ३१ को निकालना है जो कि सम्पत्ति के अधिकार से सम्बन्धित है। अनुच्छेद ३१ में किसी अल्पसंख्यक जाति द्वारा स्थापित और संचालित किसी शिक्षण संस्था को सम्पत्ति का अधिग्रहण करने से सम्बन्धित सुरक्षा को अब अनुच्छेद ३० में इस आशय का संशोधन करके शामिल कर दिया गया है। धारा ३४ के अनुसार संविधान के भाग १२ में एक नए अनुच्छेद ३०० ए का समावेश किया गया है। इसमें यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

धारा १० में उच्चतम न्यायालय के प्राधिकार को राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चुनावों से सम्बन्धित विवाद के मामले में फिर से स्थापित करने की व्यवस्था है। यह प्राधिकार संविधान के ३९वें संशोधन अधिनियम द्वारा छीन लिया गया था।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

धारा ११ में अनुच्छेद ७४ के सम्बन्ध में व्यवस्था है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को उस स्थिति में मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार काम करना चाहिए जबकि एक बार उन्होंने इस प्रकार के परामर्श पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया हो और फिर वह राष्ट्रपति को भेजा गया हो।

धारा १२ और २३ में न्यायालयों को यह अधिकार फिर से देने की व्यवस्था है कि वे संघ और राज्य सरकारों को कार्य संचालन संबन्धी नियमों को पेश करने के लिए बाध्य कर सकें।

धारा १३ द्वारा लोकसभा का कार्यकाल फिर से पांच वर्ष करने की व्यवस्था है।

धारा १४ में संसद सदस्यों और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित फैसले के सम्बन्ध में चुनाव आयोग के मूल अधिकार को फिर से प्रदान करने की व्यवस्था है।

धारा १५ और २६ में संसद और राज्य विधान मण्डलों के सदनों की मर्यादा से सम्बन्धित अनुच्छेद १०५ और अनुच्छेद १९४ में संशोधन करने की व्यवस्था है। हाउस आफ कामन्स का संदर्भ निकाल दिया गया है।

धारा २८ उच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति और सेवा शर्तों के सम्बन्ध में हैं और वह संविधान (४२वें संशोधन) अधिनियम द्वारा लाई गई विकृतियों को दूर करती है।

धारा २९ अनुच्छेद २२५ में संशोधन करके राजस्व सम्बन्धी मामलों के बारे में उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को फिर से स्थापित करती है।

धारा ३१ अनुच्छेद २२७ में संशोधन करके ट्रिब्यूनलों सहित सभी न्यायालयों पर उच्च न्यायालयों के परिवेक्षण के अधिकार को फिर से बहाल करती है।

धारा ३७ से ४१ आपातकालीन प्रावधानों के सम्बन्ध में हैं। अब ऐसा आपातकाल जो १९७५ में लागू किया गया था, फिर से कभी लागू नहीं किया जा सकेगा। इन धाराओं में ऐसे कई सुरक्षात्मक प्रावधान किए गए हैं।

धारा ३८ में साधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति का शासन कुल मिलाकर एक वर्ष तक लागू करने की व्यवस्था है।

धारा ४० में गम्भीर आपात स्थिति के दौरान भी लोगों के जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को न छीन सकने के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है। अगर अनुच्छेद ३५९ के अन्तर्गत मूल अधिकार निलम्बित भी किये जाते हैं तो नागरिकों के जीने के अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार को निलम्बित नहीं किया जा सकता।

धारा ४२ के अन्तर्गत एक नये अनुच्छेद ३६१ ए का समावेश किया गया है जिसमें प्रेस द्वारा बिना दुर्भावना के संसद और राज्य विधान मण्डलों की कार्रवाई के प्रकाशन के सम्बन्ध में संवैधानिक संरक्षण की व्यवस्था है। इस संरक्षण के हो जाने पर ससद और राज्य विधान मण्डलों की कार्यवाही की रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रेस पर संसरशिप नहीं लगाई जाएगी।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

४५वां संशोधन (१९७८)—संविधान ४५वें संशोधन विधेयक में आपातकाल के दौरान संविधान के तोड़फोड़ और जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध निम्नलिखित संरक्षणों का प्रावधान किया गया है।

(१) आपात स्थिति आन्तरिक सशस्त्र विद्रोह और बाहरी आक्रमण की हालत में ही लागू की जा सकेगी।

(२) आपात स्थिति घोषणा करने के लिए मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति को लिखित सलाह देगा।

(३) राष्ट्रपति इस सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस मन्त्रिमण्डल के पास भेज सकेगा लेकिन पुनर्विचार के बाद मन्त्रिमण्डल की सलाह पर राष्ट्रपति को आचरण करना होगा।

(४) कार्यपालिका की धारा २० व २१ को स्थगित करने का अधिकार नहीं होगा। धारा २० के अनुसार किसी के विरुद्ध भूतलक्षी दंडनीय कार्रवाई नहीं की जा सकती, जबकि धारा २१ नागरिकों के जीवन व व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की गारंटी देती है।

(५) बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के उच्च न्यायालयों के अधिकार को निलम्बित नहीं किया जा सकेगा।

(६) आपात स्थिति की घोषणा का एक महीने के अन्दर संसद द्वारा अनुमोदन जरूरी होगा और संसद एक प्रस्ताव पारित कर आपात स्थिति की घोषणा को समाप्त कर सकेगी।

(७) आपात स्थिति के दौरान संसद की कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार निलम्बित नहीं किया जा सकेगा।

राज्य

राज्यपाल—राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख 'राज्यपाल' कहलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति साधारणतः पांच वर्ष के लिए करता है। इनको ५,५०० रु० मासिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। भारत का नागरिक और ३५ वर्ष या इससे अधिक आयु का व्यक्ति ही राज्यपाल होने का पात्र हो सकता है। राज्यपाल संसद् या किसी विधानमण्डल का सदस्य नहीं हो सकता। वह अन्य कोई सरकारी पद भी नहीं ग्रहण कर सकता। राज्यपाल को हटाने के लिए किसी महाभियोग का नियम नहीं है। पद पर उनका बना रहना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। राज्यपाल राज्य में केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि होता है। वह राज्य के मन्त्रिमण्डल की सलाह पर कार्य करता है। राज्य में राज्यपाल का वही स्थान है जो केन्द्र में राष्ट्रपति का।

राज्यपाल के कर्तव्य और अधिकार—कोई धन विधेयक (बिल) राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना विधानसभा में उपस्थित नहीं हो सकता। राज्यपाल विधानसभा और विधानपरिषद् (जिन राज्यों में हैं) की संयुक्त बैठक का प्रतिवर्ष उद्घाटन करता है। विधानमण्डल द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक पर राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। इसके

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बिना विधेयक अधिनियम नहीं हो सकता। विधान मण्डल के अवसानकाल में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना और उसको विसर्जित करना उसका कर्तव्य है। संविधान का राज्य में ठीक-ठीक पालन होता है, यह देखना भी राज्यपाल का कर्तव्य है। राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, या नहीं चलाया जा सकता है, राज्यपाल से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं।

मन्त्रिमण्डल—संविधान के अनुच्छेद १६३ में राज्य को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मन्त्रिमण्डल की व्यवस्था की गई है। इसका नेता मुख्यमन्त्री कहलाता है। विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है, उसी के नेता को राज्यपाल साधारणतः मुख्यमन्त्री पद पर नियुक्त करता है। अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति मुख्यमन्त्री के परामर्श से राज्यपाल करता है। मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की सख्या मुख्यमन्त्री की इच्छा पर निर्भर है। इस विषय में कोई नियम नहीं है। मुख्यमन्त्री प्रायः अपनी सरकार को स्थिर रखने की दृष्टि से मन्त्रियों की संख्या निश्चित करता है। विधानसभा और विधानपरिषद् के सदस्यों की संख्या ही इसका कुछ-कुछ नियंत्रण करती है। राज्य की आय भी एक सीमा तक उस पर प्रतिबन्ध लगाती है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि मन्त्रियों की संख्या विधायकों की संख्या के १० प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राज्य विधानमन्डल—प्रत्येक राज्य में विधानमंडल है। विधानमंडल में दो सदन होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन विधानसभा है और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन विधानपरिषद् है। कई राज्यों में केवल विाधनसभा है।

विधानसभा—विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक सदस्य साधारणतया ७५,००० लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। सदस्यों की संख्या ५०० से अधिक और ६० से कम नहीं हो सकती। इसमें हरिजनों और आदिवासियों के लिए कुछ स्थान आरक्षित रहते हैं। विधानसभा अपने सदस्यों में से किसी सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। इसका कार्यकाल साधारणतः पांच साल है। विधानसभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जो (१) भारत का नागरिक हो, (२) २५ साल से कम आयु का न हो और (३) उन सब अर्हताओं से युक्त हो, जो संसद् निर्धारित करे। आवश्यक होने पर राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो-इण्डियन समाज के प्रतिनिधि को नामजद कर सकता है।

विधानपरिषद्—इसके सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ४० से कम भी नहीं होनी चाहिए। परिषद् के एक तिहाई सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा तथा एक तिहाई विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। १/१२ सदस्य विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। चुनने का अधिकार उसी को है जो तीन साल पुराना स्नातक हो। १/१२ सदस्य शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं। इनका कम-से-कम माध्यमिक विद्यालय या उससे ऊपर की शिक्षण-संस्थाओं में तीन साल शिक्षक रहना आवश्यक होता है। १/१२ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। साहित्य

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

विज्ञान या समाज-सेवा के लिए विख्यात लोगों में से इनका नामनिर्देशन होता है। धन-विधेयक सीधा विधानपरिषद में उपस्थित नहीं किया जा सकता। विधानसभा द्वारा पारित धन-विधेयकों पर १४ दिन के भीतर उसमें संशोधन व परिवर्तन का सुझाव देने भर का अधिकार विधानपरिषद् को है।

राज्य की न्यायपालिका—संविधान के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का उपबन्ध है।

संघ और राज्यों का परस्पर सम्बन्ध

संविधान के अनुच्छेद २४५ से २६३ तक केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन सम्बन्धों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है।

विधायी—विधि बनाने की तीन सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संसद् सब सूचियों में दिए गए ९८ विषयों पर अनन्यत: विधि बना सकती हैं। ५२ विषयों में संघ और राज्य, दोनों विधियाँ बना सकते हैं। राज्य कोई विधि, संघ-विधि के प्रतिकूल या विपरीत या विरोधी नहीं बना सकते। राज्यों के विधानमण्डल ६१ विषयों में विधि बना सकते हैं। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में अंकित विषयों पर भी संसद् को विधि बनाने का अधिकार है—जबकि राज्यसभा के दो-तिहाई सदस्य इनकी स्वीकृति दे दें। आपातकाल में भी यह अधिकार संसद् को प्राप्त हो जाता है। संसद् सारे देश के लिए कानून बनाती है, राज्य विधानमण्डल केवल अपने क्षेत्र के लिए। केन्द्र का बनाया गया कानून इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि उससे प्रादेशिक सीमा का अतिक्रमण होता है। केन्द्र को तीन सूचियों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को संचार साधनों के निर्माण और उनके सार-संभाल का आदेश दे सकती है। वह किसी भी राजपथ को राष्ट्रीय पथ और जल-मार्ग को राष्ट्रीय जल-मार्ग घोषित कर सकती है। केन्द्र सरकार सेना के आवागमन के साधनों का निर्माण कर सकती है। राष्ट्रपति राज्य सरकार को, उसकी सहमति से, केन्द्र सरकार का कुछ कार्य-भार वहन करने के लिए कह सकते हैं। युद्ध और आन्तरिक अशांति के समय राष्ट्रपति राज्यों को विशेष आदेश दे सकते हैं।

प्रशासनिक—केन्द्रीय और राज्यों की कार्यपालिका के अधिकार-क्षेत्र का विस्तार उन सब विषयों पर है जो समवर्ती सूची में दर्ज हैं। कुछ बातों में राज्यों को केन्द्र के निर्देश का पालन करना होता है। अनुच्छेद २६१ के अनुसार भारत में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सार्वजनिक अधिनियमों, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों के प्रति पूरा विश्वास प्रकट किया जाता है।

वित्तीय—आर्थिक और वित्तीय दृष्टि से राज्य बहुत कुछ केन्द्र पर निर्भर करते हैं। राज्य केन्द्र से अनुदान की आशा करते हैं। आयकर और उत्पाद-शुल्क की आय में से अधिकाधिक भाग पाने की इच्छा करते हैं। केन्द्र से राज्यों को किस मात्रा में वित्तीय और आर्थिक सहायता प्राप्त हो, इसका निश्चय हर पाँच साल बाद वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। यह आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

स्वायत्त शासन

स्थानीय कार्य-संचालन के लिए जो व्यवस्था की गई है, उसे स्वायत्त शासन कहते हैं। इसे दो वर्गों में बांटा गया—शहरी और ग्रामीण। बड़े नगरों की स्थानीय व्यवस्था नगर निगम और मध्यम तथा छोटे नगरों की व्यवस्था नगरपालिकाओं के माध्यम से की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों का स्वायत्त शासन पंचायतों के माध्यम से होने लगा है। **निगम :** नगर-निगम के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं। नगर-निगम का प्रशासन-कार्य (क) निगम की सामान्य परिषद् (ख) परिषद् की स्थाई समिति तथा (ग) आयुक्त अथवा कार्यकारी अधिकारी द्वारा संचालित होता है। इसकी कार्यपालिका शक्ति आयुक्त में निहित होती है। **नगरपालिकाएँ :** जिन नगरपालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, उनका कार्य भी समितियों द्वारा ही संचालित होता है। इसका संचालन कार्यकारी अधिकारी द्वारा होता है। **जिला स्वायत्त शासन :** जिले भर की व्यवस्था के लिए जिलों को कई प्रखण्डों में बांटा गया है। जिसके अन्तर्गत कई ग्राम होते हैं। इन प्रखण्डों को कुछ अधिकार और कर्तव्य भी सौंपे गए हैं। दो-एक राज्यों को छोड़कर शेष प्रदेशों में पंचायती राज लागू किया गया है।

ग्राम-पंचायतें—ग्रामवासी स्वयं पंचायत का चुनाव करते हैं। इन पंचायतों पर कृषि उत्पादन, ग्रामीण उद्योगों, सड़कों, गलियों, तालाबों तथा कुओं की देख-भाल, सफाई, जल निकासी आदि का दायित्व है। कहीं-कहीं शिक्षा तथा राजस्व-वसूली की व्यवस्था भी ग्राम-पंचायतों के अधीन है। कई राज्यों में पचायतों को छह मास तक दंड देने का भी अधिकार है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भारत की न्याय-व्यवस्था

भारत की आधुनिक न्याय-व्यवस्था सोपान-क्रम में बनी है। उच्चतम न्यायालय इसके शिखर पर है। इसके नीचे प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है जो राज्य में सिविल और दाण्डिक मामलों में अपील और पुनरीक्षण का सर्वोच्च न्यायालय है। सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। उच्च न्यायालयों के नीचे के न्यायालयों की स्थापना और अधिकारिता सम्बन्धित राज्य के अधिनियमों पर आधारित है। यह होते हुए भी सम्पूर्ण देश में न्यायालयों के गठन के बारे में आधारभूत एकरूपता है। प्रत्येक राज्य जिलों में विभाजित है। प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय है, जो आरम्भिक अधिकारिता वाला मुख्य सिविल न्यायालय है। जिला न्यायालय के अधीन कुछ निचले न्यायालय कार्य करते हैं जिनका नाम और अधिकारिता प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है। जिला न्यायालय जिले के निचले न्यायालयों से उन सभी वादों में अपील सुनते हैं, जिनका मूल्य पांच हजार रुपये तक है। कुछ राज्यों में यह सीमा दस हजार रुपये तक बढ़ा दी गई है। इस राशि से अधिक की अपीलें जिला न्यायालय को न जाकर, सीधे उच्च न्यायालय को जाती हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य कार्य अधीनस्थ न्यायालयों की अपीलें सुनना और विशेष विधियों के अधीन मामलों का संज्ञान करना होता है। ये विशेष कानून हैं, जैसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, भूमि अर्जन अधिनियम आदि। इनके अतिरिक्त लघुवाद न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता पाँच सौ रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक होती है। साधारणतया जिला-न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन होता है और इनके नीचे का प्रत्येक सिविल न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीन होता है। जिले के न्यायालयों के काम का नियन्त्रण और अधीक्षण का भार जिला न्यायाधीशों के कन्धों पर होता है।

दांडिक अधिकारिता के क्षेत्र में, जिला न्यायालय सेशन न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त बहुत से मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं। दांडिक न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अधीन कार्य करते हैं। भारत के संविधान ने उच्च न्यायालय को राज्य में स्थित सभी न्यायालयों के अधिकरणों पर अधीक्षण करने की शक्ति प्रदान की है। उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण के लिए समुचित प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियाँ मिली हुई हैं।

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायतें भारत की अति प्राचीन पारम्परिक संस्थाएं हैं। १९०७ में भारत में

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

विकेन्द्रीकरण पर राय देने के लिए जो रायल कमीशन नियुक्त हुआ था उसने यह सिफारिश की थी कि ग्राम पंचायतें गठित की जानी चाहिए और उन्हें प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिएं। १९२५ में सिविल न्याय समिति ने छोटे-छोटे सिविल वादों में ग्राम पंचायतों का उपयोग करने की सिफारिश की। भारत के संविधान के अनुच्छेद ४० में यह उपबन्ध किया गया कि—

"राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा, तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।"

प्रत्येक राज्य में पंचायतें स्थापित कर दी गईं किन्तु अभी तक न्यायिक प्रशासन में ग्राम पंचायतों का स्थान गौण है और उसे प्रायोगिक भी कहा जा सकता है। मोटे तौर से सिविल वादों में उनकी शक्तियाँ बहुत कम मूल्य के मामलों तक सीमित हैं और इसी प्रकार उनकी दांडिक अधिकारिता भी बहुत मर्यादित है। पंचायतों में वकील उपस्थित नहीं हो सकते, फिर भी पंचायतें बहुत सा कार्य कर देती हैं और इस प्रकार इनके कारण न्यायालयों का काम कुछ हल्का हुआ। विधि आयोग ने इस संस्था के कार्य का अवलोकन किया और यह सुझाव दिया है कि पंचायतों का अधिकाधिक उपयोग होना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पंचायतों की कार्यवाही शीघ्रता से निपटती है और सस्ती होती है।

प्रेसिडेंसी शहरों के सिविल न्यायालय

कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इन तीनों प्रेसिडेंसी शहरों के सिविल न्यायालयों की योजना देश के अन्य भागों से भिन्न है। इसका मुख्य कारण ऐतिहासिक है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन स्थानों के उच्च न्यायालयों को नगर क्षेत्र के भीतर साधारण आरम्भिक सिविल अधिकारिता है। इन तीनों न्यायालयों की अधिकारिता सभी सिविल मामलों पर हैं, केवल उनको छोड़कर जो लघुवाद न्यायालय या अन्य स्थानीय न्यायालयों की अधिकारिता में आते हों।

प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं का पृथक्करण

प्रशासनिक सेवा के लोगों को न्यायिक पद पर नियुक्त करने की प्रथा १७७२ में प्रारम्भ हुई, जब दीवानी अदालतों में कम्पनी के कर्मचारी नियुक्त किये गए। बहुत समय तक यह प्रथा चलती रही कि किसी भी प्रशासनिक को किसी भी पद पर चाहे वह प्रशासनिक हो या न्यायिक, नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्ति के लिए पदों में भेद नहीं किया जाया था। न्यायधीशों को कुछ काल बाद प्रशासनिक पद सौंप दिए जाते थे और इसी प्रकार प्रशासनिक कर्मचारी न्यायाधीश बना दिए जाते थे। सर फिट्ज जेम्स स्टीफेंस ने १८६२ में इस प्रणाली की आलोचना की थी।

संविधान के अनुच्छेद ५० में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह न्याय पालिका को कार्यपालिका से अलग करे।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

किसी भी देश में विधि और न्याय की अच्छी व्यवस्था करने के लिए यह आवश्यक है कि अधीनस्थ न्यायालय भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से ऊपर रहें। इस उद्देश्य को सामने रखकर भारत के संविधान में कुछ ऐसे उपबंध रखे गए हैं, जो अधीनस्थ न्यायाधीशों के बारे में हैं। यह कहना सही होगा कि अधीनस्थ न्यायालय, अभी तक प्रशासनिक नियंत्रण से बिलकुल मुक्त नहीं हुए हैं, किन्तु कुछ हद तक नियंत्रण कम अवश्य हुआ है। संविधान के अनुच्छेद २३३ के अनुसार राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थान और पदोन्नति आदि राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से किए जाते हैं। इसी अनुच्छेद के दूसरे खंड में यह अधिकथित है कि कोई व्यक्ति, जो संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है यदि उसने ७ वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय सिफारिश करता हो। राज्य की न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति राज्यपाल करता है और यह नियुक्ति उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होती है। यह नियम राज्य के लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से बनाए जाते हैं। इस प्रकार संविधान में सम्पूर्ण भारत के लिए अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के चयन और नियुक्ति के लिए एक समान प्रणाली उपबंधित है।

दाँडिक न्यायालय

दांडिक न्यायालय भी सोपान-क्रम में हैं। सबसे नीचे हैं—ग्राम पंचायत और मजिस्ट्रेट के न्यायालय। इनके ऊपर हैं सेशन न्यायालय और उनके ऊपर हैं उच्च न्यायालय और उन सबके ऊपर है उच्चतम न्यायालय जोकि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है।

प्रेसिडेंसी शहरों के अतिरिक्त सभी स्थानों पर प्रत्येक जिले में कुछ मजिस्ट्रेट होते हैं जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट, तृतीय वर्ग के मजिस्ट्रेट, और उपखंडीय मजिस्ट्रेट कहा जाता है। इन सबकी अधिकारिता सीमित होती है।

प्रत्येक जिले में एक जिला मजिस्ट्रेट होता है जो प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट होता है। जिला मजिस्ट्रेट जिले के मजिस्ट्रेटों का मुखिया होता है। उसका मुख्य कर्त्तव्य यह देखना है कि जिले के दांडिक न्यायालय ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं, अथवा नहीं। मजिस्ट्रेटों के ऊपर सेशन न्यायालय हैं। प्रत्येक जिले में कम से कम एक सेशन न्यायालय होता है। इन न्यायालयों में डकैती, कत्ल, बलात्कार आदि गम्भीर अपराधों पर विचार होता है। सेशन न्यायालय विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी दण्डादेश पारित कर सकता है, किन्तु उसके द्वारा दिया गया मृत्यु दंड न्यायालय की पुष्टि के बाद ही वैध होता है। उच्च न्यायालयों को अपील पुनरीक्षण और निर्देश सुनने का अधिकार है। सेशन न्यायालय द्वारा दोष-सिद्ध सभी व्यक्तियों को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।

संविधान के प्रथम भाग के अनुच्छेद में ही भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है। तदनुसार किसी भी संघीय शासन-प्रणाली में विधायिका एवं कार्यपालिका से पृथक

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

एवं स्वतन्त्र एक ऐसे न्यायालय की आवश्यकता होती है, जो राज्यों तथा केन्द्र के सारे विवादों पर अपना स्वतंत्र निर्णय दे सके और संविधान की व्याख्या कर सके। भारत के संविधान के अनुच्छेद १२४ से उच्चतम न्यायालय गठित किया गया है। भारत में केन्द्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करने के लिए एक ही न्यायपालिका है, अमरीका की तरह दो नहीं। उच्चतम न्यायालय संघ की राजधानी दिल्ली में है।

अनुच्छेद १४१ के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी है। संविधान के निर्माणकाल में इसमें एक मुख्य न्यायाधिपति तथा अधिक-से-अधिक ७ अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी परन्तु १९५६ के सुप्रीम कोर्ट एक्ट ने अन्य न्यायाधीशों की सींमा १० कर दी। बढ़ते हुए काम को देखकर अब संख्या मुख्य न्यायाधिपति समेत १४ कर दी गई। आवश्यकता होने पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध है जिसे मुख्य न्यायाधिपति, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी उच्च न्यायालय के विधिवत् अर्हता प्राप्त न्यायाधीशों में से, एक निश्चित समय के लिए कर सकता है।

न्यायाधीशों की अर्हतायें, नियुक्ति एवं वेतन : (क) भारत का नागरिक होना चाहिए, (ख) कम-से-कम ५ वर्ष किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या कम-से-कम १० वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की राय में वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को सम्बोधित करके त्यागपत्र दे सकता है। असमर्थता या सिद्ध अभियोगों के कारण वह पदच्युत भी किया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश का वेतन ५,००० रु० मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों का ४,००० रु० मासिक संविधान द्वारा नियत है। इसमें परिवर्तन संविधान में संशोधन लाकर ही किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता : संविधान के अनुच्छेद १२९ में इसे 'अभिलेख न्यायालय' कहा गया है जिसे अपने अवमान के लिए दण्ड देने की शक्ति सहित न्यायालय की सब शक्तियां प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को तीन भागों में बांट सकते हैं—(१) आरम्भिक, (२) अपीली तथा (३) परामर्शदात्री।

आरम्भिक अधिकारिता : भारत सरकार तथा एक अथवा अधिक राज्यों के बीच के विवाद, राज्यो के बीच आपसी विवाद, केन्द्र तथा राज्यों के बीच अथवा परस्पर राज्यों के बीच के विवाद चाहे तथ्य पर आधारित हों या कानून पर। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार भी इसे प्राप्त है, परन्तु यह उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में भी आता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के विरुद्ध किसी याचिका पर विचार केवल उच्चतम न्यायालय में ही हो सकता है।

अपीली अधिकारिता : इसके कई रूप हैं—**संवैधानिक मामले**—किसी वाद में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय, डिक्री अथवा अन्तिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है यदि विवाद किसी विधान या संविधान की

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

व्याख्या से सम्बन्धित है। **सिविल मामले :** यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता हो कि वाद अपील के योग्य है। **दाण्डिक मामले**—यदि उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालय से किसी मुकदमे को मंगाकर या निम्न न्यायालय द्वारा दिये गए किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदण्ड का आदेश दिया है या मामले को अपील योग्य होने का प्रमाण-पत्र दिया है। **विशेष इजाजत :** उच्चतम न्यायालय अपने विवेक से किसी भी मामले पर अपील की विशेष इजाजत दे सकता है परन्तु सैनिक अधिकरण के निर्णय पर अपील की अनुमति नहीं दे सकता। संसद विधि द्वारा उसकी अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय अथवा निर्देश के पुनरीक्षण करने का भी अधिकार है।

परामर्शदात्री अधिकारिता : यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि अथवा तथ्य सम्बन्धी ऐसे प्रश्न पैदा हो गए हैं जिन पर उच्चतम न्यायालय का मत प्राप्त करना वाँछनीय है तो वह इसके समक्ष रख सकता है। उच्चतम न्यायालय उसकी उचित सुनवाई करके अपना अभिमत राष्ट्रपति को भेज देगा।

उच्च न्यायालय

संविधान के के अनुच्छेद २१४ में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है जिसे अपने अवमान के लिए दण्ड देने के अधिकार प्राप्त हैं। प्रत्येक राज्य के न्याय प्रशासन में सबसे ऊपर उच्च न्यायालय होते हैं। दो या अधिक राज्यों का मिलकर एक ही उच्च न्यायंालय हो सकता है। इस समय पंजाब और हरियाणा का तथा असम और नागालैंड का संयुक्त उच्च न्यायालय है। संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालय केवल दिल्ली में ही है। उच्च न्यायालय का मुख्य स्थल एक स्थान पर होते हुए भी उसकी न्यायपीठ अन्य स्थान पर हो सकती है। इलाहाबाद उच्च न्यायलय की न्यायपीठ लखनऊ में भी है। महाराष्ट्र की न्यायपीठ बम्बई के अतिरिक्त नागपुर में भी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जबलपुर के अलावा ग्वालियर और इन्दौर में न्यायापीठ हैं।

इस समय भारत में १७ उच्च न्यायालय हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता अन्डमान और निकोबार पर १९५३ में विस्तारित की गई। केरल की अधिकारिता में लक्ष द्वीप सम्मिलित है। गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के अन्तर्गत आते हैं।

दिल्ली में उच्च न्यायालय १९६६ में स्थापित किया गया और हिमाचल उच्च न्यायालय १९७१ में।

उच्च न्यायालय का गठन : प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार निर्धारित संख्या में नियुक्त होते हैं। उच्च न्यांयालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति एवं उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में उक्त रीति के अतिरिक्त राज्य के मुख्य न्यायाधिपति से भी परामर्श लिया

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जाता है। इसके अतिरिक्त बचे हुए कार्य को निपटाने एवं किसी न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अवर न्यायाधीशों एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति सहित कोई भी न्यायाधीश ६२ साल की आयु तक ही अपने पद पर कार्य कर सकता है। इन्हें अपने पद से हटाये जाने की विधि भी वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए है। इस पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना, किसी राज्य के न्यायिक पद पर कम-से-कम दस वर्ष तक कार्य का अनुभव या उच्च न्यायालयों में दस वर्ष तक अभिवक्ता के रुप में कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। मुख्य न्यायाधिपति को प्रतिमास ४,००० रु० तथा न्यायाधीशों को ३,५०० रु० वेतनस्वरुप देने की व्यवस्था है। साथ ही इन्हें भत्ते, पेंशन आदि पाने का अधिकार है। यह भत्ते तथा पेंशन संसद् तय करती है। इनके पद स्थानांतरणीय हैं।

राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता : जहां संसद् द्वारा दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है या जहां उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ा कर संघीय प्रदेश तक किया गया है, उसे छोड़कर किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता राज्य क्षेत्र तक सीमित होगी।

आरम्भिक अधिकारिता : कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के उच्च न्यायालयों को छोड़ कर अन्य उच्च न्यायालय को केवल नाव-अधिकरण, प्रोवेट, वैवाहिक तथा न्यायालय के अवमान के मामलों में आरम्भिक अधिकारिता प्राप्त है। उक्त तीन प्रेसिडेंसी नगरों के उच्च न्यायालयों का इन नगरों के अन्दर शुरू हुए मामलों में सिविल व दाण्डिक—दोनों प्रकार की मूल अधिकारिता प्राप्त है। इनमें से मुम्बई और मद्रास के उच्च न्यायालयों की दाण्डिक अधिकारिता सेशन न्यायालयों को सौंपी गई है। सिविल मामलों के लिए नगर सिविल न्यायालय की स्थापना भी हुई है। परन्तु अधिक मूल्यों वाले मुकदमे की सुनवाई उच्च न्यायालयों के अधीन है।

अपीली अधिकारिता : उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता सिविल तथा दांडिक दोनों मामलों में है। सिविल मामलों में दो-दो अपीलें होती हैं। दाण्डिक मामलों में उच्च न्यायालय की अधिकारिता इन दशाओं में होती है। (क) मूल दाण्डिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए इसी उच्च न्यायालय के निर्णय से (ख) किसी सेशन न्यायाधीश या अवर सेशन न्यायाधीश के निर्णय से (ग) जिन मामलों में किसी अभियुक्त को चार वर्षों की जेल की सजा दी गई है उनमें किसी सहायक सेशन न्यायाधीश या विशेष रूप से शक्ति प्राप्त मजिस्ट्रेट के निर्णय से (घ) किसी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के, या (च) भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४४ क की किसी सजा के मामले में किसी जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से।

अधीक्षण की शक्ति : उच्च न्यायालय का यह अधिकार व्यापक है। इस अधिकार में पुनरीक्षात्मक अधिकारिता, घोर अन्याय या अधिकारिता का प्रयोग न करने या दुरुपयोग करने के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी सम्मिलित है।

अनुच्छेद २२६ संविधान का अत्यन्त महत्व का अनुच्छेद है। इसे रिट अधिकारिता कहते हैं। उच्च न्यायालय किसी भी न्यायिक कल्प या प्रशासनिक अधिकारों की उपयुक्त

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

परिस्थिति में आवश्यक रिट जारी कर सकता है। यह रिट राज्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है। संशोधन से पूर्व केन्द्र सरकार के विरुद्ध केवल पंजाब उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है।

उच्च न्यायालयों का क्षेत्र

नाम	स्थापना	राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता	स्थान
१. कलकत्ता	१८६२	पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह	कलकत्ता
२. बम्बई	१८६२	महाराष्ट्र	मुम्बई (नागपुर में न्यायपीठ)
३. मद्रास	१८६२	तमिलनाडु और पांडिचेरी	मद्रास
४. इलाहाबाद	१८८६	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद (लखनऊ में न्यायपीठ)
५. मैसूर	१८८४	कर्नाटक	बंगलौर
६. पटना	१९१६	बिहार	पटना
७. जम्मू-कश्मीर	१९४३	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर, जम्मू
८. पंजाब व हरियाणा	१९४७	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़
९. असम व नागालैंड	१९४८	असम और नागालैंड	गोहाटी
१०. उड़ीसा	१९४८	उड़ीसा	कटक
११. केरल	१९४८	केरल और लक्षद्वीप	एर्नाकुलम
१२. राजस्थान	१९४९	राजस्थान	जोधपुर(जयपुर में न्यायपीठ)
१३. आंध्र प्रदेश	१९५४	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
१४. मध्य प्रदेश	१९५६	मध्य प्रदेश	जबलपुर (इंदौर और ग्वालियर में न्यायपीठ)
१५. गुजरात	१९६०	गुजरात	अहमदाबाद
१६. दिल्ली	१९६६	दिल्ली	दिल्ली
१७, हिमाचल प्रदेश	१९७१		शिमला
१८. सिक्किम	१९७५	सिक्किम	गंगटोक

विधि की भाषा

अभी तक सम्पूर्ण देश में न्यायालयों का कार्य मुख्यत: अंग्रेजी में ही चल रहा है। इस कारण जनसाधारण के लिए विधि को समझना असम्भव है। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी के स्थान पर प्रतिस्थापित करने की दृष्टि से भारत सरकार के विधि मन्त्रालय का राजभाषा खण्ड कार्य कर रहा है। एक मानक विधि शब्दावली का निर्माण किया गया है और विधियों का हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

राष्ट्र की सेवा में एन. एम. डी. सी. के दो दशक

एन० एम० डी० सी० ने तकनीकी विकास और पथ प्रदर्शक उत्साह के आधार पर बहुपक्षीय उन्नति के २० वर्ष पूरे किए हैं।

खनिज, मानव को प्रकृति से मिली अमूल्य देनों में से एक है। एन० एम० डी० सी० के हम कर्मचारी पिछले २० वर्षों से इनकी खोज करते, पूर्वेक्षण का कार्य करते तथा आकर्षक और उन्नत बना, इन्हें विक्रेय बनाते रहे हैं।

राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए—नए आयाम की ओर

बीस वर्ष पूर्व सन् १९५८ में, हमने एक साहसिक कदम उठाया—किरीबुरु में अपने प्रथम प्रयास को सफलता प्रदान करने के लिए हमने बोनाई क्षेत्र के जंगलों में तपती धूप में कड़ा परिश्रम किया—हमारे इस सुबद्ध परियोजना के अग्रगामी कार्य ने हमें पर्यवेक्षण तथा बड़े पैमाने में यंत्रों-कृत खानों के विकास के लिए प्रधान राष्ट्रीय उद्यम के रूप में प्रस्तुत किया।

सफलता की झाँकियां

पिछले विविधात्मक वर्षों में हमने कई अयस्क तथा खनिज विषयक कार्यों का सम्पादन किया—खेती-कोलिहान और रेखा में तांबा—मंसूरी में फॉसफेट—राजस्थान में एमरॅल्ड (पन्ना)—और अब, कुद्रेमुख में विश्व प्रसिद्ध मैग्नेटाइट—किरीबुरु और इसके विस्तृत खान तथा मेघाहातुबुरु—हमारी बैलाडिला—१४ एवं ५ और दोणिमलै में लोह अयस्क, पन्ना में उत्कृष्ट हीरे;—इतना ही नही, हमने साध्यता अध्ययन का कार्य भी सम्पादित किया है, और अब, हम विश्वव्यापी नए तकनीक के क्षेत्रों—गुटिका (पेल्लेट्स) के विनिर्माण—प्रभावशाली तथा जटिल अनुसंधान और विकासशाला की सहायता से परामर्श सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

अब आशा, विश्वास और समर्पण के साथ अपने अस्तित्व के तीसरे दशक में पाँव रखते हुए हम अपने सामने एक प्रांजल भविष्य देख रहे हैं।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

(भारत सरकार का उपक्रम)

"पायनियर हाउस"

६-३-६५३, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-५०००४

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

रक्षा व्यवस्था

स्वाधीनता के तुरन्त बाद से ही भारत की प्रभुसत्ता व अखंडता के अपहरण का प्रयास आरम्भ कर दिया गया। सबसे पहले पाकिस्तान ने कश्मीर के एक भाग पर निर्लज्जतापूर्ण आक्रमण करके उसके एक हिस्से पर बलात् कब्जा कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत को अपना 'शत्रु नं० १' घोषित करके बराबर छुट-पुट हमले जारी रखे।

पाकिस्तान के बाद पड़ौसी देश चीन ने देश के विकास को अवरुद्ध करने के लिए शत्रुता की नीति अपनाई। भारत अपनी तटस्था की नीति के अन्तर्गत सभी पड़ोसी देशों से मित्रता का इच्छुक था। चीन को भी वह अपना मित्र मानता था किन्तु चीन ने अचानक सन् १९६२ में भारत पर खुला आक्रमण कर दिया। चीन के इस आक्रमण का हमने दृढ़ता के साथ सामना किया, किन्तु इस आक्रमण के फलस्वरूप हमें अपनी रक्षा-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने का निर्णय लेना पड़ा।

पाकिस्तान ने छुट-पुट हमलों के बाद सन् १९६४ में फिर से शेष कश्मीर पर बलात् कब्जा करने का षड्यन्त्र रचा। उसने हजारों घुसपैठियों को छिपे रूप से कश्मीर में भेजकर तोड़-फोड़ की विध्वंसात्मक गतिविधियां प्रारम्भ कर दीं। कश्मीर की रक्षा के लिए सेना के जवान सतर्क थे, अतः उन्होंने सम्भावित खतरे को भांप लिया और पाकिस्तानी विध्वंस-कारियों का षड्यन्त्र असफल कर दिया। षड्यन्त्र असफल हो जाने पर १९६५ में पाकिस्तान ने खुला आक्रमण कर दिया जिसका हमारी सेना ने डटकर जवाब दिया। तत्कालीन प्रधान-मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री के कुशल नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से परा-जित किया। पाकिस्तान ने इस युद्ध में अमेरिका से लिए पैटन टैंकों व अन्य आधुनिकतम शस्त्रों का प्रयोग किया, किन्तु भारतीय सैनिकों ने पैटन टैंकों को बुरी तरह से ध्वस्त करके लाहौर के वर्की व इच्छोगिल नहर के किनारे तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। भारत की नीति शान्ति व मित्रता की नीति है, अतः रूस के बीच में पड़ने से उसने ताशकन्द में हुए समझौते को मान लिया और जीते हुए सभी स्थान पाकिस्तान को वापस कर दिए।

भारत द्वारा शान्ति व मित्रता के लिए भूमिका तैयार करने के प्रयास के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण व आक्रामक रवैया ही बनाए रखा।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

पूर्वी बंगाल में पाकिस्तान ने २५ मार्च १९७१ को भीषण नरसंहार प्रारम्भ कराकर तथा वहाँ विशेषकर अल्पसंख्यक हिन्दुओं का नर-संहार करके उन्हें भारत की ओर खदेड़ा। भारत में लगभग एक करोड़ शरणार्थी आ पहुँचे तथा उससे भारत के समक्ष अत्यन्त भयानक समस्या खड़ी हो गई। पाकिस्तान ने इतना ही नहीं, पूर्वी बंगाल की घटना की आड़ में न केवल भारत विरोधी अभियान चलाया अपितु अनेक स्थानों पर भारतीय सीमा में गोला-बारी भी प्रारम्भ कर दी।

पाक आक्रमण व बंगला देश की मुक्ति

बंगला देश की स्वतंत्र सरकार ने बंगला देश को पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष छेड़ दिया। मुक्तिवाहिनी बराबर पाकिस्तानी सेना से लोहा लेती रही।

३ दिसम्बर १९७१ को पाकिस्तान ने भारत पर अचानक हवाई हमला कर दिया। भारतीय सेना ने आक्रमण का डटकर उत्तर दिया। पूर्वी व पश्चिमी दोनों क्षेत्रों से भारतीय सेना के सभी अंगों ने पाकिस्तान की ओर कूच किया। पूर्वी क्षेत्र में मुक्तिवाहिनी के साथ भारतीय सेना पाकिस्तानियों को खदेड़ती हुई आगे बढ़ी। ६ दिसम्बर १९७१ को भारत ने बंगला देश को मान्यता दे दी। अन्त में १६ दिसम्बर को भारतीय सेना ने ढाका पर अधिकार करके लगभग एक लाख पाकिस्तानी सैनिक तथा अफसरों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया।

इस युद्ध में भारतीय सेना ने बंगला देश को मुक्त कराने के अतिरिक्त पश्चिमी क्षेत्र में भी पाकिस्तान को भारी पराजय दी।

२ जुलाई १९७२ को सम्पन्न शिमला समझौते के तत्काल बाद ही पाकिस्तान ने पुन: भारत को धमकियाँ देनी प्रारम्भ कर दीं। उसका रुख समझौते के कार्यान्वियन में बाधक रहा तथा उसने अपने वचन को ठुकराकर बंगला देश को मान्यता देने से इंकार कर दिया।

भारत ने पाकिस्तान के सभी बन्दी रिहा कर दिए तथा उसके साथ मैत्री स्थापित करने का प्रयास जारी रखा। पाकिस्तान ने पुन: अमेरिका, ईरान, चीन आदि देशों से भारी मात्रा में शस्त्रास्त्र खरीदकर तथा भारत के विरुद्ध विषवमन जारी करके हमारे प्रयासों पर पानी फेर दिया। चीन व पाकिस्तान दोनों बराबर भारत के विरुद्ध कुचक्र रचने में लगे रहे हैं। कभी भारत के आणविक परीक्षण के विरोध में तो कभी सिक्किम व कश्मीर के प्रश्न पर वे भारत के विरुद्ध विषवमन करते रहे हैं।

भारत के १५ हजार किलोमीटर सीमांत क्षेत्र में से काफी क्षेत्र चीन व पाकिस्तान के साथ लगता है। भारत के विरुद्ध चीन व पाकिस्तान के गठबन्धन के कारण यह खतरा और भी गम्भीर है।

'इस्लामी बम' का खतरा

१९७९ के दौरान पाकिस्तान द्वारा आणविक शक्ति बढ़ाये जाने की घोषणा किये जाने तथा 'इस्लामी बम' बनाने जैसी चर्चा से भारत में चिन्ता व्याप्त होना स्वाभाविक था।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भारत के प्रधानमन्त्री तथा रक्षामंत्री ने इस निर्णय को तनाव व चिन्ता पैदा करने वाला बताया। रक्षामंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के आणविक शक्ति बढ़ाने के निर्णय का भारत के सैनिक और राजनैतिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इस पर सावधानीपूर्वक सोचने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि भारत आणविक शक्ति का प्रयोग केवल शांन्तिपूर्ण कार्यों के लिए करने के प्रति वचनबद्ध है। चीन द्वारा आणविक शस्त्र बना लेने के बावजूद भी भारत अपने इस सिद्धान्त पर वर्षों से अड़िग है। उन्होंने बताया कि हमारे पास एक से एक अच्छे वैज्ञानिक हैं और आणविक क्षेत्र में हमारी अनुसंधान और विकास की गतिविधियाँ सुचारु रूप से जारी रहेंगी।

रक्षामन्त्री ने कहा कि पड़ौसी देशों के साथ शान्ति और सहयोगपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के साथ-साथ हमारे सुरक्षात्मक उपायों में भी कोई ढील नहीं है।

उन्होंने कहा कि रक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम बनाते समय हिमालय सीमा की सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए।

भारत के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष

राष्ट्रपति	डॉ० राजेन्द्रप्रसाद	१९५०
राष्ट्रपति	डॉ० एस० राधाकृष्णन	१९६२
राष्ट्रपति	डॉ० जाकिर हुसैन	१९६७
राष्ट्रपति	डॉ० वी० वी० गिरि	१९६९
राष्ट्रपति	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	१९७४
राष्ट्रपति	श्री नीलम संजीव रेड्डी	१९७७ से

भारत के स्थल सेनाध्यक्ष

जनरल सर आर० एम० लाकहर्ट	१९४८
जनरल एफ० आर० आर० बुचर	१९४८
जनरल के० एम० करियप्पा	१९४९
जनरल महाराज राजेन्द्रसिंह	१९५३
जनरल एस० एम० श्रीनागेश	१९५५
जनरल के० एस० थिमैया	१९५७
जनरल पी० एन० थापर	१९६१
जनरल जे० एन० चौधरी	१९६३
जनरल पी० कुमारमंगलम्	१९६६
जनरल एस० एच० एफ० जे० मानेकशा	१९६९
जनरल गोपाल गुरुनाथ बेवूर	१९७३
जनरल तपीश्वर नारायण रैना	१९७५
जनरल ओ० पी० मलहोत्रा	१९७८ से

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भारत के जल सेनाध्यक्ष

वाइस एडमिरल सर एडवर्ड पेरी	१९४८
वाइस एडमिरल सर सी० टी० एस० पिजे	१९५१
वाइस एडमिरल सर एस० एच० कारलिल	१९५५
वाइस एडमिरल आर० डी० कटारी	१९५८
वाइस एडमिरल बी० एस० सोमन	१९६२
एडमिरल ए० के० चटर्जी	१९६६
एडमिरल एस० एम० नन्दा	१९७०
एडमिरल सुरेन्द्र नाथ कोहली	१९७३
एडमिरल जे० करसेतजी	१९७६
एडमिरल जे० टी० जी० परेरा	१९७९ से

भारत के वायु सेनाध्यक्ष

एयर मार्शल रोनाल्ड इवाला चैपमन	१९४८
एयर मार्शल जी० ई० गिब्स	१९५१
एयर मार्शल एस० मुखर्जी	१९५४
एयर चीफ मार्शल अर्जुनसिंह	१९६३
एयर चीफ मार्शल पी० सी० लाल	१९६९
एयर चीफ मार्शल ओ० पी० मेहरा	१९७३
एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मुलगाँवकर	१९७६
एयर चीफ मार्शल श्री आई० एच० लतीफ	१९७८

रक्षा मंत्रालय

देश की सुरक्षा का दायित्व रक्षा मन्त्रालय पर है। सेनाओं के प्रशासन तथा कार्य-संचालन पर नियन्त्रण रखने का दायित्व सेनाओं की तीनों शाखाओं के मुख्यालय के अतिरिक्त प्रतिरक्षा मन्त्रालय पर भी है। मन्त्रालय ही सेना की तीनों शाखाओं की गतिविधियों तथा उनके विकास में सामन्जस्य रखने, सरकार द्वारा निर्धारित नीति विषयक मामलों से तीनों मुख्यालयों को अवगत कराने तथा उन्हें कार्यान्वित कराने का कार्य करता है। रक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत ही रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षापूर्ति विभाग सम्मिलित हैं।

सेनाओं का संगठन

तीनों सेनाओं का दायित्व सुरक्षा मन्त्रालय का है, पर तीनों का कार्यपालन अपने-अपने प्रधान या अध्यक्षों के अन्तर्गत होता है। 'चीफ ऑफ दी स्टाफ' के मुख्यालय नई दिल्ली में हैं। अपनी-अपनी सेनाओं की गतिविधि का नियन्त्रण यही करते हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से बने मण्डल और उसके विस्तार का ही नाम 'चीफ ऑफ दी स्टाफ' है।

स्थल सेना

इसका एक अध्यक्ष या प्रधान होता है जो सेनाध्यक्ष कहलाता है। इसकी सहायता के लिए उप-सेनाध्यक्ष तथा चार 'प्रिंसिपल स्टाफ अफसर' होते हैं। ये चारों क्रमशः डिप्टी

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एडजुटेंट जनरल, क्वार्टर मास्टर जनरल ऑफ आर्डिनेंस कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त शाखा मुख्य होते हैं जो सैनिक सचिव तथा इंजीनियर-इन-चीफ (मुख्य अभियन्ता) कहाते हैं। स्थल सेना की विभिन्न शाखाएँ हैं।

जनरल स्टाफ ब्रांच—इसके दो कार्य हैं: (१) स्थल सेना का संगठन व कार्य नियोजन, सैनिक कार्य, जासूसी प्रशिक्षण, युद्ध कौशल का विकास और सैनिक सर्वेक्षण व इंजीनियरिंग स्टाफ के मामले। इनका निपटारा उप-सेनाध्यक्ष करते हैं। (२) सैन्य-सम्बन्धी काम, हथियार व साज-सामान चुनना तथा तत्सम्बन्धी नीति का समन्वय। ये कार्य डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करते हैं। इनके विभिन्न कार्यों के लिए ११ निदेशालय हैं।

एडजुटेंट जनरल ब्रांच: यह जन शक्ति, भर्ती, छुट्टी, वेतन, भत्ता व पेंशन तथा सेना की अन्य शर्तों व अनुशासनिक कार्य एवं कल्याण, स्वास्थ्य तथा सैनिक कानून के कार्य देखती है।

क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच: कर्मचारियों, भण्डार तथा साज-सामानों का संचालन भण्डार-निर्माण, खाद्य-पदार्थ, चारा तथा ईंधन का निरीक्षण व सम्प्रेषण, सैनिक फार्म, रिमाउण्ट तथा पशु-चिकित्सा सेवाएँ, सैनिक डाक-सेवा, श्रम तथा कैन्टीन सेवाएँ तथा निर्माण कार्यों के तकनीकी निरीक्षण इसके अन्तर्गत आते हैं।

मास्टर जनरल ऑफ आर्डिनेंस ब्रांच: इसके अधीन तीन निदेशालय हैं—आर्डिनेंस सेवा, रक्षा सामग्री का अर्जन, विकास, संगठन तथा बिजली व मैकेनिकल इंजीनियर्स। इसका मुख्य कार्य, सैन्य सामग्रियों की आपूर्ति तथा सभी मैकेनिकल तथा इलैक्ट्रीकल सैनिक सामग्रियों की निगरानी, मरम्मत और रख-रखाव है। नौसेना तथा वायुसेना के साधारण सामान भी इसमें शामिल हैं।

मिलिटरी सेक्रेटरी ब्रांच: यह सैनिक अधिकारियों के व्यक्तिगत अभिलेख (रिकार्ड) रखती है तथा उनके पदस्थापन, स्थानांतरण, पदोन्नति तथा कार्यनिवृत्ति आदि के लिए उत्तरदायी है।

इन्जीनियर इन-चीफ ब्रांच: इंजीनियर इन-चीफ 'कोर ऑफ इंजीनियर्स' का प्रधान होता है तथा तीनों सेनाध्यक्षों व आर्डिनेंस फैक्टरियों के महानिदेशक को इंजीनियरिंग संबंधी मामलों में राय देता है। इसके अधीन अनेक निदेशालय हैं।

नौसेना

इसका प्रधान नौसेनाध्यक्ष या चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। इसके नीचे पांच 'प्रिंसिपल स्टाफ अफसर' हैं—उनके कार्य विषय ये हैं:

(१) **वाइस चीफ नेवल स्टाफ**: संक्रियाएँ, योजनाएँ, हथियार सम्बन्धी नीति, नौसेना-जासूसी, नौसंचार व्यवस्था, सामुद्रिक सर्वेक्षण तथा नौसेना सचिवालय।

(२) **चीफ ऑफ पर्सोनेल**: भर्ती सेना के नियम व शर्तें, प्रशिक्षण, नौसेना के सैनिक व कार्मिकों के कल्याण, अनुशासन, शिक्षा, चिकित्सा, नौसेना के वैधानिक मामले।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

(३) चीफ ऑफ मैटीरियल : जहाजों, हथियारों और साज-सामान, नौसेना, डॉक-यार्ड और हथियारों की व्यवस्था, शस्त्रों की देख-भाल तथा नौसेना इंजीनियरिंग कार्य।

(४) असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ : नौसेना की हवाई शाखा, पनडुब्बी शाखा तथा नौसैनिक शिक्षा।

(५) चीफ ऑफ लाजिस्टिक : असैनिक कर्मचारी, सिविल इंजीनियरिंग, रसद तथा आपूर्ति।

नौसेना का प्रशासन

प्रशासकीय सुविधाओं के लिए भारतीय नौसेना निम्नांकित तीन भागों में विभाजित है :

वैस्टर्न नेवल कमांड : यह कमांड वाइस एडमिरल की अधीनता में तथा जामनगर से लेकर गोवा तक के समुद्र तट और अरब सागर में स्थित हमारी भू-सम्पदा की रक्षा के लिए उत्तरदायी है। इस तट पर स्थित नौ-सैनिक प्रशिक्षण तथा अन्य संस्थान भी इस कमाँड के अन्तर्गत हैं।

ईस्टर्न नेवल कमांड : हमारे पूर्वी समुद्र तट तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित हमारी भू-सम्पदा की रक्षा का दायित्व इस कमाँड पर है। रियर एडमिरल के अधीन काम करने वाली इस कमाँड पर ही पूर्वी समुद्र तट स्थित प्रशिक्षण व अन्य संस्थानों के सुचारु संचालन की जिम्मेदारी है।

सदर्न नेवल एरिया : यह एरिया कोमोडोर के मातहत है तथा गोवा के दक्षिण से लेकर देश के दक्षिणी छोर तक सारे पश्चिमी तट की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। कोचीन तथा अन्य स्थानों में स्थित दीक्षा-संस्थाएँ भी इसी एरिया के अधीन हैं।

वायु सेना

इसका प्रधान वायुसेनाध्यक्ष या चीफ ऑफ एयर स्टाफ है जिसकी सहायता के लिए चार प्रिंसिपल स्टाफ अफसर हैं—वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ (उप-वायुसेनाध्यक्ष), डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ (प्रतिवायुसेनाध्यक्ष), एयर अफसर मैटेनेंस (वायुसेना पदाधिकारी, संधारण) तथा एयर अफसर एडिमिनिस्ट्रेशन (वायुसेना पदाधिकारी, प्रशासन)।

वायुसेना मुख्यालय की तीन मुख्य शाखाएँ हैं।

(१) वायुसेना कर्मचारी शाखा वर्ग : (एयर स्टाफ ब्रांच)। नीति तथा योजना, प्रशिक्षण, संकेतक, शिक्षा, सहायक और सुरक्षित तथा नियंत्रित शस्त्र उप-वायुसेनाध्यक्ष के अन्तर्गत हैं। संक्रियायें, उड़ान-सुरक्षा, जासूसी तथा मौसम विज्ञान के कार्य प्रतिवायु-सेनाध्यक्ष देखते हैं।

(२) वायु सेना प्रशासन के प्रभारी पदाधिकारी : इनके अधीन प्रशासन शाखा है। कार्य-भर्ती, अनुशासन, सेवा के नियम व शर्तें, नियुक्ति, पदोन्नति, कल्याण कार्य, चिकित्सा, लेखा बजट और निर्माण।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

(३) **संधारण शाखा :** यह वायु सेना संधारण के प्रभारी पदाधिकारी के अधीन है।

कार्य—वायुयानों की देख-भाल, हथियारों व अन्य साज-सामानों का भण्डार रखना, वायुयानों का संग्रह।

वायुसेना कमान—इसकी ५ कमानें हैं—पश्चिमी, केन्द्रीय, पूर्वी प्रशिक्षण तथा अनुरक्षण कमान। कुछ विरचनायें वायुसेना मुख्यालय के नीचे काम करती हैं।

सेना की परम्परा

भारतीय सेना की परम्परा बहुत पुरानी और अत्यन्त उज्ज्वल है। देश-रक्षा के साधारण कार्य के अतिरिक्त इसके कुछ अन्य कार्य भी हैं : (१) देश में शान्ति और व्यवस्था को कायम रखने में मदद देना। जब स्थिति पुलिस के वश में न रहे तब अतिरिक्त विद्रोहों का दमन करना भी इसका काम है। केन्द्र सरकार की देश में शांति और व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी है, इसको वह सेना के ही सहारे पूरी करती है। (२) इसके सिवाय यह प्राकृतिक विपत्ति, जैसे भूकम्प, बाढ़, आंधी, अकाल में मुल्की अधिकारियों की मदद करती है। असाधारण स्थिति में सेना नागरिक कार्यों में तब मदद करती है जबकि नागरिक प्रशासन असमर्थ हो जाता है। (३) यह आकाशीय फोटोग्राफी सर्वे करती है। इससे विकास योजनाओं, जल और विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में और उनका स्थान चुनने में सहायता मिलती है। (४) जंगलों को साफ करने और भूमि को कृषि योग्य बनाने में मदद देती है। सेना ने अपनी छावनियों की जमीन में खेती करके अन्न-संकट को दूर करने में भारी मदद पहुँचाई है। (५) विश्व शांति की रक्षा में यह अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करती है।

देश से बाहर : भारतीय सेना, ब्रिटिश शासन के समय, ब्रिटिश शासन के विस्तार और उसकी रक्षा के लिए भारत से बाहर जाती थी और इसका खर्च ब्रिटिश खजाने से नहीं अपितु भारतीय जनता से लिया जाता था। भारतीय सेना अब भी शान्ति-स्थापना हेतु बाहर जाती है। इस दिशा में भारतीय सेना के कार्य सर्वविदित हैं।

(१) कोरिया-युद्ध विराम सन्धि को भारतीय सेना ने क्रियान्वित कराया.(२) वियतनाम, लाओस व कम्बोडिया में अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण और नियन्त्रण का कार्य भारतीय सेना ने किया। (३) १६ नवम्बर, १९५५ को भारत की सेना संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद के लिए बाहर भेजी गई। मिस्र में संयुक्त राष्ट्र की इमर्जेंसी फोर्स में भारतीय सेना का एक दस्ता भी था। (४) १९५८ में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षक दल में भारतीय सेना के ७० अफसरों ने भाग लिया। (५) इससे पहले कांगो में शान्ति स्थापित करने के अन्तर्राष्ट्रीय कार्य में संयुक्त राष्ट्र की सहायता के लिए ७०० सैनिक गए। फिर कांगो में युद्ध के भयंकर होने पर तोपखाने के साथ एक ब्रिगेड मार्च १९६१ में गया। कांगो में भारतीय हवाई सैनिकों के साथ ६ इंटरसेप्टर केनबेरा जेट विमान भेजे गए। चीनी आक्रमण के बाद अप्रैल १९६३ में ब्रिगेड ग्रुप और कुछ प्रशासकीय वर्ग को वापस बुला लिया गया। इसके बाद शेष रहा भाग भी कांगो से वापस बुला लिया गया। (६) सेना के अफसरों का एक छोटा दस्ता यमन भेजा गया। (७) दिसम्बर १९७१ में बंगला देश की मुक्तिवाहिनी के साथ मिलकर भारतीय सेना ने बंगलादेश को पाकिस्तान के खूनी शासन से मुक्त कराया।

शान्ति-स्थापना : पश्चिमी और दक्षिण-पूर्व एशिया में शान्ति बनाये रखने का काम

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भारतीय सेना ने समय-समय पर सफलतापूर्वक किया है। ३२ वर्ष के जीवन में पाँच बार उसको अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति-स्थापना के कार्य में योग देना पड़ा है।

सीमाओं की रक्षा

अपनी सुख-सुविधा की परवाह किये वगैर हमारे सिपाही, नौसैनिक और हवाबाज चौबीसों घंटे ऐसे खराब मौसम में सीमा की चौकसी करते रहते हैं जिसमें कुछ लोगों के लिए जिन्दा रहना भी मुश्किल है।

बर्फीली चोटियों पर : हमारे जवान उत्तर में शून्य से भी कम तापमान वाली पिकेटों में ड्यूटी पर तैनात हैं। कई महीनों तक ये स्थान बर्फ से ढके रहते हैं और उनका बाहरी संसार से कोई सम्पर्क नहीं रहता। अधिक ऊँचाई वाले स्थानों में हवा का दबाव कम होने के कारण शरीर जल्दी थक जाता है और साँस लेने में कठिनाई होती है। लेकिन इन निर्जन स्थानों में भी वे मुस्तैदी के साथ सीमाओं की रक्षा करते हैं।

झुलसते रेगिस्तान में : राजस्थान के मरुस्थल की तपती हुई धूप में भी हमारे जवान सीमा पर तैनात रहते हैं। मीलों घास का पत्ता भी दिखाई नहीं देता। ताजा पानी बड़ी नियामत है और दूर-दराज से लाना पड़ता है। कभी-कभी एक आदमी को दिन भर में बस एक बोतल पानी मिलता है। रेगिस्तानी सांपों का खतरा रहता है। रेत-भरे तूफान अक्सर आते हैं और सड़कें रातों रात गायब हो जाती हैं।

नदी-नालों के इलाकों में : हमारे जवानों को असम के बर्मा से लगे जंगलों और दल-दल वाले क्षेत्रों में भी काम करना पड़ता है। मानसून के दिनों में जबकि वर्षा के कारण पहाड़ी नदियों में बाढ़ आई होती है, सेना के जवान इन नदियों को बेड़ों या बाँस और रस्सी से बने कमजोर पुलों के जरिये पार करते हैं।

इन कठिन परिस्थितियों में युद्ध-कुशलता बनाये रखना कोई आसान काम नहीं है। हथियारों को साफ रखना भी एक समस्या है। लेकिन पहाड़ी युद्ध विद्यालयों, शीतकालीन युद्ध विद्यालयों, मरुस्थल प्रशिक्षण संस्थाओं-जैसे अनेक विद्यालयों में इस बात को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है कि हमारे जवान हर समय युद्ध के लिए तैयार रहें।

समुद्री तूफान से जूझते हुए नौसेनिक : कुछ घटनाएं भयावह भी होती हैं, जैसे कि समुद्री तूफान। जब शांत जल उबलते कड़ाहे में बदल जाता है तो ऐसे लगता है कि वह जहाज और चालक दोनों को निगल जाएगा। हमारे नौसेनिकों को बुरे-से-बुरे मौसम में अपने जहाजों को निकालकर ले जाना पड़ता है।

समुद्र में दस से बारह मीटर ऊँची लहरें तो उठती ही रहती हैं। शक्तिशाली लहर एक जहाज को माचिस की तरह उछाल सकती है। इस प्रकार की स्थिति जहाज में सवार व्यक्तियों के लिए बहुत ही कठिन और डरावनी होती है।

वर्षा के या कोहरे के कारण कम दूरी तक दिखाई देने के कारण प्रतिबन्धित क्षेत्रों में जहाज चलाना भी एक खतरा है।

तूफान में क्षत-विक्षत या डूबते हुए व्यापारिक जहाज को बचाने में बचाव कार्यदल के

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

नाविकों को बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है। व्यापारिक जहाजों में मुसीबत में फँसे बहुत-से नाविक अपने जीवन के लिए हमारे बहादुर नौसैनिकों के ऋणी हैं।

हवा की लहरों पर तैरते हुए वायुसैनिक : सर्दी के दिनों का कोहरा या बेहद गर्मी में उठती हुई गरम हवा की लहर वायुयान के उड़ने और भूमि पर उतरने में खतरनाक हो सकती है। हल्की वायु और लद्दाख की कड़कती ठंड में हमारी वायु सेना के विशाल वायुयान बर्फीले क्षेत्रों में दिन-रात थल सेना के जवानों को खाने-पीने की और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करते रहते हैं।

अजेय साहस का चमत्कार : उत्तर पूर्व भारत में कोहरे से ढकी घाटियों और बादलों से घिरी पहाड़ियों की चोटियों में उतरते समय हमारी वायुसेना के चालक अपनी सूझ-बूझ का परिचय देते हैं। इन इलाकों में वायुयान का उड़ना या उतरना मौसम की मनमानी पर निर्भर करता है। बाढ़ में घिरे गांव के लोगों या पर्वतारोहण अभियान के घायल सदस्यों को निकालने में हैलीकोप्टर के चालकों ने कई बार खतरा मोल लिया। इन खतरों पर शक्ति द्वारा नहीं, बल्कि दूरदर्शिता, योजना और सबसे बढ़कर अजेय साहस से काबू पाना होता है।

हमारी रक्षा सेवाओं के जवानों को दिए गए कड़े प्रशिक्षण और उनकी निष्ठापूर्ण सेवा की भावना से ही हम अपनी सीमाओं, समुद्र और आकाश को मुक्त और निर्वाध रखने में सफल हो सकते हैं।

पड़ोसी देशों में हथियारों की होड़

पश्चिमी एशिया के राष्ट्रों को तेल से जो अपार धनराशि प्राप्त हुई है, उससे उन्होंने इतने हथियार और आधुनिक शस्त्रास्त्र इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं जिनका उनकी सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं से कोई तालमेल नहीं बिठाया जा सकता। अपनी रक्षा-नीति के निर्धारण में हमें इस बात की संभावना का भी ध्यान रखना होगा कि इन देशों से आधुनिक हथियार अथवा पुराने बड़े हथियार पाकिस्तान पहुँच सकते हैं। हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा ने भी हमारे पड़ोसी देशों में तनाव को और बढ़ा दिया है। इन सबके बावजूद प्रधानमन्त्री स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत शांति की नीति पर चलता रहेगा तथा वह संसार भर के निरस्त्रीकरण का हामी है।

अपनी रक्षा सम्बन्धी योजना में हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। हम अपने कुल बजट का लगभग २५ प्रतिशत रक्षा-व्यवस्था पर खर्च कर रहे हैं जो हमारे कुल राष्ट्रीय उत्पादन के ४ प्रतिशत से भी कम बैठता है।

सैनिक शक्ति

थल सेना : १९६२ में चीनी आक्रमण के पश्चात् यह योजना बनाई गई थी कि हमारी सैनिक संख्या ८ लाख ३० हजार के आस-पास होनी चाहिए, और तब से हमारी स्थायी थल सेना लगभग इतनी ही है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में हमारे खतरों के आकार और किस्म, दोनों ही काफी बदल गये हैं, फिर भी हमारी थल सेना में कोई वृद्धि नहीं की गई है। बहरहाल, पिछले कुछ वर्षों में इसकी गतिशीलता और मारक शक्ति को बढ़ाने पर

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जोर दिया गया जिससे अब यह अधिक प्रभावशाली बन गई है। १९६५ और १९७१ में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्षों से जो सीख मिली है, उसका हमने पूरा विश्लेषण किया है और थल सेना की प्रहारक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय किये हैं। संसार के अन्य भागों में हुए संघर्षों, विशेषकर १९७३ में हुए अरब-इजराइली युद्ध से भी हमने जो शिक्षा ग्रहण की है, उसके आधार पर अपने सामरिक सिद्धान्त निर्धारित किये हैं। विभिन्न थल सेना यूनिटों को कठोर और अविरत प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें युद्धकाल जैसी स्थिति बनाने की पूरी-पूरी कोशिश की जाती है। कमान और नियंत्रण व्यवस्थाओं को सुनियोजित रूप दिया गया। प्रशिक्षण स्कूलों के माध्यम से तथा व्यावहारिक अभ्यास के जरिये विभिन्न स्तरों के अफसरों में कमान तथा नेतृत्व के गुणों का विकास करने की दिशा में सभी सम्भव प्रयास किये जाते हैं। कुल मिलाकर, पिछले कुछ वर्षों से थल सेना की रक्षात्मक क्षमता तथा प्रहार शक्ति बराबर बढ़ रही है।

नौसैनिक बेड़े में वृद्धि : भारतीय नौसेना पहले ही से तीनों सेनाओं में सबसे छोटी रही है, लेकिन १९७१ में पाकिस्तान के विरुद्ध झड़पों में इसे जो अपूर्व सफलता मिली, उस से सबको इसकी सामर्थ्य का अहसास हुआ। हिन्द महासागर में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए यह महसूस किया गया कि भारतीय नौसेना का और अधिक विकास होना चाहिए। देश की लम्बी तट रेखा के पास के द्वीपों तथा तट के पास के तेल-प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का भार इसी पर है। भारतीय नौसेना के बेड़े की शक्ति को बढ़ाने तथा मरम्मत, अनुरक्षण और सम्मारिकी की अधिक अच्छी सुविधाएँ जुटाने के लिए कदम उठाये गए हैं। सामुद्रिक युद्ध-कौशल की नई तकनीकों को ध्यान में रखते हुए हम अपने बेड़े को आधुनिकतम बनाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं और इसके लिए युद्धपोतों का अपने यहाँ ही निर्माण करने के साथ-साथ उन्हें हम विदेशों से भी प्राप्त कर रहे हैं। सम्भावित खतरों को दृष्टिगत रख-कर हम अपनी नौसेना-सम्बन्धी आवश्यकताओं की निरन्तर समीक्षा करते रहते हैं।

वायुसेना : भारतीय वायुसेना की शक्ति ४५ स्क्वैड्रनों पर ही स्थिर है। हमने वायु-सेना के लिए चूँकि विभिन्न देशों से वायुयान खरीदे थे इसलिए उनके रख-रखाव से संबंधित समस्यायें उठ खड़ी हुई। अतः हमने कुछ ही गिने-चुने किस्म के वायुयानों से अपना हवाई बेड़ा बनाये रखने के लिए कदम उठाये हैं। पुराने वायुयानों को एक सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार हटाकर उसकी जगह नए आधुनिक वायुयान रखने की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। वायुयानों की अपने यहाँ ही मरम्मत और ओवरहालिंग की सुविधाएँ जुटाई गई हैं ताकि युद्ध-काल में उनकी तत्काल मरम्मत हो सके। वायुयानों के निर्माण के लिए देश में सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। फिर भी थोड़े-बहुत पुर्जे हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। मिग-२१ एम वायुयान वायुसेवा में आ गए हैं और अब ऐसी योजना है कि अधिक-से-अधिक स्क्वैड्रनों में यही वायुयान रखे जायें। दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक योजना बनाई गई है जिसमें यथासम्भव अधिक-से-अधिक देशी उत्पादन पर बल दिया गया है। इन प्रयासों का ही यह सुपरिणाम है कि भारतीय वायुसेना अब लड़ाकू बमवर्षक बममार और परिवहन वायुयानों से युक्त एक सन्तुलित वायुसेना के रूप में आ खड़ी हुई है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

गत वर्षों में हमने अपनी रक्षा-सामर्थ्य को काफी बढ़ाया है । तीनों सेनांग अब भली भांति सशस्त्र और सुसज्जित हैं, प्रशिक्षित हैं और उनका मनोबल भी बहुत ऊँचा है । सीमाओं पर अपने दायित्व को पूरा करने में उनकी सहायता के लिए सहयोग देने वाली व्यापक प्रणाली है । देश में ही रक्षा-सामग्री के उत्पादन के सुदृढ़ आधार हैं और ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्था है जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहती है । हम शान्ति चाहते हैं, लेकिन यह तभी हो सकता है जबकि हमारी सुरक्षा की गारन्टी हो । हमारी सशस्त्र सेनाएं किसी भी आकस्मिक स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं ।

राष्ट्रीय कैडेट कोर

राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य युवा पुरुषों एवं महिलाओं में चरित्र-निर्माण, सखा भाव, सेवा-भाव तथा नेतृत्व-शक्ति का विकास करना और उन्हें सैनिक प्रशिक्षण देना है । जिससे उनमें देश-रक्षा के प्रति दिलचस्पी बढ़े और आपात स्थिति में सशस्त्र सेनाओं का तुरन्त विस्तार करने में सहायता मिल सके ।

प्रक्षेपास्त्र अनुसंधान विकास

रक्षा मंत्रालय में उप-प्रधानमंत्री (रक्षा) के वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में गठित एक प्रक्षेपास्त्र-प्रणाली समिति ने १५ फरवरी १९७९ को तीनो रक्षा सेनाओं के लिए थोड़े ही समय में प्रक्षेपास्त्रों की खरीद, उनके विकास और उत्पादन के लिए समन्वित प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम बनाने की सिफारिश की । समिति ने कुछ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने की भी सिफारिश की है ताकि दीर्घावधि में अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्रों के विकास के लिए परियोजनाओं को चालू किया जा सके ।

वर्कशाप

नौसेना अध्यक्ष एडमिरल जे० कुरसेतजी ने १५ फरवरी को बम्बई की नौसेना गोदी में प्रक्षेपास्त्र नौका इंजनों की मरम्मत के वर्कशाप और परीक्षण गृह का उद्घाटन किया ।

यह वर्कशाप अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है । यहाँ नौसेना के प्रक्षेपास्त्र नौकाओं के मुख्य इंजनों की मरम्मत, सफाई और परीक्षण का काम किया जाएगा । इससे देश को काफी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

उत्तर प्रदेश चलें नवीन अनुभवों की खोज करें

उत्तर प्रदेश। रंग बिरंगे मेलों और त्योहारों की सुगंध से भरी धरती। उत्कृष्ट स्मारकों की स्मृतियों का एक शानदार अतीत। जहां के मौन मंदिरों की घंटियां आपको पूजा के लिए प्रेरित कर रही है। जहां के शांत पर्वतों, निरभ्र झीलों और हरियाली से भरपूर जंगलों की छटा आपको सम्मोहित कर देती है।

ऐसा है यह उत्तर प्रदेश, सौंदर्य और उल्लास से भरी धरती। उत्तर प्रदेश सुरम्य पर्यटन स्थलों का भंडार है। जहा एक बार जाने का अनुभव आपको बार बार देखने के लिए प्रेरित करेगा। यहां है मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्म भूमि। वृन्दावन, कृष्ण की तरुणाई का स्थल। संसार के सातवें आश्चर्य

ताजमहल को लिए हुए आगरा। जहां की वास्तुशिल्प की कला से आप अभिभूत हो उठेंगे। यहीं है लालकिला और संगमरमर का बना प्रभावशाली मकबरा एतमातुद्दौला। सिकन्दरा, चित्रकूट और अयोध्या भी इसी प्रदेश की धरोहर है।

और हां, आगरा से कुछ ही दूरी पर है अतीत का शहर फतेहपुर सीकरी। किसी जमाने मे यह लड़ाके मुगलों की राजधानी थी। पूर्व मे है उद्यानों का शहर लखनऊ और कई ऐसे अनगिनत स्थान हैं जहां पुरानी परंपराओं की भव्यता आज भी मौजूद है। यह है पावन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ इलाहाबाद

अपनी पवित्रता के लिए विख्यात है। हिन्दुओं के सबसे पावन तीर्थस्थल वाराणसी की ओर गंगा बह चली है। पवित्र घंटियों और प्रार्थना स्वरों की गूंज के बीच असंख्य फूलों की सुगंध के मध्य तथा पवित्र जल में डुबकी लगाते हुए लाखों तीर्थ यात्रियों को देखते हुए आप स्वयं को हिन्दू धर्म के रहस्यवाद से अभिभूत पायेंगे।

बौद्ध धर्म के जन्म स्थल सारनाथ में यही भव्यता आपको फिर देखने को मिलती है। यहीं भगवान बुद्ध ने लगभग २५०० वर्ष पूर्व विश्व के नाम अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के अन्य केन्द्रों में है पिपरहवा जो भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं की नवीनतम खोज है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने सन्यास ग्रहण करने से पहले के वर्ष यहीं बिताए थे।

साकास्या मे उन्होंने अपने समय के कुछ महानतम चमत्कार दिखाए। श्रावस्ती में उन्होंने अपने जीवन के चौबीस वर्ष बिताए। यहीं है प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर जहां इस अमर विभूति ने परिनिर्वाण प्राप्त किया। इन स्थानों की यात्रा करने पर आप बौद्ध धर्म के रहस्यों का अनुभव कर सकते है।

उत्तर की ओर है हिमालय। यहा ऐसे पहाड़ी पर्यटन स्थल है जिनकी गिनती भारत के खूबसूरत पहाड़ी स्थलों में की जाती है और आप यहा रह कर आनंद पा सकते है। यही पायेंगे आप पहाड़ों से घिरी और

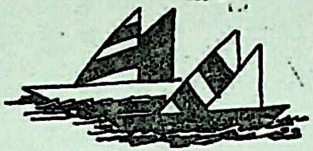

आकाश को छूती हुई झीलें। चीड़-वनों की सुगंध से सराबोर रानीखेत। सफेद मुलायम रुई से आच्छादित हिमालय की चोटियां। पर्वतों की रानी मसूरी—एक उत्कृष्ट ग्रीष्मकालीन सैरगाह। आकाश को छूती ऊंचाई। इससे भी उत्तर में गहन शान्ति में डूबे हिन्दू मंदिर और तीर्थस्थल, ऋषिकेश, हरिद्वार।

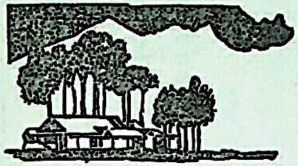

पहाड़ों से उत्तर कर है तराई के घने जंगल और यहीं नैनीताल से कुछ दूरी पर है शेरों का प्रदेश—कोरबेट नेशनल पार्क। जहा आप जंगली हाथियों और हिरनों का झुण्ड देख सकते है। गरजते हुए शेर से भेंट वार्ता का भी इंतजाम है पर यह शेर महोदय के

मूड पर निर्भर है। पेड़ पर लपकते हुए तेंदुवे से मुलाकात की भी काफी संभावना है यहां। रंगबिरंगी चिड़ियों के अदभुत दृश्य-जो आपको मुग्ध कर देंगे।

उत्तर प्रदेश
सौंदर्य और उल्लास से भरी धरती

उत्तर प्रदेश पर्यटन
विधान सभा मार्ग, लखनऊ-२२६००१

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

शिक्षा

भारत को स्वाधीन हुए तीस वर्ष से अधिक हो जाने पर भी भारतीय शिक्षा पद्धति में परिवर्तन नहीं किया जा सका है। अभी भी अंग्रेजों द्वारा चालू शिक्षा पद्धति ही चली आ रही है। शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता सभी अनुभव करते रहे हैं। जनता सरकार ने शिक्षा पद्धति को अधिक व्यवहारिक व रोजगारमूलक बनाने का निर्णय लिया है।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त ईश्वर भाई पटेल समिति की सिफारिशों के अनुसार शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् ने स्कूली पाठ्यक्रम में ऐसी प्रशिक्षण सामग्री को विकसित करके लागू किया है जो सामाजिक रूप से उत्पादक कार्योंपयोगी होगी।

समिति ने स्कूली कार्यकाल का २० प्रतिशत भाग समाजोपयोगी उत्पादक कार्यक्रम में लगाने की सिफारिश की है।

शिक्षा मन्त्री ने घोषणा की कि शैक्षणिक प्रशिक्षण व अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ईश्वर भाई पटेल की रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी है। सभी राज्यों को इन सिफारिशों को कार्यान्वित करना होगा।

एन० सी० ई० आर० टी० अब उक्त सिफारिशों के अनुरूप संशोधित पाठ्य पुस्तकें तैयार करेगी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों में सुधार का यह काम काफी महत्वपूर्ण है।

इससे प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण व माध्यमिक शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए सभी राज्य एक दूसरे के अति निकट आ सकेंगे।

ऐसी भी व्यवस्था की जा रही है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ शिक्षकों को आधुनिकतम ज्ञान बनाये रखने में मदद करने के लिए 'सतत शिक्षा केन्द्र' स्थापित करें।

एन० सी० ई० आर० टी० के कार्यालयों को सुदृढ़ बनाया जाएगा खासकर पिछड़े इलाकों में स्थापित कार्यालयों को, ताकि प्रारम्भिक शिक्षा को समान रूप देने का कार्य तेजी से हो सके।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

शिक्षा नीति

भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का मुख्य दायित्व राज्यों पर है किन्तु केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय को राज्यों के निर्देशार्थ व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारित करने के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट दायित्वों को निभाना होता है—(१) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (अलीगढ़-मुस्लिम, बनारस-हिन्दू, दिल्ली जवारहलाल नेहरू एवं विश्वभारती) तथा विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थाओं का संचालन, (२) शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा संस्थानों में तालमेल एवं मानक रक्षण, (३) हिन्दी का संवर्धन; प्रचार एवं प्रसार, (४) शैक्षणिक योजना बनाना, (५) राष्ट्रीय स्तर पर खेल-कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, (६) सर्वेक्षण कार्य (अर्थात् भारत सर्वेक्षण, पुरातत्त्व सर्वेक्षण, मानविकीय सर्वेक्षण, वनस्पतीय सर्वेक्षण एवं प्राणिकीय सर्वेक्षण आदि संस्थाओं का संचालन), (७) भारत इतर देशों के साथ शैक्षणिक समझौते करना आदि।

स्कूल शिक्षा

गत वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान का पुनर्गठन किया गया, जोकि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का ही एक अंग है, ताकि शैक्षिक तथा अनुसंधान-कार्य में समन्वय और गुणात्मक सुधार के कार्यक्रमों में प्रगति सुनिश्चित की जा सके। आलोच्य वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने, जिसने १९ और विद्यालय खोले थे, अपने पिछले वर्षों के उत्तम रिकार्ड को बनाये रखा। केन्द्रीय मन्त्रालय ने चुने हुए उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किये जाने के लिए, व्यवसायीकरण की एक योजना तैयार की है। हाल में शुरू की गई शैक्षिक प्रौद्योगिकी परियोजना ने केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर वर्ष के दौरान पर्याप्त प्रगति की।

उच्च शिक्षा

देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए उच्च शिक्षा का विकास महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा आशाजनक भूमिका तभी निभा सकती है जबकि प्रतिभाशाली व्यक्ति विश्वविद्यालयों और कालेजों की ओर आकर्षित हों। यह तभी सम्भव है जब विश्वविद्यालय तथा कालेज के अध्यापकों के वेतनमान आकर्षक हों।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नये गुणात्मक एवं नवीन कार्यक्रम, जैसे परीक्षा सुधार तथा स्वायत्त कालेज एवं पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन प्रारम्भ किया है। परीक्षा सुधार के क्षेत्र में भी आयोग ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम तैयार किये हैं तथा एक आयोजना शुरू की है जिसमें शिक्षण की नई पद्धतियों और कक्षा के अनुभवों पर आधारित व छात्रों के विभिन्न वर्गों के स्तरों और उपलब्धियों के उपयुक्त नए प्रकार के परीक्षा प्रश्न-पत्रों की व्यवस्था है। वर्ष के दौरान, आयोग के संकाय सुधार तथा अनुसंधान अधिछात्रवृत्तियों की व्यवस्था जैसे अन्य कार्यक्रम जारी रहे।

आलोच्य वर्ष के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने अपने सामान्य कार्यों को जारी रखा। वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

परिषद् तथा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के तत्त्वावधान में अनुसंधान-कार्यक्रमों में तीव्र प्रगति हुई।

पुस्तक बैंक योजना : स्कूलों में पुस्तक बैंक की स्थापना अपेक्षाकृत एक नया प्रयोग है। अन्तिम सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, चण्डीगढ़, गोवा, मिजोरम तथा पांडिचेरी के स्कूलों में पुस्तक बैंक स्थापित किये गये।

पुरातत्त्व

आलोच्य वर्ष की अवधि में, पुरातत्त्वीय सर्वेक्षणों, खोजों तथा खुदाइयों एवं पुरातत्त्व सामग्री के प्रकाशन में उल्लेखनीय प्रगति हुई।

१९७८ के दौरान अनेक ऐतिहासिक व पुरातत्त्वीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण का भी निर्णय लिया गया।

प्राथमिक शिक्षा में सुधार

केन्द्र सरकार ने १९७८ में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष (यूनिसेफ) के साथ मिलकर एक परियोजना तैयार की है। इस परियोजना में देश की सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम से शिक्षकों को अपनी दक्षता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

यह जानकारी जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में दी गई।

प्रौढ़ शिक्षा

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष १९७८-७९ में लगभग १५ लाख प्रौढ़ व्यक्तियों को लिखना-पढ़ना सिखाया गया। वर्ष १९७९-८० के दौरान ४५ लाख प्रौढ़ों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने को उच्च प्राथमिकता दी है। वर्ष १९७८-८३ योजना में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए ९०० करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। जबकि पांचवीं योजना में कुल ४१० करोड़ रु० की व्यवस्था थी।

शिक्षा में पिछड़े राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों को चलाने के लिए ५० करोड़ रु० दिये जाएँगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में ५,६०० प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित करने के ४५६ कालेजों के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। आयोग इन कालेजों को वित्तीय सहायता देगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र के डिग्री कालेजों के पाठ्यक्रम की पुनर्गठन योजना का काम अपने हाथ में ले लिया है। पाठ्यक्रम को ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने और शिक्षा तथा व्यवहारिक अनुभव और उत्पादकता के बीच सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से कुछ कदम उठाये गये हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कालेज शुरू में, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में एक-एक पाठ्यक्रम शुरू करेगा। आयोग पुस्तक और पत्रिका की खरीद और मुख्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिक से अधिक सालाना एक लाख रु० की सहायता देगा जिसमें आवर्ती और अनावर्ती व्यय दोनों ही शामिल हैं।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

इस मन्त्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय पत्राचार पाठ्यक्रम, पुस्तक-प्रकाशन एवं उनके प्रचार-सम्वन्धी योजनाओं के कार्यान्वयन के अतिरिक्त विस्तार-सम्बन्धी कार्यक्रमों का भी वर्ष के दौरान कार्यान्वयन करता रहा है। इस निदेशालय ने देश के विभिन्न भागों में अहिन्दी-भाषी राज्यों के हिन्दी लेखकों के अनेक शिविर आयोजित किए तथा प्रसिद्ध हिन्दी लेखकों की भाषा यात्राएँ आयोजित कीं।

विदेशों में हिन्दी प्रचार

विदेशों में, विशेषकर यूरोप और अफ्रीका के देशों में हिन्दी अध्ययन के लिए वातावरण वनाने के लिए हिन्दी अध्यापन को लोकप्रिय वनाने हेतु १९७८ के दौरान विभिन्न कार्यक्रम शुरू किये गये। इस प्रयोजन के लिए, यह भी प्रस्ताव है कि विदेशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत लैक्चर देने, सेमिनार आदि का आयोजन करने के लिए दो से चार सप्ताह तक के लिए प्रसिद्ध हिन्दी अध्येताओं को विदेश भेजा जाये। इसी प्रकार विदेशों के वरिष्ठ हिन्दी विद्वानों को भारत में बुलाया जाये ताकि वे भारतीय संस्थाओं में उच्च हिन्दी का अध्ययन कर सकें। "विदेशों में हिन्दी का प्रसार" नामक योजना के अंतर्गत शुरू किये गए कार्यक्रम का पुनरीक्षण करने के लिए कैरोवियन देशों को अध्येताओं के अध्ययन दल भेजने का प्रस्ताव है।

विदेशों में हिन्दी प्रसार की योजना के अन्तर्गत विदेशी राष्ट्रिकों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं ताकि वे केन्द्रीय हिन्दी संस्थान की नई दिल्ली शाखा में हिन्दी का अध्ययन कर सकें। वर्ष के दौरान विभिन्न देशों के २७ विदेशी अध्येताओं को छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई थीं। मन्त्रालय ने कैरिवियन देशों में कार्यरत तीन हिन्दी प्राध्यापकों और श्री लंका में दो अंशकालिक हिन्दी अध्यापकों की सेवाओं को वरावर जारी रखा।

अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति—वर्ष के दौरान विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अनुदान देने के लिए १९६ लाख रु० की बजेट व्यवस्था का पूर्णतया उपयोग किया गया।

भारत में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ—इस योजना के अन्तर्गत अफ्रीका, एशिया तथा अन्य महाद्वीपों के नागरिकों को १८० छात्रवृत्तियाँ प्रत्येक वर्ष दी जाती हैं। इस योजना को भारत तथा विदेशों के मध्य मैत्री-सम्वन्ध वढ़ाने तथा भारत में उपलब्ध उच्च शिक्षा सम्बन्धी सभी सुविधाएँ चुने गए देशों के नागरिकों को देने के लिए तैयार किया गया है। छात्रवृत्तियाँ कृषि, इंजीनियरी तथा टेक्नालाजी चिकित्सा और औषधि निर्माण कला तथा मानविकी विषयों में दी गई थीं।

हिन्दी के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां

आलोच्य वर्ष के दौरान मंत्रालय ने अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को उत्तर मैट्रिक

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

स्तर पर हिन्दी अध्ययन के लिए २०१८ छात्रवृत्तियाँ प्रदान कीं। आलोच्य वर्ष के लिए इस योजना के लिए २८ लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। पांचवीं योजना के अन्त तक छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाकर लगभग २५०० तक प्रति वर्ष करने का विचार है।

स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता

१९७९-८० के दौरान हिन्दी के प्रसार व विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को २२ लाख रुपये से अधिक के अनुदान दिए जाने की आशा है। विभिन्न संगठन अहिन्दी भाषी राज्यों में २००० से अधिक हिन्दी कक्षाएँ चला रहे हैं। कुछ संगठन हिन्दी टाइपराईटिंग कक्षाएँ भी चला रहे हैं और उन्होंने हिन्दी पुस्तकालय भी खोले हैं।

पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिन्दी अध्ययन की योजना इस क्षेत्र की दूसरी महत्त्वपूर्ण योजना है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने इस योजना को कार्यान्वित करना जारी रखा। देश विदेश दोनों जगहों से इस पाठ्यक्रम में लगभग ६ हजार छात्र हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान इन पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या ३९८ थी।

भारत के विश्वविद्यालय

नाम, स्थान और स्थापना वर्ष	प्रकार	सम्बद्ध कालेजों की संख्या
१	२	३
१. आगरा विश्वविद्यालय, आगरा (१९२६)	सम्बद्ध	४१
२. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (१९२०)	एकात्मक	४
३. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (१८८७)	एकात्मक	११
४. आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर (१९२५)	सम्बद्ध	१३६
५. आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद (१९६३)	एकात्मक	६
६. अन्नामलई विश्वविद्यालय, अन्नामलईनगर (१९२८)	एकात्मक	—
७. असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट (१९६८)	एकात्मक	३
८. अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (१९७५)	सम्बद्ध	२४
९. अवधेशप्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवां (१९६८)	सम्बद्ध	४६
१०. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (१९१५)	एकात्मक	५
११. बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर (१९६४)	संघात्मक	८६
१२. बरहमपुर विश्वविद्यालय, बरहमपुर (१९६६)	सम्बद्ध	१९
१३, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (१९६०)	सम्बद्ध	४३
१४. भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल (१९७०)	सम्बद्ध	२५
१५. विधानचन्द्र राय कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी (१९७४)	एकात्मक	—
१६. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (१९५२)	सम्बद्ध	६६

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१७. बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई (१८५७)	संघात्मक	११३
१८. वर्दवान विश्वविद्यालय, वर्दवान (१९५९)	सम्बद्ध	५५
१९. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता (१८५७)	सम्बद्ध	२२३
२०. कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट (१९६८)	सम्बद्ध	७०
२१. कोचीन विश्वविद्यालय, कोचीन (१९७१)	संघात्मक	—
२२. दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली (१९२२)	सम्बद्ध	६६
२३. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़ (१९६५)	सम्बद्ध	५५
२४. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) (१९७३)	सम्बद्ध	१६
२५. गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी (१९४७)	सम्बद्ध	११८
२६. गोविन्दवल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर (१९५८)	एकात्मक	६
२७. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (१९५६)	सम्बद्ध	११४
२८. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (१९४९)	सम्बद्ध	१४७
२९. गुजरात कृषि यिश्वविद्यालय, अहमदाबाद (१९७२)	एकात्मक	५
३०. गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर (१९६५)	सम्बद्ध	११
३१. गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर (१९६९)	सम्बद्ध	७३
३२. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (१९७०)	एकात्मक	७
३३. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला (१९७०)	सम्बद्ध	४०
३४. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद (१९७४)	एकात्मक	—
३५. इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (१९५६)	सम्बद्ध	३०
३६. इन्दौर विश्वविद्यालय, इन्दौर (१९६३)	संघात्मक	२१
३७. जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर (१९५६)	सम्बद्ध	२८
३८. जादवपुर विश्वविद्यालय, जादवपुर (१९५५)	एकात्मक	२
३९. जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू (१९६९)	सम्बद्ध	१५
४०. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (१९६६)	एकात्मक	—
४१. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर (१९६४)	एकात्मक	११
४२. जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिक संस्थान, हैदराबाद (१९७२)	एकात्मक	५
४३. जोवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (१९६३)	सम्बद्ध	४०
४४. जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर (१९६२)	एकात्मक	३
४५. कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी (१९६०)	सम्बद्ध	३
४६. कामेश्वरसिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा (१९६०)	सम्बद्ध	४८
४७. कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर (१९६५)	सम्बद्ध	८५
४८. कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ (१९४९)	सम्बद्ध	११४
४९. कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर (१९४८)	सम्बद्ध	२६

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

५०.	केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम (१९३७)	सम्बद्ध	१०४
५१.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर (१९७१)	एकात्मक	३
५२.	कोंकण कृषि विद्यापीठ, डिपोलो, महाराष्ट्र (१९७२)	एकात्मक	२
५३.	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (१९७३)	सम्बद्ध	११
५४.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (१९५६)	सम्बद्ध	११२
५५.	ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (१९७२)	सम्बद्ध	६६
५६.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (१९२१)	एकात्मक	२२
५७.	मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास (१८५७)	सम्बद्ध	१६६
५८.	मदुरई विश्वविद्यालय, मदुरई (१९६५)	सम्बद्ध	१०२
५९.	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (१९६२)	सम्बद्ध	५६
६०.	महाराजा सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा (१९४९)	एकात्मक	१
६१.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी (अहमदनगर) (१९६७)	एकात्मक	५
६२.	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद (१९५८)	सम्बद्ध	८४
६३.	मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभनी (१९७२)	एकात्मक	२
६४.	मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ (१९६५)	सम्बद्ध	५५
६५.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर (१९१६)	सम्बद्ध	१३२
६६.	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर (१९२३)	सम्बद्ध	१४०
६७.	उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, सिलीगुड़ी (१९६२)	सम्बद्ध	३३
६८.	उत्तरपूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलाँग (१९७३)	सम्बद्ध	२८
६९.	उड़ीसा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (१९६१)	एकात्मक	४
७०.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (१९१८)	सम्बद्ध	११५
७१.	पटना विश्वविद्यालय, पटना (१९१७)	एकात्मक	१२
७२.	पूना विश्वविद्यालय, पुणे (१९४८)	सम्बद्ध	११५
७३.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ (१९४७)	सम्बद्ध	८४
७४.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (१९६१)	एकात्मक	११
७५.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला (१९६१)	सम्बद्ध	४९
७६.	पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला (१९६९)	संघात्मक	७
७७.	रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कलकत्ता (१९६२)	सम्बद्ध	४८
७८.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (१९४६)	सम्बद्ध	१४९
७९.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना (१९७०)	एकात्मक	५
८०.	राँची विश्वविद्यालय, राँची (१९६०)	सम्बद्ध	६७
८१.	रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (१९६३)	सम्बद्ध	६१
८२.	रुहेलखन्ड विश्वविद्यालय, बरेली (१९७५)	सम्बद्ध	२९

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

८३.	रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की (१९४८)	एकात्मक	—
८४.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर (१९६६)	सम्बद्ध	३१
८५.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभविद्यानगर (१९५५)	सम्बद्ध	१८
८६.	सागर विश्वविद्यालय, सागर (१९४६)	सम्बद्ध	५३
८७.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट (१९६५)	सम्बद्ध	६०
८८.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर (१९६२)	सम्बद्ध	९०
८९.	श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, बम्बई (१९४९)	सम्बद्ध	२१
९०.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत (१९६६)	सम्बद्ध	३५
९१.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति (१९५४)	सम्बद्ध	४७
९२.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर (१९७१)	एकात्मक	४
९३.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर (१९६४)	एकात्मक	६
९४.	उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (१९६२)	सम्बद्ध	१४
९५.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (१९४३)	सम्बद्ध	५८
९६.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (१९५८)	सम्बद्ध	११९
९७.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (१९५७)	सम्बद्ध	४४
९८.	विश्व-भारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन (१९५१)	एकात्मक	७
९९.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी (१९७५)	सम्बद्ध	१३
१००.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर (१९७४)		२
१०१.	आचार्य नरेन्द्रदेव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद (१९७४)		

इन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त भी उच्च शिक्षा संस्थानों की दो अन्य कोटियाँ निम्न प्रकार हैं—

(क) विश्वविद्यालय (समान) माने जाने वाले संस्थान

(१) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंगलिश एण्ड फौरेन लैंग्वेजेज, हैदराबाद

(२) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद।

(३) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

(४) जामिया मिलिया इस्लामिया, जामियानगर, नई दिल्ली।

(५) टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बम्बई।

(६) बिरला तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

(७) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
(८) भारतीय खान विद्यालय, धनवाद।
(९) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।

(ख) राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान

(१) अखिल भारतीय औषधि विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
(२) औषधि शिक्षण एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़।
(३) भारतीय आंकिक संस्थान, कलकत्ता।
(४) भारतीय तकनीकी संस्थान, कानपुर।
(५) भारतीय तकनीकी संस्थान, खडगपुर।
(६) भारतीय तकनीकी संस्थान, हौजखास, नई दिल्ली।
(७) भारतीय तकनीकी संस्थान, बम्बई।
(८) भारतीय तकनीकी संस्थान, मद्रास।
(९) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (इलाहाबाद)

भारतीय भाषाएँ

संविधान में जिन १५ भाषाओं को 'राष्ट्रीय भाषायें' स्वीकार किया गया है, वे ये हैं : असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजावी, तमिल, तेलुग, संस्कृत और सिन्धी।

भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी घोषित की गई। संविधान ने इसे 'राजभाषा' कहा। अब यह राजभाषा भी नहीं, संपर्क भाषा (लिंक लैंग्वेज) कही जाती है। हिन्दी विश्व के अनेक स्थानों में बोली जाती है।

संविधान के अनुच्छेद ३४३ के अन्तर्गत उपबन्ध है कि देवनागरी में लिखी हिन्दी भारत संघ की भाषा होगी किन्तु सरकारी व्यवहार में रोमन अंक होंगे।

हिन्दी : भारत में गंगा-यमुना के बीच के क्षेत्र—मध्यप्रदेश में संस्कृत, पालि तथा शौरसेनी प्राकृत भाषा विभिन्न युगों में थी। आगे चलकर इस प्रदेश में शौरसेनी अपभ्रंश का प्रचार हुआ, कालान्तर में बोल-चाल का शौरसेनी का अपभ्रंश हिन्दी के रूप में परिणत हुआ। १४वीं सदी में उत्तरी भारत के मुसलमान विजेता दक्षिण भारत में जाने लगे और १६वीं सदी में गोलकुण्डा और बीजापुर तक दिल्ली की शाही भाषा की बोली के आधार पर एक स्वतंत्र साहित्यिक भाषा का विकास हुआ, जो 'दक्कनी' कही जाती है। बाद में यह भाषा लौटकर दिल्ली पहुँची। १७वीं सदी के अन्त में इस नई भाषा से भिन्नता प्रकट करने के लिए दिल्ली की बोली को 'हिन्दुस्तानी' नाम दिया गया। १९वीं सदी के आरम्भ से यह 'खड़ी बोली' कहलाई। कालान्तर में यह हिन्दी के रूप में विकसित हुई। हिन्दी का मूल आधार मेरठ, बिजनौर को बोली है। डॉ० उदयनारायण तिवारी ने हिन्दी को यह परिभाषा

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

की है—"ब्रज भाषा और हिन्दुओं द्वारा प्रयुक्त दिल्ली की वह बोली जिसमें फारसी का प्रभाव नहीं था तथा जो नागरी लिपि में लिखी जाती थी । हिन्दी के छः प्रमुख रूप और बोलियां हैं—ब्रज, अवधी, ग्रामीण खड़ी बोली, हिन्दुस्तानी, साहित्यिक हिन्दी तथा उर्दू । एक मत यह भी है कि हिन्दी कम-से-कम १९९ विभिन्न बोलियों के मेल से बनी भाषा है ।

गुजराती : यह गुजरात प्रदेश की भाषा है । इसकी लिपि देवनागरी है तथा भाषा भी हिन्दी से काफी मिलती-जुलती है ।

पंजाबी : यह पंजाब क्षेत्र की भाषा है । इसका निर्माण सिख गुरुओं ने किया था । इसकी लिपि गुरुमुखी है ।

कश्मीरी : जम्मू-कश्मीर में इसका प्रयोग होता है ।

असमिया : यह असम प्रदेश की भाषा है ।

संस्कृत : संस्कृत भारतीय भाषाओं की जननी मानी जाती है । भारत के सभी धर्म-शास्त्र व प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में ही हैं । वेद, उपनिषद्, गीता, पुराण तथा अन्य ग्रंथ भी संस्कृत में ही हैं । संस्कृत साहित्य अत्यन्त समृद्ध व प्राचीन है ।

मलयालम : यह केरल प्रदेश की भाषा है । इसका केरल में ९५.४ प्रतिशत लोग प्रयोग करते हैं ।

कन्नड़ : यह कर्नाटक के ६५.१७ प्रतिशत लोगों की भाषा है ।

उड़िया : यह उड़ीसा राज्य की जनभाषा है । इसका प्रयोग उड़ीसा की ८२.३१ प्रतिशत जनता करती है ।

तमिल : यह तमिलनाडु (मद्रास) क्षेत्र की भाषा है । इसका साहित्य बहुत समृद्ध है ।

उर्दू : यह किसी वर्ग विशेष एवं क्षेत्र की भाषा नहीं है । वाक्य-रचना और व्याकरण इसका हिन्दी के समान ही है । यह अरबी, फारसी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी है ।

बंगला : यह बंगला देश और प० बंगाल की भाषा है । बोलने वालों की संख्या ८ करोड़ ८० लाख बताई जाती है ।

तेलुगु : यह आंध्र प्रदेश की भाषा है । इसके दो रूप हैं—प्राचीन व अर्वाचीन । प्राचीन तेलुगु में संस्कृत शब्दों की बहुलता है ।

मराठी : यह महाराष्ट्र की भाषा है । इसका साहित्य काफी समृद्ध है ।

सिन्धी : सिन्ध की भाषा है । सिन्ध से भारत आए व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं ।

संगीत नाटक अकादेमी

अकादेमी ने संगीत, नृत्य तथा नाटक में १९७८ में पुरस्कार देने के लिए इन १४ उत्कृष्ट कलाकारों को चुना—

संगीत

१. श्री खादिम हुसैन (हिन्दुस्तानी कंठ-संगीत)

२. श्री पुरुषोत्तम दास (हिन्दुस्तानी वाद्य संगीत—वीणा)

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

३. श्री एम० एस० सोमसुन्दरम् (कर्नाटक कंठ संगीत)
४. श्री एल० जी० जयरमन (कर्नाटक वाद्य संगीत-नादस्वरम्)
५. श्री रायचन्द बोराल (हवेली संगीत)
६ श्री एस० श्रीनिवासराव (कर्नाटक संगीत)

नृत्य

१. श्री वापूराम वायान अतई (भरत नाट्यम गुरु)
२. श्री के० कल्याण कुट्टी अम्मा (मणिपुरी)
३. श्री सी० आर० आचार्यालु (कुचिपुडी गुरु)

नाटक

१. श्री जब्बर पटेल (निदेशन)
२. श्री एन० कृष्णा पिल्लई
३. श्री दत्ताराम एन० वालवेकर
४. श्री टी० कुंजकिशोर सिंह
५. श्री काठीनन्दा दास

साहित्य अकादेमी

भारतीय साहित्य के विकास की दृष्टि से सन् १६५४ में साहित्य अकादेमी की स्थापना की गई थी। समस्त भारतीय साहित्य की प्रामाणिक ग्रंथ सूची का संकलन करने की दिशा में अकादेमी ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में अकादेमी ने साढ़े छः सौ से अधिक ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं। कालिदास रचित 'कुमार सम्भव', 'विक्रमोर्वशीय' तथा 'मेघदूत' पाठ के शुद्ध संस्करण तथा हिन्दी, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड, मराठी, मलयालम, सिन्धी आदि विभिन्न भाषाओं के विशिष्ट साहित्य का अनुवाद व प्रकाशन अकादेमी की सफलता का परिचायक है। सन् १६६१ में अकादेमी ने 'भारतीय लेखकों का परिचय ग्रंथ' प्रकाशित किया जिसमें हजारों भारतीय लेखकों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। 'रूसी हिन्दी शब्द कोष' ने भी काफी लोकप्रियता अर्जित की। अकादेमी की ओर से कई भारतीय तथा विदेशी विशिष्ट साहित्यिक ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। अकादेमी की ओर से प्रतिवर्ष भारतीय भाषाओं के ग्रन्थों पर पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। अकादेमी की ओर से अंग्रेजी त्रैमासिक 'इंडियन लिट्रेचर' तथा संस्कृत में अर्द्धवार्षिक 'संस्कृत प्रतिभा' पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं। अकादेमी ने आधुनिक भारतीय लेखकों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर 'भारतीय साहित्य के निर्माता' ग्रंथमाला भी प्रकाशित करनी आरम्भ की है। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के साहित्य के भारतीय भाषाओं में सुन्दर ढंग से अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं। मौलाना आजाद की कुछ कृतियों को उर्दू में प्रकाशित किया जा चुका है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

साहित्य अकादेमी पुरस्कार—१९७८

साहित्य अकादेमी की ओर से १९७८ में निम्न पुरस्कार प्रदान किये गये।

भाषा	पुस्तक	लेखक
१. असमिया	पिता-पुत्र (उपन्यास)	श्री होमेन बड़गोहाइन
२. बंगला	विवेकानन्द ओ समकालीन भारतवर्ष, खंड १, २ व ३ (जीवनी और सांस्कृतिक इतिहास)	श्री शंकरीप्रसाद वसु
३. डोगरी	साँझी धरती बखले मानु (उपन्यास)	श्री नरसिंह देव जम्वाल
४. अंग्रेजी	फायर आन् द माउंटेन (उपन्यास)	श्रीमती अनीता देसाई
५. गुजराती	हयाती (कविता)	श्री हरीन्द्र दवे
६. हिन्दी	उतना वह सूरज है (कविता)	श्री भारतभूषण अग्रवाल
७. कन्नड	हसुरु होन्नु (यात्रा वृत्तांत)	श्री बी० जी० एल० स्वामी
८. कश्मीरी	वेसोख रूह (कविता)	श्री जी० आर० संतोष
९. कोंकणी	मान्नी पुंनव (ललित निबंध)	श्री डी० के० सुकठणकार
१०. मैथिली	वाजि उठल मुरली (कविता)	श्री उपेन्द्रनाथ मोहन
११. मलयालम	रात्रिमष	श्रीमती सुगत कुमारी
१२. मणिपुरी	डबोखाउ (नाटक)	श्री जी० सी० तोंब्रा
१३. मराठी	नक्षत्रांचे देणे (कविता)	श्री सी० टी० खानोलकर (आरती प्रभू)
१४. नेपाली	खहरे (कहानियाँ)	श्री शिवकुमार राय
१५. ओड़िया	सप्तम ऋतु (कविता)	श्री रमाकांत रथ
१६. पंजाबी	उरवर पार	श्री गुरुमुखसिंह 'मुसाफिर'
१७. राजस्थानी	मेवैं दा रूँख (उपन्यास)	श्री अन्नाराम 'सुदामा'
१८. सिंधी	चीख (कविता)	श्री एच० आई० सदारंगाणी
१९. तमिष	पुदुकवितयिन तोट्रमुम् वलर्चियुम् (आलोचना)	श्री वल्लिकण्णन्
२०. तेलुगु	कृष्ण शास्त्री की संकलित रचनाएँ (६ खंड) (कविता और नाटक)	श्री डी० वी० कृष्ण शास्त्री
२१. उर्दू	हाफिज और इकबाल (आलोचना)	श्री यूसुफ हुसेन खाँ

ज्ञानपीठ पुरस्कार

भारतीय भाषाओं के उच्चकोटि के साहित्यकारों को पुरस्कृत करने की दृष्टि से भारतीय ज्ञानपीठ ने १९६६ से प्रतिवर्ष एक लाख रुपये का पुरस्कार प्रारम्भ करके सराहनीय कार्य किया है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अब तक निम्न साहित्यकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है—

१९६६	जि० शंकर कुरुप 'ओटक्कुपल' बाँसुरी, (काव्य)	मलयालम
१९६७	ताराशंकर बंद्योपाध्याय 'गणदेवता' (उपन्यास)	बंगला
१९६८	उमाशंकर जोशी 'निशीथ' (कविता-संग्रह)	गुजराती
	के० वी० पुट्टप्पा 'रामायणदर्शनम्' (कविता-संग्रह)	कन्नड
१९६९	सुमित्रानन्दन पंत 'चिदंबरा' (कविता-संग्रह)	हिन्दी
१९७०	रघुपतिसहाय 'फिराक' गोरखपुरी 'गुले नग्मा' (कविता-संग्रह)	उर्दू
१९७१	डॉ० विश्वनाथ सत्यनारायण 'रामायण कल्पवृक्षम्' (महाकाव्य)	तेलुगु
१९७२	विष्णु दे 'स्मृति सत्ता भविष्यत्' (काव्य-संग्रह)	बंगला
१९७३	डॉ० रामधारी सिंह दिनकर 'उर्वशी' (काव्य)	हिन्दी
१९७४	विष्णु सखाराम खांडेकर 'ययाति' (उपन्यास)	मराठी
१९७५	डॉ० दत्तात्रेय रामचन्द्र बेन्द्रे नाकू तांठी' (काव्य-संग्रह)	कन्नड
१९७६	श्री गोपीनाथ महन्ती 'माटी मटाल' (उपन्यास)	उड़िया
१९७७	श्री अखिलन 'चित्तिरप्पावै' (उपन्यास)	तमिल
१९७८	डॉ० के० शिवराम कारंथ—'मुकज्जिया कनसुगलू' (उपन्यास)	कन्नड
१९७९	श्री स० ही० वात्स्यायन अज्ञेय—'कितनी नावों में कितनी बार' (काव्य संग्रह)	हिन्दी

स्वतन्त्र भारत में शिक्षा

१. प्राथमिक विद्यालयों में अब, १९४७ में १ करोड़ ४१ लाख विद्यार्थियों की अपेक्षा १९७८ में ७ करोड़ ११ लाख विद्यार्थी पढ़ते थे। [कक्षा १ से ५ तक]। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में ३५० प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

२. कक्षा ६ से ८ तक के विद्यार्थियों की संख्या १९४७ में २० लाख से बढ़कर १९७८ में १ करोड़ ९१ लाख हो गई है। इस प्रकार से इस स्तर के विद्यार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई।

३. कक्षा ९ से ११ तक के विद्यार्थियों की संख्या १९४७ में साढ़े आठ लाख से बढ़कर १९७८ में ९८ लाख हो गई, अर्थात् ९०० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

४. जब भारत आज़ाद हुआ तब विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या २ लाख ५६ हजार थी। अब इनकी संख्या ९०० प्रतिशत बढ़कर ३२ लाख १२ हजार हो गई है।

५. लड़कों के अनुपात में लड़कियों का प्रतिशत ६ से ११ वर्ष आयु वर्ग में १९४७ में ३५ से बढ़कर १९७८ में ७३ हो गया। ११-१४ वर्ष आयु वर्ग में १८ से बढ़कर ४२ हो गया। १४-१७ वर्ष आयु वर्ग में १२ से बढ़कर ३३ हो गया और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में यह प्रतिशत ८ से बढ़कर २३ हो गया।

छात्रवृत्तियां

केन्द्रीय सरकार ने शैक्षिक वर्ष १९७९-८० के लिए शिक्षकों के बच्चों के लिए ७७५ छात्रवृत्तियाँ देने का निर्णय किया है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

प्राइमरी पूर्व, प्राइमरी, मिडल तथा माध्यमिक स्कूल और विकलांगों के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बच्चे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन-पत्र भेज सकते हैं जिन्होंने १९७९ की परीक्षा में कम-से-कम ३० प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं।

रक्षा मन्त्रालय द्वारा संचलित स्कूलों में असैनिक शिक्षकों के बच्चे, जिन्होंने उसी प्रकार अंक प्राप्त किये हैं, आवेदन कर सकते हैं।

महिला शिक्षा परिषद्

महिलाओं में शिक्षा का प्रचार व प्रसार करने की दृष्टि से राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् का पुनर्गठन किया गया है। केन्द्रीय शिक्षा व समाज कल्याण मंत्री इसके अध्यक्ष और मंत्रालय में संयुक्त सचिव, इसके सचिव होंगे।

सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के शिक्षामंत्री इस परिषद् के सदस्य होंगे।

परिषद सरकार को वालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा सम्वन्धी सभी विषयों पर सलाह देगी और शिक्षा के विस्तार आदि सुधार के लिए नीतियाँ, कार्यक्रम सुझाएगी व लक्ष्यों और प्राथमिकताओं का निर्धारण करेगी। यह परिषद देश में वालिकाओं और महिलाओं को शिक्षा देने के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों का लाभ उठाने के लिए भी सुझाव देगी।

परिषद इस क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करेगी और आवश्यकतानुसार प्रगति में सुधार के लिए उपाय भी सुझाएगी।

हिन्दी शिक्षा समिति

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय की हिन्दी शिक्षा समिति की कार्यकारिणी उपसमिति द्वारा की गई एक सिफारिश के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास में स्वयंसेवी संस्थाएं और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी।

समिति ने कहा है कि इस काम में इस प्रकार के संगठनों का और अधिक सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।

समिति ने जुलाई १९७९ में शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए विशेष रूप से स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से अहिन्दी भाषी राज्यों और आमतौर से दक्षिण राज्यों में किए गए उपायों पर विस्तृत रूप से विचार किया। सदस्यों ने स्वयं सेवी संगठनों को अनुदान देने की प्रक्रिया में सुधार का उल्लेख किया जिससे इन संगठनों को धन जारी करने में सुविधा होगी।

समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि सरकार को विदेशों में और ज्यादा हिन्दी पुस्तकालय खोलने के लिंए कदम उठाने चाहिएं। इसी प्रकार विदेशियों और विदेशों में वसे भारतीयों के लिए और हिन्दी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिएं। समिति चाहती है कि इस काम में लगी विभिन्न केन्द्रीय संस्थाओं के प्रयासों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। समिति ने कहा कि इस दिशा में कार्यक्रम को सुदृढ़ वनाने के लिए एक अन्तर-मंत्रालय समिति स्थापित की जानी चाहिए।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जन स्वास्थ्य

एक-एक करके जैसे ही योजनाएँ बनती गईं, वैसे ही उनके स्वास्थ्य-कार्यक्रमों पर किये जाने वाले खर्चे में लगातार बढ़ोत्तरी होती गई। स्वास्थ्य-कार्यक्रमों के लिए पहली योजना में ६० करोड़ ३० लाख रुपये, दूसरी योजना में १४६ करोड़ रुपये, तीसरी योजना में २०६ करोड़ ५० लाख रुपये और चौथी पंचवर्षीय योजना में ४३५ करोड़ ३ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। यह सब होते हुए भी, चौथी योजना में स्वास्थ्य-कार्यक्रमों के लिए जो परिव्यय रखा गया वह सरकारी क्षेत्र के १५,६०,२३४ करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का केवल २.७३ प्रतिशत है।

१९७८ तक ग्रामीण जनता को मिली-जुली स्वास्थ्य-सेवाएँ प्रदान करने के लिए ३६१२ प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों में बुनियादी स्वास्थ्य-सेवा-योजना आरम्भ कर दी गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत १०,००० आबादी के पीछे एक बुनियादी स्वास्थ्य-कार्यकर्ता की, ४ बुनियादी स्वास्थ्य-कार्यकर्ताओं के काम को देखने के लिए एक स्वास्थ्य-निरीक्षक की और प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र के हिसाब से एक प्रयोगशाला तथा एक तकनीशियन की नियुक्ति करने के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

पांचवीं योजना के अन्त तक हर चार प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों में से एक केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर ३० पलंगों वाला ग्राम अस्पताल बनाया जाएगा। ये अस्पताल, चिकित्सा, शल्य-चिकित्सा, प्रसूति, स्त्री रोग और स्वेदनाहर-जैसी आम विशिष्ट सेवाएं प्रदान करेंगे। इन अस्पतालों को राज्य-क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित करने के लिए व्यवस्था कर दी गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

मुख्य संचारी रोगों को खत्म करने और उन पर नियंत्रण पाने की दिशा में राज्यों को केन्द्रीय पोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए शत-प्रतिशत सहायता दी गई है। ये कार्यक्रम हैं: राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोहे नियंत्रण कार्यक्रम, हैजा नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम और रतिरोग नियंत्रण कार्यक्रम। छठी पंचवर्षीय योजना में मलेरिया, चेचक, कुष्ठ रोगों से सम्बन्धित कार्यक्रम केन्द्र पोषित कार्यक्रमों के रूप में चलते रहेंगे जिनके लिए केन्द्र से शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता मिलती रहेगी।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

स्वाधीनता से पूर्व मलेरिया से प्रतिवर्ष लगभग ७५० लाख व्यक्ति पीड़ित हुआ करते थे और इसके कारण प्रति वर्ष ८ लाख मौतें हो जाया करती थीं। राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जो प्रयास किये गए उनके कारण इस रोग की घटनाएँ घटकर लगभग एक लाख रह गईं और १९६५ तक कोई मृत्यु नहीं हुई। तथापि विभिन्न कारणों से १९६६ और इसके वाद इस रोग की घटनाओं में वृद्धि होनी शुरू हो गई। १९७७ की घटनाओं की अपेक्षा १९७८ में मलेरिया की घटनाओं में कमी हुई है।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण) के अलावा मलेरिया-निरोधी कार्यक्रम को आगे भी वढ़ाया गया है। नगरीय मलेरिया योजना द्वारा अव ७० शहरों को कवर किया गया है। १९७९-८० के दौरान इस योजना को ३८ और शहरों में चलाने का विचार है।

हाल ही में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को उस समय वड़ा धक्का पहुंचा जव १९७७ में मलेरिया के पीड़ित रोगियों की संख्या ६५.६३ लाख तक पहुँच गई थी।

मलेरिया की वापसी सभी के लिए खतरा है। कृषि, उद्योग और विकास परि-योजनाओं में लगे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे भारी सामाजिक और आर्थिक हानि होती है।

मलेरिया उन्मूलन के रास्ते में आने वाली वित्तीय, प्रशासनिक और परिचालन अड़-चनों को दूर करने के लिए १ अप्रैल १९७७ में एक संशोधित योजना लागू की गई।

इस संशोधित योजना का उद्देश्य मलेरिया के कारण मृत्यु को रोकना और बीमारी की अवधि को कम करना है। देखना है, इस योजना से मलेरिया की रोकथाम में कहां तक सफलता मिलती है।

अभी हाल तक केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य वजट का लगभग ७५ प्रतिशत मलेरिया की रोकथाम पर खर्च किया जा रहा है। इस राशि को दुगना किया जा रहा है ताकि मलेरिया से प्रभावित क्षेत्रों को कीटनाशक दवाएँ और मलेरिया की रोकथाम के लिए आवश्यक दवाइयाँ भेजी जा सकें। इस कार्य के लिए कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।

परिवार-नियोजन

देश भर में परिवार कल्याण कार्यक्रम में ठोस प्रगति होने के संकेत मिल रहे हैं। वर्ष १९७९ के प्रथम तीन महीनों में नसवन्दी और लूप लगवाने के मामलों की संख्या वर्ष १९७८ की तुलना में लगभग दुगनी हो गई है। जनवरी-मार्च १९७९ की अवधि में ६,३४,००० लोगों की नसवन्दी हुई थी जवकि जनवरी-मार्च १९७८ की इसी अवधि में ३,५०,००० से कुछ अधिक लोगों ने नसवन्दी कराई थी। नसवन्दी के मामलों में ८१ प्रतिशत वृद्धि हुई। इसी प्रकार लूप लगवाने वाले मामलों की संख्या इस अवधि में तेजी से बढ़कर २,२७,००० तक पहुँच गई जवकि १९७८ की अवधि में यह संख्या १,३४,००० थी और

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

इस प्रकार ६९ प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले कुछ वर्षों में परिवार नियोजन के भिन्न-भिन्न तरीके अपनाने वाले लोगों में तीन या तीन से कम बच्चों वाले लोगों का अनुपात बढ़ा है।

१९७८-७९ के दौरान प्राथमिक केन्द्रों के अनेक मुख्यालयों को गांवों में पुर्नदिशा निर्धारण शिविर लगाने के लिए चुना गया था। इस वर्ष जनवरी के अन्त तक लगभग ऐसे ७०० शिविर आयोजित किये गये। मार्च, १९७९ के अंत तक ऐसे शिविरों की संख्या १०,००० तक पहुंच गई।

वर्ष १९७९-८० के दौरान उप-केन्द्रों में भी ऐसे शिविर लगाने का प्रस्ताव है। इसके लिए मोटे तौर पर ४०,००० शिविर लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस कार्यक्रम पर काफी व्यय (लगभग १.२ करोड़ रुपए) होगा। १९७९-८० के बजट में राज्य सरकारों को २.४० करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

जन स्वास्थ्य रक्षक योजना

१९७८ के दौरान देश के लगभग सभी राज्यों में जन-स्वास्थ्य रक्षक योजना शुरू हो चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक ६०,००० जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और उन्होंने गांवों में काम भी शुरू कर दिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष

बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा १९७९ में अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान निम्न उपाय किए गए हैं—

१. विटामिन 'ए' की कमी के कारण बच्चों में होने वाले अन्धेपन की रोकथाम का कार्यक्रम। छठी योजना में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत १-५ वर्ष की आयु वर्ग के ७.५० करोड़ बच्चों को लाने का निर्णय किया गया है।

२. लौह और फालिक अम्ल की निर्धारित गोलियां देकर बच्चों में पोषणज अल्परक्तता की रोकथाम का कार्यक्रम। छठी योजना में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत १ से १२ वर्ष की आयुवर्ग के ६ करोड़ बच्चों को लाने का निर्णय किया गया है।

३. बकाया ५४ जिला मुख्यालय अस्पतालों में बाल चिकित्सा यूनिटें स्थापित करना और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टरों के लिए जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य में सेवाकालीन प्रशिक्षण जारी रखना।

४. समाज के कमजोर वर्ग अर्थात् गन्दी बस्तियों, जनजातीय क्षेत्रों और अन्य पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल-पूर्व आयु के बच्चों के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को अब राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती और स्तन पान कराने वाली माताओं को सामूहिक सेवाएँ प्रदान करना है। इसमें पूरक पोषण, टीका लगाना, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएँ, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा भी शामिल है। १९७५-७६ में इस कार्यक्रम के आरम्भ के समय एकीकृत बाल विकास सेवा

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

परियोजनाओं की संख्या ३३ थी। १६७८-७६ में ६७ नई परियोजनाएँ मंजूर की गई हैं। वर्ष १६७६-८० के लिए ५० नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनके लिए प्रारम्भिक कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है।

बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम : यह कार्यक्रम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा भारतीय बाल कल्याण परिषद, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ और हरिजन सेवक संघ जैसे राष्ट्रीय स्तर के स्वैच्छिक संगठनों के जरिये कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम १६७०-७१ में आरम्भ किया गया था और अब तक लगभग २.३ लाख बच्चों को इसके अन्तर्गत लाया जा चुका है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ३ से ६ वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे आते हैं।

६ से ११ वर्ष की आयु वर्ग के प्राथमिक स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग १२० लाख बच्चों को लाया गया है।

बच्चों में अंधेपन की रोक

पिछले दिनों लोकसभा में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री रवि राय ने बताया कि चालू वर्ष में(अप्रैल से दिसम्बर, १६७८ तक)बच्चों में अंधेपन को रोकने के लिए २४७ लाख बच्चों को विटामिन 'ए' देने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से १०३ लाख बच्चों को विटामिन 'ए' घोल की पहली खुराक तथा १४.४ लाख बच्चों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। १६७७-७८ की इसी अवधि में दी गई पहली खुराक की तुलना में यह वृद्धि ५१.४ प्रतिशत है। १६७८-७६ में लक्ष्यों और उपलब्धियों केबीच जो कमी आई है उसके कारण हैं कि राज्यों के स्वास्थ्य विभागों द्वारा न तो इस कार्यक्रम को ढंग से चलाया गया और न ही उन्होंने विटामिन 'ए' घोल की समय पर और नियमित रूप से सप्लाई की।

शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ

भारत सरकार विश्व बाल वर्ष को विशेष महत्व दे रही है और इसके लिए एक राष्ट्रीय कार्य-योजना बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पीने के साफ पानी की उचित व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों की देख-भाल और बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाने की एक योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत देश के कुल ३६४ जिलों में से ३४० जिलों में शिशु-स्वास्थ्य यूनिट स्थापित किए गए हैं। १६७६ के अन्त तक शेष जिलों में भी शिशु-स्वास्थ्य यूनिट खोल दिए जायेंगे।

क्षय

भारत में तपेदिक रोग से लगभग ३० लाख लोग पीड़ित हैं और इनमें से लगभग २५ लाख संक्रामक रोग से पीड़ित हैं। अधिकतर रोगी देहाती इलाकों में पाए जाते हैं और हर वर्ष एक लाख आबादी में से ६० से ८० प्रतिशत लोगों की इस रोग के कारण मृत्यु हो जाती है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

देहाती इलाकों में क्षय रोग पर नियन्त्रण पाने के लिए सरकार ने एक व्यापक और देशव्यापी कार्यक्रम तैयार किया है। जिला क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के नाम से इस कार्यक्रम को देश के ३१० जिलों में लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार उपकरणों, क्षय रोग से बचाव के लिए दवाओं और बी० सी० जी० के टीके की व्यवस्था कर रही है और राज्य सरकारें भवन, कार्मिकों और अन्य प्रकार की सुविधायें जुटा रही हैं। आंकड़ों के अनुसार, लगभग १२ लाख क्षय रोगियों का इलाज किया जा रहा है और हर वर्ष लगभग १.३ करोड़ बच्चों और शिशुओं को बी० सी० जी० के टीके लगाए जा रहे हैं।

पीलिया

राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में १९७८ के दौरान पीलिया के रोगियों की कुल संख्या ४४०८२ थी। उनमें से ८३२ रोगियों की मृत्यु हुई।

पोलियो

बच्चों को पोलियो निरोधी टीके लगाने के व्यापक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों को पोलियो के टीके सप्लाई करने की व्यवस्था की गई है। इस सप्लाई से राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश रोग निरोधी टीके लगाने के इस कार्यक्रम को और अधिक गांवों तक पहुँचा सकेंगे।

पोलियो एक भयंकर रोग है जिसके पंजे में फंस जाने पर बच्चा पूरे जीवन के लिए विकलाँग बन जाता है। बच्चों को सही आयु में दवाई की तीन खुराक पिलाने पर पोलियो से बचा जा सकता है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के दौरान कुछ राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों, नगर निगमों और स्वयंसेवी संगठनों ने बड़े-बड़े शहरों में पोलियो निरोधी टीके लगाने का कार्यक्रम चलाया। लेकिन राज्यों को इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई थी। अब केन्द्र सरकार द्वारा पोलियो निरोधी टीके की सप्लाई से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण इस कार्यक्रम को जिला शहरों तक ले जा सकेंगे। जिन स्थानों पर पोलियो का प्रकोप अधिक है वहाँ पोलियो का टीका सबसे पहले लगाया जाएगा। आरम्भ में यह सुविधा कस्बों में मुहैया करने और १९७९-८० के दौरान १५ लाख अतिरिक्त बच्चों को टीके लगाने का प्रस्ताव है। केन्द्र सरकार चालू वर्ष में लगभग २५ लाख रु० मूल्य के ५० लाख टीके सप्लाई करेगी। यह सप्लाई स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से प्राप्त टीके के अतिरिक्त होगी और इससे ३७ लाख बच्चे लाभान्वित होंगे।

चेचक से मुक्ति

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यांकन आयोग ने २३ अप्रैल १९७७ को क्षेत्रों में दौरा करने तथा कागजात की जांच करने के बाद भारत को चेचक मुक्त प्रमाणित कर दिया। २५ मई, १९७५ को चेचक के अन्तिम रोगों की सूचना मिलने के बाद चेचक वाले किसी भी रोगी की सूचना नहीं मिली है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

प्राथमिक टीका कार्यक्रम को नवजात बच्चों के बचाव के लिए जारी रखा जा रहा है। आवश्यकतानुसार दुबारा टीका लगाने की व्यवस्था भी करवाई जाती है। १९७८-७९ के दौरान (अप्रैल से अक्तूबर) ७०.२२ लाख प्राथमिक टीके (जनसंख्या का १.२ प्रतिशत) और १६०.३२ लाख टीके लगाये जाने की सूचना मिली है। हमारा देश चेचक की सूखी वैक्सीन की अपनी आवश्यकता के लिए आत्मनिर्भर है। १९७८-७९ (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान चार उत्पादक संस्थानों में चेचक वैक्सीन के २५.७१ लाख एम्प्यूल तैयार किये गये।

नेत्र रोग

देश में लगभग साढ़े चार करोड़ लोग आंखों की बीमारियों से पीड़ित हैं। लगभग ढाई लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी दृष्टि कुपोषण, भेंगेपन और आंख की चोट लग जाने से जाती रही है। सरकार ने आंखों की बीमारियों और दृष्टिहीनता पर नियन्त्रण के लिए १९७७ में राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरु किया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों को, विशेषकर दूरदराज के इलाकों में रहने वाले पिछड़े वर्गों के लोगों को शीघ्र उपचार की सुविधा देने की व्यवस्था है। लोगों को तत्काल सहायता पहुँचाने के लिए ८५ चलते-फिरते यूनिट स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक यूनिट एक-दूसरे से जुड़े हुए पांच जिलों में कार्य करता है। ये केवल मोतिया-बिन्द नेत्र शिविर के तौर पर ही नहीं, आंखों की व्यापक देखभाल का कार्य करेंगे। देश में अंधेपन को दूर करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों या निजी डाक्टरों द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक आपरेशन पर सरकार ४० रुपये की सहायता देगी।

पूरे देश में ८० इकाइयों की स्थापना की जायेगी जो गांव-गांव जाकर अंधेपन को दूर करने वाले आपरेशन करेगी।

देश में लगभग ९० लाख व्यक्ति इस समय नेत्रहीन हैं। देशव्यापी स्तर पर १२ लाख लोग प्रति वर्ष अंधेपन के शिकार होते हैं।

कुष्ठ रोग

कुष्ठ रोग भारत में स्वास्थ्य की एक मुख्य समस्या बना हुआ है। लगभग ३७ करोड़ २० लाख (१९७१ की जनगणना) जनसंख्या कुष्ठ रोग से प्रभावित क्षेत्रों में रहती है। भारत में अनुमानित ३२ लाख कुष्ठ रोगियों में से लगभग २०-२५ प्रतिशत रोगी संक्र-मण-युक्त हैं और लगभग २५ से ३० प्रतिशत रोगी शारीरिक रूप से विकलांग हैं। लगभग ४ लाख रोगी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से विस्थापित हैं और लगभग २ लाख रोगी भिखारी बन गए हैं। लगभग १५ प्रतिशत रोगी बच्चे हैं जिनकी आयु १४ वर्ष तक है।

मानसिक रोग

इस समय देश में ३८ मानसिक रोग अस्पताल हैं और इन मानसिक रोग अस्पतालों में रोगियों के लिए उपलब्ध पलंगों की संख्या २०,००० है। मानसिक रोगों के उपचार की सुविधाएँ सभी मेडिकल कालेजों में भी उपलब्ध हैं। चौथी योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में २३ मनोरोग चिकित्सा क्लीनिक खोले गए। मूल पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में मेडिकल कालेजों में मनोरोग चिकित्सा क्लीनिक खोलने के लिए एक करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। पांचवीं योजना की अवधि में २२ मनोरोग चिकित्सा क्लीनिक

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

खोलने के लिए अनेक राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता दी गई। १६७८-७६ में पांच और क्लिनिक खोले गये।

राष्ट्रीय हैजा नियंत्रण कार्यक्रम

भारत में हैजा पहले एक भयानक रोग था किन्तु वर्ष १६७८ में कुछ राज्यों को छोड़कर इसकी घटनाओं और इसके कारण होने वाली मौतों में काफी कमी आ गयी है। वर्ष भर का पूरा लक्ष्य १२ हैजा नियंत्रण दल बनाना था। अब तक ८ गठित किये गये हैं। ३ आंध्र प्रदेश में और ५ उत्तर प्रदेश में। आशा है कि इस वर्ष दो दल और गठित किये जायेंगे। वर्ष १६७६-८० में ३० लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में देश के जिन जिलों में हैजा अधिक फैलता है उनमें ६० दलों को गठित करने का लक्ष्य रखा गया था।

कैंसर

इस समय ५४ जनरल अस्पतालों में सर्जरी, विकिरण चिकित्सा तथा रसायन चिकित्सा आदि द्वारा कैंसर के इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। पांचवीं योजना के दौरान मेडिकल कालेज अस्पतालों तथा आवश्यक जिला शिक्षण अस्पतालों में कोबाल्ट बीम सहित विकिरण चिकित्सा एककों की व्यवस्था करके इलाज की सुविधायें बढ़ाने का विचार है। कैंसर मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर उच्चतर स्तर का अधिक गहन कैंसर अनुसंधान करने के लिए देश के मौजूदा ७ कैंसर संस्थानों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र बनाने का विचार है। इस उद्देश्य के लिए छठी योजना में ३ करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त कैंसर मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के परिणाम-स्वरूप यह निर्णय किया गया है कि तीन क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान और उपचार केन्द्र खोल दिये जायें। एक केन्द्र रोटेर कैंसर अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में उत्तरी क्षेत्र के लिए, दूसरा केन्द्र कैंसर संस्थान मद्रास में दक्षिणी क्षेत्रों और तीसरा केन्द्र चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता में पूर्वी क्षेत्र के लिए खोला जायेगा। गोरखपुर में प्रख्यात धार्मिक नेता श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार की स्मृति में कैंसर अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है।

भारतीय चिकित्सा पद्धतियां

देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करने के लिए भारत सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध की भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता दे दी है। पंचवर्षीय योजनाओं में धन के आवंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास में भी उन्नति हो रही है। छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से सम्बन्धित केन्द्रीय योजनाओं के लिए ६३१.०० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के स्नातकोत्तर/प्रशिक्षण

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

और अनुसंधान विभागों का दर्जा बढ़ाने तथा फार्मेसियों और जड़ी-बूटी-उद्यानों का विकास करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत १६७.०० लाख रुपये की धनराशि भी मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग पद्धति का विकास करने के लिए भी उपाय किए गए हैं।

स्नातकोत्तर संस्थान

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर में चल रहे दो पूर्णविकसित आयुर्वेद स्नातकोत्तर संस्थानों के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों में प्रशिक्षण देने तथा अनुसंधान करने के लिए १५ आयुर्वेद स्नातकोत्तर विभाग, दो यूनानी स्नातकोत्तर विभाग और दो सिद्ध स्नातकोत्तर विभाग खुले हुए हैं। इन संस्थानों/विभागों पर होने वाला सारा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इन संस्थानों तथा विभागों से प्रतिवर्ष लगभग ५० स्नातकोत्तर छात्र अपना शिक्षण प्राप्त कर निकलते हैं। ये छात्र इन चिकित्सा पद्धतियों के विभिन्न विषयों में विशेषता प्राप्त करते हैं। इन पद्धतियों के दो और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा अनुसंधान विभागों का निकट भविष्य में दर्जा बढ़ाने का विचार है।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

भारत सरकार ने १६७१ में संसद में पारित एक अधिनियम द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद की स्थापना की थी। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य इन चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षा का एक समान मानक तैयार करना है। इस परिषद ने आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक पहले ही निर्धारित कर लिये हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति के सभी कालेजों में इन मानकों को शीघ्र ही लागू कर दिया जायेगा।

अनुदान

भारत सरकार ने स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे भारतीय चिकित्सा पद्धति के १७ स्नातक-पूर्व कालेजों को भवन निर्माण करने और उपकरण आदि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग ४७.०० लाख रु० की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।

एलोपैथिक चिकित्सा-प्रणाली की शिक्षा देने वाले मेडिकल कालेज

प्रदेश	स्थान [मेडिकल]	स्थान [दन्त]
आंध्र	विशाखापत्तनम गुण्टूर, कुरनूल, काकीनाड हैंदराबाद २ (गांधी व उस्मानियाँ)	वारंगल, तिरुपति, हैदराबाद
असम	डिब्रूगढ़, गोहाटी, सिलचर	
बिहार	पटना, दरभंगा, रांची, जमशेदपुर	पटना
गुजरात	अहमदाबाद २ (बी० जी० व म्युनिसिपल) वड़ौदा, जामनगर, सूरत	अहमदाबाद

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर	
केरल	त्रिवेन्द्रम, कोट्टयम, अलेप्पी, कालीकट	त्रिवेन्द्रम
मध्यप्रदेश	ग्वालियर, भोपाल, रीवां, इन्दौर, रायपुर, जवलपुर	
तमिलनाडु	मद्रास २ (मेडिकल, स्टेनले मेडिकल), वेल्लोर, मदुरई, किलपाक	मद्रास
महाराष्ट्र	बम्बई ३ (ग्राण्ट, जी० एस०, टी० एन०), पूना २ (बी० आई०, आर्म्ड फोर्सेज), नागपुर हास्पिटल, औरंगाबाद, मिरज, शोलापुर, नागपुर २	बम्बई २
कर्नाटक	मणिपाल, (मंगलौर), बंगलौर, हुबली, गुलवर्ग, बेलगांव	बंगलौर, मणिपाल, मंगलौर
उड़ीसा	कटक, बुढ़िया (सम्बलपुर), बहरामपुर	
पंजाब	अमृतसर, पटियाला, लुधियाना २; (क्रिश्चियन, दयानन्द)	अमृतसर
हरियाणा	रोहतक	
राजस्थान	जयपुर, उदयपुर	
उत्तर प्रदेश	लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी २ (कालेज आफ मेडिकल साइन्स व हिन्दू विश्वविद्यालय), इलाहाबाद, अलीगढ़ मेरठ, गोरखपुर	लखनऊ
प० बंगाल	कलकत्ता ४ (मेडिकल आर० जी० कार, कलकत्ता इंस्टीट्यूट, नीलरतन, सरकार) बांकुड़ा	
दिल्ली	नई दिल्ली ३ (लेडी हार्डिग, ए० आई० आई० एम० एस०, मौलाना आजाद)	
गोवा	पंजिम	
पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी	
हिमाचल प्रदेश	शिमला	

आयुर्वेदिक महाविद्यालय

आयुर्वेद (भारतीय भेषज) की शिक्षा देने वाले विद्यालय देश-भर में फैले हुए हैं। यहां उन आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के स्थान दिए जा रहे हैं, जिनको सरकारी मान्यता किसी-न-किसी रूप में प्राप्त है।

आन्ध्र : हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुण्टूर, वारंगल।

असम : शलकुवाड़ी (गोहाटी)

बिहार : पटना, मधुबनी, बेगूसराय, भागलपुर, मोतीहारी (चम्पारन)

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

गुजरात	: सूरत, बड़ौदा, नाडियाद, जामनगर, भावनगर, उत्तराखण्ड, अहमदाबाद।
जम्मू-कश्मीर	: श्रीनगर।
केरल	: त्रिवेन्द्रम, त्रिपपुनीहूटा, शोरनपुर २, कोट्टवल, माधव, कुन्नूर।
मध्य प्रदेश	: रायपुर २, ग्वालियर, इन्दौर २, उज्जैन, बुरहानपुर, रीवाँ, जबलपुर।
महाराष्ट्र	: बम्बई, नांदेड, पुणे, अहमदनगर, नागपुर, नासिक, अमरावती, अकोला, जालना, सतारा, सांगली।
तमिलनाडु	: मलयपुर (मद्रास)।
कर्नाटक	: मैसूर, बीजापुर, हुबली, बेलगांव, बेल्लारी, उदमी, कुशतगी, बंगलौर, बंडकेहल, गडग, नारंगा।
उड़ीसा	: पुरी।
पंजाब	: पटियाला, जालंधर, बरनाला।
हरियाणा	: रोहतक।
राजस्थान	: जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, सरदारशहर, पिलानी, सीकर।
उत्तर प्रदेश	: लखनऊ २, वाराणसी ३, पीलीभीत, हरिद्वार, झांसी, मेरठ, देहरादून, बाँदा, मथुरा २, चमोली (उत्तराखंड), कानपुर, बरेली।
पश्चिम बंगाल	: कलकत्ता ३।
दिल्ली	: दिल्ली २।

तिब्बिया कालेज

हैदराबाद, पटना, दिल्ली, श्रीनगर, लखनऊ, इलाहाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, वाराणसी।

स्वास्थ्य योजनाएँ

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए अस्थाई रूप से ७९६.००० करोड़ रुपये के परिव्यय का आवंटन किया गया था जिसे संशोधित करके ६८१.६६ करोड़ रुपए कर दिया गया। इसमें से ३३५.८३ करोड़ रुपये सेन्ट्रल सेक्टर के लिए आवंटित किये गए हैं। सेन्ट्रल सेक्टर के अन्तर्गत संशोधित पांचवीं योजना के ३३५.८३ करोड़ रुपये के परिव्यय को बढ़ाकर बाद में ३९०.२५ करोड़ रुपये कर दिया गया ताकि चुनिन्दा क्षेत्रों में मलेरिया की रोकथाम करने और नई ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को कार्यरूप देने के लिए संशोधित नीति लागू की जा सके।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कृषि

भारत की गणना प्रमुख कृषि-प्रधान देशों में की जाती है। भारत की राष्ट्रीय आय में खेती का भाग सबसे बड़ा है। यह ५० प्रतिशत आय देती है। ७० प्रतिशत व्यक्ति आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर हैं। खाद्यान्न के मामले में अभी हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाये हैं। मूँगफली और चाय की पैदावार में भारत विश्व में प्रथम, लाख की पैदावार में एकाधिकार व चावल-जूट, गन्ना, राई-तिल आदि में उसका द्वितीय स्थान है।

प्रमुख फसलें

भारत में फसलों की दो मौसम मुख्य हैं। एक खरीफ की फसल दूसरी रबी की। खरीफ की फसल साधारणतः दशहरे के बाद दीपावली तक कट कर घर में पहुंच जाती है। रबी की फसल वैसाख के एक पखवाड़े के बाद कटकर बाजार में पहुँच जाती है। खरीफ की फसलें धान, ज्वार, बाजरा, मकई, कपास, गन्ना, तिल, मूँगफली, दालें हैं। रबी की मुख्य फसलें हैं, गेहूं, चना, जौ, राई और सरसों।

कृषि उपलब्धियों का कीर्तिमान

देश में अनाज उत्पादन के क्षेत्र में एक क्रान्ति आ चुकी है। पिछले तीन-चार वर्षों के दौरान अनाज का रिकार्ड उत्पादन, अधिकांश क्षेत्रों में इसकी सुलभता और इसके मूल्यों में स्थिरता इस वास्तविकता के निश्चित प्रमाण हैं।

वर्ष १९७८-७९ के दौरान अनाज का उत्पादन कुल मिलाकर १३ करोड़ ५ लाख मी० टन होने का अनुमान है जो कि इससे पिछले वर्ष की १२ करोड़ ५६ लाख मी० टन की रिकार्ड फसल से लगभग ५० लाख टन अधिक है। इस प्रकार अनाज उत्पादन की दृष्टि से हमने लगातार दूसरे वर्ष नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

नीचे दिये गए आंकड़ों से पिछले चार वर्षों के दौरान अनाज उत्पादन की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है—

फसल	उत्पादन (लाख मीट्रिक टनों में)			
	१९७५-७६	१९७६-७७	१९७७-७८	१९७८-७९
चावल	४८७.४	४१९.२	५२६.७	५३७.९
गेहूँ	२८८.५	२९०.१	३१३.३	३४७.०
मोटा अनाज	३०४.०	२८८.८	२९८.०	३००.०
दलहन	१३०.४	११३.६	११८.०	१२०.१
कुल	१२१०.३	११११.७	१२५६.०	१३०५.०

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

गेहूं

अनाज के उत्पादन में हुई रिकार्ड वृद्धि में गेहूँ का योगदान सर्वाधिक रहा। १९७८-७९ में गेहूँ की उपज ३ करोड़ ४७ लाख मी० टन हुई जो पिछले वर्ष की रिकार्ड फसल से ३० लाख मी० टन से अधिक है। यह उल्लेखनीय है कि अब पश्चिम बंगाल, गुजरात व महाराष्ट्र जैसे गैर-गेहूँ उत्पादक राज्यों में भी गेहूँ की खेती की जा रही है। इस वर्ष गेहूँ की पैदावार में पंजाब और हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश ने भी काफी योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष एक करोड़ १२ लाख ३० हजार मी० टन गेहूँ पैदा होने की आशा है जो पिछले वर्ष के मुकाबले १७ लाख २० हजार मी० टन अधिक है। पंजाब में गेहूँ की पैदावार ७४ लाख मी० टन और हरियाणा में ३५ लाख टन होने की आशा है जो इन राज्यों के पिछले वर्ष के उत्पादन से क्रमशः लगभग ८ लाख मी० टन और लगभग ६ लाख मी० टन अधिक है।

चावल

गेहूँ की तरह चावल की स्थिति भी उत्साहवर्धक है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार १९७८-७९ में चावल का उत्पादन ५ करोड़ ३७ लाख ९० हजार मी० टन हुआ है जो पिछले वर्ष के रिकार्ड उत्पादन से ११ लाख मी० टन अधिक है। इस वर्ष चावल की उपज में जो वृद्धि हुई है उसमें आंध्र प्रदेश का विशेष योगदान है। यहाँ लगभग २० लाख मी० टन चावल पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश (७.५ लाख मी० टन), पंजाब (लगभग ३.४ लाख मी० टन), हरियाणा (लगभग २.८ लाख मी० टन), जैसे अभी तक गैर चावल उत्पादक राज्यों का भी चावल की उपज में हुई वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान रहा। इसलिए पश्चिम बंगाल में करीब १२ लाख मी० टन और मध्य प्रदेश में ९ लाख मी० टन की कमी होने के बावजूद चावल की पैदावार में कुल मिलाकर वृद्धि रही।

मोटा अनाज

मोटे अनाजों के उत्पादन में यद्यपि इस वर्ष खास वृद्धि नहीं हुई लेकिन यह उत्पादन लगभग ३ करोड़ मी० टन रहा। अनाज की कुल पैदावार में इनका भी उल्लेखनीय योगदान रहा। दालों का उत्पादन १९७८-७९ में लगभग १ करोड़ २० लाख १० हजार मी० टन हुआ है जो पिछले वर्ष १ करोड़ १८ लाख मी० टन था। दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक विशेष बहुमुखी अभियान चलाया जा रहा है।

गन्ना

१९७८-७९ में गन्ने के अखिल भारतीय अनुमान के अनुसार गन्ने की खेती ४०.०३ लाख हैक्टर क्षेत्र में की गई, जबकि १९७७-७८ में इसकी खेती ३९.६० लाख हैक्टर क्षेत्र में की गई थी। इस प्रकार इसके क्षेत्र में ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा में क्षेत्र में वृद्धि होने की सूचना मिली है और फसल की स्थिति भी सामान्यतः सन्तोषजनक है। १९७८-७९ के दौरान १८ करोड़ मी० टन गन्ने का रिकार्ड उत्पादन हुआ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

तिलहन

१९७९-८० के लिए ११७ लाख मी० टन तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सम्भावनाएँ बहुत अच्छी हैं। वर्ष के दौरान तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएँ चालू थीं। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण फसल के लिए पैकेज दृष्टिकोण अपनाने, बेहतर किस्म के बीजों, उर्वरकों का प्रयोग करने, वनस्पति रक्षण उपाय अपनाने, तिलहनों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने और चुने हुए राज्यों में जहाँ उत्पादन में टेक्नोलोजी का अच्छा विकास हो गया है, खेती की उन्नत पद्धतियों को बढ़ावा देने के उपायों से प्रति हैक्टर उत्पादकता में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था।

पटसन

देश भर के अन्तिम अनुमानों के अनुसार वर्ष १९७९-८० के दौरान पटसन का उत्पादन १८० कि० ग्राम वाली ५९ लाख गांठें होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें गत वर्ष के स्तर की तुलना में २० प्रतिशत की पुनः वृद्धि हुई है। आशा की जाती है कि पटसन और मेस्ता का मिश्रित उत्पादन चालू वर्ष के दौरान निर्धारित किए गए ७० लाख गांठों के लक्ष्य से अधिक होगा। जूट की उपज में भी वृद्धि होने की आशा है। कपास का उत्पादन गत वर्ष के स्तर पर रहने की संभावना है जबकि तिलहनों के उत्पादन में कमी हो सकती है।

बागवानी और बागान फसलें

आम, अनन्नास और नींबू जातीय फल पैदा करने वाले राज्यों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित पैकेज कार्यक्रमों की मंजूरी दी गई। अधिक घने पौधों की नई टेक्नोलोजी अपनाते हुए सघन विकास उपायों के जरिए इन फलों की उत्पादकता बढ़ाने की नीति अपनाई जाती है। केला, सेब और अखरोट की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलती रहीं।

इस संशोधन में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का उपबन्ध किया गया है। ये अधिकरण बहुत से विषयों के बारे में निर्णय लिया करेंगे। इनके निर्णयों की अपील केवल उच्चतम न्यायालय में हो सकेगी।

ट्रैक्टर

देश में ट्रैक्टरों का उत्पादन वर्ष १९७७ के ३६,११२ से बढ़कर वर्ष १९७८-७९ में ३९,२२० हो गया है। वर्ष १९७९-८० (फरवरी, १९७९ तक) के दौरान ३६,१२० ट्रैक्टरों का उत्पादन किया गया। देश में ट्रैक्टर उत्पादन के लिए कुल लाइसेंस युक्त क्षमता १.३९ लाख युनिट है। अनुमानित माँग और उत्पादन में कुछ अन्तर है और आशा है कि यह उद्योग ट्रैक्टरों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में हो जायेगा।

नई मशीन

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के फार्म, बिजली और मशीनरी विभाग के एक अनुसंधान इंजीनियर ने १९७८ के दौरान एक नई मशीन तैयार की है जो खेती में खाद डालने और बीज बोने तथा पौधे लगाने का काम करती है। यह मशीन ट्रैक्टरों की सहायता से चलती है। खरीफ की बुआई के चालू मौसम में इस मशीन का सफल परीक्षण किया गया है। इस मशीन से बिना किसी खराबी के लगभग ६५ एकड़ भूमि पर खरीफ की विभिन्न

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

फसलों जैसे रुई, मूंगफली, मक्की, भिण्डी सोयाबीन और अरहर की वास्तविक रूप से बुआई की गई है।

यह मशीन रबी और खरीफ दोनों फसलों की बुआई कर सकती है और बुआई के साथ-साथ खाद डालने का काम भी करती है। यह २० अथवा अधिक हार्सपावर के ट्रैक्टर द्वारा चलाई जा सकती है और यह गेहूँ की नौ पंक्तियाँ, मूंगफली की छः पंक्तियाँ, मक्की, रुई और अरहर की तीन-तीन पंक्तियाँ, भिंडी, सोयाबीन और मटर की तीन-चार पंक्तियाँ बो सकती है। यह मशीन एक घंटे में एक एकड़ भूमि की बुआई करती है।

बीज

वर्ष १९७८-७९ के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम ने ४२१ मीटरी टन आधारी बीज और ५७.१३ मीटरी टन प्रमाणित बीजों का सुरक्षित स्टाक बनाया है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष १९७७-७८ के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम ने २२.०७ करोड़ रुपये की सभी फसलों के प्रमाणित बीजों का एक रिकार्ड विक्रय किया है।

राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा पंजाब में पहले ही चार राज्य बीज निगम स्थापित कर दिए गए हैं। प्रतिवर्ष २०,०००-२०,००० मीटरी टन की क्षमता वाले दो उच्च क्षमता के संसाधन संयन्त्र सूरतगढ़ तथा मिर्जापुर में केन्द्रीय राज्य फार्मों पर स्थापित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बीज निगम के संसाधन संयन्त्रों को भी एक चरणबद्ध तरीके से इन निगमों को सौंपा जा रहा है। पांचवीं योजना के अन्त तक छः और राज्य बीज निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे इनकी संख्या दस हो जाएगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समन्वित डेयरी विकास परियोजना के रूप में चलाए जा रहे आपरेशन फ्लड चरण-२ के द्वारा गांवों के लगभग एक करोड़ दुग्ध-उत्पादक परिवार लाभान्वित होंगे। इस परियोजना पर १९७८-८५ के दौरान ४८३.६७ करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। इसके अन्तर्गत १५५ जिलों के २५ दुग्ध शेड क्षेत्र शामिल होंगे। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय दूध ग्रिड के माध्यम से दुग्ध शेड क्षेत्रों का एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले १४८ शहरों से सम्पर्क स्थापित हो सकेगा।

वर्ष के दौरान पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएँ शुरू की गई हैं। इनमें मुख्य ग्रामीण योजनाएँ, सघन पशु विकास परियोजनाएँ, केन्द्रीय एवं राज्य पशु-प्रजनन फार्म, विदेशी पशु प्रजनन फार्म स्थापित करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ, विदेशी सहायता प्राप्त पशु प्रजनन परियोजनाएँ और व्यापक संकर प्रजनन कार्यक्रम तथा प्रशीतित पशु वीर्य बैंक स्थापना परियोजना आदि शामिल हैं।

भूमि सुधार

ग्रामीण समाज के समग्र रूप से सामाजिक तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से भूमि सुधार का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भूमि सुधार की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य व्यापक परिधि में काश्तकारों को भूमि के स्वामित्व के अधिकार, काश्त को सुरक्षा प्रदान करना और

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

लगान को निर्धारित करना है। लगभग सारे देश में ही जमींदारों, जागीरदारों और बिचौलियों का उन्मूलन कर दिया गया है। अब केवल देश के कुछ-एक छुटपुट क्षेत्रों में ही कुछ छोटी किस्म के बिचौलिए बच गए हैं और इनके उन्मूलन की दिशा में भी कार्यवाही की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप लगभग २ करोड़ काश्तकारों का राज्य के साथ सीधा संबंध हो गया है। लगभग सभी राज्यों ने राष्ट्रीय नीति के दायरे में रहते हुए ऐसे कानून पास किये हैं जिसमें काश्तकारों का लगान निर्धारित कर दिया गया है। अधिकांश राज्यों में काश्तकारों की बेदखली के सम्बन्ध में कानून हैं। भूमि सुधार और खासकर फालतू भूमि किसानों में बांटने की दिशा में कदम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है उन्हें आवास के लिए भूमि बांटने का काम काफी तेज कर दिया गया है। भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी संशोधित कानूनों के अन्तर्गत अब तक ११.७ लाख मामले पड़ताल करके निपटा दिए गए हैं। इस तरह से १५ लाख हैक्टर से अधिक भूमि फालतू घोषित की गई है। इससे पहले संशोधित किए जाने से पूर्व लागू जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के जरिए लगभग ८.१ लाख हैक्टर भूमि १०.६ लाख परिवारों को बांटी गई थी। यह फालतू भूमि पाने वाले व्यक्तियों को भूमि के विकास और उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी सहायता दी जा रही है। बेघर लोगों को आवास के लिए भूमि बांटने का काम भी बड़े पैमाने पर हाथ में लिया गया है। घर बनाने के लिए उन्हें समुचित सहायता देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। कई राज्यों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तित्वों की भूमि अनधिकृत अन्तरण को रोकने के लिए व्यापक क़ानून बनाए हैं और गैर-कानूनी ढंग से अन्तरित भूमि उन्हें बहाल करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को साहुकारों और सूदखोर व्यापारियों के चंगुल से बचाने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं।

उर्वरक

उर्वरक उद्योग में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति जारी रही। इस वर्ष के दौरान नाइट्रोजन का उत्पादन २२ लाख मीटरी टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष १९७७-७८ के उत्पादन से २ लाख मीटरी टन अधिक है। १९७८-७९ में ओ ५ पी २ के रूप में फास्फेट युक्त उर्वरकों का उत्पादन ६.९ लाख मीटरी टन होने का अनुमान है जबकि यह १९७७-७८ में ४.८० लाख मीटरी टन हुआ था। इस वर्ष नाइट्राजन तथा पी० ओ० ५ के उत्पादन में वृद्धि होने से आयात पर निर्भरता कम होने के अतिरिक्त करीब १०० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी बचेगी। विभिन्न प्रयोजनाओं के कार्यान्वियन की प्रगति भी संतोषजनक रही। इंधन तेल पर आधारित प्रथम संयंत्र नंगल विस्तार ने जनवरी १९७८ से परीक्षण उत्पादन आरम्भ किया।

सरकार इस बात के लिए निरन्तर प्रयत्न करती है कि किसानों को उचित मूल्यों पर उर्वरक की सप्लाई सुनिश्चित की जाए और साथ ही साथ निवेशकों को उचित प्रति प्राप्ति भी हो।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

समर्थन मूल्यों में वृद्धि

अनाज व दालों की पैदावार को बढ़ावा देने व किसानों को उनके परिश्रम का समुचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने गेहूं, चना, अरहर, मूँग आदि अनेक फसलों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि करने की घोषणा की है। उड़द का समर्थन मूल्य भी निर्धारित किया गया है। सरकार किसानों से इन मूल्यों पर कितनी ही मात्रा में अनाज खरीदने के लिए तैयार रहती है। किसान बिचौलियों के ऊपर निर्भर न करके सीधे ही सरकारी ऐजेन्सियों को अपनी फसल बेच सकते हैं।

आधुनिक तकनीकी

देश में उपलब्ध तकनीकों से ही उत्पादन छः गुना बढ़ सकता है। इसलिए नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने दो चरणों के एक कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। प्रशिक्षण और मुलाकात के पहले चरण में शोधकर्ता वैज्ञानिक विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हैं। भारतीय किसान ने खेती के आधुनिक तरीकों को तेजी से अपनाकर इस धारणा को गलत साबित कर दिया है कि वह नवीनतम तकनीकों को अपनाने से कतराता है।

ऋण

गत वर्ष के २०५६ करोड़ रु० की तुलना में जून, १९७८ को समाप्त वर्ष में कुल मिलाकर किसानों को २३६० करोड़ रु० के संस्थागत ऋण उपलब्ध कराए गए। इसमें १५८० करोड़ रु० के अल्पावधि ऋण तथा ७८० करोड़ रु० के माध्यम तथा दीर्घावधि ऋण थे।

अनाज उत्पादन के क्षेत्र में मिली इस उत्साहजनक सफलता से देश को अभाव के उस जाल से मुक्ति मिल गई है जिसने आयोजकों और प्रशासकों को पिछले तीस वर्षों से परेशान कर रखा था। देश पहली बार विश्वास के साथ यह दावा कर सकता है कि अब अनाज उत्पादन मानसून की दशा पर निर्भर नहीं रहेगा।

आज सारे देश में खुलेआम अनाज उपलब्ध है। १९७८ के अन्त में सरकार के पास खाद्यान्नों का कुल मिलाकर १७४ लाख मी० टन का बफर और परिचालन स्टाक था। अतिरिक्त अनाज का उपयोग 'काम के बदले अनाज' जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों को सुचारु रूप से चलाने में किया जा रहा है।

आयात की जगह निर्यात

तीन-चार वर्ष पहले तक हमें अनाज की, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से अरबों रु० मूल्य के अनाज का आयात करना पड़ता था। आज देश में अनाज का पर्याप्त उत्पादन होने से यह स्थिति बिल्कुल उलट गई है। आज हम न केवल अनाज का आयात बन्द करके बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत कर रहे हैं बल्कि अनेक देशों को इसका निर्यात भी कर रहे हैं। भारत से पाकिस्तान, बंगलादेश, वियतनाम, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और मारीशस को गेहूं, गेहूँ का आटा व चावल निर्यात किया जाएगा।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सिंचाई और बिजली

हमने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में जिस आर्थिक विकास की कल्पना की है, वह इस बात पर निर्भर है कि हम अपने कृषि उत्पादन में, खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों दोनों में, निरन्तर वृद्धि करें। महत्व केवल इस बात का नहीं है कि खाद्य-उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाय, अपितु महत्व इस बात का भी है कि कृषि-उपजों के निर्यात से अधिकाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाय। सिंचाई परियोजनाएं ग्रामीण जनता और प्रशिक्षित तकनीकी व्यक्तियों को लाभदायक रोजगार देने के भी अवसर प्रदान करती हैं।

जलस्रोत—देश में सतही जलस्रोत १६८० लाख हैक्टेयर है। इसमें से ५६० लाख हैक्टेयर पानी का उपयोग सिंचाई के लिए होता है। देश की १६२५ लाख हैक्टेयर कृषि भूमि में ६०० लाख हैक्टेयर भूमि को ही इस समय सिंचाई का लाभ प्राप्त है।

विभिन्न योजना अवधियों के दौरान सिंचाई शक्यता के विकास तथा तदनुसार वित्तीय परिव्ययों का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया जाता है :—

अवधि	परिव्यय (करोड़ रुपये)	निर्मित सिंचाई शक्यता (मिलियन हैक्टेयर में)
योजनापूर्व	उपलब्ध नहीं	९.७
प्रथम योजना (१९५१-५६)	३८०	१२.२
द्वितीय योजना (१९५६-६१)	३८०	१४.३
तृतीय योजना (१९६१-६६)	५७६	१६.६
चतुर्थ योजना (१९६९-७४)	१२५४	२०.९
पांचवीं योजना (१९७४-७९)	३८५	२१.७

मार्च १९७९ के अन्त तक देश में वृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई स्कीमों से लगभग ५५ मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सरकार की नीति सिंचाई विकास को उच्चतम प्राथमिकता देना रही है। देश में इस समय अन्ततः सिंचाई क्षमता ११३.३० मिलियन हैक्टेयर मूल्यांकित की गई है। आयोजित विकास के आरम्भ होने पर २२.६ मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत था। पांचवी योजना (१९७७-७८) के अन्त तक यह बढ़कर लगभग ५२.२ मिलियन हैक्टेयर हो गया। पंचवर्षीय योजना मसौदे (१९७८-८३) में १७ मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन परिकल्पित है। हमारा प्रयास अगले १५ से २० वर्षों में पूर्ण क्षमता का विकास करना होगा।

विश्व के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग पांचवाँ भाग भारत में है। भारत में उपयोग में लाए जा सकने वाले कुल जल-संसाधनों से अन्ततः १० करोड़ ७० लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता पैदा की जा सकती है। इस प्रकार अब तक जो सफलता प्राप्त की गई है उसका अर्थ यह है कि वह अन्ततः सृजित की जाने वाली शक्तियों का केवल ४६ प्रतिशत भाग है। इस प्रकार काफी सफलता प्राप्त करने के बावजूद, हमें उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण विकास के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी काफी लम्बा मार्ग तय करना है।

सिंचाई चार्ट

लाख हैक्टेयर में

कुल क्षमता	१९७३-७४ तक	पाँच सालों में वृद्धि (कालम ४ औंर ६ का अंतर)	१९७७-७८ तक	४ सालों में वृद्धि (कालम ४ और ६ का अंतर)	केवल १९७७-७८ में वृद्धि	१९७८-८३ के लिए वृद्धि की योजना	१९७८ से ८३ तक
१	२	३	४	५	६	७	८
१. बड़ी, मझली सिंचाई (सतही जल)	२०७	२६	२५०	४३	१४.६	८०	३३०
२. लघु सिंचाई							
(अ) सतही जल	७५	५					
(ब) भूमिगत जल	१६०	४०	२७३	३८	११.४	९०	३६३
कुल योग	४४२	७१	५२३	८१	२६.०	१७०	६९३

१९७८-७९ में ३४ लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंचाई की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। महत्वाकाँक्षी लघु सिंचाई कार्यक्रमों में, जो आजकल लागू किए जा रहे हैं, २,७५,००० कुएं, २,२५,००० निजी नलकूप, ३५,००० गहरे नलकूप और ३,६०,००० बिजली के पंपसेटों की व्यवस्था है। इस कार्य के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की राशि गत वर्ष के २०६ करोड़ रु० से बढ़ाकर

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

२३.५ करोड़ रु० कर दी गई है। इस वर्ष ४०० करोड़ रु० की संस्थागत पूंजी लगाने का विचार है। सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को लघु सिंचाई के विकास के लिए २५ से ३३$\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया है। सिंचाई कार्यनीति का एक संयुक्त लक्ष्य है सिंचाई के साथ-साथ ग्रामीण विद्युतीकरण, ताकि पम्पसेटों को विजली मिल सके।

वर्ष १९७८-७९ के अन्त तक सृजित की गई संभावित सिंचाई क्षमता २७४ लाख हैक्टेयर है, जबकि अनुमानित अन्तिम क्षमता ५५५ लाख हैक्टेयर है। आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान ९० लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है। इस गति से ५५५ लाख हैक्टेयर की अनुमानित अन्तिम क्षमता आगामी १५ वर्षों में पूर्ण किए जाने की सम्भावना है।

बाढ़ नियन्त्रण

वाढ़ की समस्या न केवल सदाबहार है अपितु देश का शायद ही कोई ऐसा भाग होगा जहां मानसून के दिनों में वाढ़ की सम्भावना न हो। गत वर्ष १९७८ में उत्तर प्रदेश में सभी वड़ी नदियों में भीषण वाढ़ आ जाने से करीव दस लाख लोग प्रभावित हुए। कुरुक्षेत्र में मरकन्दा के उफनते रोष ने कई गांव वहा दिए। विहार में गंडक नदी में बाढ़ आ जाने से पश्चिम चम्पारन जिले में हजारों लोगों को अपना घरवार छोड़कर दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी। जम्मू-कश्मीर जैसा क्षेत्र भी वाढ़ के प्रकोप से वच न सका। दक्षिण भारत में भी इसी प्रकार कई क्षेत्र हर वर्ष वाढ़ से प्रभावित होते हैं।

नियोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत १९५४ से देश भर में वाढ़ नियंत्रण उपाय प्रारम्भ किये गए थे। तव से १०८३४ किलोमीटर तटवंधों और १९१६८ किलोमीटर निकास चेनलों का निर्माण हो चुका है। २६१ शहरों को सुरक्षा प्रदान की गई है और ४६९६ गांवों को वाढ़ स्तर से ऊंचा उठाया गया है। इन उपायों से लगभग १ मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र की प्रर्याप्त रूप से सुरक्षा हो गई है।

वाढ़ों की पूर्व सूचना देने और वाढ़ों से होने वाली क्षति का मुकावला करने की दृष्टि से विभिन्न वाढ़ प्रभावित राज्यों में वाढ़ पूर्व सूचना सेवा गठित की गई है। यह सेवा लोगों और चल सम्पत्ति को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने और वाढ़ सुरक्षा उपायों की पर्याप्त रूप से निगरानी करने का प्रवंध करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने तथा अग्रिम रूप में सहायता और वचाव कार्यों का प्रवंध करने के लिए समय पर कार्रवाई करने को सुनिश्चित करेगी।

पिछले वर्ष १९७८ में देश के विभिन्न भागों में आई अभूतपूर्व बाढ़ों के समय से वाढ़ पूर्वसूचना सुविधा को सुदृढ़ किया गया है और इस सुविधा को उन क्षेत्रों तक बढ़ाने के लिए प्रवंध किए जा चुके हैं जो पहले इसके अन्तर्गत नहीं आते थे। वाढ़ नियंत्रण कार्यों के क्रियान्वयन की गति में, विशेषकर भारत-गंगा और ब्रह्मपुत्र वेसिनों में तेजी लाई गई है। वाढ़ नियंत्रण सेक्टर के लिए प्रस्तावित परिव्ययों में पर्याप्त वृद्धि की गई है। १९७७-७८

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

के दौरान रखे गए १०० करोड़ रुपये और १९७८-७९ के लिए रखे गए १२६ करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में १९७९-८० का परिव्यय १४६ करोड़ रुपये है।

केवल इंजीनियरी उपायों को ही नहीं बल्कि भू-संरक्षण, वनरोपण कार्यों को करने के लिए तथा वाटरशेड प्रवंध करने के लिऐ वाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की दिशा में एक वहु-विषयक कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है। यह कार्यक्रम इस उद्देश्य के लिए गठित एक वहु-विषयक कार्यकारी दल की सिफारिशों पर आधारित है। आगामी बाढ़ मौसम के लिए स्थायी उपायों की तैयारी करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए दस बृहद वाढ़ प्रवण राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ वैठक की गई थी।

मौसम विज्ञान संवंधी और जल-वैज्ञानिक पहलुओं के वारे में स्नोप्टिक आंकड़े प्राप्त करने के लिए रिमोट सेन्सिंग और उपग्रह प्रौद्योगिकी (सेटलाइट टेक्नोलोजी) को भी उपयोग में लाने का निर्णय लिया गया है।

गत वर्ष १९७८ में राजधानी दिल्ली व उसके आसपास अभूतपूर्व वाढ़ आने से भारी क्षति पहुंची थी।

नियंत्रण प्रयास

सरकार के बाढ़ नियंत्रण के प्रयत्नों का इतिहास कोई तीन दशक पुराना है। सवसे पहले १९५१ में वाढ़ नियंत्रण के एक विशेष कार्यक्रम के बारे में सोचा गया। उस समय सोचे गये उपायों में से मुख्य वहुउद्देशीय पुलों का निर्माण था। परन्तु वाद में देखा गया कि वाढ़ नियंत्रण के लिए यह उपाय कोई विशेष सफल नहीं रहा। तदुपरान्त बाढ़ नियंत्रण की समस्या सुलझाने के लिए डा० मित्रा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। विभिन्न राज्यों में वाढ़ नियन्त्रण के कार्यक्रमों को समन्वित करने के लिए एक केन्द्रीय वाढ़ नियंत्रण वोर्ड की स्थापना की गयी।

देश के विभिन्न भागों में वाढ़ की समस्या के कारण भिन्न भिन्न हैं। उदाहरण के लिए वाराणसी से आगे गंगा में आकर मिलने वाली नदियों में वाढ़ आने का मुख्य कारण उस क्षेत्र में भूमि का कटाव है। इन नदियों में मुख्य घाघरा, राप्ती और गंडक हैं। इस क्षेत्र में नदियों में वाढ़ की समस्या को रोकने की दिशा में पहला कदम भूमि के कटाव को रोकना है। अन्धा-धुन्ध जंगलों और पेड़ों को काटने से ही भूमि के कटाव की समस्या पैदा होती है। इन क्षेत्रों में पुनः वृक्षारोपण और अन्य उपायों द्वारा सरकार भूमि का कटाव कम करने के लिए प्रयत्नशील है।

हमारे देश में लगभग तीन करोड़ हैक्टेयर भूमि वाढ़ से प्रभावित होती है। बाढ़ से प्रभावित होने वाले सारे क्षेत्र को वाढ़ से बचाना सम्भव नहीं है। इसमें से अव तक लगभग एक चौथाई क्षेत्र में सरकार द्वारा वाढ़ रोकने के विभिन्न उपाय किए गए हैं। शेष क्षेत्र में वाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनायी हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बिजली

देश में विद्युत उत्पादन क्षमता की उपलब्धता के सम्बन्ध में १९७८ में स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक रही तथापि कुछ विद्युत उत्पादन यूनिटों के एक साथ जबरन बंद हो जाने के कारण बिहार और पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों में समय-समय पर भिन्न-भिन्न मात्रा में बिजली की कमी महसूस की जा रही है। गत वर्ष की अपेक्षा १९७८-७९ के पूरे वर्ष में विद्युत उत्पादन १२% अधिक रहा है। वर्तमान वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान विद्युत उत्पादन ५.७% अधिक हुआ परन्तु यह वृद्धि सम्पूर्ण देश में एक समान नहीं हुई है। उदाहरणार्थ उत्तरी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन गत वर्ष की प्रथम तिमाही की अपेक्षा २.१५% कम हुआ।

राज्यों में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए १९७८-७९ के दौरान कई उपाय किए गए हैं।

गत दो वर्षों की अवधि अर्थात १९७७-७८ और १९७८-७९ में नई विद्युत उत्पादन क्षमता में ५००० मे० वाट तक की वृद्धि का होना।

वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम विद्युत उत्पादन करना।

विभिन्न विद्युत प्रणालियों का समेकित प्रचालन जिससे विद्युत का अंतर्राज्यीय अंतरण हो सके।

अल्पावधि में महसूस होने वाली कमी से राहत पाने के लिए गैस टर्बाइन सेटों का प्रतिष्ठापन।

१९७८-८३ की अवधि के दौरान लगभग १८५०० मेगावाट की नई उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि। इसमें से १९७८-७९ के दौरान लगभग ३००० मेगावाट क्षमता चालू की जा चुकी है।

ग्रामों का विद्युतीकरण

देश में ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम में तेजी से प्रगति हुई है। दिसम्बर १९७८ तक देश के कुल ५,७७,००० गांवों में से २,२५,००० गांवों का विद्युतिकरण किया गया था जो ३९ प्रतिशत से अधिक है। जबकि मार्च, १९७७ तक कुल २,०३,००० गांवों का विद्युतिकरण किया गया था।

पंजाब व हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतिकरण किया जा चुका है। केन्द्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चण्डीगढ़ तथा पांडीचेरी के सभी गांवों में बिजली लगाई जा चुकी है।

वर्ष १९७८-८३ के योजना प्रारम्भ में एक लाख गांवों के विद्युतिकरण का प्रस्ताव है। वर्ष १९९४-९५ तक देश के सम्पूर्ण गांवों में पूर्ण विद्युतिकरण किये जाने की आशा है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

पांचवी पंच-वर्षीय योजना में ६८५.३० करोड़ रू० के विपरीत १९७८-८३ के योजना प्रारुप में ग्रामीण विद्युतिकरण के लिये १४५० करोड़ रू० की व्यवस्था की गई है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा तीन अरब रू० की राशि इस कार्यक्रम के लिये उपलब्ध किये जाने की आशा है जो योजना राशि के अतिरिक्त होगी।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतिकरण को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इस नए कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष १९८८ तक प्रत्येक राज्य में कम से कम ५० प्रतिशत गाँवों का विद्युतिकरण करने की व्यवस्था की गई है। इस कार्य के लिए राज्यों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध किये जाते हैं।

सिन्दरी के लिए एक आशाजनक दिगन्त

धुंधलका समाप्त हो चुका है। वह धुंधलका, जो सिन्दरी खाद कारखाने की पुरानी आयु एवं अप्रचलित प्रविधि के कारण था। आधुनिक प्लांटों ने क्षितिज को बदल डाला है और जब शीघ्र ही उत्पादन शुरू हो जाएगा, तब इस कारखाने की वह गतिकता एवं आत्म-विश्वास लौट आएंगे, जो पांचवें और छठे दशक में इसके कार्य संपादन की विशेष बात थी। अमोनिया का उत्पादन प्रतिदिन ९०० मे० टन होगा। उत्पादन का ढांचा होगा : यूरिया-३,३०,००० मे० टन, अमोनिया सल्फेट-३,२०,००० मे० टन तथा ट्रिपुल सुपरफोस्फेट-३,२६,००० मे० टन प्रतिवर्ष तथा इनके अलावा प्रतिवर्ष ९००० मे० टन अमोनियम नाइट्रेट ७२० मे० टन सोडियम हैक्सामेटा फोस्फेट तथा ७५० मे० टन गुआनाडाईन नाइट्रेट बनाए जायेंगे, जिनका कुल मूल्य होगा १२३ करोड़ रुपये।

सिन्दरी यूनिट :
दि फर्टिलाइजर कारपोरेशन
आफ इण्डिया लि०, सिन्दरी
जिला—धनबाद, बिहार

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

परिवहन तथा पर्यटन

वायु परिवहन

पिछले ३२ वर्षों में देश में विज्ञान और टेक्नोलाजी के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई है। लेकिन वायु परिवहन के क्षेत्र में जो असाधारण विकास हुआ है वह कहीं बढ़-चढ़ कर है।

भारत में १९५२ में विमान परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण से लेकर उड़ान के किलोमीटर दुगुने से भी अधिक हो गए हैं और वहन किए गए यात्रियों में छः गुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है। इंडियन एयर लाइंस और एयर इण्डिया इन दोनों कारपोरेशनों द्वारा प्रस्तुत की गई वहन क्षमता पिछले १७ वर्षों में तिगुनी से भी अधिक हो गई हैं।

अनुमानित परिचालन यातायात आंकड़ों से यह पता चलता है कि १९७८ में अनुसूचित सेवाओं ने ९२.१११ घण्टे और ५७६ लाख किलोमीटर की उड़ानें कीं। यातायात आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष के दौरान अनुसूचित सेवाओं ने ३३ लाख यात्री ४७,७११ टन माल और ११.३१७ टन डाक वहन की।

अनुसूचित विमान परिवहन

इन दोनों कारपोरेशनों के अतिरिक्त १३ फ्लाइंग क्लबों, १० विमान परिचालकों के पास, ३१ दिसम्बर १९७८ तक अनुसूचित विमान सेवाओं के परिचालन के लिए परमिट थे।

फ्लाइंग क्लब

१ जनवरी, १९७९ को भारत में २५ उपादान प्राप्त फ्लाइंग क्लब थे। १ जनवरी ७८ से ३१ दिसम्बर १९७८ तक फ्लाइंग क्लबों ने कुल ३०,११२ घटों की उड़ान की तथा फ्लाइंग क्लबों को उपादान एवं आर्थिक सहायता के रूप में ३५ लाख ८२ हजार रुपये प्रदान किए गए।

ग्लाइडिंग क्लब

सरकारी ग्लाइडिंग केन्द्र के भारत में १३ उपादान प्राप्त ग्लाइडिंग क्लब हैं। इस वर्ष (१९७८) इन क्लबों ने २९५२० उड़ानें कीं और इन्हें उपादान एवं आर्थिक सहायता के रूप में ६ लाख ९० हजार रुपये प्रदान किए गए।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

इंडियन एयर लाइंस से १९७८-७९ के दौरान ५३ लाख २० हजार यात्रियों ने यात्रा की जबकि पिछले साल यह संख्या ४३ लाख ७० हजार थी। इस प्रकार गत वर्ष के मुकाबले यात्रियों की संख्या में २१.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष १९८१-८२ में इंडियन एयर लाइंस से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या ७९ लाख १० हजार तक पहुंच जाने की आशा है।

दो वर्ष के दौरान सितम्बर, १९८१ तक एयर लाइन्स के बेड़े में दस जेट, जिनमें से तीन जेट २७८ सीटों वाली एयर बस होंगी, और सात बोइंग विमान और जुड़ जाएंगे। छठी एयर बस इसी वर्ष अक्तूबर में आ जाएगे जबकि तीन बोइंग और दो एयर बस विमान १९८० के मध्य तक आ जाएंगी शेष चार बोइंग विमान सितम्बर, १९८१ तक प्राप्त हो जाएंगे।

इंडियन एयर लाइंस की विदेशी मुद्रा आय भी जो १९७७-७८ में ४१.२३ करोड़ रुपये थी १९७८-७९ में बढ़कर ४६.४४ करोड़ रुपये हो गई।

एयर लाइंस ने १९७८-७९ के दौरान ४४,२०० मी० टन भार ढोया जबकि १९७७-७८ में यह मात्रा ३४,४१४ मी० टन थी। पिछले वर्ष माल की ढुलाई से ११.५६ करोड़ रुपये की आय हुई जबकि १९७७-७८ में इससे ९.४९ करोड़ रुपये की आय अर्जित की गई थी।

विमान पंजीकरण

१ दिसम्बर, १९७८ की समाप्ति पर ६८२ विमानों के पास चालू पंजीकरण प्रमाणपत्र थे और २५२ विमानों के पास चालू उड़ान-योग्यता प्रमाणपत्र थे। पहली जनवरी से ३१ दिसम्बर, १९७८ की अवधि के दौरान २१ नए विमानों का पंजीकरण किया गया जबकि ५ विमानों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया। इसी अवधि के दौरान उड़ान-योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने, नवीयन करने के लिए कुल २९३ विमानों का निरीक्षण किया गया। ३१ दिसम्बर १९७८ को कुल १०७ विमान एरियल कार्य और कृपिगत परिचालनों में लगे हुए थे।

दुर्घटनाएं

३० जून १९७९ को समाप्त हुई पिछली छमाही में पक्षियों से टकराने और पशुओं के कारण निम्नलिखित २ उल्लेखनीय दुर्घटनाएं हुईं :—

रायल नेपाल एयरलाइन्स का बोईंग-७३७ विमान २६ मई, १९७९ को पटना हवाई अड्डे पर उतरने के लिए पहुंचते समय एक पक्षी से टकरा गया। पक्षी की टक्कर से "विंड शील्ड ग्लास पेन" चूर-चूर हो गये और पायलट और सह-पायलट को चोटें आईं।

इंडियन एयरलाइन्स का बोइंग ७३७ विमान वी. टी. ई. डी. एस २२ मई१९७९ को नागपुर हवाई अड्डे पर उतरने के लिए दौड़ता हुआ रन-वे पर ३ गायों से टकरा

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

गया। विमान को काफी नुकसान पहुंचा परन्तु विमान पर सवार १२५ यात्री और ६ विमान कर्मी विना किसी चोट के सकुशल वच गये।

विमान बेड़ा

१ जनवरी १९७९ को इंडियन एयर लाइन्स के विमान-बेड़े की स्थिति निम्न प्रकार थी—

	1-1-१९७९ को
बोइंग ७३७	१७
कैराविल	३
एफ-२७	८
एच. एस.-७४८	१६
वाइकाउण्ट	२
डी. सी.-३ (फ्रेटर) .... (मालवाही)	२
एयर बस ए.-३०० बी. २	३

रेल

भारतीय रेल व्यवस्था आज एशिया की सवसे वड़ी और विश्व की चौथी रेल व्यवस्था है। भारतीय रेलों की लम्बाई ६०,१४९ किलोमीटर है। इसमें से ३०,२२६ किलोमीटर बड़ी लाइन, २५,४९७ किलोमीटर मीटर-लाइन और ४,४७६ किलोमीटर छोटी लाइन हैं। प्रतिदिन १०,८०० रेलें ७० लाख से अधिक यात्री और ५.५ लाख टन सामान लाती-ले जाती हैं और देश-भर में फैले ७,००० से अधिक रेल स्टेशनों से होकर गुजरती हैं।

भारत में पहली रेलगाड़ी १६ अप्रैल १८५३ को ४०० यात्रियों को लेकर वम्वई से थाना के लिए अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर चली। पिछले १२६ वर्षों में न केवल रेल-व्यवस्था का देश के सभी भागों में तेजी से विस्तार हुआ है बल्कि रेल प्रौद्योगिकी का भी उल्लेखनीय विकास हुआ है।

१९४७ में स्वतन्त्रता के बाद देश का आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। इसके कारण रेल परिवहन की माँग तेजी से बढ़ी। यद्यपि शुरू में साज-सामान रेल इंजनों, डिब्बों आदि की कमी के कारण रेलें इस मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं थीं, पर अव देश ने रेल-परिवहन के सभी क्षेत्रों में न केवल आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली है, वल्कि देश अव इस स्थिति में हो गया है कि विकासशील देशों की प्रौद्योगिकी सम्बन्धी जानकारी, रेल-इंजन, चल-स्टाक, रेल उपकरण आदि का निर्यात कर सके।

लगभग १०० वर्ष तक भारतीय रेलें केवल भाप के इंजनों पर चलती रहीं। १९५० के दशक के शुरू में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में बनने वाले बड़े एवं मीटर लाइन के

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भाप के रेल इंजनों के लिए मानक डिजाइन तैयार करने के लिए केन्द्रीय मानक कार्यालय की स्थापना की गई। इन डिजाइनों का उद्देश्य ताप सम्बन्धी कुशलता में सुधार लाना और भारत में उपलब्ध घटिया किस्म के कोयले का प्रयोग करना था।

यद्यपि भाप के इंजनों के डिजाइन बनाने में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई, किन्तु यह अनुभव किया गया कि देश की बढ़ती हुई औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भाप के इंजन पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए डीजल और बिजली के इंजनों से गाड़ी चलाने की ओर ध्यान दिया गया, जिनका पहले बहुत ही कम उपयोग किया जाता था। देश में लगभग २२ वर्ष पहले प्रमुख मार्गों पर डीजल इंजन चलाए गए।

रेल बजट (करोड़ रुपए में)

	वास्तविक १९७७-७८	बजट अनुमान १९७८-७९	संशोधित अनुमान १९७८-७९	बजट अनुमान १९७९-८०
यातायात से कुल प्राप्ति	२१२३.४२	२२१९.८६	२१६५.१५	२४५६.१५
साधारण संचालन व्यय	१५७०.५८	१७००.९०	१६८५.६८	१८२७.८३
राजस्व से मूल्यह्लास आरक्षित विधि में विनियोग	१४०.००	१४५.००	१४५.००	२००.००
पेंशन विधि में विनियोग	३९.३५	४९.२०	४९.२०	६४.००
शुद्ध विविध व्यय (राजस्व खाते में प्रभारित निर्माण लागत सहित)	२०.७०	२६.५१	२७.०६	३०.४०
कुल योग	१७७०.६३	१९२१.६१	१९०६.९४	२१२२.२३
शुद्ध राजस्व	३५२.७९	२९८.२५	२५८.२१	३३३.९२
सामान्य राजस्व को लाभांश	२२६.५६	२३२·८२	२३०.४८	२४५.४३
शुद्ध घाटा (—)/ बचत(+)	+१२६.२३	+६५.४३	+२७.७३	+८८.४९
परिचालन अनुपात	८२.४%	८५.४%	८६.८%	८५.२%

वर्ष १९७९-८० के रेल बजट में वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए ४० करोड़ रु. से भी अधिक की राशि निर्धारित की गई है। इन कार्यों में चल स्टाक की खरीद, उपनगरीय सेवाओं में सुधार करना और तीन महानगरों—बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है।

इस भारी व्यय की पूर्ति के लिए की गई मासिक सीजन टिकटों की प्रस्तावित वृद्धि से वर्ष के दौरान केवल २८.९६ करोड़ रु. प्राप्त होंगे।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

तीन महानगरों में उपनगरीय यात्रियों के लिए तेज, आरामदेह और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु विकास कार्य जारी है जिनपर लगभग १३० करोड़ रु. की लागत आने का अनुमान है। ये कार्य इन नगरों में महानगरीय परिवहन योजनाओं के अलावा है।

वर्ष १९७९-८० की वार्षिक योजना

अगले वर्ष के लिए रेलों की वार्षिक योजना के लिए ६५० करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह राशि चालू वर्ष की ५५३ करोड़ रुपये की संशोधित राशि से ९७ करोड़ रुपये अधिक है।

वर्ष १९७९-८० के लिए निर्धारित राशि में चल-स्टाक के लिए २८८ करोड़ रुपये का प्रावधान है जो चालू वर्ष की संशोधित राशि से ५० करोड़ रुपये अधिक है। इसी वर्ष में नए रेल मार्गों के निर्माण के लिए ४२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में ११ करोड़ रुपये से अधिक हैं। यात्री तथा अन्य रेल प्रयोगकर्ताओं की सुविधाओं के लिए निर्धारित राशि भी पिछले वर्ष की ४ करोड़ रुपये से बढ़ाकर ५ करोड़ रुपये कर दी गई है।

लाइनों का आधुनिकीकरण

वर्ष १९७९-८० के दौरान १३०० किलोमीटर से अधिक लम्बी रेल-लाइन का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस पर ८८.३८ करोड़ रुपये की लागत आएगी।

वर्ष १९७८-७९ के दौरान ७० करोड़ रुपये की लागत के १००० किलोमीटर लम्बी रेल लाइन को मजबूत बनाया गया था। रेल लाइन से संबधित कार्यों के लिए १९७९-८० में किए गए कुल प्रावधान में से ५८.८३ करोड़ रुपये बकाया कार्यों पर तथा शेष २९.५५ करोड़ रुपये नए कार्यों पर खर्च किए जाएंगे।

संशोधित अनुमान

१९७८-७९ के लिए यातायात से कुल प्राप्ति का संशोधित अनुमान २१६५ करोड़ रुपये आंका गया है जबकि बजट अनुमान २२२० करोड़ रुपये का है अर्थात् ५५ करोड़ रुपये की कमी। संचालन व्यय १६८६ करोड़ रुपये का होगा जबकि बजट अनुमान १७०१ करोड़ रुपये है अर्थात् १५ करोड़ रुपये की वृद्धि। यह अनुमान आम बजट के अनुसार नई लेवी लगाने, अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के भुगतान, इस्पात के मूल्य में वृद्धि और कर्मचारियों की कुछ बकाया पड़ी मांगों को पूरा करने से ६४ करोड़ रुपये के अतिरिक्त भार को ध्यान में रखकर लगाया गया है। उत्तरी और पूर्व भारत में विनाशकारी बाढ़ के कारण हुई हानि के अतिरिक्त इससे आय में हुई हानि को ३० करोड़ रुपये आंका गया है। इन सब कारणों के बावजूद यह आशा है कि वर्ष १९७८-७९ क अन्त में २७.७३ करोड़ रुपये की बचत होगी जबकि बजट अनुमान ६५.४३ करोड़ रुपये का था।

बच्चों को रियायतें

वर्ष १९७९ अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है। इसे ध्यान में रखकर बच्चों की निःशुल्क यात्रा की तीन वर्ष की आयु सीमा को बढ़ाकर ५ वर्ष किया गया है। अभी १२ वर्ष की

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

आयु तक के बच्चों का आधा किराया लगता है। यह रियायत भविष्य में भी दी जाती रहेगी।

बिना टिकट यात्रा

१९७८-७९ में रेल विभाग ने बिना टिकट या गलत टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़े गए २१ लाख यात्रियों से तीन करोड़ रुपये वसूल किए।
ये यात्री क्षेत्रीय रेलों के टिकट निरीक्षण कर्मचारियों द्वारा मारे गए एक लाख से अधिक छापों में पकड़े गए थे।

बिना टिकट यात्रियों के अलावा १ लाख ऐसे यात्री पकड़े गए जो अपना सामान बिना बुक कराए यात्रा कर रहे थे। निर्धारित मात्रा से अधिक सामान ले जाने पर जुर्माने के रूप में एक करोड़ २० लाख रुपये से अधिक की राशि वसूल की गई।

आलोच्य वर्ष में २ लाख ६० हजार यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने के अपराध में दंडित किया गया। इनमें से ८१ हजार पर जुर्माना किया गया और एक लाख ७१ हजार को जेल भेजा गया। इन यात्रियों से १६ लाख ६० हजार रुपये अदालती जुर्माने के रूप में वसूल किए गए।

सड़क परिवहन

देश के आर्थिक विकास और प्रगति के लिए सड़कों का अच्छा होना अत्यावश्यक है। देश में इस समय ८३७ लाख किलोमीटर सड़कें हैं। इसके अलावा सामुदायिक विकास आदि द्वारा निर्मित लगभग साढ़े पांच लाख किलोमीटर कच्ची सड़कें भी हैं। स्वतन्त्रता के बाद गत ३२ वर्षों में सड़क विकास में हुई भारी प्रगति के बावजूद भी सड़क-व्यवस्था अभी अपूर्ण है।

केन्द्रीय क्षेत्र की सड़कों पर पांचवी योजना में सड़क विकास पर १,५३७ करोड़ रु. व्यय किए जायेंगे। इसमें १२०० करोड़ रु. की वह राशि भी शामिल है जो उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं पर व्यय की जाएगी।

बजट अनुमान १९७९-८० में त्रिपुरा सहित उत्तर पूर्वी परिषद क्षेत्र में सड़क विकास पर २१.८४ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है, जो निम्न प्रकार है :—

	करोड़ रुपये
१. राष्ट्रीय राजमार्ग	१०.८४
२. राष्ट्रीय राजमार्ग से भिन्न सड़कें	११.००
	२१.८४

इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में राज्य क्षेत्र में ४४.६२ करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है और उत्तर पूर्वी परिषद कार्यक्रम में भी १०.०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है (दूसरे ब्रह्मपुत्र पुल को छोड़कर)।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मोटर गाड़ियां : भारत के स्वाधीन होने के समय देश में कुल २,११,६४६ मोटर गाड़ियां, जिनमें मोटर साइकिलें, आटो रिक्शा, प्राइवेट कारें, जीपें, सार्वजनिक मोटर गाड़ियां, ट्रक आदि शामिल थीं। जबकि इस समय लगभग १६ लाख २० हजार मोटर गाड़ियां हैं। इनमें से बस और ट्रक लगभग ७ लाख हैं। देश में मोटर गाड़ियां बनाने के उद्योग ने तेजी से प्रगति की है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सड़कें

पिछड़े और दूर-दराज गांवों को बड़े शहरों तथा मंडियों के साथ जोड़ने का कार्य, उनके कृषि औद्योगिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए गांवों को राजमार्गों तथा महत्वपूर्ण रेलमार्गों से सम्पर्क सड़कों के साथ जोड़ना आवश्यक है क्योंकि परिवहन साधनों की कमी उनके तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है।

इसलिए पिछले वर्ष से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक सम्पर्क सड़के बिछाने के लिए तीव्र अभियान शुरू किया गया। पिछले वर्ष के बजट अनुमानों में गांवों के मूल विकास के लिए २० करोड़ रु. की व्यवस्था की गई थी। इसमें केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गावों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण भी शामिल है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों को ऐसे गांवों या गांवों के समूह को जिनकी जनसंख्या १,५०० से अधिक है राजमार्गों या रेलमार्गों या मंडियों और बाजारों के साथ जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण के लिए सहायता के रूप में अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इन प्रयत्नों से गांवों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है।

राज्य सरकारों और कन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन लोगों के सक्रिय सहयोग से किया जाएगा। अनुमान है कि इस योजना के अन्तर्गत लगभग ४०० गांवों को जोड़ने वाली दो हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

जलमार्ग परिवहन

जलमार्गों में गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियाँ, गोदावरी, कृष्णा तथा उनकी सहायक नहरें, आंध्र, केरल, उड़ीसा आदि की नहरें उल्लेखनीय हैं। देश-भर में नौका परिवहन योग्य जलमार्गों की लम्बाई लगभग १५ हजार किलोमीटर है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सहयोग से गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के जल परिवहन के विकास के लिए १९५२ में 'गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन मंडल' की स्थापना की गई थी। मंडल को १९५७ में 'अन्तर्देशीय जल परिवहन के निदेशालय' में मिला दिया गया। लगभग ढ़ाई हजार किलोमीटर लम्बी नदियों में यंत्रचालित नौकाएँ तथा ५,७०० किलोमीटर लम्बे नदी मार्ग में बड़ी नौकाएँ चल सकती हैं।

भारत में नौवहन की टन भार ढुलाई में १९७८-७९ के दौरान काफी वृद्धि हुई है। यह ५१ लाख कुल टन भार ढुलाई से बढ़ाकर ५४ लाख कुल टन भार ढुलाई तक पहुंच गया है। विश्व के विकासशील देशों में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर टन भार ढुलाई की संचालित क्षमता ५५ लाख टन से भी अधिक है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बन्दरगाह : भारत में जहां ८ मुख्य बन्दरगाह हैं, वहां समुद्र तट पर लगभग २३० छोटे बन्दरगाह हैं। बड़े वन्दरगाह कलकत्ता, कोचीन, बम्बई, मद्रास, मारमाओ तथा विशाखापट्टनम् में हैं।

हमारे जहाजों के बेड़े में विभिन्न प्रकार तथा क्षमता के ३१६ जहाज हैं। उनका कुल भार ५.८ लाख टन से भी अधिक है। उनके अतिरिक्त और भी जहाज बन रहे हैं। लगभग २५ कम्पनियाँ जहाज बनाती हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है।

आत्म निर्भरता की ओर

सार्वजनिक क्षेत्र में विशाखापट्टनम् स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड, मझगांव गोदी बंबई गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता आदि जहाज बनाने के बड़े-बड़े कारखाने हैं। इसके अतिरिक्त कोचीन शिपयार्ड भी इस वर्ष के अन्त तक जहाज बनाना शुरू कर देगा।

पर्यटन

पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द उत्पन्न करने का एक प्रमुख व महत्वपूर्ण साधन है। पर्यटन भारत का एक लाभदायक उद्योग है। स्वाधीनता के बाद से भारत के पर्यटन में भारी अभिवृद्धि हुई है। पर्यटन उद्योग के विकास के लिए टूरिस्ट ट्रैफिक ब्रांच की स्थापना की गई। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता व मद्रास में प्रादेशिक पर्यटन कार्यालय हैं तथा जयपुर, आगरा, जम्मू, कोचीन, औरंगाबाद एवं वाराणसी में पर्यटन उप कार्यालय हैं।

पर्यटन व्यवसाय : पर्यटन संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत में विदेशी पर्यटकों को अधिक मात्रा में आकर्षित करना है।

देश तथा विदेशों में सफल प्रचार तथा जनसंपर्क कार्यक्रमों के कारण पर्यटकों की देश में पर्यटन सुविधाएं सम्बन्धी मांगें बढ़ी हैं।

१९७८ में पर्यटन विभाग तथा भारत पर्यटन विकास निगम ने देश में पर्यटन उद्योग के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए अनेक प्रयास किये हैं।

पर्यटक आगमन

वर्ष १९७७ में आए ४,८२,७१२ पर्यटकों की तुलना में वर्ष १९७८ के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों की रिकार्ड संख्या ४,९६,१११ थी।

१९७९ के पहले पांच महीनों (जनवरी से मई) के दौरान आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में ५.४ प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि १९७८ की तत्सम्बन्धी अवधि में १५.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। १९७९ के पहले पांच महीनों में पर्यटकों के आगमन में वृद्धि की दर के सापेक्ष रूप से निम्नस्तर हो जाने का आंशिक कारण मार्ग में पड़ने वाले कुछ देशों में स्थिति के खराब हो जाने की वजह से स्थल मार्ग द्वारा विदेशी पर्यटकों के आगमन में कमी हो जाना था।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१६७६ के पहले पांच महीनों में पर्यटन से विदेशी मुद्रा की अनुमानित आय १३१.२ करोड़ रुपये है जबकि इसकी तुलना में १६७८ की तत्संबंधी अवधि में १२४.५ करोड़ रुपये की आय हुई थी।

विदेशों में पर्यटन कार्यालय

विदेशों में भारत सरकार के १६ पर्यटन कार्यालय हैं।

मलेशिया से पर्यटक यातायात को प्रोत्साहन देने के लिए कुआलालम्पुर में एक नया पर्यटन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

पर्यटन कार्यालय निम्न शहरों में हैं :—

न्यूयार्क, लांस ऐंजल्स, शिकागो, टोरांटो, लन्दन, जनेवा, पैरिस, फ्रैंकफर्ट, ब्रुसेल्स, स्टोकहोम, वियाना, मिलान, सिडनी, पर्थ, सिंगापुर, टोक्यो, बैंकाक तथा कुवैत।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के लक्ष्य

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

बिजली-संभावनाओं से पूर्णतः अवगत है,
अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग है,
अपने उपभोक्ताओं की सेवा के लिए कृतसंकल्प है,
और एतदर्थ यह राज्य निर्माण-कार्यों में सेवारत है।
अपने इस चिरपोषित उद्देश्य की पूर्ति हेतु बोर्ड अपने भरसक कुछ उठा न रखेगा।
हमारी दृष्टि में—

सच्चाई हमारा आदर्श, परम्परा और संस्कृति हमारी अजय शक्ति, चरित्र हमारी सम्पदा विनम्रता हमारी प्रकृति, कर्म हमारी पूजा तथा सेवा हमारा मंत्र।

जनसम्पर्क निदेशक,
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
द्वारा प्रचारित

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

विकास के लिए विद्युत — विद्युत के लिए परिषद

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

घरेलू, कृषि व औद्योगिक विकास कार्यों के लिए

विश्वास के साथ

अधिकाधिक विद्युत उत्पादन की ओर

अग्रसर

परिषद् ने क्या से क्या कर दिखाया है

	स्थापना के समय (१-४-१९५९)	वर्तमान (१९७६-७९)	भविष्य में (१९८३-८४)
	मेगावॉट	मेगावॉट	मेगावॉट
अधिष्ठापित विद्युत क्षमता	३४३	३१८२	५७८८
विद्युतीकृत ग्राम	८३६	३५५८४	६२०४४
विद्युतीकृत हरिजन बस्तियाँ	शुन्य	११५३८	३६८३८
निजी नलकूप ऊर्जन	२८१०	२९६९७९	५९६९७९
पारेषण लाइनें (सर्किट कि. मी.)	५११९	३१४३१	४००७७

वर्ष १९७८-७९ की उपलब्धियाँ

- २७५.८९ करोड़ रुपयों के योजना लक्ष्य के शत-प्रतिशत उपयोग के वाद १२ लाख रुपयों का अतिरिक्त व्यय।
- १०१८५ मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति।
- १० करोड़ रुपये वकाया राजस्व की प्राप्ति।
- ओवरा तापीय विद्युतगृह की द्वितीय २०० मेगावॉट की इकाई चालू।
- ४०० के० वी० पारेषण तकनीक के क्षेत्र में परिषद् की सलाहकार के रूप में नियुक्ति।
- आनपारा (मिर्जापुर), टाँडा (फैजाबाद) तथा पारीछा (झांसी) परियोजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ।

यही नहीं

बेहतर उपभोक्ता सेवाओं के लिए, अनुसंधान एवं विकास कार्यों
तथा विद्युत संस्थान की प्रगति के
लिए
सामूहिक प्रयासों द्वारा
और भी अधिक उपलब्धियों के लिए

हम निरन्तर आगे ही आगे बढ़ रहें हैं—————उज्जवल भविष्य की ओर

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, १४ अशोक मार्ग, लखनऊ द्वारा निर्गत

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

डाक-तार, संचार

डाक-तार विभाग भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी संस्थान है। डाक-तार, टेलीफोन तथा बेतार संचार सेवाओं के विकास, अनुरक्षण तथा विस्तार का दायित्व डाक-तार-बोर्ड पर है।

डाक सेवाएं

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से डाकघरों संख्या में पांच गुनी वृद्धि हुई है। १ जनवरी १९७९ को देश में १,२४,९११ डाकघर थे, जबकि स्वतन्त्रता से पूर्ववर्ती समय में मात्र २२,११६ डाकघर थे।

वर्ष १९७८ के दौरान १६०१ नए डाकघर खोले गए, उनमें ७२ प्रतिशत डाकघर बहुत ही पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में खोले गए।

इस समय देश में २८ चलते-फिरते तथा १४२ रात्रि डाकघर हैं।

इस समय २७.३७ वर्ग किलोमीटर के पीछे एक डाकघर है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले १४६ किलोमीटर के पीछे एक डाकघर हुआ करता था। जनसंख्या की दृष्टि से प्रत्येक डाकघर अब ४,६८७ व्यक्तियों की सेवा करता है जबकि १९४७ में १६,१३४ व्यक्तियों के लिए एक डाकघर हुआ करता था।

एक डाकघर से औसतन ६ गांवों के लोग लाभ उठाते हैं जबकि १९४७ में ३० गांवों के लोगों के लिए एक डाकघर हुआ करता था।

ग्रामों में डाक सेवाएं

देश में करीब १,२५,००० डाकघर हैं इनमें से अधिकांश डाकघर (१,१२०३६) देहाती इलाकों में हैं। फिर भी, ऐसे गांवों की संख्या बहुत अधिक है जहां डाकघर नहीं हैं और उन गांवों में मौजूदा मानदंडों के आधार पर डाकघर नही खोले जा सकते। चलते-फिरते डाकघर खोल कर ऐसे गांवों के लिए डाक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

चलते-फिरते डाकघर का शाखा पोस्टमास्टर नजदीक के गांव में जाता है और वहां काउंटर सुविधाएं देता है जैसे कि (१) डाक टिकट और डाक लेखन सामग्री बेचना, (२) रजिस्ट्री वस्तुए, वी. पी. पी. वस्तुएं बुक करना, (३) मनीआर्डर जारी करना और उनकी अदायगी करना और डाक बांटना। यह काम वह निर्धारित सारिणी के अनुसार निश्चित समय पर करता है।

३१ मार्च १९७७ को करीब ५०० चलते-फिरते डाकघर काम कर रहे थे अब १९७९ में इनकी संख्या बढ़कर २७०० हो गई है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

३१ मार्च, १९७७ को देशभर में २,१४,००० लेटर बक्स थे। इनकी संख्या अब १९७९ में ३,६५,२०९ है। देहाती इलाकों में डाक टिकट बेचने के लिए ७,७९० एजेंट नियुक्त किए गए हैं।

अब ९९.५ प्रतिशत गावों में हर दिन डाक वितरण सेवा की व्यवस्था है।

टेलीफोन

देश भर में १ दिसम्बर १९७८ तक ५२९२ टेलीफोन एक्सचेंज थे। दिसम्बर १९७८ तक इन एक्सचेंजों की कुल क्षमता १८.५ लाख लाइनों की थी। देश में कुल टेलीफोनों की संख्या १९ लाख २६ हजार है।

टेलेक्स सेवा

अप्रैल और दिसम्बर, १९७८ के बीच पांच अन्य टेलेक्स एक्सचेंज चालू किए गए जिससे ऐसे एक्सचेंजों की संख्या दिसम्बर, १९७८ के अन्त में ७७ हो गई जिसकी कुल क्षमता १७,८१२ टेलेक्स उपभोक्ता है।

अपना टेलीफोन योजना

१५ दिसम्बर ७८ तक २८,४१२ अपना टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था की गई।

गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन

ग्रामीण क्षेत्रों में जन सामान्य के लिए टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। साधारण इलाकों में ५ हजार या इससे अधिक आवादी वाले और पिछड़े तथा पहाड़ी इलाकों में २,५०० या इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों में टेलीफोन और तार सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। जनसंख्या की उपर्युक्त सीमा में जन जातीय इलाकों में और अधिक छूट दी जाती है। यहां वड़े मध्यवर्ती ग्राम के १० किलोमीटर के भीतर ग्राम समूहों की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। छठी योजना अवधि (१९७८-८३) में १५ हजार सार्वजनिक टेलीफोन घर व तारघर खोलने का प्रस्ताव है जिनमें से ३,००० सार्वजनिक टेलीफोन घर एवं तारघर देश के जनजातीय इलाकों में खोले जाएंगे।

हिन्दी में टेलीफोन निदेशिकायें

सरकार की नीति के अनुसार विहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हैदराबाद क्षेत्रों और दिल्ली टेलीफोन जिले के लिए हिन्दी में टेलीफोन निदेशिकाएं प्रकाशित की जा चुकी हैं। दिल्ली में १९७८ में हिन्दी का नया संस्करण प्रकाशित किया गया है। बम्वई में भी अगस्त १९७९ में हिन्दी संस्करण छप चुका है।

तारघर

देश में तारघरों की संख्या २२,७९७ तक बढ़ गई।

आलोच्य वर्ष के दौरान ६४१ लाख अन्तर्देशीय तार बुक किए गए जो कि गत वर्ष की तुलना में ०.८ प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाते हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

फोनतार

फोन पर ११४.२ लाख सन्देश बुक किए गए और २१.७ लाख वितरित किए गए।

गावों में डाकघर

१९७९-८० के वित्तीय वर्ष में देश के देहाती इलाकों में ५ हजार डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। देहाती इलाकों में, आदिवासी, पहाड़ी और पिछड़े इलाकों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। छठी योजना अवधि के दौरान गांवों में चलते-फिरते डाकघर आरम्भ करने तथा ५० हजार गांवों में लेटर बक्स लगाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। ऐसा प्रस्ताव भी है कि १९७८-८३ की योजना अवधि के अन्त तक हर एक गांव में एक लेटर बक्स लगा दिया जाए।

वर्ष १९७९ के दौरान डाक तथा दूर संचार की शुल्क दरों में वृद्धि की गई। अन्तर्देशीय पत्र और लिफाफे पर ५ पैसे की वृद्धि की गई किन्तु पोस्ट कार्ड की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जहाँ तक दूर संचार की शुल्क-दरों का संबंध है, ८ शब्दों के साधारण तार पर २.२५ रु. लगेंगे जबकि इस समय इस पर २.०० रु. लगते हैं। प्रत्येक शब्द पर ३० पैसे देने पड़ेगें जबकि इस समय २५ पैसे देने पड़ते हैं। किन्तु प्रेस टेलीग्राम की दर ज्यों की त्यों रही। प्रति तिमाही १७५० कालों से ऊपर, स्थानीय काल प्रभाव ४० पैसे प्रति काल के हिसाव से लिए जाएंगे, जबकि इस समय, ३० पैसे प्रति काल के हिसाव से लिए जाते हैं।

विभाग में हिन्दी की प्रगति

देवनागरी तार सेवा का विस्तार किया गया और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, विहार, दिल्ली, पंजाव तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों के तारघरों में यह सेवा की गई। देवनागरी तार सेवा के और प्रचार के लिए समस्त देश में 'देवनागरी तार सप्ताह' आयोजित किया गया। इस सप्ताह के दौरान प्रमुख नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों, व्यापारिक समुदायों के प्रतिनिधियों, स्थानीय स्कूलों और कालिजों के विद्यार्थियों को तारघर देखने के लिए आमंत्रित किया गया जहाँ उन्होंने देवनागरी टेलीप्रिंटरो की कार्यप्रणाली देखी।

प्रदर्शनी

पहला डाक-टिकट जारी करने की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर पहली अंतर्राष्ट्रीय डाक-टिकट प्रदर्शनी लन्दन में १८९० में हुई। १८९७ में लन्दन में एक और डाक-टिकट प्रदर्शनी हुई और इसके बाद १९०० में पैरिस, १९०१ में हेग, १९०६ में लन्दन, १९०९ में एम्सटर्डम, १९१० में बर्न, १९११ में वियना और १९१२ में लन्दन में प्रदर्शनियां हुई। अमेरिका में पहली अन्तर्राष्ट्रीय डाक-टिकट प्रदर्शनी १९१३ में हुई।

आजकल प्रतिवर्ष तीन-चार अन्तर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनियाँ किसी-न-किसी देश में होती रहती हैं। गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय डाक-टिकट प्रदर्शनियाँ म्यूनिख और पोलेंड में हुई।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड : कुछ दूसरे सहायक उपस्करों के अलावा टेलीप्रिंटरों और बिजली के टाइपराइटरों के निर्माण में संलग्न है। पिछले वर्ष हुई ४८९ लाख रुपये की बिक्री की तुलना में १९७६-७७ के दौरान हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड की ५४७ लाख रुपये की बिक्री हुई। ७९-८० के दौरान ३१५ लाख रुपये की बिक्री होने का अनुमान है। कम्पनी में लगभग २ हजार लोग काम करते हैं।

पंचवर्षीय योजना १९७८-८३

१९७८-७९ के दौरान अगली और उसके बाद की योजनाओं में देश में दूरसंचार सेवाओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से कम्पनी के विस्तार की योजना तैयार की गई। इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की संशोधित पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ५२.८५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। १९७४—७८ के दौरान ४ वर्षों में ३२.७० करोड़ रुपये खर्च हुए। इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की वार्षिक योजना १९७९-८० में १७.५१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अगली पंचवर्षीय योजना, १९७८-८३ में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के लिए ८४.१९ करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है। इसमें चल रही योजनाओं की व्यवस्था के अलावा, दो लाख लाइनों की क्षमता वाले नये स्विचिंग कारखाने और नये पारेषण कारखाने की स्थापना के लिए परिव्यय का प्रस्ताव भी शामिल है। अगली योजना के दौरान इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज की अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने का प्रस्ताव है। अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए १२.६७ करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की गई जबकि पांचवी योजना का परिव्यय ६.५२ करोड़ रुपये था।

परिव्यय

(करोड़ रुपयों में)

कार्यक्रम	अन्तत: स्वीकृत पांचवी योजना का परिव्यय (१९७४-७९)	१९७४-७८ के चार वर्षों के दौरान हुआ प्रत्याशित व्यय	वार्षिक योजना १९७८-७९ का परिव्यय	प्रस्तावित पंचवर्षीय योजना १९७८-८३ का परिव्यय
१	२	३	४	५
१. विदेश संचार सेवा	३५.८७	२३.३८	११.०४	७०.२२
२. वेतार आयोजना और समन्वय स्कन्ध/अनुश्रवण संघटन	१.०६	०.८२	०.५०	७.०८
३. इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	५२.८५	३२.२२	१६.५१	८४.१९
४. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड	३.००	१.०८	०.८२	६.०१
जोड़	९२.७८	५७.५०	२८.८७	१६७.५०

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

डाक-तार विभाग, तीव्रगामी आंकड़ा संचार सर्किट की मांग को पूर्ण करने के लिए, आंकड़ा सर्किट तैयार कर रहा है। यह सुविधा इस समय एयरलाइन्स, रक्षा और अनुसंधान संस्थानों को उपलब्ध है। विभाग ने इस सुविधा की सम्भावित भ.वी मांग का पता लगाने की कार्यवाई शुरू कर दी है जिससे कि देश में उचित सार्वजनिक आंकड़ा नेटवर्क तैयार किया जा सके।

अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा

इस अवधि के दौरान इराक और यूगोस्लाविया के लिए भी सीधी अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन से।ा का विस्तार किया गया है। अब इस प्रकार के ४३ सीधे सम्पर्क हो गए हैं। जिनमें से ३५ उपग्रह सर्किट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। स्विच टेलीफोन सेवा भी अब १५६ और देशों को उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन मार्गों पर इस समय प्रतिवर्ष लगभग ६.३ लाख काल की जाती हैं अर्थात इसमें १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अहमदाबाद स्थित ट्रंक एक्सचेंज में अक्तूबर, १६७८ में ५० से भी अधिक देशों के लिए अर्द्ध स्वचालित सुविधा का विस्तार किया गया। बम्बई, नई दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बंगलौर, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, जालंधर, चण्डीगढ़ और एर्नाकुलम के ट्रंक एक्सचेंजों में यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध है।

अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा

हालैण्ड, मनीला, इराक और चीन के लिए सीधी टेलेक्स सेवा का और गिनी बिसाऊ, कोमोरस तथा टोंगा के लिए स्विच टेलेक्स सेवा का विस्तार किया गया।

जनवरी, १६७८ से पूर्व सीधी स्वचालित डायलिंग सेवा उपलब्ध होने के परिणाम-स्वरूप मानवचालित अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स काल की संख्या १६७७-७८ के लगभग ६ लाख से अप्रैल-दिसम्बर १६७८ की अवधि में घटकर ५ लाख हो गई।

डाक टिकट

१६७६ के दौरान अनेक महत्वपूर्ण डाक-टिकट जारी किये गये। अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के अन्तर्गत ५ मार्च १६७६ को दो विशेष डाक टिकट जारी किये गये।

इसी प्रकार महान वैज्ञानिक अलबर्ट आइन्स्टाइन स्मारक डाक टिकट १४ मार्च १६७६ को जारी किया गया।

प्रख्यात क्रान्तिकारी देशभक्त भाई परमानन्द जी की स्मृति में २४ फरवरी को तथा राजा महेन्द्रप्रताप की स्मृति में १५ अगस्त को डाक टिकट निकाले गये।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

तार—"गन्ना संघ"

स्थापित वर्ष १९४९-५० दूरभाष—४५६३४

पी० बी० एक्स—४४४९१, ४४२९७

उत्तर प्रदेश की १३५ सहकारी गन्ना समितियों की सर्वोच्च संस्था

सदस्य गन्ना समितियाँ व उनके लगभग २३ लाख सदस्य गन्ना किसानों के हितों की सुरक्षा एवं उनके संगठनात्मक मामलों में आवश्यक सहायता करने, उर्वरकों अन्य खादों, कीटनाशकों, उन्नतिशील बीजों तथा अन्य आवश्यक उपकरणों के प्रबन्ध, वितरण व्यवस्था कर, विकास कार्यों को बढ़ावा देने में सतत् प्रयत्नशील है।

केन यूनियन्स फेडरेशन प्रेस, गन्ना समितियों तथा सहकारी चीनी मिलों की मुद्रण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

किसानों में वैज्ञानिक ढंग से उन्नतिशील कृषि एवं ज्ञान प्रसार हेतु 'गन्ना मासिक' पत्रिका का प्रकाशन करता है।

—: उपलब्धियाँ :—

अंश पूँजी	१३.८८ लाख रुपया
निजी पूँजी	९७.२५ लाख रुपया
कार्यरत् पूँजी	१८५२.३० लाख रुपया
शुद्ध लाभ (वर्ष ७७-७८)	३९.११ लाख रुपया

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लि०

१२, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

हरगोविन्द विश्नोई
पी० सी० एस०
प्रबन्ध निदेशक

अपरमिता प्रसाद सिंह
आई० ए० एस०
गन्ना आयुक्त एवं प्रशासक

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सहकारी आन्दोलन

सहकारी आन्दोलन ने निश्चय ही संख्या की दृष्टि से उत्तर स्वाधीनता काल में उल्लेखनीय प्रगति की है। केवल सहकारी ऋण के क्षेत्र में नहीं, दूसरे अनेक ऋण क्षेत्रों जैसे विपणन, औद्योगिक, उपभोक्ता, भवन निर्माण, यातायात आदि में भी आश्चर्य-जनक उन्नति की है। स्वाधीनता से पहले किसानों को केवल तीन करोड़ रुपये का ऋण सहकारी समितियाँ देती थीं। आज अकेले अल्पकालीन ऋण की मात्रा बढ़कर ७ सौ करोड़ रुपया तथा दीर्घकालीन ऋण की मात्रा ९ सौ करोड़ हो गई। छठी योजना के अन्त तक किसानों को अल्पकालीन सहकारी ऋण का लक्ष्य १५ सौ करोड़ रुपया रखा गया है। आज देश में ८५ प्रतिशत से अधिक गांवों में सहकारी समितियाँ गठित हैं और ४१ प्रतिशत से अधिक ग्रामीण जनता उनकी सदस्य है। देश में कोई अन्य सरकारी या गैर-सरकारी संगठन इतने व्यापक रूप से विद्यमान नहीं है। सहकारिता द्वारा किसानों को केवल ऋण की सुविधा ही मिलती हो, ऐसी बात नहीं है, उनके लिए उन्नत बीज, खाद, कृषि-यंत्र, कीटनाशक दवाइयाँ तथा खेती के लिए उपकरणों के प्रबन्ध की जिम्मेदारी भी गांव की सहकारी समितियों ने वहन की है। समितियाँ तो सिंचाई के लिए भी पंपिंग सैट, ट्यूबवैल इत्यादि का प्रबन्ध करती है। कुछ अन्य खेती के भारी संयंत्र जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन, फसल काटने की मशीनें, बुवाई की मशीनें आदि का किराये पर प्रबन्ध करती है। किसानों की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की बिक्री का भी प्रबन्ध समितियाँ ही करती हैं।

संक्षिप्त इतिहास

भारत में सहकारिता के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में उद्देश्य यह था कि इसके माध्यम से देश में कमजोर वर्ग के लोगों को वे सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकें जो उन्हें व्यक्तिगत प्रयत्नों से नहीं मिल सकतीं। इस प्रकार जो सुविधाएं देश के साधन-सम्पन्न लोगों को उपलब्ध हैं, उन्हें कमजोर वर्गों को सुलभ बनाने के लिए १९०४ में सहकारी समितियों का जन्म हुआ। सन् १९०४ के अधिनियम से केवल साख समितियों को ही मान्यता मिली थी। इस कारण १९१२ में पूर्व नियम में संशोधन करके अन्य सभी प्रकार की सहकारी समितियों को मान्यता दी गई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना ने सहकारिता को देश के आर्थिक विकास का एक महत्व-पूर्ण हिस्सा माना। प्रथम योजना में सहकारी आन्दोलन को पंचायत कार्यक्रमों से एकीकृत किया गया ताकि दोनों में ताल-मेल के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समुचित विकास किया जा सके। योजना में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन पर विशेष बल दिया

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

गया तथा यह आशा की गई कि ग्रामीण जनता की आय में वृद्धि के कारण अब ग्रामीण सहकारी समितियों को वित्त ग्रामीण जनता से ही प्राप्त हो जाएगा।

द्वितीय योजना-काल में सहकारी साख विक्रय प्रोसेसिंग, भण्डारगृह तथा गोदाम निर्माण का लक्ष्य था। बड़े पैमाने की सहकारी समितियों की संख्या योजना अन्त तक १०,४०० करना था, जिन पर २२५ करोड़ रु. व्यय करना था। प्राथमिक विपणन समितियों की संख्या १८०० करनी थी और भण्डारगृह तथा गोदाम निर्माण का लक्ष्य ६ हजार का था। द्वितीय योजना काल में यह विशेष रूप से अनुभव किया गया कि भूसुधार से सहकारिता का विशेष सम्बन्ध है। प्रथम दो योजनाओं में प्राथमिक सहकारी साख समितियों की संख्या प्रायः १ लाख ५ हजार से बढ़कर २ लाख १० हजार हो गई और इनकी सदस्य संख्या ४४ लाख से बढ़कर १७० लाख हो गई।

जनजातीय क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण-एवं-विपणन सेवाओं तथा आवश्यक उपभोज्य वस्तुओं की सप्लाई सुलभ करने की क्षमता रखने वाली बड़े आकार की बहु-उद्देशीय सोसायटियां स्थापित की जा रही हैं। ३० जून १९७९ को ऐसी २८१ सोसायटियां गठित की गई थीं।

केन्द्रीय सहकारी बैंक

३० जून १९७९ को देश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की कुल संख्या ३७२ थी। इनकी अंशपूंजी २७२.७२ करोड़ रुपये थी। इस वर्ष इन संस्थाओं को राज्य सरकारों की सहायता अंशपूंजी अंशदान के रूप में जारी रही।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चुने क्षेत्रों में अतिदेयों की जांच पड़ताल करना, वसूली के लिए कदम उठाना, ऋण सम्बन्धी नीतियों तथा पद्धतियों को सुव्यवस्थित बनाना, डिपाजिट्स जुटाना तथा विकास का नियत कालिक कार्यक्रम जैसी विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए हैं।

सहकारी विकास में प्रमुख बाधा अतिदेयों का इकट्ठा होना है। जून १९७९ को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की वसूली की स्थिति में भारी सुधार हुआ।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों की पुनः स्थापना

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंक जो बहुत कमजोर हैं और जिनके पास ३ वर्ष से अधिक अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋण, संचित हानियां तथा दूसरे अतिदेय उनकी निजी निधियों के ५० प्रतिशत से अधिक हो गए हैं तथा जिनकी अक्षयित निजी निधियां ५० लाख रुपये से कम है, केन्द्रीय सहायता पाने के पात्र हैं। १९७२-७३ से १९७७-७८ तक के वर्षों की अवधि में १२३ केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए ५.०६ करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई। ३० जून, १९७९ को पुनःस्थापना के योग्य कमजोर बैंकों की कुल संख्या १८१ थी। समीक्षाधीन वर्ष में पात्र बैंकों को और १.०० करोड़ रुपये सुलभ किए जाने की आशा है।

सहकारी भूमि विकास बैंक

भूमि विकास बैंक, भूमि विकास, लघु सिंचाई कार्यों जैसे कुएं खोदने, पम्प सैट

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

लगाने, सिंचाई संसाधनों को सुदृढ़ करने, फार्म मशीनरी की खरीद आदि के लिए किसानों को दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था हेतु प्रमुख स्रोत का निर्माण करते हैं। कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम की योजनाओं के अन्तर्गत भूमि विकास बैंक, डेरी तथा कुक्कुटादि विकास जैसे उद्देश्यों को शामिल करने के लिए अपने ऋण कार्यों का विस्तार भी कर रहे हैं। इस समय देश में १९ राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक हैं। जिला, तालुका, खंड स्तर पर १७१४ शाखाएं/सम्बद्ध प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत हैं। इन संस्थानों के ऋण दायी कार्यों में तीव्र प्रगति हुई है। १९६०-६१ में कुल ११.८२ करोड़ रु. के ऋण वितरित किए गए थे जो १९७८-७९ में बढ़कर ३०६ करोड़ रु. हो गए।

. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक ऋण प्रचालनों के लिए मुख्यतः साधारण और विशेष ऋण-पत्र जारी करके धन एकत्र करते हैं। वर्ष १९७९-८० के लिए १९०.०० करोड़ रु. साधारण और विशेष ऋण-पत्र जारी करने का कार्यक्रम है। भूमि विकास बैंकों के ऋण-पत्रों में धन लगाने की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार ने वर्ष ७६-७७ तक विशेष ऋण-पत्रों के लिए संसाधन राज्य सरकारों तथा कृषि पुनर्वित्त निगम तथा विकास निगम द्वारा सुलभ किए गए थे। वर्ष ७६-७७ से केन्द्रीय सरकार ने भी राज्य सरकारों के साथ-साथ भूमि विकास बैंकों के विशेष ऋण-पत्रों में बराबर-बराबर धन लगना शुरू किया है। वर्ष ७७-७८ में भारत सरकार ने भूमि विकास बैंकों के ऋण-पत्रों में ९.८६ करोड़ रु. की धनराशि लगाई जिसमें विशेष ऋण-पत्रों के लिए ३.८६ करोड़ रुपये भी शामिल हैं। वर्ष ७७-७८ में १७.५० करोड़ रुपये की धन राशि लगाई। दिसम्बर, ७८ तक भारत सरकार ने भूमि विकास बैंकों के साधारण ऋण-पत्रों में ४.२७ करोड़ रुपये तथा विशेष ऋण-पत्रों में ६६.५ लाख रुपये लगाये। १७.५० करोड़ रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान के वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरी तरह उपयोग में लाए जाने की सम्भावना है।

पांचवीं योजना का लक्ष्य

(करोड़ रुपये में)

सहकारी सोसायटियाँ	पांचवीं योजना के लक्ष्य	उपलब्धियां १९७५-७६	अनुमान १९७६-७७	लक्ष्य १९७७-७८	लक्ष्य १९७८-७९
अल्पकालीन	१३००	९१८	११००	१२००	१३००
आवधिक ऋण	१८२५	३२०	३३०	४६३	.
ऋण (अल्पकालीन)		९५.५१	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
अल्पकालीन	४००	२००.३६	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य
आवधिक ऋण	५७५	१७४.०७	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य
योग	४१००	१७०७.९४	१४३०	१६६३	१३००

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदत्त दीर्घकालीन ऋण

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्राथमिक ऋण समितियों द्वारा वितरित अल्प मध्यकालीन ऋण	भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित दीर्घ कालीन ऋण
१९७२-७३	७७४.८९	१८१.७८
१९७३-७४	७६०.४६	१५८.०९
१९७४-७५	८५३.५४	१८४.४७
१९७५-७६	८७२.२३	१९२.११
१९७६-७७	८८१.१९	०९४.१३
१९७७-७८	८९०.११	१७२.१२

सहकारी क्षेत्र में चीनी कारखाने

३० जून १९७९ तक देश के १५ राज्यों में लाइसेंसशुदा चीनी कारखानों की सहकारी क्षेत्र में संख्या १९७ थी। १९७८-७९ वर्ष में इन कारखानों में २९२.६१ लाख मीटरी टन गन्ना पेरा गया जिससे इसी अवधि मे १७.८१ लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ।

वितरण प्रणाली

रोजमर्रा की वस्तुएं उचित दामों पर उपलब्ध कराने की दिशा में भी सहकारिता विभाग का भारी योगदान रहा है।

पहली जुलाई, १९७९ से आरम्भ की गई उत्पादन एवं वितरण योजना इस बात की मूर्त अभिव्यक्ति है कि केन्द्रीय व राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण की एक स्थायी तथा बृहत् प्रणाली के माध्यम से देश भर में उपभोक्ताओं को मूल आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध हैं। पिछला अनुभव इस बात का साक्षी है कि जब कभी भी मुद्रास्फीति के दबाव का निर्माण होता है तो दैनिक जीवन की अधिकांश वस्तुओं के मूल्यों पर उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और इस चक्र का सब से बुरा प्रभाव समाज के उन वर्गों पर पड़ता है जो असंगठित, कमजोर और जरूरतमंद हैं। उत्पादन एवं वितरण योजना जब पूरी तरह कार्यान्वित होगी तब समाज के इन कमजोर वर्गों की मुसीबतों को दूर करने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम होगा।

वर्तमान उचित दर की दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल, मोटा अनाज, मिट्टी का तेल और नियंत्रित कपड़े का वितरण किया जाता है। कई राज्य इन बिक्री केन्द्रों के माध्यम से परिष्कृत हुए वनस्पति तेल, सीमेंट, गेहूं से बनी वस्तुयें आदि भी वितरित कर रहे हैं। इस नयी योजना के अन्तर्गत तथा राज्य सरकारों की सलाह से इन अतिरिक्त वस्तुओं को इनमें शामिल करने का निर्णय किया गया है—दियासलाइयां, नहाने तथा कपड़े धोने का साबुन, चाय, काफी, कापियां और नियंत्रित कपड़े के अलावा सस्ती किस्म

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

का कपड़ा। चाय, काफी, दियासलाई और नहाने के साबुन की आपूर्ति व्यवस्था की जा चुकी है और शेष वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

बिक्री केन्द्रों में वृद्धि

इस योजना के अन्तर्गत २ हज़ार की आबादी के लिए एक खुदरा बिक्री केन्द्र खोला जाना है। दूर-दराज के इलाकों में इससे कम आबादी के लिए भी एक खुदरा बिक्री केन्द्र खोला जा सकता है। इसके लिए पहली जुलाई, १९७९ से वर्तमान २.४१ लाख दुकानों में ३० हज़ार नई दुकानों की वृद्धि की गई। अगले कुछ महीनों में देश भर में और खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाएंगे और इस प्रकार इनकी संख्या बढ़कर ३ लाख से अधिक हो जाएगी। इस प्रक्रिया में वर्तमान दुकानों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन भी किया जाएगा, ताकि कमजोर दुकानों को मजबूत करने और ठीक प्रकार से कार्य न करने वाली दुकानों के स्थान पर दूसरी दुकानें खोलने की कार्यवाई की जा सके।

नये बिक्री केन्द्र खोलने में सहकारी क्षेत्र और साथ ही बेरोजगार युवकों, विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं, को प्राथमिकता दी जा रही है। इन दुकानों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने और साथ ही इनका आम जनता के लाभ के लिए पूरा-पूरा उपयोग करने की दृष्टि से इनका उपयोग डाक सामग्री, निरोध आदि जैसी कुछ अन्य वस्तुओं के वितरण के लिए करने की भी व्यवस्था की गई है।

निजी व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा नहीं

इस योजना का इरादा आवश्यक वस्तुओं के खुदरा व्यापार से निजी व्यापारियों को हटाने का नहीं है। इसका उद्देश्य वस्तुतः वर्तमान दुकानों में अनुशासन लाना है ताकि आवश्यक वस्तुओं की कमी के दौरान व्यापारियों के एक वर्ग द्वारा मुनाफाखोरी करने की प्रवृत्ति को रोका जा सके और देश भर में उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करने के सामाजिक दायित्व को भी पूरा किया जा सके। इस प्रकार इस योजना के जरिए सरकार उपभोक्ताओं के हित में राष्ट्रीय वचनबद्धता को पूरा करने के लिए इन आवश्यक वस्तुओं के बाजार में व्यापारियों द्वारा मनमाने दाम वसूल करने पर रोक लगा सकेगी। इस समय देश में ३३ लाख से अधिक दुकानें और प्रतिष्ठान हैं। सार्वजनिक वितरण बिक्री केन्द्रों की संख्या बढ़ाने पर भी इनकी संख्या ३.५ लाख के लगभग होगी, जिन में से २.५ लाख के लगभग इस समय विद्यमान हैं। ये या तो निजी उद्यमियों अथवा सहकारी समितियों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ठीक समय पर बिजली के क्षेत्र में नवीनतम अन्तर्राष्ट्रीय तकनीक के साथ, विदेशों में बी.एच.ई.एल. की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और अनुबंधों से भारत ऐसा अकेला विकासशील देश बन गया है जो दुनिया के बिजली उपकरण बाज़ार में मुकाबला कर सकता है। 30 से अधिक विभिन्न देशों ने पहले ही बी.एच.ई.एल. के उपकरणों और सेवाओं को पसन्द कर लिया है – कुछ ने संपूर्ण परियोजना के आधार पर। बार बार मिलने वाले आर्डर फिर से इसी बात को प्रमाणित करते हैं कि बी.एच.ई.एल. की क्षमताओं में दुनिया वालों का विश्वास बढ़ता जा रहा है।

बी.एच.ई.एल. के उत्पादों और सेवाओं के प्रति बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति, बहुत हद तक विभिन्न देशों की बिजली की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बी.एच.ई.एल. द्वारा ठीक समय पर किए गए कार्य से प्राप्त हुई है। भारत में बिजली का विकास करने के अपने ही अनुभव से, आज बी.एच.ई.एल. ने अन्य विकासशील देशों की आवश्यकताओं के अनुकूल तकनीक और उपकरण प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त कर ली है। बी.एच.ई.एल. उपकरण की अलग-अलग वस्तुओं से आगे भी काफी कुछ दे सकता है। संभावना अध्ययन से लेकर डिज़ाइन, निर्माण, संस्थापन और संचालन तक—बी.एच.ई.एल. संपूर्ण परियोजना सेवा प्रस्तुत करता है। दुनिया भर में कहीं भी।

30 मेगावाट यूनिट से लेकर 210 मेगावाट यूनिट तक के उपकरण—कोई भी आर्डर बी.एच.ई.एल. के लिए छोटा नहीं है। इससे भी आगे, बी.एच.ई.एल. बहुत ही प्रतियोगी मूल्य रखता है और जल्दी सामान देता है। बी.एच.ई.एल. ग्राहक के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में भी मदद करता है और अगर ज़रूरत हुई तो आरंभिक वर्षों में ग्राहक के संयंत्र का संचालन भी करता है।

बी.एच.ई.एल. – समय पर विश्व की विद्युत आवश्यकताओं के साथ

बी.एच.ई.एल. इस समय लीबिया में त्रिपोली वेस्ट बिजली घर के लिए रु. 102 करोड़ की एक परियोजना में लगा है—यह संपूर्ण परियोजना का कार्य है, और इसमें ग्राहक के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और 2 वर्षों तक संयंत्र का रख-रखाव करना भी शामिल है। सउदी अरब में, बी.एच.ई.एल. वादी जिज़ान के विद्युतीकरण के लिए एक मिश्रित अनुबंध पूरा कर रहा है – यह आर्डर रु. 65 करोड़ का है। मलेशिया में, बी.एच.ई.एल. ने स्टीम जनरेटर के लिए लगातार पाचवां आर्डर उस देश के राष्ट्रीय बिजली बोर्ड से प्राप्त किया है। न्यूज़ीलैण्ड में ओहाय और राग्निपो के बिजलीघरों को 544 मेगावाट की कुल क्षमता के हाइड्रो जेनरेटर सप्लाई किए जा रहे हैं। थाइलैंड में पट्टनी बहु-उद्देशीय परियोजना से भी बी.एच.ई.एल. को 3 हाइड्रो टरबाइन के लिए अनुबंध मिला है। नेपाल में बी.एच.ई.एल. एक संपूर्ण सब-स्टेशन के निर्माण में व्यस्त है।

ये और कई अन्य आर्डर बी.एच.ई.एल. के उत्पादों और क्षमताओं में, बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास के प्रमाण हैं।

जनता के लिये शक्ति

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

मार्केटिंग एण्ड सेल्स डिवीज़न

नई दिल्ली हाउस,
बाराखंबा रोड नई दिल्ली-110001
रजिस्टर्ड ऑफिस:
18-20 कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली-110001

हमारा स्थान, दुनिया के प्रतिष्ठितों में

SAA/BHEL/1223 A HN

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

उद्योग

जनता सरकार ने कृषि व ग्रामों के महत्व को प्राथमिकता देते हुए नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की। उद्योगमन्त्री ने स्पष्ट घोषणा की कि जनता सरकार बड़े उद्योगों, बड़े घरानों का हित साधन न करते हुए लघु उद्योगों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए अपनी उद्योग नीति बनाएगी।

नई औद्योगिक नीति में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे नगरों में व्यापक रूप से फैले हुए कुटीर और लघु उद्योगों के प्रभावी संवर्धन पर विशेष जोर दिया गया है। सरकारी नीति यह है कि जो भी उत्पादन लघु तथा कुटीर उद्योगों द्वारा किया जा सकता है उसे इन्हीं क्षेत्रों द्वारा किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उन वस्तुओं का पता लगाने के लिए जिनका उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है अथवा जिनका विस्तार किया जा सकता है, औद्योगिक उत्पादों का विशद विश्लेषण किया गया है। केवल लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ही आरक्षित किए जाने वाले उद्योगों की सूची में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी है जिसमें अब लगभग १८० वस्तुओं की अपेक्षा ५०० से अधिक वस्तुएं शामिल कर ली गई हैं।

लघु उद्योगों को दिया गया आरक्षण कुशलतापूर्वक कार्यशील है और पता लगाए गए नए उत्पादों और प्रक्रियाओं द्वारा इसका विस्तार किया जा रहा है। इसका सुनिश्चय करने के लिए आरक्षित उद्योगों की वार्षिक समीक्षा की जाया करेगी।

लघु क्षेत्र के अन्दर लघु उद्योगों की परिभाषा तो बनी रहेगी। छोटा (टाइनी) क्षेत्र अर्थात् जिनमें मशीनों और उपकरणों पर १ लाख रुपये तक का निवेश किया गया है और जो उन नगरों तथा गाँवों में स्थित हैं, जिनकी आबादी ५०,००० से कम है, की ओर विशेष तौर पर ध्यान दिया जायेगा। लघु क्षेत्र, कुटीर तथा घरेलू उद्योगों व विशेषकर छोटे (टाइनी) एककों के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए योजनायें बनाई जायेंगी।

पहले उन योजनाओं, अभिकरणों तथा संगठनों में वृद्धि करने की प्रवृत्ति रही है जिनसे अधिक प्रोत्साहन और सहायता मिला करती थी। अब लघु क्षेत्र एवं कुटीर उद्योगों के विकास बिन्दु को बड़े शहरों की राजधानियों से हटाकर जिले के मुख्य नगरों में ले जाने का विचार किया गया है। जिला उद्योग केन्द्र में एक ही स्थान पर लघु तथा ग्रामीण उद्यमियों के लिए अपेक्षित सभी सेवाएँ तथा समर्थन देने की व्यवस्था की जायेगी।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सरकार समूचे देश के सन्तुलित क्षेत्रीय विकास को बड़ा महत्त्व देती है ताकि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच विकास स्तर की असमानताएँ क्रमशः कम होती चली जायें। सरकार इस बात से चिन्तित है कि हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ औद्योगिक विकास महानगरीय क्षेत्रों तथा बड़े शहरों तक ही सीमित रहा है जिसके फलस्वरूप श्रमिक वर्ग के रहन-सहन की दशा में तेजी से गिरावट आई है। विशेषकर बड़े शहरों में गन्दी बस्ती तथा पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्यायें उत्पन्न हुई हैं। सरकार ने निश्चय किया है कि १९७१ की जनगणना के अनुसार १० (दस) लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े महानगरों तथा ५ लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों की सीमाओं के अन्दर स्थापित किये जाने वाले नये औद्योगिक एककों को अब लाइसेंस जारी नहीं किये जायेंगे। राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे उन क्षेत्रों में उन नये उद्योगों को, जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक नहीं है, स्थापित किये जाने हेतु कोई समर्थन न दें।

उत्पादन, रोजगार तथा निर्यात में योगदान

लघु औद्योगिक कारखानों की प्रगति का एक विहंगम दृष्टि से अवलोकन निम्नांकित सारणी से किया जा सकता है—

	१९७२	१९७४	१९७५	१९७६	१९७७
१. पंजीकृत कारखानों की संख्या (लाखों में)	१.४०	२.१४	२.२७	२.४७	२.६९
२. उत्पादन का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	२६०३	४९३२	५७४२	६७००	७५७०
३. स्थिर निवेश (करोड़ रु० में)	१०५५	१४४८	१६७३	१९२४	२१४४
४. रोजगार (संख्या लाखों में)	१६.५३	२१.६०	२४.००	२६.८०	२९.००

वर्ष १९७६-७७ में भारतीय अर्थव्यवस्था की निष्पत्ति की तस्वीर असामान्य रही है।

वर्ष १९७७-७८ की अवधि में राष्ट्रीय उत्पादों में कुल २ प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान किया गया था जबकि गतवर्ष यह वृद्धि ८.५ प्रतिशत रही थी। ऐसा मुख्य रूप से इस कारण हुआ क्योंकि इस अवधि में १११० लाख मीट्रिक टन का कृषिगत उत्पादन हुआ था जबकि वर्ष १९७६-७७ में १२१० लाख मीट्रिक टन का उत्पादन रहा था। खाद्य तेलों में भी काफी गिरावट रही और कपास के उत्पादन में कोई सुधार नही आया।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

औद्योगिक उत्पादन का सूचक

(आधार-१९७०-१००)

क्रम सं०	उद्योग	१९७२	१९७५	१९७६	१९७७
१	२	३	४	५	६
१.	खाद्य उत्पादन	१५३.०	१७४.७४	२१०.१०	२३१.७७
२.	लकड़ी से बनी वस्तुएं	१५१.७	१३३.१४	१५०.२३	१४४.५२
३.	चमड़े की बनी वस्तुएं	१४०.२	१२२.३२	१४४.७५	१६६.२७
४.	जूते और परिधान (वस्त्र)	१४३.७	२९५.२४	३६०.७०	३६५.११
५.	कागज से बनी वस्तुएं और छपाई	१३२.२	२१२.५१	२३५.७७	२७२.५२
६.	रबड़ से बनी वस्तुएं	१६३.९	१९१.२९	२४७.६३	२७७.०८
७.	रसायनिक उत्पाद	१४०.९	१६४.१६	१८७.६९	१७२.८३
८.	गैर-धात्विक खनिज उत्पाद	१५०.५	१४९.५०	१७५.७०	१९७.०७
९.	आधारभूत धात्विक उद्योग	१६५.०	२१८.०८	२९५.५९	३६९.२७
१०.	धात्विक उत्पाद	१४३.१	१८६.५३	१९७.४०	२१८.२१
११.	मशीनरी (विद्युत मशीनरी को छोड़कर)	१३३.१	१७६.९२	१९६.१४	२१६.९६
१२.	विद्युत मशीनरी	१४२.५	१७४.६९	१९४.०३	२८४.७१
१३.	परिवहन उपकरण	१४८.५	२२७.५२	२७८.४२	२०३.३०
१४.	विविध उद्योग	१६९.८	२६८.८७	२८७.३६	२४३.८९
	तमाम उद्योग	१४५.६	१८३.९८	२१२.२०	२२८.८२

कुछ प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्र में स्थिति इस प्रकार रही :—

सीमेंट उद्योग

१९७८-७९ के प्रारम्भ में सीमेंट के ५७ कारखाने थे जिनकी अधिष्ठापित क्षमता २२२.३ लाख मीट्रिक टन थी। वर्ष के दौरान एक एकक ने २.५ लाख मीट्रिक टन क्षमता का विस्तार किया।

जनवरी से जून, १९७९ की अवधि में सीमेंट उत्पादन ९५.५८ लाख मीट्रिक टन हुआ जबकि पिछले ६ महीनों की अवधि में ९७.२३ लाख मी० टन उत्पादन हुआ था। बिजली कोयला तथा रेलवे वैगनों की कमी जैसे महत्त्वपूर्ण कारणों का उत्पादन पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

देश में सीमेंट के उत्पादन में अधिक तेजी लाने के लिए सरकार के विचाराधीन अनेक उपायों में से एक उपाय छोटे सीमेंट संयत्रों की स्थापना करना है जो विशेषकर दूरस्थ या

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

पिछड़े क्षेत्रों में होंगे और चूने के पत्थर के छोटे निक्षेपों पर काम करना है। इस सम्बन्ध में अधिक प्रगति नहीं हो पाई है क्योंकि यह प्रौद्योगिकी परीक्षण पर है।

जिन सीमेंट उत्पादक एककों ने पिछले तीन वर्षों में उत्पादन शुरू किया है उनका नाम, अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	एकक का नाम	स्थापना स्थल	नया पर्याप्त विस्तार	क्षमता	कुल क्षमता	उत्पादन १९७५	१९७६	१९७७
						(लाख मी० टनों में)		
१.	ए० सी० सी० लि०	भूपेन्द्रा	प० वि०	१.००	४.०६	३.१२	३.१८	३.३५
२.	जे० के० सी.मेंट वर्क्स	निम्बेहेड़ा	नया एकक	३.००	३.००	२.४३	३.०२	३.५७
३.	दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स	दुर्गापुर	,,	४.००	४.००	१.६८	३.४७	३.६०
			प० वि०	२.००	६.००			
४.	सेन्चुरी सीमेंट्स	तिल्दा		६.००	६.००	२.३३	५.६८	७.०१
५.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	बोकाजन	,,	२.००	२.००	-	-	०.८३
६.	मद्रास सीमेंट	तुलुकापट्टी	प० वि०	२.१०	४.००	१.५४	१.९८	२.९०

जनवरी से जून, १९७८ की अवधि में अपनी अधिष्ठापित क्षमता के ८५% से कम उत्पादन करने वाले सीमेंट एककों की संख्या ८२ थी।

वस्त्र उद्योग

१ जनवरी, १९७९ को सूती वस्त्र मिल उद्योग में ७११ मिलें, ४१९ कताई एकक तथा २९७ कम्पोजिट एकक थे, जिनकी अधिष्ठापित क्षमता १९९७ लाख तकुवे तथा २,०९,००० करघे हैं। वर्ष के दौरान दो और कताई मिलें स्थापित की गईं जिससे उद्योग में एककों की संख्या ७०४ और तकुवों की संख्या १९८ लाख तक पहुँच गई। करघों में कोई वृद्धि नहीं हुई। वर्ष के दौरान उद्योग की ऊँची उत्पादन लागतों तथा बाजार में मंदी की स्थिति के कारण कठिनाई रही। कच्चे माल के संभरण को बढ़ाने तथा उनके मूल्यों को स्थिर और अनुशासित करने के लिए उठाए गए कदमों के फलस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ। जनवरी, १९७९ के अन्त तक ३९ मिलें वन्द रहीं।

खादी ग्रामोद्योग

वर्ष १९७८-७९ में खादी व गामोद्योगों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत अपने वजट सम्बन्धी मूल प्रस्तावों में खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने ४०.७१ करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया। खादी व ग्रामोद्योग आयोग के संशोधित प्रस्ताव ३५.६५ करोड़ रुपए के थे (खादी २०.३४ करोड़ रुपए, ग्रामोद्योग ७.७१ करोड़ रुपए तथा ब्याज उपादान ७.६३ करोड़ रुपये)। इसके अतिरिक्त ४.८० करोड़ रु० के स्थापना सम्बन्धी गैर-याजना व्यय का प्रस्ताव था।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

गलीचे

'विशाल प्रशिक्षण कार्यक्रम' के अन्तर्गत वर्ष १९७९-८० के दौरान लगभग ३०००० गलीचा बुनकरों को प्रशिक्षण देने के लिए, जनवरी १९७९ तक १८१ केन्द्र स्थापित किए गए। चालू वर्ष के दौरान १५००० दस्तकारों को प्रशिक्षण देने के लिए ३१२ और केन्द्र मंजूर किए गए। अतिरिक्त ९००० बुनकरों को प्रशिक्षण देने के लिए १९२ केन्द्र और मंजूर करने की आगामी योजना चल रही है।

पटसन

वर्ष १९७८ के दौरान पटसन की वस्तुओं का उत्पादन ११.९१ लाख मीटरी टन हुआ जो वर्ष १९७७ की तुलना में बहुत थोड़ा अर्थात् ०.६ प्रतिशत कम था। यद्यपि वर्ष के पहले छः महीनों में उत्पादन के स्तर में वृद्धि का रुख बना रहा, तथापि दूसरी छमाही के दौरान कच्चे पटसन की सप्लाई में कमी के कारण गिरावट आई तथा बढ़ी हुई निर्यात मांग के कारण १९७७ की अपेक्षा टाट, कालीन का नीचे का भाग तथा अन्य माल के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई।

नमक

१९७५ से १९७८ के वर्षों में भारत में राज्य-वार हुए नमक उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण।

आंकडे हजार मीटरी टन में

राज्य	१९७५	१९७६	१९७७	१९७८
आन्ध्र प्रदेश	३०९.७	३०७.५	२८०.७	२३५.०
गोआ दमन एवं दीव	१२.८	३.७	८.१	१३.७
गुजरात	३२९४.६	१४८५.९	२९२६.३	३५०३.५
हिमाचल प्रदेश	३.३	४.५	३.९	२.९
कर्नाटक	१६.३	२०.२	९.२	१२.६
महाराष्ट्र	४०८.२	४४९.२	५५६.४	४४९.८
उड़ीसा	४६.०	८४.४	३७.४	६२.८
पांडिचेरी	०.६	१.१	०.१	०.१
राजस्थान	४०२.९	१६४.५	३३९.८	३७८.१
तमिलनाडु	१३३३.१	१५४०.०	११५६.४	६०२.५
पश्चिम बंगाल	१५.१	१५.४	१०.२	३.७
योग	५८४२.९	४०७६.४	८३२८.५	५२६४.७

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कृषि ट्रैक्टर उद्योग

कृषि ट्रैक्टर कृषि-मशीनों का अति महत्वपूर्ण साधन है। अतः इस उद्योग को औद्योगिकीकरण की राष्ट्रीय नीति में उचित प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने अनुमान लगाया था कि १९७८-७९ तक प्रतिवर्ष ७९,००० ट्रैक्टरों की मांग होगी, किन्तु इतनी मांग नहीं हुई। योजना आयोग के हाल के अनुमानों के अनुसार १९७९-८० तक ५५,००० ट्रैक्टरों की मांग होने की सम्भावना है।

इस समय ११ एकक, २५,२५० अ० श० रेंज के ५३,४०० ट्रैक्टरों की अधिष्ठापित क्षमता से देश में ट्रैक्टर बना रहे हैं। इस समय इस उद्योग में लगभग ६५ प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है। गत कुछ वर्षों में देश में ट्रैक्टरों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। १९७१-७२ में १८,००० ट्रैक्टरों के उत्पादन स्तर में वृद्धि होकर १९७८-७९ में उत्पादन ३५,२७२ से भी अधिक हो गया है। वर्तमान संकेतों के अनुसार १९७९-८० में ३९,००० से अधिक ट्रैक्टरों का उत्पादन होने की सम्भावना है, जो कि एक रिकार्ड उत्पादन होगा। अगले ५ वर्षों में सम्भावित मांग को पूरा करने हेतु देश में पर्याप्त क्षमता उत्पन्न की गई है।

शक्तिचालित हल

शक्तिचालित हल कृषि के लिए दूसरी महत्त्वपूर्ण मशीन है। यह दो पहिए वाले किस्म के ट्रैक्टर हैं। यह धान की खेती और पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करने के लिए अधिक उपयुक्त हैं।

इस समय चार एकक शक्तिचालित हलों का निर्माण कर रहे हैं जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता १७,००० नग प्रतिवर्ष है। लगभग सभी निर्माताओं ने लगभग ९० प्रतिशत देशी हिस्से पुर्जों का उपयोग किया है। १९७९-८० में १७०० हलों का उत्पादन होने की आशा है।

कृषि-उपस्कर

इस समय ८ एकक कृषि उपस्करों और कृषि डिस्क; जो कृषि औजारों की एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है, सहित सहायक सामान के उत्पादन के लिए डी० जी० टी० डी० के पास पंजीकृत है। १९७८-७९ में कृषि उपस्करों का उत्पादन ८१,००० नग था जिसमें से ७६,८१२ नग कृषि डिस्कें थीं। १९७९-८० का उत्पादन लक्ष्य १,२५,००० डिस्कों सहित १,३८,००० नग का है। लघु क्षेत्र में भी कृषि उपस्करों और सहायक सामान का भी उत्पादन हुआ है। इस उद्योग में लगभग १००% देशी साज-सामान का उपयोग होता है।

वाणिज्यिक गाड़ियाँ

वाणिज्यिक गाड़ियों का सुनियोजित उत्पादन १९५३ में शुरू हुआ जिनमें से अधिकांश में डीजल इंजन लगाए गए हैं। इस समय वाणिज्यिक गाड़ियों के सात निर्माता हैं जिनकी अधिष्ठापित क्षमता ७०,००० नग की है। ७ एककों में से ४ एकक मध्यम और भारी भार वाली गाड़ियों का निर्माण करते हैं तथा अन्य एककों में कम भार वाली गाड़ियाँ बनाई

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जाती हैं। ज्यादातर उत्पादन साढ़े सात से आठ टन भार वाली गाड़ियों का है। १६७८-७६ की अवधि में ४८,२११ नग का उत्पादन हुआ था। इस समय बड़े सम्भरणकर्ताओं के कारखानों में हड़ताल होने के कारण कुछ प्रमुख उपकरणों की गम्भीर कमी हो गई है

वाणिज्यिक गाड़ियां विशेष रूप से ७.५ टन और इससे अधिक भार वाली गाड़ियों की किस्म काफी संतोषजनक है और विदेशी बाजार में इनकी मांग की गई है। गाड़ी निर्माताओं के निर्यात कार्यों में निरन्तर सुधार दिखाई दे रहा है जो निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :—

वर्ष	निर्यात मूल्य (लाख रुपयों में)
१६७४-७५	१५१६
१६७५-७६	२१३१.६
१६७६-७७	३२५०.०
१६७७-७८	४५.०००
१६७८-७६	४८.०००

जीपें

गैर-सरकारी क्षेत्र में जीपों का निर्माण करने वाला केवल एक एकक है। सरकारी क्षेत्र में एक और एकक है जो प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए जीप जैसी गाड़ियों का निर्माण कर रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र के एकक की अधिष्ठापित क्षमता १३,००० नग हैं। १६७७-७८ में ७८१२ तथा १६७८-७६ में ८७०६ जीपों का उत्पादन किया गया।

१६७६-८० में इस एकक द्वारा लगभग १० हजार गाड़ियाँ तैयार करने की आशा है।

औद्योगिक ट्रक

लिफ्ट ट्रक तथा पैलट ट्रक इसी श्रेणी में आते हैं। कुल २३६० क्रम की अधिष्ठापित क्षमता के ७ एककों को औद्योगिक ट्रक बनाने की स्वीकृति दी गई है। फोर्कलिफ्ट ट्रक की क्षमता ५ मी० टन तक की है। फिर भी एक एकक की योजना १० टन की क्षमता वाले फोर्कलिफ्ट ट्रक तैयार करने की भी है। १६७७-७६ में ४८२ ट्रकों का उत्पादन हुआ था।

ट्रेलर्स

१०६८६ नग की अधिष्ठापित क्षमता में लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत १३ एककों में ट्रेलर्स बनाए जाते हैं। एककों द्वारा २०० टन क्षमता तक के ट्रेलरों का उत्पादन किया जाता है। इन एककों में से मै० भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिए केवल भारी ड्यूटी ट्रेलरों का उत्पादन किया जाता है। इनमें १२० टन की क्षमता के ट्रेलरों का

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भी निर्माण किया जायगा। १९७७-७८ में २४१२ ट्रेलरों का उत्पादन हुआ था। १९७९-८० में २१०० ट्रेलरों का उत्पादन होने की आशा है।

यात्री कारें

इस समय देश में चार एकक यात्री कारों का निर्माण कर रहे हैं। १९७७-७८ में ४०,५१२ यात्री कारों का उत्पादन हुआ जबकि १९७६-७७ में ३६,४४९ कारों का उत्पादन हुआ था। नवीनतम संकेतों के अनुसार १९७८-७९ में छोटी तीन पहियों वाली कार सहित ४३,००० कारों का उत्पादन हुआ।

स्कूटर, मोटर साइकिल तथा आटो रिक्शा

१९७५-७६ तथा १९७६-७७ में स्कूटरों, मोटर, साइकिलों, मोपेडों, आटो साइकिल तथा तीन पहिए वाले स्कूटरों का उत्पादन निम्न प्रकार हुआ :—

	१९७५-७६ संख्या	१९७६-७७ संख्या
१. स्कूटर . .	१,१२,५५०	१,५६,०५१
२. मोटर साइकिल . .	७०,१०५	७२,४६२
३. मोपेड़	३४,५७९	३४,४५०
४. तीन पहिए वाले स्कूटर . .	१३,२७८	२०,०३७

आशा है कि १९७९-८० में लगभग १,९५,००० स्कूटरों का उत्पादन होगा तथा मोटर साइकिलों व मोपेड़ के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इसी तरह तीन पहिए वाले स्कूटरों का उत्पादन भी पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा होने की आशा है।

टेलीविजन

अप्रैल तथा मई १९७९ में हुआ दूरदर्शन सेटों का औसत उत्पादन फरवरी तथा मार्च, १९७९ में हुए सेटों के औसत उत्पादन की अपेक्षा लगभग ३०% कम रहा। तथापि जनवरी से मई, १९७९ की अवधि में दूरदर्शन सेटों के उत्पादन में वर्ष १९७८ में उसी अवधि में हुए सेटों के उत्पादन की अपेक्षा कुल मिलाकर १९% की वृद्धि हुई है। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष १९७९ की प्रथम तिमाही में वर्ष १९७८ की प्रथम तिमाही की अपेक्षा दूरदर्शन सेटों का ३८ प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ।

उद्योग सर्वेक्षण

१९७८ के अन्त तक देश में ८१,२७७ कारखाने थे जिनमें १६,१७१ करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई थी। इन कारखानों में ६६ लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था, ३४,०९१ करोड़ रु० मूल्य का उत्पादन हुआ और कुल राष्ट्रीय आय में इनका ७,३११ करोड़ रु० का योगदान था।

इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत वे सभी कारखाने आते हैं जो कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा २ एम के अन्तर्गत पंजीकृत है। इसमें वे इकाइयां शामिल हैं जो बिज़ली का

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

इस्तेमाल करती हैं और जिनमें १० या अधिक श्रमिक काम करते हैं और वे इकाइयाँ जिनमें बिजली का प्रयोग नहीं होता और उनमें २० या इससे अधिक श्रमिक काम करते हैं ।

वृद्धि

सर्वेक्षण के अनुसार १९७७-७८ में कारखानों की संख्या में इससे पिछले वर्ष की तुलना में १३.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्थायी पूँजी में लगभग १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। साज-सामान, उत्पादन और इससे संबंधित निर्माताओं द्वारा जोड़े गए संवर्धित मूल्य प्रत्येक में १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई, परन्तु कर्मचारियों की संख्या में केवल ४.२ प्रतिशत और उनके वेतन में ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। ७९ कारखानों के, जिनमें १९७७-७८ में ५,००० या अधिक व्यक्ति काम करते थे, कुल स्थायी पूँजी में ४४ प्रतिशत शेयर थे और कुल उत्पादन में इनका लगभग १६ प्रतिशत योगदान रहा। कुल उत्पादन और कुल कर्मचारियों का आधे से अधिक उन कारखानों से था जिनमें ५०० से अधिक व्यक्ति काम करते हैं जबकि आधा १,००० या उससे अधिक श्रमिकों वाले कारखानों, जिनकी संख्या केवल १.४ प्रतिशत है, से था।

सारे कारखानों में लगी कुल पूँजी का लगभग ३/५ भाग सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में लगा हुआ है जिनका क़ुल उत्पादन में २७.८ प्रतिशत योगदान है। सभी कारखानों में काम करने वाले कुल व्यक्तियों का लगभग एक चौथाई सार्वजनिक क्षेत्र में है।

लघु क्षेत्र के उद्योग

जिन कारखानों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से ७२ प्रतिशत लघु उद्योगों में थे। जिनका कुल उत्पादन २३.५ प्रतिशत हुआ। इनमें कुल रोजगार का लगभग एक-तिहाई व्यक्तियों को रोजगार मिला। इसमें से ४५ प्रतिशत कारखाने छोटे क्षेत्र से सम्बन्धित हैं अर्थात् इन कारखानों के संयत्रों और मशीनरी की लागत एक लाख रु० से अधिक नहीं है। इन कारख़ानों में कुल रोजगार का १५.९ प्रतिशत काम कर रहा था और कुल उत्पादन का ८.६ प्रतिशत उत्पादन किया गया।

प्रथम पांच उद्योगों, जिनका कुल उत्पादन मूल्य में योगदान के आधार पर स्थान दिया गया है—रसायन, धातु और मिश्रित धातु, सूती कपड़ा, विद्युत और गैर-विद्युतीय मशीनरी। वर्ष १९७७-७८ में प्रत्येक पांच कारखानों में से एक कारखाना खाद्य उत्पादों के तैयार करने में लगा रहा। इस उद्योग का कुल उत्पादन के कुल मूल्य और रोजगार में सबसे अधिक योगदान रहा।

सर्वेक्षण के अनुसार महाराष्ट्र राज्य का प्रथम स्थान रहा। इसमें क्रमशः स्थायी पूँजी (१६.१ प्रतिशत), रोजगार (१८.२ प्रतिशत), उत्पादन (२४.३ प्रतिशत) रहा। इसके बाद पश्चिम बंगाल का दूसरा स्थान रहा। इसमें क्रमशः रोजगार (१३.३ प्रतिशत), उत्पादन (१०.९ प्रतिशत) परन्तु इसको स्थायी पूँजी में चतुर्थ स्थान मिला। स्थायी पूँजी के मामले में बिहार और गुजरात को क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान मिला।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कारखानों को २३ उद्योग समूहों में बाँट दिया गया है। इसमें महाराष्ट्र को १६ वस्तुओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। यह है—खाद्य उत्पाद, सूती कपड़ा उद्योग, ऊनी, रेशमी और सिंथेटिक कपड़ा उद्योग, कपड़ा उत्पाद (इसमें परिधान भी शामिल है), कागज और कागज उत्पाद और छपाई, रबड़, प्लास्टिक, पैट्रोलियम और कोयला उत्पाद, रसायन, गैर-धातु खनिज उत्पाद, धातु उत्पाद और हिस्से, मशीनरी और मशीनरी औजार, बिजली की मशीनें, परिवहन उपकरण और हिस्से, बिजली, वाटर वर्क्स और सप्लाई, मरम्मत सेवाएँ और अन्य निर्माण उद्योग। चमड़ा और फर उत्पादों को तैयार करने में तमिलनाडु सबसे आगे रहा। मादक पेय, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों को तैयार करने में आंध्र प्रदेश प्रथम रहा। पटसन, हैम्प और मेस्टा वस्त्रों को तैयार करने में पश्चिम बंगाल आगे रहा। लकड़ी और लकड़ी का सामान तैयार करने में असम सबसे आगे रहा। धातु और मिश्रित धातु, गैस और भाप (स्टीम) मे बिहार तथा शीत भंडार उद्योग में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा।

लघु उद्योग

लघु उद्योग में १९७४-७८ की अवधि में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ये लघु उद्योग ५ हजार से अधिक आम उपभोग की वस्तुयें अथवा सहायक वस्तुएँ तैयार करते हैं। इस दौरान लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों की संख्या २.१६ लाख से बढ़कर ३.१९ लाख हो गई और लघु उद्योग विकास संगठन के पास पंजीकृत इकाइयों का कुल उत्पादन ४,९०० करोड़ रु० से बढ़कर ८,५०० करोड़ रु० हो गया।

लघु उद्योग क्षेत्र देश के कुल उत्पादन का लगभग ४० प्रतिशत भाग तैयार करता है। गैर-परम्परागत वस्तुएं, जो निर्यात की जाती हैं, उनमें भी इसका हिस्सा लगभग ४० प्रतिशत है।

१९७४-७८ की अवधि में लघु उद्योग क्षेत्र से रोजगार के अवसर बढ़ाने में काफी मदद मिली है। ये रोजगार कुशल और साधारण दोनों प्रकार के मजदूरों के लिए उत्पन्न हुए हैं। अनुमान है कि इस अवधि में २१.६ लाख व्यक्तियों के मुकाबले ३१.९ लाख व्यक्तियों को इनसे रोजगार मिला।

१९७८-८४ अवधि की पंचवर्षीय योजना के दौरान १९७७-७८ और १९८२-८३ के बीच २८.५ लाख व्यक्तियों तथा १९८३-८४ तक ३४.४ लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार मिलने का अनुमान है। इनमें लोगों द्वारा अपना खुद का काम धंधा शुरू करना भी शामिल है। जो अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न होगा, उसमें से ४२ प्रतिशत कुशल मजदूरों के लिए और ३० प्रतिशत साधारण मजदूरों के लिए और २० प्रतिशत पर्यवेक्षण करने वालों के लिए (अपना काम-धंधा करने वालों सहित) होगा।

जिला उद्योग केन्द्र

१९७८-७९ के दौरान देश के ३४६ जिलों को जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम में शामिल करने हेतु स्वीकृति दी गई। इन ३४६ जिला उद्योग केन्द्रों के अधीन लगभग ३५८

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जिले आयेंगे। कुछ राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में एक जिला केन्द्र के अधीन एक से अधिक जिले आते हैं। योजना में महानगरीय शहरों में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम शुरू करने का विचार नहीं है। इस तरह से दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद व हैदराबाद आदि जैसे महानगरीय क्ष त्रों को इस योजना के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है।

१६४ जिला उद्योग केन्द्रों ने सूचित किया है कि उन्होने वर्ष १६७८-७६ में १,४६, ६६५ व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किये थे। जिला उद्योग केन्द्रों से कहा गया है कि वे ऐसी कार्यवाही योजनायें तैयार करें जिनमें संबंधित जिले की मांग, कार्यकुशलता व अतिरिक्त संसाधनों और खंडवार कार्यक्रम के ब्यौरे उपलब्ध कराने तथा कामगरों पर आधारित क्रियाकलापों, छोटे व लघु एककों, के लिए अलग से वित्तीय नियोजन व उत्पादन संभव्यनाओं का पता लगाने पर ध्यान दिया जाए। आशा है कि चालू वित्त-वर्ष में प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र लगभग २५०० व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा जिससे लगभग १० लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

Best Wishes

SPACE DONATED BY :-

Universal Hydrocarbons Company Pvt. Ltd.

(Quality Producers of : Calcined Petroleum Coke)

INDUSTRIAL AREA, TILRATH, DIST. BEGUSARAI

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Andhra Pradesh State Road Transport Corporation

We strive to achieve on Wheels not just performance par excellence but

- ☐ Bringing people together.
- ☐ Extending frontiers of knowledge.
- ☐ Unfolding and sharing new experiences in management and maintenance.
- ☐ National integration is an essential aspect of our operations.
- ☐ Reaching out to touch the lives of millions of people through extensive inexpensive transport.
- ☐ Developing communications in Backward and Tribal Areas.
- ☐ Creating employment.
- ☐ Nurturing ancillaries.
- ☐ WE ARE PROUD OF OUR ACHIEVEMENT IN THE PAST AND WE FACE THE FUTURE WITH CONFIDENCE.

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

योजना

अगस्त १९४७ में देश स्वतन्त्र होने के साथ ही जन-जीवन के आर्थिक विकास हेतु एक सुयोजित आर्थिक विकास की प्रणाली निर्धारित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। रूस की पंचवर्षीय योजनाओं से प्रेरित होकर भारत में भी आयोजन का युग आरम्भ हुआ। मार्च १९५० में भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया जिसका उद्देश्य "जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना तथा समृद्ध एवं अधिक विविधतापूर्ण जीवन के लिए नये अवसर प्रदान करने हेतु विकास की एक प्रक्रिया प्रारम्भ करना था।" इसका उद्देश्य ३० वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना था।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनुसार १९७४-७९ के पांच वर्षों की अवधि के लिए ५३,४११ करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था है। इसमें से ३७,२५० करोड़ रु० सार्वजनिक क्षेत्र के लिए और १६,१६१ करोड़ रुपए निजी क्षेत्र के लिए होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग के लिए ३१,६७० करोड़ रु० तथा मौजूदा परिव्यय के लिए ५५८० करोड़ रु० रखे गये।

पांचवीं योजना के दौरान के घटक लागत (फैक्टर कास्ट) पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन में ५.५% विकास दर का लक्ष्य रखा गया। प्रारूप के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में तथा गरीबी हटाने व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना के ठोस उद्देश्य निर्धारित किए गए। पांचवीं पंचवर्षीय योजना १९७४-७५ से १९८५-८६ तक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य की एक योजना है। परिप्रेक्ष्य परियोजना में गरीबी हटाने के लक्ष्य के, अनुरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के दीर्घावधि उत्पादन ढांचे, जनसंख्या के उभरते स्वरूप शहरीकरण की प्रवृत्तियाँ, श्रम-शक्ति में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था के बाह्य पक्ष का विवरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर होने के लिए दीर्घावधि में ६.२% वार्षिक विकास दर प्राप्त करनी होगी। परिप्रेक्ष्य योजना का एक आधारभूत निष्कर्ष यह भी है कि परिप्रेक्ष्य योजना अवधि के दौरान, विकास आयोजन के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाना सार्वजनिक महत्वपूर्ण चुनौती है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

विकास परिव्यय का स्वरूप

पांचवीं योजना के लिए ५३,४११ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इस कुल व्यवस्था से ३७,२५० करोड़ रु० सार्वजनिक क्षेत्र के लिए तथा १६,१६१ करोड़ रु० निजी क्षेत्र के लिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निर्धारित राशि में ३१,६७० करोड़ रु० पूंजी निवेश के लिए है तथा ५,५८० करोड़ रुपये चालू परिव्यय के लिए। निम्न तालिका, सार्वजनिक क्षेत्र की प्रस्तावित व्यवस्था के बारे में है।

(करोड़ रुपये)

विकास मदें	केन्द्र	राज्य	संघ शासित क्षेत्र	जोड़
१	२	३	४	५
१. कृषि	१६४६	२७१७	६७	४७३०
२. सिंचाई	१४०	२५१५	२६	२६८१
३. बिजली	७३८	५३४३	१०९	६१९०
४. खान तथा उत्खनन	८१८०	७४२	१७	८९३९
५. निर्माण	२५	—	—	२५
६. परिवहन तथा संचार	५७२७	१२९७	९१	७११५
७. व्यापार तथा भंडारण	१९४	११	—	२०५
८. आवास तथा स्थावर सम्पदा	२३७	३३८	२५	६००
९. वैंकिंग तथा वीमा	९०	—	—	९०
१०. जन प्रशासन तथा रक्षा	६०	३०	८	९८
अन्य सेवाएँ	१९५३	३५८०	२५७	५७९०
१ शिक्षा	४८४	११५५	८७	१७२६
२ स्वास्थ्य	२५३	५१७	२६	७९६
३ परिवार नियोजन	५१६	—	२३	५१६
४ पोषाहार	७०	३३०	—	४००
५ शहरी विकास	२५२	२७२	१९	५४३
६ जलपूर्ति	१६	९२४	८२	१०२२
७ समाज कल्याण	२००	२६	३	२२९
८ पिछड़े वर्गों का कल्याण	५५	१६७	४	२२६
९ श्रम कल्याण	१५	३८	४	५७
१० विविध	९२	१५१	३२	२७५
११ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	४१९	—	—	४१९
१२ पर्वतीय जनजातीय क्षेत्र	—	५००	—	५००
१३ विज्ञान, तकनीकी या अर्जित किए जाने वाले अतिरिक्त वैकल्पिक संसाधनों के लिए निर्धारित धनराशि में अनुमानित कटौती कम करना	१३२	—	—	१३२
जोड़	१९,५७७	१७०७३	६००	३७,२५०

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

केन्द्रीय सरकार की वार्षिक योजना के परिव्ययों के विकास के आंकड़े

क्रम-सं०	विकास का शीर्ष	परिव्यय (करोड़ रु०)
१.	कृषि और सम्बद्ध कार्यक्रम	८७१.६२
२.	सिंचाई (बड़ी और मझौली)	५.६७
३.	वाढ़ नियंत्रण	१७.४५
४.	विद्युत्	२४३.७१
५.	ग्राम और लघु उद्योग	१३९.९३
६.	उद्योग और खनन	२२६७.५३
७.	परिवहन और संचार	१३२८.३६
८.	शिक्षा	११५.७६
९.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	२५८.२०
१०.	जलपूर्ति और स्वच्छता	६२.७०
११.	आवास	६८.२९
१३.	राज्य राजधानी परियोजनाओं सहित शहरी विकास	४४.६३
१३.	पिछड़े वर्गों का कल्याण	२४.०५
१४.	समाज कल्याण	२०.११
१५.	अन्य कार्यक्रम और सेवाएँ	१९५.७८
	जोड़	५६६४.०९

राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

पांचवी योजना में उल्लिखित राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सभी क्षेत्रों के लिए सामाजिक उपयोग हेतु पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रारम्भिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, पोषाहार, पेयजल, मकानों के लिए भूखंड, गन्दी बस्तियों के सुधार, गांवों में सड़क बनाने और गांवों में बिजली लगाने से संबंधित कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व का होगा।

भूमि सुधार

पांचवीं योजना की भूमि-सुधार-सम्बन्धी नीति में ठोस कार्यक्रमों, कार्यान्वयन-संबंधी व्यवस्था के सुधार और जनता के सहयोग पर जोर दिया जायगा।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

यह जरूरी है कि निश्चित अवधि के कार्यक्रमों के अनुसार वर्तमान पट्टेदारी कानूनों और बटाईदारों को भूमि का स्वामित्व देने के कानूनों की त्रुटियाँ दूर करने के लिए तुरन्त कानून बनाने के उपाय किये जाएँ। कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों में पट्टेदारी सम्बन्धी रिकार्ड तैयार करने और रखने तथा भूमि-चकबन्दी के व्यापक कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जायगी। इसी प्रकार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जायेंगे।

सिंचाई

सिंचाई योजना के दो प्रमुख उद्देश्य होंगे : (१) सूखा वाले क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सिंचाई की सम्भाव्य क्षमता में काफी वृद्धि करना, (२) सम्भावित ऋण के उपयोग में सुधार और अधिकतम उत्पादकता के लिए जल और भूमि का सक्षम प्रबन्ध। पांचवीं योजना में बड़ी और मँझोली सिंचाई परियोजनाओं के लिए २,४०१ करोड़ रुपये का परिव्यय है तथा ६२ लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है।

पांचवीं योजना में लघु सिंचाई परियोजनाओं द्वारा ६० लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित क्षेत्र बनाने की योजना है। इसका कुल परिव्यय ८१० करोड़ रुपए होगा। इसमें भुमि जल विकास, सर्विस सिंचाई और लिफ्ट सिंचाई भी सम्मिलित होंगे। भूमि जल के उचित नियमन, नियंत्रण और प्रबन्ध के लिए कई राज्यों में आवश्यक अधिनियम भी जरूरी होंगे।

बिजली

१९७८-७९ में बिजली की सप्लाई के लिए ३ करोड़ ३० लाख किलोवाट स्थापित क्षमता की जरूरत पड़ेगी। पांचवीं योजना में १५ लाख पम्पिंग सेटों को बिजली दी जायगी तथा १ लाख १० हजार गांवों का विद्युतीकरण होगा। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में कुल ६१९० करोड़ रु० का वित्तीय परिव्यय होगा।

उद्योग और खनिज

उद्योग और खनिज के क्षेत्र में ८.५ प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। योजना में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया है (१) प्रमुख क्षेत्र उद्योगों का तेजी से विकास, (२) जन-साधारण के उपभोग की वस्तुओं की सप्लाई, (३) निर्यात में वृद्धि के लिए अतिरिक्त क्षमता बनाना, (४) ग्रामीण और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन तथा (५) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का विकास। लाइसेंस देने की नीति, विदेशी पूँजी निवेश और तकनीकी सहयोग नीति, मूल्य और ऋण-नीति, ऊर्जा, विज्ञान और तकनीकी नीति आदि के लिए उपयुक्त नीतियों का निर्धारण किया गया है। पांचवीं योजना में उद्योग और खनिज क्षेत्रों के लिए १३,५२९ करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इनमें से गैर सरकारी क्षेत्रों के लिए ५,२०० करोड़ रुपये होंगे।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ग्रामीण और लघु उद्योग

. पांचवीं योजना में एक व्यापक नीति यह रखी गई है कि ग्रामीण और लघु उद्योगों के विकास कार्यक्रमों में अधिक-से-अधिक विस्तार के लिए इन्हें विभिन्न रूपों में सहायता और सुविधाएँ दी जाएं। सार्वजनिक क्षेत्र में इन कार्यक्रमों के लिए लगभग ६११ करोड़ रु० परिव्यय की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त संस्थागत वित्त सहित गैर-सरकारी स्रोतों से लगभग १०५० करोड़ रु० के पूँजी निवेश का अनुमान है। पांचवीं योजना में परामर्शसेवाओं, तकनीकी सुधार, सहकारी समितियों जैसे अनेक कार्यक्रम भी चालू किए जायेंगे।

परिवहन

पाँचवीं योजना में परिवहन-व्यवस्था के विभिन्न अंगों के समन्वित और व्यवस्थित विकास पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है ताकि परिवहन-व्यवस्था सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखी जा सके और इसके विभिन्न अंग यथा समय एक-दूसरे पर निर्भर हों और एक-दूसरे के पूरक बनें। सार्वजनिक क्षेत्र में कुल परिव्यय ५,६९१ करोड़ रु० का है। इसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

(करोड़ रु०)

विकास का मद	केन्द्र	केन्द्र प्रयोजित	राज्य	केन्द्र शासित प्रदेश	योग
१. रेल	२५५०	—	—	—	२५५०
२. सड़क	६२०	९४	९६१	७३	१७६८
३. सड़क परिवहन	२६	—	२५६	३	२८५
४. बन्दरगाह	३२०	१०	१९	३	३५२
५. जहाजरानी	२५८	—	—	२	२६०
६. अन्तर्देशीय जल परिवहन	४८	—	६	२	७०
७. प्रकाश स्तम्भ	१२	—	—	—	१२
८. नागरिक विमान सेवा	३९१	—	२	१	३९४
कुल	४२२५	११८	१२६४	८४	५६९१

शिक्षा

योजना में चार मुख्य बातों पर जोर दिया गया है : (१) शिक्षा के अवसरों में समानता (२) शिक्षा-पद्धति तथा विकास की आवश्यकता और रोजगार अवसरों में अधिक निकट सम्बन्ध, (३) शिक्षा के स्तर में सुधार और (४) सामाजिक तथा आर्थिक विकास के कार्यों में छात्रों सहित शिक्षा-समुदाय को लगाना। तकनीकी शिक्षाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा तथा योजनावधि में उसके स्तर में भी सुधार लाया जाएगा। पांचवीं योजना

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है जिससे मुख्यतया समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचे। पाचवीं योजना में शिक्षा के लिए १,७२६ करोड़ रुपये परिव्यय की व्यवस्था है। प्रस्तावित परिव्यय का ४३ प्रतिशत प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय होगा और यह पांचवीं योजना की एक प्रमुख बात होगी। दोपहर के भोजन के कार्यक्रम के प्रस्तावित विस्तार होने पर प्रारम्भिक शिक्षा में महत्त्वपूर्ण विस्तार की सम्भावना है।

स्वास्थ्य, और पोषाहार

पांचवीं योजना का प्रमुख लक्ष्य समाज के कमजोर वर्ग, शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए परिवार कल्याण तथा पोषाहार कार्यक्रमों के साथ साथ स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनतम सुविधायें देना है। पांचवीं योजनावधि में (१) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराना, (२) क्षेत्रीय असमानताओं को ठीक करना, (३) संक्रामक रोगों के उन्मूलन और नियंत्रण तथा (४) शिक्षा के स्तरों में सुधार और स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि पर जोर दिया जायेगा। यह समझा गया है कि समन्वित स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए बहु-उद्देशीय स्वास्थ्य इकाइयों की आवश्यकता है और इस उद्देश्य की सफलता के लिए अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना भी जरूरी होगा। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ७९६ करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है। इसमें से ५४३ करोड़ रु० राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों की योजनाओं पर व्यय किया जाएगा।

पांचवीं योजनावधि में पोषाहार कार्यक्रमों के विस्तार का प्रस्ताव है। पांचवीं योजना में १ करोड़ ६५ लाख व्यक्तियों को दोपहर का भोजन देने का तथा एक करोड़ व्यक्तियों को विशेष पोषाहार देने का कार्यक्रम रखा गया है। पांचवीं योजना में पोषाहार के लिए ४०५ करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है।

शहरी विकास तथा आवास

पाँचवीं योजना में इस क्षेत्र के प्रमुख लक्ष्य होंगे, (१) शहरी क्षेत्रों में नागरिक सेवायें प्रारम्भ करना, (२) महानगरों की समस्याओं का बड़े पैमाने पर सामना करने के लिए प्रयत्न करना, (३) छोटे शहरों के विकास को प्रोत्साहन देना तथा शहरीकरण के बढ़ते हुए दबाव को रोकने के लिए नये शहरी केन्द्र स्थापित करना और महानगरों से सम्बद्ध परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता देना। शहरी नियोजन की सबसे गम्भीर समस्या है— शहरी भूमि के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि। इस सन्दर्भ में शहरी भूमि नीति का निर्धारण करना नितान्त आवश्यक है। पांचवीं योजना में ५७८ करोड़ रुपये परिव्यय का प्रस्ताव है।

आवासों की बढ़ती हुई मांगों और भवन निर्माण-सामग्रियों के बढ़ते हुए मूल्यों के कारण उनकी अनुपलब्धि को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना में आवास क्षेत्र में निम्नलिखित लक्ष्यों को रखा गया है: (१) वर्तमान आवासी सामग्रियों की स्थिति में सुधार, (२) ४० लाख भूमिहीनों के लिए आवास भूखण्ड, (३) समाज के कुछ कमजोर वर्ग के

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

लोगों को रियायती दर पर मकान देने की योजना को आगे भी चालू रखना और (४) संस्थागत संगठनों की सहायता में विस्तार।

आवास क्षेत्र के लिए कुल ५८० करोड़ रु० का परिव्यय है। इसमें से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए ३४३ करोड़ रु० होगा।

पिछड़े वर्गों का विकास

पांचवीं योजना में पिछड़े वर्गों के विकास की योजना का मुख्य लक्ष्य है—इस वर्ग के लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाना तथा पहाड़ी और जन-जाति के लोगों तथा अन्य क्षेत्रों के विकास-स्तर के अन्तर को कम करना। पहाड़ी और जन-जातीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक समन्वित विकास योजना शुरू की जाएगी। अनुसूचित जाति के लोगों की जमींदार वर्ग पर निर्भरता कम करने के लिए इस वर्ग के व्यवसायों में विभिन्नता लाने और उसके आधुनिकीकरण का काम भी पूरा किया जायेगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन करने और गंदे काम धन्धों के यन्त्रीकरण के प्रयासों में तेजी लाई जायेगी। पांचवीं योजना में पिछड़े वर्ग के लिए जो कार्यक्रम चालू किये जायेंगे, उन पर राज्य क्षेत्रों में १७० करोड़ रु० तथा केन्द्रीय क्षेत्रों में ८५ करोड़ रु० की धनराशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त पहाड़ी और जन-जातीय क्षेत्रों के लिए ५०० करोड़ रु० का प्रावधान है।

समाज कल्याण

पांचवीं योजना में समाज कल्याण की भावना को विस्तृत रूप दिया गया है और कल्याण तथा विकास सेवाओं को मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। समाज कल्याण के लिए निर्धारित २२९ करोड़ रु० परिव्यय में से २०० करोड़ रुपया केन्द्रीय क्षेत्र में होगा।

विज्ञान और टेक्नोलाजी

विज्ञान और टेक्नोलाजी योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थ-व्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों को आत्म-निर्भर बनाना है। विज्ञान और टेक्नोलाजी कार्यक्रम को पहले-पहल योजना में स्थान दिया गया है। योजना और सामर्थ्य वाले क्षेत्रों को गति प्रदान करना तथा डिजाइन, परामर्श, प्राकृतिक साधनों के मूल्यांकन-जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की त्रुटियाँ दूर करना इसका उद्देश्य है।

उपयोग-प्रधान विज्ञान और टेक्नोलाजी योजना में उत्पादनकर्ता तथा टेक्नोलौजी के उपभोक्ता के बीच सम्पर्क कायम करने पर जोर दिया गया है। इसी प्रकार विस्तृत संगठन तथा प्रबन्ध सम्बन्धी परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा है।

विज्ञान और टेक्नोलाजी के लिए कुल १०३३ करोड़ रुपये वित्तीय परिव्यय रखा गया है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

योजना आयोग की नई प्रणाली

योजना आयोग ने देश में आयोजना की एक नई पद्धति लागू करने का निर्णय किया है जिसके आधीन पाँच वर्ष की अवधि का कार्यक्रम लागू किया जायेगा। उसके अधीन हर वर्ष अगले पाँच वर्ष की योजना तैयार की जायेगी।

आयोग ने कृषि, सिंचाई तथा लघु उद्योगों के लिए अन्य मदों से अधिक साधन उपलब्ध करने का भी निर्णय किया।

प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित आयोग की बैठक में विकास के उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा आयोजन के नये उद्देश्यों पर विचार हुआ।

आयोग के अनुसार १९७८-७९ वर्ष नई निरवधिक प्रणाली का पहला वर्ष था। इस पद्धति से हर साल परिस्थितियों के अनुकूल आयोजन में परिवर्तन और व्यवस्थापन आसान हो जायेगा। इस तरह पंचवर्षीय योजना की कोई नियत अवधि नहीं होगी। हर साल की योजना के साथ एक वर्ष और जुड़ता चला जायेगा। जिससे पंचवर्षीय योजना निरवधिक बन जाएगी।

१९६२ के बाद रक्षा की भी इसी तरह की योजना लागू की गई थी। योजना आयोग के इस फैसले से पांचवीं योजना की अवधि मार्च १९७८ में चार वर्ष में ही समाप्त हो गई तथा अप्रैल, १९७८ से पांचवर्षों का निरवधिक कार्यक्रम लागू हुआ। आयोग ने आयोजना की तकनीक में यह परिवर्तन इसलिए किया है कि उसमें लचीलापन कायम रहे तथा जरूरत के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके।

पिछली योजनाओं में कृषि उत्पादन में कमी अथवा वृद्धि होने पर उसमें व्यवस्थापन की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई थी। परिणामस्वरूप आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों के समय देश को काफी नुकसान उठाना पड़ा। परिस्थितियों को संभालना कठिन हो गया। अब उत्पादन के लक्ष्य तथा साधनों की व्यवस्था परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित अथवा संशोधित किये जा सकेंगे।

योजना आयोग राज्य सरकारों के मुख्य मन्त्रियों से छठी योजना के उद्देश्यों के बारे में बातचीत करेगा तथा उसके आधार पर ही अब पूंजी निवेश के लक्ष्य, प्राथमिकताएँ तथा नये आयोजन की नीति तय की जायेगी।

आयोग का विचार

आयोग का विचार है कि रोजगार बढ़ाने तथा गरीबी दूर करने के लिए अन्य क्षेत्रों से कृषि, सिंचाई तथा लघु उद्योग में अधिक पूंजी लगाई जानी चाहिए। इसके लिए आर्थिक साधनों का बंटवारा अगले वर्ष नये सिरे से किया जायेगा, साथ ही कुछ आवश्यक जिन्सों का भंडार तैयार किया जायेगा जिससे कीमतें स्थिर रहें। इसके लिए भी अधिक धन देना पड़ेगा।

अगले वित्तीय वर्ष में केन्द्र तथा राज्यों की योजना इसी आधार पर तैयार की जायेगी।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

छठी योजना

प्रधान मंत्री ने अगस्त १९७८ में संसद में बताया कि १९७८-८३ की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में ६९,३८० करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है जबकि पहली पंचवर्षीय योजना में यह परिव्यय २३७८ करोड़ रु० था। इस प्रकार इसमें २९ गुना वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र के निवेश सहित कुल योजना की धनराशि ४१७८ करोड़ रु० से बढ़कर ११६२४० करोड़ रु० अर्थात् २७ गुना अधिक हो गई है।

उन्होंने बताया कि पिछली उपलब्धियों और कार्यान्वयन की क्षमताओं की पृष्ठभूमि में योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

१९७८-८३ की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में विभिन्न स्तरों पर विशेषीकृत आयोजना और प्रबोधन कक्षों के लिए प्रस्ताव किये गये हैं। प्रबोधन सहित आयोजन तंत्र और व्यवस्था का विस्तार करके उसमे केन्द्रीय मन्त्रालयों के अलावा राज्यों में क्षेत्रीय, जिला और खंड स्तरों का समावेश किया जा रहा है।

पहली योजना और १९७८-८३ की योजना का प्रारूप

क्रम-सं०	मद	इकाई	पहली योजना (१९५१-५६) के लक्ष्य	योजना के प्रारूप (१९७८-८३) के लक्ष्य	(३) से (४) में वृद्धि का प्रतिशत
१	२	३	४	५	६
१.	खाद्यान्न	दस लाख टन	६२.६	१४०.४८ से १४०.४८	१२४ से १३१
२.	कपास	दस लाख गांठें	४.१	८.२ से ९.३	१०० से १२७
३.	तिलहन	दस लाख टन	५.६	११.२ से ११.५	१०० से १०५
४.	पटसन	दस लाख गांठें	५.४	८.५६	५९
५.	लौह अयस्क	दस लाख टन	४.१	६५	१४८५
६.	कोयला	" "	३९.६	१४९	२७६
७.	तैयार इस्पात	" "	१.७	१३.९५	७२१
८.	चीनी	" "	१.५	६.२०	३१३
९.	सीमेंट	" "	४.९	२९ से ३०	४९.२ से ५१२

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१९७९-अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष

बच्चे राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ परिसम्पति हैं और इनके सुन्दर भविष्य की परिकल्पना तथा उसकी प्राप्ति के लिए सदुपायों को ढूँढना पवित्र कर्तव्य है। भारत सरकार तथा विहार सरकार ने इसके लिए कुछ कार्य योजनायें बनायी हैं। जिनके कार्यान्वयन से बच्चों के कल्याण में उत्तरोत्तर विकास होगा।

बच्चों के मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाये जाने चाहिए।

१. अनाथ बच्चों के लिए भारी संख्या में निराश्रित गृह खोले जायें। इस कार्य के लिए किसी निबंधित संस्था को राज्य सरकार की अनुशंसा पर भारत सरकार सहायता देती है। समाज सेवियों के लिए समाज-सेवा का यह एक सुनहरा अवसर है। इसके आवेदन के लिए स्थानीय जिला कल्याण पदाधिकारी तथा निदेशक (कल्याण) पटना से सम्पर्क स्थापित करें।

२. काम करने वाली माताओं के बच्चों की देखभाल के लिए "दिवा देख-माल केन्द्र" (Day-Care-Centre) खोले जायें। इसके लिए जिन फर्मों या कम्पनियों में औरतें काम कर रही हैं उसके मालिक केन्द्र चालकों की मदद करें।

३. जिन माता-पिता को अपना बच्चा नहीं है उन्हें अनुरोध है कि किसी एक अनाथ बालक को गोद लेकर उसे एक योग्य नागरिक बनावें।

४. सम्पन्न व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे भी प्रत्येक परिवार में एक अनाथ बालक को अपनाकर अपने बच्चे की तरह रखें और उसे योग्य नागरिक बनायें।

५. स्कूल जाने वाले तथा स्कूल पूर्व बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था सरकार की ओर से है किन्तु सभी माता-पिता/अभिभावक अपने बच्चों में स्वस्थ्य आदतें डालने का प्रयास करें और उन्हें स्कूल में साफ-सुथरे ढंग से भेजें।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
बिहार सरकार द्वारा
प्रसारित

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वाणिज्य व्यापार

देश की बढ़ती हुई आर्थिक रूपरेखा के अनुसार भारत के विदेश व्यापार का ढांचा भी बदल गया है। एक के बाद दूसरी विगत योजनाओं में बहुत अधिक पूंजी लगाने के फलस्वरूप विदेश व्यापार की मात्रा, मूल्य और स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और उसमें काफी वृद्धि हुई है।

इन पिछले ३२ वर्षों में भारत का विदेश व्यापार तीन गुना हो गया है, लेकिन इससे भी अधिक उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण परिवर्तन इसकी संरचना और दिशा में हुए हैं। आजादी के बाद इन ३२ वर्षों में हमारे देश के विदेश व्यापार का 'उपनिवेशवादी' स्वरूप बदलकर स्वतंत्र एवं सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र के व्यापार के अनुकूल हो गया है।

देश से अप्रैल, १९७८ के मुकाबले अप्रैल, १९७९ में ३० करोड़ रुपए मूल्य का अधिक निर्यात हुआ। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, १९७९ में कुल ४६४.०४ करोड़ रु० मूल्य का निर्यात और पुनर्निर्यात हुआ। अप्रैल, १९७८ में यह राशि ४३२.६७ करोड़ रुपए थी।

इसी प्रकार इस वर्ष अप्रैल में लगभग ४०१.५९ करोड़ रु० मूल्य का आयात हुआ जबकि पिछले वर्ष ३६८.४० करोड़ रुपए मूल्य का आयात किया गया था।

१९७८-७९ के दौरान पूरक प्रतिप्राप्तियों पर आधारित कुल निर्यात ५६१८.२६ करोड़ रुपए मूल्य का हुआ। इस वर्ष में आयात ६७०३.८९ करोड़ रुपए मूल्य का किया गया। इस प्रकार १९७८-७९ के दौरान १०८५.६३ करोड़ रुपए का व्यापार घाटा रहा।

भारत का विदेश व्यापार

अद्यतन अनन्तिम प्राक्कलनों के अनुसार, अप्रैल १९७८ से मार्च, १९७९ के दौरान भारत के निर्यात ५६१८ करोड़ रु० मूल्य के रहे जब कि विगत वर्ष की उसी अवधि के ५३०४ करोड़ रु० की तुलना में उसमें ५.९ प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९७८-७९ के दौरान आयातों के अद्यतन आंकड़े ६७०३.९ करोड़ रु० हैं जबकि १९७७-७८ में वे ६०२० करोड़ रु० थे, इस प्रकार इसमें ११ प्रतिशत की वृद्धि हुई। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर १९७८-७९ में विदेश व्यापार घाटा १०८५.९० करोड़ रु० का रहा।

विगत कुछ वर्षों के निर्यातों, आयातों तथा व्यापार शेष की प्रवृत्ति निम्नोक्त प्रकार है :—

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वर्ष	आयात	पुनर्निर्यातों सहित निर्यात	(करोड़ रु०) व्यापार शेष
१९७३-७४	२९५५.३७	२५२३.४०	(—) ४३१.९७
१९७४-७५	४५१८.७८	३३२८.८३	(—) ११८९.९५
१९७५-७६	५२६४.७८	४०३६.२६	(—) १२२८.५२
१९७६-७७	५०७३.९५	५१४५.७८	(+) ७१.८३
१९७७-७८	६०२५.२९	५४०४.२६	(—) ६२१.०३
१९७८-७९	६७०३.९०	५६१८.००	(—) १०८५.९०

१९७७-७८ से निर्यात में कमी आने के मुख्य कारण ये हैं :—(क) विकसित देशों में चल रही मंदी की दशा, (ख) उनके द्वारा अपनाए गए संरक्षणात्मक उपाय (ग) १९७८-७९ के दौरान चाय, काफी, काली मिर्च, चीनी, खली तथा लौह अयस्क जैसी निर्यात मदों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी गिरावट, (घ) डालर के रुपया मूल्य में गिरावट तथा (ङ) निर्यात योग्य अधिशेषों में कमी जो, विभिन्न कारणों से आई, तथा विजली की कमी, श्रमिक अशान्ति, यातायात सम्बन्धी रुकावटें, पत्तन पर भीड़भाड़, लोहे तथा इस्पात, सीमेंट, वस्त्र जैसी मदों के सम्बन्ध में घरेलू मांग में वृद्धि, बहुत से राज्यों में अभूतपूर्व बाढ़ों का आना, आयातित कच्चे काजू की उपलब्धता में कमी, घरेलू सप्लाइयाँ प्राप्त करने में कठिनाइयां तथा समुचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कतिपय वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार की सुविचारित नीति और इस प्रकार इससे निर्यातों की सामाजिक लागत में कमी आना।

नई निर्यात नीति में जिस बात पर मुख्य जोर दिया गया है और कठिनाइयों पर काबू पाने तथा राष्ट्रीय विकास नीति के अनुरूप वैज्ञानिक आधार पर निर्यात व्यापार की पुनः संरचना करने के लिए किये गये उपाय ये हैं : (क) सरलीकृत तथा विकेन्द्रीकृत आयात नीति के जरिए आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों की उपलब्धता को सुकर बना कर निर्यात उत्पादन आधार को सुदृढ़ करना, (ख) उत्पादन में रुकावट डालने वाली वाधाओं को दूर करके औद्योगिक तथा कृषि दोनों क्षेत्रों में चुनी हुई मदों के लिए उत्पादन आधार को बढ़ाना तथा वार्षिक पंचवर्षीय योजना में धन के आवंटन के मामले में उनके लिए प्राथमिकताएँ सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न करना, (ग) निर्यात प्रयास में राज्य सरकारों को पूरी तरह से लगाना, (घ) टास्क फोर्स द्वारा गहराई के साथ किये गए अध्ययनों के आधार पर सक्रिय निर्यात क्षेत्रों का पता लगाना तथा समस्याओं से निपटना, (ङ) आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के संगठनों, राज्य व्यापार निगम तथा खनिज व धातु व्यापार निगम जैसे निर्यात संगठनों, विदेश स्थित भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधियों, निर्यात संवर्धन परिषदों तथा वस्तु वोर्डों को शक्ति प्रदान करना ताकि वे निर्यात क्षेत्र में विशेष रूप से लघु

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

क्षेत्र तथा कुटीर उद्योगों के क्षेत्रों में और अधिक सक्रिय तथा संवर्धनात्मक भूमिका अदा कर सकें (च) प्राथमिक स्वरूप की अपेक्षा मूल्य वर्धित स्वरूप में मदों के निर्यात को बढ़ाना और निर्यात उत्पादों तथा साथ ही निर्यात बाजारों में विविधीकरण लाना, (छ) सुव्यवस्थित तथा सुस्थिर आधार पर चुनी हुई निर्यात मदों को आवश्यक नकद प्रतिपूर्ति समर्थन देना, तथा (ज) अंकटाड तथा गाट जैसे बहुराष्ट्रीय मंचों पर तथा द्विपक्षीय वार्ताओं के जरिए भारत तथा अन्य विकासशील देशों के लिए बेहतर व्यापार वातावरण सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करना।

आयात

जहाँ तक आयातों का सम्बन्ध है, हमारे विकास के वर्तमान चरण में, पूंजीगत माल, ऊर्जा और अन्तर्निविष्ट साधनों जैसे उर्वरकों, अलौह धातुओं, इस्पात आदि की कुछ मदों के आयातों की आवश्यकता होगी ताकि कृषि और औद्योगिक उत्पादन को सुदृढ़ बनाया जा सके और नया विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्राप्त की जा सके। आयात अधिशेष मूल्य स्थिरता के उद्देश्य की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। पंचवर्षीय योजना १९७८-८३ का प्रारूप योजना अवधि के लिए ८८२३ करोड़ रु० का एक पूर्णतः प्रतिकूल व्यापार शेष दर्शाता है। पैट्रोलियम आयातों की लागत में लगभग १२०० करोड़ रु० की वृद्धि होने का अनुमान है। ऐसी परिस्थितियों मे, १९७९-८० के व्यापार घाटे का १९७८-७९ के १०८६ करोड़ रु० के अनन्तिम व्यापार घाटे से अधिक होना स्वाभाविक है। सरकार स्थिति की गम्भीरता के प्रति पूरी तरह से सचेत है और निर्यातों को बढ़ाकर आयातों को कम करके सरकार व्यापार घाटे को कम करने के सभी प्रयास कर रही है।

पूर्वी यूरोप के देशों से व्यापार

भारत और पूर्व-यूरोपीय देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार सतत प्रयास कर रही है। इस सम्बन्ध में, हाल में किये गए उपाय नीचे दिए गए हैं :—

सोवियत संघ

भारत तथा सोवियत संघ के बीच आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के एक दीर्घावधि कार्यक्रम पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा नई दिल्ली में १४ मार्च, १९७९ को हस्ताक्षर किए गए। दीर्घावधि कार्यक्रम १०-१५ वर्षों की अवधि के लिए है और सहयोग के क्षेत्र में विस्तृत विषयों को छूता है, जिसमें विशेषतः व्यापार, लौह और अलौह धातु-कर्म, कोयला, उद्योग, तेल की खोज, उत्पादन तथा परिशोधन, मशीन निर्माण, सिंचाई, कृषि और पशु-पालन, परिवहन तथा दूरसंचार. खाद्य, उद्योग, छोटे उद्योग आदि शामिल हैं। इस कार्यक्रम से १९८५ में पारस्परिक व्यापार की विकास दर १-११२ से २ गुनी होने की आशा है।

१९७९ के दौरान सोवियत संघ भारत से चावल के बदले ६ लाख मे० टन कच्चे तेल की सप्लाई करने के लिए राजी हो गया है। यह सप्लाई २८ सितम्बर, १९७७ को हस्ताक्षरित करार के अनुसार स्वीकृत १.५ मिलियन मे० टन के अतिरिक्त है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१२ जून, १९७९ को मास्को में एक करार पर हस्ताक्षर किये गए, जिसमें विशाखापतनम इस्पात कारखाने की स्थापना में रूस के सहयोग की व्यवस्था है।

पोलैण्ड

आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी भारत-पोलैण्ड संयुक्त आयोग ने, जिसकी बैठक नई दिल्ली में मार्च १९७९ में हुई, व्यापार में गिरावट की समस्या पर विचार किया और सिफारिश की कि दोनों पक्षों को अत्यावश्यक मदों के सम्बन्ध में दीर्घावधि संविदाएँ करने के बारे में सोचना चाहिए और औद्योगिक परियोजनाओं और तीसरे देशों में परियोजनाओं में भी सहयोग करना चाहिए। संयुक्त आयोग ने दोनों देशों के बीच सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे वस्त्र मशीनरी, हैलीकाप्टर, वायुयान, कम्प्यूटर के परिधीय भाग, टेलीविजन की पिक्चर ट्यूबें, और कुछ इलैक्ट्रानिक संघटक आदि को अभिज्ञात किया।

चैकोस्लोवाकिया

प्रधानमंत्री ने १६ से १८ जून, १९७९ तक चैकोस्लोवाकिया की यात्रा की। यात्रा के अन्त में जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में आर्थिक, वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग में पहले ही प्राप्त पर्याप्त प्रगति का उल्लेख किया गया था। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि उत्पादन, सहयोग तथा तीसरे देशों में सहयोग जैसी नई रूपरेखा की मार्फत विद्यमान सहयोग में अन्य आयाम जोड़े जाने चाहिएं।

प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद भारतीय पक्ष की ओर से वाणिज्य मंत्री की अध्यक्षता में भारत-चैकोस्लोवाकिया संयुक्त समिति की प्राग में बैठक हुई और उस समय दोनों पक्षों की ओर से १९८१ से १९८५ तक की अवधि में वस्तुओं के विनिमय के लिए दीर्घावधि कार्यक्रम तैयार करने पर सहमति व्यक्त की गई ताकि १९८५ तक व्यापार कारोबार १९८० में प्राप्त स्तर से दुगुना किया जा सके। उनके बीच इस बात पर भी सहमति हुई कि द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के विस्तार के हित में यह आवश्यक होगा कि उन उद्यमों का पता लगाया जाए जो संयुक्त निविदायें करने, उप संविदायें करने में सहयोग करेंगे और तीसरे देशों के बाजारों में संयुक्त रूप से सप्लाई करेंगे।

जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य

जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान जनवरी, १९७९ में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें यह सहमति हुई कि दोनों देशों के बीच व्यापार कारोबार १९७८ में प्राप्त स्तर की तुलना में १९८५ तक दुगुना हो जायेगा।

हंगरी

भारत-हंगरी संयुक्त आयोग अधिवेशन की सिफारिश के अनुवर्ती उपाय के रूप में सिंचाई विभाग के एक प्रतिनिधिमंडल ने जून, १९७९ में बुडापेस्ट की यात्रा की ताकि इस क्षेत्र में पानी के संसाधनों तथा उपस्करों के उत्पादन के क्षेत्र में और आगे सहयोग करने पर विचार विमर्श किया जा सके।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

यूगोस्लाविया

वाणिज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल २४ से २६ जून, १९७९ तक बेलग्रेड में हुए आर्थिक सहयोग सम्बन्धी भारत-यूगोस्लाव संयुक्त समिति के १२वें अधिवेशन में भाग लेने गया। विचार विमर्श में ये बातें शामिल थीं—व्यापार, उद्योग, तीसरे देशों में परियोजनायें, बैंकिंग व वित्तीय व्यवस्थाओं के क्षेत्र में सहयोग। व्यापार के क्षेत्र में दोनों पक्षों द्वारा इस पर सहमति हुई कि १९७७ में प्राप्त स्तर से १९८३ तक दोनों देशों के बीच व्यापार कारोबार दोगुना करने की दृष्टि से वस्तुओं के आदान-प्रदान के लिए दीर्घावधि प्रबन्धों जैसे उपायों के जरिए व्यापार आदान-प्रदानों को बढ़ाने तथा उन्हें विविध-रूपी बनाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

रूमानिया

सितम्बर १९७८ में वाणिज्य मंत्री के बुखारेस्ट के दौरे के दौरान, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत-रूमानिया के व्यापार का पर्याप्त विस्तार किया जाए ताकि १९८० तक वह २०० करोड़ रु० के स्तर पर पहुंच जाएं।

बल्गारिया

वाणिज्य मंत्री ने २२ से २४ जून १९७९ तक बल्गारिया का सरकारी दौरा किया और सोफिया में अपने प्रतिपक्ष से विभिन्न मसलों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धों की समीक्षा की और इस पर सहमति हुई कि उनमें उनके बढ़ाने तथा उन्हें गहरे करने की संभावनायें विद्यमान हैं और दोनों पक्ष १९८० में प्राप्त स्तर की तुलना में १९८५ में उनके बीच व्यापार कारोबार को दोगुना करने के लिए प्रयास करेंगे।

दोनों पक्षों ने बल्गारिया तथा तीसरे देशों को सप्लाई करने के लिए जूतों व अपर्स को बनाने में उत्पादन सम्बन्धी सहयोग की संभाव्यतायें नोट कीं। वे इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में सहयोग का और आगे विकास करने तथा उनका पता लगाने के लिए भी सहमत हुए।

बल्गारिया से हुए आयातों के बदले भारत से ४० लाख डालर-मूल्य के मिट्टी हटाने सम्बन्धी उपस्कर के निर्यातों के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए। भारत से ऐसी मशीनों के निर्यात के लिए हस्ताक्षरित यह एकमात्र सबसे बड़ी संविदा है।

उपभोक्ता उत्पादों का निर्यात और आयात

वर्ष १९७७-७८ और १९७८-७९ के पूर्वार्ध के दौरान चुनिन्दा उपभोक्ता उत्पादों के संबंध में भारत के निर्यातों तथा आयातों का मूल्य दर्शाने वाली तालिका नीचे दी जाती है :—

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

(लाख रु० में)

क्रमांक	मदें	निर्यात		आयात	
		१९७७-७८	अप्रैल-सितम्बर १९७८	१९७७-७८	अप्रैल-सितम्बर १९७८
१	२	३	४	५	६
१.	मांस तथा मांस से बनी वस्तुएं	२५१८	९०७	२	नगण्य
२.	डेयरी उत्पाद तथा पक्षियों के अंडे	१५५	२६	४४९०	२३७६
३.	मछली, केकड़े तथा मोलस्कस व उनसे बनी वस्तुएं	१७०९२	९६४२	७	२
४.	अनाज तथा अनाज से बनी वस्तुएं	६३५१	६९६८	१२२४२	४१०७
५.	सब्जियाँ व फल	१९६७६	६८०३	५१४९	२२५५
६.	चीनी, चीनी से बनी वस्तुएं तथा शहद	१९०९	२७६२	१०७	५७
७.	काफी	१९११०	८३०९	०.४	०.५
८.	कोको	५१	९५	३०६	१६६
९.	चाकलेट तथा अन्य खाद्य वस्तुएं	१४७	४६	१	०.७
१०.	चाय तथा मेट	५५५३२	१५३२३	—	—
११.	मसाले	१३७०२	४२७४	७३७	४७५
१२.	विविध खाद्य उत्पाद तथा उससे बनी वस्तुएं	६५८	२५६	३६	२२
१३.	विनिर्मित तम्बाकू	४०३	२२३	८	६
१४.	मिट्टी का तेल			१६०३४	९२००
१५.	जमे हुए वनस्पति तेल व चर्बी	७०२	३६७	४७९१७	२३५५०
१६.	औषधि व भेषजीय उत्पाद	३११८	२९५९	६३५७	४०६१
१७.	इत्र, प्रसाधन सामग्री तथा श्रृंगार की सामग्री	१२०४	५९९	९	६
१८.	साबुन, सफाई तथा पालिश करने की सामग्री	५५४	२२९	११०	९४
१९.	जूते आदि	२३६४	११६५	१	—
२०.	बुने हुए सूती वस्त्र	२३३६४	१०४९९	३	५
२१.	परिधान तथा पहनावे की सहायक वस्तुएं	३२९४६	१९११४	८	५

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

२२. कांच	११८५	४५२	३११	२२१
२३. कांच का सामान	८५१	३७१	२६८	१६१
२४. चीनी मिट्टी की वस्तुएं	४१	११	१२	५
२५. बिजली के पंखे	८५२	३५९	—	—
२६. मोटर साइकिलें, आटो साइकिलें, साइड कार अथवा उसके बिना साइकिलें	३७३	३४६	२	नगण्य
२७. बिना मोटर लगी साइकिलें	८०७	६००	नगण्य	—
२८. सिलाई की मशीनें	१४५	४१	—	—
२९. पेय पदार्थ	५०	२३	१००	२८
३०. शिशु गाड़ियाँ, खिलौने, क्रीड़ा तथा खेल कूद का सामान	१४३२	९४४	२५	१८
३१. कलात्मक वस्तुएं, संग्रह, मुद्राएं तथा प्राचीन कला की वस्तुएं	६८५१	४२७७	४	२
३२. आभूषण, स्वर्णकार व रजतकार व वस्तुएं तथा मूल्यवान तथा अर्ध मूल्यवान सामग्री की वस्तुएं	१३७७	४३०	३१	७३

मूंगफली का निर्यात

३० जून, १९७९ तक २५,००० मे० टन एच० पी० एस० मूंगफली की बिक्री हुई और १७,५५२ मे० टन का निर्यात हुआ। १९७८-७९ के दौरान इकाई मूल्य प्राप्ति ६,३९५ रु० प्रति मे० टन रही जबकि १९७६-७७ के दौरान ४८४० रु० प्रति मे० टन प्राप्ति रही।

नारियल के रेशे से बनी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि

भारत ने १९७८-७९ के दौरान नारियल के रेशे और उससे बनी वस्तुओं का २५.७९ करोड़ रु० का निर्यात किया जबकि गत वर्ष २३.९१ करोड़ रु० का निर्यात किया गया था।

कुल निर्यात का ५० प्रतिशत, जिसका मूल्य १७.१८ करोड़ रु० था, पश्चिम देशों जिनमें फ्रांस, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, डेनमार्क और इटली आदि शामिल हैं, को किया गया। अमरीका और कनाडा को लगभग ४.६ करोड़ रु० का निर्यात किया गया जबकि पूर्वी यूरोप के देशों—सोवियत संघ और पूर्वी जर्मनी को १.५७ करोड़ रु० का निर्यात किया गया।

पूर्वी एशियाई देशों, जिनमें आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और जापान मुख्य थे, को १.४० करोड़ रु० का तथा पश्चिमी एशियाई देशों को ९८ लाख रु० का निर्यात किया गया।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कपड़े का निर्यात

क्र०	मद	१९७५-७६	१९७६-७७	१९७७-७८	अप्रैल ७७ से जनवरी १९७८	अप्रैल ७८ से जनवरी १९७९
१.	सूती सिलेसिलाए परिधान	१४४.९२	२५७.१०	२५०.६६	१७१.६२	२५६.९७
२.	सूती वस्त्र पोशाक तथा अन्य	२३०.८३	३७४.३७	३६२.६८	२६२.२७	२३५.२२
३.	गैंर सूती कपड़े की मदें	७०.२२	१०६.५६	१०२.३४	८६.९२	८८.८३
	योग	४४५.९७	७३८.०३	७१५.६८	५२०.८१	५८१.०२

जैसाकि उपरोक्त आंकड़ों से देखा जा सकता है, सूती सिलेसिलाए परिधानों तथा वस्त्रों के समग्र निर्यातों में १९७७-७९ को छोड़कर बराबर वृद्धि हुई है। इस अवधि में निर्यातों में गिरावट आने का कारण मुख्यत: यह था कि महत्त्वपूर्ण उपभोक्ता देशों में मांग कम रही और कतिपय प्रमुख उपभोक्ता देशों द्वारा एकतरफा प्रतिबन्ध लगा दिए गए। तथापि अप्रैल १९७८ जनवरी १९७९ के दौरान निर्यात, अप्रैल १९७७ जनवरी १९७८ के दौरान हुए हमारे निर्यातों की अपेक्षा अधिक रहे।

प्राचीन सभ्यता, साहित्य एवं संस्कृति की संगम भूमि,
अतीत के गौरवशाली इतिहास की केन्द्र स्थली,
विविध धर्मावलम्बियों की तीर्थ नगरी।

उज्जयिनी में,

उज्जैन नगरपालिक निगम द्वारा संचालित, आधुनिक सुविधा से सुसज्जित,

ग्रान्ड होटल

एवं

शहर के मध्य में स्थित रेलवे स्टेशन व मोटर स्टेण्ड के निकट

आराम देह

म्युनिसिपल होटल

नगर पालिक निगम द्वारा प्रदत्त सुविधाओं

का लाभ उठाईये

श्यामलाल गौड़
महापौर,
उज्जैन नगरपालिक निगम

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बजट १६७६-८०

तत्कालीन उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री, श्री चरण सिंह ने २८ फरवरी १६७६ को लोकसभा में १६७६-८० वर्ष का बजट पेश करते हुए बताया कि आगामी वर्ष में करों की वर्तमान दरों के अनुसार कुल मिलाकर १६७५ करोड़ रुपए का घाटा रहेगा। उन्होंने केन्द्र सरकार की कुल प्राप्तियों का अनुमान १६,५५१ करोड़ रुपए और कुल व्यय १८,५२६ रुपए का आंका।

श्री चरणसिंह ने बताया कि करों की मौजूदा दरों से १६७६-८० में १०,८२२ करोड़ रुपए का सकल कर राजस्व प्राप्त होगा जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से ६५८ करोड़ रुपए ज्यादा है। उन्होंने बताया कि करों के मौजूदा स्तर पर अगले साल राज्यों का हिस्सा ३,२३५ करोड़ रुपए होगा जोकि चालू वर्ष के मुकाबले १,२७८ करोड़ रुपए ज्यादा है। इसके परिणामस्वरूप केन्द्र का निवल कर राजस्व ७,५८७ करोड़ रुपए का होगा जो कि चालू वर्ष की तुलना में ६२० करोड़ रुपए कम है।

वित्त मन्त्री ने बताया कि बाजार ऋणों से १८५० करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है जबकि चालू वर्ष में इससे १६५३ करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। वापसी अदायगी और ब्याज की देनदारियों को पूरा करने के बाद निवल विदेशी सहायता ८७८ करोड़ रु० होगी जिसमें नए ऋणों के अन्तर्गत निकाली गई रकमें भी शामिल हैं। अल्प बचत संग्रह से ६५० करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। राज्यों द्वारा वापस किए गए ऋणों की राशि जिसमें अर्थोपाय अग्रिम शामिल नहीं है, ५५४ करोड़ रुपए होगी जबकि चालू वर्ष में यह राशि ७५४ करोड़ रुपए है। सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ऋण-शोधन के कार्यक्रम को फिर निश्चित करने के कारण यह कमी हुई है।

बजट अनुमान

श्री चरणसिंह ने १६७६-८० के लिए व्यय के अनुमानों की चर्चा करते हुए कहा कि केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की १६७६-८० की वार्षिक योजनाओं के लिए १२,५११ करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जो कि १६७८-७६ के ११,६४६ करोड़ रुपए के कुल अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले ७.४ प्रतिशत अधिक है। इस राशि का निर्धारण करते समय यह ध्यान में रखने की बात है कि केन्द्रीय और राज्यों की योजनाओं में ८३५ करोड़ रुपए की अनुमानित राशि वचनबद्ध व्यय के रूप में योजना व्यय से गैर-योजना व्यय में अंतरित कर दी गई है। इस अंतरण को हिसाब में लेने से १६७६-८० के विकास व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाती है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१९७९-८० के वजट में केन्द्रीय योजना के लिए और राज्य व केन्द्रशासित क्षेत्रों की योजनाओं में सहायता देने के लिए ७१०८ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राज्यों की आयोजनाओं, केन्द्रशासित क्षेत्र की योजनाओं, पहाड़ी तथा जनजातिय क्षेत्रों की उप-योजनाओं, उत्तर-पूर्व परिषद और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाओं के परिव्यय के लिए केन्द्रीय सहायता देने के उद्देश्य से २३०० करोड़ रुपए रखे गए हैं। कुल मिलाकर १९७९-८० में ६०९९ करोड़ रुपए रखे गए हैं जबकि १९७८-७९ में इनके इनके परिव्यय के लिए ५९८५ करोड़ रुपए रखे गए थे।

केन्द्रीय योजना के लिए वजट में ४८०८ करोड़ रुपए की व्यवस्था है। सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों के १६०४ करोड़ रुपए के आंतरिक और अन्य साधनों को मिलाकर १९७९-८० की केन्द्रीय योजना में ६४१२ करोड़ रुपए रखे गए हैं जो कि १९७८-७९ के मुकाबले ७४८ करोड़ रुपए ज्यादा हैं।

नई विकास नीति

गरीवी और वेरोजगारी मिटाना नई विकास नीति का वुनियादी उद्देश्य वताते हुए श्री चरणसिंह ने कहा कि हमारी योजनाओं में प्राथमिकताओं के क्रम में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। योजनाओं में कृषि और ग्रामीण विकास को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, लेकिन सरकार यह मानती है कि अपेक्षित सीमा तक विकास योजनाओं को नई दिशा काफी लम्वी अवधि में ही दी जा सकती है। फिर भी सरकार उन कार्य-क्रमों की गति को तेजी से वढ़ाना चाहती है जिनका कृषि विकास और रोजगार वढ़ाने से घनिष्ठ संवंध है।

श्री चरणसिंह ने वताया कि कृषि और ग्रामीण विकास के योजना परिव्यय को १९७८-७९ में १७५४ करोड़ रुपये से वढ़ाकर १९७९-८० में १८११ करोड़ रुपये कर दिया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए २५८ करोड़ रुपये रखे गए हैं।

'काम के वदले अनाज' कार्यक्रम के लिए ३० करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। चालू वर्ष के अनुभव को देखते हुए इस राशि में वहुत अधिक वृद्धि करनी होगी पर उसका मुद्रास्फीति पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके लिए संचित अनाज भंडार का सहारा लिया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए पहले ३० करोड़ रुपये की व्यवस्था १९७८-७९ में की गई थी जिसे वढ़ाकर १०० करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे उम्मीद है कि चालू वर्ष में ४० करोड़ श्रम दिनों का काम पैदा होगा।

वित्तमन्त्री ने कृषि विकास के लिए सिंचाई के महत्व पर जोर देते हुए वताया कि वाढ़ नियन्त्रण सहित वड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए १९७९-८० में १४८८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है जो कि १९७८-७९ के मुकावले ८७ करोड़ रुपये ज्यादा है। १९७९-८० में ३२ लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता वनाने का लक्ष्य रखा गया है जवकि १९७८-७९ में २८ लाख हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था। छोटी सिंचाई के विकास की गति तेज करने के लिए छोटी सिंचाई

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को, जो इस समय छोटे और सीमान्त किसानों के लिए ही है, उन किसानों को भी उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाई जा रही है जिनके पास दो से चार हैक्टेयर जमीन है। इस उद्देश्य के लिए १० करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। केन्द्रीय बजट में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के लिए वित्तीय सहायता को १९७८-७९ में १३३ करोड़ रुपये से बढ़ाकर १९७९-८० में १५९ करोड़ रुपये कर दिया गया है।

ग्रामों को प्राथमिकता

ग्राम विद्युतीकरण के लिए १९७९-८० में २८५ करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा ५० करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि इस प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक बैंकों, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से जुटायी जाएगी। अनुमान है कि १९७९-८० में २५ हजार गांवों में बिजली पहुंच जाएगी। जबकि १९७८-७९ में २२ हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था।

ग्रामीण जल-पूर्ति कार्यक्रमों के लिए १९७९-८० की केन्द्रीय योजना में ८० करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो १९७८-७९ के मुकाबले २० करोड़ रुपए अधिक है। मार्च, १९७७ में जनता सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद वर्ष १९७७-७८ में १८ हजार गांवों में और १९७८-७९ के लिए २७ हजार गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया था। वित्तमंत्री ने सदन को विश्वास दिलाया कि इस कार्यक्रम के लिए सरकार और धनराशि देने से नहीं हिचकिचायेगी।

वित्तमन्त्री ने बताया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्यक्रमों पर १९७९-८० में ११ करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। ग्रामोद्योगों के विकास के लिए १९७९-८० के वास्ते केन्द्रीय क्षेत्र में १९३ करोड़ रुपए रखे गए हैं जबकि चालू वर्ष में १४० करोड़ रुपए रखे गए थे। हथकरघा बुनकरों की सहकारी समितियों को संगठित करने के लिए बेहतर विपणन की सुविधाएं देने के लिए और निर्यात के उद्देश्य से गहन विकास के लिए २८ करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है।

वर्ष १९७९-८० में दूर-संचार पर ३५९ करोड़ रुपए का परिव्यय होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं के बढ़ाने पर पहले से ज्यादा जोर दिया जाएगा। १९७९-८० में ग्रामीण क्षेत्रों में पांच हजार नएं डाकघर खोले जाएगें और चलते-फिरते डाकघरों के जरिये १० हजार पोस्टल काउंटर खोलने की व्यवस्था होगी।

कृषि और उद्योग के विकास के लिए बिजली के उत्पादन को स्वीकार करते हुए इस क्षेत्र के लिए २४६६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जबकि १९७८-७९ में २२१७ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। केन्द्रीय क्षेत्र में बिजली परियोजनाओं के लिए ३८२ करोड़ रुपए रखे गए हैं। फरक्का में सुपर थर्मल स्टेशन के रूप में बड़ी शुरूआत की जाएगी। उम्मीद है कि १९७९-८० में तीन हजार मेगावॉट बिजली उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता पैदा हो जाएगी।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

रक्षा

रक्षा व्यय के लिए ३०५० करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है जबकि चालू वर्ष में इसकी राशि २८५४ करोड़ रुपए थी। ऋण परिशोधनों के लिए २१६१ करोड़ रुपए रखे गए हैं और खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता के लिए ५६० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो कि चालू वर्ष की राशि से १० करोड़ रुपए कम है। राज्यों को २३२ करोड़ रुपए का साविधिक अनुदान दिया जाएगा। इसकी तुलना में चालू वर्ष में यह राशि ५१४ करोड़ रुपए थी। अगले वर्ष की व्यवस्था सातवें वित्त आयोग की सिफ़ारिश पर आधारित है।

वित्तमन्त्री ने बताया कि कार्यकुशलता के साथ-साथ मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए गैर-योजना व्यय को जहां तक वह बहुत जरूरी था, वहां तक सीमित कर दिया गया है। श्री चरणसिंह ने यह भी बताया कि सरकार ने सरकारी व्यय को बढ़ने से रोकने और सामान्य हित को बढ़ावा देने के लिए धनराशि का कारगर ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का फैसला किया है। वह सरकारी व्यय की व्यापक रूप से जांच करेगा। यह आयोग अन्य बातों के अलावा इस बात की भी जांच करेगा कि वृद्धि की दर को बढ़ाने में और गरीबी को कम करने में सरकारी व्यय का क्या योगदान रहा है और गरीबी की समस्या को सुलझाने में सरकारी व्यय की भूमिका अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए क्या उपाए किए जाने चाहिएं।

चालू वर्ष में कुल मिलाकर १५६० करोड़ रुपए का घाटा रहेगा जबकि मूल अनुमान १०७१ करोड़ रुपए के घाटे का था। इसमें ५५५ करोड़ रुपए की वह अतिरिक्त राशि शामिल नहीं है जिसका बोझ कुछ राज्यों को उनके पिछले घाटे को पूरा करने के लिए दिए गए ऋणों के रूप में केन्द्र पर डाला गया था और खाता समायोजन के रूप में होने के कारण चालू वर्ष में कोई आर्थिक प्रभाव नहीं डालेगा।

अल्प बचत

अल्प बचत संग्रह से ४६० करोड़ रुपए के बजट अनुमान की अपेक्षा १४० करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होंगे। इसका श्रेय केन्द्र और राज्यों की सम्बद्ध एजेंसियों को है जिन्होंने इस दिशा में सतत प्रयास किए हैं। गैर सरकारी भविष्य निधियों की जमा राशियों में भी २२५ करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से ७५ करोड़ रुपए अधिक की वृद्धि होगी। सोने की बिक्री से ८६ करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। द्विपक्षीय व्यापार करने वाले देशों को पहले के वर्षों में दिए गए अल्पकालिक ऋणों की वसूलियों में भी उन देशों से अधिक आयात होने के कारण ७५ करोड़ रुपए की वृद्धि होगी।

आयात नीति को उदार बनाने और देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक आयात करने से सीमा-शुल्कों में १८६० करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से २५० करोड़ रुपए की अधिक प्राप्ति होगी। किन्तु दूसरी ओर संघ उत्पाद शुल्कों के रूप में ५२९९ करोड़ के बजट अनुमानों से १०५ करोड़ रुपए कम प्राप्त होंगे। विदेशी सहायता

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

के अन्तर्गत सकल प्राप्तियां बजट अनुमानों के मुकावले ४४७ करोड़ रुपए कम होने का अनुमान है।

अनुमान है कि चालू वर्ष में रक्षा व्यय २९४ करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था के मुकावले १०० करोड़ रुपए कम होगा।

बजट एक नजर में

(करोड़ रुपयों में)

	१९७८-७९ बजट	१९७८-७९ संशोधित	१९७९-८० बजट
राजस्व			
प्राप्तियां	१०७६१	११०२०	१०७४९
			+ ४६०*
व्यय	१०८९९	१११४८	११३९६
	— १३८	— १२८	— ६४७
			+ ४६०*
पूंजी			
प्राप्तियां	६५८५	६५५४	५८०२
			+ १६०*
व्यय	७५१८	८५७१	७१३०
	— ९३३	— २०१७	— १३२८
			+ १६०*
कुल प्राप्तियां	१७३४६	१७५७४	१६५५१
			+ ६२०*
राज्यों के ओवर ड्राफ्ट का भुगतान		५५५	
व्यय	१८४१७	१९७१९	१८५२६
कुल घाटा	१०७१	१५६०	१९७५
			— ६२०*
		शेष घाटा	१३५५

*बजट प्रस्तावों का प्रभाव

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सम्पूर्ण परिवार के ज्ञानवर्धन एवं
स्वस्थ मनोरंजन के लिए

हिन्दुस्तान टाइम्स दैनिक प्रकाशन संस्थान
के श्रेष्ठ हिन्दी प्रकाशन

हिन्दुस्तान

हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ दैनिक

साप्ताहिक हिन्दुस्तान

एक से एक बढ़कर रोचक लेख एवं पाठ्य सामग्रियों से भरपूर

कादम्बिनी

सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यिक हिन्दी मासिक

नन्दन

बच्चों का सबसे प्यारा हिन्दी मासिक

प्रकाशक :

दि हिन्दुस्तान टाइम्स लि०

१८-२०, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली-११०००१

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भारत : जनसांख्यिकी

सम्पूर्ण भारत की जनगणना १० मार्च, १९७१ को प्रारम्भ होकर ३ अप्रैल १९७१ को समाप्त हुई। जनगणना कार्य में १२ लाख ५.० हजार व्यक्तियों ने भाग लिया।

प्रश्न-सूचियाँ

इस जनगणना में आंकड़े एकत्र करने के लिए चार प्रकार की प्रश्न-सूचियां तैयार की गईं। पहली थी मकान सूची, जिसमें देश के समस्त मकानों का ब्यौरा एकत्र किया गया—जैसे, मकान किस चीज के बने हैं, रिहायशी हैं या दुकान या कारखाने आदि के लिए इस्तेमाल होते हैं, कितने लोग उनसे रहते हैं और उनका क्षेत्रफल आदि कितना है। यह सूची १९६१ की जनगणना के समय भी प्रयुक्त हुई थी। दूसरी सूची में उन मकानों का विवरण देना था जिनमें कोई कारखाना या व्यवसाय होता हो। वास्तव में यह सूची पहली सूची की पूरक थी। यह सूची पहली बार १९७१ की जनगणना में प्रयुक्त हुई। तीसरी तथा सबसे महत्वपूर्ण सूची व्यक्तियों सम्बन्धी थी। इसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। यह सूची ही जनगणना का आधार है, क्योंकि इसमें एकत्र आंकड़ों से ही स्पष्ट होता है कि देश में कितने पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे हैं, कितने विवाहित अविवाहित या शिक्षित अथवा अशिक्षित हैं। इस सूची से यह भी पता चलता है कि लोग क्या-क्या काम करते हैं, कितने बेरोजगार हैं, किन-किन धर्मों के अनुयायी हैं, किस भाषा वर्ग के हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। यह सूची सदा से जनगणना का आधार रही या यह समझ लीजिए कि इसके बिना जनगणना की कल्पना ही नहीं की जा सकती। चौथी सूची में जनसंख्या का लेखा है जो विभिन्न परिवारों में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में मुख्य-मुख्य बातें प्रस्तुत करती है। इस सूची में पहली तीनों सूचियों के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं।

भू-क्षेत्र और जनसंख्या

विश्व के भू-क्षेत्र का भारत केवल २.४ प्रतिशत है, किन्तु भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का १५ प्रतिशत है। विश्व की जनसंख्या इस समय लगभग ३७१ करोड़ है। भारत से अधिक जनसंख्या केवल चीन की है। उसकी जनसंख्या लगभग ८० करोड़ है। १९६१ में भारत की जनसंख्या ४३,९२,३५,०८२ थी जबकि १९७१ की जनगणना के

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अनुसार यह बढ़कर ५४,७३,६७,६२६ हो गई है। भारत का क्षेत्रफल ३२,६८,०८० वर्ग कि०मी० एवं आबादी का घनत्व प्रति वर्ग कि०मी० १४८ है।

पहली अप्रैल, १६७१ तक भारत की जनसंख्या ५४,७३,६७,६२६ थी जो पिछली दशाब्दी की जनसंख्या वृद्धि को २४.६६ प्रतिशत प्रदर्शित करती है जबकि यह वृद्धि १६५१-६१ की दस वर्षों की अवधि में २१.६४ प्रतिशत थी। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से अब तक की जनसंख्या, उसकी प्रति दशाब्दी में वृद्धि, इस वृद्धि के प्रतिशत और इस प्रतिशत के निरन्तर बढ़ते हुए आंकड़ों पर एक नजर डाल लेने से ही स्थिति प्रकट हो जाती है। १६०१ में भारत की जनसंख्या २३,८३,३७,३१३ थी; जो १६११ में २५,२०,०५,४७० हो गई और इस प्रकार दस वर्ष की अवधि में १३,६६८,१५७ की वृद्धि हुई; जो ५.७३ प्रतिशत बैठती है। १६११ से १६२१ के बीच जनसंख्या बढ़ने के स्थान पर कम हो गई किन्तु १६२१ और १६३१ के बीच ११ प्रतिशत बढ़कर २७,८८,६७,४३० हो गई। १६३१ से १६४१ तक वृद्धि १४ प्रतिशत होकर जनसंख्या ३१,८५,३६,६६० तक पहुंच गई और १६४१-५१ में जनसंख्या १३.३१ प्रतिशत के हिसाब से ३६,०६,३७५ पर जा टिकी। इन आँकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि केवल पचास वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगुनी से भी अधिक हो गई है।

यदि यही हाल रहा तो वर्तमान शती समाप्त होते-होते भारत की जनसंख्या शती के प्रारम्भ की लगभग चार गुनी हो जायगी। इस समय (१६७६) भारत की जनसंख्या पूरे यूरोप की जनसंख्या (५१६,७१२,०००) से और दोनों अमेरिका की जनसंख्या (५०१-१३२,०००) से अधिक है तथा अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या से ५२ प्रतिशत अधिक है एवं रूस की जनसंख्या (२६८,११२,०००) की लगभग दुगुनी है।

पिछली दशाब्दियों में भारत की जनसंख्या की वृद्धि का विश्लेषण संक्षेप में कर लेना उचित होगा। १६५१ का वर्ष 'दि ग्रेट डिवाइड' कहा गया है क्योंकि उससे पहले भारत की आबादी कुछ धीरे-धीरे नियमित रूप से बढ़ी थी तथा उसके बाद से यह वृद्धि लगातार और तेजी से होने लगी। इससे पहले १८६१ से १६०१ तक का समय भयंकर अकाल का समय था जिससे आबादी बिलकुल बढ़ी ही नहीं थी और १६०१ से १६११ तक आबादी की वृद्धि केवल ५.७३ प्रतिशत हुई।

इसके पश्चात् १६११ से १६२१ का समय आबादी न बढ़ने का रहा क्योंकि १६१८-१६१६ में इन्फ्लुएन्जा का प्रकोप रहा और बाद के तीस वर्षों में (१६२१-५१) वृद्धि लगभग उत्तरोत्तर होती रही, जो कुल मिलाकर ४४ प्रतिशत तक पहुंच गई, क्योंकि इस दौरान किसी अकाल या महामारी का प्रकोप नहीं हुआ। फिर अगले दस वर्षों (१६५१-६१) में यह प्रतिशत एकदम १.६४ हो गया, जिससे जनसंख्या में लगभग ८ करोड़ की वृद्धि हो गई। यह वृद्धि प्रतिशत और बढ़ा, जिसके परिणामस्वरूप १६७६ तक भारत की जनसंख्या लगभग ६३ करोड़ पर पहुंच गई।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जन्म-दर व मृत्यु-दर

भारत में १९०१-११ में जन्म-दर ४९.२ प्रति हजार एवं मृत्यु-दर ४२.६ प्रति हजार, १९११-२१ में ४८.१ प्रति हजार एवं ४७.२ प्रति हजार, १९२१-३१ में ४६.४ प्रति हजार एवं ३६.३ प्रति हजार, १९३१-४१ में ४५.२ प्रति हजार एवं ३१.२ प्रति हजार, १९४१-५१ में ३९.९ प्रति हजार एवं २७.४ प्रति हजार तथा १९५१-६१ में ४७.७ प्रति हजार एवं २२.८ प्रति हजार थी।

इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि भारत १९२१ के बाद 'डैमोग्राफिक संक्रांति' के प्रथम चरण में प्रवेश कर गया, जिससे जन्म-दर लगभग वही रही और मृत्युदर लगातार कम होती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् और विशेषतया स्वतंत्रता के पश्चात् सफाई, आवागमन, आधुनिक दवाइयों, मलेरिया उन्मूलन आदि साधनों ने मृत्युदर को कम करने में विशेष योग दिया है। इस प्रकार मृत्यु-दर की अपेक्षा जन्म-दर अधिक होने से जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि ही होती जाएगी।

उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य

उत्तर प्रदेश (८ करोड़ ८३ लाख आबादी वाला) देश का सबसे बड़ा राज्य रहा। बिहार का स्थान दूसरा रहा। इसकी आबादी ५ करोड़ ६४ लाख और इसके बाद महाराष्ट्र की आबादी ५ करोड़ तीन लाख रही। १९६१ की जनगणना के समय भी इन्हीं तीनों राज्यों को पहले तीन स्थान प्राप्त थे। ४ करोड़ ४४ लाख की आबादी वाला पश्चिम बंगाल, जो १९६१ में पांचवें स्थान पर था, आन्ध्र प्रदेश को अपने स्थान से हटाकर चौथे स्थान पर पहुंच गया और अब आन्ध्र प्रदेश सर्वाधिक आबादी वाला पांचवां राज्य है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश (४ करोड़ १५ लाख) सातवें स्थान से १९७१ की जनगणना में छठे स्थान पर आ गया। अन्य राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों का कमोबेश वही स्थान रहा, केवल असम ही इसका अपवाद है जिसकी आबादी में वृद्धि हुई और जो चौदहवें स्थान से तेरहवें स्थान पर हो गया। दिल्ली की भी आबादी बढ़ी है और यह १९६१ की जनगणना में अठारहवें स्थान के बजाय सत्रहवें स्थान पर पहुंच गया है। अब इसकी आबादी हिमाचल प्रदेश (३४ लाख) से भी अधिक हो गई है।

जिन राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों की आबादी में देश के औसत से अधिक दर से वृद्धि हुई, उनमें गोवा, दमन और दीव हैं। इनकी आबादी की वृद्धि की दर ६०० प्रतिशत से अधिक रही अर्थात् पिछले दशक की तुलना में छह गुना से अधिक तेजी से आबादी बढ़ी। इसके बाद आते हैं—जम्मू और कश्मीर (२१४ प्रतिशत), नागालैण्ड (१८२ प्रतिशत), लंकादीव, मिनिकाय और अमीनीदीवी द्वीपसमूह (११८ प्रतिशत), तमिलनाडु (८६ प्रतिशत), पांडिचेरी (६७ प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (३२ प्रतिशत), उड़ीसा (२६ प्रतिशत), मेघालय (२६ प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (१८ प्रतिशत), मध्य प्रदेश १६ प्रतिशत) और महाराष्ट्र (१५ प्रतिशत)। जिन राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों की आबादी की वृद्धि की दर में १९६१-७१ के दशक में इससे पहले दशक की तुलना में कम दर से वृद्धि हुई,

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

उनमें चंडीगढ़ (७ प्रतिशत), त्रिपुरा (५४ प्रतिशत), और दादर तथा नगर हवेली (२६ प्रतिशत) आते हैं।

स्त्री-पुरुष अनुपात

जनगणना का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि आवादी में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या निरन्तर अधिक रही है। इस समय स्त्री-पुरुषों का अनुपात प्रति १,००० पुरुषों के पीछे ९३२ स्त्रियों का है। यह बात इस दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है कि प्रायः प्रत्येक आयु वर्ग में यह अन्तर कई दशकों से वना हुआ है। यद्यपि इस असमानता का कारण पूरी तरह समझाया नहीं जा सका है, पर जनगणना-अधिकारियों का कहना है कि निम्न कारणों से ऐसा है: (१) युवकों का अधिक पसन्द किया जाना और परिणाम स्वरूप युवतियों के प्रति उपेक्षा भाव, (२) युवतियों की मृत्यु-दर अधिक होना, और (३) माताओं की अधिक संख्या में मृत्यु।

जिन राज्यों में प्रति १,००० पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या अधिक है, वे हैं— केरल (१,०१९) और दादर तथा नगरहवेली (१,००७)। १९६१ की जनगणना तक उड़ीसा में स्त्रियों की संख्या अधिक थी (१,००१) लेकिन अव पुरुषों की संख्या अधिक हो गई है। अब उड़ीसा में प्रति १,००० पुरुषों के पीछे ९८९ स्त्रियाँ हैं। यह भी घ्यान देने योग्य है कि यद्यपि केरल में अभी स्त्रियों का अनुपात अधिक है पर यह निरन्तर घटता जा रहा है। १९६१ में केवल में १,००० पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या १,०२२ थी।

साक्षरता

भारत में साक्षरता: १९७१ की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या १६०,५०८,६५४ (अर्थात् २९.३५ प्रतिशत) है। इनमें १११,७७७,७७२ पुरुष तथा ४८,७३०,८८२ स्त्रियाँ है।

प्राथमिक शिक्षा के निरन्तर और विशाल पैमाने पर विस्तार के कारण तथा अनेक साक्षरता अभियानों के फलस्वरूप १९७१ में साक्षरता का प्रतिशत २९.३५ हो गया जबकि १९६१ में यह २४.०३ था। १९७१ में स्त्री साक्षरों का प्रतिशत १८.४७ रहा जबकि १९६१ की जनगणना के समय यह १२.९५ था। साक्षरता के क्षेत्र में जो सफलता मिली है वह अधिक नहीं है, क्योंकि तेजी से आवादी की वृद्धि ने देश के समस्त लोगों को साक्षर बनाने के प्रयास को और अधिक कठिन वना दिया है।

साक्षरता में चण्डीगढ़ का पहला स्थान हो गया है। जबकि १९६१ में यह दूसरे स्थान पर था। अब केरल ने यह दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। सन् १९६१ की जन-गणना के समय दिल्ली में सर्वाधिक साक्षरता थी। लेकिन अब यह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले केरल तीसरे स्थान पर था। गोआ के लिए यह गौरव का विषय है कि वह सातवें स्थान से अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीनीदीवी द्वीप समूह का केन्द्र-शासित क्षेत्र जो १९६१ में पन्द्रहवें स्थान पर था, अब छठे स्थान पर आ गया है। यद्यपि अन्य राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों का पहले जैसा ही नीचा स्तर वना हुआ है, लेकिन उड़ीसा १९६१ के सोलहवें स्थान से इक्कीसवें स्थान पर पहुंच गया है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भारत में कितने नर और नारी ?

राज्य	कुल आबादी	पुरुष	स्त्री
आन्ध्रप्रदेश	४३,३९४,९५१	२१,९४४,८२६	२१,४५०,१२५
असम	१४,९५२,१०८	७,८६३,७२५	७,०८८,३८३
बिहार	५६,३३२,२४६	२८,७९७,२३८	२७,५३५,००८
गुजरात	२६,६८७,१८६	१३,७८७,२४०	१२,८९९,९४६
हरियाणा	९,९७१,१६५	५,३१७,१४९	४,६५४,०१६
हिमाचल प्रदेश	३,४२४,३३२	१,७३५,१०६	१,६८९,२२६
जम्मू-कश्मीर	४,६१५,१७६	२,४५२,६६१	२,१६२,५१५
केरल	२१,२८०,३९७	१०,५३८,८७३	१०.७४१,५२४
मध्य प्रदेश	४१,६५०,६८४	२१,४३८,८६४	२०,२११,८२०
महाराष्ट्र	५९,३३५,४९२	२६,०५४,२३२	२४,२८१,२६०
कर्नाटक	२९,२६३,३३४	१४,९४०,६६१	१४,३२२,६७३
नागालेंड	५१५,५३१	२७५,३५९	२४०,२०२
उड़ीसा	२१,९३४,८२७	४४,०२८,०३६	१०,९०६,७९१
पंजाब	१३,४७२,९७२	७,१९२,३०५	६,२८०,६६७
राजस्थान	२५,७२४,१४२	१३,४४२,०५६	१२,२८२,०८६
तमिलनाडु	४१,१०३,१२५	२०,७७२,५४९	२०,३३०,५७६
उत्तर प्रदेश	८८,३६४,७७९	४६,९२२,८१२	४१,४४१,९०७
पश्चिम बंगाल	४४,४४०,०९५	२३,४८८,२४४	२०,९५१,८५१
अण्डमान निकोबार	११५,०९०	७०,००५	४५,०८५
चंडीगढ़	२५६,९७९	१४६,८८८	११०,०९१
दादरा एवं नगर हवेली	७४,१९५	३३,९४९	३७,२१७
दिल्ली	४०,६५,६९८	२,२४४,२१०	१,८००,४०८
गोवा, दमन तथा दीव	८५७,१८०	४३१,०२६	४२६,१५४
लक्षद्वीप, मिनीकाय तथा अमीन दीव द्वीप समूह	३१,७९८	१६,०६२	१५,७३६
मणिपुर	१,०६,५५५	५३९,१०१	५३०,४५४
मेघालय	९८३,३३६	५०३,३५१	४७९,९८५
नेफा	४४४,७४४	२३३,१५४	२११,५९०
पांडिचेरी	४७१,३४७	२३६,८५०	२३४,४९७
त्रिपुरा	१,५५६,८२२	८०२,५०९	७५४,३१३
सिक्किम	२०८,६०९	—	—
मिजोरम	३,३२,३९०	—	—

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भारत में राज्यवार साक्षरों का वरीयता के अनुसार प्रतिशत

क्रम संख्या	केन्द्र शासित तथा अन्य क्षेत्र	१९७१ में साक्षरों का%	१९६१ में साक्षरों का %	१९६१ में वरीयता क्रम	साक्षरता में वृद्धि
१	चण्डीगढ़	६१.२४	५१.०६	२	+१९.९४
२	केरल	६१.१६	४६.५८	३	+२८.४१
३	दिल्ली	५६.६५	५२.७५	१	+ ७.३९
४	गोवा, दमन तथा दीव	९९.५३	३०.७५	७	+४४.८१
५	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	४३.४८	३३.६३	५	+२९.२९
६	लक्षद्वीप, मिनीकाय तथा अमीनीदीव द्वीप समूह	४३.४४	२३.२७	१५	+८७.६८
७	पाण्डिचेरी	४३.३६	३७.४३	४	+१५.८४
८	तमिलनाडु	३९.३९	३१.४१	६	+२५.४१
९	महाराष्ट्र	३९.०६	२९.८२	१०	+३०.९९
१०	गुजरात	३५.७०	३०.४५	८	+१७.२९
११	पंजाब	३३.३९	२६.७३	१३	+२५.८७
१२	पश्चिम बंगाल	३३.०५	२९.२८	११	+१२.८८
१३	मणिपुर	३२.८०	३०.४२	९	+ ७.८२
१४	कर्नाटक	३१.४७	२५.४०	१४	+२९.९०
१५	हिमाचल प्रदेश	३१.३२	१२ २६	२७	+४७.३२
१६	त्रिपुरा	३०.८७	२०.८४	१९	+५२.५२
१७	असम	२८.७४	२९.१७	१२	+ १.५४
१८	मेघालय	२८.४१	१८.४७	२१	+५६.८२
१९	नागालैंड	२७.३३	१७.९१	२३	+५२.६०
२०	हरियाणा	२६.६९	१९.९३	२०	+३३.९२
२१	उड़ीसा	२६.१२	२१.६६	१६	+२०.५९
२२	आंध्र प्रदेश	२४.५६	१२.१९	१०	+१५.९०
२३	मध्य प्रदेश	२२.०३	१७.१३	२५	+२८.६०
२४	उत्तर प्रदेश	२१.६४	१७.६५	२४	+२२.६१
२५	बिहार	१९.९७	१८.९०	२२	+ ८.५३
२६	राजस्थान	१८.७९	१५.२१	२६	+२३.५४
२७	जम्मू तथा कश्मीर	१८.३०	११.०३	२७	+६५.९१
२८	दादरा तथा नागर हवेली	१४.८६	९.४८	२८	+५६.७५
२९	उत्तर-पूर्वी सीमा एजेंसी	९.३४	७.१३	२९	+३१.००

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

धर्मानुसार जनसंख्या तथा वृद्धि

धर्मानुसार वर्ग	जनसंख्या	स्त्री-पुरुष अनुपात (प्रति हजार पुरुषों के पीछे)	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	वृद्धि-दर १९६१-७१
हिन्दू (जैन-सिख सहित)	४६६,२७५,५२९	९३०	८२.७२	२३.६९
मुस्लिम	६१,४१७,९३४	९२२	११.२१	३०.८५
ईसाई	१४,२२३,३८२	९८६	२.६०	३२.६०
बौद्ध	६,८१२,३२५	९६२	०.७०	१७.२०
अन्य	२,१८४,५५६	१०११	०.४०	२६.१०
जिन्होंने धर्म नहीं लिखाया	३६,०८३	८६६	०.०१	—

आदिवासी : विभिन्न राज्यों में

१९७१ की जनगणना के अनुसार विभिन्न राज्यों की कुल जनसंख्या में आदिम जातियों की प्रतिशत जनसंख्या का विवरण।

(जनसंख्या लाखों में)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	कुल जनसंख्या	आदिम जातियों की संख्या	प्रतिशत
राज्य				
१.	आंध्र प्रदेश	४३५.०३	१६.५०	३.८१
२.	असम	१४९.५८	१९.२०	१२.८४
३.	बिहार	५६३.५३	४९.३३	८.७६
४.	गुजरात	२६६.९७	३७.३४	१३.९९
५.	हरियाणा	१००.३७	—	—
६.	हिमाचल प्रदेश	३४.६०	१.४२	४.०९
७.	जम्मू और कश्मीर	४६.१७	—	—
८.	केरल	२१३.४७	२.६९	१.२६
९.	मध्य प्रदेश	४१६.५४	८३.८७	२०.१४
१०.	महाराष्ट्र	५०४.१२	२९.५४	५.८६
११.	मणिपुर	१०.७३	३.३४	३१.१७
१२.	मेघालय	१०.१२	८.१४	८०.८३
१३.	कर्नाटक	२९२.९९	२.३१	०.७९
१४.	नागालैंड	५.१६	४.५८	८८.६१
१५.	उड़ीसा	२१९.४५	५०.७२	२३.११

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१६ पंजाब	१३५.५१	—	—
१७ राजस्थान	२५७.६६	३१.२६	१२.१३
१८ तमिलनाडु	४११.९९	३.१२	०.७६
१९ त्रिपुरा	१५.६६	४.५१	२८.९५
२० उत्तर प्रदेश	८८३.४२	१.९९	०.२२
२१ पश्चिम बंगाल	४४३.१२	२५.३३	५.७२
केन्द्र शासित क्षेत्र			
१ अंडमान और निकोबार द्वीप	१.१५	०.१८	१५.५२
२ अरुणाचल प्रदेश	४.६८	३.६९	७९.०२
३ चंडीगढ़	२.५७	—	—
४ दादरा और नगर हवेली	०.७४	०.६४	६६.८९
५ दिल्ली	४०.६६	—	—
६ गोआ, दमन और दीव	८.५८	०.०८	०.९३
७ लक्षद्वीप	०.३२	०.३०	०.९३
८ पांडिचेरी	४.७२	—	—
कुल	५४,७९,४९,८०९	३,८०,१५,१६२	६.९४

जनजातियों में सभी धर्मावलंवी हैं। सन् १९७१ की जनगणना के अनुसार ८९.३९ प्रतिशत हिन्दू, ४.१९ प्रतिशत विभिन्न आदिम मत, ०.३४ प्रतिशत बौद्ध, ०.२१ प्रतिशत मुस्लिम, ५.५३ प्रतिशत ईसाई तथा ०.३४ प्रतिशत अन्य मतों के अनुयायी हैं।

नई जनगणना

हमारी अगली जनगणना १ मार्च, १९८१ तक पूरी हो जाएगी। गणना ९ फरवरी से शुरू होगी और २८ फरवरी तक चलेगी।

अगली जनगणना की तैयारी का काम पिछले वर्ष शुरू किया गया था तथा आंकड़ा प्रयोगकर्ताओं का प्रथम सम्मेलन गत वर्ष फरवरी में हुआ था। सरकारी मंत्रालयों, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, योजना आयोग, विश्वविद्यालयों, शोधकर्ताओं तथा अन्यों सहित जनगणना आंकड़े प्रयोग करने वाले लगभग सभी वर्गों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर जनगणना संवंधी धारणाओं और प्रश्नावालियों पर विचार-विमर्श किया गया।

इन धारणाओं और प्रश्नावलियों की जांच के लिए जून, १९७८ में एक प्रायोगिक अध्ययन किया गया। इसके वाद प्रारंभिक जांच की गई। यह जांच कार्य लगभग सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के चुने हुए क्षेत्रों में किए गए।

आगामी जनगणना में जो अनुसूचियां भरी जाएंगी वे हैं: गृहसूची, पारिवारिक सूची और व्यक्तिगत परची। गृह सूचीकी जांच गृह सूची वनाते समय की जाएगी। यह काम मई, १९८० में किया जाएगा।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

गृह सूची बनाने का पहला उद्देश्य आगामी जनगणना के लिए ढांचा तैयार करना है। इसकी सहायता से जनगणना आयोग गणना खण्ड तैयार कर सकेगा जिनके आधार पर १९८१ में वास्तविक जनगणना होगी।

गृह सूची तैयार करते समय परिवार के विकलांग व्यक्तियों, जैसे कोई बिल्कुल नेत्रहीन, गूंगा या अपाहिज है, तो उनके बारे में भी पूरी जानकारी एकत्र की जाएगी। यह जानकारी समाज कल्याण के क्षेत्र में आयोजकों के लिए बहुत महत्व की होगी।

सामाजिक-आर्थिक आंकड़े

लोगों के आवास और रहन-सहन की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अनुसूची के द्वारा एकत्र की जाएगी। इस सूची की जांच फरवरी-मार्च १९८१ में वास्तविक गणना के समय की जाएगी।

जो अन्य जानकारियां प्राप्त की जाएंगी उनमें घर में रहने के कमरों की संख्या, बिजली की उपलब्धता और पीने के पानी की व्यवस्था की जानकारी शामिल है। इसके अतिरिक्त यह भी पता लगाया जाएगा कि शहरी क्षेत्रों में घरों में शौचालय आदि की सुविधाएं हैं कि नहीं। पारिवारिक अनुसूची के अंतर्गत प्राप्त आंकड़े आवास, पर्यावरण आयोजन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयोजकों के लिए विशेष महत्व के होंगे।

व्यक्तिगत जानकारी

व्यक्तिगत परची जनगणना अनुसूचियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के बारे में प्रमुख जनांकिकीय, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर जानकारी एकत्र की जा सकेगी। इससे हर व्यक्ति की आयु, लिंग, धर्म, मातृभाषा, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, साक्षरता, शैक्षणिक उपलब्धी और आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी एकत्र की जाएगी।

व्यक्तिगत परची में इस बार जो एक नया प्रश्न जोड़ा जा रहा है वह है स्कूल में उपस्थिति के बारे में।

व्यक्तिगत परची में शामिल आर्थिक प्रश्न प्राथमिक महत्व के हैं। इन प्रश्नों के द्वारा जनगणना आयोग को लाभकारी कार्यों में पूर्णरूप से कार्यरत व्यक्तियों, आंशिक रूप से कार्यरत व्यक्तियों तथा उन व्यक्तियों, जो कि बेरोजगार हैं और रोजगार ढूंढ रहे हैं या काम के लिए उपलब्ध हैं, के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

CYCLONE RELIEF OPERATION ON A WAR FOOTING

The Killer cyclone, that hit the coastal districts of Andhra Pradesh on May 12, 1979 has left behind a gruesome trail of death and devastation, the death toll being over 600 and total loss Rs. 681 crores. Relief and rehabilitation programmes have been organised on a war footing.

- Rs. 853.48 lakhs have so far been spent on relief measures.
- 12,386 tonnes of rice and over five lakh dhotis, sarees and blankets have so far been distributed to the cyclone victims.
- 12.32 lakh anti-cholera inoculations have been given and 31,500 wells, tanks have been chlorinated.
- Relief measures for agriculturists, fishermen, weavers and artisans costing over Rs. 50 crores have been formulated and will be implemented very soon.
- A separate housing corporation has been set up for constructing 1 lakh houses costing Rs. 25 crores this year. Rs. 2 crores have been released as margin money. The target is 4 lakh houses costing Rs. 100 crores.

HELP US TO REBUILD
HOMES AND HEARTHS

Please send donations in cash or kind

Cheques or drafts may be drawn in favour of

THE CHIEF MINISTERS RELIEF FUND

and send to

The commissioner for cyclone relief revenue department
HYDERABAD - 500022

Dr. M. Channa Ready
Chief Minister

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

विज्ञान

भारत-जैसे विशाल देश की समस्याएं विज्ञान के बिना हल नहीं हो सकतीं। निर्धनता और निरक्षरता, अन्धविश्वास, अज्ञान और रूढ़िवादिता, बीमारी, गन्दगी और भूख—इन सबको जड़-मूल से उखाड़ फेंकने के लिए हमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (टेक्नोलाजी) की शरण में जाना ही होगा। जहाँ सन् १९५८ में हम अनुशासन और विकास पर २५ करोड़ रुपये खर्च करते थे, वहाँ १९७८ में लगभग ४०० करोड़ रुपये खर्च हो रहे थे। सन् १९५८ में ही लोकसभा ने वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें विज्ञान के प्रति सद्-भावना व्यक्त करते हुए यह घोषणा की गई है कि—विशुद्ध, व्यावहारिक तथा शैक्षणिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसंधान की अभिवृद्धि करना, उच्चकोटि के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करना, और उनके कार्य को राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण मानना, जनता की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना तथा व्यक्ति के प्रयासों से वैज्ञानिक खोज और वैज्ञानिक ज्ञान के प्रचार प्रसार को वढ़ावा देना, हमारा लक्ष्य है।

दिनोंदिन विज्ञान पर हम अधिक खर्च करते जा रहे हैं। अनेक अनुसंधानशालाएं प्रयोगशालाएं भी हमने खड़ी कर दीं किन्तु इसके बावजूद वांछित परिणाम सामने नहीं आए। इसका प्रमुख कारण यही रहा कि प्रौद्योगिकी के इस युग में हमने उस पर कोई नीति-प्रस्ताव तैयार नहीं किया, न ही आज तक हम यह निश्चय कर पाए कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के किन क्षेत्रों में हमारे प्राथमिक लक्ष्य कौन से हैं।

आज भारत में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की संख्या बारह लाख से ऊपर पहुँच रही है। साथ ही यह भी तथ्य है कि देश के हजारों वैज्ञानिकों-डाक्टरों को नौकरी के लिए विदेश में जाना पड़ा या फिर अपने ही देश में हजारों इंजीनियरों तथा दूसरे प्रशिक्षित वैज्ञानिकों को बेकारी का सामना करना पड़ रहा है।

देश में जनता सरकार द्वारा सत्ता संभालने के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नया चिन्तन उभरा। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति (एन. सी. एस. टी.) का अध्यक्ष सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० आत्माराम को बनाया गया। डा० आत्माराम देश में एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक हैं जो बहुत पहले से विज्ञान को आम आदमी से जोड़ने और ग्रामीण किसानों तक विज्ञान के वरदानों को पहुंचाने के हिमायती रहे हैं। आलीशान दफ्तरों में बैठकर काम करने वाले सफेदपोश वैज्ञानिकों के गले उनकी यह बात नहीं उतरती कि 'विज्ञान पर जो खर्च होता है, उसका हिसाब जनता को देना जरूरी है।'

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में विज्ञान-नीति के संकल्प को स्वर देते हुए कहा—"घरेलू और छोटे उद्योगों से असीमित धन प्राप्त हो सकता है और उचित तकनीक से लाखों लोगों की उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेष रूप में जनसाधारण की रोजमर्रा की चीजों की पूर्ति की जा सकती है। बड़े नगरों, बड़ी मशीनों और बड़े विज्ञान का अपना महत्व है किन्तु वे प्राथमिकता और प्रमुखता का दावा नहीं कर सकते।"

प्रायोगिक अनुसंधान के लिए प्रदत्त सुविधाओं का और अधिक प्रभावशाली उपयोग बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन किया जा रहा है। अनेक प्रयोगशालाओं को सी. एस. आई. आर. से अलग करके किसी मंत्रालय अथवा प्रतिष्ठान से जोड़ दिया जाएगा।

केन्द्रीय बजट में विज्ञान और विकास के लिए जो राशि होती है, उसका सत्तर प्रतिशत से अधिक इन प्रमुख संगठनों द्वारा खर्च किया जाता है—वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, परमाणु शक्ति विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा भारतीय भेषज अनुसंधान परिषद्।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान : भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान को दिशा-निर्देश और प्रोत्साहन देने के लिए सबसे बड़ी संस्था "वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (काउंसिल ऑफ साइंटिफिकल एण्ड इंडिस्ट्रीयल रिसर्च) है। इसके अंतर्गत अनेक राष्ट्रीय अनुसंधानशालाएँ तथा संस्थान हैं,जो अलग-अलग क्षेत्रों में मूलभूत और व्यावहारिक अनुसंधान के कार्य में लगे हैं।

चिकित्सा : भारतीय भेषज अनुसंधान परिषद्, (इंडियन काउन्सिल आफ मैडिकल रिसर्च) अपने सात संस्थानों और केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र से नए-नए अनुसंधानों को प्रोत्साहन देती है। विभिन्न शोध परियोजनाओं पर विचार करके उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न संस्थान तथा केन्द्र इस प्रकार हैं—

१. राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद : (१९१९ में स्थापित) संस्थान खाद्य तथा पोषण सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसंधान करता है, जनसाधारण को संतुलित आहार की जानकारी कराता है और पोषण-विज्ञान में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देता है।

२. विषाणु अनुसंधान केन्द्र, पूना : (स्थापित १९५२)।

३. तपेदिक रसायनी चिकित्सा केन्द्र, मद्रास : (स्थापित १९५६)।

४. हैजा अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता : (स्थापित १९५३)।

५. इन्डियन रजिस्ट्री आफ पैथोलाजी, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली : (स्थापित १९६५) रोग-विज्ञान तथा उसकी विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान करना और ऐसे अनुसंधानों का पंजीकरण।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

६. व्यावसायिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, बी० जे० मेडिकल कालेज, अहमदाबाद : (स्थापित १९६६) ।

७. जनन अनुसंधान संस्थान, बम्बई (स्थापित १९७०) ।

चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान एकांश : १. ब्लड ग्रुप रेफरेन्स सेंटर हाफकिन इंस्टीट्यूट, बम्बई, २. एण्डीरो-वायरस रिसर्च यूनिट, बम्बई, ३, न्यूरो-फिजीयालाजी रिसर्च यूनिट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, ४. हेमेटोलाजिकल यूनिट, कलकत्ता, ५. पीरियोडोन्टोलाजिकल रिसर्च यूनिट, लखनऊ, ६. ट्रकोमा (रोहा) रिसर्च सेंटर अलीगढ़, ७. टाक्सीकोलोजी रिसर्च यूनिट (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान), नई दिल्ली, ८. आई० सी० एम० आर० यूनिट, कुन्नूर, ९. लेबोरेटरी एनिमल्स इन्फार्मेशन सर्विस, बम्बई, १०. आगरा, वेल्लौर, वम्बई, कलकत्ता और कुरनूल में रोग-विज्ञान विभाग के केन्द्र ।

इस वर्ष ५८० परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए स्वीकृत किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में मौलिक शोध करने के लिए वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया गया ।

कृषि अनुसंधान : कृषि तथा पशु-पालन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने तथा अनुसंधान के प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् है। इसकी स्थापना १९२९ में हुई थी। परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न संस्थान तथा प्रयोगशालाएँ हैं और प्रायोगिक फार्म भी हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (निदेशक डॉ० एम० एस० स्वामिनाथन्) ने खाद्य फसलों, तथा कृषि उपकरणों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर; राष्ट्रीय दुग्धशाला अनुसंधान संस्थान करनाल; चावल अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता; आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला; तटवर्ती मछली अनुसंधान केन्द्र, मण्डयम तथा कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा उत्पादन बढ़ाने तथा नई-नई किस्मों पर अनुसंधान करने का कार्य किया जाता है। गेहूं, धान, तिलहन, कपास, आम, अंगूर, साग-सब्जियाँ तथा कई तरह के फलों पर महत्त्वपूर्ण खोज-कार्य हुआ है।

प्रतिरक्षा अनुसंधान : प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की स्थापना १९६२ में हुई।

संगठन का प्रमुख ध्येय है—सेनाओं की सामरिक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नये तथा आधुनिक शस्त्रास्त्रों व उपकरणों का डिजाइन और विकास करना, उनके स्वदेशी उत्पादन में सहायता देना, शारीरिक, मानसिक, पोषक सम्बन्धी तथा अन्य समस्याओं के समाधान में सेनाओं का सहायक बनना। विविध परियोजनाओं के फलस्वरूप शस्त्रों, उपकरणों तथा पुर्जों के स्वदेशी उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और हमारी सशस्त्र सेनाओं को अधिक प्रभावकारी तथा श्रेष्ठ किस्म के शस्त्र व उपकरण मिले हैं। नई किस्म की पर्वतीय तोप, अर्ध-स्वचालित राइफल, टैंक नाशक सुरंग, विस्फोटक, फील्ड आर्टिलरी रडार, चेतावनी रडार-यन्त्र, सीमान्त क्षेत्रों में सैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएँ आदि हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां मानी जा सकती हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१९५८ में साधारण किस्म की गिनी-चुनी प्रयोगशालाओं से शुरूआत करके आज हम अनुसंधान, विकास और रक्षा-उत्पादन के लिए तीन बड़े-बड़े संस्थान तथा प्रयोगशालाएं संगठित कर चुके हैं। इनमें रक्षा-सम्बन्धी सभी वैज्ञानिक तथा तकनीकी पहलुओं पर काम हो रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय यानी सम्पूर्ण रक्षा बजट का लगभग १.७५ प्रतिशत खर्च होता है।

परमाणु शक्ति तथा अन्तरिक्ष अनुसंधान : स्व० डॉ० विक्रम साराभाई ने भारत में परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष अनुसंधान का दसवर्षीय कार्यक्रम तैयार किया था जिस पर संसदीय सलाहकार समिति ने जून, १९७० में स्वीकृति प्रदान कर दी। कार्यक्रम के अनुसार १९८० तक २,७०० मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होने लगेगा। १९७०-७५ के प्रथम चरण में ३३५ करोड़ रु० तथा ७५-८० के द्वितीय चरण में ८८५ करोड़ रु० व्यय किये जायेंगे। कार्यक्रम पूरा होने पर विद्युत, भारी पानी, इंधन, प्लूटोनियम तथा अन्य उत्पाद वेचकर १७० करोड़ रु० का लाभ प्रतिवर्ष होने का अनुमान है। विद्युत की कमी को दूर करने के लिए भी सौर ऊर्जा के उपयोग को आवश्यक माना जाने लगा है।

पहला उपग्रह व परमाणु विस्फोट

भारत ने १८ मई, १९७४ को पहला सफल परमाणु विस्फोट पोखरण (राजस्थान) में किया।

इसी प्रकार १९७५ में अन्तरिक्ष में 'आर्यभट्ट' भेजकर अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारी सफलता प्राप्त की।

इस वर्ष ७ जून, १९७९ को दूसरा उपग्रह 'भास्कर' छोड़कर अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की।

तारापुर में भारत का प्रथम तथा एशिया का सबसे वड़ा परमाणु शक्ति ऊर्जा उत्पादन केन्द्र चालू है जिसकी क्षमता ३८० मेगावाट है। राजस्थान में राणाप्रताप सागर के परमाणु शक्ति केन्द्र की एक यूनिट चालू हो गई है।

परमाणु शक्ति के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास-सम्बन्धी क्रिया-कलाप का राष्ट्रीय केन्द्र बम्बई के निकट ट्राम्बे स्थित परमाणु-शक्ति प्रतिष्ठान है। इसमें लगभग पांच हजार वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारी कार्य-रत हैं। प्रतिष्ठान के पांच मुख्य विभाग हैं। इनमें तीन परमाणु भट्टियां हैं—अप्सरा १९५६ में चालू हुई। चालीस मेगावाट की कनाडा-भारत भट्टी जनवरी १९६१ में तैयार हुई और तीसरी परीक्षणात्मक भट्टी जरलीना है। इन भट्टियों के अलावा यहां थोरियम निष्कर्षण यूनिट और थोरियम संयंत्र भी हैं। रेडियो आइसोटोप का उत्पादन भी यहाँ हो रहा है। चिकित्सा, कृषि, उद्योग, जीवन विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में रेडियो आइसोटोप के उपयोग के बारे में यहाँ अनुसंधान किया जाता है।

नाभिकीय ईंधन संयंत्र समूह, हैदराबाद : अणु आयुध तथा अणु विद्युत दोनों ही के लिए इंधन की आवश्यकता हे जिसे अणु इंधन कहते हैं। वह यूरेनियम तथा थोरियम से बनाया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम से इंधन तैयार करने के लिए हैदराबाद के निकट संयंत्र है जो इंधन तथा इंधन से सम्बन्धित वस्तुओं का निर्माण करने लगे हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

परमाणु शक्ति विकास का कार्य अन्य जिन संस्थाओं में हो रहा है, उनके नाम ये हैं।

(१) **गौरी बिदनौर भूकम्पमापी केन्द्र** : यह बंगलौर से ८० किलोमीटर दूर है। इसमें भूमिगत आणविक विस्फोटों का पता लगाने की व्यवस्था है। चीन के प्रथम आणविक विस्फोट का पता विश्व में सबसे पहले इसी केन्द्र को मिला था।

(२) **भारी पानी संयन्त्र** : नांगल में १९६२ से कार्य कर रहा है। राणाप्रताप सागर बड़ौदा तथा तूतीकोरन के संयन्त्र बन रहे हैं।

(३) **भारतीय यूरेनियम निगम**, जादुगुड़ा : अक्तूबर, १९६७ में स्थापना हुई। देश में यूरेनियम खानों के विकास तथा यूरेनियम उत्पादन के लिए उत्तरदायी है।

(४) **भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड** : स्थापित १९५०। मनावलकुरुचि में समुद्र के किनारे से मूल्यवान मिट्टी प्राप्त कर रही है जिसका अणु विकास कार्यक्रमों में भारी महत्व है।

(५) **इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड**, हैदराबाद : स्थापित १९६७। इसने भाभा अणु अनुसंधान केन्द्र के इलेक्ट्रानिक उत्पादन इकाई का काम अपने हाथ में लिया है। यह आणविक यंत्र, इलेक्ट्रानिक पार्ट आदि व्यापारिक रूप से तैयार करती है।

(६) **भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला**, अहमदाबाद १९४८।

(७) **अधिक ऊँचाई (हाई अल्टीट्यूट) अनुसंधान प्रयोगशाला**, गुलमर्ग।

(८) **साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान**, कलकत्ता।

(९) **परिवर्तनशील ऊर्जा साइक्लोट्रोन**, कलकत्ता।

(१०) **टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान**, : परमाणु विज्ञान तथा गणितमूलक अनुसंधान का राष्ट्रीय केन्द्र है।

(११) **टाटा स्मारक केन्द्र**, बम्बई : इसमें टाटा स्मारक अस्पताल तथा कैंसर अनुसंधान संस्थान शामिल हैं।

टाटा मूलभूत अनुसंधान, बम्बई द्वारा हैदराबाद से १९५९ में प्लास्टिक के गुब्बारे छोड़कर अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्य प्रारम्भ किया गया। तब से अब तक गुब्बारों की सौ बड़ी उड़ाने हो चुकी हैं।

अंतरिक्ष अनुसंधान की भारतीय राष्ट्रीय समिति : अगस्त, १९६१ में अन्तरिक्ष अनुसंधान का कार्य अणु ऊर्जा विभाग को सौंप दिया गया। विभाग ने १९६२ में इस कार्य के लिए डा० विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय समिति गठित की।

अन्तरिक्ष विभाग के क्रिया-कलाप तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित हैं : अन्तरिक्ष उपयोग, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा अन्तरिक्ष विज्ञान। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अंतरिक्ष उपयोग तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों से सम्बन्धित सभी कार्यों के लिए

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

उत्तरदायी है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मुख्य कार्यक्रम भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद द्वारा आयोजित किये जाते हैं।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के चार अन्तरिक्ष केन्द्र हैं: त्रिवेन्द्रम में विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, मद्रास के उत्तर-पूर्वी तट पर श्री हरिकोट में शार केन्द्र (आंध्र-प्रदेश में), बंगलौर में दूसरा उपग्रह केन्द्र तथा अहमदाबाद में अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र।

थुम्बा भूमध्यरेखीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र : त्रिवेन्द्रम से १६ किलोमीटर उत्तर में इसकी स्थापना १९६३ में की गई। नवम्बर, १९६३ में यहाँ पर ध्वनित राकेट कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। १९६३ से १९७८ के जुलाई मास तक इस केन्द्र से तीन सौ सत्तर से अधिक राकेट छोड़े जा चुके हैं। भारत ने अपना रोहिणी राकेट तैयार कर लिया है। प्रथम रोहिणी राकेट (आर० एच० ७५) का परीक्षण सफल रहा।

श्री हरिकोटा केन्द्र : थुम्बा में प्राप्त सफलताओं के पश्चात् भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में समुद्र में स्थित श्री हरिकोटा में उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्र की स्थापना का कार्य हाथ में लिया। केन्द्र निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका है। यह द्वीप अण्डाकार है तथा इसका क्षेत्रफल ३० हजार है।

अन्तरिक्ष विज्ञान तथा तकनीकी केन्द्र : १९६५ में भारतीय अणु आयोग की स्वीकृति से इसकी स्थापना हुई। इस केन्द्र ने उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के शिल्प तथा निर्माण में अच्छी प्रगति की है। इस केन्द्र में वैज्ञानिक एवं तकनीशियन भारी संख्या में कार्य करते हैं।

हिमालय पर अनुसंधान

हिमालय का जन्म कब हुआ, भारत भूखण्ड और तिब्बत के पठार की भिड़ंत कब हुई, भारत भूखण्ड की सीमाएं वर्तमान सिन्धु नदी के साथ-साथ हैं या और आगे तिब्बत की उच्चतम भूमि तथा चीन तक पहुँची हुई हैं; 'गोंडवाना लैंड' नामक कोई विशाल भूखण्ड कभी था या नहीं, महाद्वीप सचमुच खिसकते हैं या नहीं; इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने और हिमालय भू-विज्ञान का अध्ययन करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में सितम्बर १९७६ में हुआ। भारत के अलावा २६ देशों के सैकड़ों वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया। सम्मेलन के आयोजन में केन्द्रीय इस्पात और खनिज मंत्रालय, केन्द्रीय रेल मंत्रालय, भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान, हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, आयल इण्डिया लि० के अतिरिक्त अनेक भारतीय अनुसंधानशालाओं और विश्वविद्यालयों का योगदान रहा। अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस (१ मई १९७६) को प्रधानमंत्री ने बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। इसके साथ देश के आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में नए युग का उदय होता है। बोकारो से पूर्व जितने भी इस्पात कारखाने देश में लगे सब-के-सब बने-बनाए कारखाने थे। उन्हें केवल जोड़कर खड़ा किया गया। बोकारो के निर्माण में ६४ प्रतिशत उपकरण और सामान भारत में तैयार किए गए और भारतीय अभियंताओं ने उन्हें जोड़ कर खड़ा किया। बोकारो को देश के सबसे बड़े इस्पात कारखाने के रूप में विकसित किया जा रहा है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी : भारत में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी वैज्ञानिकों का गैर-सरकारी और स्वतन्त्र संगठन है। ब्रिटेन की रायल सोसायटी अथवा फ्रांस, अमरीका या रूस की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों के समान ही भारत की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कार्य करती है। इसकी स्थापना ७ जनवरी, १९३५ को कलकत्ता में हुई थी और अब इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में बहादुरशाह जफर मार्ग पर है।

निरंतर प्रगति

१९४७ में भारत स्वाधीन होने के साथ-साथ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) की स्थापना की गई। भारतीय उद्योगों की सहायता करने, औद्योगिक अनुसंधान और वैज्ञानिक सूझ-बूझ को बढ़ावा देने तथा देश में अनुसंधान प्रयोगशालाओं का जाल बिछाने के लिए सी० एस० आई० आर० के अन्तर्गत अनेक अनुसंधान संस्थाएं कार्य-रत हैं। इसके अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं में १० हजार वैज्ञानिक और तकनीकी विद् कार्य कर रहे हैं। सी० एस० आई० आर० ने अभी तक ५८२ प्राविधियाँ उद्योगों के उपयोग के लिए दी हैं। इनमें से २६७ का इस समय व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है।

भारतीय फैलो आफ रायल सोसायटी

क्र०	नाम	विशेषता	आयु	पुरस्कार-प्राप्ति
१.	खुरशेद जी आरदशिर	जलपोत निर्माता तथा इंजीनियर	३३	२७-५-१९४१
२.	रामानुजन श्रीनिवास	गणितज्ञ	३१	२-५-१९१८
३.	सर जगदीशचन्द्र वसु	जीव भौतिकविद्	७२	१३-५-१९२०
४	सर सी० वी० रमन	भौतिकविद्	३६	१५-५-१९२४
५.	मेघनाद साहा	भौतिकविद्	३४	१२-५-१९२७
६.	बीरबल साहनी	पैलियोबाटनिस्ट	४४	७-५-१९३६
७.	सर करीम एन० श्रीनिवास कृष्णन	भौतिकविद्	४२	४-३-१९३०
८.	होमी जहाँगीर भाभा	भौतिकविद्	३२	२०-३-१९४१
९.	सर शांतिस्वरूप भटनागर	रसायनज्ञ	४८	१८-३-१९४३
१०.	सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर	खगोल-भौतिकविद्	३४	१६-३-१९४४
११.	प्रशांतचन्द्र महालनोबिस	सांख्यिकविद्	५२	२२-३-१९४५
१२.	दाराशा नौशेरवान वाडिया	भूगर्भवेत्ता	६४	२०-३-१९५७
१३.	सत्येन्द्रनाथ बोस	सांख्यिकविद्	६४	२०-३-१९५८
१४.	शिशिरकुमार मित्रा	ऊपरी वायुमण्डल भौतिकविद्	६८	२०-३-१९५८
१५.	तिरुवेंकट राजेन्द्र शेषाद्रि	रसायनज्ञ	६०	२४-३-१९६०
१६.	पंचानन माहेश्वरी	वनस्पतिशास्त्री	६१	१८-३-१९६५
१७.	कलियंपुडि राधाकृष्ण राव	सांख्यिकविद्	४७	१६-३-१९६७
१८.	एम० जी० के० मेनन	भौतिकविद्	४१	१९-३-१९७०
१९.	बेंजामिन पियरी लाल	कृषि विज्ञानी	६६	१६-३-१९७२
२०.	हरिश्चन्द्र	गणितज्ञ	५०	१५-३-१९७३
२१.	एम० एस० स्वामिनाथन	कृषिविज्ञानी	४८	१५-३-१९७३

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

गत ३० वर्षों में सी०एस०आई०आर० ने कई नए उद्योगों के विकास में तथा पुराने उद्योगों को समर्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सी० एस० आई० आर० ने उद्योगों के लिए आवश्यक कई प्रकार की सामग्री, रचना घटकों और साज-सामान में भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। इन सबसे भी अधिक सी० एस० आई० आर० का जो योगदान रहा हैं, वह है विविध विषयों में विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्री को लेकर अनुसंधान प्रयत्नों को बढ़ावा देना। वैज्ञानिकों को अधिक योग्य, अधिक सक्षम, अधिक प्रबुद्ध और अपने-अपने कार्यों में अधिक दक्ष बनाकर उद्योगों और समाज के विकास के लिए अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। अधिकांश राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ ऐसी कच्ची सामग्री का सर्वेक्षण करती हैं जिनकी उनको बहुत अधिक आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप कच्चे माल के सम्बन्ध में देश कितना सक्षम है और उसमें किन-किन वस्तुओं की कमी है, इस विषय में हमें आज कहीं अधिक जानकारी प्राप्त है। देश में उपलब्ध कोयला, खाल, चमड़ा निम्न स्तर का प्राप्त होता है। उसका अच्छे उद्योगों में उपयोग नहीं होता। सी० एस० आई० आर०, धनबाद और सी० एल० आर० आई०, मद्रास ने क्रमश: कोयले, खाल और चमड़े को उपयोगी बनाने के लिए नये तरीके निकाले हैं। कई उद्योगों में समुन्नत कोयला काम में लिया जाता है। ऐसे ही खाल और चमड़ा भी चमड़े का अच्छा सामान बनाने के लिए चमड़ा उद्योगों में काम में लाया जाता है। इस दृष्टि में सी० एस० आई० आर० का पिछले ३२ वर्षों में आर्थिक विकास में जो योगदान रहा है, वह महत्वपूर्ण है। उसके फल-स्वरूप देश में शीशा, चमड़ा, रसायन, धातु, इलेक्ट्रानिक्स उपकरण-जैसे उद्योगों का बहुत बड़े पैमाने पर विकास हुआ है।

देश में विविध क्षेत्रों में अनुसंधान करने वाली संस्थाएँ इस प्रकार हैं—

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे
राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली
राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर
राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला, बंगलौर
राष्ट्रीय सागर-विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ
केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जियालगोड़ा (बिहार)
केन्द्रीय कांच एवं मृदा अनुसंधान संस्थान, जादवपुर, कलकत्ता
केन्द्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर
केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
केन्द्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, कराईकुडी (तमिलनाडु)
केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास
केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर
केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर (प० बंगाल)

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की (उत्तर प्रदेश)
केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर
केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी (राजस्थान)
केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, धनबाद
केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चंडीगढ़
भारतीय भेषज पौध संगठन, लखनऊ
क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद
क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट (असम)
क्षेत्रीय अनुसंधानशाला, भुवनेश्वर
संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, रुड़की (उत्तर प्रदेश)
प्रतिरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, कानपुर
भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून
भारतीय जीव रसायन एवं प्रयोगात्मक चिकित्सा संस्थान, कलकत्ता
भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे
क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू-तवी

इलेक्ट्रानिक्स

विगत दो दशकों में इलेक्ट्रानिक्स ने भारत में प्रायः सभी मानव प्रयत्नों में अपना स्थान बना लिया है। सी० एस० आई० आर० की दो प्रयोगशालाएं, केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियर अनुसंधान संस्थान (सी० ई० ई० आर० आई०), पिलानी और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन० पी० एल०), नई दिल्ली देश में इलेक्ट्रानिक्स के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है।

सी० ई० ई० आर० आई० ने टेलीविजन रिसीवरों का अभिकल्प तैयार किया है और उनका विकास किया है। टी० वी० कैमरे बनाए हैं, टेप-रिकार्डर, स्टीरिओफोनिक पिकअप, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए क्साइटेशन कन्ट्रोल सिस्टम तथा उनके लिए आवश्यक साज सामग्री का देश में विकास किया है तथा उनके मूल्यों को गिराकर विदेशी मुद्रा की आवश्यकता में कमी की है। रेल के इंजनों में इलेक्ट्रानिक मोड्यूल काम में आते हैं। ऐसे एक मोड्यूल का मूल्य लगभग ३० हजार रुपए प्रति इंजिन होता है। संस्थान ने इस इंजिन से एक्साइटेशन कंट्रोल प्रणाली से इलेक्ट्रानिक भाग का अभिकल्प तैयार करके उसका विकास और निर्माण किया है। उससे देश को विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है।

एन० पी० एल० ने भी सोल्डर, माइका कैपेसिटर, सिरेमक कैपेसिटर, मुलायम और कठोर फैराइट, पाइजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक आदि को तैयार करने की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। उनका उत्पादन देश में आरम्भ हो जाने से आयात में कमी हुई है और इससे लगभग ६० लाख रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत संभव हो सकी है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मशीन

केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (सी० एम० ई० आर० आई०), दुर्गापुर ने केबिल और तारों को बनाने की एक मशीन की शृंखला तैयार की है। इनका उत्पादन आरम्भ हो गया है और इससे पर्याप्त विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। इसके अन्तर्गत जो मशीनें बाजारों में आई हैं, उनमें से कुछ हैं : पेपर इंसुलेटिंग मशीन, बंधिंग मशीन, ट्विस्टिंग मशीन, स्ट्रेंडिंग मशीन, कंटीन्यूअस रेजिस्टेंस एनेलायर और स्पूलर। एक २० अश्वशक्ति के कृषि ट्रैक्टर का भी देश में ही सफलतापूर्वक विकास किया गया है।

ईंधन और धातु

भारत में पाए जाने वाले कोयले में धातु-कणों का समावेश होने के कारण वह अच्छा नहीं माना जाता। अपने इन अवगुणों के कारण इस कोयले का उद्योगों में, विशेषकर धातु-कर्म उद्योगों में, उपयोग नहीं हो पाता। इस कोयले को विशुद्ध करने का काम विदेशी विशेषज्ञों की दृष्टि में असम्भव था। किन्तु केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी० एफ०-आर० आई०), धनवाद ने इस सम्बन्ध में जो काम किया है उसके परिणामस्वरूप २.५ करोड़ टन कोयला प्रतिवर्ष साफ करने की क्षमता रखने वाले कारखाने का निर्माण हो सका है। कोयला शोधन के कारखाने स्थापित करने से सम्बन्धित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करके संस्थान ने अनेक उद्योगों को स्थापित करने में सहयोग दिया है।

ईंधन और स्नेहन की कार्यक्षमता का मूल्यांकन-सम्बन्धी कार्य विदेशों से करवाया जाता था और उसमें एक नमूने पर लगभग १५ हजार रुपए खर्च होते थे। भारतीय पैट्रोलियम संस्थान (आई० आई० पी०), देहरादून ने ऐसा ही समतुल्य कार्य किया है। संस्थान की विधि से इस कार्य पर लगभग ५ हजार रुपए व्यय होता है और एक नमूने पर १० हजार रुपयों के बराबर विदेशी मुद्रा की बचत होती है। इसी प्रकार उद्योगों के उपयोग के लिए जो दूसरा कार्य संस्थान द्वारा किया गया है, वह स्नेहन तेलों की सफाई से सम्बन्धित विधि का विकास करना है। निजी क्षेत्र में लगभग १० उद्योगों को यह विधि उपयोग के लिए दे दी गई है।

राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एन० एम० एल०) जमशेदपुर ने अयस्क और गोली के पूर्व लघुकरण और स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए प्रक्रियाओं का विकास किया है। जमशेदपुर में संस्थान भवन में २०० टन वार्षिक क्षमता का भी मैग्नेशियम धातु तैयार करने का एक प्रारूप संयंत्र लगाया गया है। यह देश को सामरिक महत्व के धातु और उनका मिश्रण तैयार करने में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संस्थान ने कई और विविध प्रकार के लौह मिश्रधातु तैयार करके देश में इनकी कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया है। इनमें टिन, निकल, टंग्स्टन आदि उल्लेखनीय हैं।

औषधि और चिकित्सा : केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सी०डी०आर०आई०), लखनऊ ने गर्भ-निरोध के सम्बन्ध में अभी हाल ही में जो अनुसंधान कार्य किया है, वह

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

महत्वपूर्ण है। उसने सेंटस्क्वेयर नामक एक युक्ति तैयार की है। इसको इस्तेमाल करने से कोई बुरा प्रभाव नहीं होता तथा इसमें असफलता की सम्भावनायें भी कम हैं। संस्थान का एक अन्य नया आविष्कार है सेंटोजोलोन, जिसे ड्रग कंट्रोलर ने औषधि के रूप में औषधालयों में परीक्षणों के लिए मुक्त कर दिया है।

कांच, सिरेमिक और चमड़ा : कांच और सिरेमिक के क्षेत्र में अभी तक किए गए अनुसंधानों से कांच और सिरेमिक तथा तत्सम्बन्धी उद्योगों के लिए आवश्यक सामग्री को देश में ही उपलब्ध कराने में बहुत मदद मिली है। देश में इसके लिए जो विधियाँ तैयार की गई हैं, उनसे लगभग २.५३ करोड़ रुपए वार्षिक की बचत हुई है। ये अधिकांश विधियाँ केन्द्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान (सी०जी०सी०आर०आई०), कलकत्ता द्वारा तैयार की गई हैं। इनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं : व्यर्थ अभ्रक से ईंटों का निर्माण, सामरिक महत्व का समांगी काँच, अवरक्त किरण काँच, क्वार्टज, वाटर फिल्टर केण्डिल इत्यादि।

केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सी०एल०आर०आई०), मद्रास ने आयात प्रति-स्थापन करके बचत करने के सम्बन्ध में जो प्रक्रियायें विकसित की हैं, उनमें से कुछ बैल्टिंग चमड़े पिकिंग बेण्ड स्ट्रप और अन्य उद्योग-सम्बन्धी चमड़े के निर्माण के लिए हैं।

संस्थान ने निर्यात को दृष्टि में रखकर जो विधियाँ विकसित की हैं, उनमें कच्ची खाल और चमड़े के अतिरिक्त ई० आई० लैदर, क्लोदिंग लैदर, वैट ब्ल्यू लैदर, लाइनिंग क्रीम लैदर का सामान, एनिमल केसिंग, बकरे के बाल, जूते आदि शामिल हैं।

भोजन : केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी०एफ०टी०आर० आई०), मैसूर ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिशुओं के लिए भैंस के दूध से आहार तैयार किया जा सकता है। पहले यह समझा जाता था कि शिशु भैंस का दूध हजम नहीं कर सकते। इस विधि के विकसित होने से शिशु आहार उद्योगों में वृद्धि हुई है। इसका आयात कम होने से प्रतिवर्ष ९ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। संस्थान ने उच्च प्रोटीन वाले आहार की विधि भी विकसित की है। यह सस्ती है। इसमें पोषण तत्त्व भी पर्याप्त मात्रा में होता है और इसे तिलहन और दाल आदि से तैयार किया जाता है।

इन्जीनियरी : संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र (एस०ई०आर०सी०), रुड़की ने अधिक ताकत वाली शक्तिशाली लोहे की डिफार्म्ड छड़ें तैयार की हैं। इनका नाम 'ग्रिपबार' है और इन्हें कंक्रीट को प्रतिबलित करने के लिए मुलायम इस्पात की जगह इस्तेमाल किया जाता है। केन्द्र ने जो एक अन्य विशेष कार्य किया है वह फ्यूनिकूलरशैल से सम्बन्धित है और इससे इस्पात की काफी बचत हुई है।

केन्द्र ने कम्प्यूटर अध्ययन के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली ले जाने के लिए तारें बिछाने में इस्तेमाल होने वाले लोहे के टावरों का अभिकल्प तैयार किया है। इससे इस्पात में १० प्रतिशत की कमी हुई है। अनुमान है कि देश में इस्पात के सभी टावर यदि इस अध्ययन के आधार पर लगाये गए तो इससे भारी बचत हो सकेगी।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सी० बी० आर० आई०), रुड़की ने कई मंजिल मकान बनाने के सम्बन्ध में अध्ययन किये हैं। संस्था ने माइक्रोवेव एंटेना टावर लगाने के लिए अण्डरीम्ड पाइल की बुनियाद को उपयोगी पाया है इससे लगभग ४० प्रतिशत की बचत होती है। संस्थान ने उत्तर रेलवे के लिए ऐसे टावरों के कई डिजाइन तैयार किये हैं।

रसायन उद्योग : रसायन के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किये गए हैं, उनमें विभिन्न रसायन तैयार करने की विधियाँ, क्षरण-रोधी रंग-रोगन, मैट्रिक्स बोर्ड आदि उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एन०सी०एल०), पूना ने उद्योगों से सम्बन्धित रसायन रंग, औषधि, मध्यवर्ती रसायन आदि तैयार करने के लिए अभी तक १४७ विधियाँ विकसित की हैं। इसमें से ९१ विधियाँ उद्योगों दे दी गई हैं और उसमें से भी एन. सी. एल. की ६२ विधियाँ उपयोग में आ रही हैं। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर. आर. एल.) हैदराबाद ने स्वदेशी कच्ची सामग्री से क्षरण-रोधी रंग-रोगन तैयार किया है। आशा की जाती है कि इसके निर्माण से वर्ष में लगभग एक लाख लीटर रंग-रोगन का आयात कम हो जाएगा।

बम्बई हाई में तेल के उत्खनन से भारत तेल के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा है। फिलहाल वहाँ चार उत्खनन यानो का उपयोग किया जा रहा है। अब तक मिली सफलता से जाहिर है कि इस कार्य को विकसित करना होगा और अनुभवी देशों से सहयोग लेना होगा।

बढ़ते हुए चरण

आज हमारे देश ने अपनी विभिन्न कठिनाइयों और संसाधनों के अभाव में भी प्रशिक्षित मानव शक्ति (मैन पावर) का एक बहुत बड़ा समूह तैयार कर दिया है। १९७८ के आंकड़ों के अनुसार इस समय हमारे पास २५१,८६० इंजीनियर (डिग्री), ३४६,७३० इंजीनियर (डिप्लोमा), १४७,३२० चिकित्सक (स्नातक व स्नातकोत्तर), ९३,३६० कृषि स्नातक व स्नातकोत्तर, १९,३३६ पशु चिकित्सक १,१८२,२७२ विज्ञान स्नातक तथा २४३ ४१२ विज्ञान स्नातकोत्तर है। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग २३ लाख वैज्ञानिकों और तकनीशियनों का यह भंडार विश्व में तीसरे नम्बर पर है जो कि हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये न केवल हमारे राष्ट्रीय विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बल्कि अन्य देशों के विकास कार्यों में भी मदद कर रहे हैं। इन्हीं की बदौलत आज भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा औद्योगिक राष्ट्र है।

हालांकि भारत के पास विज्ञान एवं टैक्नोलौजी मानव शक्ति का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है तथा हमारा देश विश्व के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों की श्रेणी में भी है फिर भी हम मुख्यतः विदेशी स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, न केवल टैक्नोलौजी के लिए बल्कि वैज्ञानिक उपकरणों और यहाँ तक कि किताबों के लिए भी। इसलिए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को समाज की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुकूल बनाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित करना होगा जिसमें निम्नलिखित जरूरतों को पूरा किया जा सके। १. वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक संस्थानों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के काम आने वाले उपकरणों का उत्पादन।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

२. विभिन्न विषयों की सभी पुस्तकों का देश में ही उत्पादन। विदेशी पुस्तकों का भी स्वागत होना चाहिए लेकिन उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ३. इसी प्रकार का प्रयास प्रयोगशालाओं में काम आने वाले उपकरणों के सम्बन्ध में होना चाहिए।

आत्मविश्वास पैदा करने के उद्देश्य से एक अन्य उपेक्षित क्षेत्र है, उच्च स्तर की स्वदेशी अनुसंधान पत्रिकाओं की कमी। इस सम्बन्ध में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (इंसा), भारतीय विज्ञान अकादमी और भारतीय भौतिकी संघ ने परस्पर सहयोग से सांख्यिकी (स्टेटिक्स) के लिए 'संख्या' और क्वालिटी के सम्बन्ध में 'प्रमाण' पत्रिका निकाली है जो एक सराहनीय कदम है। विभिन्न व्यवसायिक संघ और अकादमी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश का भला कर सकते हैं।

बोरलाग पुरस्कार

प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ० एम० एस० स्वामीनाथन् को इस वर्ष १९७९ में बोरलाग पुरस्कार प्रदान किया गया।

उन्हें यह सम्मान कृषि अनुसंधान, कृषि शिक्षा तथा कृषि विकास के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया गया।

इस पुरस्कार की स्थापना प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ० बोरलाग के सम्मान में की गई थी।

शुभ

कामनाओं

के साथ

❁

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(कोल इंडिया लि० का एक अंग)

धनबाद

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम ने राज्य के बालक-बालिकाओं के लिए शासन द्वारा अनुमोदित निम्न पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया है। ये पुस्तकें सस्ती, सुन्दर तथा शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अतुलनीय हैं।

बाल भारती कक्षा १ से ८
गणित कक्षा १ से ८
विज्ञान कक्षा ३ से ५
भौतिकी कक्षा ६ से ८
जीव विज्ञान कक्षा ६ से ८
भूगोल कक्षा ३ से ५
सामाजिक अध्ययन कक्षा ६ से ८
सहायक वाचन कक्षा ३ से ८
संस्कृत कक्षा ६ से ८
अंग्रेजी कक्षा ६ से ८
अंग्रेजी वर्क बुक कक्षा ६ से ८
बाल भारती अभ्यास पुस्तिका कक्षा १
संस्कृत अभ्यास पुस्तिका कक्षा ६
काव्य भारती कक्षा ९
गद्य भारती कक्षा ९
कहानी संकलन कक्षा ९
एकांकी संकलन कक्षा ९

इन हिन्दी माध्यम की पुस्तकों के अतिरिक्त निगम ने राज्य के अल्पभाषा-भाषि नागरिकों के बच्चों की सुविधाओं को देखते हुए कक्षा १ से कक्षा ८ तक की प्रायः सभी विषयों की पुस्तकों अन्य माध्यमों, जैसे उर्दू, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती, सिंधी, बंगाली एवं उड़िया में भी प्रकाशित की है।

ये सभी पुस्तकें राज्य शासन द्वारा अनुमोदित तथा अधिकृत पाठ्य-पुस्तकें हैं तथा इनके स्थान पर अन्य पुस्तकों का प्रचलन निषिद्ध है।

संचालक
मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भारत में विस्थापित

"अतिथि देवो भव" सूत्र के उद्घोषक और पालनकर्ता भारत को १९७१ में १ करोड़ ८७ लाख ५९ हजार ७२२ से अधिक 'अतिथियों' (विस्थापितों) का भरण-पोषण, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आदि समस्याओं से जूझना पड़ा था। संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हों और जिनका दायित्व सरकार को सहन करना पड़ा हो।

समझा जाता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध में सर्वाधिक ८० लाख लोग विस्थापित हुए। पर भारत की संख्या इस संख्या से ढाई गुनी से कुछ ही कम है। द्वितीय महायुद्ध के समय ८० लाख व्यक्ति बे-घरबार बना दिए गये थे। १९४५ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय ढंग पर सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और पुनर्वास परिषद् की स्थापना की। इस परिषद् ने इस समस्या को पूरी तरह हल करने में ३,६८,३५,४२,२३९ डालर व्यय किये और जून १९४७ तक यह परिषद् कार्यशील रही। इस अवधि में ५५,८५१ जर्मन, २८,०५९ आस्ट्रियन, १७,८९५ इटेलियन, २८,०७५ मध्य पूर्व के देशों के, १०,१४९ चीनी विस्थापितों का बसाया गया। आस्ट्रिया में १३८,०००, बेल्जियम में ५०००, चीन में १३,५००, फ्राँस में ४३१,०००, यूनान में २,०००, इटली में १४६,०००, मध्य पूर्व में ३३,०००, नीदरलैण्ड में ६०,०००, विस्थापित थे।

भारत विभाजन के दुर्दिन से ही नहीं अपितु इसके पूर्व ३ जून, १९४७ को विभाजन की घोषणा के बाद से ही भारत में विस्थापितों का आना शुरू हो गया। सरकार ने इन विस्थापितों की अलग-अलग श्रेणियाँ बनाई। पाकिस्तान से आने वालों को विस्थापित, बर्मा—मोजाम्बिक और श्रीलंका से आने वालों को स्वदेश लौटे भारतीय, तिब्बत तथा बंगला देश से आने वालों को शरणार्थी, भारतीय अंतःक्षेत्रों को पाकिस्तान को हस्तान्तरित किए जाने से प्रभावित व्यक्ति और भारत-पाक संघर्ष के समय हुए बे-घरबार लोग।

पाकिस्तान से भारत में विस्थापितों के आने के ८ मुख्य कारण हैं :

१. शत्रुतापूर्ण वातावरण के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़ना।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

२. उनके धार्मिक रीति-रिवाज तथा शिक्षा पद्धति में हस्तक्षेप के कारण असुरक्षा की भावना। बहुसंख्यक जाति के लोगों द्वारा संगठित तरीकों से खेतों में खड़ी फसल को बलात् ले जाना और सम्पत्ति पर कब्जा करना।

३. पाकिस्तान को एक इस्लामी राज्य बनाने की बार-बार की घोषणा ने हिन्दुओं में ऐसी भावना भर दी कि पाकिस्तान में उनका कोई भविष्य नहीं रह गया है।

४. पूर्वी बंगाल की विकट आर्थिक परिस्थिति और बहुसंख्यक समुदाय का आर्थिक बहिष्कार।

५. पर्याप्त रोजगार तथा व्यापार सुविधाओं की कमी।

६. अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं का उत्पीड़न, अपहरण आदि।

७. स्थानीय अधिकारियों तथा न्यायालयों से बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के विरुद्ध की गई शिकायतों को दूर न करा पाना।

८. अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के सम्बन्धियों तथा पड़ोसियों के लगातार भारत आने की वजह से उनकी संख्या में होने वाली कमी तथा उनमें उत्पन्न शंकाएं।

अगस्त १९४६ से १९७१ तक बंगला देश (तब पूर्वी पाकिस्तान) से आए विस्थापितों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है :

सन्	संख्या	कारण
१९४६	१९,०००	हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन करने की नीति
१९४७	२,४४,०००	भारत विभाजन
१९४८	७,७६,०००	हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के विरोध में दंगा उत्पात
१९४९	२,१२,०००	" " " "
१९५०	१५,७५,३६०	दंगा उत्पात
१९५१	१,८७,०००	हिन्दू निष्कासन
१९५२	३,०३,०००	आर्थिक दृष्टि से सताया जाना और पासपोर्ट मिलने की कठिनाई
१९५३	७६,०००	लियाकतअली-नेहरू पैक्ट दफना दिया गया
१९५४	१,१८,०००	दंगें
१९५५	२,३९,०००	उर्दू विरोधियों और बंगला प्रेमियों को निकाल देने की नीति के फलस्वरूप
१९५६	३,२०,०००	पाकिस्तान को इस्लामी राज्य घोषित किये जाने से
१९६४	८,५६,०००	इस्लामी राज्य में 'हिन्दू क्यों ?', अभियान
१९६५	१,०७,९०६	पैगम्बर का बाल श्रीनगर में चोरी चला गया

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१९६६	७,५६५	मजहबी उन्माद के कारण
१९६७	२४,५२७	,, ,,
१९६८	११,६१४	,, ,,
१९६९	९,७६८	,, ,,
१९७०	२,४९,९९९	,, ,,
२० अगस्त, १९७१	१ करोड़ ८७ लाख	बंगला देश संघर्ष

सरकारी आंकड़ों के अनुसार प० पाकिस्तान से ४७.४० लाख विस्थापित भारत आए। १९५६ से १९६४ तक पाकिस्तान से आने वालों की संख्या नगण्य रही। १६ दिसम्बर १९७१ को बंगलादेश की मुक्ति के बाद बंगलादेश से आए प्रायः सभी विस्थापित भारत से अपने देश लौट गए। परन्तु १९७५ के बाद वहां से पुनः अल्पसंख्यकों को भारत की ओर खदेड़ना शुरू कर दिया गया। अगस्त १९६९ तक बंगला देश से अल्पसंख्यक हिन्दुओं का आना जारी है।

उगांड़ा से निष्कासन

उगांड़ा सरकार द्वारा भारतीयों को निकालने के आदेश के बाद अगस्त १९७२ से प्रत्यावासियों का भारत आना प्रारम्भ हो गया। १९७८ तक ११,७१९ व्यक्तिउ गांडा से भारत लौट चुके हैं। इनमें से लगभग ५५०० भारतीय पासपोर्ट वाले हैं तथा शेष मुख्यतया ब्रिटिश पासपोर्ट वाले हैं। उगांडा पासपोर्ट वालों तथा राज्यविहीन व्यक्तियों की संख्या भी कम नहीं है।

बर्मा से भी निष्कासन

बर्मा की सरकार द्वारा सभी प्रकार के व्यापार का राष्ट्रीयकरण तथा विदेशियों पर कुछ अन्य प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जाने के फलस्वरूप बर्मा में रहने वाले भारतीय १ जून, १९६३ से भारी संख्या में भारत लौट रहे हैं। ३१ दिसम्बर १९७७ तक लगभग २,२५,७११ व्यक्ति आ चुके हैं। यातायात का मुख्य साधन समुद्र द्वारा है। थोड़ी सी संख्या में वायुयान द्वारा भी आते हैं। बर्मा से आये इन भारतमूलक विस्थापितों को देश भर में बसाया गया है।

मोजाम्बिक (अफ्रीका) से भारत विरोधी भावना के कारण लगभग ८१५ परिवार अब तक भारत लौटे है और अधिकतर गुजरात राज्य में बस गए हैं। स्वदेश लौटते समय उनको भारत सरकार द्वारा उदारतापूर्वक सीमा शुल्क में सुविधाएँ दी गईं। विधवाओं, अनाथों और अशक्त व्यक्तियों की गरीबी की परिस्थितियों में १२०० रु० प्रतिवर्ष तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। स्वदेश लौटने वाले भारतीयों को रियायती दरों से ब्याज पर ऋण के रूप में पुनर्वास सहायता भी दी गई ताकि वे व्यापार. व्यावसायिक प्रतिष्ठान या लघुस्तरीय उद्योगों को शुरू करने के योग्य बन सकें। कृषि भूमि एलाट करने के मामले में उन्हें प्राथमिकता दी गई। स्वदेश लौटे भारतीयों के बच्चों की शिक्षा के लिए निःशुल्क

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

शिक्षा, छात्रवृत्ति, पुस्तकों इत्यादि के रूप में सुविधायें दी गई। गुजरात सरकार के अनुसार अब लगभग इन सभी परिवारों को बसाया जा चुका है।

१९६४ के भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत भारतीय मूल के ५.२५ लाख व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दी जानी है और इन व्यक्तियों को १५ वर्ष की अवधि में भारत लौटना है। कोलम्बो स्थिति भारतीय उच्चायोग से प्राप्त सूचना के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के लिए ४,५९,३१२ व्यक्तियों के प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं।

१९६४ में हुए समझौते के अन्तर्गत भारत ने ५,२५,००० व्यक्तियों को नागरिकता देने का निर्णय किया था। श्रीलंका ने तीन लाख लोगों को नागरिकता देने की जिम्मेदारी ली थी।

श्रीलंका से लौटने वाले भारतीयों के पुनर्वास को राष्ट्रीय समस्या के रूप में माना गया है। सहायता तथा पुनर्वास उपायों के कार्यान्वयन के लिए वांछित धन भारत सरकार द्वारा अनुदान तथा ऋण के रूप में दिया जाता है।

तिब्बती विस्थापित

तिब्वत पर हुए चीनी आक्रमण के कारण १९५९ से अब तक लगभग ५६,००० तिब्वती भारत तथा भूटान में आए हैं।

तिब्बती शरणार्थियों के कृषि और अन्य व्यवसायों में पुनर्व्यवस्थापना की योजनाओं में इस वर्ष और प्रगति हुई है। अब तक २७,११२ तिब्बती शरणार्थियों को कृषि बस्तियों, लघुस्तर के उद्योगों और देश के विभिन्न भागों में स्थापित दस्तकारी केन्द्रों में पुनर्वास दिया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त कई शिशुशालाओं और स्कूलों में लगभग ६,७०० बच्चे पढ़ रहे हैं। लगभग ४,५०० से अधिक शरणार्थियों ने अपने प्रयासों द्वारा विभिन्न प्रकार के काम खोज लिए हैं।

बंगलादेश से आए प्रवासियों के कृषक परिवारों को दण्डकारण्य, अण्डमान और निकोबार द्वीपों तथा महाराष्ट्र में चान्दा, मध्य प्रदेश में बेतूल और आंध्र प्रदेश में ईसागांव जैसी परियोजनाओं में बसाया गया है।

बंगला देश से आए लोगों के लिए संसार के विभिन्न देशों, संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न संस्थाओं और स्वयं सेवी संस्थाओं से लगभग ११५ करोड़ रुपयों की सहायता प्राप्त हुई जिनमें नकद राशि के अतिरिक्त वस्त्र, खाद्यान्न, दवा आदि भी हैं।

राजस्थान और गुजरात में

१९७१ के भारत-पाक संघर्ष के बाद राजस्थान और गुजरात में लगभग ७४,००० पाकिस्तानी नागरिक आए थे। ये विस्थापित व्यक्ति कृषक, पशु-पालक, भूमि-हीन मजदूर, शिल्पी तथा लघु व्यापारी थे। दोनों राज्य सरकारों को उन व्यक्तियों को राहत देने के लिए

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

खर्च करने के अधिकार दिए गए थे, जिन्हें उनके लिए स्थापित इन राज्यों में स्थित शिविरों में रखा गया था।

सिन्ध से आये विस्थापित हिन्दू हैं तथा वे किसी भी कीमत पर पुनः पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं हैं। पाकिस्तानी शासक धर्मान्धता के कारण उनपर मनमाने अत्याचार करते रहे हैं इस कारण वे पाकिस्तान वापस जाना मौत के मुँह में जाने के बराबर समझते हैं।

विस्थापितों का पुनः आगमन

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री ने अगस्त १९७८ में राज्यसभा में बताया कि विभाजन के पश्चात् भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से पुराने प्रवासी ३१ मार्च १९५८ तक ४१.१७ लाख तथा नए प्रवासी १ जनवरी १९६४ से २५ मार्च १९७१ तक ११.१४ लाख भारत आए।

४१.१७ लाख पुराने प्रवासियों (८.२३ लाख परिवार) में से लगभग ३१.३२ लाख व्यक्ति (६.२८ लाख परिवार) पश्चिम बंगाल में ठहर गए थे। लगभग ५.२३ लाख परिवारों को मार्च, १९७५ तक किसी न किसी रूप में पुनर्वास सहायता दे दी गई थी। लगभग ९४ हजार परिवारों ने किसी प्रकार की पुनर्वास सहायता नहीं चाही थी। लगभग ११ हजार परिवार पश्चिम बंगाल के स्थायी दायित्व गृहों तथा अनधिवासी बस्तियों में रहते रहे। शेष १.९५ लाख परिवारों को विभिन्न राज्यों में कृषि, लघु व्यवसाय, व्यापार रोजगार आदि की बहुत सी योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्वास प्रदान कर दिया गया था जिसका ब्यौरा निम्न है :—

राज्य का नाम	बसाए गए परिवारों की संख्या
असम	९०,०००
त्रिपुरा	६९,०००
बिहार	१४,०००
उत्तर प्रदेश	४,०००
मध्य प्रदेश (दण्डकारण्य को छोड़कर)	३,०००
उड़ीसा (दण्डकारण्य को छोड़कर)	३,०००
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	३,०००
दण्डकारण्य	८,०००
मणिपुर	५००
राजस्थान	३००
योग	१,९४,८०० परिवार

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

११.१४ लाख नए प्रवासियों में से ६ लाख व्यक्ति पश्चिम बंगाल में ही ठहर गए थे। कुछ परिवारों ने राहत शिविरों में अपना पंजीकरण नहीं कराया या वे अपने आप शिविरों को छोड़कर चले गए थे, वे पुनर्वास के पात्र नहीं थे। अन्ततः जिन परिवारों ने पुनर्वास चाहा था उनकी संख्या ७८,३६८ थी। उन्हें निम्न रीति से विभिन्न राज्यों में पुनर्वास प्रदान किया गया :—

राज्य का नाम	कृषि	लघु व्यवसाय	उद्योग	योग
१	२	३	४	५
१. आन्ध्र प्रदेश	१५६१	४४	—	१६०५
२. अरुणाचल प्रदेश	२९०२	—	—	२९०२
३. असम	६७८४	६२४४	—	१३०२८
४. बिहार	१०३२	१५१७	—	२५४९
५. कर्नाटक	८२४	—	—	८२४
६. महाराष्ट्र	५३५२	५०६	—	५८५८
७. मध्य प्रदेश	४५१६	१७६४	८०	६३६०
८. मणिपुर	१४५	—	—	१४५
९. मेघालय	१९३८	२१२	—	२१५०
१०. उड़ीसा	६	२५३	—	२५९
११. पंजाब	—	३	—	३
१२. त्रिपुरा	५६७५	७२८	—	६४०३
१३. उत्तर प्रदेश	१३९९	३९४	३९०	२१८३
१४. राजस्थान	४१२	३३५	—	७४७
१५. अण्डमान	७७४	३१	—	८०५
१६. दण्डकारण्य	१५६१७	८८१	—	१६४९८
योग	४८९३७	१२९१२	४७०	६२३१९

दण्डकारण्य के कर्मी शिविरों तथा कार्यस्थल शिविरों और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश (यह मानकर कि स्थान छोड़कर जाने वाले वापस आ जायेंगे) में लगभग ९,१९८ परिवार हैं जिनका अभी पुनर्वास किया जाना है और कुछ को उल्लिखित अन्य राज्यों में बसाया जाएगा।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बंगला देश में पुनः उत्पीड़न

१९७१ में बंगला देश के निर्माण के वाद आशा थी कि शेख मुजीवुर्रहमान के नेतृत्व में यह नवोदित राष्ट्र पूर्वी पाकिस्तान जैसी मजहबी संकीर्णता से ऊपर उठकर धर्म-निरपेक्षता के उदार सिद्धान्तों पर चलेगा। परन्तु १९७५ में शेख मुजीब की निर्मम हत्या कर बंगला देश पर पुनः कट्टरपंथी मुस्लिमों का अधिकार हो गया तथा उसे 'मुस्लिम देश' घोषित कर दिया गया।

बंगलादेश में पूर्वी पाकिस्तान' की तरह ही अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर अत्याचार शुरू कर दिये गए। उन्हें वहां से मार-काटकर भगाना, धर्मपरिवर्तित किया जाना शुरू कर दिया गया। फलतः अल्पसंख्यक हिन्दुओं को भारत की ओर भागने को मजबूर होना पड़ा।

वर्मा से कुछ मुस्लिम शरणार्थी बंगला देश आए तथा बाद में उनमें से कुछ असम क्षत्र में भी आ गए।

विदेशमन्त्री ने अगस्त १९७८ में राज्यसभा में स्वीकार किया कि विभाजन के वाद से ही पहले के पाकिस्तानी और वाद के बंगलादेश के राष्ट्रिक ग़ैर-कानूनी तौर पर भारत के पड़ौसी राज्यों में आते रहे हैं, जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्ति भी होते हैं। यह सिलसिला हाल के महीनों में भी जारी रहा है। चूंकि भारत बंगला देश की सीमा, जोकि लगभग ४००० किलोमीटर लम्बी है, कई स्थानों पर दुर्गम रास्ते से गुजरती है, इसलिए सीमा के प्रत्येक भाग पर निगरानी रख पाना और हर एक घुसपैठिये को पकड़ पाना वहुत मुश्किल है।

उन्होंने स्वीकार किया कि हाल में बंगला देश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी जिनमें प्रमुख रूप से मोघ थे, और कुछ चकमा भी तथा जिनकी संख्या ४ हजार के लगभग थी, चोरी-छिपे त्रिपुरा राज्य के दक्षिणी त्रिपुरा जिले के सवरूम सव डिवीजन में घुस आए थे।

उन्होंने बताया कि भारत ने बंगलादेशी राष्ट्रिकों के प्रवर्जन को रोकना और बंगला देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा करना वस्तुतः बंगलादेश सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन भारत सरकार ने कई मौकों पर और विभिन्न स्तरों पर, जिनमें राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हाल की भारत यात्रा भी शामिल है, बंगलादेश के अल्पसंख्यकों के हित के कल्याण के प्रति अपनी चिन्ता प्रकट की है और उन्हें इस वात को समझाने की कोशिश की है कि इन अल्पसंख्यकों की हिफाजत और सुरक्षा की परिस्थितियां पैदा करना और भारत में अवैध प्रवासियों के प्रवाह को रोकना उनका दायित्व है।

पाकिस्तान से पुनः निष्कासन शुरू

बंगलादेश ही नहीं पाकिस्तान में अभी भी बचे-खुचे अल्पसंख्यक हिन्दुओं का उत्पीड़न, उन्हें वलात धर्म परिवर्तित करने या देश छोड़ने को मजबूर करने की गतिविधियां जारी

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

है। राजस्थान तथा अन्य सीमाओं से अल्पसंख्यक हिन्दू निरन्तर अपने धर्म की रक्षा के लिए वहां से भारत की ओर आते रहे हैं।

विदेश राज्यमंत्री ने संसद में स्वीकार किया कि सरकार को इस आशय की रिपोर्ट मिली है कि मई १९७८ में पाकिस्तान के दस हिन्दू परिवार, जिनकी कुल सदस्य संख्या ६५ थी, भारत के राजस्थान क्षेत्र में प्रविष्ट हुए थे और इसका कारण उन्हें धार्मिक रूप से परेशान किया जाना बताया जाता है। यह रिपोर्ट पाकिस्तान के नई दिल्ली स्थित दूतावास के ध्यान में लायी गई जिन्होंने बाद में सरकार को सूचित किया कि पाकिस्तान सरकार को अभी तक इस प्रकार के प्रत्यावर्तन का कोई संकेत नही मिला है। दूतावास ने भारत सरकार में सम्बद्ध व्यक्तियों के वैयक्तिक विवरण मांगे हैं। यह सूचना दूतावास को भेज दी गयी है।

उन्होंने बताया कि पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि इस बात का सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाये जायेंगे कि पाकिस्तान में हिन्दू किसी भी तरह अपने को असुरक्षित न समझें और उन्हें सीमा पार कर भारत आने की जरूरत महसूस न हो।

विस्थापितों की करुण कहानी

सूरतगढ़ (राजस्थान) के युवा विधायक श्री गुरुशरण छाबड़ा, जिनका चुनाव क्षेत्र काफी दूर तक पाकिस्तानी सीमा से सटा हुआ है, पाकिस्तान से भागकर आये हिन्दुओं के दुखदर्द में दिलचस्पी लेते रहे हैं। उनका कहना है कि हजारों हिन्दू परिवार पाकिस्तान में असुरक्षित पाकर राजस्थान की शरण में आ चुके हैं। कुछ समय पूर्व पाकिस्तान के क्षेत्र के कोट सुल्तान से १० परिवार अपनी जान बचाकर भारत आए, हैं, इनमें १२ पुरुष, १४ स्त्रियां, १८ युवक तथा २१ युवतियाँ हैं। शेरपुरा चौकी के पास भारतीय सीमा सुरक्षा दल ने सीमा पार करते देखकर उन्हें अनूपगढ़ थाने के अधिकारियों के हवाले कर दिया।

इन परिवारों के लोगों ने अपनी सन्तानों की सौगन्ध खाकर सिसकियों के बीच अपनी दर्दनाक आपबीती सुनायी और कहा कि पाक रक्षा पुलिस के जवान उनकी बहन बेटियों को हथियार की नोक पर उनके सामने ही उठा ले जाते हैं। इन लोगों ने बताया कि पाकिस्तान में इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर हिन्दुओं को गाय का मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता है और उनकी महिलाओं-लड़कियों से दुर्व्यवहार किया जाता है।

विधायक श्री छाबड़ा का कहना है कि भुट्टो के शासन में ऐसे अत्याचार कम होते थे। लेकिन सैनिक शासन में अत्याचार बढ़ने से भागकर आने वालों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। भागकर आने वाले सैकड़ों परिवार लुट पिटकर सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में आ बसे हैं तथा खेतों, सड़कों एवं नहरों पर मजदूरी कर अपना पेट पाल रहे हैं।

दिसम्बर १९७७ में जब श्री छाबड़ा अनूपगढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे थे तो उन्हें अनेक ऐसे शरणार्थी मिले जिन्होंने बताया 'पाकिस्तान में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

पाक अदालतों में कहीं भी सुनवाई नहीं होती। एक युवक ने बताया कि इस्लाम स्वीकार न करने पर उसकी युवा पत्नी चंद्री को गुंडे उठाकर ले गए जिसे बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया जा सका। मुजफ्फरगढ़ के कोट अड्ड तहसील से आए इन परिवारों का सारा सामान छीन लिया गया था, यहाँ तक कि उनके पास खाने पकाने के बर्तन तक नहीं थे और सर्दी से बचने के लिए कपड़े भी नहीं थे। आप बीती सुनाते समय इन ५ परिवारों के ३२ सदस्यों की आँखों में आंसू ही आंसू थे।"

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री ने अगस्त १९७८ में संसद में स्वीकार किया कि अभी ५४,२७९ सिन्धी शरणार्थी ऐसे हैं जिन्हें अभी तक बसाया जाना शेष है।

विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए राजस्थान तथा गुजरात सरकारों ने कृषि तथा गैर कृषि व्यवसायों में पुनर्वास योजनाएँ तैयार की हैं। ये योजनाएँ सरकार के विचाराधीन हैं तथा शीघ्र ही इन्हें अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है।

भारत में विभिन्न शिविरों में रह रहे ऐसे शरणार्थियों की संख्या, जिन्हें अभी बसाया जाना है, निम्न प्रकार है :—

(१) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति	
(क) कर्मी शिविरों में	२३,१६२
(ख) कार्यस्थल शिविरों में	१९,४८२
(२) १९७१ के भारत-पाक संघर्ष के दौरान आए विस्थापित व्यक्ति	५१,३२१
(३) छम्ब शरणार्थी	४,४१९
योग	९८,३८१

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Gram : "RAJHANS"
KATRASGARH

Phones : 5295 & 5140

M/s. Rajhans Refractories Pvt. Ltd.

RAJGANG ROAD
P. O. KATRASGARH
DIST. DHANBAD (BIHAR)

Manufacturers of :

BY DRY PROCESS–FIRECLAY BRICKS, ALL TYPES OF CHECKERS, SLEEVES, STOPPER HEADS, NOZZLES, COKE OVEN SHAPES, HIGH ALUMINA ROOF SETS ETC.

Regd. Office :

22, BALLYGUNGE PLACE EAST
CALCUTTA-700 019

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

क्रीड़ा

किसी राष्ट्र की समृद्धि के मूल्यांकन के मापदण्ड में खेलों की-भूमिका भी प्रमुख मानी जाती है। विश्व में भारत खेलकूद की स्थिति में अभी पिछड़ा हुआ है। खेलकूद शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को समृद्ध बनाने वाले साधन ही नहीं अपितु अनुशासित जीवन एवं राष्ट्रीय उत्थान के भी महत्त्वपूर्ण अंग हैं। इससे नागरिकों में संयम, आत्मबल, संगठनात्मक शक्ति, सहकारी भावना, उत्तरदायित्व की भावना निभाने का विकास होता है।

आजादी के बाद भारत ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है पर खेलों में आबादी की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर होने पर भी भारत पिछड़ा हुआ है। हाकी में कभी हम विश्व चैम्पियन रहे हैं, फुटबाल में हम एशियाई विजेता रहे हैं। एथेलिट में हमने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

हमारे देश में आधुनिकतम क्रीड़ाशालाओं के निर्माण की प्रबल आवश्यकता है। देश में शारीरिक महाविद्यालयों की स्थापना में रुचि ली जा रही है। पटियाला, ग्वालियर व जालन्धर के शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयों ने अच्छे खिलाड़ी दिए हैं। हाकी में भारत का मानवर्धन करने वाले सुरजीतसिंह, बलदेव सिंह, हरचरण सिंह, कुलवन्त सिंह तथा बलबीर सिंह, स्टेट कालिज ऑफ स्पोर्टस, जालन्धर की देन है। दरअसल अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेनेवाले खिलाड़ियों का चयन अल्पावधि में किया जाता है। यदि चयन पहले से हो जाए तो अभ्यास का काफी समय मिल सके। अन्तिम समय तक में लटके रहने के कारण हमारे खिलाड़ी ठीक प्रकार से अभ्यास नहीं कर पाते। कुश्ती में अधिक ध्यान देने से भी हमारे पहलवान अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नाम कमा सकते हैं। आपातकालीन दौर में खेलों की भी उपेक्षा की गई। खेल संघों के चुनाव मनमाने आधार पर हुए। खेलों के प्रति रुचि प्रकट नही की गई। धन कमाने के लिए बड़े-बड़े दंगल जरूर आयोजित किए गए।

प्रमुख कप व ट्राफियां—भारत एवं विश्व

आगा खां कप	—	हाकी (भारत)
डेविस कप	—	लान-टेनिस (अन्तर्राष्ट्रीय)
डूरण्ड कप	—	फुटबाल (भारत)
आई० एफ० ए० शील्ड	—	फुटबाल (भारत)
लेडी रत्न टाटा ट्राफी	—	हाकी (स्त्रियाँ : भारत)

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

रणजी ट्राफी	—	क्रिकेट (भारत)
रंगास्वामी कप	—	हाकी (भारत)
रोबर्स कप	—	फुटबाल (भारत)
स्वेथलिंग कप	—	टेबिल टेनिस (विश्व पुरुष)
सन्तोष ट्राफी	—	राष्ट्रीय फुटबाल (भारत)
टामस कप	—	बैडमिन्टन विश्व
ज्युल्स रिमेट ट्राफी	—	फुटबाल (विश्व)
वाकर कप	—	गोल्फ (इंगलैंड)
विम्बलडन ट्राफी	—	लान टेनिस (विश्व)
प्रुडैंशियल कप	—	क्रिकेट (विश्व)

१९७६ (ओलम्पिक) की विशेष उपलब्धियां

१९७६ में मांट्रियल में हुए ओलम्पिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। जब से भारत ने ओलम्पिक खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया भारतीय हॉकी टीम कोई न कोई पदक जीतने में अवश्य सफल होती रही लेकिन मांट्रियल ओलम्पिक में तो भारतीय हॉकी टीम सेमी-फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई और इस बार उसे सातवाँ स्थान प्राप्त हुआ।

मांट्रियल ओलम्पिक में हॉकी के खेल में विभिन्न देशों की स्थिति इस प्रकार रही—१. न्यूजीलैण्ड, २. आस्ट्रेलिया, ३. पाकिस्तान, ४. हालैंड, ५. पश्चिम जर्मनी, ६. स्पेन, ७. मलयेशिया, ८. बेल्जियम, ९. अर्जेंटाइना और १०. कनाडा।

ओलम्पिक खेलों में जिन भारतीय खिलाड़ियों ने भारतीय टीम का नेतृत्व किया, उनके नाम इस प्रकार हैं।

१९२८—जयपालसिंह, १९३२—लालशाह बोखारी, १९३६—ध्यानचन्द, १९४८—किशनलाल, १९५२—के० डी० सिंह 'बाबू', १९५६—बलबीर सिंह, १९६०—क्लाडियस, १९६४—चरणजीत सिंह, १९६८—पृथीपालसिंह और गुरुबख्श सिंह (संयुक्त कप्तान), १९७२—हरमीक सिंह, १९७६—अजीतपाल सिंह।

८वें एशियाई खेल

थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में दिसम्बर, १९७८ में ८वीं एशियाई खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई। पच्चीस देशों के तीन हजार से अधिक खिलाड़ी राजनैतिक और राष्ट्रीय मतभेदों को भूलकर बैंकाक में एकत्रित हुए। इनमें से दस देशों को एक भी स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं हो सका जबकि छः देशों को एक भी पदक नहीं मिला।

भारत ११ स्वर्ण, ११ रजत तथा ६ काँस्य पदक लेकर छठे स्थान पर रहा। रनधीर सिंह ने शूटिंग में, करतारसिंह तथा राजेन्दरसिंह ने कुश्ती में, तथा हरीचन्द ने एथलेटिक में २ स्वर्ण प्राप्त किये। एथलेटिक में कुल ८ स्वर्ण पदक भारत के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए। हॉकी में इस बार भारत कोई भी पदक नहीं प्राप्त कर सका। ९वें एशियाई खेल भारत में १९८२ में होंगे।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कुश्ती

भारतीय पहलवानों को प्रशिक्षण और अभ्यास के बिना ग्रीको रोमन प्रतियोगिताओं में उतारकर खेल-अधिकारियों ने जिस गलत निर्णय का परिचय दिया वह इन प्रतियोगिताओं के परिणामों से साफ जाहिर होता है। पहले ही राउण्ड में प्रसिद्ध पहलवान सुदेशकुमार की हार के साथ जो निराशा हुई, वह अन्य पहलवानों के निम्न-स्तरीय प्रदर्शन के साथ बढ़ती ही गई। नौ भारतीय पहलवानों में से पहले दिन ही पांच पहलवान बुरे अंक प्राप्त कर बैठे। और शेष चार पहलवानों पर भी दूसरें दिन ही हार ने बुरे अंक लाद दिये। ग्रीको-रोमन में भारत के सुखचैन एकमात्र कांस्य पदक प्राप्त कर सके। ग्रीको-रोमन की असफलता ने पहलवानों को बहुत कुछ निरुत्साहित कर दिया और फ्रीस्टाइल कुश्ती में वह आशानुकूल परिणाम न दिखा सके। स्वर्ण पदकों की आस लगाये खेल प्रेमियों को उस समय निराशा का सामना करना पड़ा जब उपलब्धि के नाम पर सुखचैन, सतवीर और सतपाल द्वारा जुटाये गये तीन कांस्य पदक ही हाथ लगे।

भारतीय कुश्तियों का लेखा-जोखा

'हिन्द केसरी'

वर्ष	विजेता का नाम	विजेता का स्थान	प्रतियोगिता का आयोजन
१९५८	रामचन्द्र	इन्दौर	हैदराबाद
१९५९	श्रीपति खानचनाले	कोल्हापुर	दिल्ली
१९६०	गणपत अण्डाल्कर	कोल्हापुर	दिल्ली
१९६१	करतारसिंह	पंजाब	अजमेर
१९६२	मास्टर चन्दगीराम	हरियाणा	दिल्ली
१९६३	(प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ)		
१९६४	खड़ग सिंह	दिल्ली	दिल्ली
१९६५	(प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ)		
१९६६	मारुति माने	कोल्हापुर	करनाल
१९६७	मेहरदीन	राजस्थान	जबलपुर
१९६८	हसरत पटेल	कोल्हापुर	अहमदाबाद
१९६९	मास्टर चन्दगी राम	हरियाणा	रोहतक
१९७०	सुखवन्त सिंह	(के० सु० पुलिस)	कानपुर
१९७१	दीनानाथ सिंह	महाराष्ट्र	नागपुर
१९७२	(प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ)		
१९७३	मास्टर चन्दगी राम	हरियाणा	इन्दौर
१९७४	(प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ)		
१९७५	चम्पा मुतलाने	कर्नाटक	बंगलौर
१९७६	सतपाल	दिल्ली	रोहतक

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

'भारत केसरी'

वर्ष	विजेता का नाम	विजेता का स्थान
१९६८	मास्टर चन्दगी राम	हरियाणा
१९६९	मास्टर चन्दगी राम	हरियाणा
१९७०	मेहरदीन	राजस्थान
१९७१	विजयकुमार	पंजाब
१९७२	(प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ)	
१९७३	नेत्रपाल	सेना
१९७४	(प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ)	
१९७५	सतपाल	दिल्ली
१९७६	सतपाल	दिल्ली

'भारत कुमार'

१९६९	मुरारी लाल	दिल्ली
१९७०	जगदीश मित्तर	दिल्ली
१९७१	विजयकुमार	पंजाब
१९७२	(प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ)	
१९७३	सतपाल	दिल्ली
१९७४	(प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ)	
१९७५	करतार सिंह	दिल्ली

'रुस्तम-ए-हिन्द'

१९४८	केसर सिंह	पंजाब
१९६८	मेहरदीन	राजस्थान
१९६९	चन्दगी राम	हरियाणा
१९७०	सज्जन सिंह	सेना
१९७१	सुखवन्त सिंह	पुलिस
१९७२	हरीश्चन्द्र विराजदार	महाराष्ट्र
१९७३	दादू चौगले	महाराष्ट्र
१९७४	सतपाल	दिल्ली
१९७५	सतपाल	दिल्ली

'महान भारत-केसरी'

वर्ष	नाम	राज्य	प्रतियोगिता का स्थान
१९७२	चन्दगी राम	हरियाणा	दिल्ली
१९७३	दादू चौगले	महाराष्ट्र	दिल्ली
१९७६	सतपाल	दिल्ली	दिल्ली

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

'भारत भीम'

१९६९	चन्दगी राम	हरियाणा	लखनऊ
१९७०	चन्दगी राम	हरियाणा	लखनऊ

राष्ट्रमण्डल खेल में भारत की भूमिका

प्रारम्भ में यह खेल ब्रिटेन के उपनिवेशों और ब्रिटेन के बीच अपनी सद्भावना बनाये रखने के लिए शुरू किये गये थे। धीरे-धीरे उसके सभी उपनिवेश आजाद हो गए अतः अब यह राष्ट्रमण्डल खेलों का रूप ले चुके हैं। यह खेल प्रत्येक चार वर्ष वाद होते हैं।

भारत ने सिडनी खेलों से इसमें भाग लेना शुरू किया था। १९५८ के कारडिक खेलों में हमें अच्छी सफलता मिली। हमारे धावक मिलखासिंह और पहलवान लीलाराम ने स्वर्ण पदक जीते। चीनी हमले के कारण भारत ने १९६२ में भाग नहीं लिया। जमैका में आयोजित १९६६ के खेलों में हमारे तीन पहलवान भीमसिंह, विशम्भर और मुख्तियारसिंह ने स्वर्ण पदक जीते। एथलीट प्रवीणकुमार और भारोत्तोलक घोष ने रजत पदक जीते। बैडमिन्टन में दिनेश खन्ना ने कांस्य पदक जीता। १९७० के एडिनबरा खेलों में हमारे पांच पहलवान वेदप्रकाश, सुदेशकुमार, उदयचन्द, मुख्तियारसिंह और हरीशचन्द्र ने पांच स्वर्ण पदक जीते। पहलवान सज्जनसिंह, विश्वनाथ और मारुति माने ने रजत पदक जीते तथा रंधावासिंह ने कांस्य पदक जीते। भारत का स्थान चौथा रहा तथा उसने कुल १२ पदक जीते।

सन् १९७८ में आयोजित राष्ट्रमण्डल खेलों में भारत ने कुल ५ स्वर्ण पदक प्राप्त किये। भारत के प्रकाश पादुकोने ने बैडमिण्टन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया तथा शेप ४ पदक कुश्ती में प्राप्त हुए। खेलों में प्रमुख देशों की स्थिति निम्न प्रकार रही—

देश	स्वर्ण पदक
कनाडा	४५
इंगलैंड	२७
आस्ट्रेलिया	२४
केन्या	७
न्यूजीलैंड	५
भारत	५

भारत में विश्व खेल

विश्व खेलों का आयोजन बारी-बारी से विश्व के कई देशों में होता है। भारत में निम्न खेलों का आयोजन हुआ था।

१९४९-५०	—	एशियाई टेनिस प्रतियोगिता
१९५१	—	एशियाई खेल
१९५२	—	विश्व टेवल टेनिस

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१९५८	—	विश्व बिलयर्ड
१९६७	—	विश्व कुश्ती
१९७१	—	एशियाई दौड़कूद
१९७४	—	विश्व टेबिल टेनिस

भारतीय विश्व चैम्पियन

भारतीयों को कई खेलों में विश्व चैम्पियन बनने का गौरव मिला है। हॉकी में वर्षों तक अपराजित रहने के अलावा निम्न व्यक्तियों ने विभिन्न खेल क्षेत्रों में भारत का नाम ऊँचा किया है।

१. कुश्ती में गामा पहलवान विश्व विजयी बने।

२. पर्वतारोहण में तेनसिंग ने एवरेस्ट पर विजय पाई।

विश्व कप हाकी

सन् १९७८ में आयोजित विश्व कप हॉकी में भारतीय टीम का प्रदर्शन अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण रहा। भारत कोई भी पदक प्राप्त करने में असफल रहा। खेल में विभिन्न देशों की स्थिति निम्न प्रकार रही।

१. पाकिस्तान	२. हालैंड
३. आस्ट्रेलिया	४. प० जर्मनी
५. स्पेन	६. भारत
७. इंगलैंड	८. अर्जेंटाइना
९. पोलेण्ड	१०. मलेशिया

भारत के टेस्ट क्रिकेट कप्तान

कप्तान	टेस्ट	जीते	हारे	बराबर
मंसूर अली पटोदी	४०	९	१९	१२
बिशन सिंह बेदी	१८	६	८	४
अजीत वाडेकर	१६	४	४	८
लाला अमरनाथ	१५	२	६	७
विजय हजारे	१४	१	५	८
नारी कन्ट्रेक्टर	११	२	२	८
पॉली उमरीगर	८	२	२	४
वीनू मांकड	३	०	१	५
जी० रामचन्द्र	५	१	२	२
सी० के० नायडू	४	०	३	१
दत्तु गायकवाड़	४	०	४	०

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

गुलाम अहमद	३	०	२	१
बिज्जी	३	०	२	१
इफ्तिखार अली पटोदी	३	०	२	१
हेमू अधिकारी	१	०	१	०
पंकज राय	१	०	१	०
चन्दू बोर्डे	१	०	१	०
वेंकट राघवन	६	०	२	४
सुनील गावस्कर	७	२	०	५

हमारे प्रसिद्ध खिलाड़ी

वीनू मांकड, अम्बर राय, पाली उमरीगर, वजीर, नजीर, अमरसिंह, मंजरेकर, रूसी सूरती. बालू गुप्ते, जस्सू पटेल, चन्दू वोर्डे, सर देसाई, बेदी, चन्द्रशेखर, प्रसन्ना, वेंकट् राघवन, फारूख इंजीनियर, विश्वनाथ, एकनाथ सोल्कर, सलीम दुर्रानी, नवाब पटोदी, अजीत वाडेकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, घावरी तथा महेन्द्र अमरनाथ।

भारतीय खिलाड़ियों के राष्ट्रीय रिकार्ड

१००	मीटर	केनथ पावेल	१०.४	सेकेंड	१९६५
२००	,,	मिलखासिंह	२०.८	,,	१९६०
४००	,,	मिलखासिंह	४५.६	,,	१९६०
८००	,,	श्री रामसिंह	१:४७.३	,,	१९७३
१,५००	,,	एडवर्ड सिक्वेरा	३:४३.७	,,	१९६६
५,०००	,,	एडवर्ड सिक्वेरा	१४:०१.४	,,	१९७२
१०,०००	,,	कृपालसिंह	२९:३४.०	,,	१९६७
३,०००	,,	स्टीपलचेज गुरमेलसिंह	८:५३.२	,,	१९७०
११०	,, बाधा	गुरवचनसिंह	१४.०	,,	१९६४
६००	,, बाधा	अमृतपाल	५२.२	,,	१९६२
ऊँची कूद		भीमसिंह	२.०९	मीटर	१९६८
पोल वाल्ट		लखबीरसिंह	४.२१	,,	१९६९
लम्बी कूद		टी० सी० युहानन	७.६०	,,	१९७२
तिकड़ी कूद		मोहिन्दरसिंह गिल	१६.७९	,,	१९७१
शॉट पुट		जगराजसिंह	१७.८४	,,	१९७३
चक्का फेंक		प्रवीणकुमार	५६.७४	,,	१९७३
हेमर फेंक		प्रवीणकुमार	६५.७६	,,	१९६९
नेजा फेंक		राजसिंह	७०.१८	,,	१९७३
डिकेथलन		वी० एस० चौहान	७३७८ अंक	,,	१९७२

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

४×१०० मीटर रिले	राष्ट्रीय दल		४०.५	सेकेंड	१९७२
४×४०० मीटर रिले	राष्ट्रीय दल		३:०८.८	,,	१९६४
मेराथन	हरनेकसिंह	२ घंटे १८ मि०	५८.६	,,	१९६६
१० किलोमीटर पैदल	वचनसिंह	१ घंटे २७ मि०	५७.६	,,	१९६७
५० किलोमीटर पैदल	किशनसिंह	४ घंटे १९ मि०	४६.४	,,	१९७०

भारतीय महिला खिलाड़ियों के राष्ट्रीय रिकार्ड

१०० मीटर	एस० डी० सोजा	१२.२	सेकेंड	१९६१
	निर्मला उथैया	१२.२	,,	१९७२
२०० ,,	एन० राधा	२४.९	,,	१९७३
४०० ,,	कमलजीत संधू	५६.३	,,	१९७०
८०० ,,	जलज नाथन	२:१४.२	,,	१९७३
१,५०० ,,	जलज नाथन	४:४४.३	,,	१९७३
१०० ,, बाधा	मनजीत वालिया	१४.३	,,	१९७०
ऊँची कूद	गोम्ज	१.५७	मीटर	१९६८
लम्बी कूद	सी० फोरेज	५.७१	,,	१९६६
शॉट पुट	के० सतवाल	१२.८३	,,	१९३६
चक्का फेंक	अनुसूया बाई	४१.०२	,,	१८७३
नेजा फेंक	ई० डेवनपोर्ट	४७.३८	,,	१९६४
पेंटाथलन	सी० फोरेज	३९३१	अंक	१९६५
४×१०० मीटर रिले	राष्ट्रीय दल	४९.४ से०		१९५८

पुरस्कार एवं सम्मान

प्रेरणा व पुरस्कार—खेलों का आधार प्रेरणा है। उत्साह और उमंग का ही दूसरा नाम खेल-कूद है। खेल के प्रसार और प्रचार के लिए प्रेरणा का वातावरण बनाना अत्यावश्यक है। पुरस्कार इस अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहज साधन हैं। पुरस्कार की कल्पना मात्र से हम कड़े-से-कड़ा परिश्रम करने में जुट जाते हैं। विश्व में सर्वत्र खिलाड़ियों को सुन्दर पुरस्कार, पदक और अलंकरण देने पर बहुत जोर दिया जाता है। ओलम्पिक और अन्य पुरस्कारों के अलावा विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को कई अलंकरण दिए जाते हैं।

हैलम्स पुरस्कार—नोबल पुरस्कार की भांति खेल क्षेत्र में यह पुरस्कार हर वर्ष विश्व के चोटी के खिलाड़ियों को दिया जाता है।

भारत के निम्न चार खिलाड़ी यह गौरव पद पा चुके हैं :—

सर्वश्री के० डी० सिंह बाबू (हॉकी), रामनाथन कृष्णन (टेनिस), मिलखासिंह (दौड़कूद), जाल पाडिवाला (दौड़कूद आंकड़ों के विशेषज्ञ)।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

विश्व क्रिकेट सम्मान : विस्डन अलंकरण

(१) रणजीतसिंह १८९६, (२) दलीपसिंह १९२९, (३) नवाब पटोदी [सीनियर] १९३२, (४) सी० के० नायडू १९३३, (५) विजय मर्चेंट १९३७, (६) वीनू मांकड १९४७, (७) नवाब पटोदी [जूनियर] १९६४।

राष्ट्रीय पुरस्कार—प्रतिवर्ष २६ जनवरी को राष्ट्रपति श्रेष्ठ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार (अर्जुन पुरस्कार) प्रदान करते हैं।

अर्जुन पुरस्कार

शिक्षा मन्त्रालय द्वारा खेल संगठनों और भारतीय खेल परिषद् की सिफारिश पर प्रतिवर्ष विभिन्न खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिये जाते हैं। यह पुरस्कार देने का क्रम १९६२ से आरम्भ किया गया। अब तक २१४ खिलाड़ियों को पुरस्कार मिल चुका है। इस वर्ष जिन्हें १९७७-७८ के अर्जुन पुरस्कार भेंट किये गए उनकी संख्या १० है।

अर्जुन पुरस्कार विजेता

१९६२

दौड़कूद	हवलदार तरलोक सिंह	फुटवाल	टी० बलराम
बैडमिंटन	कुमारी मीना शाह	टेनिस	नरेशकुमार
बिलियर्ड	विल्सन जोन्स	वालीवाल	नृपजीतसिंह
मुक्केवाजी	हवलदार पदमवहादुर मल	वजन उठाना	एल० के० दास
		कुश्ती	मलवा

१९६३

दौड़कूद	कुमार स्टेफी डिसूजा	पोलो	मेजर ठाकुर किशनसिंह
फुटवाल	चुन्नी गोस्वामी	वजन उठाना	कामिनेनी ईश्वरदार
गोल्फ	ए० एस० मलिक	कुश्ती	जी० आन्दालकर
हॉकी	चरणजीतसिंह		

१९६४

दौड़कूद	माखनसिंह	पोलो	रावराजा हनुमन्तसिंह
केट	नवाब पटोदी	टेबिल टेनिस	गौतम आर० दिवान
फुटवाल	जर्नैलसिंह	कुश्ती	विश्वंभरसिंह
हॉकी	एस० लक्ष्मण		

१९६५

दौड़कूद	के० एल० राव	हाकी (पुरुष)	ऊधमसिंह
बैडमिंटन	दिनेश खन्ना	हाकी (महिला)	कु० एलबीरा ब्रिटो
क्रिकेट	विजय मंजरेकर	वजन उठाना	बलवीरसिंह भाटिया
फुटबाल	अरुणलाल घोष		

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१९६६

दौड़कूद	अजमेरसिंह	हाकी (महिला)	कुमारी सुनीता पुरी
दौड़कूद	बी० एस० बरुआ	लान टेनिस	जगदीप मुखर्जी
मुक्केबाजी	हवासिंह	तैराकी	कु० रामा दत्ता
क्रिकेट	चन्दू बोर्डे	टेबिल टेनिस	कु० ऊषा सुन्दरराज
फुटबाल	यूसुफ खाँ	वजन उठाना	मोहनलाल घोष
हाकी	बी० जे० पीटर	कुश्ती	भीमसिंह

१९६७

बैडमिंटन	सुरेश गोयल	लॉन टेनिस	प्रेमजीत लाल
बास्केटबाल	खुशीराम	तैराकी	अरुण शा
क्रिकेट	अजीत वाडेकर	टेबिल टेनिस	फारूक आर० खोदइजी
फुटबाल	पीटर थंगराज	भारोत्तोलन	सवरी मुत्तु जैन ग्रैवियल
गोल्फ	आर० के० पीताम्बर	कुश्ती	मुख्तियारसिंह
हाकी	हरविन्दरसिंह	दौड़कूद	प्रवीण कुमार
हाकी	जगजीत सिंह	दौड़कूद	भीमसिंह
हाकी	मोहिन्दरलाल		

१९६८

निशानेबाजी	कु० राज्यश्री	हाकी	बलबीरसिंह
दौड़कूद	कु० मनजीत वालिया	बास्केटबाल	गुरदयालसिंह
दौड़कूद	जोगेन्द्रसिंह	मुक्केबाजी	डेनिस स्वामी
क्रिकेट	प्रसन्ना		

१९६९

कुश्ती	मास्टर चन्दगीराम	फुटबाल	इन्द्रसिंह
दौड़कूद	हरनेकसिंह	तैराकी	वैद्यनाथ
बास्केटबाल	हरीदत्त	क्रिकेट	बिशनसिंह बेदी
निशाने बाजी	कुमारी भुवनेश्वरी	स्कवैश	अनिल नायर

१९७०

दौड़कूद	मोहिन्दरसिंह गिल	बैडमिंटन	श्रीमती दमयन्ती तांबे
बाल बैडमिंटन	जे० पिचचैया	बास्केटबाल	अब्बास मुन्तसीर
बिलियर्ड	सैयद नइमुद्दीन	क्रिकेट	सर देसाई
फुटबाल	माइकेल फरेरा	हाकी	अजीतपालसिंह

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

खो-खो	सुधीर भास्करराव	टेबिल टेनिस	जगन्नाथ
भारोत्तोलन	अरुण कुमार दास	कुश्ती	सुदेशकुमार
नौकायन	सोहराब जमशेद कान्ट्रेक्टर		

१९७१

दौड़कूद	एडवर्ड सिक्वेरा	हाकी	कृष्णमूर्ति
वैडमिंटन	कु० शोभामूर्ति	खो-खो	कु० अचला
वास्केटबाल	मनमोहनसिंह	निशानेबाजी	भीमसिंह जी कोटा
मुक्केबाजी	मुन्नू स्वामी वेणु	टेबिल टेनिस	खोदयाजी
क्रिकेट	वेंकट राघवन	तैराकी	भँवरसिंह
फुटवाल	चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह	भारोत्तोलन	श्यामलाल सलवान

१९७२

दौड़कूद	विजयसिंह चौहान	गोल्फ	श्रीमती अंजनी देसाई
बैडमिंटन	प्रकाश पादुकोने	हाकी	माइकेल किण्डू
बाल वेडमिन्टन	कु० जयाम्मा श्रीनिवासन	कबड्डी	सदानन्द महादेव शेटी
बिलियर्ड	सतीश मोहन	रायफल शूटिंग	उदयांचिनू भाई
मुक्केबाजी	हवलदार चंद्रैयानारायण	वालीबाल	बलवन्तसिंह
क्रिकेट	बी. एल. चन्द्रशेखर	भारोत्तोलन	अनिल कुमार मंडल
क्रिकेट	एकनाथ सोल्कर	कुश्ती	प्रेमनाथ

१९७३

एथलेटिक	रामसिंह	कबड्डी	भोलानाथ
बैडमिंटन	ए. करीम	खो-खो	भावन पारीख
बास्केट बाल	सुरेन्द्र कटारिया	तैराकी	धनवीर खटाऊ
बिलियर्ड	शाम शरीफ	टेबिल टेनिस	नीरज बजाज
मुक्केबाजी	मेहताबसिंह	महिला वालीबाल	मिसेज जी० मुलीनी रेड्डी
फुटबाल	खान मुहम्मदखान व मगनसिंह	कुश्ती	जगरूपसिंह
गोल्फ	विक्रमजीत	नौकायन	अफसर हुसेन
हाकी	ए. पी. सिंह, गणेश		

१९७४

एथलेटिक	टी. सी. योहानन	तैराकी (गोता)	कु० मंगरी भार्गव
	शिवनाथसिंह	तैराकी (लंबी दूरी)	अविनाश बी. सारंग
बैडमिंटन	रोमन घोष		

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

हाकी	अशोककुमार	वालीवाल	एम. श्यामसुन्दर राव
हाकी	कु० अजिन्दर कौर	भारोत्तोलन	एस. वैलाग सामी
खो-खो	कु० नीलिमा चंद्रकांत सरोलकर	बोस्केटबाल	अनिल कुमार पूंज
लान टेनिस	विजय अमृतराज	कुश्ती	सतपाल
		क्रिकेट	अंगन भट्टाचार्य

१९७५

एथलेटिक्स	हरीचन्द्र कुमारी बी० अनुसुयावाई;	बैडमिंटन	देवेन्द्र आहूजा
बाल बैडमिंटन	एल० ए० इकवाल	क्रिकेट	एस० एम० गावस्कर
बास्केटवाल	हनुमानसिंह	साइक्लिग	अमरसिंह
गोल्फ	एस० के० जमशेद	हाकी	बी० पी० गोविन्दा तथा कुमारी रूपा सैनी
जिमनास्टिक्स	मंटू देवनाथ	खो-खो	कुमारी ऊषा बसन्त नागर कर तथा क्षीरंग जनार्दन इनामदार
पोलो	मेजर बी० पी० सिंह	वालीवाल	रणवीरसिंह तथा कुमारी के० सी० एलाम्मा
भारोत्तोलन	दलनीरसिंह	तैराकी	एम० एस० राणा तथा कुमारी स्मिता देसाई

१९७६

क्रिकेट	कु० शान्ता रंगास्वामी	खो-खो	डी० एस० रामचन्द्र
बैडमिंटन	कु० उमीघिया	बाल बैडमिंटन	ए० एम क्राइस्टदास
एथलेटिक	कु० गीता जुत्शी	एक्वीस्टेरियन	लें० कर्नल एच० एस० सोंधी
टेबिल टेनिस	कु० शैलजा सलोखे	वालीवाल	जार्ज
एथलेटिक्स	बहादुरसिंह	भारोत्तोलन	एस० के० बालाम्

१९७७-७८

एथलेटिक (मूक-बधिर)	सतीश कुमार	बैडमिंटन	कु० कंवल ठाकुरसिंह
बास्केटबाल	टी० विजय राघवन	मुक्केबाजी	बी० एस० थापा
क्रिकेट	विश्वनाथ	गोल्फ	श्रीमती सीता रावले
हाकी (पुरुष)	हरचरनसिंह	हाकी (महिला)	कु० लॉरेन लूना फरनान्डिस
वालीवाल	ए० रामनराव	भारोत्तोलन	एम० तमिल सेलवन

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अखिल भारतीय खेल परिषद्

भारत सरकार ने फील्ड मार्शल मानेकशा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खेल परिषद् का पुनर्गठन किया है।

अखिल भारतीय खेल परिषद द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) एक उप समिति की नियुक्ति जो परिषद को ऐसी रूपरेखाएँ बतायेगी जिनके आधार पर परिषद सरकार की नई खेल नीति बनाने के सम्बन्ध में सलाह देगी।

(ख) सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ हाकी के मामले में चर्चा करने और कार्यवाही की एक योजना तैयार करने के लिए परिषद के अध्यक्ष को प्राधिकृत करना।

(ग) सरकार से सिफारिश की गई कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड और भारतीय हाकी फेडरेशन की 'एक राज्य एक यूनिट' संबंधी सरकार की मार्गदर्शी रूपरेखाओं को अपनाने में अन्य राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों का अनुसरण करना चाहिए।

(घ) सरकार से सिफारिश की गई कि सभी राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों को अपने-अपने संविधानों में संशोधन करके तथा अनुबन्धों द्वारा अपने विवाद भारतीय ओलम्पिक संघ/अखिल भारतीय खेल परिषद् की मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने चाहिएं।

(च) भारतीय धनुर्विद्या संघ को मान्यता प्रदान करने के लिए सरकार से सिफारिश करना।

(छ) सरकार से भारतीय अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, अखिल भारतीय शतरंज संघ और भारतीय स्कूल खेल संघ को अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए विदेशों में टीमें भेजने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश।

(ज) सरकार से सिफारिश कि अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के अतिरिक्त दो वर्ष की अवधि के लिए २००/-रुपये प्रति माह की एक छात्रवृत्ति भी दी जानी चाहिए और उन्हें भारत में होने वाले किसी भी राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मैच को निःशुल्क देखने की अनुमति मिलनी चाहिए।

राष्ट्रीय खेल नीति

औसत छात्रों के साथ-साथ खेलकूद में प्रवीण छात्रों की शारीरिक स्वस्थता और उनकी खेल प्रवीणता में सुधार करने के उद्देश्य से खेलों का विकास बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के एक देशव्यापी कार्यक्रम के विकास के लिए जहां खेलों के मैदान तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं वहां इन सुविधाओं की प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था की जानी चाहिए।

मोटे तौर पर दिए गए उपरोक्त नीति ढांचे के अन्दर सरकार शारीरिक शिक्षा और खेलों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप से चालू कार्यक्रमों की मुख्यधारा में भाग लेने के साथ-साथ इस क्षेत्र में देश के परम्परागत और देशी खेलों के विकास के लिए भी प्रयास करती आ रही है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की योजना बनाते समय एक ओर तो उन प्रतियोगी खेलों के अनुपूरक स्वरूप को ध्यान में रखा जाता है जिनमें उत्कर्षता और उच्च सफलता की प्राप्ति का उद्देश्य होता है और दूसरी ओर व्यापक आधार वाले विशाल शारीरिक स्वस्थता और खेल कार्यक्रमों का।

खेल कूद राज्यों का विषय है अत: व्यापक आधार वाले खेल कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की है तथापि पारस्परिक रूप से स्वीकृत एक नीति तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से विचार विमर्श करती है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर खेलों का प्रतियोगी पक्ष मुख्य रूप से राष्ट्रीय खेल महासंघों के हाथ में है जोकि अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक चार्टर के अन्तर्गत स्वशासी होते हैं।

परम्परागत खेलों को प्रोत्साहन

देश में तथा विदेशों में कबड्डी, खो-खो, कुश्ती (भारतीय शैली) जैसे परम्परागत भारतीय खेलों को प्रोत्साहन देना और उन्हें लोकप्रिय बनाना सरकार की वर्तमान खेल नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। इन भारतीय खेलों को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी लोकप्रिय बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में पहले से ही शुरू किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं—

१. भारतीय अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ने कबड्डी के खेल को एशिया के अन्य देशों विशेषकर बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में फैलाने के उपाय किये हैं और एक एशियाई कबड्डी फेडरेशन बनाने की पहल भी की है। १९८२ के एशियाई खेलों में कबड्डी को एक 'प्रदर्शन खेल' के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव भी है।

२. भारतीय खेलों से सम्बद्ध राष्ट्रीय खेल महासंघों को पड़ोसी देशों के साथ खेल टीमों के विनिमय के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। टीम के सदस्यों की अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के व्यय को वहन के लिए जहां सम्भव हो, सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।

३. एशियाई देशों में कुश्ती की प्रोन्नति के लिए एक एशियाई प्राच्य शैली कुश्ती फेडरेशन भी बनाया गया है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भारतीय चलचित्र

भारतीय सिनेमा का विकास वड़ी मामूली स्थिति से हुआ। पिछले कुछ दशकों में भारतीय सिनेमा पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों का प्रभाव पड़ा और अब भारतीय सिनेमा ने भारी प्रगति कर ली है।

भारत में औसतन प्रतिदिन एक फिल्म और हर तीसरे दिन एक लघु फिल्म तैयार हो जाती है। इस प्रकार अब भारत, जापान और अमरीका के बाद विश्व में सबसे अधिक फिल्में बनाने वाले देशों में से एक है।

एक बड़ा उद्यम

चाहे किसी भी मानदण्ड से देखा जाय, अब भारतीय सिनेमा एक बड़ा व्यावसायिक उद्यम और एक विशाल उद्योग बन गया है, जिसमें लगभग १२० करोड़ रु० का पूंजी निवेश किया गया है। इसमें विभिन्न योजना में एक लाख से अधिक पुरुष और स्त्रियाँ काम करते है और इससे प्रति सप्ताह लगभग ३ करोड़ फिल्म देखने वालों का मनोरंजन होता है।

सिनेमा हमारे युग का इस समय सबसे अधिक शक्तिशाली मनोरंजक और संवाहक साधन बन गया है और इससे बड़ी संख्या में दर्शकों को प्रभावित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मानवीय जीवन के समस्त पहलुओं और क्रिया-कलापों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है।

भारत में प्रथम

भारत में चलचित्रों का प्रथम प्रदर्शन १८९६ की ७ जुलाई को बंबई के वाट्सन्स होटल में फ्रांस के ल्यूमीए बंधुओं ने आयोजित किया था।

स्व० हरिश्चन्द्र सखाराम का दावा था कि वह प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने १८९७ में पहलवानों के मलयुद्ध पर एक लघु फिल्म बनाई थी।

भारत में निर्मित प्रथम वृत्तचित्र 'पेनोरमा आफ कैलकटा' (१८९८) है जिसका निर्माण कलकत्ता की एक विदेशी कम्पनी ने विदेशियों से ही कराया था।

प्रथम समाचार चित्र बनाने का दावा स्व० ज्योतिष सरकार ने किया था। उनका कहना था कि १९०५ के बंग-भंग आन्दोलन के विरुद्ध आयोजित प्रदर्शन को उन्होंने फिल्मबद्ध किया था।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

स्व० आर० जी० तोर्णे ने प्रथम कथा चित्र 'संत पुण्डलीक' (१९०९) वनाया था जो वम्वई के कोरोनेशन थियेटर में दिखाया गया था।

दादा साहव फालके ने 'राजा हरिश्चन्द्र (१९१३) को प्रदर्शित करके इस देश में फिल्म उद्योग की आधारशिला रख कर भारतीय सिनेमा के पितामह कहलाने का गौरव प्राप्त किया।

बावूराव पेंटर द्वारा प्रस्तुत 'सैरन्ध्री' (१९२०) पहली फिल्म है जिसे सरकार ने काट-छांट करके सेंसर किया।

कलकत्ता में कथाचित्र वनाने का प्रथम प्रयास 'विष-वृक्ष (१९१५) वनाकर ज्योतिष सरकार ने किया था। इसमें इसी नाम के नाटक के कुछ दृश्य दिखाए गए थे।

कलकत्ता में वना प्रथम कथा चित्र 'नल दमयंती' (१९१७) था, जो निर्माता जे० एफ० मदन ने प्रस्तुत किया था।

मद्रास में निर्मित प्रथम कथा चित्र 'भीष्म प्रतिज्ञा' (१९२२) था, जिसका निर्माण- पी० वतकैया ने किया था।

लाहौर में फिल्म निर्माण की नींव मोती सागर ने ग्रेट ईस्टर्न कार्पोरेशन के अन्तर्गत 'लाइट आफ एशिया' (१९२६) वनाकर डाली थी।

प्रथम प्रदर्शित सवाक् चित्र कलकत्ता के मदन थियेटर्स ने १९३१ में वनाया था जिसमें कुछ रंगारंग कार्यक्रमों की झलक थी।

प्रथम सवाक् कथाचित्र 'आलमआरा' (१९३१) है, जिसका निर्माण स्व० आर्देशिर ईरानी ने किया था।

अंग्रेजी तथा हिन्दी में निर्मित प्रथम भारतीय चित्र 'कर्मा' उर्फ 'नागिन की रागिनी' (१९३३) था। इसमें देविकारानी ने प्रथम वार अभिनय किया था।

रंगीन चित्र वनाने का प्रथम प्रयास व्ही० शाँताराम ने 'सैरन्ध्री (१९३३) बनाकर किया था इसे जर्मनी के एक स्टूडियो में रंगीन कराया गया था।

भारत में पहली कार्टून फिल्म 'लफंगा लंगूर' १९३५ में बनी थी।

प्रभात फिल्म कम्पनी द्वारा निर्मित 'अमर ज्योति' (१९३६) अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेने वाली पहली भारतीय फिल्म है। यह सन ३६ के वेनिस के अन्तर राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई गई थी।

अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म 'नीचा नगर' (१९४६) है। चेतन आनन्द की इस कृति ने काँन (फ्रांस) के अन्तर्राष्ट्रीय समारोह में पुरस्कार जीता था।

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री नरगिस है। १९५८ के कार्लोविवारी (चेकोस्लोवाकिया के अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह) में उन्हें 'मदर इण्डिया' की भूमिका के लिए यह गौरव मिला था।

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले प्रथम अभिनेता रणजीत मल्लिक हैं। उन्हें कार्लोविवारी के अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में वंगला चित्र

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

'कलकत्ता ७१' की भूमिका के लिए १९७२ में पुरस्कृत किया गया। यह मृणाल सेन की रचना है।

नई लहर की फिल्में

अब कुछ नये फिल्म- निर्माता सामने आये हैं जो लीक से हटकर कलात्मक और प्रायोगिक फिल्में बनाने के लिए उत्सुक हैं , जो इस समय के सामाजिक व्यवहारों और प्रथाओं तथा सम-सामयिक प्रवृत्तियों के अनुकूल हों और जिनसे लोगों की भावनात्मक आवश्यकताओं की भी सन्तुष्टि हो सके। फिल्म वित्त निगम ने सिनेमा का सार्थक ढंग से विकास करने के लिए काफी साहसिक प्रयत्न किये हैं। यह निगम सिनेमा देखने वाले लोगों की रुचि बदलने का यत्न करता है और प्रतिभाशाली तथा योग्य फिल्म निर्माताओं को आवश्यक वित्तीय सहायता देता है। 'भुवनसोम', 'सारा आकाश', 'दस्तक', बदनाम बस्ती, भूमिका, मृगया, निशान्त, जुनून और मंथन आदि फिल्मों की विशेषता और गुणों को देखते हुए इस निगम ने वित्तीय सहायता दी है।

पूना में राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय स्थापित किया गया है ताकि देश और विदेश की श्रेष्ठतम फिल्में यहाँ लाकर सुरक्षित रूप से रखी जा सकें। यहां फिल्मों का वर्गीकरण किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है और फिल्मों के अध्ययन और फिल्मी सभ्यता के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहित किया जाता है।

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम हमारी फिल्मों के निर्यात के लिए नये अवसर पैदा करके इस उद्योग की सहायता कर रहा है।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार योजना

भारत सरकार ने १९५४ में राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की तथा इनका उद्देश्य उच्चस्तरीय शैक्षणिक व सांस्कृतिक फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देना था। इन वर्षों में इन पुरस्कारों ने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है तथा सिनेमा कला व तकनीक की विभिन्न शाखाएं भी अब इसमें शामिल हो गई हैं।

सन् १९७६ से राष्ट्रीय फिल्म समारोह का प्रतीक 'कमल' बनाया गया है। राष्ट्रपति पदक के स्थान पर अब 'कमल पुरस्कार' शुरू किये गए हैं। 'स्वर्ण कमल' और 'रजत कमल' दो पुरस्कार विभिन्न श्रेणी की फिल्मों के लिए हैं और कांस्य कमल पुरस्कार विजेता फिल्म के प्रमुख अभिनेता व अभिनेत्री को दिया जायगा। 'भरत' और 'उर्वशी' पुरस्कारों के स्थान पर अब सर्वोत्तम अभिनेता और अभिनेत्री को 'रजत कमल' दिया जायगा।

नई योजना में २५ श्रेणी हैं, जिसमें अखिल भारतीय व क्षेत्रीय पुरस्कार शामिल हैं। क्षेत्रीय पुरस्कार क्षेत्र विशेष की प्रमुख भाषाओं में बनाई गई फिल्मों के लिए हैं।

भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए 'दादा साहब फालके पुरस्कार' भारतीय सिनेमा के अग्रदूत श्री डी० जी० फालके की स्मति में १९६९ में आरम्भ किया गया था तथा श्रीमती देविकारानी रौरिक, श्री बी० एन० सरकार, श्री पृथ्वीराज कपूर (मरणोपरान्त) श्री पंकज मलिक, सुलोचना (रूबी मेयर), कानन देवी और नितिन बोस

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

को यह पुरस्कार मिल चुका है। १९७८ के लिए यह पुरस्कार श्री आर० सी० बोराल को दिया गया है।

इस पुरस्कार में २०,००० रु० नकद, एक स्वर्ण पदक और एक शाल दिया जाता है।

इस पुरस्कार का चयन का आधार अभी यह है कि जिस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाय वह फिल्म उद्योग से सक्रिय रूप से सम्बद्ध न हो। किसी वर्ष या अवधि विशेष के दौरान भारतीय सिनेमा के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए नहीं, बल्कि यह पुरस्कार व्यक्ति के जीवन काल में उसके इस योगदान के लिए दिया जाता है।

यह पुरस्कार निर्माताओं, निर्देशकों, कलाकारों तथा विभिन्न फिल्म क्षेत्रों के प्रख्यात अन्य व्यक्तियों को दिया जाता है।

कथाचित्रों, बच्चों की फिल्मों और वृत्तचित्रों के लिए अलग-अलग पुरस्कार हैं तथा अभिनय, निर्देशन. छायांकन, संगीत, पार्श्वगायन, पटकथा और गीत जैसी व्यक्तिगत उपलब्धियां भी पुरस्कृत होती हैं। कथा-चित्र वर्ग में एकता पर सर्वोंतम कथा-चित्र के लिए एक विशेष पुरस्कार की व्यवस्था है।

इसी प्रकार वृत्तचित्र वर्ग में सूचना, शैक्षणिक, निदेशात्मक, सामाजिक, प्रेरक (व्यवसायिक व अव्यावसायिक), प्रयोगात्मक व कार्टून आदि विभिन्न विषयों पर लघु चित्रों के लिए अलग अलग पुरस्कार हैं।

राष्ट्रीय पुरस्कार

सरकार ने कलात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से उत्कृष्ट प्रकार की फिल्में बनाने के लिए, फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए घोषित राष्ट्रीय पुरस्कार योजना का पुनर्गठन किया है। फिल्मों, वृत्तचित्रों और प्रायोगिक तथा शैक्षणिक फिल्मों के लिए अलग अलग पुरस्कार की २५ श्रेणियाँ हैं। २६ अप्रैल १९७९ को राष्ट्रपति ने वर्ष १९७८ के लिए निम्न पुरस्कार प्रदान किये

१९७८ के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

१. सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र=कोई नहीं
२. सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म=गण देवता (बंगला)
३. सर्वश्रेष्ठ फिल्म (राष्ट्रीय एकता पर)=ग्रहण (कन्नड)
४. सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फिल्म=जुनून एवं कस्तूरी (संयुक्त रूप से)
५. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता=अरुण मुखर्जी (परशुराम-बंगला)
६. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री=श्रीमती शारदा (निम्मजन्म-तेलगू)
७. सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार=मास्टर कंचन (गणदेवता-बंगला)
८. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक=सिमोगा सुबन्ना (काडू कुदरे-कन्नड)
९. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका=छाया गांगुली (गमन-हिन्दी)
१०. सर्वश्रेष्ठ छायांकन=(जुनून, हिन्दी)

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

११. सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संयोजन=(जुनून हिन्दी)
१२. सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक फिल्म=वन्दा नाद कालादल्ली (कन्नड), थम्प (मलयालम), निम्मजन्म (तेलगू)

१९७८ का दादा साहब फालके पुरस्कार श्री आर० सी० बोराल को प्रदान किया गया।

राष्ट्रपति पुरस्कार और फिल्में

१९५३ से १९७८ तक हिन्दी की कुल १२, बंगला की १२, मराठी की एक और कन्नड भाषा की ४ फिल्में पुरस्कृत हुई हैं। मलयालम की ४ फिल्मों को पुरस्कार मिला है। सर्वोत्तम अभिनेताओं में संजीवकुमार को दो बार—१९७० और ७२ में पुरस्कार मिला। संजीव के अतिरिक्त अशोक कुमार, उत्तमकुमार, उत्पलदत्त, पी. जे अंटोनी, साधु मेहर एम. जी. रामचन्द्रन, वासुदेवा राय, मिथुन चक्रवर्ती, गोपी और अरुण मुखर्जी को पुरस्कृत किया गया है।

अभिनेत्रियों में टी शारदा दो बार—१९६८ तथा ७२ में पुरस्कृत हुई हैं। इनके अतिरिक्त नरगिस दत्त, रेहाना सुलतान, माधवी मुखर्जी, वहीदा रहमान, नंदिनी, शर्मिला टैगोर, शवाना आजमी, लक्ष्मी, स्मिता पाटिल और श्रीमती शारदा को सर्वोत्तम अभिनेत्री पुरस्कार दिया गया है।

विदेशी फिल्मोत्सवों में पुरस्कृत फिल्में

भारतीय फिल्में उन्हीं दिनों से अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों में हिस्सा में लेती आ रही हैं, जब फिल्मों में आवाज सुनाई देने लगी थी। पहली फिल्म थी—देवकी बोस की 'सीता' जिसे १९३३ में वेनिस में हुई प्रदर्शनी में भेजा गया—यानी वेनिस में हुए पहले उत्सव में ही। १९३६ में व्ही शाँताराम-निर्देशित प्रभात की फिल्म 'अमर ज्योति' वेनिस भेजी गई।

पहली ऐसी फिल्म, जिसे ख्याति मिली, प्रभात की मराठी फिल्म 'संत तुकाराम' थी। इसका निर्देशन दामले और फतेहलाल ने किया था और १९३७ में वेनिस में दिखाई गई फिल्मों में से उसे सर्वश्रेष्ठ तीन फिल्मों मे से एक घोषित किया गया था।

विदेशों में पुरस्कार पाने वाली अन्य भारतीय फिल्में थीं—'नीचा नगर' : प्रथम काँस फिल्मोत्सव में ग्रां प्री पुरस्कारों में से एक ;'अमर भुपाली' ; कांस में ही ध्वनि अन्कन के लिए ; 'वावला' कार्लोवी वारी में सामाजिक विकास के लिए संघर्ष संबंधी पुरस्कार ; 'दो बीघा जमीन' : कांस 'पथेरा ; 'पथेर पांचाली' : कांस, एडिनबरा, मनीला, सन फ्रंसिस्को, वैनकूवर आदि ; 'जागते रहो' कार्लोवी वारी में ग्रां प्री ; 'अपराजित' वेनिस में गोल्डन लायन आव सेंट मार्क, तथा अन्य पुरस्कार ; 'दो आँखे बारह हाथ' : बर्लिन; 'मदर इंडिया' के लिए कार्लोवी वारी में नरगिस को पुरस्कार 'गौतम बुद्ध' : कांस ; 'अपुर संसार': लंदन और एडिनबरा, 'तीन कन्या' : बर्लिन और मेलबोर्न, 'सात पाके वांधा' के लिए मास्को में सुचित्रा सेन को पुरस्कार, 'महानगर' और 'चारुलता' : बर्लिन' ; 'यादें, फ्रैंकफर्ट ; 'शेक्सपियरवाला' के लिए बर्लिन में मधुर जैफ्री को पुरस्कार; 'गाइड' के लिए वहीदा

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

रहमान को शिकागो पुरस्कार, 'नायक' : बर्लिन, 'भुवन सोम' :वेनिस, 'कंकु' के लिए पल्लवी मेहता को शिकागो पुरस्कार, 'इंटरव्यू' के लिए रंजीत मल्लिक को कार्लोवी वारी पुरस्कार, 'मायादर्पण' : लोकार्नो ; 'असनि संकेत' बर्लिन में तथा '२७ डाउन' मन्नहाइम में पुरस्कृत हुई। अन्य पुरस्कार पाने वाले कलाकार हैं शिवाजी गणेशन, जिन्हें 'वीरपंडिया कट्टबोमन' के लिए काहिरा में पुरस्कार मिला, और दिलीपकुमार जिन्हें 'गंगा जमना' के लिए कार्लोवी वारी में डिप्लोमा ऑव ऑनर दिया गया।

डा० महेंद्र मित्तल को जहाँ आगरा विश्वविद्यालय ने 'भारतीय चलचित्र' ग्रन्थ पर पी० एच० डी० प्रदान की वहां श्री फीरोज रंगूनवाला के भारतीय चलचित्र की कहानी ग्रन्थ को पुरस्कृत किया गया।

७ वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

सेनेगल के श्री उस्मान सेंबेन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में ३ से १७ जनवरी १९७९ तक अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन हुआ। निर्णायक मंडल ने निम्न पुरस्कारों की घोषणा की—

१. श्रेष्ठ कथा चित्र—

हंगरी की 'हंगरियें' (निर्देशक-जुल्तान फावरी)

२. श्रेष्ठ वृत्त चित्र—

भारत की 'चेहरे' (निर्देशक-विनोद चौपडा) और पोलैण्ड की 'ओलम्पिक खेल' (निर्देशक-बोग्दान दि्त्रकेस्र्की)

३. श्रेष्ठ निर्देशन—

पश्चिम जर्मनी की कथा चित्र 'फेडोरा' के निर्देशक श्री बिल्ली वाइल्डर

४. श्रेष्ठ अभिनेता—

भारत के कन्नड कथा चित्र 'वंदानौदू कालदल्ली' (निर्देशक—गिरीश कार्नाड) के अभिनेता श्री शंकर नाग

५. श्रेष्ठ अभिनेत्री

संयुक्त राज्य अमरीका के कथा चित्र 'घर के पांच दिन' (निर्देशक-जार्ज पेपार्ड) की अभिनेत्री सवानाह स्मिथ

६. विशेष पुरस्कार—

भारत के हिन्दी कथाचित्र 'गमन' (निर्देशक—मुजफ्फरअली) को

फिल्म फेयर एवार्ड—

'टाइम्स आफ इंडिया' प्रकाशन की अंग्रेजी पाक्षिक फिल्म पत्रिका 'फिल्म फेयर' की ओर से पिछले २६ वर्षों से प्रतिवर्ष पुरस्कार दिऐ जाते हैं। जिन्हें 'फिलमफेयर एवार्ड' कहा जाता है। इस वर्ष (२६ वीं बार) निम्न पुरस्कार प्रदान किए गए।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक—राज खोसला (मैं तुलसी तेरे आंगन की)
२. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता—अमिताभ बच्चन (डॉन)
३. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री-नूतन (मैं तुलसी तेरे आँगन की)
४. सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता—देवेन वर्मा
५. सर्वश्रेष्ठ संगीतकार—लक्ष्मीकांत प्यारेलाल
६. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका—आशा भौंसले (डॉन)
७. सर्वश्रेष्ठ विशेष पुरस्कार—मास्टर राजू (बाल-कलाकार)

अखिल भारतीय फिल्म समीक्षक संघ ने इस वर्ष १९७८ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व अभिनेत्री की घोषणा की है।

श्री संजीव कुमार को 'पति-पत्नी और वो' फिल्म में कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा कुमारी रामेश्वरी को 'दुल्हन वही जो पिया मन भाए' में अभिनय पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान दिया गया है।

Gram : REFRACTORY

Phones : Assansol 2036, Barakar 245, Chirkunda 215

Kumardhubi Fireclay & Silica Works Limited

P. O. KUMARDHUBI

DIST. DHANBAD (BIHAR)

Leading Manufacturers of Refractories

Alumino Silicate, Super Heat Duty, High Alumina Upto 95% Alumina, Insulating, Acid Proof, Zircon, Silica Bricks, Matching Kortars and Cements, Plastics, Castables, Ramming Mixtures etc. etc.

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Gram : "INDORIV" Phone : 4356

M/s. Indo-Riv Refractories Pvt. Ltd.,

P. O. SARAIDHELA
DIST. DHANBAD
(BIHAR)

MANUFACTURER OF :

QUALITY BRICKS FOR CEMENT KILNS, COKE OVENS HIGH ALUMINA BRICKS, RANGE OF PRODUCTS IN FIREBRICKS FROM 30% TO 60% ALUMINA BRICKS FOR USE IN INTEGRATED STEEL PLANTS, THERMAL POWER PLANTS, MINI—STEEL PLANTS, GLASS, CERAMIC, COAL AND OTHER INDUSTRIES.

HEAD OFFICE :

6-B, BENTINCK STREET
CALCUTTA - 700 001
Phone : 23-3495

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

पाकिस्तानी आक्रमण

पाकिस्तान ने अपने जन्म-काल से अभी तक ३२ वर्षों में भारत पर जो बर्बर हमले किये हैं उनकी सूची इस प्रकार है।

अक्तूबर, १९४७ : पाकिस्तानी सेना की प्रेरणा और सहायता से कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया।

मई, १९४८ : पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि उसकी नियमित सेना की तीन ब्रिगेड कश्मीर में हैं।

जनवरी, १९५६ : पाकिस्तानी सैनिक कच्छ के रन में छाड़बेट में घुस गए। उस क्षेत्र में भारतीय सेनाओं ने २५ फरवरी को प्रवेश करके पाकिस्तानियों को पीछे हटने को वाध्य कर दिया।

जनवरी, १९६५ : पाकिस्तान ने कच्छ के रन में कंजरकोट पर कब्जा कर लिया।

९ अप्रैल, १९६५ : पाकिस्तान ने टैंकों और भारी तोपों से कच्छ में भारतीय सीमा चौकी पर अचानक और पूरा हमला बोल दिया। ३० जून को हुए समझौते के अनुसार १ जनवरी, १९६५ की स्थिति फिर लाने के लिए कच्छ समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।

५ अगस्त, १९६५ : हजारों पाकिस्तानी सैनिक सादे कपड़ों में ४७० मील लम्बी युद्ध-विराम-रेखा पार करके तोड़ फोड़, लूट और कत्ल करने के लिए जम्मू-कश्मीर में घुस आए।

१ सितम्बर, १९६५ : पाकिस्तानी सेना की एक पूरी ब्रिगेड ७० टैंकों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करके भारतीय क्षेत्र छम्ब-जोरियाँ में घुस आई। (इसके बाद पश्चिम पाकिस्तान ने सारी सीमा पर भारत के साथ युद्ध छेड़ दिया।) १० जनवरी, १९६६ को ताशकन्द समझौते के अन्तर्गत भारत ने विजित क्षेत्र वापस किये और पाकिस्तान ने भविष्य में आक्रमण न करने का आश्वासन दिया।

३० जनवरी, १९७१ : दो पाकिस्तानी एजेण्ट श्रीनगर से इंडियन एयरलाइन्स के एक विमान का अपहरण करके लाहौर ले गए, जहाँ उसे नष्ट कर दिया गया।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

२ फरवरी, १६७१ : पाकिस्तानी आश्वासनों के बावजूद भारतीय विमान को हवाई अड्डे के अधिकारियों, सेना और पुलिस के सामने जला दिया गया और इसके जलाने का सारा दृश्य पाकिस्तानी टेलीविजन पर दिखाया गया।

१० अप्रैल से नवम्बर, १६७१ तक : पूर्वी बंगाल की निहत्थी जनता पर बर्बर सैनिक अत्याचार। १ करोड़ शरणार्थियों को भारत में खदेड़कर हमारी अर्थ-व्यवस्था पर आक्रमण। पाकिस्तानी सेना ने असम और त्रिपुरा में भारत की सीमा चौकियों पर बार-बार गोलाबारी की।

१ नवम्बर, १६७१ : अगरतल्ला नगर पर हवाई आक्रमण एवं बम वर्षा।

३ दिसम्बर, १६७१ : पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया और सीमा-चौकियों पर गोलाबारी की।

४ दिसम्बर, १६७१ : पाकिस्तानी सैनिक जुन्ता ने भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी।

भारत पर पाक आक्रमणों का इतिहास

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से भारत की यही इच्छा रही है कि वह पाकिस्तान के साथ शान्ति और मैत्रीपूर्वक रहे। भारत ने समय-समय पर पाकिस्तान की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है। भारतीय नेता सर्वत्र यही कहते आए हैं कि भारत और पाकिस्तान में मित्रता और सद्भाव न केवल भौगोलिक कारणों से बल्कि दोनों देशों के निवासियों में इतिहास, संस्कृति, भाषा तथा अन्य कई बन्धनों के कारण भी आवश्यक है, लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तान बनने के दिन से पाकिस्तानी नेता समय-समय पर कहते रहे कि भारत उनका 'दुश्मन नम्बर एक' है और भारत का विरोध करके ही पाकिस्तान उन्नति कर सकता है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये पिछले ३२ वर्षों में पाकिस्तान ने भारत पर चार बार खुल्लमखुल्ला आक्रमण किया तथा भारत के विरुद्ध अन्य शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियाँ कीं।

कश्मीर पर आक्रमण (१६४७)

पाकिस्तान बनने के सात सप्ताहों में ही पाकिस्तान ने भारत पर पहला आक्रमण किया। यह हमला पाकिस्तान के कबायली हमलावरों ने पाकिस्तान की नियमित सेना की मदद से जम्मू और कश्मीर राज्य पर किया जिसका विलय भारत में हो चुका था। पाकिस्तान से युद्ध टालने के लिए भारत के प्रधानमन्त्री ने २२ दिसम्बर, १६४७ को पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से हमलावरों को सहायता न देने तथा संघर्ष चालू न करने का अनुरोध किया। पाकिस्तान ने सहायता की बात से साफ इन्कार कर दिया और वहाँ के प्रधानमन्त्री ने ३० दिसम्बर, १६४७ को पत्र का उत्तर देते हुए कहा 'पाकिस्तान सरकार हमलावरों को सहायता देने के आरोप का खंडन करती है।' इसके विपरीत पाकिस्तान सरकार ने लगातार प्रयत्न किया कि युद्ध को छोड़कर अन्य सभी उपायों से कबायली आन्दोलन को प्रोत्साहित किया जाये। इसके बाद पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मन्त्री सर मुहम्मद जफरुल्ला खाँ ने १५ जनवरी, १६४८ को पत्र लिखा

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार इस आरोप का खंडन करती है कि वह कथित हमलावरों को कोई सहायता दे रही है और न ही उन्होंने भारत के विरुद्ध कोई आक्रामक कार्यवाही की है।

वह खण्डन तथ्यों से बिलकुल भी मेल नहीं खाता था। उपलब्ध जानकारी के आधार पर भारत पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध छेड़ सकता था, लेकिन अपनी नीति के अनुरूप भारत ने शान्ति का मार्ग अपनाया और उसने समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख रखा। ३० दिसम्बर, १९४७ को भारत ने पाकिस्तानी हमले के विरुद्ध शिकायत सुरक्षा परिषद् को भेजी। जुलाई १९४८ में संयुक्त राष्ट्र आयोग करांची पहुंचा तथा कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपस्थिति आसन्न हो गई तो पाकिस्तान अपनी कथनी से मुकर गया और उसके जम्मू-कश्मीर पर आक्रमण में शामिल न होने की बात स्वीकार करने पर भी जफरुल्ला-खाँ ने सुरक्षा परिषद् को सूचित किया कि कश्मीर में पाकिस्तान की नियमित सेना के तीन दस्ते मौजूद हैं तथा ये दस्ते कश्मीर राज्य में मई मास के पहले पखवारे में भेजे गए थे।

आयोग ने मौके पर परिस्थितियों का अध्ययन किया तथा वह इस निर्णय पर पहुँचा कि जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी सेना का जमाव अवैध है और वह सेना तुरन्त हटा ली जानी चाहिए तथा भारतीय क्षेत्र खाली किया जाना चाहिए।

कच्छ पर आक्रमण

कश्मीर में अपने मनसूबे पूरे होते न देखकर पाकिस्तान ने भारत के एक दूसरे भाग पर अपनी कुदृष्टि डाली। १९५६ के आरम्भ में पाकिस्तान ने कच्छ के रन के उत्तरी भाग में छाड़बेट के भारतीय क्षेत्र को बलपूर्वक हथियाने का असफल प्रयास किया। लेकिन उसी वर्ष २५ फरवरी को जब भारत की सेना उस क्षेत्र की ओर बढ़ी तो पाकिस्तानी सेना वापस अपने क्षेत्र में चली गई। १९६४ के आरम्भ में पाकिस्तानियों ने दोबारा सीमा पार करके कंजरकोट के भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तथा वहां एक स्थायी चौकी खोल दी। भारत ने मैत्री और शान्ति की अपनी नीति से प्रेरित होकर पाकिस्तान को १९६० के भारत-पाक-सीमा-समझौते के सीमा पर गश्त-सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत पूर्व-स्थिति लेने के लिए स्थानीय कमाण्डरों की एक बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया। भारत ने यह भी सुझाव दिया कि समस्या को शान्तिपूर्वक सुलझाने के लिए जिस स्तर पर पाकिस्तान चाहे दोनों देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की जाय। पाकिस्तान ने इन सुझावों को ठुकरा दिया और पिछले नक्शों और समझौतों को ताक पर रखकर ९ अप्रैल, १९६५ को हमारे कच्छ क्षेत्र की सीमा पर गुप-चुप लेकिन पूरी सैनिक ताकत से आक्रमण किया। इस हमले में टैंकों और भारी तोपों की मदद से पैदल सेना की एक ब्रिगेड ने भाग लिया। २८ अप्रैल, १९६५ को लोकसभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने कहा 'पाकिस्तानी (१५ फरवरी, १९६५ को राजकोट रेन्जर्स के उप-महाधीक्षक और पाकिस्तान इंडस रेन्जर्स के कमाण्डर की बैठक में तथा बाद में १ मार्च, १९६५ के पाकिस्तानी नोट में पाकिस्तान इस बात से मुकर गया कि इंडस रेन्जर्स ने कंजरकोट क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है।) युद्धबन्दियों से बरामद दस्तावेजों और उनसे पूछ-ताछ से यह

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

तथ्य सामने आया कि पाकिस्तानी आक्रमण पहले सोच-समझकर तथा योजना बनाकर किया गया। इस आक्रमण के लिए ७ अप्रैल को आदेश दिया गया था और हमला ९ अप्रैल को बड़े सवेरे आरम्भ हुआ।

१५ अप्रैल को पाकिस्तान के मनमाने आक्रमण के औचित्य को सिद्ध करते हुए पाकिस्तान के तत्कालीन विदेशमन्त्री श्री जेड० ए० भुट्टो ने अपने लड़खड़ाते प्रत्युत्तर में कहा "ध्यान रहे कि मोटे तौर पर मुख्य बात यह है कि झगड़ा उस क्षेत्र के बारे में है जो २४ वीं समानान्तर रेखा के उत्तर में है। झगड़ा इस बात पर खड़ा नहीं हुआ है कि सीमाएँ निश्चित नहीं की गई हैं, वल्कि इसलिए कि झगड़े वाला यह क्षेत्र भारत के अनुचित कब्जे में है।" इस प्रकार पाकिस्तान ने उस क्षेत्र पर आक्रमण किया जो उसके कब्जे में कभी भी नहीं रहा। यह आक्रमण संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र और १९५९ के भारत-पाक-सीमा समझौते के मूल नियमों के विरुद्ध था। इस समस्या को जून १९६५ में लन्दन में हुई राष्ट्र-मण्डल देशों के प्रधानमन्त्रियों की वैठक में उठाया गया। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री श्री हेरोल्ड विल्सन की पहल पर तथा पाकिस्तान के साथ मैत्री-सम्बन्ध कायम रखने की इच्छा से प्रेरित होकर भारत ने ३० जून, १९६५ को पाकिस्तान के साथ युद्ध-विराम-संधि की जिसमें निम्नलिखित शर्तें थीं—

(१) १ जुलाई १९६५ से युद्ध विराम,

(२) सेनाओं की १ जनवरी, १९६५ की स्थिति में वापसी, और

(३) सिन्ध-कच्छ-सीमा के निर्धारण के लिए निर्धारित कार्यक्रम पर अमल करना।

इस समझौते के अन्तर्गत स्वीडन के न्यायाधीश श्री ग्रेन की अध्यक्षता में एक तीन-सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। इसका निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होना था। भारत ने इस क्षेत्र की अपनी सुनिश्चित सीमा को केवल शान्ति के कारण ही ट्रिव्यूनल पर छोड़ा था। १९ फरवरी, १९६८ को इस न्यायाधिकरण ने अपना निर्देश दिया और सर्वसम्मति से २५वें समानान्तर के साथ वाली सीमा पर पाकिस्तान के दावे को अस्वीकार कर दिया। न्यायाधिकरण ने पाकिस्तान के इस मत को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया कि कच्छ और सिन्ध की सीमा-रेखा कच्छ के रन के बीच से २४वें समानान्तर के साथ गुजरनी चाहिए। न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार कच्छ के उत्तरी सिरे के साथ-साथ भारत की सीमा मानी गई। फैसले के अनुसार कच्छ के रन के उत्तरी सिरे का ३२० वर्ग मील का छोटा-सा क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया। हालांकि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में ३५०० वर्ग मील पर अपना दावा किया था। न्यायाधिकरण के एक सदस्य श्री एलिस वाव्लर ने, जिन्होंने भारत के पक्ष में अपना मत दिया था, कहा—

"सीमा का मैकडोनल्ड सीमांकन काफी समय से मान्य रहा है। १८७० में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से १९४७ में उसकी समाप्ति तक यह चिन्हांकन सभी तरह के उतार-चढ़ाव के बीच हमेशा मान्य रहा है।

"....इस अवधि में न तो भारत सरकार ने, न बम्बई सरकार या १८६५ के भारत

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अधिनियम के अन्तर्गत गवर्नर के आधीन सिन्ध राज्य की स्थापना होने पर सिन्ध सरकार ने ही, उक्त सीमा-निर्धारण को चुनौती दी या गलत माना।

"१८६५-१८७० में पूरे सिन्ध के सर्वे आफ इण्डिया द्वारा सर्वेक्षण के बाद तथा १८७१ और १८७२ में इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रकाशित होने पर कच्छ के महान् रन की सीमा ठीक-ठीक निश्चित कर दी गई।"

"इन निर्णय का अन्तिम संस्करण १९२८ का है। सिन्ध राज्य के १९३५ के संकेत मानचित्र में भी मकडोनल्ड सीमा-रेखा दिखाई गई है और यह रेखा ब्रिटिश राज्य की समाप्ति तक सभी मानचित्रों में दिखाई गई है।"

कश्मीर पर आक्रमण (१९६५)

कच्छ समझौते को हुए अभी कुछ ही समय बीता था और उसके अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान के विदेश मन्त्रियों की बैठक के लिए प्रवन्ध और प्रचार किया ही जा रहा था कि ५ अगस्त, १९६५ को पाकिस्तान ने भारत पर तीसरा हमला कर दिया। सादी वर्दी में हजारों पाकिस्तानी सैनिक ४७० मील लम्बी युद्ध विराम रेखा पार करके तोड़-फोड़, लूट-मार और हत्या के लिए जम्मू और कश्मीर में प्रवेश कर गए। जैसाकि १९४७ में हुआ था, पाकिस्तान ने इस बार भी साफ इन्कार किया कि इस आक्रमण में उसका हाथ है। तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मन्त्री श्री जेड० ए० भुट्टो ने एक बयान में कहा, 'कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में किसी तरह यह नहीं कहा जा सकता कि वह पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है।" जब हमलावर घुसपैठिये असफल हो गए तो पाकिस्तान की एक ब्रिगेड और १७ टैंकों ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करके १ सितम्बर, १९६५ को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया और इस प्रकार युद्धविराम समझौते तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का बेशर्मी से उल्लंघन किया। इस आक्रमक कार्यवाही के बाद पाकिस्तान के प्रेसीडेंट अयूब खाँ ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रसारण में खुल्लमखुल्ला कहा कि अगर आजाद कश्मीर या पाकिस्तान के अन्य किसी हिस्से के लोग कश्मीर के बहादुर लोगों की सहायता के लिए जाएं तो भारत किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। इसके साथ पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष जनरल मुहम्मद मूसा ने ललकारा, "दुश्मन पर तुम्हारे दांत हैं। उन्हें और गड़ाते जाओ जब तक कि दुश्मन नष्ट न हो जाए।" लेकिन पाकिस्तान अपने दांत गहरे न गड़ा सका और 'शत्रु' को नष्ट न कर सका, क्योंकि भारतीय सेना ने ६ सितम्बर को लाहौर क्षेत्र में तीन स्थानों से सीमा को पार किया, जिससे वह उन अड्डों तक पहुँच सके, जहाँ से पाकिस्तान अगले हमलों के लिए तैयारी कर रहा था। इस प्रकार भारत ने पाकिस्तान की अगली कार्यवाही रोक दी, जो आत्मरक्षा के लिए आवश्यक थी।

कश्मीर पर हुए हमले से सारे संसार के सामने यह स्पष्ट हो गया कि ३० जून, १९६५ को जो समझौता हुआ था, उसकी प्रस्तावना में सद्भावना के जिस वातावरण की चर्चा थी, वह भारत को भुलावे में डालने के लिए थी और इसीलिए थी जिससे अचानक भारत के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। अपनी स्वाभाविक सौम्यता के साथ प्रधानमन्त्री श्री शास्त्री ने कहा, 'दुनियाँ को यह जानकर बड़ा आघात पहुंचेगा कि जब उस समझौते पर

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

हस्ताक्षर हो रहे थे तभी पाकिस्तान कश्मीर में सशस्त्र घुसपैठिये भेजने की योजना तैयार कर रहा था। वह मरी में उन लोगों को प्रशिक्षण दे रहा था। एक महीने बाद ३० जून के समझौते की स्याही सूखने से पहले ही उसने उन्हें कश्मीर में भेजा। इस प्रकार उसका आचरण अपनी कहानी आप कहता है।"

हालांकि पाकिस्तान ने एक वार फिर कश्मीर पर हमला किया फिर भी भारत ने शान्ति और सद्भाव के नाते १० जनवरी, १९६६ को ताशकन्द समझौते को स्वीकार किया, जिससे दोनों देशों के वीच संघर्ष समाप्त हुआ और कश्मीर में वही स्थिति फिर हो गई जो ५ अगस्त, १९६५ से पहले थी जवकि पाकिस्तानी नियमित सेना ने घुसपैठिये के रूप में प्रवेश किया था। उस समझौते के अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान ने संकल्प किया कि वे बल प्रयोग का त्याग करेंगे और घोषणा की कि वे सामान्य और शान्तिपूर्ण सम्बन्ध कायम करेंगे और दोनों देशों की जनता के बीच सद्भाव और मित्रता बढ़ायेंगे। समझौते के बाद भारत ने आशा की कि दोनों देशों के सम्बन्धों का एक नया युग आरम्भ होगा।

भारतीय विमान का अपहरण

लेकिन यह भी धोखा-मात्र सिद्ध हुआ। ३० जनवरी, १९७१ को दो पाकिस्तानी एजेण्टों ने एक भारतीय नागरिक यात्री विमान को, जो श्रीनगर से जम्मू की नियमित उड़ान कर रहा था, पिस्तौल के वल पर लाहौर जाने के लिए विवश किया। अन्त में जब यात्री ४८ घण्टे से अधिक समय तक कष्ट झेल चुके तो पाकिस्तान ने उन्हें और चालकों को सड़क द्वारा भारत-पाक सीमा पर हुसैनीवाला चौकी पर भेजना स्वीकार किया। २ फरवरी, १९७१ को पाकिस्तान सरकार के पिछले आश्वासन के वावजूद भारतीय विमान को बमों से उड़ा दिया गया और यह काम हवाई अड्डे के अधिकारियों, सैनिकों और पुलिस की उपस्थिति में हुआ। उसके नष्ट किये जाने के दृश्यों को टेलीविजन कैमरों पर उतारा गया।

भारतीय विमान के अपहरण और उसे नष्ट करने में पाकिस्तान सरकार की स्पष्ट जिम्मेवारी को देखते हुए भारत सरकार ने २ फरवरी १९७१ से भारतीय सीमा से होकर पाकिस्तान के सभी विमानों की उड़ानों को रोक दिया और पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया कि यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक पाकिस्तान सरकार अपना उत्तरदायित्व स्वीकार न करे और जो कुछ हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति न करे।

१९७१ का आक्रमण

विमान अपहरण के लगभग दो महीने वाद पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने भारत के विरुद्ध एक अन्य ढंग से आक्रमण आरम्भ किया। उन्होंने पूर्व बंगाल से भारतीय सीमा पर अपने लाखों नागरिकों को बलपूर्वक भेजना शुरू किया। यह पूर्व बंगाल में उस दारुण काँड का आरम्भ था जिससे भारत की सुरक्षा और आर्थिक विकास पर गम्भीर प्रभाव पड़ा। भारत को यह आशा थी कि पाकिस्तान की जनता के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्धों का नया युग आरम्भ होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने लोकतन्त्रीय अधिकारों के लिए लम्बे संघर्ष के बाद २८ नवम्बर, १९६९ को विजय पाई थी और उसे पाकिस्तान के सैनिक शासकों का स्पष्ट

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

आश्वासन मिला था कि देश में चुनाव कराये जायेंगे तथा सत्ता जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंप दी जाएगी।

चुनाव हुए और शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग को पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेम्बली में पूर्ण बहुमत मिला।

शेख मुजीबुर्रहमान जन-प्रतिनिधियों को सत्ता सौंपने के प्रश्न पर सैनिक शासकों से बातचीत कर ही रहे थे कि २५ मार्च १९७१ को अचानक योजना मिट्टी में मिला दी गई और पूर्व बंगाल के निहत्थे लोगों पर, जिन्होंने लगभग शत-प्रतिशत वोट शेख मुजीबुर्रहमान को दिए थे, दमन के तौर पर बर्बर अत्याचार शुरू कर दिया गया, जिसकी मिसाल मिलना कठिन है। बताया जाता है कि लगभग तीस लाख बंगालियों को मौत के घाट उतार दिया गया और एक करोड़ लोगों ने भारत में शरण ली।

भारत की विजय

बंगला देश की आड़ में पाकिस्तान ने मेघालय व त्रिपुरा क्षेत्र में भारतीय नगरों पर भीषण गोलाबारी प्रारम्भ कर दी। पूर्वी बंगाल सीमा के क्षेत्र से उन्होंने खुलकर वायुयानों व टैंकों से भारत पर आक्रमण किया।

३ दिसम्बर को सायंकाल अचानक पाकिस्तान ने भारत के १२ हवाई अड्डों पर वायुसेना द्वारा बमबारी करके खुला आक्रमण प्रारम्भ कर दिया। पाकिस्तानी विमानों ने १९६५ की तरह नागरिकों पर बमवर्षा के साथ-साथ नापाम बम भी गिराए। पाकिस्तान की आक्रमण नीति को देखते हुए भारत ने बंगलादेश की मुक्ति के लिए अपनी सेना को आदेश दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमलावरों से पूर्वी व पश्चिमी दोनों सीमाओं पर भीषण संघर्ष करके उन्हें न केवल पीछे धकेलने में अपितु पाकिस्तान के अनेक स्थानों पर कब्जा करने में भी सफलता प्राप्त की।

भारतीय जवानों ने सभी मोर्चों पर पाकिस्तानी हमलावरों के दांत खट्टे किये तथा अन्त में १६ दिसम्बर को ढाका पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त की। पाकिस्तानी सेना के ९३ हजार सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। १७ दिसम्बर को पाकिस्तान ने भारत के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करके अपनी पराजय मान ली।

शिमला समझौता

भारत द्वारा पाकिस्तान को बुरी तरह पराजित किये जाने के परिणामस्वरूप श्री भुट्टो याह्याखाँ को हटाकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। उन्होंने समस्त पराजय का दोष याह्याखाँ पर डालकर उन्हें नजरबन्द कर दिया तथा पराजय की जांच कराने की घोषणा की।

राष्ट्रपति भुट्टो ने जब देखा कि बंगलादेश तो बन ही गया, दूसरे पाकिस्तान का भारी भू-भाग व ९३ हजार पाकिस्तानी सैनिक भारत के कब्जे में हैं तो उन्होंने भारत से

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

समझौते की पेशकश की। अंत में २८ जून से शिमला में भारत-पाक-शिखर-वार्ता प्रारम्भ हुई तथा भुट्टो के कड़े रुख के बावजूद भारत ने अपनी शांति की नीति को प्रमुखता देकर समझौता वार्ता सफल बनाने का पूरा प्रयास किया। अन्त में २ जुलाई की अर्धरात्रि को १२ बजकर ४० मिनट पर तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी व श्री भुट्टो ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। भारत ने समझौता होते ही पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को वापस कर दिया।

मई १९७४ में भारत ने शांति व प्रगति के उद्देश्य से आणविक परीक्षण किया तो पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध अनर्गल प्रचार किया।

तत्कालीन विदेशमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने १९७८ के प्रारम्भ में पाकिस्तान की यात्रा कर सद्भाव का वातावरण पैदा करने की पहल की। भारत सरकार पड़ोसी देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध सुदृढ़ करने की अपनी नीति के अंतर्गत पाकिस्तान से और अधिक स्नेह सम्बन्ध कायम करने की दिशा में प्रयत्नशील है। परन्तु पाकिस्तान के धर्मान्ध शासक भारत के विरुद्ध कोई न कोई मुद्दा उठाकर विषाक्त वातावरण बनाते रहते हैं।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जिया उल हक ने १९७९ में 'इस्लामी बम' बनाने की घोषणा की है। इस अणु बम के निर्माण का उद्देश्य स्पष्ट रूप से भारत के विरुद्ध प्रयोग ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में भारत को भी आणविक नीति पर पुनर्विचार करना होगा।

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा

संचालित

ग्रामोद्योग को अपनाइए

खादी, ग्रामीण तेल, अनाज प्रशोधन, गुड़-खाण्डसारी, ताड़-गुड़, चर्मोद्योग, कुम्भकारी, रेशा, लोहारगिरि-बढ़ईगिरि, मधुमक्खी पालन, गोबर-गैस, चूना, दिया सलाई, हाथ कागज, अखाद्य तेल एवं साबुन, लाह उद्योग, जंगली जड़ी-बूटी संग्रह, फल-संरक्षण, बाँस एवं बेंत, गोंद तथा कत्था निर्माण जैसे ग्रामोद्योगों के माध्यम से आप अपनी भोजन, वस्त्र और आवास की समस्याओं को सुलझाइये।

हमारे बिक्री भवनों से ग्रामोद्योगी उत्पादन जैसे खादी के वस्त्र, शुद्ध तेल, शहद, गुड़-खाण्डसारी एवं ताड़-गुड़ के खाद्य पदार्थ, चर्मोद्योग के जूते चप्पल, दिया सलाई, मिट्टी की आकर्षक वस्तुएँ, हाथ कागज एवं अन्य घरेलू उपयोग की सामग्रियाँ खरीद कर ग्रामोद्योग में कार्यरत गरीब भाई बहनों की मदद कीजिए।

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रचारित

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

चीन का आक्रमण : पृष्ठभूमि

चीन ने १९६२ में भारत के साथ विश्वासघात कर उस पर बर्बर आक्रमण कर अपने साम्राज्यवादी मुखौटे से पर्दा उठा दिया था। चीन अभी भी हमारी हजारों वर्गमील भूमि पर अवैध रूप से कब्जा जमाये हुए है।

भारत और चीन के सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन रहे हैं। भारत ने हमेशा चीन के साथ मैत्री के प्रयास किये, परन्तु चीन ने शक्ति में मदमस्त होकर भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया ही अपनाए रखा।

भारत की उदारता

स्वतंत्रता के उपरान्त भारत ने न केवल चीन से अपने मैत्री-सम्बन्ध बढ़ाए, अपितु उसने 'जनवादी चीन गणराज्य' को 'संयुक्त राष्ट्र संघ' में प्रतिनिधित्व दिलाने का भी अटूट प्रयत्न किया। क्योंकि भारत की यह मान्यता थी कि एशिया और विश्व में शान्ति बनाए रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इतना बड़ा देश विश्व संगठन से बाहर न रहे।

यही नहीं कि भारत ने 'संयुक्त राष्ट्र संघ' में चीन को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए भरपूर प्रयत्न किया, अपितु उसके साथ तिब्बत के प्रश्न पर भी उदारतापूर्वक बातचीत की। यहाँ तक कि अप्रैल १९५४ में भारत ने तिब्बत में व्यापार और पारस्परिक मैत्री-सम्बन्धी अपने एक अनुबन्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा उपयुक्त सभी क्षेत्रीय अधिकार त्याग दिए और यह मान लिया कि तिब्बत चीन का प्रदेश है। इसके अतिरिक्त भारत ने यातुंग और ग्यांत्से से अपनी फौजी टुकड़ियाँ भी वापस बुला लीं और नाम-मात्र मूल्य पर डाक, तार तथा टेलीफोन-सेवाएँ और तिब्बत में बने अपने रेस्ट-हाउस तक चीनी सरकार को सौंप दिए।

इसके उपरान्त सन् १९५४ के समझौते की पृष्ठभूमि में पहली बार इन पाँच सिद्धान्तों का निर्णय हुआ—

१. एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता और प्रभुसत्ता का सम्मान।
२. एक-दूसरे पर आक्रमण न करना।
३. एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में दखल न देना।
४. समानता और एक-दूसरे के सम्मान की रक्षा करना।
५. शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

इन पाँच सिद्धान्तों को ही बाद में 'पंचशील' की संज्ञा दी गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 'पंचशील' के इन मूलभूत सिद्धान्तों को अपनाने की घोषणा का स्पष्ट अर्थ यही था कि भारत और चीन के बीच अब ऐसी कई समस्या नहीं रही, जिसका समाधान शेष रह गया हो।

हमले की शुरूआत

चीन द्वारा 'पंचशील' के पावन सिद्धान्तों की अन्त्येष्टि उसी दिन कर दी गई, जबकि उसने सारी सद्भावनाओं को भुलाकर १७ जुलाई, १९५४ को उत्तर प्रदेश के 'वाराहोती' (जिसे वे 'बू-जे' कहते हैं) में भारतीय सैनिकों के निवास का विरोध किया। यह सबसे पहला अवसर था जबकि चीन ने भारत के किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार जताया था। इससे पूर्व भारत सरकार के मन में यह भावना ही नहीं जगी थी कि वह यह जाने कि भारत की परम्परागत सीमा क्या है। यह सीमा केवल सरकारी नक्शों में ही नहीं दिखाई गई थी, बल्कि भारतीय अधिकारी सदियों से उस परम्परागत सीमा-रेखा तक अवस्थित क्षेत्रों पर नियन्त्रण रखते आ रहे थे। इन क्षेत्रों में से अधिकांश का उल्लेख हमारे संविधान तक में किया गया है। इससे पूर्व चीन सरकार ने कभी भी अपना अधिकार नहीं जताया था। चीन की इस निर्लज्जतापूर्ण कार्यवाही का यहीं अन्त नहीं हुआ, उसने भारत के अन्य बहुत-से क्षेत्रों पर भी अपना झूठा दावा करना प्रारम्भ कर दिया।

भारत और चीन का सीमान्त प्रदेश २२०० मील से अधिक दूरी तक फैला हुआ है। भूटान और तिब्बत की सीमा ३०० मील से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। इस पूरे सीमान्त प्रदेश की लम्बाई या तो सन्धि द्वारा स्पष्ट की गई है या अन्य परम्पराओं द्वारा, अथवा दोनों तरीकों से ही। भौगोलिक सिद्धान्तों के आधार पर हिमालय की पर्वत-श्रेणियों के शिखर के रूप में हमारी सीमाएँ हैं। इन सीमाओं को पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी भागों में बाँटा जा सकता है।

जहां तक हमारी पूर्वी सीमा का सम्बन्ध है, यह परम्परागत सीमा-रेखा है। इसका निर्णय सन् १९१३-१४ में शिमला में भारत-सरकार, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधियों के त्रिदलीय सम्मेलन में किया गया था। भूटान के पूर्व में यह रेखा सम्मेलन में भाग लेने वाले ब्रिटिश प्रतिनिधि श्री मैकमहोन के नाम पर 'मैकमहोन-रेखा' कहलाई। इस रेखा द्वारा केवल उस प्रदेश की प्राकृतिक और परम्परागत प्रशासकीय सीमा को ही पुष्ट किया गया था। यह रेखा अधिकांशतः हिमालय की ऊँची पर्वत-श्रेणियों के साथ-साथ चलती है, जो उत्तर में तिब्बती पठार और दक्षिण में नीची पहाड़ियों के बीच सीमान्त बनाती हैं। तिब्बत और भारत की सीमा-रेखा का मध्यवर्ती क्षेत्र उत्तर-प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ क्षेत्रों से बना है। इनकी सीमाएँ भी नदियों तथा अन्य प्राकृतिक साधनों के अनुसार ही हैं। भारत के पास राजस्व-सम्बन्धी बहुत-से पुराने रिकार्ड मौजूद हैं।

हमारी पश्चिमी सीमा जम्मू और कश्मीर के साथ सिकियांग और तिब्बत से सटी हुई है। यह सीमा लगभग ११०० मील लम्बी है और इसका दो-तिहाई अंश लद्दाख से

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सम्वद्ध है। यह सीमा भी बहुत पुरानी है। सन् १८४२ में कश्मीर, दलाई लामा और चीन के सम्राट् ने मिलकर जिस सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किये थे उसमें भी इसी सीमा को मान्यता दी गई थी। बाद में भारतीय अधिकारियों ने उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करके जो नक्शे तैयार किये, उनमें भी यही सीमा दिखाई गई थी। यहाँ तक कि सन् १८९३, १९१७ और १९१९ में चीन में जो सरकारी नक्शे तैयार किये गए उनमें भी इसी सीमा को माना गया था।

भारत और चीन की सीमा का प्रश्न भूटान की सीमाओं से अत्यन्त निकटता का सम्बन्ध रखता है। सिक्किम और तिब्वत के बीच की सीमा सन् १८९० में निश्चित की गई थी ; और उसे चीन सरकार ने मान भी लिया था। चीन के नक्शों में भूटान के काफी बड़े हिस्से को तिब्वत के साथ दिखाया गया है। दूसरे देशों के साथ भूटान के सम्बन्धों की देख रेख करना भारत की जिम्मेदारी है। चीन की जनवादी सरकार ने भारत और चीन की परम्परागत सीमा के सम्बन्ध में पहले कोई भी आपत्ति नहीं की थी। बल्कि जब भारत के प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने २० नवम्बर, १९५० को स्पष्ट रूप से यह घोषित किया कि 'मैकमहोन-रेखा' ही हमारी सीमा-रेखा है, हम किसी को भी इस सीमा-रेखा का उल्लंघन नहीं करने देंगे, तो चीनी अधिकारियों ने उस समय इस पर कोई भी आपत्ति न की।

चीनी नक्शों में भारतीय क्षेत्र

इसके बाद जब सन् १९५१ और १९५२ में कई बार तिब्बत में भारतीय हितों के बारे में बातचीत की गई, तब भी चीन सरकार ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि सीमा के प्रश्न पर किसी तरह की बातचीत करने की आवश्यकता है। किन्तु जब कुछ चीनी नक्शों में भारत के उत्तर-पूर्वी सीमा-क्षेत्र के लगभग ३६००० वर्गमील क्षेत्र को और उत्तर-पूर्वी लद्दाख के लगभग १२००० वर्गमील क्षेत्र को चीन के अन्दर दिखाया गया तो स्वभावतः भारत के नेताओं और अधिकारियों को हैरानी हुई। जब चीन सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया, तो उत्तर यह मिला कि ये नक्शे 'कुओमितांग-काल' के पुराने नक्शों के आधार पर बने हैं। सन् १९५४ में जब तिब्बत के सम्बन्ध में भारत और चीन की सरकारों के बीच समझौता हुआ तब भी उसने सीमा-सम्बन्धी कोई विवाद नहीं उठाया। इसके उपरान्त अक्तूबर १९५४ में जब हमारे प्रधान मन्त्री चीन गए तो उन्होंने 'गलत चीनी नक्शों' का प्रश्न चीन के प्रधानमन्त्री 'चाउ-एन-लाई' के सम्मुख प्रस्तुत किया। इस पर उन्होंने यह कहकर छुट्टी पा ली कि वे नक्शे पुराने 'कुओमितांग' नक्शों की नकल थे, और जनवादी सरकार को उन्हें ठीक करने का मौका नहीं मिल सका।

चीन की चालबाजियों का भण्डाफोड़ उस समय हुआ जबकि सन् १९५५ में एक चीनी दल ने उत्तरप्रदेश के 'बाराहोती' नामक स्थान पर सबसे पहले अपना अड्डा जमाया। यही नहीं, सन् १९५९ की गर्मियों में एक चीनी सर्वेक्षक-दल पंजाब के 'स्पीती' क्षेत्र में आया और सशस्त्र चीनी सिपाहियों ने अनधिकृत रूप से 'नीलंग जाधंग' में घुसकर 'शिपकी' दर्रा पार किया। बाद में यह भी मालूम हुआ कि चीन सरकार ने तिब्बत और सिकियांग के बीच एक सड़क का निर्माण भी प्रारम्भ कर दिया है। यह सड़क भारत के 'अक़साई चिन'

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

क्षेत्र में लगभग १०० मील के हिस्से में से होकर जाती है। नवम्बर १९५६ में चीन के प्रधान मन्त्री चाउ-एन-लाई भारत में जब दुबारा पधारे, तब भी उन्होंने हमारे प्रधानमन्त्री को यह आश्वासन दिया था कि उन्होंने चीन और वर्मा की सीमा के रूप में 'मैकमहोन-रेखा' को स्वीकार कर लिया है और भारत के साथ भी उसे स्वीकार कर लेंगे।

चीनी प्रधानमन्त्री के इस आश्वासन के वाद भी चीनी सेनाओं द्वारा हमारी सीमाओं में अनधिकृत प्रवेश करने की घटनाएँ जारी रहीं; और सन् १९५७ में अकसाई चिन से गुज-रने वाली सड़क पूरी हो गई। सन् १९५८ में चीनी सेनाओं द्वारा एक भारतीय गश्ती-दल को गिरफ्तार किया गया। चीनी सैनिक उत्तर-प्रदेश के 'सांगचा मल्ला' और 'लपथल' नामक स्थानों में अनधिकृत रूप से घुस आए। हमारे गश्ती-दल के सदस्यों के साथ उन्होंने बहुत ही दुर्व्यवहार किया और उन्हें लगभग पाँच सप्ताह तक रोक लिया गया। यही नहीं, चीनी विमानों ने भी भारतीय वायु-क्षेत्र का उल्लंघन किया।

जुलाई १९५८ में जब एक सरकारी चीनी पत्रिका में प्रकाशित चीन के नक्शे में नेफा में से चार डिवीजनों, उत्तरप्रदेश के कुछ क्षेत्रों और लद्दाख के एक वड़े क्षेत्र को चीन के अधिकार में दिखाया गया, तो भारत ने इसका जोरदार विरोध किया। इस पर चीन सरकार ने कहा कि वे नक्शे सन् १९४९ से पहले प्रकाशित पुराने नक्शों पर आधारित थे। इसके साथ-साथ उसने यह भी कहा कि हमने अभी न तो सीमा का सर्वेक्षण किया है, और न सम्बद्ध देशों से वातचीत ही की है। इसकी स्पष्ट ध्वनि यह थी कि भारत और चीन की सीमा के प्रश्न को वह ऐसा प्रश्न समझती थी, जिस पर विचार करना अभी शेष था। २३ जनवरी, १९५९ को चीन के प्रधान मन्त्री श्री चाउ एन-लाई ने कहा कि दोनों पक्षों की आपसी बातचीत से सीमा निश्चित की जानी चाहिए।

इसके उपरान्त मार्च १९५९ में तिव्वत में विद्रोह हो गया और दलाई लामा तथा उनके साथियों को ल्हासा छोड़ना पड़ा। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जब उन्हें भारत में शरण दी गई, तो इस पर चीन ने हम पर व्यर्थ के अनेक आरोप लगाये। जुलाई १९५९ में एक हथियार-बन्द चीनी दस्ता पश्चिमी पैंगोंग लेक के क्षेत्र में पहुँचा और उसने स्पेंगर पर अपना पड़ाव डाला। अगस्त १९५९ में चीनी सेनाएँ 'किंजमाने' में दाखिल हुईं और उन्होंने लौंगजू में एक भारतीय चौकी पर कब्जा कर लिया। ये दोनों ही स्थान 'नेफा' में हैं। ८ सितम्बर, १९५९ को श्री चाउ एन-लाई ने लिखा कि सीमा के विषय में कोई समझौता नहा हो सकता और उन्होंने भारतीय सीमा के लगभग ५०००० वर्गमील क्षेत्र पर अपने अधिकार का दावा किया। इसके उत्तर में प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने अपने २६ सितम्बर, १९५९ के पत्र में यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की समूची उत्तरी सीमा पर वहस करने का प्रश्न हा नहीं उठता। श्री नेहरू ने इसके प्रचुर प्रमाण भी उपस्थित किये कि इतिहास, भूगोल, रीति और परम्परा के आधार पर हमारी सीमा पहले से ही निश्चित है। हाँ, उन्होंने इस बात से अवश्य ही सहमति प्रकट की कि सीमा के कुछ पक्षों पर थोड़ा-वहुत संशोधन आपसा वातचीत द्वारा हो सकता है। उन्होंने भारतीय सीमा के वहुत वड़े भाग पर चीन के दावे से भी असहमति प्रकट की।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

चीन की सेनाओं का अतिक्रमण

यह कितने आश्चर्य और क्षोभ की बात है कि एक ओर तो चाऊ एन-लाई पत्र-व्यवहार द्वारा सीमा-विवाद का हल निकालने में व्यस्त थे और दूसरी ओर चीन की सेनाएँ भारत की सीमाओं में घुसकर उसके अधिकांश प्रदेशों पर अनधिकृत अधिकार जमाने में व्यस्त थीं। इसका प्रमाण हमें २० अक्तूबर, १९५९ को तब मिला, जबकि चीनी सैनिक दस्ते कोंग्का दर्रे तक घुस आए। यह दर्रा भारतीय सीमा में ५० मील भीतर है। उन्होंने हमारे पुलिस-दल के कर्मचारियों पर गोलियां चलाईं, जिसके फलस्वरूप नौ व्यक्ति मारे गए। इस दल के दस व्यक्तियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और रिहा किए जाने से पूर्व उनके साथ बहुत कठोर और अमानवीय व्यवहार किया। इसी बीच ७ नवम्बर, १९५९ को चीन के प्रधान मन्त्री श्री चाऊ एन-लाई ने प्रस्ताव रखा कि दोनों देशों के प्रधान मन्त्रियों की एक बैठक हो, जिसमें उत्तर-पूर्व में 'मैकमहोन-रेखा' से तथा लद्दाख में वास्तविक नियन्त्रण-रेखा से दोनों देशों के सैनिक २०-२० किलोमीटर पीछे हट जायें।

हमारे प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने चाऊ एन-लाई के इस प्रस्ताव के उत्तर में १६ नवम्बर, १९५९ को यह सुझाव दिया कि लद्दाख़ के क्षेत्र से भारतीय सैनिक पश्चिम में उस सीमा तक पीछे हट जाएँ, जहां तक के लिए चीनियों ने दावा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह तभी सम्भव होगा जबकि चीनी सेनाएँ भी उस परम्परागत सीमा से पीछे चली जाएँ, जो भारतीय नक्शों में दिखाई जाती रही है। उनका यह भी कहना था कि इससे दोनों ओर की सेनाओं के बीच इतना फासला हो जायगा कि मुठभेड़ की कोई गुंजाइश न रहेगी। १७ दिसम्बर, १९५९ को चीन ने हमारे प्रधान मन्त्री के प्रस्ताव को अस्वीकार करके दोनों देशों के प्रधान मन्त्रियों के दस दिन के भीतर-भीतर मिलने का प्रस्ताव किया। २१ दिसम्बर, १९५९ को हमारे प्रधान मन्त्री ने चीन की इस हठधर्मी पर अफसोस प्रकट करके ५ फरवरी, १९६० को चीन के प्रधान मन्त्री को नई दिल्ली पधारने का निमन्त्रण दिया।

उक्त आमन्त्रण के फलस्वरूप अप्रैल, १९६० में चीन के प्रधान मन्त्री श्री चाउ एन-लाई नई दिल्ली पधारे और छः दिन की आपसी बातचीत के उपरान्त यह घोषणा की गई कि वे किसी भी निर्णयात्मक स्थिति में पहुँचने में सफल नहीं हुए। इसी भेंट में यह भी तय हुआ कि दोनों पक्षों के समर्थन में प्रस्तुत प्रासंगिक कागजातों की जांच करके अपनी रिपोर्ट दें। खेद की बात है कि जून और सितम्बर, १९६० में दोनों देशों की बातचीत के दौरान भी भारतीय सीमा में चीनी सेनाओं द्वारा अनधिकृत प्रवेश जारी रहा और बात इस हद तक पहुंची कि चीनी सैनिक लद्दाख में हाट स्प्रिंग तक आ गए। इसका परिणाम यह हुआ कि १४ फरवरी, १९६१ को भारत ने दोनों देशों के अधिकारियों की पूरी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी, जो उन्होंने पीकिंग, दिल्ली और रंगून में अपनी बैठकों में तैयार की थी। यहाँ यह उल्लेख कर देना भी अप्रासंगिक न होगा कि चीन ने इस रिपोर्ट को पन्द्रह महीने बाद प्रकाशित किया था। इस रिपोर्ट से यह सर्वथा स्पष्ट हो गया था कि दोनों देशों के बीच परम्परागत सीमा वही है, जो भारत ने दिखाई है और चीनियों ने भारत के लगभग ५०००० वर्गमील क्षेत्र पर अनुचित दावा किया है। चीनी पक्ष से जो प्रमाण प्रस्तुत किये

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

गए थे, वे तथ्यहीन थे।

इधर ये बातें चल रही थीं और उधर चीनी सेनाओं की ओर से भारत के प्रदेश हथियाने के षड्यन्त्र बराबर जारी थे। अगस्त, १९६१ में चीनियों ने लद्दाख में न्याग्जू के पास तीन नई जाँच-चौकियाँ कायम कीं और उन्हें पीछे के अड्डों से जोड़ने वाली सड़कें बनाईं। ३० अप्रैल, १९६२ को चीनियों ने भारतीय भूमि पर ही भारतीयों के मौजूद रहने के सम्बन्ध में विरोध करने के बाद धमकी दी कि वे न केवल पश्चिमी क्षेत्र में बल्कि सारी सीमा पर गश्त लगायेंगे। मई १९६२ में चीन ने पाकिस्तान से यह तय किया कि कराकुरम दर्रे के पश्चिम वाली भारत-चीनी-सीमा के उस भाग के बारे में, जो इस समय पाकिस्तान के गैर-कानूनी अधिकार में है, दोनों देश स्थिति समझने और सीमा-रेखा बनाने के सम्बन्ध में बातचीत करेंगे। जुलाई १९६२ में चीनियों ने गलवान घाटी में एक भारतीय रक्षा चौकी को घेरकर झगड़ा शुरू कर दिया। ८ सितम्बर, १९६२ को एक चीनी सैनिक टुकड़ी पूर्वी क्षेत्र में सुज्ञात सीमा को पार करके आगे बढ़ आई। इसके उपरान्त एक दिन विश्व के सारे देशों ने सुना कि २० अक्तूबर, १९६२ को चीनियों ने 'नेफा' और 'लद्दाख' में बड़े पैमाने पर एक विश्वास-घाती आक्रमण कर दिया। चीन के इस आक्रमण ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह सीमा के उल्लंघन का विवाद नहीं है, बल्कि वह भारत को युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है।

भारतीय सैनिकों ने चीनी हमलावरों का यथाशक्ति वीरता व साहस के साथ मुकाबला किया। चीन की भारी तैयारी व आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों के बावजूद भारतीय सैनिक उनसे वीरता से लड़े, भले ही हमें पराजय का मुँह देखना पड़ा।

चीन का यह आक्रमण एक प्रकार से वरदान ही सिद्ध हुआ तथा श्री जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं को देश की सैन्य शक्ति के महत्व को स्वीकारना पड़ा।

ग्राम-परिदर्शन　　　　दूरभाष—९३८

मगध ट्रैवल्स

(ट्रांस्पोर्टर परिदर्शन एजेंट)

पर्यटन विभाग, बिहार से मान्यता प्राप्त

रामायण भवन, गोल बगीचा

गया (बिहार)

बिहार दर्शन में ही नहीं अपितु आपकी समस्त यात्राओं को सुखद, सुविधाजनक एवं संतुलित आनन्द प्रद बनाने में हमारी परीक्षा प्रार्थनीय है—

व्यवस्थापक
मगध ट्रैवल्स, गया।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

समाचारपत्र एवं प्रसारण

आधुनिक काल के सामूहिक वृत्तपत्र जगत् में भारत ने २९ जनवरी, १७८० को प्रवेश किया। इस दिन 'बंगाल गजट' प्रकाशित हुआ था। 'बंगाल गजट' और 'कलकत्ता जनरल एडवरटाइजर' की मूल प्रतियां भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में सुरक्षित हैं।

भारतीय भाषाओं के पत्रों का जन्म राजनीतिक आवश्यकता को लेकर हुआ। अंग्रेज इनके विरुद्ध थे। अतः भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को जीवित रहने के लिए भयंकर संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अपमान सहना पड़ा, दण्ड भोगना पड़ा और भारी बलिदान देने पड़े। पत्रों पर नियन्त्रण करने के लिए १८७८ में भाषाई समाचारपत्र अधिनियम (वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट) बनाया गया। इंडियन स्टेट्स एक्ट १९२२, आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट १९२३, इंडियन प्रेस (इमरजेन्सी पावर्स) एक्ट १९३१, फोरेन रेगूलेशन एक्ट १९३२, इंडियन प्रोटेक्स एक्ट १९३२ और इंडियन प्रोटेक्स एक्ट १९३४ बनाए गए। दूसरे महायुद्ध के समय सरकार ने पत्रों के साथ सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र में समाचारपत्र परामर्शदातृ समिति (प्रेस एडवाइजरी कमेटी) स्थापित की। पत्रों को इससे सलाहकार की सुविधा प्राप्त हो गई। सरकार ने इसकी शक्ति को माना। मार्च, १९४७ में समाचारपत्र कानून जांच समिति (प्रेस लाज इन्क्वायरी कमेटी) की स्थापना की गई। प्रेस-सम्बन्धी समस्त कानूनों की छानबीन करने का कार्य इसको सौंपा गया। इसको उचित सिफारिशें करने के लिए भी कहा गया। मई, १९४८ में अनेक घृणित और अवांछनीय कानून रद्द हो गए।

हिन्दी में सर्वाधिक पत्र

१९७६ में देश में कुल १३,३२० समाचारपत्र प्रकाशित हो रहे थे। जबकि १९७५ में यह संख्या १२,४२३ थी। इनमें ८७५ दैनिक, ७४ द्वि-साप्ताहिक, ३,८०१ साप्ताहिक तथा ८५७० अन्य थे।

देश में १९७६ में सबसे अधिक समाचारपत्र-हिन्दी में प्रकाशित किये जा रहे थे जिनकी संख्या ३,२८९ थी। हिन्दी के बाद अंग्रेजी के २,७६५ और उसके बाद उर्दू के ९७५ थे। दैनिक समाचारपत्रों की दृष्टि से भी हिन्दी में सबसे अधिक २५२ पत्र प्रकाशित हो रहे थे, जबकि अंग्रेजी के केवल ८९।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

समाचार-पत्रों तथा नियतकालिकों की संख्या (१९७६)

वर्ष	दैनिक	द्वि-दैनिक	साप्ताहिक	अन्य	कुल
१९७०	६९५	६०	३,१६२	७,११९	११,०३६
१९७१	८२१	६८	३,६०८	७,७२१	१२,२१८
१९७२	७९३	६४	३,५८३	७,४८६	११,९२६
१९७३	८३०	६८	३,८७५	७,८८०	१२,६५३
१९७४	८२२	६८	३,६६६	७,६२९	१२,१८५
१९७५	८३५	७०	३,६२८	७,९९०	१२,४२३
१९७६	८७५	७४	३,८०१	८,५७०	१३,३२०

समाचार-पत्रों की कुल संख्या (भाषा और अवधिवार), १९७६

भाषा	दैनिक	द्वि-दैनिक, साप्ताहिक; अर्ध साप्ताहिक एवं मासिक आदि	कुल १९७५	कुल १९७६
अंग्रेजी	८९	२,६७६	२,५५९	२,७६५
हिन्दी	२५२	३,०३७	३,१४२	३,२८९
असमिया	३	४६	३८	४९
बंगला	२२	८३३	७७१	८५५
गुजराती	३७	५४३	५६७	५८०
कन्नड	५३	३३९	३४८	३९२
कश्मीरी	...	१	१	१
मलयालम	९१	४४८	४९८	५३९
मराठी	९४	७१२	७४८	८०६
उड़िया	१०	१२८	१३५	१३८
पंजाबी	१२	२६६	२५९	२७८
संस्कृत	१	२२	२२	२३
सिन्धी	४	५४	५५	५८
तमिल	५८	५६०	५५६	६१८
तेलुगु	१७	४२४	४१८	४४१
उर्दू	९४	८८१	९२९	९७५
द्विभाषी	१८	१०६९	९९२	१,०८७
बहुभाषी	४	२६०	२४७	२६४
अन्य	१६	१४६	१३८	१६२
कुल	८७५		१२,४२३	१३,३२०

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

समाचार-पत्रों की कुल संख्या (राज्यवार और अवधिवार), १९७६

राज्य/संघराज्य क्षेत्र	दैनिक	द्वि-दैनिक, साप्ताहिक अर्ध साप्ताहिक तथा मासिक आदि	कुल १९७५	कुल १९७६
महाराष्ट्र	१२९	१८१९	१८०५	१,९४८
उत्तर-प्रदेश	१२८	१४६९	१५५७	१,६३७
दिल्ली	३७	१६००	१५१७	१,५९७
पश्चिम बंगाल	३५	१३१२	१२३२	१,३४७
तमिलनाडु	६६	८९९	८६९	९६५
आंध्र प्रदेश	३७	८२३	८०२	८६०
राजस्थान	३७	६५५	६७०	६९२
केरल	९३	६१६	६६५	७०९
गुजरात	३४	५००	५२५	५३४
कर्नाटक	७६	५८२	५९७	६५८
मध्य प्रदेश	७८	४२७	४८१	५०५
पंजाव	२७	४३२	४२२	४५९
विहार	१९	३२६	३०६	३४५
हरियाणा	४	२३२	२३२	२३६
उड़ीसा	११	१५६	१५७	१६७
जम्मू-कश्मीर	२०	१२३	१३५	१४३
चण्डीगढ़	२	११८	१०५	१२०
असम	६	९०	७८	९६
हिमाचल प्रदेश	१	६९	६६	७०
पांडिचेरी	—	५०	४८	५०
मणिपुर	११	२९	३३	४०
मेघालय	२	३२	२८	३४
गोवा दमन और दीव	७	२८	३२	३५
त्रिपुरा	७	३६	३७	४३
मिजोरम	६	११	१३	१७
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	२	६	६	८
नागालैंड	—	४	४	४
दादरा और नगर हवेली	—	१	१	१
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
कुल	८७५	११,५८८	१२,४२३	१३,३२०

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१९७६ में एक लाख से ऊपर की खपत वाले दैनिक समाचार-पत्र

समाचार-पत्र का नाम	प्रकाशन का स्थान	भाषा	खपत, १९७६
१. आनन्द बाजार पत्रिका	कलकत्ता	बंगला	२,९१,१२९
२. मलयालम मनोरमा	कोट्टयम	मलयालम	२,०९,८४१
३. युगान्तर	कलकत्ता	बंगला	१,८८,१४३
४. नवभारत टाइम्स	दिल्ली	हिन्दी	२,४४,५९८
५. टाइम्स ऑफ इण्डिया	बम्बई	अंग्रेजी	२,०१,७८७
६. हिन्दुस्तान	दिल्ली	हिन्दी	१,४०,५४७
७. हिन्दुस्तान टाइम्स	दिल्ली	अंग्रेजी	१,८९,९४२
८. मातृभूमि	एर्नाकुलम	मलयालम	१.४०,३९४
९. हिन्दू	मद्रास	अंग्रेजी	१,६७,२४६
१०. स्टेट्समैन	कलकत्ता	अंग्रेजी	१,५३,६९२
११. लोकसत्ता	वम्बई	मराठी	१,६६,३६०
१२. केरल कौमुदी	त्रिवेन्द्रम	मलयालम	१,२१,१०१
१३. महाराष्ट्र टाइम्स	बम्बई	मराठी	१,३१,५७२
१४. मातृभूमि	कालीकट	मलयालम	१,४०,३९४
१५. दिनमणि	मदुरै	तमिल	१,०२,७७९
१६. ट्रिब्यून	चण्डीगढ़	अंग्रेजी	१,२३,१६२
१७. बम्बई समाचार	बम्बई	गुजराती	१,३२,६९२
१८. मलयालम मनोरमा	कालीकट	मलयालम	१,१७,६०३
१९. अमृत बाजार पत्रिका	कलकत्ता	अंग्रेजी	१,०८,८०५
२०. गुजरात समाचार	अहमदाबाद	गुजराती	१,०७,७४०
२१. प्रजावाणी	बंगलौर	कन्नड	१,०७,७९१
२२. इण्डियन एक्सप्रेस	बम्बई	अंग्रेजी	१,२२,७११
२३. सन्देश	अहमदाबाद	गुजराती	१,०१,७०९

१९७६ में एक लाख से ऊपर खपत वाली पत्र-पत्रिकाएँ

पत्रिकाओं के नाम	प्रकाशन का स्थान	भाषा	खपत, १९७६
१. कुमुदम्	मद्रास	तमिल	४,३८,६२१
२. मलयालम मनोरमा	कोट्टयम	मलयालम	३,७७,६२५
३. वारंथरी रानी	मद्रास	तमिल	३,१०,४१७
४. इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इण्डिया	बम्बई	अंग्रेजी	२,९६,३८८
५. धर्मयुग साप्ताहिक	बम्बई	हिन्दी	२,२३,४८९
६. आनन्द निकेतन	मद्रास	तमिल	२,१२,२७१
७. कलकन्दु साप्ताहिक	मद्रास	तमिल	१,७०,५५५

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

८. सण्डे स्टेट्समैन	कलकत्ता	अंग्रेजी	१,६५,११७
६. रीडर्स डाइजेस्ट	वम्बई	अंग्रेजी	१,६५,१२३
१०. फिल्म फेयर पाक्षिक	वम्बई	अंग्रेजी	१,४३,३७५
११. तुगलक पाक्षिक	मद्रास	तमिल	१,२०,०५२
१२. कल्याण मासिक	गोरखपुर	हिन्दी	१,७५,६५०
१३. फैमिना पाक्षिक	वम्बई	अंग्रेजी	१,५४,३४८
१४. ब्लिट्ज साप्ताहिक	वम्बई	अंग्रेजी	१,३२,२०२
१५. आनन्द प्रभा इलस्ट्रेड वीकली	मद्रास	तेलुगु	१,१६,२४८
१६. चन्दामामा	मद्रास	हिन्दी	१,५१,१६१
१७. नन्दन (बाल मासिक)	दिल्ली	हिन्दी	१,६४,६६०
१८. मनोहर कहानियाँ	इलाहाबाद	हिन्दी	१,६४,४३७
१६. चित्रलेखा	बम्बई	गुजराती	१,३१,१६५
२०. रानी मुत्तू	मद्रास	तमिल	१,२१,८३६
२१. प्रजामत	बंगलौर	कन्नड	१,०५,३७६
२२. सरिता	दिल्ली	हिन्दी	१,४७,८१७
२३. माधुरी	वम्बई	हिन्दी	१,३१,६४५
२४. जर्नल ऑफ इं० इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स	वम्बई	अंग्रेजी	१,१७,५००
२५. पराग (बाल मासिक)	दिल्ली	हिन्दी	१,०६,६२५

समाचार समितियाँ

आपात्काल में सरकार ने चारों समाचार समितियों का बलात विलयन कर 'समाचार' का गठन किया था।

चारों समाचार समितियों के विलयन के बाद 'समाचार' ने आपात्काल की अवधि में एक वर्ष जिस प्रकार कार्य किया उससे इनमें से कोई भी उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। इतना अवश्य हुआ कि समाचारपत्रों पर सरकार का भलीभांति नियन्त्रण हो गया और जो समाचार सरकार नहीं चाहती थी, वह इस एकमेव एजेन्सी द्वारा प्रसारित न होने के कारण समाचार पत्रों को मिल नहीं पाता था। ग्रामीण अंचलों के समाचारों का पहले से कम संकलन होने लगा क्योंकि उन क्षेत्रों के संवाददाताओं को कार्य से मुक्त कर दिया गया था।

२४ जनवरी, १६७६ को 'समाचार' नाम से संस्था पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक समिति पंजीकृत की गई थी। इस संस्था की प्रबन्ध समिति में उस समय १६ सदस्य थे और प्रबन्ध समिति द्वारा गठित विशेष समिति में चार सदस्य थे। जनवरी ७७ में इस विशेष समिति का विघटन कर दिया गया और सात सदस्यों की प्रबन्ध समिति गठित की गई। श्री जी० कस्तूरी 'समाचार' के अध्यक्ष बने रहे और प्रबन्ध समिति में किसी नये व्यक्ति का समावेश नहीं किया गया।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

लोकसभा के चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री के विशेष दूत श्री मुहम्मद यूनुस ने 'समाचार' से त्यागपत्र दे दिया। अप्रैल में 'समाचार' के कार्य-पालिका सदस्य (एक्जीक्यूटिव मेम्बर) डा० राज० के० निगम ने भी प्रवन्ध समिति से त्यागपत्र दे दिया। नई केन्द्रीय सरकार के गठन के बाद 'समाचार' की प्रबन्ध समिति ने १६ अप्रैल, १९७७ की बैठक में इन दोनों सदस्यों के त्यागपत्र को स्वीकार करते हुए तीन समाचार समितियों—प्रेस ट्रस्ट, हिन्दुस्थान समाचार एवं समाचार भारती के तीन प्रति-निधियों सर्वश्री पी० सी० गुप्त, बालेश्वर अग्रवाल एवं लक्ष्मीमल्ल सिंघवी को प्रवन्ध समिति का सदस्य निर्वाचित किया।

जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस बात पर बल दिया था कि देश में केवल एक ही समाचार समिति नहीं होनी चाहिए। इस क्षेत्र में एकाधिकार-वाद समाप्त करने के लिए 'समाचार' के पुनर्गठन की दृष्टि से श्री कुलदीप नैय्यर की अध्यक्षता में १९ अप्रैल, ७७ को सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसने १३ अगस्त को अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी। श्री नैय्यर की रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए केन्द्र सरकार ने पांच मंत्रियों की एक उपसमिति बना दी। सर्वश्री जगजीवनराम, मधु दण्डवते, शांतिभूषण, रवीन्द्र वर्मा एवं लालकृष्ण आडवाणी इसके सदस्य रहे। इस उपसमिति ने इस प्रश्न के सभी पक्ष-विपक्षों पर विचार कर यह निश्चय किया कि 'समाचार' समितियों के गठन एवं संचालन में सरकार का कोई हाथ नहीं होना चाहिए और इसलिए जिस प्रकार समाचार पत्र संचालित होते हैं, उसी प्रकार समाचार समितियों को भी अपने आप संचालित करते हुए काम करने का अवसर देना चाहिए। १ अप्रैल, १९७६ को वलपूर्वक चारों 'समाचार' समितियों का विलयन कर दिया गया था, उसे समाप्त कर देना चाहिए और इन चारों समाचार समितियों को अपने पैरों पर खड़े होने में सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार आपात्काल में समाचार पत्र जगत में जो अन्याय किया गया था उसका निवारण नई सर-कार द्वारा किया गया।

परिणामस्वरूप १४ अप्रैल १९७८ से चारों समाचार समितियाँ पूर्ववत अपने अस्तित्व में आकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगीं।

इस समय भारत में प्रमुख रूप से चार समाचार समितियाँ दैनिक समाचार पत्रों को समाचार उपलब्ध करा रही हैं। ये हैं—प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया, हिन्दुस्थान समाचार और समाचार भारती। इनके अतिरिक्त देश में कुल २४ भारतीय एवं १६ विदेशी समाचार समितियों की सेवाएँ भी पत्रों को उपलब्ध हैं।

प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया (पी०टी०आई०) : यह अंग्रेजी में संवाद देने वाली सबसे पुरानी अखिल भारतीय समाचार एजेंसी है। एसोसियेटेड प्रेस के स्थान पर इसकी १९४७ में स्थापना हुई। १९४८ में इसमें कुछ सुधार किये गये। विदेशी समाचारों के लिए भार-तीय पत्र रायटर (ब्रिटिश), ए० एफ० पी० (फ्रान्स) तथा यू० पी० आई० (अमेरिका) पर निर्भर है। पी० टी० आई० का स्वामित्व पत्र-मालिकों तक सीमित है। समाचारपत्रों के अतिरिक्त आकाशवाणी भी इससे समाचार लेती है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया (यू० एन० आई०) : इसकी स्थापना १९५९ में हुई। इसका स्वामित्व भी कुछ पत्र-मालिकों तक सीमित है। आकाशवाणी भी इसकी सेवा लेती है। यह विदेशी समाचार सेवा जर्मनी की डी० पी० ए०, अमेरिका की ए० पी० तथा रूस की तास से लेती है।

हिन्दुस्थान समाचार : कार्यकर्ताओं के सहकारी स्वामित्व की यह बहुभाषी समाचार समिति है। यह हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, मलयालम, मराठी, गुजराती, बंगला, असमी, कन्नड, पंजाबी आदि विभिन्न भाषाओं में संवाद देने का कार्य करती है। १९४८ में बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि को टेलीप्रिंटर संयंत्र पर स्थान दिलाने का श्रेय इसी को प्राप्त है। १९५७ में यह सहकारी समिति में परिणत कर दी गई। यह संचार की आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न है। सारे देश में आज विभिन्न भाषाओं के लगभग एक सौ समाचारपत्र इसके ग्राहक हैं और देश में इसके एक हजार से भी अधिक संवाददाताओं का जाल बिछा हुआ है। आकाशवाणी के राष्ट्रीय प्रसारण के अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रसारणों के लिए आकाशवाणी के विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों को इसकी सेवाएँ उपलब्ध हैं। गुजराती तथा मराठी पत्रों को भी यह दूर मुद्रक द्वारा सेवा दे रही है।

समाचार भारती : एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में उसकी स्थापना हुई। इसने १९६७ में कार्य प्रारम्भ किया। यह भी बहुभाषी समाचार समिति है। इसकी सेवायें आकाशवाणी को उपलब्ध हैं।

अन्य भारतीय समितियाँ हैं—इंडिया प्रेस एजेन्सी, एसोसियेटेड न्यूज सर्विस (हैदराबाद), इंडिया न्यूज एण्ड फीचर एलायन्स (नई दिल्ली)।

प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियां इस प्रकार हैं :

(१) रायटर, (२) एसोसिएटेड प्रेस आफ अमेरिका, (३) एजेन्सी फ्रांस प्रेस, (४) तास न्यूज एजेन्सी, (५) यूनाइटेड प्रेस इन्टरनेशनल, (६) डुटशे एजेंगटूर प्रेस (वेस्ट जर्मन नेशनल न्यूज एजेंसी), (७) टेलीग्राफशा एजेंसिजा नोवा (तनजूंगा), (८) युगोस्लाविया इत्यादि। कुछ विदेशी एजेन्सियां भारत को विश्व समाचार देती हैं और भारत के समाचार अपने देश के ग्राहक पत्रों को भेजती हैं।

प्रेस सुधार

आपात्काल में समाचार पत्रों को नियन्त्रण में रखने के उद्देश्य से तीन कानून बनाये गये थे। प्रेस परिषद् को समाप्त कर दिया गया था। संसदीय कार्यवाहियों के प्रकाशन पर प्राप्त संरक्षण वापस ले लिया गया था और एक नये कानून के द्वारा "आपत्तिजनक सामग्री" के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी। जनता सरकार ने सत्ता संभालते ही जनता को दिए गए आश्वासनों के अनुरूप "आपत्तिजनक समाचार प्रकाशन कानून" को रद्द कर दिया।

इस प्रकार आपात्काल में प्रेस पर स्वतंत्रता के साथ काम करने पर जो प्रतिबन्ध लगाए गए थे वे समाप्त कर दिए गए और स्वस्थ प्रजातन्त्र के विकास के लिए स्वतन्त्र पत्रकारिता को पुनः प्रतिष्ठित किया गया।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जून १९७७ में हुए विधान सभाओं के चुनावों में सरकार ने पहली बार सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आकाशवाणी व दूरदर्शन पर अपने दल की नीति स्पष्ट करने का अवसर देकर नया आदर्श उपस्थित किया।

प्रेस परिषद्

सरकार ने १ मार्च, १९७९ से भारतीय प्रेस परिषद् को फिर से कायम कर दिया है। परिषद् के २८ सदस्य हैं सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायमूर्ति श्री ए० एन० ग्रोवर परिषद के अध्यक्ष मनोनीत किये गये हैं।

प्रेस आयोग

प्रेस की समस्याओं का गहराई से अध्ययन करने के लिये मई १९७८ में न्यायमूर्ति श्री पी० के० गोस्वामी की अध्यक्षता में प्रेस आयोग गठित किया गया। यह आयोग, अन्य बातों के साथ-साथ लोकतांत्रिक समाज में प्रेस पर पड़ने वाले सभी किस्म के दबावों के विरुद्ध उसकी आजादी की रक्षा करने के साधनों की जांच कर रहा है। आयोग इस बात की भी जांच कर रहा है कि प्रेस के विभिन्न अंगों का मालिकाना ढांचा और वित्तीय ढांचा किस प्रकार का हो, ताकि सम्पादकीय स्वतंत्रता और व्यावसायिक ईमानदारी तथा पाठकों के निष्पक्ष समाचार के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। यह आयोग भाषा तथा प्रादेशिक भाषाओं की पत्र-पत्रिकाओं की प्रगति और विकास के लिए भी सुझाव देगा। आयोग अपनी रिपोर्ट इस वर्ष के अन्त तक देगा।

समाचार पत्रों को ऋण

सरकार के आग्रह पर, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने समाचारपत्र उद्योग को वित्तीय सहायता देने का निश्चय किया है। अब समाचारपत्रों को वित्तीय सहायता के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं से आवेदन करना सम्भव होगा।

प्रेस एजेंसी पूल

सरकार ने गुट-निरपेक्ष देशों के समाचार एजेन्सी पूल व भारत की भागीदारी में अपनी रुचि को बनाए रखा है। वरिष्ठ पत्रकार श्री डी० आर० मनकेकर को पूल की समन्वय समिति में भारत के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया। आजकल भारत समन्वय समिति का अध्यक्ष भी है। इस प्रकार भारत ने सदस्य-देशों में समाचार पूल की विचारधारा का प्रचार करने और पूल की व्यावहारिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक उपाय करने में प्रमुख भूमिका अदा की है।

गुट-निरपेक्ष समाचार एजेन्सी पूल के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य को पूरा करते हुए भारतीय जन-सम्पर्क संस्थान, नई दिल्ली में समाचार एजेन्सी पत्रकारिता का एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

पहला पाठ्यक्रम दिसम्बर, १९७८ में शुरू हुआ, जिसमें तीसरे विश्व के अधिकांश देशों के प्रशिक्षार्थियों ने हिस्सा लिया।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बहाल करने के मंत्रालय के प्रयास के अनुरूप ही, इस विभाग ने अपने प्रकाशनों में किसी भी प्रकार के मिथ्या-वर्णन को समाप्त करने की ओर विशेष ध्यान दिया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में में रखते हुए प्रकाशन विभाग ने अपने प्रकाशन 'आधुनिक भारत के निर्माता' पुस्तकमाला में अभी तक शामिल किए गए व्यक्तियों के बारे में जांच-पड़ताल की है, ताकि किसी कमी अथवा त्रुटि को दूर किया जा सके।

हिन्दी तथा देश की अन्य प्रादेशिक भाषाओं में सुरुचिपूर्ण और अच्छे स्तर की पुस्तकें प्रकाशित करने तथा उन्हें पुस्तक-व्यवसाय में विद्यमान मूल्यों की तुलना में कम मूल्यों पर दूर-दराज के इलाकों सहित देश भर में उपलब्ध कराने के लिए अधिक जोर दिया गया है। चालू वर्ष में जिसे 'अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है, प्रकाशन विभाग पहले ही चार पुस्तकें निकाल चुका है जिनकी आकर्षक सज्जा की गई है तथा सुन्दर चित्र दिए गए हैं, लेकिन फिर भी उनका उचित मूल्य रखा गया है।

क्षेत्रीय प्रचार

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने, जिसकी देश भर में २२६ क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें हैं, दूरस्थ सीमाओं और आदिवासी क्षेत्रों तथा अन्य पिछड़े इलाकों में पहुँचकर तथा लोगों के दरवाजों पर जाकर जनसम्पर्क सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित करके अपनी गतिशीलता और एक-एक व्यक्ति तक संदेश पहुँचाने के अपने माध्यमों का पूरा लाभ उठाया है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नीतियों से सम्बन्धित थे। अनुमान है कि क्षेत्रीय यूनिटों द्वारा आयोजित फिल्म प्रदर्शनों और गीत तथा नाटकों को लगभग १२ करोड़ व्यक्तियों ने देखा। पिछले दो वर्षों में इस प्रकार के डेढ़ लाख से अधिक आयोजन किए गए।

ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप ही लगभग सभी कार्यक्रमों में खेती तथा गांव और कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास की समस्याओं की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित किया गया है।

आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत क्षेत्रीय यूनिटों ने उन क्षेत्रों के लिए बनाई गई विकास योजनाओं के जरिये होने वाले लाभ से, आदिवासियों को अवगत कराने की पूरी कोशिश की है।

गीत और नाटक

गीत और नाटक प्रभाग की टोलियों ने भी राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्री मूल्यों और विकास गतिविधियों के संदेश को दूरदराज तक पहुँचाया। वर्ष १९७७ और १९७८ में उन्होंने ४१,००० से अधिक कार्यक्रम किए, जिनमें कठपुतली, गाथा-गीत, कथाएं, नाटक और ध्वनि-प्रकाश कार्यक्रम शामिल थे। इन कार्यक्रमों के जरिए नशाबन्दी, परिवार कल्याण,

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अस्पृश्यता निवारण, ग्राम-स्वास्थ्य, ग्राम और लघु उद्योग तथा प्रौढ़ शिक्षा का संदेश प्रचारित किया गया।

ध्वनि-प्रकाश कार्यक्रमों में 'रामचरित मानस', 'शहंशाह अकबर', 'अमृतसर सिफ़्ती दा घर', 'सुब्रह्मण्यम भारती', और 'मिर्जा गालिब' को दिखाया गया। 'आम का बगीचा', 'दिव्य-दृष्टि' और 'कितने नए कितने पुराने' नाटकों को स्टेज पर खेला गया जिनमें क्रमशः समाज के बदलते मूल्य, महाकवि सूरदास का संदेश और छोटे परिवार के स्वरूप को परिलक्षित किया गया।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने भी कृषि, ग्रामीण क्षेत्र, नई आर्थिक नीति, नागरिक स्वतंत्रता और साम्प्रदायिक एकता के महत्व को दर्शाने के लिए अपने कार्यक्रमों को उनके अनुरूप बनाया है। नशाबन्दी और अंत्योदय जैसे विषयों पर भी ध्यान दिया गया है। नुमाइशों, छपी प्रचार सामग्री, विज्ञापन और दीवारों पर चित्रकारी के नए माध्यम के जरिए ग्रामीण जनता तक पहुँचने के प्रयासों में भी तेजी लाई गई।

प्रचार सामग्री की विषय-वस्तु के मामले में डी० ए० वी० पी० ने तथ्यों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने और जहाँ आवश्यक हो वहां मामले के दोनों पहलू प्रस्तुत करने की अपनी आजादी को फिर से हासिल कर लिया।

अत: डी० ए० वी० पी० के प्रदर्शनी प्रभाग की ३६ क्षेत्रीय यूनिटों ने गांवों तक पहुँचने का कार्यक्रम बनाया। नीति के तौर पर ये यूनिटें अब गांवों में अधिक से अधिक प्रदर्शनियां लगा रही हैं। यह बात विगत वर्षों में अपनाई जाने वाली प्रथा से बिलकुल भिन्न है जब शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को शामिल करने पर अधिक जोर दिया जाता था।

निदेशालय द्वारा हाल ही में आयोजित असाधारण प्रदर्शनियों में 'आजादी की जीत' प्रदर्शनी (जिसमें आपात स्थिति के दौरान लोकतंत्र में आए उतार-चढ़ाव को नाटकीय ढंग से दिखाया गया है), 'सुखी ग्राम जीवन' प्रदर्शनी (जिसे देश भर में, खास तौर पर दूरवर्ती गांवों और आदिवासी क्षेत्रों में, लगभग १२० स्थानों पर २७ लाख व्यक्तियों द्वारा देखा गया), और 'भारत के बच्चे' प्रदर्शनी, जो अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के अन्तर्गत देश भर में भ्रमण कर रही है, शामिल है।

प्रचार सामग्री

आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों में देश ने जो प्रगति की है उसके सम्बन्ध में जानकारी देने वाली छपी हुई सामग्री हिन्दी, अंग्रेजी तथा सभी प्रमुख भाषाओं में तैयार की गई है और उसे देश भर में बड़े पैमाने पर वितरित किया गया है।

डी० ए० वी० पी० द्वारा प्रकाशित प्रचार सामग्री को अब उसी के द्वारा सीधे डाक से भिजवाने की प्रणाली अपनाई गई है। इस समय निदेशालय की सूची पर लगभग ६ लाख पते हैं, जिनमें काफी पते गांवों के हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

फिल्म डिवीजन

आपात स्थिति समाप्त होने और देश में नई सरकार की स्थापना होने के बाद फिल्म्स डिवीजन ने उन सभी वृत्त-चित्रों और समाचार-फिल्मों को वापस ले लिया जो बदली हुई परिस्थितियों में पुरानी और असंगत हो गई थीं। देश-भर के ९,००० से अधिक सिनेमाघरों से ४१ वृत्त चित्रों और २२ समाचारचित्रो की १४,००० से अधिक प्रतियों को वापस लिया गया। इन फिल्मों के प्रिंटों को क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, राज्य सरकारों, रेलवे आदि की चलतीफिरती यूनिटों से भी वापस ले लिया गया।

नई नीति के मार्गनिदेशों के अनुसार फिल्म्स डिवीजन के समाचार-चित्रों और वृत्त-चित्रों का विषय बदल गया है। १९७७-७८ और १९७८-७९ के दौरान फिल्म्स डिवीजन ने विगत वर्षों की उपलब्धियों पर ध्यान देने की बजाय अब भावी राष्ट्रीय निर्माण कार्यों पर ज्यादा जोर दिया है। किसी व्यक्ति विशेष, संगठन या राजनीतिक दल की छवि को निखारने के लिए न तो वृत्त चित्र और न ही समाचार चित्र का उपयोग किया जाता है। घटनाओं को वस्तुपरक, निष्पक्ष ढंग से समाचार-चित्रों में दर्शाया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाती है कि वृत्त-चित्रों और समाचार-चित्रों में ऐसी सामग्री न हो जिससे डिवीजन की साख पर आंच आए।

फिल्म्स डिवीजन के निर्माण कार्यक्रमों में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाता है। शराब पीने के दुष्परिणाम, छुआछूत निवारण, लोकतंत्र की रक्षा करने की आवश्यकता, ग्राम-स्वास्थ्य, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार कल्याण, अंत्योदय कार्यक्रम आदि जैसी राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर समाचार-चित्र बनाने के अलावा वृत्त-चित्र भी बनाए जाते हैं। इस सम्बन्ध में श्री जयप्रकाश नारायण. श्री सी० राजगोपालाचारी, श्री फखरुद्दीन अली अहमद और महाकवि सूरदास के जीवन के सम्बन्ध में और प्रधानमंत्री की रूस, यूरोप और अमरीका की यात्राओं पर बनाई गई फिल्मों का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। जिन अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर फिल्में बनाई गई उनमें हैं—आंध्र प्रदेश में तूफान, आर्थिक संगणना, १९७७ की गुट-निरपेक्ष ब्यूरो बैठक और १९७७ का राष्ट्रीय कृषि मेला। बम्बई हाई और अंत्योदय की गाथा भी डिवीजन के महत्वपूर्ण निर्माण हैं।

दूरदर्शन

दूरदर्शन केन्द्रों से दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों को सुधारने और उन्हें बदलती हुई सामाजिक वास्तविकताओं और मूल्यों के और निकट लाने तथा लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए लगातार और संगठित प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य आपात स्थिति के दौरान आए भटकाव और विकृति जो समाप्त करना तथा दूरदर्शन की साख को पहुंची क्षति को पूरा करना है तथा साथ ही कार्यक्रमों में सच्चाई, निष्पक्षता और संतुलन के सिद्धान्तों तथा व्यावसायिक मानकों को फिर से कायम करना है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

विपक्ष के सदस्यों को दूरदर्शन पर अपने विचार प्रकट करने की नई प्रथा जनता सरकार द्वारा शुरू की गई। प्रसारण के इतिहास में पहली वार ५ अप्रैल १९७७ को लोक-सभा में विपक्ष के नेता को दूरदर्शन से राष्ट्रीय प्रसारण का मौका दिया गया। इस दिशा में दूसरा बड़ा कार्य मई और जून १९७७ में किया गया जब राज्य विधान-सभाओं के चुनाव के समय प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र से १५ मिनट का प्रसारण करने के लिए सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को सुविधा प्रदान करने की एक योजना को दूरदर्शन द्वारा अमली जामा पहनाया गया। समाचार और सामयिक चर्चा कार्यक्रमों में विषय की अधिक जानकारी पर ध्यान दिया गया। संसद की कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा का एक नया कार्यक्रम दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को काफी पसन्द किया गया।

दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों द्वारा तैयार किये गये सर्वोत्तम वृत्त-चित्र के लिए पहली बार एक पुरस्कार रखा गया है। पुरस्कार का नाम दूरदर्शन के सुविख्यात वृत्त-चित्र निर्माता स्वर्गीय श्री जे० एन० गौड के नाम पर रखा गया है। इस वर्ष का पुरस्कार वम्बई दूरदर्शन केन्द्र को उसके 'दुर्दम्य' नामक वृत्त-चित्र को दिया गया।

स्टेट बैंक ऑफ इंदौर आपका बैंक

उनके लिए जो अपने को युवा समझते हैं
जैसे कि आप
हम एक नई लाभ योजना आरम्भ करते हैं
सुनिश्चित मासिक आय की
जो कभी समाप्त नहीं होती

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर की

'बाल शिक्षण एवं पेंशन प्रावधान योजना' में

हमारे साथ शामिल होइये।

आप ७ वर्षों के लिए दस रुपयों के गुणक की मासिक किश्तें जमा करते रहें तो आपको मासिक किश्तों में एक निश्चित रकम जीवन पर्यन्त या जब तक आप चाहें नियमित रूप से प्राप्त होती रहेगी और मूल रकम ज्यों की त्यों सुरक्षिग रहेगी। १० रुपये पर मासिक रकम रुपये ८.७० पैसे हमेशा मिलती रहेगी।

स्टेट बैंक ऑफ इंदौर

प्रधान कार्यालय

५, यशवन्त निवास रोड़,

इन्दौर-४५२ ००३ (म० प्र०)

लोक जीवन ही बैंक जीवन

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष

सन् १९७९ अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारत में भी इस उपलक्ष में बच्चों के संरक्षण तथा पोषण के लिए अनेक योजनाएँ बनाई गई हैं। बच्चों को अपराधों से हटाकर अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए भी संसार भर में अनेक सर्वेक्षण किये गए हैं।

राष्ट्रीय योजना

भारत सरकार ने विश्व बाल वर्ष के लिए कार्य की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की है जिसे प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल बोर्ड ने अनुमोदित किया है। कार्य की राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र में विशिष्ट कार्यक्रम आरम्भ किये जाने हैं— १. स्वास्थ्य और पोषाहार, २. शिक्षा, ३. समाज कल्याण, ४. विधि-निर्माण, ५. प्रचार, ६. कोष निर्माण।

भारत में विश्व बाल वर्ष की मुख्य बात है "वंचित बच्चों को सुविधाएँ देना" और इसका तात्पर्य है कि इस वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गन्दी बस्तियों में आर्थिक तौर से कमजोर वर्ग के बच्चों पर अधिक जोर दिया जाए।

स्वास्थ्य और पोषाहार के कार्यक्रमों के अन्तर्गत निवारात्मक टीके लगाना, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएँ, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पोषाहार, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रशिक्षण और अनुसंधान हैं।

शिक्षा के क्षेत्र के कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूर्व-प्राथमिक और प्रारम्भिक शिक्षा कमजोर वर्गों के लिए स्कूल-पूर्व शिक्षा, सचल स्कूल, बाल साहित्य, अध्यापकों का प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए अभिस्थापना पाठ्यक्रम, विकलांग बच्चों की शिक्षा, पूर्व-व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सामुदायिक शिक्षा है।

समाज कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत श्रमजीवी महिलाओं के लिए कार्यक्रम दिवस देखरेख केन्द्र, शिशु केन्द्र, बालवाड़ियां, आंगनवाड़ियाँ तथा समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के कार्यक्रम हैं।

विधायी कार्यक्रमों के अन्तर्गत उन राज्यों में जहाँ अभी ऐसे कानून नहीं हैं, बाल अधिनियम बनाना, बाल अधिनियमों का लागू किया जाना, श्रम सम्बन्धी विधि-निर्माण

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

तथा अविवाहित व्यक्तियों के बच्चों के बारे में बराबरी के नियम तथा भेदभाव विरोधी कानूनों का बनाया जाना शामिल है।

प्रचार कार्यक्रमों के अन्तर्गत आकाशवाणी, दूरदर्शन, वृत्त-चित्र, समाचार पत्र, मुद्रित प्रकाशन तथा स्मारक डाक टिकटों और सिक्कों का जारी किया जाना है। प्रचार और सूचना कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक स्कूलों के बच्चों तथा गैर-स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय, जिला, राज्य, खंड स्तर की प्रतियोगिताएँ आदि हैं।

शिशु मृत्यु-दर : भयावह स्थिति

भारत में शिशु मृत्यु-दर १९११-१५ में २०४ प्रति हजार थी जो १९७१ में १२२ प्रति हजार हो गई। तो भी ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों में स्थिति अब भी भयावह है। ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु-दर १३१ प्रति हजार है जबकि नगरीय क्षेत्रों में ८१ प्रति हजार है। सामान्यतः यह देखा गया है कि भारत में शिशु-मृत्यु-दर का प्रतिशत घट रहा है। किन्तु आज भी कुछ विकसित देशों के मुकाबले में यह दर बहुत ऊँची है। आज भी ५ वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों की मृत्यु संख्या कुल मृत्यु संख्या का लगभग ५० प्रतिशत है। इसके मुख्य कारण टाइफाइड, निमोनिया आदि बताए जाते हैं। ये बीमारियां विशेषकर कुपोषण-ग्रस्त बच्चों को होती हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे बड़ी संख्या में पांच वर्ष का होने से पहले ही मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं।

यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे बच्चों में से १०-१५ प्रतिशत कैलोरी और प्रोटीन की अत्यधिक कमी के शिकार हैं और कभी भी काल का ग्रास हो सकते हैं।

नेशनल न्यूट्रिशन मानटरिंग ब्यूरो द्वारा किये गए सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि बच्चों में कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन ए और विटामिन बी काम्पलेक्स तथा आवश्यक एसिडों की कमी पाई जाती है। कैलोरी-प्रोटीन कुपोषण की समस्या शिशुओं, पूर्व स्कूल आयु के बच्चों, स्कूल जाने वाले बच्चों और किशोरों में अधिक देखने में आई है।

पोषण कार्यक्रम

बच्चों में, विशेषकर कमजोर वर्ग के बच्चों में कुपोषण की समस्या की गम्भीरता को अनुभव करते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना में एक समन्वित पोषण कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरक आहार कार्यक्रम, पोषण शिक्षा और विस्तार कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य आधारित पोषण कार्यक्रम आते हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जाते हैं। समाज कल्याण विभाग सभी राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमों में तालमेल बिठाता है। समाज कल्याण विभाग ने १९७१ में आदिवासी क्षेत्रों और नगरों की गंदी बस्तियों में ३ वर्ष से कम आयु के पूर्व-स्कूल बच्चों के लिए एक पोषण कार्यक्रम शुरू किया था। बाद में इसका विस्तार ३-६ वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी कर दिया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वितों को साल में औसतन ३०० दिन के लिए पूरक आहार दिया जाता है। पांचवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों द्वारा एक विशेष पोषण कार्यक्रम कार्यान्वित किया

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

गया। लगभग ५७ लाख ३० हजार व्यक्ति इस पूरक पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ उठा रहे हैं।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक अन्य पोषण कार्यक्रम वालवाड़ी पोषण कार्यक्रम है। यह कायक्रम १९७०-७१ में आरम्भ किया गया था। इसके अन्तर्गत ऐच्छिक संगठनों द्वारा संचालित वालवाड़ियों में आने वाले ३-५ वर्ष के बच्चों के लिए पूरक पोषण की व्यवस्था की जाती है।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य आधारित पोषण कार्यक्रम भी चल रहे हैं जैसे—विटामिन ए की कमी के कारण बच्चों में बढ़ती हुई नेत्रहीनता और कुपोषण के कारण उत्पन्न होने वाले 'एनीमिया' जैसे रोगों के विरुद्ध संचालित कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग ३ करोड़ ७० लाख व्यक्तियों को लाभ पहुँच रहा है।

सेवा की व्यवस्था

एकीकृत बाल विकास योजना के अन्तर्गत ०-६ वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए कल्याण सेवाओं तथा १५-४४ वर्ष की महिलाओं के लिए पोषण शिक्षा की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरक पोषण, रोग निरोधक दवाएं, स्वास्थ्य जांच, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा की एक साथ व्यवस्था की गई है। इस योजना के अन्तर्गत देश भर में ३३ प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित की जारही हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत २ लाख२७ हजार व्यक्तियों के पूरक पोषण की व्यवस्था है। आंगनवाड़ियों के माध्यम से १ लाख ३ हजार बच्चों को अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा दी जा रही है। १९७८-७९ में एकीकृत बाल विकास योजना के अन्तर्गत ६७ और केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं जो गाँव और आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे।

निराश्रित बच्चे

नगरीकरण के कारण भारतीय सामाजिक ढांचा बदल रहा है जिससे विशेषकर नगरों में बच्चों के निराश्रित हो जाने की समस्या भी बढ़ रही है। भारत सरकार १२ वर्ष की आयु के ऐसे बच्चों के लिए, जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, संस्थात्मक और गैर-संस्थात्मक सेवाएं संचालित करने के लिए राज्य-सरकारों और संघ-क्षेत्रीय प्रशासनों के माध्यम से अनुदान देती है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान सुविधाओं के विस्तार और अन्य संस्थाएं स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाता है। साथ ही पोष्य रक्षा सेवा के लिए भी व्यवस्था है। इतना ही नहीं, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कामकाजी और रोग ग्रस्त माताओं के बच्चों के लिए दिवा-रक्षा सेवाओं का भी प्रावधान किया गया है।

कुपोषण सबसे गम्भीर समस्या है। हालांकि निःशुल्क या कम दामों पर भोजन उपलब्ध कराना कुपोषण की समस्या के समाधान का दीर्घकालीन उपाय नहीं है, फिर भी इसे तब तक जारी रखना होगा जब तक कि समाज के दुर्बल वर्गों की क्रय-शक्ति में सुधार नहीं हो जाता। १९७८-८३ में पंचवर्षीय योजनाओं में गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में यह प्रस्ताव है कि विशेष पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत १० लाख अतिरिक्त व्यक्तियों और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ४० लाख व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया जाए। एकीकृत बाल विकास सेवा परि-योजनाओं में भी विशेष पोषण कार्यक्रम चलाया जाएगा ताकि पूर्व-स्कूल बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ पहुँच सके। पोषण कार्यक्रम के लिए १९७८-८३ की योजनावधि में १७४ करोड़ ५० लाख रुपए की व्यवस्था की गई है जबकि पांचवीं योजना १९७४-७९ में इसके लिए ११५ करोड़ ६७ लाख रुपए की व्यवस्था थी।

बाल अपराध

बालकों में अपराधवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के अन्दर बाल अपराधों पर नियन्त्रण के लिए ठोस योजना बनानी आवश्यक है।

भारत में बाल अधिनियम १९६० के अन्तर्गत वे लड़के और लड़कियाँ आती हैं जो क्रमश: १६ और १८ वर्ष से कम आयु की हैं परन्तु सामान्य रूप से इस उद्देश्य के लिए २१ वर्ष तक की आयु के बच्चों को बाल अपराधियों के अन्तर्गत समझा जाता है। यहाँ बाल अपराधों की दर १९७३ में जनसंख्या का १८ प्रति लाख थी, इसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उस वर्ष बाल अपराधों के कुल मिलाकर एक लाख मामलों की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें सन्देह नहीं कि इसके और भी अधिक मामले होंगे जो या तो मालूम नही पड़ सके या दर्ज नहीं कराए गए अथवा सूचित नहीं किए गए। फिर भी यह दर कनाडा के २०० से कहीं अधिक कम है। लेकिन चिंता इस बात की है कि भारत में बाल अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है।

दर्ज कराए गए बाल अपराधों के मामले

अपराध का नाम	दर्ज कराए गए मामले		
भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आने वाले अपराध	१९६९	१९७१	१९७३
हत्या	३२१	५२०	६५१
भगाना/अपहरण	१८५	२८८	३०१
डकैती	९६	१२२	३१७
लूटपाट	१४७	३१२	४५५
सेंधमारी	३,४१२	४,४७१	६,२५१
चोरी	६,४४५	१०,४२२	१४,६५४
झगड़ा-फसाद	८४५	१,७२९	३,५४१
आपराधिक न्यास-भंग	२४३	२१४	२५२
धोखाधड़ी	२३३	२२४	१९०
जालसाजी	—	२	—
विविध	६,७७६	८,५४२	९,८५७
योग	२१,७०३	२८,८४६	३६,४६९

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अपराधों की जड़ : बाल अपराध

बाल अपराधियों की उम्र इतनी नहीं होती कि वे उम्र के अनुसार सही और गलत के अन्तर को पहचान सकें। इस कारण वे किए गए अपराध के लिए कम उत्तरदायी समझे जाते हैं। एक निश्चित उम्र में कम आयु वाला अपराधी कानून की नजरों में बाल अपराधी माना जाता है। जबकि उस उम्र से अधिक आयु वाला अभियुक्त अपराधी माना जाता है। लेकिन बाल अपराधों से ही आगे चलकर बड़े अपराध होते हैं क्योंकि अधिकांशतः अपराधी जीवन की जड़ें बचपन में ही जमती हैं। देखा जाए तो अपराधी बनने की प्रक्रिया का जन्म बचपन की समस्याओं से होता है लेकिन धीरे-धीरे व्यक्ति पक्का अपराधी बन जाता है। अतः अपराधी को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि बाल अपराधियों को रोका जाए।

सरकारी तन्त्र

बाल अपराधों की समस्या बहुत गम्भीर है तथा सरकार इसके विकास और विस्तार को रोकने के लिए कुछ निश्चित उपाय कर रही है। बाल अपराध राज्यों का विषय है। केन्द्रीय बाल अधिनियम १९६० संघ क्षेत्रों पर ही लागू होता है, परन्तु इस अधिनियम को राज्यों ने भी अपना लिया है। बाल अधिनियम के अन्तर्गत बाल न्यायालय, बाल कल्याण बोर्ड, रिमांड, पर्यवेक्षण गृह तथा बाल अपराधों की रोकथाम और अपराधियों के सुधार के लिए विशेष प्रमाणित, अनुमोदित विद्यालय जैसी संस्थाओं की व्यवस्था है।

यह गम्भीर समस्या है और इस स्थिति को इतनी जल्दी और आसानी से नहीं बदला जा सकता।

बच्चों की अपराधी मनोवृत्ति दूर करने के लिए उन्हें शिक्षा तथा प्रेरणा देने वाले साहित्य की भारी जरूरत है। शिक्षा के बल पर उन्हें बुराइयों से दूर रखा जा सकता है।

बाल श्रमिक

बाल मजदूर गरीबी की ही देन है। हमारे देश में जहाँ ४० प्रतिशत से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी का जीवन जी रहे हों, वहाँ बच्चों का शोषण अपरिहार्य है। गरीब माता-पिता जो जीवन-निर्वाह का भार नहीं उठा सकते वे अधिक बच्चे होने की चिन्ता नहीं करते क्योंकि यही बच्चे उनके छोटे-मोटे काम-धन्धों या खेतों के कामों में हाथ बटाते हैं।

अधिकांश गरीब ग्रामीणों को शिक्षा से बहुत कम लाभ होता है। हमारी शिक्षा-प्रणाली में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की कमी के कारण गांवों और गन्दी बस्तियों दोनों में ही बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ-साथ गरीब लोग शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण असहाय बच्चों को काम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और उनका पढ़ाई करने का स्वप्न साकार नहीं हो पाता। इस तरह वे शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं।

संगठित क्षेत्र में बच्चों को रोजगार देना कानूनी रूप से निषिद्ध है परन्तु असंगठित क्षेत्र में बच्चों के अंधाधुन्ध शोषण को कौन रोक सकता है ? यह बुराई कस्बों और शहरों की अपेक्षा गांवों में अधिक फैल रही है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

यह समस्या कितनी विकराल है इसका पता आंकड़ों से मिलता है। देश के कुल बाल श्रमिकों का १५.२ प्रतिशत आन्ध्र प्रदेश में है। इसके बाद मध्य प्रदेश और उड़ीसा का स्थान आता है।

देश के कुल बाल श्रमिकों में से लगभग ८६.९ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, खेतीहर मजदूरों के रूप में मछलीपालन के व्यवसाय में काम कर रहे हैं। कुटीर उद्योगों, कालीन बुनने के काम में, बीड़ी बनाने, हथकरघा और बिजली-करघा कारखानों में बाल श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है।

असंगठित क्षेत्रों में बालश्रम प्रथा

भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में १.२० करोड़ से अधिक बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय श्रम आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि असंगठित क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की संख्या चौंका देने वाली है।

हमारे यहाँ बाल रोजगार अधिनियम, १९३८, फैक्टरी अधिनियम १९४८, खान अधिनियम १९५२, बागान अधिनियम १९५१ और दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियमों जैसे कई कानून हैं। इन सभी में कुछ श्रेणी के कार्यों में बच्चों को रोजगार देने पर प्रतिबन्ध का प्रावधान है।

तमिलनाडु के रामानाथपुरम् जिले में माचिस बनाने और आतिशबाजी के कारखानों में २०,००० और २८,००० के बीच बच्चे काम करते हैं। माचिस उद्योग में कुल श्रमशक्ति का ४० से ४५ प्रतिशत भाग बाल श्रम का है जिनमें लड़कियों और लड़कों का अनुपात ३ : १ है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार माचिस उद्योगों में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु के बच्चों से ५ या ६ वर्ष कम आयु और कभी-कभी इससे भी कम आयु के बच्चे काम करते हैं। इन बच्चों को ५० पैसे और २ रु० के बीच प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। बाल मजदूर नियत काम के धन्धों से प्रतिदिन ४.३० घंटे अधिक कार्य करते हैं। बच्चों को उनके घर से काम पर लाने और घर पहुँचाने वाली बसों में क्षमता से अधिक भीड़ होती है जिससे हर वक्त दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

अनिश्चित भविष्य

कारखानों, दुकानों, होटलों, रेस्तराओं, सड़क निर्माण, कृषि, सफाई आदि परम्परागत व्यवसायों में माता-पिता की सहायता करने या स्वयं कोई काम करने और शहरों में जूता पालिश करने जैसे कार्यों में लगे इन बच्चों का भविष्य कितना उज्ज्वल है? काम करने का चाहे कोई भी कारण हो इन बच्चों का विकास शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से शोषित नागरिकों के रूप में होता है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बड़े पैमाने पर बच्चों के स्कूल छोड़ने तथा सामाजिक शोषण की समस्याओं को एक अच्छी शिक्षा प्रणाली के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। इन बच्चों को औपचारिक शिक्षा देने में रेडियो तथा दूरदर्शन जैसे संचार माध्यम एक वरदान सिद्ध हो सकते हैं। अच्छा व सरल भाषा का बाल साहित्य व पत्र-पत्रिकाएँ भी बच्चों के मानसिक विकास में सहायक हो सकते हैं। बच्चों को भारतीय महापुरुषों, धर्म-ग्रन्थों तथा इतिहास की कथाएँ पढ़ने को दी जानी चाहिएं।

भारत सरकार ने फरवरी, १९७९ में बाल रोजगार के वर्तमान कानूनी और उन के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए सुझाव देने हेतु एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री, श्री एम०एस० गुरुपद स्वामी इस समिति के अध्यक्ष हैं। यह समिति देश में बाल श्रम के सभी आयामों का अध्ययन और नए क्षेत्रों में, जहाँ कानून खत्म हो गए हैं या नागरिकों के रोजगार को नियमित करने के लिए उन्हें लाग करने हेतु सुझाव देगी।

प्रत्येक बच्चे का स्वतंत्र शिक्षा प्राप्त करने, खेलने के सम्पूर्ण अवसर और मनोरंजन करने का जन्मसिद्ध अधिकार है।

गरीबी में

भारत में लगभग ९ करोड़ २० लाख बच्चे गरीबी की उस हालत में रहते हैं जिसमें जिन्दा रहना कठिन है। इनमें से ४ करोड़ ६० लाख बच्चे ६ साल तक की नाजुक आयु के हैं।

इस नाजुक आयु के ४ करोड़ ४० लाख बच्चे गांवों में रहते हैं और ९२ लाख शहरों में और २८ लाख कबीली पिछड़े इलाकों में।

भारत में हरिजन बच्चों की संख्या लगभग ३ करोड़ ३५ लाख है।

भारत में परिगणित जातियों के बच्चों की संख्या लगभग १ करोड़ ५९ लाख है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Best

Compliments

From :

Bharat Refractories Limited

(*A Government of India Enterprise*)

The first Public Sector Enterprise

in the Refractory Industry.

Registered Office :

56, SECTOR IV-B, POST BAG No. 1

BOKARO STEEL CITY-827001

Gram : REFRA

Phone : BS City 7028

Telex : 068-213

Works :

1. Bhandaridah Refractories Plant
   Bhandaridah-829132
   Bihar
   Gram : REFRA
   Phone : BS City 6848 & 6478
   Bermo 51

2. Ranchi Road Refractories Plant
   Marar-825117
   Bihar
   Gram : SILIMANITE
   Ramgarh Cantt.
   Phone : 120
   Ramgarh Cantt.

3. Bhilai Refractories Plant
   Bhilai-490001
   Madhya Pradesh
   Phone : 23-Durg PBX
   Telex : 0715-289

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अन्त्योदय कार्यक्रम

जनता सरकार ने गांवों की दरिद्रता दूर करने की दृष्टि से अनेक ग्रामोन्मुखी योजनाएँ चालू कीं। इनमें 'अन्त्योदय कार्यक्रम' विशेष उल्लेखनीय है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक गांव के निर्धनतम परिवारों का चयन करके, उनकी आर्थिक तथा सामाजिक दशा को सुधारना है। सबसे पहले राजस्थान सरकार ने दो अक्तूबर १९७७ को गांधी जयन्ती के अवसर पर इस कार्यक्रम का श्रीगणेश कर अन्य राज्यों के लिए आदर्श उपस्थित किया था। उसके अगले वर्ष २ अक्तूबर १९७८ को उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश ने भी अपने यहाँ अन्त्योदय कार्यक्रम शुरू कर दिए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री बनारसीदास, राजस्थान के श्री भैरोंसिंह शेखावत, मध्यप्रदेश के श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा तथा हिमाचल प्रदेश के श्री शान्ताकुमार ने स्वयं इस कार्यक्रम में रुचि लेकर गांव-गांव जाकर गरीबों की सहायता कराकर आदर्श उपस्थित किया।

अन्त्योदय का अर्थ है, समाज में आर्थिक पंक्ति के अन्तिम व्यक्ति का विकास। अतः ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीन मजदूर, सीमांत कृषक एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर का सुधार हो इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसके कार्यान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त वर्तमान बेरोजगारी दूर होगी और सामाजिक असमानता में कमी आयेगी। योजना के अन्तर्गत गरीब से गरीब व्यक्ति को निर्धनता से उबारने के लिए उसे जीवन-यापन के आवश्यक साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। ताकि समाज का अब तक का उपेक्षित वर्ग भी विकास की उपलब्धियों से अछूता न रहे।

परिवारों के चयन में प्रथम प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाती है जिनके पास कोई स्थायी साधन न हो, न उनके पास भूमि हो, न पशुधन। द्वितीय प्राथमिकता के अन्तर्गत वे परिवार आते हैं जिनके पास भूमि या पशुधन तो नहीं है परन्तु उस परिवार में एक या दो व्यक्ति मजदूरी करते हैं और इस प्रकार की मजदूरी से पांच व्यक्तियों के औसत परिवार के लिए दो हजार रुपये वार्षिक तक की आय उस परिवार की होती है। परिवारों का यह वर्ग भूमिहीन श्रमिकों और कुछ ग्रामीण हस्तशिल्पियों आदि का है। तृतीय प्रकार के परिवार वे परिवार हैं जिनके पास ०.४०४ हेक्टेयर तक सिंचित भूमि या एक हेक्टेयर तक असिंचित भूमि है परन्तु वे निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं अर्थात उनकी वार्षिक आय दो हजार रुपये से अधिक नहीं है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

परिवारों का चयन

परिवारों का चयन ग्रामसभा की बैठक में किया जाता है। सम्बन्धित संसद सदस्यों एवं विधायकों से भी प्रार्थना की जाती है कि वे गांव सभाओं की बैठकों में उपस्थित होकर परिवारों के चयन में सक्रिय सहयोग दें। प्रत्येक गांव सभा में कार्यक्रम के प्रथम चक्र में अभी केवल ५ परिवारों का ही चयन किया जा रहा है। चयन बैठक का पूरा विवरण कार्यवाही रजिस्टर पर अंकित किया जाता है। योजना की सफलता के लिए शासन गांवों के प्रत्येक वर्ग के सहयोग की अपेक्षा करता है।

अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत यह भी ध्यान रखा जाता है कि चुने गए परिवारों को उनके मेल खाते हुए रोजगारों में ही लगाया जाय, ताकि वे उसमें पर्याप्त रुचि ले सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अन्त्योदय के अन्तर्गत विविध कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है जैसे—दुधारू पशु, बकरी और भेड़ पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सूकर पालन, डनलप बैल गाड़ियां, रिक्शा, हस्तकरघा, कोल्हू चलाना, लघु उद्योगों, घोड़े से चलित खड़खड़ा, हाथ ठेला, टोकरी बनाना, तेलघानी, सिंचाई की मशीन एवं बुनाई की मशीन, अल्प सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराना आदि।

इन कार्यक्रमों पर अधिकतम ऋण ५ हजार रुपये तक ४ प्रतिशत व्याज की दर से एक परिवार के लिए स्वीकृत किया जाता है तथा शासन की ओर से इसका ५० प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है। यह ऋण अन्त्योदय परिवार द्वारा अधिकतम ८ वर्षों के अन्दर आसान किश्तों में वापस किया जाता है। ऋण प्रदान करने के लिए किसी भी अन्त्यो-दय परिवार से जमानत ली जाती है।

उत्तर प्रदेश में प्रगति

उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ३० जून, १९७९ तक ३, ७३, ३९८ अन्त्योदय परिवारों का चयन किया गया है। प्रदेश में जून १९७९ तक लाभान्वित परिवारों की संख्या ५३,३२५ है जिनमें २१,२०९ परिवार केवल अनुसूचित जाति जनजाति के हैं। राज्य सरकार ने अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत ग्राम क्षेत्र के निर्धन परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से जून १९७९ तक २०.५२ करोड़ रुपये की धनराशि ऋण अनुदान के रूप में स्वीकृति की जिसमें से १२.५७ करोड़ रुपए की धनराशि १,२६,३५४ परिवारों को योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के रूप में वितरित की गई।

अन्त्योदय योजना में राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी योगदान रहा तथा उनके माध्यम से प्रदेश में २.९७ करोड़ रु० ऋण दिया गया। बैंक द्वारा सर्वाधिक ऋण १.५० करोड़ रुपया मेरठ मण्डल में वितरित हुआ।

अन्त्योदय के क्षेत्र में अभी तक गोरखपुर मण्डल प्रथम तथा फैजाबाद एवं वाराणसी क्रमशः द्वितीय ओर तृतीय रहे। जनपद स्तर पर गोंडा, आजमगढ़ तथा बस्ती का क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय रहा।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

राजस्थान में ऋण

राजस्थान में समस्त अन्त्योदय परिवारों को कृषि के लिए भूमि आवंटित की गई है। इनमें से ४ प्रतिशत परिवारों को ३ बीघा, ७२ प्रतिशत परिवारों को ५ बीघा, ६ प्रतिशत को ६ बीघा, १० प्रतिशत को ७ बीघा और ८ प्रतिशत को १० बीघा भूमि आवंटित की गई है।

राजस्थान के एक क्षेत्र के सर्वेक्षण के अनुसार निम्न परिणाम सामने आए हैं :—

ऋण ग्रस्तता : कुल ५० अन्त्योदय परिवारों में से ८६ प्रतिशत योजना में चयन से पूर्व ऋणी थे। अधिकांश परिवारों ने साहूकारों से ऋण ले रखा था। २० प्रतिशत परिवार ही ऐसे थे जिन पर १००० रुपये से कम ऋण-भार था। शेष ६६ प्रतिशत परिवार इससे अधिक ऋण के बोझ से लदे थे। योजना में चयन से पूर्व ऋणी परिवारों पर ऋण की औसत राशि २,६३५ रुपये थी। इन परिवारों ने औसतन ३,६६० रुपये अनुदान की मांग की ताकि ये परिवार न केवल ऋण-मुक्त हो सकें अपितु भविष्य में निश्चित होकर पशु पालन तथा अन्य धन्धों से जीवन-निर्वाह कर सकें।

काम के बदले अनाज : इस योजना में इन परिवारों की एक-तिहाई महिलाएँ जो काम करने के योग्य हैं. काम पर लगी हुई थीं। इसी तरह लगभग ४० प्रतिशत कार्य करने योग्य पुरुष इस योजना का लाभ उठा रहे थे। इस प्रकार इस योजना के माध्यम से इन परिवारों के सदस्यों की काम करने की दशा में सुधार लाया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अन्त्योदय कार्यक्रम से विशेष रूप से हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग के लोग लाभान्वित हुए हैं। वयोवृद्ध पत्रकार लाला जगतनारायण आदि ने स्वयं ग्रामों का निरीक्षण कर इस कार्यक्रम की सराहना की।

मुख्यमन्त्री श्री शान्ताकुमार तथा मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्यों की इस कार्यक्रम में अत्यधिक रुचि है। गरीब परिवारों को पशु पालन, ऊन, लघु उद्योगों आदि से रोजगार प्राप्त हुआ है।

यदि इसी प्रकार के कार्यक्रम तमाम देश में लागू किये जाएं तो निश्चित ही गांवों की दरिद्रता को चरणबद्ध रूप से दूर करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

डाक घर बचत बैंक-जनता का अपना बैंक

आज ही पास के डाक घर में बचत खाता खोलिये।

अधिकतम व्याज, चैक की सुविधा के साथ व्याज की दर ५%

स्थानांतरण, नामांकन की मुफ्त में सुविधाएं

इनामी प्रोत्साहन-योजना के अन्तर्गत ३२.५० लाख रुपयों के ११११६ इनाम।

अन्य अल्प बचत योजनाएं

डाकघर सावधि खाते, राष्ट्रीय विकास बांड, विविध राष्ट्रीय बचत पत्र

लोक भविष्य निधि खाते-आदि

पिन कोड का उपयोग करें

भेजे जाने वाले पत्रों के पतों में पिन कोड लिखना पत्रों के शीघ्र संचारण तथा वितरण में सहायक है।

वितरण कार्यालय का पिन कोड पास के डाक घर में प्राप्त करें।

पिन कोड वाले पत्र विशेष पत्र पेटियों में डालने पर उनका संचारण शीघ्र डाक सेवा के अन्तर्गत किया जाता है।

शीघ्र डाक सेवा के लिए पत्रों पर पिन कोड लिखना तथा निर्धारित पत्र पेटियों में डालना आवश्यक है।

डाक जीवन बीमा

केन्द्रीय, राज्य, रेलवे, स्वायत्त संस्थाएं, विश्वविद्यालय एवं स्टेट बैंक

कर्मचारियों के लिये सबसे उत्तम, सस्ता एवम् सुलभ बीमा !

कम प्रिमियम, अधिक बोनस,

प्रिमियम की कटौती वेतन से

अतिरिक्त प्रिमियम के बिना ही युद्ध जोखमों के प्रति संरक्षण, ऋण, सरेंडर, परिवर्तन, नामांकन, असाईनमेंट आदि की सुविधाएं पालिसीज तथा ऋण पत्रों पर स्टॅम्प ड्यूटी से मुक्ति

प्रिमियम की राशि पर आयकर से मुक्ति

नवीनतम बोनस की दरें : रु. ३३/- प्रति हजार—आजीवन बीमा
रु. २५/- प्रति हजार—मियादी बीमा

सम्पर्क साधियें।

सहायक डाक महाध्यक्ष, डाक जीवन बीमा
डाक महाध्यक्ष म० प्र० परिमण्डल भोपाल
फोन नं० : ६३००१/१९ या २०
या पास के डाक अधीक्षक के कार्यालय से

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

विदेशों में भारतवंशी

संसार के अनेक देशों में भारतवंशियों की संख्या एक-दो से लेकर लाखों तक विद्यमान है। इतिहास के इस अध्याय का प्रारंभ उन दिनों हुआ जब भारत में अंग्रेजी राज चल रहा था। भारत के बाहर अंग्रेजों के अनेक उपनिवेश थे और भारत से सम्पर्क के बाद अंग्रेजों ने यह जाना कि भारतीय कितने कर्मठ, परिश्रमी, ईमानदार और निष्ठावान होते हैं। भारत के लोगों को कृषि की विशेष जानकारी और इस क्षेत्र में विशेष रुचि थी। यही कारण था कि अंग्रेजों ने संसार के विभिन्न देशों में भारतीय कृषक मजदूरों को ले जाकर अपने आर्थिक साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया।

इसी क्रम में आज से लगभग १५० वर्ष पहले भारतवंशी मारीशस, फिजी, गयाना, त्रिनिदाद, जमेका, सूरीनाम आदि देशों में गए और आज ये सभी देश संसार के उन्नतशील देशों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। इन देशों के निर्माण में इन भारतवासियों के पुरखों का खून-पसीना लगा है और इन्हें ये भारतवासी अपना देश मानते हैं। इन्हें अपने परिश्रम, अपनी प्रतिभा, अपनी पूंजी लगाकर सजाते-संवारते हैं और यह प्रयास करते हैं कि उनके देश को विश्व समुदाय में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो।

बर्मा

अंग्रेजों के शासन काल में बर्मा, श्रीलंका एवं मालद्वीप भारत के ही अंग थे। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थों को ध्यान में रखकर बर्मा एवं श्रीलंका को भारत से अलग कर दिया। १५ अगस्त, १९४७ को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय बर्मा में सैंकड़ों वर्ष से बसने वाले हजारों भारतीयों को यह पता नहीं था कि बर्मा भारत से अलग हो गया और उन्हें नागरिकता के लिये पुनः कोई कार्यवाई करनी होगी। मध्य बर्मा के बहुत बड़े भाग के जंगलों एवं दलदल को खेती योग्य बना कर उसमें गन्ना और धान की खेती प्रारंभ करने वाले बिहार के हजारों अशिक्षित मजदूर नागरिकता विहीन हो गये। अनेक भारतीय बर्मा में दुकादार, साहूकार और उद्योगपति थे पर धीरे-धीरे सरकार की विभेदकारी नीति के फलस्वरूप उन्हें सभी कामों से वंचित होना पड़ा।

१९६३ में बर्मा सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाने के बाद उक्त भारतीयों का वहां से हटना शुरू हो गया। अप्रैल, १९६३ से ३१ दिसम्बर १९७८ के बीच २ लाख ११ हजार भारतीय भारत लौटे। उनमे से अधिकांश के दक्षिण भारत में रिश्तेदार आदि थे और उनके पूर्वज वहीं से गए थे, अतः उनके पुनर्वास में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। भौगोलिक समीपता से भी सुविधा हुई।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भारतीय मूल के १ लाख २० हजार से १ लाख ५० हजार तक लोगों को वर्मा स्थित अपनी उस सम्पत्ति का मुआवजा मिलेगा जिसका १९६३ और १९६५ के बीच वर्मा सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर लिया था।

वर्मा सरकार ने एक क्षतिपूर्ति आकलन बोर्ड का गठन कर दिया है। अनुमान है कि डेढ़ लाख लोगों में से, जिन पर क्षतिपूर्ति की घोषणा लागू होगी, एक लाख लोग अभी वर्मा में ही हैं।

वर्मा सरकार ने १९६३ तथा १९६५ में थोक व्यापार तथा फुटकर कारोवार एवं उद्योग-धन्धों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इससे लगभग ४ लाख प्रवासी भारतीय प्रभावित हुए थे। इनमें से तीन-चौथाई भारत आ चुके हैं।

श्रीलंका

श्रीलंका में १८४० से तमिलभाषी भारतीय जाने लगे थे, तब वह भी ब्रिटेन के आधीन था। धीरे-धीरे वहां भारतीयों की संख्या काफी बढ़ गई। ये लोग मजदूर, ड्राईवर, व्यापारी, दर्जी, स्वर्णकार आदि विभिन्न व्यवसायों में काम करते थे। १९४८ में लंका के स्वाधीन होने पर इन लोगों ने लंका की नागरिकता लेने की कोशिश की, पर विफल रहे।

१९६४ के भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत १ जनवरी १९७८ तक श्रीलंका से भारत आने वाले प्रत्यावासियों की संख्या ९२,८०१ थी। १९७० में भारतीय तथा श्रीलंका की नागरिकता के लिए अन्तिम तिथि निश्चित किये जाने के पश्चात् प्रथम दो वर्षों की लगभग १९०० की औसत और आगामी दो वर्षों की ७००० की औसत में और वृद्धि हो गई।

श्रीलंका में सितम्बर १९७७ में तमिल मूल के लोगों पर आक्रमण कर उनकी सम्पत्ति लूटी गयी। विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार इन दंगों में १३१ व्यक्ति मारे गए जिनमें तमिल भी शामिल हैं और सम्पत्ति की हानि तो करोड़ों रुपये की हो सकती है।

उन भारतीय राष्ट्रिकों अथवा भारतीय मूल के व्यक्तियों को, जिन्होंने भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत भारत में प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन कर रखा था, जो क्षति पहुंची है उनके मुआवजों के दावों को श्रीलंका सरकार के साथ उठाया गया। ऐसे मामलों में पर्याप्त मुआवजा दिए जाने का सरकार को आश्वासन दिया गया।

श्रीलंका के विश्वविद्यालय में हिन्दी पढ़ाने की समुचित व्यवस्था की गई है। अनेक छात्र-छात्राएं बी० ए० स्तर तक हिन्दी का ज्ञानार्जन यहां करते हैं और सिंघली भाषा तथा हिन्दी में बहुत कुछ साम्य भी है।

बंगला देश

१५ अगस्त, १९४७ को अंग्रेजों ने भारत की स्वाधीनता के साथ-साथ देश का विभाजन भी कर दिया। भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण हो गया। असम प्रदेश के मुस्लिम बहुल सिलहट जिले में जनमत संग्रह कर

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

उसे तो पूर्वी पाकिस्तान में मिला दिया गया परन्तु चटगांव क्षेत्र में हिन्दुओं की मांगों के बावजूद जनमत संग्रह नहीं कराया गया और उसे भी पूर्वी पाकिस्तान में ही रहने दिया गया। २२ जुलाई, १९४७ में भारत के विभाजन के लिए श्री लार्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि पाकिस्तान और भारत अपने-अपने क्षेत्रों के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे।

पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण होते ही अल्पसंख्यक हिन्दुओं की स्थिति खराब होने लगी। भारत में धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाली कांग्रेस सरकार ने सभी जातियों एवं सम्प्रदायों को एक दृष्टि से देखने का निश्चय किया और अल्पसंख्यक समाज को सभी प्रकार की सुविधायें दी गईं। परन्तु पाकिस्तान में इस्लामी गणराज्य घोषित होने के कारण अल्पसंख्यकों को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा और उनका जीवन दूभर कर दिया गया। १९५० में पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दुओं का भीषण नरसंहार हुआ और लाखों की संख्या में उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत के तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल के दृढ़तापूर्ण रवैये के फलस्वरूप ८ अप्रैल १९५० को नेहरू लियाकत समझौते पर दिल्ली में हस्ताक्षर हुए जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। इस समझौते के बावजूद अगले दस वर्षों में अल्पसंख्यकों की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती गई। १९६४ एवं १९६८ में हुए दंगों में हजारों हिन्दू हताहत हुए।

१९७१ में पूर्वी पाकिस्तान मुक्त होकर बंगला देश के रूप में सामने आया। इस मुक्ति आंदोलन में अल्पसंख्यक हिन्दुओं ने अत्यधिक यातनाएं सहीं और अनेक प्रमुख व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया। इस आंदोलन में शहीद हुए लोगों में अल्पसंख्यक हिन्दुओं की संख्या बहुत अधिक थी। लगभग एक करोड़ हिन्दू अपनी सारी सम्पत्ति गवां कर भारत के शरणार्थी शिविरों में रहे। बंगला देश १६ दिसम्बर, १९७१ को स्वतंत्र हुआ। परन्तु इसके बावजूद हिन्दुओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जो शरणार्थी वापस गये उन्हें न तो अपनी पुरानी सम्पत्ति वापस मिली और न उन्हें विदेशों से आई हुई सहायता ही पहुंच पाई। ढाका स्थित प्रख्यात काली के मंदिर के पुनर्निर्माण के अनुरोध को सरकार ने न केवल अस्वीकार किया बल्कि उस मैदान से उसका नामो निशान ही मिटा दिया गया।

बंगला देश मुक्त होने पर शेख मुजीब उररहमान के नेतृत्व में जो संविधान बनाया गया उसमें धर्मनिरपेक्ष शासन की कल्पना की गई। अगस्त १९७५ में शेख मुजीब की हत्या के बाद जो सैनिक शासन पदारूढ़ हुआ उसने धर्मनिरपेक्ष संविधान को रद्द कर 'इस्लामी गणराज्य' की घोषणा कर दी।

बंगला देश में निर्वाचित सरकार होने के बावजूद हिन्दुओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

'पूर्वी पाकिस्तान' में वर्ष १९५१ में मुसलमानों की संख्या ३ करोड़ २२ लाख २७ हजार थी जो बंगला देश में १९७४ में बढ़कर ६ करोड़ १० लाख ४९ हजार हो गई। इसी

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अवधि में हिन्दुओं की संख्या ९७ लाख ५ हजार से बढ़कर केवल एक करोड़ चार लाख ४९ हजार हुई। अगर इस कालखंड में अल्पसंख्यक समाज का व्यापक धर्मान्तरण नहीं हुआ होता, उनका नरसंहार न हुआ होता तो हिन्दुओं की संख्या डेढ़ करोड़ से अधिक ही होती। अप्रैल १९७९ में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने बंगला देश की सरकारी यात्रा के अवसर पर स्पष्ट शब्दों में बंगला देश की सरकार से यह मांग की थी कि "वहां ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाये ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को अपने पैत्रिक निवास को छोड़कर भारत न जाना पड़े।"

मलयेशिया और सिंगापुर

मलयेशिया और सिंगापुर की जनसंख्या में भी भारतीयों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन क्षेत्रों में सदियों से ही भारतीय आते-जाते रहे हैं। मलयेशिया में करीब ८ लाख ७७ हजार भारतमूल के लोग हैं। उनमें ५० प्रतिशत सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेलवे, नगरपालिकाओं आदि में कार्यरत हैं।

सिंगापुर में भी भारतीय काफी अर्से से रहते हैं। इनकी कुल आबादी १७,१२,६०० है। उनमें से अधिकतर व्यापार में लगे हैं।

मारीशस

मारीशस और फिजी में भारतवासियों के कारण भारत का छोटा रूप ही विकसित हो गया है। बम्बई से लगभग २४०० मील दूर, हिन्द महासागर का यह द्वीप ऐसा स्थान है, जहाँ भारतीय परम्पराएं, हिन्दू धर्म और हिन्दी भाषा जीवन्त रूप में विद्यमान है। मारीशस में भारत के मजदूर १८३५ से जाने शुरू हुए। उनके जाने का उद्देश्य यूरोपियों के गन्ने के बड़े-बड़े खेतों पर मजदूरी करना था। १८४० तक वहाँ १८,५०० भारतीय मजदूर पहुंच गए। उनके पहुंचने के साथ ही मारीशस में चीनी का उत्पादन बढ़ा और सम्पन्नता बढ़ने लगी। ठेके पर आने वाले मजदूर 'गिरमिटिया' कहलाते थे। वे कालाँतर में वहीं बस गए और खेती करने लगे। कुछ व्यापारी वहां पहुंचे। भारतीयों ने अपनी पूजा-अर्चना के लिए मन्दिर बनाये और अपनी संस्कृति को कायम रखते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। ज्यादातर मजदूर बिहार से गए, अतः वहाँ की मुख्य भाषा भोजपुरी हो गई, पर गुजराती और तमिल-भाषी भारतीय भी वहां पहुंचे। अब वहां के स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। वहां के बच्चे प्रेम से हिन्दी पढ़ते हैं। रात में लोग रामायण-महाभारत की कथा सुनते हैं। १९७३ में मारीशस में मानस शताब्दी अत्यन्त समारोह के साथ मनाई गई। मारीशस की कुल आबादी ८.५० लाख है, उनमें से करीब ६८ प्रतिशत भारतवंशी हैं। सभी भारतवंशियों ने मारीशस की नागरिकता ले रखी है। १९७३ में मारीशस में अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महा सम्मेलन सम्पन्न हुआ था। जिसमें भारत व विश्व के अन्य देशों के आर्यसमाजियों ने भारी संख्या में भाग लिया था।

जुलाई १९७६ में अफ्रीकी एकता संगठन का अधिवेशन मारीशस में हुआ, जिसमें वहाँ के प्रधानमंत्री श्री शिवसागर रामगुलाम अध्यक्ष बनाये गए। २८ अगस्त ७६ को

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित हुआ जिसकी अध्यक्षता भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थय मन्त्री डा० कर्णसिंह ने की, तथा उदघाटन श्री रामगुलाम ने किया। उसी के बाद सितम्बर में राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलन भी सम्पन्न हुआ।

१९७६ में हुए नए चुनावों के बाद मारीशस के प्रधानमन्त्री पद पर पुनः डा० शिवसागर रामगुलाम का चुना जाना भारतवंशियों के लिए गर्व की बात है।

इस वर्ष १९७९ में सूर पंचशती के अवसर पर मारीशसवासियों ने विशेष उत्साह के साथ अनेक आयोजन किए और इस क्षेत्र में सरकारी-गैरसरकारी संस्थाओं तथा पूरे समाज का सहयोग इस व्यापक सांस्कृतिक कार्यक्रम को मिला। पंचशती समारोह के अवसर पर कई प्रकार की प्रतियोगिताएं हुईं और उनमें से कुछ चुने हुए लोग इस अवसर पर भारत भी आए।

फिजी

आस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में फिजी द्वीप समूह में भारतवंशी बड़ी संख्या में रहते हैं। यह देश १० अक्तूबर १९७० को स्वाधीन हुआ। पहले यह ब्रिटेन के अधीन था। मारीशस की भांति यहां भी भारतीय गन्ने के खेतों में मजदूरों के रूप में काम करने गए। १८७० के बाद मजदूर वहां जाने लगे। १९१७ तक ६३,००० भारतीय मजदूर वहाँ पहुंच गए। उसमें से करीब एक तिहाई वापस लौट आए, शेष वहीं बस गए और खेती करने लगे। फिजी में करीब डेढ लाख एकड़ भूमि में गन्ने के खेत हैं। ये लगभग सभी भारतवंशियों के हैं। फिजी की कुल जनसंख्या करीब ५ लाख ६७ हजार है। भारतीयों की संख्या लगभग तीन लाख है। कृषि के अलावा भारतीय व्यापारियों ने छोटी दुकाने भी खोली, जिन पर परचून का सामान बिकता है। शाम को भारत की तरह यहां भी मन्दिरों में घंटियाँ बजती हैं, भजन और आरती गूंजती है। शुरू में यहां भी योरोपीय भू-स्वामियों ने भारतवंशियों पर अत्याचार किए और उनके प्रति गुलामों का सा व्यवहार किया। भारतवंशियों ने प्रतिकार के लिए जोरदार आन्दोलन किया। पहले अंग्रेजी शासकों ने भारतवंशियों पर जमीन खरीदने पर भी रोक लगा रखी थी, पर स्वाधीन फिजी में भेदभाव नहीं है।

सम्पूर्ण फिजी के स्कूलों में चौथी कक्षा तक शिक्षा का माध्यम हिन्दी है। उसके ऊपर की कक्षाओं में हिन्दी का अध्ययन एक विषय के रूप में होता है। विश्वविद्यालय में भी हिन्दी पढ़ाई की व्यवस्था है। संसद में भी हिन्दी स्वीकृत भाषा है।

दीवाली फिजी का राष्ट्रीय पर्व है। होली, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रक्षाबन्धन, दशहरा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है।

गुयाना

दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना में भी भारतीय शुरू में मजदूरों के रूप में गए थे, जबकि गुलामी की प्रथा समाप्त हो जाने के बाद, अफ्रीकियों द्वारा काम करने से इन्कार

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कर देने के बाद बागों के मालिकों को मजदूरों की जरूरत हुई। ये मजदूर भी इकरारनामे के अन्तर्गत वहां गए और बाद में वहीं बस गए। ये लोग तटवर्ती क्षेत्रों में धान की खेती करने लगे और आजकल गुयाना का पूरा चावल उद्योग इन्हीं के हाथों में है। गुयाना की करीब पौने सात लाख की आबादी में करीब चार लाख भारतवंशी हैं। इस प्रकार वे कुल जनसंख्या के ६८ प्रतिशत हैं। उनपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कुछ अर्से तक भारतवंशियों के मजदूर नेता श्री छेदी जगन यहां के प्रधानमन्त्री रह चुके हैं, पर कुचक्र के कारण उन्हें पद से हटना पड़ा। सभी भारतवंशी गुयाना के नागरिक हैं।

गुयाना के विश्वविद्यालय में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था की गई है और भारत सरकार की ओर से वहाँ एक प्राध्यापक भी भेजा गया है।

निकटवर्ती सूरीनाम एवं ट्रिनीदाद टौबैगो देशों में भारतवंशी बहुमत में हैं। यहाँ भी वे गन्ने के खेतों में काम करने के लिए शर्तबन्दी मजदूरों के रूप में लाए गए थे।

पूर्वी अफ्रीका

तंजानियाँ, कीनिया और उगांडा में भी भारतीय काफी अर्से से हैं। स्वयं वास्को-डिगामा ने मोम्बासा और पूर्वी अफ्रीका के अन्य तटवर्ती नगरों तथा जंजीबार में भारतीयों के होने का उल्लेख किया है। भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी अफ्रीका के बीच जहाजों का आना जाना काफी समय से होता रहा। कीनिया और उगांडा में रेलवे के निर्माण में मुख्य योग भारतीयों का रहा है। उगांडा के वर्तमान सैनिक राष्ट्रपति भले ही पिछला इतिहास भूल जायं, पर यह सप्रमाण सिद्ध है कि भारतीय मजदूरों के बिना वहाँ रेलवे लाइन नहीं बिछती। १८९६ में ३४० भारतीय मजदूरों का पहला दल मोम्बासा आया था। कुछ ही वर्षों में यह संख्या बढ़कर ३२,००० तक पहुंच गई। रेलवे लाइन पूरी हो जाने के बाद करीब ६००० मजदूर वहीं बस गए और कारीगर, खाती, सर्वेक्षक, क्लर्क आदि के काम में लग गए। करीब २००० भारतीय रेलवे में ही लग गए। रेलवे के निर्माण में भारतीयों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। बीहड़ जंगलों में स्थित शिवरों में से अनेक मजदूरों को नरभक्षी जानवर उठा ले जाते थे। अनेक मजदूर मलेरिया और अन्य भयंकर रोगों के शिकार हो जाते थे।

रेलवे लाइन के बिछने के साथ ही पूर्वी अफ्रीका के आन्तरिक भाग में वे फैलते चले गए। स्टेशनों के पास धीरे-धीरे छोटी-छोटी दुकानें खोली गईं और कुछ समय बाद सारा फुटकर व्यापार भारतीयों के हाथों में आ गया। भारतीयों ने दूर-दूर के इलाकों में दुकानें खोलकर आम अफ्रीकियों को रोजमर्रा की चीजें उपलब्ध कीं। ब्रिटिश अधिकारियों ने भी भारतीयों के हौसले की दाद दी और नई जगह बस्ती बसाते ही वे भारतीयों को दुकानें खोलने के लिए आमन्त्रित करते। जंजीबार के एक भूतपूर्व वाणिज्य दूत ने एक बार स्पष्ट रूप से कहा था कि पूर्वी अफ्रीका में भारतीयों की बदौलत ही अर्थ-व्यवस्था चल रही है। भारतीय ही मूल्यों का उचित स्तर कायम रखने में मदद करते हैं, क्योंकि वे कम मुनाफा लेकर चीजें बेचते हैं। यूरोपीय प्रवासियों में भारतीयों के प्रति द्वेष जागने लगा। उनके

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

स्टोर भारतीयों के मुकाबले कम ग्राहक आकर्षित करते थे और दूर-दराज के इलाकों में जाने से कतराते थे, पर भारतीय दुकानदार सुबह ७ बजे से देर रात तक दुकान पर जुटा रहता था। उसकी जरूरतें कम थीं, अतः कम मुनाफा लेता था।

इसके साथ ही पूर्वी अफ्रीका में बड़े-बड़े व्यापारी भी जम गए और उन्होंने खूब धन अर्जित किया। उगाण्डा में उद्योग के रूप में कपास को प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी भारतीयों को है। अंग्रेजों के वहां जाने के पूर्व कपास की उल्लेखनीय खेती वहां नहीं होती थी। १९०३ में ब्रिटिश सरकार ने भारत से कपास के बीज मंगाकर बांटे और थोड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। शीघ्र ही भारतीयों ने उसमें रुचि लेनी शुरू की और कपास ओटने के केन्द्र बनाये। १९२४ में इस तरह के १६४ केन्द्रों में से १०० से अधिक भारतीयों के थे। निर्यात के लिए ६८ प्रतिशत रुई भारतीय फर्में भेजती थीं और केवल ८ प्रतिशत यूरोपीय फर्में। धीरे-धीरे यह काम काफी चल निकला तब अफ्रीकियों ने शिकायत की कि भारतीय कपास का कम दाम देते हैं। इस पर कपास का न्यूनतम भाव निश्चित करने के लिए कार्यवाही की गई, पर जाँच से पता चला कि कुछ मामलों को छोड़कर किसानों को उचित दाम ही दिया जा रहा है।

उगांडा में उद्योग के रूप में चीनी को जमाने का श्रेय भी भारतीयों को है। पहला चीनी कारखाना १९२३ में नानजी कालीदास मेहता ने लुगाजी में लगाया था। अब भी उगाँडा में काफी मालदार भारतीय हैं। एक अनुमान है कि माधवानी उद्योग-समूह की वर्तमान लागत उगांडा के कुल बजट का एक चौथाई है। उधर तंगानिका में भारतीय फैल गए। वहाँ की प्रमुख फसल सीसल उगाने में भी उनका एकाधिकार हो गया। भारतीयों का महत्व इतना बढ़ गया कि द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद यह प्रस्ताव रखा गया कि ताँगानिका को केवल भारतीयों के लिए सुरक्षित कर दिया जाय, पर भारतीयों ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया।

१५ अगस्त १९७२ से दिसम्बर १९७८ की अवधि के दौरान १३,९२७ प्रत्यावासी उगाँडा से भारत आये। उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित करके निकाल दिया गया तथा उनकी सम्पत्ति व यहाँ तक कि आभूषण आदि भी जबरदस्ती छीन लिए गए।

इसी प्रकार मोजाम्बिक से लगभग ६७० परिवार, जिनमें लगभग २४,००० व्यक्ति हैं, भारत वापस लौटे।

पिछले वर्षों उगांडा में भारतीयों के साथ जो बीती, वह १९६८ में कीनिया में भी हुआ था। कीनिया, उगांडा, ताँगानिक और जंजीबार जब अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुए, तब वहाँ रहने वाले भारतवंशियों को यह छूट दी गई थी कि वे चाहें तो ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर ब्रिटिश नागरिक बन सकते हैं, चाहे भारत या पाकिस्तान के नागरिक बन सकते हैं, चाहे उन्हीं देशों के नागरिक हो सकते हैं। कुछ ने वहां की नागरिकता ले ली, कुछ ने ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिए, कुछ भारत एवं पाकिस्तान के नागरिक बन गए और एक ऐसा वर्ग भी रह गया, जो कहीं का नागरिक नहीं था।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कीनिया व मोम्बासा

इसी प्रकार कीनिया व मोम्बासा में भी भारतीयों ने व्यापार फलाया। नैरोवी और मोम्बासा के बाजारों में दुकानों के नाम देखकर ही भारतीय प्रभाव पता लग जाता है। अन्य पूर्वी अफ्रीकी देशों की तरह वहाँ भी भारतीयों पर यह आरोप है कि वे कीनिया के प्रति निष्ठा नहीं रखते, अपनी बचत की राशि भारत या अन्य देशों को भेजते हैं, कीनिया के विकास में धन नहीं लगाते। एक अर्थशास्त्री के अनुसार कीनिया के २०.८ प्रतिशत भारतीयों ने अपना धन कीनिया में ही सम्पत्ति खरीदने में लगाया, जबकि ९.७ प्रतिशत भारतीयों ने भारत में सम्पत्ति खरीदी। यह सही है कि वे पहले अपने बचत की राशि का कुछ भाग अपने परिवार वालों को भारत भेजते थे, क्योंकि संयुक्त परिवार-व्यवस्था में यह जिम्मेदारी निभानी होती है, पर अब यह बात नहीं है।

भारतीयों से दुर्व्यवहार

ब्रिटेन: कुछ समय से ब्रिटेन में भारतीयों के प्रति घृणा का वातावरण पैदा किया जाता रहा है। 'नेशनल फ्रन्ट' नामक संगठन एशियाइयों तथा विशेष रूप से भारतीय मूल के लोगों के विरूद्ध विषवमन व प्रचार अभियान चलाकर, वहाँ के अवांछनीय तत्वों को उन पर आक्रमण के लिए प्रेरित करता आ रहा है।

६ जुलाई १९७८ को लन्दन के ईस्ट एण्ड में जातिगत आधार पर हिंसक काण्ड हुए जिनमें अनेक भारतीय भी घायल हुए। ब्रिटेन की अनेक बस्तियों में तो दिन में भारतीयों का सड़क पर निकलना भी दूभर कर दिया गया है। उन्हें अपमानित किया जाता है, लूट लिया जाता है तथा हिंसक आक्रमण किये जाते हैं।

भारत सरकार की योजना

भारत ने यह स्पष्ट घोषणा की कि भारत सरकार संसार के किसी भी भाग में रहने वाले भारतवंशी की समस्या को अपनी समस्या समझ कर उसे हल कराने का पूरा प्रयास करेगी। विदेश-मन्त्रालय प्रवासी भारतीयों में उनकी अपनी मातृभूमि, धर्म तथा संस्कृति के प्रति निष्ठा बनाए रखने तथा उनका भारत से तारतम्य बनाये रखने के लिए भी एक विस्तृत योजना बना रहा है।

कुछ पश्चिमी तथा अन्य देशों में भारतीय मिशनों पर आक्रमण किये जाने, भारतीय राजनीतिकों को छुरा भोंकने जैसी घटनाएं भी हुई हैं।

मनीला स्थित भारतीय राजदूतावास १४ अप्रैल १९७८ को आग से जलाकर नष्ट कर दिया गया।

मनीला-स्थित भारतीय दूतावास में वैयक्तिक सहायक श्री जे० एस० वैद को ७ फरवरी, १९७८ को उस समय छुरा घोंप दिया गया जब वे कार्यालय में प्रवेश कर रहे थे। आक्रमणकारियों, एक पुरुष तथा एक महिला, को बाद में पहचान लिया गया जिनका नाम स्टीवेंन माइकेल डायर तथा विक्टोरिया शैपार्ड है। वे दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रिक हैं। दोनों को घटनास्थल पर पकड़ लिया गया। उन्होंने यह बात स्वीकार की कि

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वे आनन्द मार्ग के सदस्य हैं। स्थानीय कानूनों के अनुसार मनीला में उन पर मुकदमा चलाया गया।

इसी प्रकार कैनबरा स्थित भारतीय हाई कमीशन के सैनिक सचिव के अपहरण का प्रयास किया गया। काठमाण्डू, कोपेनहेगन, और ओटावा-स्थित भारतीय मिशनों पर बम फैंके गए। लेकिन इनके कारण जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। २९ अगस्त, १९७७ को केनबरा-स्थित भारतीय हाई कमीशन का भवन आग में जलाकर नष्ट कर दिया गया।

मेडागास्कर

मेडागास्कर में भी भारतीय मूल के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की अनेक घटनाएँ सामने आईं। २९ मई १९७८ को मेडागास्कर की राजधानी अन्तानानारिवो में आठ भारतीय राष्ट्रिकों की दुकानों पर हमले कर उन्हें लूटा गया, तोड़ा-फोड़ा गया।

इस हमले के दौरान भारतीय राष्ट्रिकों की ४० लाख अमेरिकी डालर से अधिक हानि हुई।

अन्तानानारिवो स्थित भारतीय राजदूत ने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने और भारतीय प्रवासियों की जान और माल की रक्षा का सुनिश्चय करने के लिए इस मामले को मालागासी के प्राधिकारियों के साथ उठाया है। इस घटना पर खेद प्रकट करते हुए मालागासी के प्राधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वे भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा और उनकी जायदाद की सुरक्षा का सुनिश्चय करने के लिए पूरे प्रयत्न करेंगे।

ईरान तथा कुछ अरब देशों ने भी इन देशों में आने वाले भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए समय-समय पर वीजा नियमों को लागू किया है।

जोहन्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में भी भारतीय मूल के लोगों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएँ सामने आई हैं। दिसम्बर १९७७ में लेनासिया में रहने वाले श्री मूनसामी बेल्ला पिल्ले नामक भारतीय को वहाँ की पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई।

ब्रिटेन, उगांडा, बंगला देश, पाकिस्तान, आदि देशों मे तो प्रवासी भारतीयों अथवा भारतीय मूल के लोगों पर अत्याचार व भेदभाव के समाचार मिलते ही थे, सऊदी अरब में भी अब सिखों के साथ भेदभाव व दुर्व्यवहार की शिकायतें प्राप्त होने लगी हैं।

१९७६ में सऊदी अरब की सरकार ने अपने राज्य में सिखों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया और यह निर्णय लिया है कि जो वहां पहले से कार्य कर रहे हैं उनको भी निकाल दिया जाय।

सिखों पर जब से प्रतिबन्ध लगाया गया है तभी से सऊदी अरब स्थित हमारा राज दूतावास उसे हटवाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। कुछ सिख श्रमिकों को सितम्बर-अक्तूबर, १९७६ में उद्वासित किया गया। बहरहाल, हमारे राजदूतावास के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप वहां काम करने वाले सिखों को बड़ी संख्या में नहीं निकाला गया और जो संविदा के अन्तर्गत आये थे उन्हें अपनी अवधि पूरी करने की अनुमति दे दी गयी। लेकिन सिखों के प्रवेश

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

पर प्रतिबन्ध अभी जारी है। इस मामले को सऊदी अरब और दिल्ली में विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है और इस प्रश्न के संतोषजनक समाधान के लिए प्रयत्न जारी है।

रोजगार के बहाने विदेश भेजा जाना

कुछ समय से भारत में ऐसे अवांछनीय ऐजेंट तथा तत्व भी सक्रिय हो गए हैं जो बेरोजगार भारतीयों को बरगलाकर, उन्हें विदेशों में नौकरी दिलाने का लालच देकर, धन ऐंठते हैं तथा कुछ को ईरान तथा अन्य अरब देशों में दर-दर का भिखारी बनने के लिए छोड़ देते हैं।

पिछले वर्ष अरब देशों में नर्स बनने के लालच में कुछ भारतीय युवतियों को भेजे जाने के मामले भी सामने आए थे।

पश्चिम जर्मनी में भी नौकरी के लालच में गए कुछ भारतीय युवकों को इसी वर्ष अत्यन्त अपमान व उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। कुछ अवांछनीय एजेंटों ने इन्हें बरगलाकर पश्चिमी जर्मन सरकार से राजनीतिक शरण देने के लिए आवेदन पत्र दिलवाए। जिनमें कहा गया था कि वे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं तथा नयी सरकार उनका दमन व उत्पीड़न कर रही है। बाद में बर्लिन स्थित भारतीय दूतावास में इन पंजाबी युवकों ने रहस्योद्घाटन किया कि इस घोटाले में संलग्न एजेंटों ने उनसे किस प्रकार रोजगार दिलाने के बहाने तीन से दस हजार रुपये तक ऐंठकर उन्हें बर्लिन लाकर दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की संख्या निम्न प्रकार है :—

क्र०सं०	देश का नाम	विदेशों में रहने वाले भारत मूलक लोगों की संख्या	उन लोगों की संख्या जिन्होंने विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली है।
१.	अफगानिस्तान	३०,०००	२५,०००
२.	अल्जीरिया	५००	२०
३.	अर्जेन्टाइना	२४४	१८५
४.	आस्ट्रेलिया	२२,६८०	१६,४२०
५.	आस्ट्रिया	५८०	२३
६.	बहरीन	२८,०००	१००
७.	बंगलादेश	४३०	—
८.	बेनिन	२५०	—
९.	भूटान	७,०००	—
१०.	बोटस्वाना	८२०	५१०

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

११. ब्राजील	३४०	—
१२. बर्मा	४,००,०००	८०,०००
१३. बुरुण्डी	१४०	२०
१४. केमेरून	१५०	—
१५. चिली	४५	—
१६. कोलम्बिया	२५	१
१७. कोस्टारिका	७	३
१८. क्यूबा	२२	१६
१९. चेकोस्लोवाकिया	१४	१४
२०. डेनमार्क	६४७	६२
२१. इक्वाडोर	१३	—
२२. मिस्र	३८०	१
२३. इथोपिया	२,३५०	४५०
२४. फिजी	२,९२,८९६	२,९२,८९६
२५. फिनलैंड	१०६	२१
२६. फ्रांस	३,५००	३,०००
२७. गैंबिया	६०	—
२८. जर्मनी (ज० सं० ग०)	१२,५००	३७०
२९. जर्मनी (ज० ज० ग०)	१००	—
३०. गिनी	२	—
३१. गुयाना	३,४२,४९०	३,४२,१९०
३२. हांगकांग	११,०००	१,०००
३३. हँगरी	४९	—
३४. इन्डोनेशिया	२०,०००	५,०००
३५. ईरान	२०,०००	—
३६. इराक	१५,०००	१०,०००
३७. आयरलैंड	७००	३००
३८. इटली	९२०	१५
३९. आइवरी कोस्ट	५	—
४०. जमाइका	५०,०००	५०,०००
४१. जोर्डन	१,४००	७
४२. कीनिया	८१,०००	७२,५००
४३. कोरिया (गणराज्य)	११८	२०
४४. कोरिया (लोकतांत्रिक जन गणराज्य)	—	—
४५. कुवैत	६०,०००	२००
४६. लाजैंस	१००	—

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

४७. लिसोथी	८००	७५०
४८. लीबिया	७,६००	५
४९. मालागासी	१९,०००	७,८००
५०. मलावी	७,०००	५,६९०
५१. मलेशिया	१२,०८,५००	१०,०९,५००
५२. माल्टा	८०	३०
५३. माली	५	—
५४. मारीशस	६,०७,७००	६,०७ ००८
५५. मेक्सिको	७८	१२
५६. मोरुको	६२०	१२५
५७. मौजाम्बीक	२२, ०३२	२१, ८७४
५८. नेपाल	३२, ६६, २९८	२३,८७,९७३
५९. न्यूजीलैंड	१०,०००	९,०००
६०. निकारगुआ	२	—
६१. नाइजीरिया	१०,०००	२,७०५
६२. नार्वे	१३,००	४०
६३. पनामा	१,५००	२५०
६४. पेरू	६५	१९
६५. पुर्तगाल	६०००	६०००
६६. कातार	२५,०००	१०५
६७. रुआण्डा	७०	११०
६८. सेनेगल	६५	२९
६९. सेशैल्स	५००	३५०
७०. सोमालिया	५००	५०
७१. श्रीलंका	४,१३,३५६	२,९७,८५१
७२. सूडान	१,७००	२००
७३. सूरीनाम	१,५०,०८०	१,५०,००७
७४. स्वीडन	१,९००	१,१७२
७५. सीरियाई अरब गणराज्य	१३०	—
७६. तन्जानिया	६०,५००	४५,०००
७७. थाईलैंड	२०,०००	१०,०००
७८. तोगो	७५	—
७९. तुनीसिया	२६	—
८०. उगांडा	८००	३५०
८१. संयुक्त राज्य अमरीका	२,४२,०००	१७,०००
८२. सोवियत संघ	८०७	२
८३. वेनेजुएला	२३१	१६
८४. वियतनाम समाजवादी गणराज्य	४००	—
८५. यमन पीयुपल्स डी० आर०	२,०००	१,५००
८६. यमन अरब गणराज्य	५९४	४०
८७. जाम्विया	२२,६००	८,९००
८८ जंजीबार	३,०६१	२,९२६

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

राजनीतिक दल

राजनीतिक दलों का ध्रुवीकरण वर्ष १९७४ से प्रारम्भ हो गया था। भारतीय क्रान्तिदल, स्वतंत्र पार्टी, संसोपा तथा कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक राजनीतिक दल बनाने की पहल की। परिणामस्वरूप २९ अगस्त, १९७४ को 'भारतीय लोकदल' के नाम से नये दल की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री चरणसिंह बनाये गये।

१२ जून, १९७५ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध दिए गए निर्णय के फलस्वरूप सम्पूर्ण देश में उनके त्याग-पत्र की जो मांग हुई, उस स्थिति का सामना करने के लिए २५ जून, १९७५ को आंतरिक अशांति के नाम पर आपात्कालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई और कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बीस महीनों तक देश में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर शेष सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियाँ लगभग समाप्त हो गईं। इसी कालखंड में विरोधी दलों के जो नेता भूमिगत आन्दोलन चला रहे थे, उन्होंने श्रीमती गांधी की तानाशाही का प्रतिरोध करने के लिए एक राजनीतिक दल बनाने की आवश्यकता अनुभव की। इस बीच भारतीय लोकदल के अध्यक्ष चौ० चरणसिंह एवं संगठन कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अशोक मेहता जेल से मुक्त हो गये। दिसम्बर, १९७६ तक विरोधी दलों की आपसी बातचीत बहुत आगे बढ़ गई थी और एक दल की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया।

१८ जनवरी १९७७ को तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा मार्च, १९७७ में लोकसभा के चुनावों की घोषणा एवं राजनीतिक नेताओं की कारामुक्ति से राजनीतिक स्थिति में तेजी से परिवर्तन आया। एक सप्ताह के भीतर ही चार प्रमुख राजनीतिक दलों—जनसंघ, संगठन कांग्रेस, भारतीय लोकदल एवं सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर 'जनता पार्टी' के नाम पर चुनाव लड़ने का निश्चय किया। भारतीय लोकदल के चुनाव चिह्न 'हलधर' को जनता पार्टी का चुनाव चिह्न मान लिया गया। २ फरवरी १९७७ को वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं केन्द्रीय मन्त्री श्री जगजीवनराम एवं कुछ प्रमुख कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से त्याग-पत्र देकर एक नई संस्था बनाने का निर्णय लिया और जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना स्वीकार किया।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

इस प्रकार राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण की दृष्टि से वर्ष १९७७ बहुत महत्वपूर्ण रहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अखिल भारतीय पार्टी अवश्य बनी रहीं, परन्तु इनका प्रभाव बहुत ही सीमित था और इन दोनों दलों ने कांग्रेस अथवा जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अकाली दल एवं नेशनल कान्फ्रेंस आदि ही क्षेत्रीय दल के रूप में रह गये।

लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद श्री देवकान्त बरुआ ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे दिया और उनके स्थान पर सरदार स्वर्णसिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। जुलाई १९७७ में कांग्रेस महासमिति की बैठक में अध्यक्ष पद के चुनाव में श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी बहुमत से विजयी होकर अध्यक्ष बने।

जनता पार्टी के गठन के समय श्री मोरारजी देसाई को अध्यक्ष बनाया गया था और चुनाव के बाद श्री देसाई ने प्रधानमन्त्री निर्वाचित होने के फलस्वरूप अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे दिया। १ मई १९७७ को, जब जनता पार्टी के विभिन्न घटकों का विधिवत् विलयन हुआ, उस समय सर्वसम्मति से श्री चन्द्रशेखर को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

जून १९७७ में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा तमिलनाडु—विधान सभाओं के चुनाव हुए। पश्चिमी बंगाल, पंजाब एवं तमिलनाडु को छोड़कर अन्य सभी प्रदेशों में जनता पार्टी बहुमत से विजयी हुई। पंजाब में अकाली दल और जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इसलिए चुनाव के बाद दोनों दलों की मिली-जुली सरकार बनी। बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में गठित वामपक्षी मोर्चे ने अभूतपूर्व सफलता पाई। तमिलनाडु में श्री एम० जी० रामचन्द्रन के नेतृत्व में नवगठित अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने बहुमत से जीत कर सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। दिल्ली के महानगर परिषद् के चुनावों में भी जनता पार्टी अत्यधिक बहुमत से विजयी हुई, परन्तु गोवा के चुनाव में महाराष्ट्रवादी गोमांतक दल विजयी होकर सरकार बनाने में सफल हुआ।

जुलाई में जम्मू-कश्मीर विधान सभा का चुनाव हुआ और वहाँ नेशनल कांफ्रेंस ने बहुमत से विजयी होकर सरकार बनायी।

इस समय देश में श्री चन्द्रशेखर के नेतृत्व वाली जनता पार्टी, श्री चरणसिंह के नेतृत्व वाला लोकदल, श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस (आई०), श्री देवराज अर्स के नेतृत्व वाली कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी—ये छः अखिल भारतीय राजनीतिक दल हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्ना द्रमुक, अकाली दल, नेशनल कान्फ्रेंस, युनाइटिड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, महाराष्ट्रवादी गोमांतक दल आदि क्षेत्रीय दल हैं।

जनता पार्टी

अध्यक्ष —श्री चन्द्रशेखर

महासचिव—श्री नानाजी देशमुख, श्री रामकृष्ण हेगड़े, श्री विजयसिंह नाहर एवं श्री सुरेन्द्र मोहन।

कोषाध्यक्ष—श्री चन्द्रभानु गुप्त।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

इस दल के अन्य प्रमुख नेता हैं—-श्री जगजीवनराम, श्री मोरारजी देसाई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री मधु दण्डवते, श्री लालकृष्ण आडवाणी एवं श्री एस०एम० जोशी।

लोकदल

जुलाई १९७९ में श्री राजनारायण ने जनता पार्टी छोड़कर जनता (एस०) की स्थापना कर दी। उपप्रधानमन्त्री श्री चरणसिंह सहित अनेक मंत्री तथा सांसद भी जनता पार्टी छोड़कर जनता (एस०) में शामिल हो गये। परिणामस्वरूप जनता सरकार को अल्पमत में आने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। बाद में केन्द्र में जनता (एस०) तथा कांग्रेस की कामचलाऊ सरकार बन गई। २९ सितम्बर १९७९ को दिल्ली में हुए सम्मेलन में जनता (एस०) का नाम परिवर्तित कर 'लोकदल' कर दिया गया।

लोकदल के अध्यक्ष श्री चरणसिंह हैं तथा महासचिव श्री मधु लिमये, श्री नरेन्द्रसिंह, श्री वी० पी० मौर्य एवं श्री राजेन्द्र पुरी।

श्री राजनारायण, श्री रवीराय, श्री श्यामनन्दन मिश्र आदि लोकदल के प्रमुख नेता हैं।

कांग्रेस (आई०)

१ जनवरी १९७८ को श्रीमती इन्दिरा गांधी के समर्थकों ने दिल्ली में सम्मेलन आयोजित कर अलग कांग्रेस बनाने का निर्णय किया। इस संस्था का नाम 'इन्दिरा कांग्रेस' या 'कांग्रेस (आई०)' रखा गया तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी को उसका अध्यक्ष बनाया गया।

श्री बूटासिंह एवं श्री ए० आर० अन्तुले दल के महासचिव हैं तथा अन्य नेता हैं: पं० कमलापति त्रिपाठी, श्री सी० एम० स्टीफन आदि।

कांग्रेस

अध्यक्ष—श्री देवराज अर्स

महासचिव—मौहम्मद यूनुस सलीम, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा एवं श्री नरेन्द्र तिरपुडे।

कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं सरदार स्वर्णसिंह, श्री यशवन्तराव चह्वाण, डा० कर्णसिंह आदि।

१९७७ के आम चुनाव से पहले कांग्रेस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। इसकी स्थापना १८८५ में अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी श्री ए० ओ० ह्यूम ने की थी। प्रारम्भ में इस संस्था का उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक सुधार लागू करना था, किन्तु २०वीं शताब्दी के आरम्भ में राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत व्यक्तियों के बहुत अधिक संख्या में इसमें प्रवेश करने के कारण, कांग्रेस राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन की ओर अग्रसर हुई और १९४७ तक राष्ट्रीय रंगमंच पर सबसे प्रभावशाली पार्टी के रूप में कार्य करती रही।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१५ अगस्त १९४७ को अंग्रेजों के भारत से चले जाने के बाद, देश का शासन इस दल ने संभाला। सन् १९४८ में कांग्रेस ने कहा कि उसका उद्देश्य भारत में महत्वपूर्ण वैध उपायों द्वारा जनता के राजनीतिक, समाजिक तथा आर्थिक अधिकारों की समानता पर आधारित एक लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। गाँधीवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण काँग्रेस ने लोकतान्त्रिक मार्ग से देश की प्रगति करने की घोषणा की।

विदेश नीति के क्षेत्र में कांग्रेस गुट निरपेक्ष नीति की समर्थक और राष्ट्रों के सैनिक गठजोड़ों की विरोधी रही है। यह संयुक्त राष्ट्र को विश्वशान्ति का माध्यम मानकर उप-निवेशों की स्वतंत्रता, रंगभेद नीति के परित्याग, विभिन्न राष्ट्रों से सांस्कृतिक एवं आर्थिक सहयोग तथा विश्वशान्ति की समर्थक है।

कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया

१९६९ में इस दल में भीषण आन्तरिक विस्फोट हुआ, जिसके कारण वह दो दलों में बँट गया। जून १९६८ में काँग्रेस महासमिति के बंगलौर अधिवेशन में राष्ट्र पति पद के लिए उम्मीदवार के चयन के प्रश्न पर तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा तथा उनके समर्थकों के बीच सीधी टक्कर हुई। श्रीमती गांधी के विरोध के बावजूद, दल के संसदीय बोर्ड ने दो के विरुद्ध चार के बहुमत से, श्री नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए काँग्रेसी उम्मीदवार बनाया। १६ अगस्त १९६९ को राष्ट्रपति के चुनाव में श्रीमती गाँधी और उनके समर्थकों ने 'अन्तरात्मा की आवाज', के नाम पर श्री नीलम संजीव रेड्डी के विरुद्ध श्री वाराह वेंकेट गिरि को मत दिये और श्री गिरि चुनाव में विजयी हुए।

इसके बावजूद काँग्रेस कार्यसमिति की अगली बैठक में एकता बनाये रखने का प्रस्ताव पारित हुआ। पर, इस पर अमल न होने की शिकायतें दोनों ओर से होती रहीं। बाद में प्रधानमन्त्री के समर्थकों ने श्री निजलिंगप्पा को अध्यक्ष पद से हटाने के उद्देश्य से महासमिति की विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध करते हुए देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया।

श्री निजलिंगप्पा और उनके गुट ने इस कार्य को अनुशासन-भंग की गम्भीर कार्यवाही माना और कार्यसमिति की आगामी बैठक से एक रात पूर्व श्री जगजीवनराम, श्री फखरुद्दीनअली अहमद और तीन में से एक महासचिव डा० शंकरदयाल शर्मा को कार्यसमिति की सदस्यता से अलग कर दिया।

श्रीमती गांधी ने कार्यसमिति के अपने समर्थकों की बैठक अपने निवास स्थान पर उसी समय कराने की घोषणा की। इस प्रकार दूसरे दिन एक ही समय कार्यसमिति की दो समानान्तर बैठकें हुई—एक दल के मुख्यालय पर श्री निजलिंगप्पा की अध्यक्षता में हुई और दूसरी प्रधानमन्त्री निवास स्थान पर श्रीमती गांधी के सभापतित्व में। यही कांग्रेस के विभाजन की पहली निर्णित प्रक्रिया हुई। कार्यसमिति के

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

२१ सदस्यों में से ११ श्री निजलिंगप्पा की अध्यक्षता में हुई बैठक में और शेष दस श्रीमती गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक में सम्मिलित हुए।

इस प्रकार दल का दो भागों में विभाजन एक वस्तुस्थिति बन गया।

श्रीमती गांधी और उनके समर्थकों ने २३ और २४ नवम्बर १९६९ को महासमिति की विशेष बैठक में श्री निजलिंगप्पा और उनकी कार्यसमिति के सभी सदस्यों को दल से निकाल दिया तथा उनके द्वारा की गई सारी अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द कर दी। इसके बाद कांग्रेस संसदीय दल का भी विभाजन हो गया।

संगठन कांग्रेस का अहमदाबाद में और श्रीमती इन्दिरा गांधी के समर्थकों की कांग्रेस का बम्बई में उसी वर्ष अधिवेशन हुआ। श्री निजलिंगप्पा संगठन कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे और दूसरी कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जगजीवनराम बने रहे। १९७१ के चुनाव के बाद श्री जगजीवनराम ने अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे दिया और श्री शंकरदयाल शर्मा को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। १९७४ में श्री शंकरदयाल शर्मा केन्द्रीय मंत्रिमन्डल में ले लिए गए और बिहार के तत्कालीन राज्यपाल श्री देवकांत बरुआ को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। १९७७ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के पश्चात श्री देवकान्त बरुआ ने अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे दिया और उनके स्थान पर कांग्रेस महासमिति ने जुलाई में श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी को अध्यक्ष निर्वाचित किया।

संगठन कांग्रेस द्वारा श्री निजलिंगप्पा के बाद श्री सादिक अली और उनके बाद श्री अशोक मेहता को अध्यक्ष बनाया गया। मई १९७७ में जब संगठन कांग्रेस जनता पार्टी में विलीन हुई, उस समय श्री अशोक मेहता ही इसके अध्यक्ष थे।

श्रीमती गांधी के प्रधानमन्त्री पद से हटाये जाने के बाद कांग्रेस का एक और विभाजन कर पुनः दो कांग्रेस बना दी गई।

जून १९७९ में कर्नाटक के मुख्यमन्त्री श्री देवराज अर्स ने भी श्रीमती गांधी के व्यक्तिवादी रवैये के विरुद्ध विद्रोह कर कांग्रेस (आई०) से त्याग-पत्र दे दिया। उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस का गठन कर लिया। बाद में श्री अर्स श्री स्वर्णसिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस में शामिल हो गये।

१३ सितम्बर, १९७९ को श्री अर्स बंगलौर में हुए कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन इस देश में अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहे स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान कांग्रेस के अंतर्गत ही हुआ था। किन्तु १९४२ के 'भारत छोड़ो आंदोलन' का विरोध करने के कारण कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को कांग्रेस से बाहर आकर अपना विधिवत् पृथक् संगठन खड़ा करना पड़ा और अब यह पार्टी देश के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। आपात्काल में इस पार्टी ने कांग्रेस का साथ दिया और इसके किसी नेता को कारागार में नहीं डाला गया।

इस समय पार्टी के अध्यक्ष श्रीपाद अमृत डांगे और महासचिव श्री सी० राजेश्वरराव हैं। दल का केन्द्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। इस दल के अन्य प्रमुख नेता हैं—श्री योगेन्द्र शर्मा, श्री हीरेन मुकर्जी तथा श्री भूपेश गुप्त आदि।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

सन् १९६४ में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े वर्ग ने रूस-चीन के सैद्धान्तिक मतभेदों से प्रभावित होकर एक नवीन दल का गठन किया जो सोवियत संघ के 'संशोधनवाद' का घोर विरोधी था। इस नए दल का नाम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया और घोषणा की गई कि यह दल भारत में समाजवाद एवं साम्यवाद की स्थापना करने के लिए उन भारतीय श्रमजीवियों का प्रभावी संगठन होगा जो मार्क्सवाद और लेनिन-वाद के प्रति अपनी अटूट आस्था रखते हैं तथा जो प्राथमिक चरण के रूप में इस देश में जनवादी लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना चाहते हैं।

दल के महासचिव श्री ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद हैं। सर्वश्री पी० सुन्दरैया, प्रमोद दास गुप्त, पी० राममूर्ति, एम० वासवपुनैया, बी० टी० रणदिवे तथा ज्योति बसु प्रमुख नेताओं में से हैं। दल की केन्द्रीय समिति का कार्यालय कलकत्ता में है।

इन दो कम्युनिस्ट पार्टियों के अतिरिक्त खुली हिंसा में विश्वास रखने वाले नक्सल-वादी खुले आम माओवाद का प्रचार करके हिंसात्मक प्रवृत्तियों को भड़काते रहे हैं। उनकी दृष्टि में दोनों कम्युनिस्ट 'संशोधनवादी', डरपोक व 'पथभ्रष्ट' हैं। तत्कालीन कांग्रेस सर-कार ने ४ जुलाई १९७५ को नक्सलवादियों की विभिन्न संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। लेकिन जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अधिकांश नक्सलवादी नेताओं को जेलों से छोड़ दिया गया।

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का गठन १७ सितम्बर सन् १९४९ को स्व० सी०एन०अन्नादुरै द्वारा मद्रास में किया गया था। इसके पूर्व श्री अन्नादुरै और उनके सहयोगी श्री रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में चलने वाली द्रविड़ कड़गम नामक संस्था में सक्रिय थे। इस राज-नीतिक दल का जन्म मुख्य रूप से दक्षिण भारत में उत्तर भारत के बढ़ते हुए कथित प्रभाव का प्रतिकार करने और हिन्दू समाज के उच्च वर्ग के विरुद्ध व्याप्त प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ था।

अपने अस्तित्व में आने के समय से लेकर सन् १९६७ के निर्वाचन के पूर्व तक इस दल ने भारतीय संविधान की प्रतियाँ जलाने, हिन्दी का विरोध करने आदि अनेक आन्दोलन चलाये।

श्री सी० एन० अन्नादुरै के निधन के उपरान्त श्री एम० करुणानिधि दल के प्रमुख नेता के रूप में आए। वे तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री भी रहे। अक्तूबर १९७२ में दल के कोषा-ध्यक्ष तथा प्रख्यात फिल्मी कलाकार श्री एम०जी०रामचन्द्रन ने विद्रोह करके अलग दल अन्ना द्रमुक की स्थापना की। १९७७ के विधानसभा चुनाव में अन्नाद्रमुक को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और इस तरह तमिलनाडु में उसकी सरकार बनी।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१९८० के मध्यावधि चुनाव

जुलाई १९७९ में जनता पार्टी के एक गुट द्वारा अचानक दल-बदल कर लेने तथा जनता सरकार के सामने संकट पैदा करने के बाद पुनः लोकसभा भंग कर देश में लोकसभा के मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर दी गई। जनवरी १९८० के पहले सप्ताह में चुनाव सम्पन्न होने की संभावना है।

इस बार जनता पार्टी श्री जगजीवनराम, कांग्रेस (आई) श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा लोकदल श्री चरणसिंह को आगामी प्रधानमन्त्री बनाने की घोषणा के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं।

१९७७ की चुनाव क्रान्ति

लगभग डेढ़ वर्ष की तानाशाही व घुटन के बाद मार्च १९७७ के लोकसभा के चुनावों में जनता ने जिस प्रकार ३० वर्ष के कांग्रेसी शासन को उखाड़ फेंका उसे जनता की 'मूक क्रांति' ही कहा जायेगा।

१९ माह के दौरान इमर्जेंसी के नाम पर जनता के हर वर्ग पर जो अत्याचार ढाये जाते रहे, जनता ने इस चुनाव में उनका डटकर प्रतिशोध लिया। चुनाव की इस भीषण आंधी में प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा उनके बेटे संजय गांधी तक को बुरी तरह पराजय का मुँह देखना पड़ा।

लोकसभा चुनाव के दौरान देश की जनता ने कांग्रेस से पूरी तरह असहयोग किया। यह असहयोग आन्दोलन महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन की तरह गांव-गांव तक में फैला तथा जनता ने अपने पर ढाए अत्याचारों का डटकर प्रतिकार किया।

श्रीमती गांधी तथा उनके सहयोगियों ने यह अनुमान लगाया था कि विपक्षी नेता जेलों में रहकर टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं अतः वे ठीक समय पर जेलों से रिहा किये जाने पर चुनाव की कोई रणनीति नहीं बना पाएँगे तथा अल्प समय व साधनों के अभाव के कारण विरोधी दल चुनाव प्रचार तक नहीं कर पाएँगे। साथ ही इमर्जेंसी में सताई गयी जनता आतंक व भय के कारण विपक्ष को सहयोग देने का साहस ही न कर पायेगी। परन्तु विपक्षी नेताओं ने श्री जयप्रकाशनारायण की प्रेरणा से सभी मतभेदों को भुलाकर जिस प्रकार 'जनता पार्टी' का गठन किया वह इतिहास की अनोखी घटना ही कहा जायेगा।

जनता पार्टी के संघटक दलों को चुनाव की तैयारी का बहुत कम समय मिला। उन्हें जेलों से छूटते ही सीधे चुनाव की तैयारी में जुट जाना पड़ा। उसके पास साधन भी

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

लगभग नहीं थे। इस चमत्कारिक स्थिति में जनता पार्टी का गठन रातोंरात हो गया। इस पार्टी के गठन की प्रक्रिया को ठीक से जानने-समझने के लिये पिछले तीन वर्षों के राजनीतिक घटनाक्रम को ध्यान में रखना होगा। मार्च १९७४ में जब श्री जयप्रकाश नारायण ने 'समग्र क्रांति' का आह्वान किया था, तभी सभी विपक्षी दलों को मिलाकर एक सुसंगठित विपक्ष की आधार-भूमि तैयार हो गयी थी। श्री जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर सभी प्रमुख विपक्षी दल उनके आन्दोलन से सम्बद्ध हो गये थे। इसका कारण और आधार केवल सत्ता के लिए संघर्ष करना नहीं था, बल्कि आन्दोलन द्वारा देश का राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक ढांचा बदलना था। यद्यपि उस समय सभी दलों के विलय से एक नया दल बनाने की प्रक्रिया साकार नहीं हो पायी, परन्तु जून १९७५ में गुजरात में विधान सभा के चुनाव के समय बनाया गया 'जनता मोर्चा' एक नये दल का रूप प्रदान करने का प्रारम्भ माना जा सकता है। गुजरात के इस जनता मोर्चे में संगठन कांग्रेस, जनसंघ, समाजवादी दल (सोशलिस्ट पार्टी), और भारतीय लोकदल सम्मिलित थे। जनता पार्टी में भी यही चारों प्रमुख घटक थे।

गुजरात के चुनाव के बाद बिहार में भी संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास हुआ। उत्तर प्रदेश में इन दलों के विधायकों ने 'लोक पक्ष' का गठन किया। यह प्रक्रिया और आगे बढ़ती, परन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा अपने चुनाव का मुकदमा हार जाने के तुरन्त बाद २५ जून, १९७५ को देश में आपात स्थिति लागू कर देने से और सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लेने से यह प्रक्रिया बीच में ही रुक गई। आपात स्थिति के दिनों में देश को, जनता को और राजनीतिक दलों को जो कटु अनुभव हुए, उनके कारण सभी क्षेत्रों में एक सबल संयुक्त विपक्ष को जन्म देने का संकल्प और अधिक प्रबल हो उठा। जेल में बन्द विपक्षी नेताओं के पारस्परिक विचार-विमर्श से यह निश्चित हो गया था कि कांग्रेस के विकल्प के रूप में नये दल का जन्म अवश्यम्भावी है। श्री जयप्रकाश जी के जेल से रिहा होते ही गठन का यह कार्य लगभग पूरा हो गया और नवम्बर १९७६ में उसके नामकरण का प्रश्न ही शेष रह गया था। इसी बीच १८ जनवरी १९७७ को छठी लोक सभा के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गयी। इस अप्रत्याशित घोषणा का असर यह हुआ कि अन्य सभी औपचारिकताओं की उपेक्षा कर सभी प्रमुख दलों ने 'जनता पार्टी' के नाम से नये दल के गठन की घोषणा कर दी।

इस चुनाव परिणाम की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उत्तरी और पूर्वी भारत में हिमाचल प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक कांग्रेस का बिलकुल सफाया हो गया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, हिमाचलप्रदेश व दिल्ली में तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। दक्षिण में अवश्य उसे सफलता मिली।

जनता पार्टी ने (लोकतांत्रिक कांग्रेस सहित) २९९ स्थान प्राप्त कर भारी बहुमत प्राप्त किया जबकि कांग्रेस को केवल १५३ स्थान ही मिल सके। इससे पूर्व भंग लोकसभा में कांग्रेस के ३५५ सदस्य थे।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मार्च १९७७ के लोकसभा चुनाव परिणाम

राज्य का नाम	कुल स्थान	कांग्रेस	जनता पार्टी	माकपा	माकपा	अन्य
आन्ध्र प्रदेश	४२	४१	१	—	—	—
असम	१४	१०	३	—	—	१
बिहार	५४	—	५४	—	—	—
गुजरात	२६	१०	१५	—	—	१
हरियाणा	१०	—	१०	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	४	—	४	—	—	—
जम्मू-कश्मीर	६	२	१	—	—	३
कर्नाटक	२८	२६	२	—	—	—
केरल	२०	११	—	—	४	५
मध्यप्रदेश	४०	१	३७	—	—	२
महाराष्ट्र	४८	२०	१९	३	—	६
मणिपुर	२	२	—	—	—	—
मेघालय	२	१	—	—	—	१
नागालैंड	१	—	—	—	—	१
उडीसा	२१	४	१५	१	—	१
पंजाब	१३	—	३	१	—	९
राजस्थान	२५	१	२४	—	—	—
सिक्किम	१	१	—	—	—	—
तमिलनाडु	३९	१४	३	—	३	१९
त्रिपुरा	२	१	—	१	—	—
उत्तर प्रदेश	८५	—	८५	—	—	—
पश्चिम बंगाल	४२	३	१५	१७	—	७
अण्डमान निकोबार	१	१	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	२	१	—	—	—	१
चण्डीगढ़	१	—	१	—	—	—
दादर नागर-हवेली	१	१	—	—	—	—
दिल्ली	७	—	७	—	—	—
गोवा, दमन और दीव	२	१	—	—	—	१
लक्षद्वीप	१	१	—	—	—	—
मिजोरम	१	—	—	—	—	१
पांडिचेरी	१	—	—	—	—	१
योग	५४२	१५३	२९९	२३	७	६०

यह सूची चुनाव परिणाम के तत्काल बाद की है।

केन्द्र में जनता सरकार बनने के बाद जून १९७७ में देश के दस राज्यों उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तथा तमिलनाडु की विधानसभाओं के चुनाव सम्पन्न हुए। पश्चिम बंगाल, पंजाब एवं तमिलनाडु को छोड़कर सभी सात राज्यों में जनता पार्टी ने भारी बहुमत प्राप्त कर सरकारें

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बनाई । पंजाब में भी अकाली दल व जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की । दिल्ली के महानगर परिषद व नगर निगम के चुनावों में भी जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया ।

मध्यावधि चुनाव की घोषणा

जुलाई १९७९ में श्री राजनारायण ने जनता पार्टी के साथ विद्रोह कर अनेक सांसदों के साथ पार्टी से त्याग-पत्र दे दिया । भूतपूर्व भालोद गुट के अनेक केन्द्रीय मंत्री तथा सांसद भी पार्टी से त्याग-पत्र देकर अलग हो गए । इस प्रकार संसद में जनता पार्टी अल्पमत में हो गई ।

कर्नाटक के मुख्य मन्त्री श्री देवराज अर्स द्वारा श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध विद्रोह के कारण उन्हें कांग्रेस (आई०) से निष्कासित कर दिया गया था । परिणामस्वरूप श्री अर्स के लोकसभा गुट ने कांग्रेस के नेता श्री यशवन्तराव चह्वाण के गुट में शामिल होने की घोषणा कर दी । परिणामतः कांग्रेस (आई०) के श्री स्टीफन की जगह श्री चह्वाण विपक्ष के नेता चुने गये ।

श्री चह्वाण ने संसद सत्र शुरू होते ही सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया । जनता पार्टी के विघटन के कारण प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने १५ जुलाई, १९७९ को मन्त्रिपरिषद सहित त्याग-पत्र दे दिया ।

उप प्रधानमन्त्री श्री चरणसिंह भूतपूर्व भालोद गुट के मन्त्रियों सहित जनता पार्टी व सरकार से अलग हो गए थे । जनता (एस०) का गठन कर ही लिया गया था । जनता (एस०) तथा कांग्रेस ने मिली-जुली सरकार बनाने की पेशकश की । राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी ने २६ जुलाई को श्री चरणसिंह को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित कर लिया । परिणामतः २८ जुलाई को श्री चरणसिंह के नेतृत्व में सरकार ने शपथ ली । श्री यशवन्तराव चह्वाण उप प्रधानमन्त्री व गृहमन्त्री बनाये गये । बाद में अन्ना द्रमुक के दो सदस्य भी मन्त्रिपरिषद में शामिल हो गये ।

राष्ट्रपति ने शर्त रखी कि श्री चरणसिंह को संसद का विश्वासमत प्राप्त करना होगा । २० अगस्त विश्वास मत प्राप्त करने के लिए तय किया गया परन्तु इन्दिरा कांग्रेस द्वारा विश्वास मत का विरोध करने की घोषणा किये जाते ही श्री चरणसिंह ने मन्त्रिपरिषद सहित त्याग-पत्र दे दिया ।

लोकसभा में जनता पार्टी के नेता श्री जगजीवनराम ने दावा किया कि वे लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने की स्थिति में हैं अतः उन्हें सरकार बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए । परन्तु राष्ट्रपति ने २२ अगस्त को लोकसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा कर दी । चरणसिंह सरकार को चुनावों तक कामचलाऊ सरकार के रूप में रखे जाने की भी घोषणा की गई । चुनाव जनवरी, १९८० में कराये जाने का निर्णय किया गया ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

परिशिष्ट

राष्ट्रपति : श्री नीलम संजीव रेड्डी
उप राष्ट्रपति : श्री मुहम्मद हिदायतुल्ला

केन्द्रीय मन्त्रिमंडल (कार्यकारी)

१. श्री चरणसिंह	प्रधान मंत्री
२. " यशवन्तराव चह्वाण	उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री
३. " सी० सुब्रह्मन्यम	रक्षा
४. " के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	उद्योग
५. चौधरी ब्रह्मप्रकाश	कृषि एवं सिंचाई
६. श्री. श्यामनंदन मिश्र	विदेश
७. " पुरुषोत्तम कौशिक	सूचना एवं प्रसारण
८. डा० कर्णसिंह	शिक्षा
९. श्री जुल्फिकार उल्ला	संचार एवं मुस्लिम वक्फ़
१०. " कृष्णचन्द्र पन्त	ऊर्जा
११. " बीजू पटनायक	इस्पात, खान एवं कोयला
१२. " टी० ए० पै	रेल
१३. " श्याम नाथ कक्कड़	विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य
१४. " रविराय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्य
१५. " रामकिंकर	गृह, आवास, आपूर्त्ति एवं पुनर्वास
१६. " अरविन्द बाला पजनौर	पैट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१७. श्रीमती सत्यवाणी मुत्थू	समाज कल्याण एवं संस्कृति
१८. श्री मुहम्मद शफी कुरैशी	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन
१९. " हितेन्द्र देसाई	वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्त्ति, सहकारिता
२०. " फजलुर रहमान	श्रम

राज्य मन्त्री

१. डॉ० हेनरी आस्टिन	वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति
२. श्री बेदव्रत बरुआ	विदेश
३. श्रीमती रशीदा हक चौधरी	शिक्षा, समाज कल्याण एवं संस्कृति
४. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव	इस्पात, खान एवं कोयला
५. " के० गोपाल	संसदीय कार्य एवं वित्त
६. " एम० वी० कृष्णप्पा	वित्त
७. " धनिक लाल मंडल	गृह
८. " नाथूराम मिर्धा	वित्त
९. " जनेश्वर मिश्र	जहाजरानी एवं परिवहन
१०. " नरसिंह यादव	संचार
११. " पी० रचैय्या	उद्योग
१२. " पी० अन्कीनीडू प्रसादराव	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन
१३. " सौगत राय	पेट्रोलियम, रसायन एवं खाद्य
१४. " पी० एम० सईद	इस्पात, खान एवं कोयला
१५. " टी० एस० शृंगारे	संचार
१६. " भानु प्रताप सिंह	ग्रामीण विकास
१७. " जगबीर सिंह	रक्षा

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

राज्यसभा

सभापति : श्री मुहम्मद हिदायतुल्ला

उप सभापति : श्री रामनिवास मिर्धा

असम

१. श्री दिनेश गोस्वामी
२. ,, रोबिन ककाती
३. ,, अजितकुमार शर्मा
४. श्रीमन् प्रफुल्ल गोस्वामी
५. श्री बिपिनपाल दास
६. ,, सैयद अब्दुल मलिक
७. ,, तिलोक गोगोई

आन्ध्र प्रदेश

८. श्री टी० अनजैया
९. ,, बुद्धप्रिय मौर्य
१०. प्रो० एन० जी० रंगा
११. श्री एन० पी० सी० नायडु
१२. ,, वी० वी० राजू
१३. ,, वी० सत्यनारायण रेड्डी
१४. ,, वेनीगल्ल सत्यनारायण
१५. ,, एम० आनन्दम
१६. ,, जी० एम० शेख
१७. ,, वी० सी० केशवराव
१८. ,, मो० रहमतुल्ला
१९. ,, रतकोड़ा नरसिंह रेड्डी
२०. ,, के० एल० एन० प्रसाद
२१. ,, सी० वेंकट राव
२२. ,, पलवलास राजशेखरम्
२३. ,, के० वी० रघुनाथ रेड्डी
२४. ,, मोहम्मद यूनुस सलीम
२५. ,, एम० आर० कृष्णा

उड़ीसा

२६. श्री धनेश्वर माझी
२७. ,, नृसिंह प्रसाद नन्दा
२८. ,, हरेकृष्ण मलिक
२९. ,, सन्तोष कुमार साहू
३०. ,, पतितपावन प्रधान
३१. ,, रबि राय
३२. ,, लक्ष्मण महापात्र
३३. ,, सुरेन्द्र महन्ती
३४. ,, भैरवचन्द्र महन्ती
३५. ,, बी० सी० पटनायक

उत्तर प्रदेश

३६. श्री शान्तिभूषण
३७. ,, कृष्णानन्द जोशी
३८. ,, कल्पनाथ राय
३९. ,, शिवनन्दन सिंह
४०. ,, जगबीर सिंह
४१. ,, देवेन्द्रनाथ द्विवेदी
४२. ,, प्यारेलाल कुरील उर्फ तालिब
४३. ,, लखनसिंह
४४. ,, सुरेशनारायण मुल्ला
४५. ,, गयूर अली खान
४६. ,, शेख अब्दुल रहमान
४७. ,, रामेश्वरसिंह
४८. ,, त्रिलोकीसिंह
४९. ,, कृष्णचन्द्र पन्त
५०. ,, महादेव प्रसाद वर्मा
५१. ,, कलराज मिश्र

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

५२. श्री नागेश्वर प्रसाद साही
५३. ,, प्रकाश महरोत्रा
५४. ,, भगवान दीन
५५. श्रीमती हमिदा हबीबुल्लाह
५६. श्री के० बी० अस्थाना
५७. ,, नरेन्द्रसिंह
५८. ,, शिवदयालसिंह चौरसिया
५९. ,, जगदीश प्रसाद माथुर
६०. ,, जी० सी० भट्टाचार्य
६१. ,, प्रेम मनोहर
६२. ,, दिनेशसिंह
६३. ,, डा० एम० एम० एस० सिद्धू
६४. ,, श्यामलाल यादव
६५. ,, भानुप्रताप सिंह
६६. ,, सुन्दरसिंह भण्डारी
६७. ,, कमलापति त्रिपाठी
६८. ,, सैयद अहमद हाशमी
६९. ,, सुरेन्द्र मोहन

कर्नाटक

७०. श्री राम कृष्ण हेगड़े
७१. ,, मालप्पा लिंगप्पा कोल्लूर
७२. ,, आर० एम० देसाई
७३. ,, मुल्का गोविन्द रेड्डी
७४. श्रीमती मार्गरेट अल्वा
७५. श्री एच० आर० बासवराज
७६. ,, सच्चिदानन्द
७७. ,, यू० के० लक्ष्मण गौडा
७८. ,, मकसूद अली खाँ
७९. ,, के० एस० मल्लेगौडा
८०. ,, एफ० एम० खान
८१. ,, एल० आर० नायक

केरल

८२. श्री के० चथुनी मास्टर
८३. ,, के० सी० सेहस्तियन
८४. श्रीमती लीला दामोदर मेनन
८५. श्री विश्वनाथ मेनन
८६. श्री बी. वी. अब्दुल्ला कोया
८७. ,, टी० बशीर
८८. ,, के० के० माधवन
८९. ,, पट्टियम राजन
९०. ,, एस० कुमारन

गुजरात

९१. श्री योगेन्द्र मकवाना
९२. ,, पीलू मोदी
९३. ,, लालकृष्ण आडवाणी
९४. श्रीमती कुमुदबेन मणिशंकर जोशी
९५. श्री घनश्याम भाई ओझा
९६. ,, हरिसिंह भगुवावा महिदा
९७. ,, इब्राहीम कलानिया
९८. ,, रामलाल पारीख
९९. ,, मनु भाई पटेल
१००. ,, वीरेन जे० शाह
१०१. ,, गोलन्दाज मोहम्मद हुसैन

जम्मू-कश्मीर

१०२. श्री ओम मेहता
१०३. ,, ख्वाजा मुबारक शाह
१०४. ,, सैयद निजामुद्दीन
१०५. ,, तीरथ राम अमला

तमिलनाडु

१०६. श्री एम० मोसस
१०७. ,, ई० आर० कृष्णन
१०८. ,, इरा सेझियन
१०९. ,, एम० कादिरशाह
११०. ,, वी० गोपाल स्वामी
१११. ,, मुरसोली मरन
११२. ,, सी० डी० नटराजन
११३. ,, एस० रंगनाथन

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

११४. डा० श्रीमती सत्यवाणी मुत्थु

११५. श्री ए० पी० जनार्दनम्
११६. ,, पी० राममूर्ति
११७. ,, वी० वेनका
११८. ,, वी० वी० स्वामीनाथन
११९. ,, जी० के० मोपनार
१२०. ,, जी० लक्ष्मणन
१२१. श्रीमती नूरजहां रजाक
१२२. श्री एस.ए. ख्वाजा मोहिउद्दीन
१२३. श्री यू० आर० कृष्णन

त्रिपुरा

१२४. श्री वीरचन्द्र देव वर्मन

नागालैंड

१२५. श्री ख्योमो लोथा

पंजाब

१२६. श्री हरकिशनसिंह सुरजीत

१२७. ,, जगजीतसिंह आनन्द
१२८. ,, श्रीमती अमरजीत कौर
१२९. श्री सतपाल मित्तल
१३०. श्रीमती राजेन्द्र कौर
१३१. श्री रघुवीरसिंह गिल
१३२. श्रमती अम्बिका सोनी

पश्चिम बंगाल

१३३. श्री प्रसेनजित बर्मन
१३४. " जहरलाल बनर्जी
१३५. " अमर प्रसाद चक्रवर्ती
१३६. " प्रो० सुरेन्द्र भट्टाचार्जी
१३७. " आनन्द पाठक
१३८. " फणीन्द्र नाथ हंसदा
१३९. " भूपेश गुप्त
१४०. " कल्याण राय
१४१. " देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय
१४२. श्रीमती कनक मुखर्जी
१४३. श्रीमती पूरबी मुखर्जी
१४४. श्री शंकर घोष
१४५. श्रीमती प्रतिमा बोस
१४६. श्री सैयद शाहदुल्लाह
१४७. ,, प्रणव मुखर्जी
१४८. ,, अहमद हुसेन मंडल

बिहार

१४९. डा० रामकृपाल सिन्हा
१५०. श्रीमती अजीजा इमाम
१५१. श्री शाहिवुद्दीन
१५२. ,, कमलनाथ झा
१५३. ,, ब्रह्मदेव शास्त्री

१५४. श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
१५५. ,, रामलखन प्रसाद गुप्त
१५६. ,, शिवचन्द्र झा
१५७. ,, कामेश्वर सिंह
१५८. ,, योगेन्द्र शर्मा
१५९. ,, महेन्द्र मोहन मिश्र
१६०. ,, धर्मचन्द जैन
१६१. ,, इन्द्रदीप सिन्हा
१६२. ,, दयानन्द सहाय
१६३. ,, भोला प्रसाद सिंह
१६४. ,, भोला पासवान शास्त्री
१६५. ,, सीताराम केसरी
१६६. ,, राजेन्द्र कुमार पोद्दार
१६७. ,, जे० के० पी० एन० सिंह

१६८. ,, रामानन्द यादव
१६९. ,, भीष्मनारायण सिंह
१७०. ,, श्रीमती प्रतिभा सिंह

मणिपुर

१७१. श्री इरेंगवम टम्पोक सिंह

मध्य प्रदेश

१७२. श्री प्रकाश चन्द सेठी

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१७३. श्री मामा बालेश्वर दयाल
१७४. ,, श्रीकान्त वर्मा
१७५. ,, भगत राम मनहर
१७६. ,, नारायण प्रसाद चौधरी
१७७. डा० भाई महावीर
१७८. श्री बलराम दास
१७९. श्रीमती रत्न कुमारी
१८०. ,, मैमूना सुल्तान
१८१. ,, श्यामकुमारी देवी
१८२. श्री गुरुदेव गुप्ता
१८३. ,, सवाईसिंह सिसोदिया

१८४. श्रीमती जमना देवी
१८५. श्री लाडली मोहन निगम
१८६. श्रीमती विजयराजे सिंधिया
१८७. श्री जगदीश जोशी

महाराष्ट्र

१८८. श्री ए० आर० अन्तुले
१८९. ,, एस० वासुदेवराव धावे
१९०. ,, मोतीराम उदयमानजी लहाने

१९१. ,, एस० के वैशंपायन
१९२. प्रौ० नरेन्द्र मारुत राव कांबले

१९३. श्री आर० डी० जगताप आवरगांकर

१९४. ,, सदाशिव बागितकर
१९५. ,, बिट्ठल गाडगिल
१९६. ,, गणपत हीरालाल भगत
१९७. श्रीमती सरोज खापर्डे
१९८. श्री कृष्णराव नारायण राव धुलप

१९९. श्रीमती सुशीला शंकर आदिवरेकर

२०० श्री बी० डी० खोब्रागड़े

२०१. श्री बापूरावजी मारुतरावजी देशमुख

२०२. ,, जयन्त श्रीधर तिलक
२०३ ,, गोविन्दराव रामचन्द्र महीसेकर

२०४. ,, ए० जी० कुलकर्णी
२०५. ,, रफीक जकारिया
२०६. ,, एन० के० पी० साल्वे

मेघालय

२०७. श्री एलैक्जैन्डर वारजिरी

राजस्थान

२०८. श्री नत्थीसिंह
२०९. ,, भीम राज
२१०. श्रीमती उषी ख़ां
२११. श्री आर० आर० मोरारका
२१२. " स्वामी दिनेश चन्द्र
२१३. " मोहम्मद उस्मान आरिफ,

२१४ ,, रामनिवास मिर्धा
२१५. ,, ऋषिकुमार मिश्र
२१६. ,, किशन लाल शर्मा
२१७. ,, हरिशंकर भाभड़ा

हरियाणा

२१८. श्री बंसीलाल
२१९. डा० सरूप सिंह
२२०. श्री प्रभु सिंह
२२१. ,, सुजान सिंह
२२२. ,, सुलतान सिंह

हिमाचल प्रदेश

२२३. श्री रोशन लाल
२२४. श्रीमती मोहिन्दर कौर
२२५. श्री ज्ञानचन्द टोट्टू

सिक्किम

२२६. श्री लियोनार्ड सोलोमन सारिंग

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अरुणाचल प्रदेश
२२७. श्री रतन टामा
दिल्ली
२२८. श्री खुर्शीद आलम खाँ
२२९. " चरणजीत चानना
२३०. " जगन्नाथ राव जोशी
मिजोरम
२३१. श्री लाल सवइया
पांडिचेरी
२३२. श्री वी०पी० मुनस्वामी
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत
२३३. प्रो० रशीदउद्दीन खाँ
२३४. डा० एम० एस० आदिशैषय्या
२३५. श्री बी० एन० बनर्जी
२३६. " विशम्भरनाथ पांडे
२३७. श्रीमती फातिमा इस्माईल
२३८. डा० लोकेशचन्द्र
२३९. श्रीमती मरगथम चन्द्रशेखर
२४०. श्री श्रीकृष्ण कृपलानी
२४१. " पांडुरंग धर्मजी जाधव
२४२. " भगवती चरण वर्मा
२४३. " स्कतो स्वू
२४४. डा० वी०पी० दत्त

गया नगर पालिका की ओर से नगर के साहित्यकारों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए हम निम्नलिखित निवेदन करते हैं ।

नगरपालिका गया जनता की सेवा में प्रयत्नशील है । नगरपालिका नगर के सभी नालों की सफाई की व्यवस्था कर रही है। सभी सड़कों की भी समुचित सफाई का प्रबन्ध किया जा रहा है । परन्तु यह सफाई की व्यवस्था तब तक कारगर नहीं होगी जब तक गया शहर की जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होगा ।

अतः गया की जनता से निम्नलिखित बातों पर गया नगरपालिका सहयोग की आकांक्षा रखती है ।

१. घर के कूड़े-कचड़े नाले में न फेंक कर निर्धारित स्थान पर ही फेंके ।
२. किसी भी क्षेत्र में अगर चेचक या हैजा की शिकायत हो तो इसकी सूचना स्वास्थ्य पदाधिकारी को अतिशीघ्र दें ।
३. खुले खाद्य पदार्थों की बिक्री न करें तथा उसका उपयोग भी न करें ।
४. पानी का नल खुला न छोड़ें जिससे कि पानी की बरबादी को रोका जा सके ।
५. गया नगरपालिका टीकाकार जब आपके क्षेत्र में जाये तो स्वयं टीका लेकर अपने बगल के सभी लोगों को टीका दिलवाने में सहयोग प्रदान करें ।
६. नगरपालिका द्वारा नागरिकों की सुविधा हेतु इस वर्ष ३७ सड़कों एवं ५३ नालियों का उन्नयन एवं निर्माण किया गया है, इसके अतिरिक्त ८० गलियों में खरंजा लगाया गया है । पार्कों को सुन्दर बनाने का प्रयास किया जा रहा है ।

अध्यक्ष
गया नगरपालिका, गया

कार्यपालक पदाधिकारी
गया नगरपालिका, गया

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

प्रगति पथ पर

१. वर्ष ७८-७९ में १४३१.०९ लाख रुपये का व्यवसाय जो गत वर्ष की अपेक्षा पचास प्रतिशत अधिक रहा।

२. ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्रता से सामान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में १३ शाखाओं की स्थापना।

३. प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति हेतु शासन द्वारा एकमात्र अधिकृत वितरक।

४. आत्म-निर्भरता एवं शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ५ औद्योगिक इकाइयों का संचालन।

५. वर्ष ७९-८० में ४० करोड़ रुपये का व्यवसाय करने, ४ नई औद्योगिक इकाइयाँ लगाने तथा नई शाखायें खोलने का लक्ष्य।

हमारा उद्देश्य—समाज के निर्बल वर्ग को उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराना।

रंग बिहारी लाल — प्रबन्ध निदेशक
रामशरण दास — अध्यक्ष
यू० पी० उपभोक्ता सहकारी संघ लि०
लखनऊ

सिंचाई से अधिकतम फायदा

सिंचाई खेती की जीवनदायिनी है। यदि भूमि का सही रूप से समतलीकरण न हुआ हो और खेत इधर-उधर बिखरे हुए हों, तो सिंचाई से पूर्ण लाभ नहीं मिलते। सही ढंग से सिंचाई के अभाव में आपकी कीमती खाद, बढ़िया बीज और आधुनिकतम कृषि यंत्रों के उपयोग का लाभ नहीं मिलता।

राज्य भूमि विकास निगम—

बड़े पैमाने पर भूमि विकास कार्य कर रहा है। जिसमें भूमि का समतलीकरण, खेतों की चकबन्दी, निकास नाली बनाना जैसे कार्य सम्मिलित हैं। यह कार्य बड़ी एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के कार्य क्षेत्र में किया जा रहा है।

हमारी अन्य गतिविधियों में खेतों में सिंचाई हेतु—सिंचाई नालियाँ, पानी निकास नालियों का निर्माण करना तथा किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

इस तरह विकास की गई भूमि के स्वामी किसान दो ही नहीं बल्कि तीन-तीन फसल एक साल में ले रहे हैं।

आप भी पीछे क्यों रहें?

आइये और समृद्धि की इस हरित क्रान्ति में शामिल हो जाइये।

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क कीजिए

प्रबन्ध संचालक
मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम
प्लाट नं० १८, मालवीय नगर-भोपाल

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

राज्य तथा संघीय क्षेत्र

आन्ध्रप्रदेश

राजधानी—हैदराबाद, क्षेत्रफल—२७६८१४ वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या—४३,५०२,७०८ मुख्यभाषा—तेलुगु, साक्षरता प्रतिशत—२४.६, (१९७१), राज्यपाल—श्री ए० सी० अब्राहम, शासक दल—कांग्रेस (आई), मुख्यमंत्री—डा० एम० चेन्ना रेड्डी। विधानसभा सदस्य संख्या—२८७। लोकसभा सदस्य संख्या—४२।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसख्या	सदर मुकाम
१. अनन्तपुर	१९,१२५	२१,१५,३२१	अनन्तपुर
२. आदिलाबाद	१६,१३३	१२,८८,३४८	आदिलाबाद
३. कडप्पा	१५,३५६	१५,७७,२६७	कडप्पा
४. कर्नूल	१८,७९९	१९,८२,०९०	कर्नूल
५. करीमनगर	११,८२४	१९,६३,९२८	करीमनगर
६. कृष्णा	८,७३४	२४,९३,५७४	मछलीपटनम
७. खम्मम	१५,८७२	१३,९९,८९२	खम्मम
८. गुण्टूर	११,३७७	२८,४४,४८८	गुण्टूर
९. चित्तूर	१५,७६३	२२,८५,५३६	चित्तूर
१०. नलगोण्डा	१४,२४२	१८,१९,७३८	नलगोण्डा
११. निजामाबाद	७,९६९	१३,१३,२६८	निजामाबाद
१२. नेल्लूर	१३,०५८	१६,०९,६१७	नेल्लूर
१३. पश्चिम गोदावरी	७,७४४	२३,७४,३०६	एलूरु
१४. पूर्व गोदावरी	१०,९७०	३०,८७,२६२	काकीनाडा
१५. प्रकाशम	१७,६२०	१९,१९,९९५	ओंगोल
१६. महबूबनगर	१८,४१९	१९,३२,०८२	महबूबनगर
१७. मेदक	९,६८५	१४,६७,९४४	संगारेड्डी
१८. वारंगल	१२,८७५	१८,७०,९३३	वारंगल
१९. विशाखापत्तनम	१३,७९९	२८,०५,३६६	विशाखापत्तनम
२०. श्रीकाकुलम	९,७४३	२५,८९,९९१	श्रीकाकुलम
२१. हैदराबाद	७,७०७	२७,९१,७६२	हैदराबाद

१९७१ की जनगणना के अनुसार

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मन्त्रिमण्डल

१. डा० एम० चेन्ना रेड्डी	: मुख्य मंत्री
२. श्री जी० राजाराम	: वित्त एवम् योजना
३. " एम० एम० हाशिम	: गृह
४. " वाई. वेंकटराव	: कृषि
५. " वी० वेंकटराम रेड्डी	: शिक्षा
६. " टी० हायग्रवाचारी	: तकनीकी शिक्षा एवम् चिकित्सा
७. " पी० वी० चौधरी	: पुरातत्व
८. " एन० जनार्दन रेड्डी	: भू-राजस्व
९. " जी० वेंकटस्वामी	: श्रम एवं रोजगार
१०. " के०वी०आर०एम० पद्मनाभ राजू	: जनजाति कल्याण
११. " बी० रामदेव	: पशुपालन
१२. " ए० मदनमोहन	: स्वास्थ्य
१३. श्रीमती रोडा मिस्त्री	: पर्यटन एवं महिला कल्याण
१४. श्री ए० वेंगल रेड्डी	: परिवहन
१५. " अहमद शरीफ	: राहत एवं पुनर्वास
१६. " के० ओबूल रेड्डी	: मध्यम सिंचाई
१७. " सी० दास	: चुनाव तथा टैक्सटाइल्स
१८. " पी० गंगा रेड्डी	: आपूर्ति एवं सहकारिता
१९. " के० रंगाराव	: आवास एवं समाज कल्याण
२०. " निजाम वली	: कारागार
२१. " एन० अमरनाथ रेड्डी	: सहकारिता
२२. " एम० बागा रेड्डी	: पंचायती राज
२३. " पी० शेषावतारम	: ग्रामीण विकास
२४. " एन० भास्कर राव	: आवकारी
२५. " ए० वीरप्पा	: मत्स्य पालन विकास
२६. श्रीमती सरोजनी पुल्ला रेड्डी	: नगरपालिका प्रशासन
२७. " के० रोसैयाह	: डाक-तार
२८. " जी० रामूल्लू नायडू	: लघु सिंचाई

असम

राजधानी—दिसपुर (गोहाटी) **क्षेत्रफल**—७८,५२३ वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या—१,४६,२५,१५२

मुख्य भाषा—असमी, **साक्षरता प्रतिशत**—२७.७४

राज्यपाल—श्री एल० पी० सिंह, **शासक दल**—असम जनता दल

मुख्यमंत्री—श्री जोगेन्द्रनाथ हजारिका **विधान सभा सदस्य संख्या**—१२६।

लोकसभा सदस्य संख्या—१४।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१. उत्तरी काचार पहाड़ियाँ	४,८९०	७६,०४७	हैफ्लांग
२. काचार	६,९६२	१७,१३,३१८	सिलचर
३. कामरूप	९,८६३	२८,५४,१८३	गोहाटी
४. गोलपारा	१०,३५९	२२,२५,१०३	धुबरी
५. दोरंग	८,७७५	१७,३६,१८८	तेजपुर
६. नौगाँव	५,५६१	१६,८०,८९५	नौगांव
७. मिकिर पहाड़ियाँ	१०,३३२	३,७९,३१०	डीफू
८. लखीमपुर	५,६४६	७१,१६०	उ. लखीमपुर
९. शिवसागर	८,९८९	१८,३७,३८९	जोरहाट
१०. डिब्रूगढ़	७,०२३	१४,११,११९	डिब्रूगढ़

मन्त्रि-मण्डल

१. श्री जोगेन्द्रनाथ हजारिका	मुख्यमन्त्री
२. " केशवचन्द्र गोगोई	वित्त, राजस्व
३. " प्रेम बोरा	शिक्षा
४. " रवीन्द्रनाथ चौधरी	सिंचाई, आबकारी
५ " जगन्नाथ सिन्हा	श्रम, खान
६. " जहिरूल इस्लाम	बाढ़ नियन्त्रण
७. " अताफ़ हुसैन मजूमदार	आपूर्ति, सहकारिता
८. डा० तरणि मोहन बरुआ	पर्यटन
९. श्री रमेशचन्द्र सहरिया	वन तथा ग्रामोद्योग
१०. " शान्ति रंजनदास गुप्त	पशुपालन
११. " सोनारम थोसेन	पर्वतीय विकास

राज्यमंत्री

१. श्री सिलवियस कोंडप्पन	ग्रामीण विकास तथा भू सुधार
२. श्री फजलुर रहमान	पंचायतीराज, सामुदायिक विकास
३. डा० तारिणीचरणदास	जन स्वास्थ्य

बिहार

राजधानी—पटना, क्षेत्रफल—१,७३,८७६ वर्ग किलोमीटर।

जनसंख्या —५,६३,५३,३६९।

मुख्य भाषा—हिन्दी, बोलियाँ—भोजपुरी, मैथिली, मगही।

साक्षरता—(१९७१) १९.९७, राज्यपाल—श्री ए० आर० किदवाई।

शासक दल—जनता पार्टी। विधान सभा सदस्य संख्या—३२४

मुख्यमन्त्री—श्री रामसुन्दरदास। लोकसभा सदस्य संख्या—५४।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
१. पटना	३,१८१९	२२,५०,८८३	पटना
२. नालन्दा	२,३४६.१	१३,०३,०६२	बिहारशरीफ
३. गया	४,२८७.५	१९,२४,२८९	गया
४. औरगाबाद	४,४०८.९	१२,९२,६६६	औरंगाबाद
५. नवादा	३,६४७.६	१२,४०,५१८	नवादा
६. भोजपुर	४,०२३.८	१९,६५,१४६	आरा
७. रोहतास	७,२९६.२	१९,४३,८८८	सासाराम
८. सारन	—	१७,०६,७२२	छपरा
९. सिवान	६,६५२.०	१४,०२,०६७	सिवान
१०. गोपालगंज	—	११,०७,४६४	गोपालगंज
११. पूर्वी चम्पारन	४,३३३.८	१९,५६,०८४	मोतीहारी
१२. पश्चिमी चम्पारन	४,८६२.२	१५,८७,०१९	बेतिया
१३. मुजफ्फरपुर	३,१६०.१	१९,०६,०५८	मुजफ्फरपुर
१४. वैशाली	२,०१८.७	१३,४८,९९०	हाजीपुर
१५. सीतामढ़ी	२,६५९.२	१५,८२,६२२	सीतामढ़ी
१६. दरभंगा	१,२९६.०	१५,१७,१५१	दरभंगा
१७. समस्तीपुर	२,८५६.४	१८,२४,७१८	समस्तीपुर
१८. मधुबनी	३,५२६.६	१८,९२,०३९	मधुबनी
१९. मुंगेर	७,९२७.६	२७,४५,१८०	मुंगेर
२०. भागलपुर	५,६५६.०	२०,९१,१०३	भागलपुर
२१. संथाल परगना	१४,१२९.०	३१,८६,९०८	दुमका
२२. बेगूसराय	१,८९९.४	११,४७,४४९	बेगूसराय
२३. सहरसा	५,८८५.०	२३,५०,२९८	सहरसा
२४. पूर्णिया	७,९८९.७	२८,८४,९९०	पूर्णिया
२५. कटिहार	३,०२३.३	१०,५६,८७३	कटिहार
२६ पलमऊ	१२,६७७.७	१५,०४,३५०	डाल्टनगंज
२७. हजारीबाग	११,१५२.५	१६,४५,८३८	हजारीबाग
२८. गिरिडीह	६,९०७.५	१३,७४,३७६	गिरिडीह
२९. रांची	१८,३३१.०	२६,११,४४५	रांची
३०. धनबाद	२,९९४.०	१४,६६,४१७	धनबाद
३१. सिंहभूमि	१३,४४७.०	२४,३७,७९९	चाईबासा

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मन्त्रिमण्डल

१. श्री रामसुन्दरदास	मुख्यमन्त्री
२. " कैलाशपति मिश्र	वित्त
३. " मुनीश्वर प्रसाद सिंह	सिंचाई एवं विद्युत
४. " ललित उरांव	वन तथा जनजाति कल्याण
५. " तेजनारायण यादव	पशु एवं मत्स्यपालन
६. " देवनारायण यादव	कृषि
७. " अनिरुद्ध प्रसाद	जन स्वास्थ्य
८. " मौहम्मद सईद	पर्यटन एवं वक्फ
९. " राणा शिवलखपति सिंह	विधि
१०. " एस० अली हैदर	सहकारिता
११. " मोहनराम	समाज कल्याण
१२. " लालमुनि चौबे	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
१३. " बसावन सिंह	उद्योग
१४. " शमशेर जंगबहादुर सिंह	श्रम तथा रोजगार
१५. " ठाकुरप्रसाद सिंह	खान तथा भूगर्भ
१६. " रामविलास सिंह	ग्रामीण विकास
१७. " शंकरप्रसाद टेकरीवाल	खाद्य तथा आपूर्ति
१८. " विजयकुमार मित्रा	सार्वजनिक निर्माण
१९. " शिवनाथ वर्मा	मद्यनिषेध
२०. " ठाकुर मुनीश्वरनाथ सिंह	परिवहन तथा जेल

राज्यमन्त्री

१. श्री छतरू महतो	वित्त
२. " कांदे मांझी	वन
३. " सत्यदेव आर्य	ग्रामीण विकास
४. " सियाराम ठाकुर	सहकारिता
५. " चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह	उच्च शिक्षा
६. " परमेश्वर हेमब्राम	विद्युत
७. " वासुदेवप्रसाद सिंह	माध्यमिक शिक्षा
८. " रामप्रीत पासवान	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण
९. " मिथिलेशकुमार सिंह	कार्मिक
१०. " इखलाक अहमद	सिंचाई
११. श्रीमती कौशल्या देवी	सार्वजनिक निर्माण
१२. श्री रामजतन सिंह	उद्योग

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

गुजरात

राजधानी—गांधीनगर, क्षेत्रफल—१,९५,९८४ वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या—२,६६,९७,४७५

मुख्य भाषा—गुजराती, साक्षरता प्रतिशत—४२.५३।

राज्यपाल—श्रीमती शारदा मुखर्जी, मुख्यमन्त्री—श्री बाबू भाई पटेल।

शासक दल—जनता पार्टी। लोकसभा सदस्य संख्या—२६

विधान सभा सदस्य संख्या—१८२

जिलों का क्षेत्रफल, जनसँख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१. अमरेली	६,७६०	८,४८,७३०	अमरेली
२. अहमदाबाद	८,७०७	२९,१०,३०७	अहमदाबाद
३. कच्छ	४५,६१२	८,४९,७६९	कच्छ
४. खेड़ा	७,१९४	२४,५१,३८७	खेड़ा
५. गांधीनगर	६४९	२,००,६४२	गांधीनगर
६. जामनगर	१४,१२५	११,११,३२३	जामनगर
७. जूनागढ़	१०,६०७	१६,५६,६७७	जूनागढ़
८. डांग	१,६८३	९४,१८५	अहवा
९. पंचमहल	८,८६६	१४,४८,८०४	गोधरा
१०. बड़ौदा	७,७८८	१९,८०,०६५	बड़ौदा
११. बनासकांठा	१२,७०२	१२,६५,३८३	पालनपुर
१२. भड़ौंच	९,०४५	११,०९,६०१	भड़ौंच
१३. भावनगर	११,१५५	१४,०५,२८५	भावनगर
१४. मेहसाना	९,०२७	२०,९२,४६८	मेहसाना
१५. राजकोट	११,२०३	१६,२४,०७२	राजकोट
१६. बल्साड़	५,२३८	१४,२८,७४२	बल्साड़
१७. साबरकांठा	७,३९०	११,८७,६३७	हिम्मतनगर
१८. सुरेन्द्रनगर	१०,४८८	८,४५,४५४	सुरेन्द्रनगर
१९. सूरत	७,७४५	१७,८६,६२४	सूरत

मन्त्रि-मण्डल

१. श्री बाबू भाई जश भाई पटेल	मुख्यमन्त्री, ऊर्जा (विद्युत छोड़कर)।
२. ,, मणिकलाल मगलाल गांधी	पंचायत (सामुदायिक विकास योजनाओं सहित)
३. ,, केशुभाई एस० पटेल	कृषि एवं सिंचाई
४. ,, जसवन्तलाल एस० शाह	उद्योग, संसदीय मामले, खेलकूद, प्रिंटिंग।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

५. श्री नवीन चन्द्र एम० बारोट	श्रम, शहरी विकास, नगर नियोजन, नगर निगम, विधि एवं समायोजन।
६. " पोपटलाल एम० व्यास	गृह, सूचना, सांस्कृतिक गतिविधियाँ एवं पर्यटन।
७. " लल्लूभाई एम० सेठ	नागरिक आपूर्ति, सर्वोदय, कुटीर एवं ग्राम उद्योग।
८. " नवल भाई एन० शाह	शिक्षा, पशु पालन, डेरी विकास और मेडिकल शिक्षा।
९. " मकरंद भाई वी० देसाई	खान, खनिज एवं विद्युत, आवास, शहरी एवं ग्रामीण जल आपूर्ति।
१०. " दिनेश भाई वी० शाह	योजना और वित्त।
११. डा० केशव भाई आर० पटेल	राजस्व, राहत एवं पुनर्वास।
१२. श्रीमती हेमाबेन ऐस० आचार्य	चिकित्सा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार एवं सामाजिक सुरक्षा।
१३. श्री रसिक चन्द्र डी० आचार्य	सहकारिता, न्यायपालिका और नगरपालिकायें।
१४. " हरी सिंह प्रताप सिंह चावड़ा	नशाबन्दी, सड़क एवं भवन और सरकारी कर्मचारी कल्याण गतिविधियां।
१५. " शंकर भाई डी० वघेला	परिवहन, जेल और पूंजी परियोजनायें।
१६. " भांजी भाई वी० पटेल	लघु बचत, बन्दरगाह एवं मत्स्य पालन।
१७. " भीमा भाई डी० राठौड़	हरिजन कल्याण और युवा कल्याण।
१८. " चन्दू भाई एस० देशमुख	आदिवासी कल्याण।

महाराष्ट्र

राजधानी—बम्बई, क्षेत्रफल—३,०७,७६२ वर्ग किलो मीटर।

जनसंख्या—५,०४,१२,२३५।

मुख्यभाषा—मराठी, साक्षरता प्रतिशत—३९।

राज्यपाल—श्री सादिक अली लोकसभा सदस्य संख्या—४८।

मुख्यमन्त्री—श्री शरद पवार। विधान सभा सदस्य संख्या—२८९।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
१. अकोला	१०,५६७	१५,०१,४७८	अकोला
२. अमरावती	१२,२१०	१५,४१,२०९	अमरावती
३. अहमदनगर	१७,०३५	२२,६९,११७	अहमदनगर
४. उस्मानाबाद	१४,११७	१८,९६,६८७	उस्मानाबाद
५. औरंगाबाद	१६,२००	१९,७१००६	औरंगाबाद

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

६. कोलाबा	७,१९८	१२,६३,००३	अलीबाग
७. कोल्हापुर	८,०५९	२०,४८,०४९	कोल्हापुर
८. वृहत्तर बम्बई	६०३	५९,७०,५७५	बम्बई
९. चन्द्रपुर	२५,६४१	१६,४०,१२४	चन्द्रपुर
१०. जलगांव	११,७७१	२१,२३,१२४	जलगांव
११. थाना	९,५५३	२२,८१,६६४	थाना
१२. धुलिया	१३,१४६	१६,६२,१८१	धुलिया
१३. नांदेड़	१०,४९२	१३,९७,७६२	नांदेड़
१४. नागपुर	९,९२८	१९,४२,६८८	नागपुर
१५. नासिक	१५,५८२	२३,६६,२२१	नासिक
१६. परभणी	१२,४८९	१५,०६,७७४	परभणी
१७. पुणे	१५,६४०	३१,७८,०२९	पुणे
१८. बीड	११,२२७	१२,८३,१२१	बीड
१९. बुलढाणा	९,७४५	१२,६२,९७८	बुलढाणा
२०. भण्डारा	९,२१४	१५,८५,५८०	भण्डारा
२१. यवतमाल	१३,९२५	१४,२३,६७७	यवतमाल
२२. रत्नागिरी	१३,०४०	१९,९०,५८३	रत्नागिरी
२३. वर्धा	६,३०७	७,७९,५६२	वर्धा
२४. शोलापुर	१५,०२१	२२,४५,८४०	शोलापुर
२५. सतारा	१०,४९१	१७,२७,३७६	सतारा
२६. सांगली	८,५३३	१५,३९,८२०	सांगली

मन्त्रि-मन्डल

१. श्री शरद पवार	मुख्यमंत्री, गृह सामान्य प्रशासन एवं वित्त
२. " उत्तमराव पाटिल	राजस्व एवं पुनर्वास
३. " आर० ए० पाटिल	विधि एवं कानून
४. " एस० ए० सोलंके	उद्योग, पशुपालन तथा डेयरी विकास
५. " एन० डी० पाटिल	सहकारिता
६. " निहाल अहमद	रोजगार, तकनीकी शिक्षा
७. " गणपतराव देशमुख	कृषि
८. " ए० एस० कस्तूरे	समाज कल्याण तथा जनजाति विकास
९. " एस० एस० वर्दे	शिक्षा, सांस्कृतिक मामले, युवा सेवा तथा क्रीड़ा
१०. " हाशु आडवाणी	शहरी विकास
११. " जगन्नाथराव जाधव	सार्वजनिक कार्य तथा कानूनी मामले
१२. " गोविन्दराव आदिक	सिंचाई

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१३. श्री एस० एस० शिन्दे	श्रम तथा पर्यटन
१४. " वी० एस० सुर्वे	आवास तथा कारागार
१५. डा० श्रीमती प्रमिला टोपले	जनस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
१६. श्री हसमुख भाई उपाध्याय	खाद्य, आपूर्ति तथा परिवहन
१७: „ छेदीलाल गुप्त	वन तथा मद्य निषेध

राज्यमन्त्री

१. श्री वी० एस० भाई वैद्य	सामान्य प्रशासन एवं गृह
२. डा० दत्ता मेघे	रोजगार, तकनीकी शिक्षा तथा पर्यटन
३. श्री एस० डी० काले	शिक्षा एवं सहकारिता
४. " पी० एस० भोंसले	ग्रामीण विकास तथा पुनर्वास
५. " डी० डी० पाडवे	वन तथा जनजाति विकास
६. डा० इशाक जमखानावाला	आवास एवं श्रम
७. श्री किशनराव देशमुख	राजस्व तथा योजना
८. " सखाराम नखाटे	परिवहन, खाद्य तथा आपूर्ति
९. " श्रीपतराव बोहदरे	कृषि
१०. " वी० जी० मुलक	शहरी विकास
११. " वी० एल० पाटिल	पशुपालन एवं डेयरी विकास
१२. " विनायकराव पाटिल	उद्योग, सांस्कृतिक मामले तथा क्रीड़ा
१३. डा० पी० वी पाटिल	नशाबंदी एवं आबकारी
१४. श्री शिवाजीराव पाटिल	सिंचाई
१५. " वी० डी० धकाने	सार्वजनिक कार्य
१६. " एन० बी० गडेकर	जनस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

कर्नाटक

राजधानी—बंगलौर।	क्षेत्रफल—१,९१,७७३ कि० मी० .
जनसंख्या—२,९२,९९,०१४।	साक्षरता प्रतिशत—३१.४७।
मुख्यभाषा—कन्नड़।	राज्यपाल—श्री गोविन्दनारायण।
मुख्यमन्त्री—श्री देवराज अर्स।	लोकसभा सदस्या संख्या—२८।
	विधान सभा सदस्य संख्या—२१६।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
१. उत्तर कन्नड़	१०,३७६	८,४६,१०५	कारवाड़
२. कडस (कुर्ग)	४,१०४	३,७६,२६३	मडकेरा
३. कोलार	८,२२३	१५,१५,६२६	कोलार
४. गुलबर्गा	१६,२२४	-१७,३६,२३०	गुलबर्गा
५. चिकमगलूर	७,१६६	७,३६,६४७	चिकमगलूर
६. चित्रदुर्ग	१०,८५२	१३,६६,४५६	चित्रदुर्ग
७. तुमकुर	१०,६०६	१६,२७,७२१	तूमकुर
८. दक्षिण कन्नड	८,४४१	१६,३६,३१५	मंगलौर
९. धारवाड़	१३,७४६	२३,४२,२१३	धारवाड़
१०. बंगलौर	८,००३	३३,६५,५३५	बंगलौर
११. बल्लारी	६,८६८	११,२२,६८६	बल्लारी
१२. बीजापुर	१७,०६७	१६,८५,५६१	बीजापुर
१३. बीदर	५,४५१	८,२४,०५६	बीदर
१४. बेलगाम	१३,४१०	२४,२३,३४२	बेलगाम
१५. मण्ड्या	४,६५८	११,५४,३७४	मण्ड्या
१६. मैसूर	११,२४७	२०,७७,२३८	मैसूर
१७. रायचूर	१४,००५	१६,१५,७४०	रायचूर
१८. शिवभोग	१०,७४८	१३,१०,४८५	शिवभोग
१९. हासन	६,८२३	११,०२,३७०	हासन

मन्त्रि-मण्डल

१. श्री देवराज अर्स	मुख्यमन्त्री
२. " बी० बासवलिंगप्पा	राजस्व
३. " अजीज सेठ	पर्यटन एवं वक्फ
४. " के० एच० रंगनाथ	कृषि तथा संसदीय कार्य
५. " एस० एम० याह्या	वित्त
६. " के० प्रभाकर	समाज कल्याण
७. " एल० जी० हवनूर	विधि
८. " एच० सी० श्रीकंठैया	नगरपालिका प्रशासन
९. " जी०रामे गौडा	पशुपालन एवं डेयरी विकास
१०. " आर० एस० पाटिल	परिवहन
११. " एम० मालप्पा	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण
१२. " बी० शुबैया शेट्टी	शिक्षा
१३. " मल्किार्जुन खारगे	पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास तथा आवास
१४. " एन० ए० सिद्दीकी	श्रम
१५. " के० एच० श्रीनिवास	सूचना एवं बिजली
१६. " डी० बी० चन्द्र गौडा	लघु सिंचाई
१७. " देवेन्द्रप्पा घालप्पा	सार्वजनिक निर्माणकार्य

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

राज्यमन्त्री

१. श्री वीरा शेट्टी खुसनूर	सहकारिता
२. " पी० एफ० राडरीगेस	आवास तथा युवा सेवा
३. " ए० वी० जकनूर	विनियमित हाट
४. " के० बी० शिवैय्या	रेशम उद्योग
५. " वी० बी० पत्तार	हथकरघा
६. " वाई० एस० चिताला	मत्स्यपालन
७. " बी० वी० जनैली	खान
८. ' एम० एस० कटगी	स्वतंत्र विभाग
९. " एन० बसवैया	लघु एवं वृहद सिंचाई

हरियाणा

राजधानी -- चण्डीगढ़, क्षेत्रफल—४४,२२२. वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या—१,००,२६,८०८

मुख्य भाषा – हिन्दी साक्षरता प्रतिशत—२६.८९ ।

राज्यपाल—श्री हरचरण सिंह बराड़ ।

शासक दल —जनता, मुख्यमन्त्री—श्री भजनलाल ।

लोक सभा सदस्य संख्या—१० विधानसभा सदस्य संख्या—९०

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
१. हिसार	६,३३९	११,२७,५१५	हिसार
२. भिवानी	५,०९०	७,६१,९५३	भिवानी
३. गुड़गांव	४,८८९	१३,७२,१९७	गुड़गांव
४. जींद	३,३१३	७,७२,१११	जींद
५. महेन्द्रगढ़	२,९८३	७,३४,१४३	नारनौल
६. अम्वाला	३,८३३	१०,९८,४०५	अम्वाला
७. करनाल	३,७२५	९,८८,४३७	करनाल
८. कुरुक्षेत्र	३,७३८	८,६२,८९९	कुरुक्षेत्र
९. रोहतक	३,८४३	१०,९८,५४८	रोहतक
१०. सोनीपत	२,२००	६,८६,९८६	सोनीपत
११. सिरसा	४,२७१	५,३३,६०४	सिरसा
१२. फरीदाबाद	२,१४२	७,१५,५३२	फरीदाबाद

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मन्त्रि-मण्डल

१. श्री भजनलाल	मुख्यमन्त्री
२. डा० मंगलसेन	उद्योग
३. श्री बलवन्तराय तायल	वित्त
४. '' रिजकराम	सिंचाई और बिजली
५. '' मेहरसिंह राठी	श्रम
६. '' जगन्नाथ	परिवहन
७. '' गजराज बहादुर नागर	खाद्य एवं आपूर्ति
८. '' तारासिंह	कृषि
९. '' खुर्शीद अहमद	स्वायत्त शासन
१०. श्रीमती कमला वर्मा	स्वास्थ्य
११. ठाकुर बीरसिंह	सहकारिता
१२. श्री शेरसिंह	राजस्व
१३. श्री रामपालसिंह	सार्वजनिक निर्माण
१४. श्री शिवराम वर्मा	पशुपालन, कारागार, डेयरी विकास
१५. श्री रामनारायण	आवास एवं विकास
१६. स्वामी अग्निवेश	शिक्षा

उपमन्त्री

१. श्री लालसिंह	जन स्वास्थ्य, श्रम तथा रोजगार आदि
२. '' सरदार खां	सामान्य प्रशासन
३. '' देवेन्द्र शर्मा	सिंचाई तथा बिजली
४. '' प्रेमसिंह	कृषि तथा तकनीकी शिक्षा
५. '' जय नारायण	स्वायत्त शासन तथा संसदीय कार्य

हिमाचल प्रदेश

राजधानी—शिमला। **जनसंख्या**—३४,६०,४३४

क्षेत्रफल—५५,६७३ वर्ग किलोमीटर।

मुख्य भाषा—हिन्दी, **साक्षरता प्रतिशत**—१९.२

राज्यपाल—श्री अमीनुद्दीन खाँ। **शासक दल**—जनता पार्टी।

मुख्यमन्त्री—श्री शान्ताकुमार। **लोकसभा सदस्य संख्या**—४

विधान सभा सदस्य संख्या—६८

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जिलों का क्षेत्रफल, जनसँख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
१. विलासपुर	१,२००	१,६४,७८६	विलासपुर
२. चम्बा	८,२००	२,५५,२३३	चम्बा
३. हमीरपुर	१,६००	२,६५,०११	हमीरपुर
४. काँगड़ा	५,३००	८,००,८६३	काँगड़ा
५. किन्नौर	६,६००	४६,८३५	कालपा
६. कुल्लू	५,४००	१,९२,३७१	कुल्लू
७. लाहौल और स्पीति	१२,०००	२३,५३८	केलौंग
८. मण्डी	४,०००	५,१५,१८०	मण्डी
९. शिमला	५,०००	४,१९,८४४	शिमला
१०. सिरमौर	२,१००	२,४५,०३३	नाहन
११. सोलन	२,१००	२,३७,४०३	सोलन
१२. ऊना	१,५००	२,६१,३३७	ऊना

मन्त्रि-मण्डल

१. श्री शान्ताकुमार	मुख्यमन्त्री
२. श्री दौलतराम चौहान	उद्योग
३. श्री जगदेव चन्द्र	राजस्व
४. श्री श्रवणकुमार	स्वास्थ्य
५. श्री रूपसिंह ठाकुर	वन
६. श्री शिवकुमार	शिक्षा

राज्यमन्त्री

१. श्री रूपसिंह चौहान	लोक सम्पर्क
२. " कुंजलाल ठाकुर	ग्रामीण विकास
३. " गुलाबसिंह	पंचायत
४. " साधूराम	खाद्य एवं आपूर्ति
५. " नगीनचन्द्र पाल	सहकारिता

जम्मू-कश्मीर

राजधानी—श्रीनगर (ग्रीष्म), जम्मू (शीत), क्षेत्रफल—२,२२,२३६ वर्ग कि० मी० (१,३७,३८२ वर्ग किलोमीटर युद्ध विराम रेखा से भारतीय क्षेत्र में शेष पाक अधिकृत)

जनसंख्या—४६,१६,६३२, मुख्य भाषा—उर्दू, कश्मीरी, डोगरी।

साक्षरता प्रतिशत—१८.२० राज्यपाल—श्री लक्ष्मीकांत झा।

मुख्यमन्त्री—श्री शेख अब्दुल्ला। लोकसभा सदस्य संख्या—६

विधान सभा सदस्य संख्या—७६

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जिलों का क्षेत्रफल, जनसँख्या व सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
१. अनन्तनाग (कश्मीर दक्षिण)	५,३८२	८,३२,२८०	अनन्तनाग
२. ऊधमपुर	४,५४६	३,३८,८४६	ऊधमपुर
३. कठुआ	२,६५१	२,७४,६७१	कठुआ
४. जम्मू	३,१६५	७,३१,७४३	जम्मू
५. ड़ोडा	११,६९१	३,४२,२२०	डोडा
६. पुंछ	१,६५८	१,७०,७८७	पुंछ
७. बारामूला (कश्मीर उत्तर)	७,४५८	७,७५,७२४	बारामूला
८. राजौरी	२,६८१	२,१७,३७३	राजौरी
९. लद्दाख	९५,८७६	१,०५,२९१	लेह
१०. श्रीनगर	३,०१३	८,२७,६९७	श्रीनगर

मन्त्रि-मण्डल

१. श्री शेख अब्दुल्ला — मुख्यमन्त्री,
२. श्री डी० डी० ठाकुर — वित्त, शिक्षा, आवास एवं शहरी विकास,
३. श्री सोनम नारबू — सार्वजनिक निर्माण तथा विद्युत
४. श्री जी० एम० शाह — खाद्य, आपूर्ति और परिवहन।
५. श्री जी० एन० कोचक — उद्योग, एवं वाणिज्य

राज्यमन्त्री

१. श्री जी० एम० भदरवाही — संसदीय मामले और राहत एवं पुनर्वास
२. डा० हरभजन सिंह — स्वास्थ्य।
३. श्री जी० एच० कादीर मीर — परिवहन।
४. श्री बसीर अहमद — पशुपालन और भेड़ विकास
५. श्री मोहम्मद शफी — स्कूल शिक्षा।
६. श्री परमानन्द — खाद्य एवं आपूर्ति।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

उपमन्त्री

१. श्री बी० ए० किचलू	सड़क एवं भवन
२. ,, गुलाम अहमद गनी	स्थानीय स्वशासन
३. ,, गुलामदीन शाह	आवास एवं शहरी विकास
४. ,, हिसामुद्दीन बन्दे	श्रम और समाज कल्याण, वक्फ और हज।
५. ,, एम० दिलावर मीर	पर्यटन।
६. ,, मोहम्मद हुसैन	सामुदायिक विकास।
७. ,, पी० एन० राजू	वन।

केरल

राजधानी—त्रिवेन्द्रम,
क्षेत्रफल—३८८६४ वर्ग किलोमीटर।
जनसंख्या—२१,३४,७३७५
मुख्य भाषा—मलयालम।
साक्षरता प्रतिशत—६०.४२
राज्यपाल—श्रीमती ज्योति वेंकटाचलम्।
मुख्यमन्त्री—श्री सी० एच० मोहम्मद कोया
लोकसभा सदस्य संख्या—२०
विधान सभा सदस्य संख्या—१४०

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (लाख में)	मुख्यालय
१. आलप्पुजा	१,८८४	२१.२६	आलप्पुजा
२. एर्णाकुलम	२,३७७	२३.८३	एर्णाकुलम
३. कण्णूर	५,७०६	२३.६५	कण्णूर
४. कोजीकोड	३,७२६	२१.०६	कालीकट
५. कोट्टयम	२,१९५	२०.८५	कोट्टयम
६. कोल्लम	४,६२३	२४.१३	कोल्लम
७. तिरुवनन्तपुरम्	२,१९२	२१.९९	तिरुवनन्तपुरम्
८. त्रिचूर	३,०३२	२१.२९	त्रिचूर
९. पालघाट	४,४००	१६.८५	पालघाट
१०. मलप्पुरम	३,६३८	१८.५६	मलप्पुरम
११. ईडिक्की	५,१२७	१७.६५	कोट्टयम

मन्त्रि-मण्डल

१. श्री सी०एच० मोहम्मद कोया	मुख्यमन्त्री।
२. " एन० भास्करन नायर	मन्त्री।
३. " एन० के० बालकृष्णन	"

मध्यप्रदेश

राजधानी—भोपाल,
क्षेत्रफल—४,४२,८४१ वर्ग किलोमीटर।
जनसंख्या—४१,६५४,११९।
मुख्यभाषा—हिन्दी
साक्षरता प्रतिशत—२२.१४।
राज्यपाल—सी० एम० पुनाचा
शासक दल—जनता पार्टी।
मुख्यमन्त्री—वीरेन्द्र कुमार सखलेचा।
लोकसभा सदस्य संख्या—४०
विधान सभा सदस्य सख्या—३२०

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
१. इन्दौर	३,९१०	१०,२५,१५०	इन्दौर
२. उज्जैन	६,०८१	८,६२,५१६	उज्जैन
३. गुना	११,०६२	७,८३,७८८	गुना
४. ग्वालियर	५,१८४	८,५८,००५	ग्वालियर
५. छतरपुर	८,७५८	७,१२,३८५	छतरपुर
६. छिन्दवाड़ा	११,८२५	९,८६,४१३	छिन्दवाड़ा
७. जबलपुर	१०,१५२	१६,८६,०३०	जबलपुर
८. झाबुआ	६,७७२	६,६७,८११	झाबुआ
९. टीकमगढ़	५,०३४	५,६८,८८५	टीकमगढ़
१०. दतिया	२,०२७	२,५५,२६७	दतिया
११. दमोह	७,३२१	५,७३,१६३	दमोह
१२. दुर्ग	१९,६२२	२४,६१,९०१	दुर्ग
१३. देवास	७,००७	५,९४,३३६	देवास
१४. धार	८,१६०	८,४२,४००	धार
१५. नरसिंहपुर	५,१२६	५,१९,२७०	नरसिंहपुर
१६. प० निमाड़	१३,४८५	१२,८४,८१२	खरगौन
१७. पू० निमाड़	१०,७०१	८,७९,३२१	खंडवा
१८. पन्ना	७,०३१	४,२९,०७७	पन्ना
१९. बस्तर	३९,१७६	१५,१५,९५६	जगदलपुर
२०. बालाघाट	९,२५५	९,७७,५८३	बालाघाट
२१. बिलासपुर	१९,७२३	२४,४०,९६२	बिलासपुर
२२. बैतूल	१०,०६०	७,३६,१९३	बैतूल
२३. भिण्ड	४,४३२	७,९६,९५५	भिण्ड
२४. भोपाल	२,७६३	५,७२,१६९	भोपाल
२५. मंडला	१३,२७८	८,७३,५७७	मंडला
२६. मन्दसौर	१०,२७१	९,६१,५२२	मन्दसौर
२७. मुरैना	११,६२५	९,८५,३३८	मुरैना
२८. रतलाम	४,४७४	६,२६,५३५	रतलाम
२९. राजगढ़	६,१७३	६,४४,३४६	राजगढ़
३०. रायगढ़	१३,११६	१२,७८,७०५	रायगढ़
३१. रायपुर	२१,२७३	२६,१३,५३१	रायपुर
३२. रायसेन	८,४७४	५,५३,०२६	रायसेन
३३. राजनान्दगाँव	११,००३	९,९२,७७४	राजनान्दगांव
३४. रीवाँ	६,४९७	६,७७,८९४	रीवां
३५. विदिशा	८,३५३	६,५८,४२७	विदिशा
३६. शहडोल	१४,०१६	१०,२९,८३९	शहडोल
३७. शाजापुर	६,१८६	६,७८,३५९	शाजापुर
३८. शिवपुरी	१०,३२५	६,७६,५६७	शिवपुरी

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

३९. सतना	७,३६२	९,१३,५३१	सतना
४०. सरगुजा	२२,३४०	१३,२६,४३९	अम्बिकापुर
४१. सागर	१०,२५९	१०,६२,२९१	सागर
४२. सिवनी	८,७४३	६,६८,३५२	सिवनी
४३. सीधी	१०,५१६	७,७६,७८६	सीधी
४४. सीहोर	९,२२५	१०,८४,९३३	सीहोर
४५. होशंगाबाद	१०,०१६	८,०५,८७०	होशंगाबाद

मन्त्रि-मंडल

१. श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा	मुख्यमंत्री
२. " कैलाश जोशी	उद्योग, वाणिज्य एवं विद्युत
३. " रामहित गुप्त	वित्त
४. " शीतला सहाय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
५. " हरिभाऊ जोशी	पंचायत एवं ग्रामीण विकास
६. " यशवन्त राव मेघावाले	वन
७. " लक्ष्मीनारायण शर्मा	राजस्व व सहकारिता
८. " जवर सिंह	लोक निर्माण
९. " शिवप्रसाद चनपुरिया	कृषि
१०. " उमराव सिंह	शिक्षा
११. " रामानन्द सिंह	लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी
१२. श्रीमती जयश्री बनर्जी	समाज कल्याण
१३. श्री सखाराम पटेल	हरिजन कल्याण एवं भू-अभिलेख
१४. " सीता प्रसाद शर्मा	खाद्य
१५. " अनूप सिंह मरावी	पर्यटन
१६. " बलीराम कश्यप	आदिम जाति कल्याण
१७. " प्रभुनारायण त्रिपाठी	गृह (पुलिस)
१८. " पवन दीवान	जेल
१९. " डा० हमीद कुरैशी	पुनर्वास एवं वक्फ़
२०. " जंगबहादुर सिंह	योजना एवं भाषा

राज्यमन्त्री

१. श्री राजेन्द्र धारकर	स्थानीय शासन, विधि व विधायी कार्य
२. " मनहरण लाल पांडेय	गृह (सामान्य) व सिंचाई
३. " जगदीश गुप्त	श्रम
४. " विभाष बनर्जी	शिक्षा
५. " नाथूराम अहिरवार	कृषि

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

६. " डा० परशु राम साहू — लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण
७. " शरसचन्द्र झारिया — पृथक आगम
८. श्रीमती सविता वाजपेयी — लोक निर्माण
९. श्री ठाकुर दरबार सिंह — खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

मणिपुर

राजधानी—इम्फाल ।
जनसंख्या—१०,७२,७५३ ।
साक्षरता प्रतिशत—३७.७ ।
मुख्यमन्त्री—श्री वाई० एम० शैजा ।
क्षेत्रफल—२२,३५६ वर्ग किलोमीटर ।
मुख्य भाषा—मणिपुरी ।
राज्यपाल—श्री एल० पी० सिंह
लोकसभा सदस्य संख्या—२
विधान सभा सदस्य संख्या—६०

जिलों का क्षेत्रफल, जनसँख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
१. मणिपुर उत्तर	३,४१७	१,०४,१७५	सेनापाती
२. मणिपुर दक्षिण	४,५८१	९८,११४	चूड़ाचाँदपुर
३. मणिपुर पूर्व	४,४०९	६२,२२९	उखरुल
४. मणिपुर पश्चिमी	४,३४४	४४,९७५	तामेंगलोंग
५. मणिपुर मध्य	२,२३०	७,२४,५३७	इम्फाल

मन्त्रि-मन्डल

मुख्य मन्त्री—श्री वाई० एम० शैजा ।

मन्त्री—मोहम्मद अलीमुद्दीन, श्री एस० तोम्बीसिंह, श्री के० चाओवा तथा श्री नगरू दिनगेलियेन ।

राज्यमन्त्री—श्री डब्लू०कमोल सिंह, श्री डब्लू० निपामाचासिंह, श्री निमाईचन्द सिंह, मोहम्मद अशरफ अली तथा श्री आर० के० थेखो ।

नागालैंड

राजधानी—कोहिमा ।
जनसंख्या—५,१६,४४९ ।
साक्षरता प्रतिशत—२७.३३ ।
मुख्यमन्त्री—श्री विजोल अंगामी
क्षेत्रफल—१६,५२७ वर्ग किलोमीटर ।
मुख्य भाषा—अंगामी ।
राज्यपाल—श्री एल० पी० सिंह ।
लोकसभा सदस्य संख्या—१
विधान सभा सदस्य संख्या—६०

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जिलों का क्षेत्रफल, जनसँख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	सदर मुकाम
१. कोहिमा	७,२०६	१,७५,२०४	कोहिमा
२. त्वेनसांग	५,४६६	१,७३,००३	त्वेनसांग
३. मोकोकचुंग	३,८५२	१,६७,२४२	मोकोकचुंग

मन्त्रिमन्डल

मुख्यमन्त्री —श्री विजोल।

मन्त्री —श्री वामुजी, श्री हुस्का सुमी तथा श्री एल. लूंगालंग।

राज्यमन्त्री —श्री रुशुलो, श्री नोका, श्री मोहन्सन मुर्री, श्री वेडॅग तोशी, श्री के.एल. चिशी, श्रीसेन्तीचुवा तथा श्री के० जुंगकुम।

उड़ीसा

राजधानी—भुवनेश्वर।

क्षेत्रफल—१,५५,७८२ वर्ग किलोमीटर।

जनसंख्या—२,१६,४४,६१५।

मुख्यभाषा—उड़िया।

साक्षरता प्रतिशत—२१.६२।

राज्यपाल—श्री भगवतदयाल शर्मा।

शासक दल—लोकदल।

मुख्यमन्त्री—श्री नीलमणि राउतराय।

लोक सभा सदस्य संख्या—२१

विधान सभा सदस्य संख्या—१४७

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
१. कटक	११,२११	३८,२७,६७८	कटक
२. कालाहाण्डी	११,८३५	११,६३,८६९	भवानी पटना
३. केओंझर	८,२४०	९,५५,५१४	केओंझर
४. कोरापुट	२६,९६०	२०,४३,२८१	कोरापुट
५. गंजाम	१२,५२७	२२,९३,८०८	छत्रपुर
६. ढेंकानाल	१९,८२६	१२,९३,९१४	ढेंकानाल
७. पुरी	१०,१५९	२३,४०,८५९	पुरी
८. बलांगीर	८,९०३	१२,६३,६५७	बलांगीर
९. बालेश्वर	६,३९४	१८,३०,५०४	बालेश्वर
१०. बौद्ध खण्डमाल	११,०७०	६,२१,६७५	फूलबाणी
११. मयूरमंज	१०,४१२	१४,३४,२००	बारिपदा
१२. सम्बलपुर	१८,५७०	१८,४४,८९८	सम्बलपुर
१३. सुन्दरगढ़	९६७५	१०,३०,७५८	सुन्दरगढ़

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मन्त्रि-मन्डल

१. श्री नीलमणि राउतराय	मुख्यमन्त्री, गृह, योजना।
२. " प्रतापचन्द्र मोहन्ती	राजस्व, विद्युत, एवं शिक्षा
३. " वेदप्रकाश अग्रवाल	वाणिज्य एवं परिवहन
४. " वृन्दावन नायक	ग्रामीण विकास
५. डा० रामप्रसाद मिश्र	वित्त
६. श्री नटवर प्रधान	वन, कानून एवं खाद्य
७. " शरत कुमार देव	सिंचाई
८. " हरीशचन्द्र वख्शीपात्र	उद्योग एवं खान
९. " जगन्नाथ मलिक	कृषि एवं सहकारिता
१०. डा० झसकेतन साहू	शहरी विकास तथा आबकारी
११. श्री अद्वैत प्रसाद सिंह	सामुदायिक विकास एवं समाज कल्याण
१२. " घासीराम माझी	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

राज्यमन्त्री

१. श्री वीरभद्र सिंह	जनजाति तथा ग्रामीण कल्याण।
२. " इगनेस माझी	कानून एवं श्रम
३. " सहरई उरांव	ग्रामीण विकास।
४. " रविसिंह माझी	मद्य निषेध एवं आबकारी
५. " हरिहर स्वैन	वाणिज्य तथा परिवहन, गृह (जेल)।
६. " दामोदर राउत	सूचना एवं समाज कल्याण
७. " कालिन्दी वेहरा	शिक्षा एवं पर्यटन
८. " महेश्वर बोग	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
९. " प्रेमचन्द भगत	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
१०. " मुरलीधर गुरु	कृषि
११. " नवीन चन्द्र प्रधान	सहकारिता
१२. " श्रीकान्त जेना	उद्योग एवं शहरी विकास
१३. " रघुनाथ हेमरम	वन

पंजाब

राजधानी—चण्डीगढ़।	क्षेत्रफल—५०,३६२ वर्ग किलोमीटर।
जनसंख्या—१,३५,५१,०६०	मुख्यभाषा—पंजाबी।
साक्षरता प्रतिशत—३३.३९।	राज्यपाल – श्री जयसुखलाल हाथी।
मुख्यमन्त्री—श्री प्रकाश सिंह वादल।	लोकसभा सदस्य संख्या—१३
	विधानसभा सदस्य संख्या—११७

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जिलों का क्षेत्रफल, जनसँख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
१. अमृतसर	५,०२५	१८,३५,५५०	अमृतसर
२. भटिण्डा	५,५६४	१०,२७,२६३	भटिण्डा
३. फरीदकोट	५,७४६	११,५१,७३८	फरीदकोट
४. फिरोजपुर	५,६२३	१०,४४,६३६	फिरोजपुर
५. गुरदासपुर	३,५५७	१२,२६,२४६	गुरदासपुर
६. होशियारपुर	३,८८७	१०,५२,१५३	होशियारपुर
७. जालन्धर	३,३६६	१४,५४,५०१	जालन्धर
८. कपूरथला	१,६३४	४,२६,५१४	कपूरथला
९. लुधियाना	३,७६३	१४,१६,४२१	लुधियाना
१०. पटियाला	४,६६६	१२,११,३०३	पटियाला
११. रूपनगर (रोपड़)	२,०८६	५,४८,८०२	रूपनगर (रोपड़)
१२. संगरूर	५,०६६	११,४७,६५०	संगरूर

मन्त्रि-मन्डल

१. श्री प्रकाश सिंह बादल — मुख्यमन्त्री, ।
२. " आत्मासिंह — विकास ।
३. " बलवन्त सिंह — वित्त ।
४. " जसविन्दर सिंह बरार — सहकारिता ।
५. " जत्थेदार जीवन सिंह उमरानंगल — राजस्व ।
६. " रणधीर सिंह चीमा — सार्वजनिक निर्माण ।

राज्यमन्त्री

१. श्री सुखदेव सिंह धिन्दसा — परिवहन ।
२. " सरदार दिलीपसिंह तलवन्डी — पशुपालन ।
३. " बलविन्दरसिंह — कृषि

राजस्थान

राजधानी—जयपुर ।
क्षेत्रफल—३,४२,२१४ वर्ग किलोमीटर ।
जनसंख्या—२,५७,६५,८०६ ।
मुख्य भाषा—हिन्दी ।
राज्यपाल—श्री रघुकुल तिलक ।
बोली—राजस्थानी ।
साक्षरता प्रतिशत—१०.०७ ।
शासक दल—जनता पार्टी ।
मुख्यमन्त्री—श्री भैरोंसिह शेखावत ।
लोकसभा सदस्य संख्या—२५ ।
विधान सभा सदस्य संख्या—२०० ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
१. अजमेर	८,४७९	११,४७,७२९	अजमेर
२. अलवर	८,३८२	१३,९१,१६२	अलवर
३. उदयपुर	१७,२६७	१८,०३,६८०	उदयपुर
४. कोटा	१२,४३७	१२,४३,८७०	कोटा
५. श्रीगंगानगर	२०,६२९	१३,९४,०११	श्रीगंगानगर
६. चित्तौड़गढ़	१०,८५८	९,४४,९८१	चित्तौड़गढ़
७. चूरू	१६,८२९	८,७४,४३९	चूरू
८. जयपुर	१४,०००	२४,८२,३८५	जयपुर
९. जालौर	१०,६४०	६,६७,९५०	जालौर
१०. जैसलमेर	३८,४०१	१,६६,७६१	जैसलमेर
११. जोधपुर	२२,८६०	११,६२,७१२	जोधपुर
१२. झालावाड़	६,२१६	६,२२,००१	झालावाड़
१३. झुंझुनू	५,९२९	९,२९,२३०	झुंझुनू
१४. टोंक	७,२००	६,२५,८३०	टोक
१५. डूंगरपुर	३,७७०	५,३०,२५८	डूंगरपुर
१६. नागौर	१७,७१८	१२,६२,१५७	नागौर
१७. पाली	१२,३९१	९,७०,००२	पाली
१८. बाँसवाड़ा	५,०३७	६,५४,५८६	बाँसवाड़ा
१९. बाड़मेर	२८,३८७	७,७४,८०५	बाड़मेर
२०. बीकानेर	२७,२३१	५,७३,१४९	बीकानेर
२१. बूंदी	५,५५०	४,४९,०२१	बूंदी
२२. भरतपुर	८,०९३	१४,९०,२०६	भरतपुर
२३. भीलवाड़ा	१०,४५०	१०,५४,८९०	भीलवाड़ा
२४. सवाई माधोपुर	१०,५९३	११,९३,५२८	सवाई माधोपुर
२५. सिरोही	५,१३५	४,२३,८१५	सिरोही
२६. सीकर	७,७३२	१०,४२,६४८	सीकर

मन्त्रिमन्डल

१. श्री भैरोंसिंह शेखावत	मुख्यमंत्री
२. " सम्पतराम	गृह
३. " त्रिलोकचन्द्र जैन	स्वास्थ्य

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

४. श्री	ललित किशोर चतुर्वेदी	सिंचाई तथा विद्युत
५. "	भंवरलाल शर्मा	शिक्षा
६. "	सूर्यनारायण चौधरी	उद्योग तथा कानून
७. "	दिग्विजय सिंह	पंचायतीराज, मछली पालन आदि
८. "	पुरुषोत्तम मंत्री	राजस्व
९. "	कैलाश मेघवाल	पंचायत
१०. "	जयनारायण पूनिया	अकाल तथा सूखा
११. "	कल्याण सिंह कालवी	कृषि, पशुधन व डेरी विकास।
१२. "	बिरदमल सिंघवी	खाद्य, कानून तथा आर्थिक सांख्यिकी।

राज्य मन्त्री

१	श्रीमती विद्या पाठक	पर्यटन
२.	श्री महबूब अली	जनसम्पर्क
३. "	नन्दलाल	भेड तथा ऊन
४. "	हरिसिंह यादव	वन तथा कृषि
५. "	भैंरवलाल कालाबादल	स्वायत्त शासन तथा नगर नियोजन

सिक्किम

राजधानी—गंगटोक। क्षेत्रफल—७,२९९। जनसंख्या—२,०९,८४३।

मुख्य भाषाएं—भूटिया, नेपाली, लेप्चा।

राज्यपाल—बी० बी० लाल। मुख्यमंत्री—श्री नरबहादुर भण्डारी

शासक दल—सिक्किम जनता दल लोकसभा सदस्य संख्या—१

विधानसभा सदस्य संख्या—३२

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१. पूर्वी	८५,६२१	गंगटोक
२. उत्तरी	१३,०१४	मंगन
३. दक्षिणी	५२,४२३	नामची
४. पश्चिमी	५८,७८५	ग्यालशिंग

मन्त्रि-मण्डल

१.	श्री नरबहादुर भण्डारी	मुख्यमन्त्री, गृह, पंचायत, ग्रामीणकार्य एवं सिंचाई
२.	,, शेराब पाल्देन	वित्त, भूराजस्व एवं एक्साईज.

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

३. श्री सचमन लिम्बू	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उद्योग
४. " लचेन गोवेन रिम्पूबी	संस्कृति और धार्मिक मामले
५. " टी० आर० शर्मा	प्रैस एवं प्रचार, कृषि और पशुपालन
६. " अतुक लेपचा	वन, पर्यटन एवं खनन
७. " संतम भोटिया	बिजली, मोटर गाडी
८. " पदमबहादुर गुरुंग	खाद्य, सहकारिता एवं नागरिक आपूर्ति

मेघालय

राजधानी—शिलांग। **क्षेत्रफल**—२२,४८९। **जनसंख्या**—१०,११,६९९।
मुख्य भाषा—खासी। **साक्षरता प्रतिशत**—२६.५।
राज्यपाल—श्री एल० पी० सिंह (असम)। **लोकसभा सदस्य संख्या**—२
मुख्यमन्त्री— ,, बी० बी० लिंग्देह **विधान सभा सदस्य संख्या**—६०

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
१. खासी पहाड़ियाँ	११,१६८	४,९१,२०९	शिलांग
२. जयन्तिया पहाड़ियां	३,८८३	१,१३,८७५	
३. शिलांग	१३	६,०५,०८४	जोवई
४. गारो पहाड़ियाँ	८,०८४	४,०६,६१५	तुरा

उत्तर-प्रदेश

राजधानी—लखनऊ। **क्षेत्रफल**—२,९४,४१३ वर्ग किलोमीटर।
जनसंख्या—(१९७१)—८,८३ ४१,१४४। **राज्यपाल**—जी० डी० तपासे।
मुख्य भाषा—हिन्दी। **साक्षरता प्रतिशत**—२१.६४।
मुख्यमन्त्री—श्री बनारसी दास। **शासक दल**—लोकदल।
लोकसभा सदस्य संख्या—८५ **विधान सभा सदस्य संख्या**—४२६

जिलों का क्षेत्रफल जनसख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
१. अल्मोड़ा	७,०२३	७,५०,०३८	अल्मोड़ा
२. अलीगढ़	५,०२४	२१,११,८२९	अलीगढ़
३. आगरा	४,८१६	२३,०८,६३८	आगरा
४. आजमगढ़	५,७४४	२८,५७,४८४	आजमगढ़

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

५. इटावा	४,३२७	१४,४७,७०२	इटावा
६. इलाहाबाद	७,२५५	२९,३७,२७८	इलाहाबाद
७. उत्तरकाशी	८,०१६	१,४७,८०५	उत्तरकाशी
८. उन्नाव	४,५८६	१४,८४,३९३	उन्नाव
९. एटा	४,४४९	१५,७०,९२५	एटा
१०. कानपुर	६,१२१	२९,९६,२३२	कानपुर
११. खीरी	७,६९१	१४,८६,५९०	लखीमपुर
१२ गढ़वाल	५,४४०	५,५३,०२८	पौड़ी
१३. गाजीपुर	३,३८१	१५,३१,६५४	गाजीपुर
१४. गाजियाबाद			गाजियाबाद
१५. गोंडा	७,३३१	२३,०२,०२९	गोंडा
१६. गोरखपुर	६,३१६	३०,३८,१७७	गोरखपुर
१७. चमोली	९,१२५	२,९२,५७१	चमोली
१८. जालौन	४,५४९	८,१३,४९०	उरई
१९. जौनपुर	४,०४०	२०,०५,४३४	जौनपुर
२०. झांसी	१०,०६९	१३,०७,०५८	झांसी
२१. टिहरी गढ़वाल	४,४२१	३,९७,३८५	नरेन्द्रनगर
२२. देवरिया	५,४००	२८,१२,३५०	देवरिया
२३. देहरादून	३,०८८	५,७७,३०६	देहरादून
२४. नैनीताल	६,७९२	७,०९,०८०	नैनीताल
२५. पिथौरागढ़	७,२१७	३,१३,७४७	पिथौरागढ़
२६. पीलीभीत	३,५०४	७,५२,११४	पीलीभीत
२७. प्रतापगढ़	३,७३०	१४,२२,७०७	बेला
२८. फतेहपुर	४ १६८	१२,७८,२५४	फतेहपुर
२९. फर्रुखाबाद	४,३४९	१५,५६,९३०	फतेहगढ़
३०. फैजाबाद	४,४२७	१९,२७,२८१	फैजाबाद
३१. बदायूँ	५.१५८	१६,४५,९६७	बदायूँ
३२. बलिया	३,१८३	१५,८८,९३५	बलिया
३३. बस्ती	७,३०९	२९,८४,०९०	बस्ती
३४. बहराइच	६,८७१	१७,२६,९७२	बहराइच
३५. बाँदा	७,६४५	११,८२,२१५	बाँदा
३६. बाराबंकी	४,४२२	१६,३५,५९३	बाराबंकी
३७. बिजनौर	४,८५२	१४,९०,१८५	बिजनौर
३८. बुलन्दशहर	४,८९५	२०,७३,३४३	बुलन्दशहर
३९. बरेली	४,१२५	१७,७९,८६७	बरेली
४०. मथुरा	३,७९७	१२,९०,३०७	मथुरा

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

४१. मिर्जापुर	११,३०१	१५,४१,०८८	मिर्जापुर
४२. मुरादाबाद	५,९४६	२४,२८,९७१	मुरादाबाद
४३. मुजफ्फरनगर	४,२४५	१८,०२,२८९	मुजफ्फरनगर
४४. मेरठ	५,९४४	३३,६६,९५३	मेरठ
४५. मैंनपुरी	४,२५४	१४,४५,५३४	मैंनपुरी
४६. रामपुर	२,३७२	६,०१,२०९	रामपुर
४७. रायबरेली	४,६०३	१५,१०,८१२	रायबरेली
४८. लखनऊ	२,५२८	१६,१७,८४६	लखनऊ
४९. ललितपुर	१०,०६९	१३,०७,०५८	ललितपुर
५०. वाराणसी	५,०९१	२८,५२,४५९	वाराणसी
५१. शाहजहाँपुर	४,५८१	१२,८६,१०४	शाहजहाँपुर
५२. सहारनपुर	५,५२६	२०,५४,८३४	सहारनपुर
५३. सीतापुर	५,७३८	१८,८४,४००	सीतापुर
५४. सुलतानपुर	४,४२४	१६,४२,९२८	सुलतानपुर
५५. हमीरपुर	७,१९२	९,८८,२१५	हमीरपुर
५६. हरदोई	६,०१२	१८,४९,५१९	हरदोई

मन्त्रि मन्डल

१. श्री बनारसीदास	मुख्यमन्त्री
२. ,, रामनरेश यादव	उप मुख्यमंत्री
३. ,, नारायण सिंह	उप मुख्यमंत्री
४. ,, अब्दुल हलीम खां	पशुधन
५. ,, आबिद अली अंसारी	पर्यटन
६. ,, काजी मोहम्मद मोहीउद्दीन	वन
७. प्रो० कैलाश नाथ सिंह	प्रौढ़ शिक्षा
८. श्री क्रांतिकुमार	श्रम
९. ,, ख्यालीराम शास्त्री	लघु सिंचाई
१०. श्रीमती चंद्रावती	हरिजन, समाज कल्याण
११. श्री जमुना प्रसाद बोस	सामुदायिक विकास
१२. ,, देव राम	होमगार्ड नागरिक सुरक्षा
१३. ,, बेनी प्रसाद वर्मा	कारागार
१४. ,, मधुकर दिघे	वित्त
१५. ,, मलखान सिंह यादव	खाद्य
१६. ,, मुलायम सिंह	सहकारिता
१७. ,, मोहम्मद मसूद खां	आवास

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१८. श्री रमाशंकर कौशिक	चिकित्सा
१९. " राजेन्द्र सिंह	सिंचाई
२०. " रामाधार पांडे	स्वायत्त शासन
२१. " रेवती रमण सिंह	विद्युत
२२. " शिव मंगल सिंह	कृषि
२३. डा० शिवानन्द नौटियाल	उच्च शिक्षा
२४. श्री सत्यप्रकाश मालवीय	परिवहन
२५. " श्रीचंद्र	न्याय
२६. " त्रिलोक चन्द	सार्वजनिक निर्माण
२७. " हरि कृष्ण श्रीवास्तव	राष्ट्रीय एकीकरण

राज्य मन्त्री

१. श्री अब्दुल रऊफ लारी	हस्तकला, हथकरघा
२. " अवधेश प्रसाद	ग्राम्य विकास
३. " अशोक वाजपेयी	उच्च शिक्षा एवं पर्वतीय विकास
४. " उदय नाथ	परिवहन
५. " कबूल सिंह	समाज कल्याण, हरिजन एवं सैनिक कल्याण
६. " गोविन्द सिंह मेहरा	पर्यटन एवं वन
७. " तेजसिंह	नागरिक आपूर्ति
८. " दीना नाथ सेवक	ग्रामीण उद्योग
९. " धर्मवीर सिंह	गन्ना विकास, कृषि
१०. " धीरेन्द्र सहाय	सिंचाई
११. " प्रदीप कुमार यादव	सार्वजनिक निर्माण
१२. " भगवती सिंह	आबकारी, मद्य निषेध
१३. " मुख्तार अनीस	संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य
१४. " मोहन सिंह	लघु उद्योग
१५. " विष्णु प्रताप सिंह	परिवार, महिला एवं शिशु कल्याण।
१६. " सत्यदेव त्रिपाठी	सूचना, भाषा
१७. " महीपाल सिंह शास्त्री	नियोजन तथा अर्थ
१८. " महेन्द्र रिपुदमन सिंह	राजस्व

तमिलनाडु

राजधानी—मद्रास।	क्षेत्रफल—१,३०,०६९ वर्ग किलोमीटर।
जनसंख्या—४,११,९९,१६८।	मुख्यभाषा—तमिल।
साक्षरता प्रतिशत—३९.३९।	राज्यपाल—प्रभुदास पटवारी।
शासक दल—अन्ना द्रमुक।	मुख्यमन्त्री—एम० जी० रामचन्द्रन
लोकसभा सदस्य संख्या—३९	विधानसभा सदस्य संख्या —२३४

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
१. उत्तर आरकाड	१२,२६५	३७,५५,७९७	वैल्लोर
२. कन्याकुमारी	१,६८४	१२,२२,५४६	नागरकोइल
३. कोयम्बतूर	१५,६७३	४३,७३,१७८	कोयम्बतूर
४. चिंगलपेट	७,९२०	२९,०७,५९९	कांचीपुरम्
५. तंजावूर	८६,८०९	३६,३१,७७१	तंजावूर
६. तिरुच्चिरापल्लि	१,१२,०८१	३१,१०,४२६	तिरुच्चिरापल्लि
७. तिरुनेल्वेलि	११,४३३	३२,००,५१५	तिरुनेल्वेलि
८. दक्षिण आरकाड	१०,८९८	३६,१७,७२३	कुड्डालूर
९. धर्मपुरी	९,६४३	१६,७७,७७५	धर्मपुरी
१०. नीलगिरि	२,५४९	४,९४,०१५	उदकमंडलम्
११. पुदुक्कोट्टाई	४,१३७	९,४७,३५१	पुदुक्कोट्टाई
१२. मदुरै	१२,६२९	३९,३८,१९७	मदुरै
१३. मद्रास	१२८	२४,६९,४४९	मद्रास
१४. रामनाथपुरम्	१२,५७८	२८,६०,२०७	मदुरै
१५. सेलम	८,६४३	२९,९२,६१६	सेलम

मन्त्रिमन्डल

१. श्री एम० जी० रामचन्द्रन	मुख्यमन्त्री।
२. " के० मनोहरन	वित्त।
३. " एस० रामचन्द्रन	सार्वजनिक निर्माण।
४. " के० नारायण स्वामी मुदालियर	कानून।
५. " जी० आर० एडमिन्ड	खाद्य तथा सहकारिता।
६. " आर० एम० वीरप्पन	सूचना एवं पर्यटन।
७. " सी० अरंगानायगम	शिक्षा।
८. " के० कालीमुथू	स्वायत्त शासन।
९. " एस० राघवनअन्दम	श्रम।
१०. " सी० पुन्नैयन	परिवहन।
११. " पी० टी० सरस्वती	समाज कल्याण।
१२. " पी० कलन्दइवेलू	कृषि।
१३. " पी० सौन्दर पन्डियन	हरिजन कल्याण।
१४. " के० रजा मोहम्मद	हथ करघा व टैक्सटाइल

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

त्रिपुरा

राजधानी—अगरतल्ला । क्षेत्रफल—१०४७६ वर्ग किलोमीटर ।
जनसंख्या—१५,५६,३४२ । साक्षरता प्रतिशत—२३.५ ।
राज्यपाल—श्री एल० पी० सिंह । मुख्यमन्त्री—श्री नृपेन चक्रवर्ती ।
लोकसभा सदस्य संख्या—२ विधानसभा सदस्य संख्या—६०

जिलों का क्षेत्रफल, जनसँख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
१. उत्तर त्रिपुरा	३,५४१	४,०५,००९	केलाशहर
२. दक्षिण त्रिपुरा	३,५७७	३,९९,७२८	उदयपुर
३. पश्चिम त्रिपुरा	३,३५९	७,५१,६०५	अगरतल्ला

मन्त्रिमंडल

१. श्री नृपेन चक्रवर्ती	मुख्यमन्त्री, गृह, वित्त तथा कानून ।
२. श्री दशरथ देव	शिक्षा, जनजाति कल्याण, परिवहन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं ग्रामीण जल आपूर्ति ।
३. " बीरेन दत्त	भूमि एवं भू राजस्व, श्रम, स्वायत्त शासन ।
४. " अनिल सरकार	जन सम्पर्क, पर्यटन एवं स्वास्थ्य ।
५. " वैद्यनाथ मजूमदार	सार्वजनिक निर्माण कार्य तथा उद्योग ।
६. " दिनेश देव बर्मन	सामुदायिक विकास तथा पंचायत ।
७. " अकबर रहमान	वन ।
८. " बजुबन रियान्	कृषि, सहकारिता और पशु पालन ।
९. " बृज गोपाल राय	राहत एवं पुनर्वास, सांख्यिकी, मुद्रण एवं प्रेस ।
१०. " जोगेश चक्रवर्ती	जेल ।
११. " विवेकानन्द भौमिक	स्वास्थ्य ।

पश्चिम बंगाल

राजधानी—कलकत्ता क्षेत्रफल—८७,८५३ वर्ग किलोमीटर ।
जनसंख्या—४,४३,१२,०११ । मुख्यभाषा—बंगला ।
साक्षरता प्रतिशत—३३.५ । राज्यपाल—श्री त्रिभुवन नारायण सिंह ।
मुख्यमन्त्री—श्री ज्योति बसु । लोकसभा सदस्य संख्या—४२
विधान सभा सदस्य संख्या—२९४

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जिलों का क्षेत्रफल, जनसँख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
१. कलकत्ता	१०४	३१,४८,७४६	कलकत्ता
२. कूचविहार	३,३८६	१४,१४,१८३	कूचविहार
३. जलपाईगुड़ी	६,२४५	१७,५०,१५६	जलपाईगुड़ी
४. दार्जिलिंग	३,०७५	७,८१,७७७	दार्जिलिंग
५. नदिया	३,९२६	२२,३०,२७०	कृष्णनगर
६. पश्चिम दिनाजपुर	५,२०६	१८,५९,८८७	बालूघाट
७. पुरुलिया	६,२५९	१६,०२,८७५	पुरुलिया
८. बाँकुड़ा	६,८८१	२०,३१,०३९	बांकुड़ा
९. मालदा	३,७१३	१६,१२,६५६	इंगलिश बाजार
१०. मुर्शिदावाद	५,३४१	२९,४०,२०४	बहरामपुर
११. मिदनापुर	१३,७२४	५५,०९,२४७	मिदनापुर
१२. वर्दवान	७,०२८	३९,१५,१४७	वर्दवान
१३. वीरभूमि	४,५५०	१७,७५,९०९	सूरी
१४. हावड़ा	१,४७४	२४,१७,२८६	हावड़ा
१५. हुगली	३,१४५	२८,७२,११६	चुंचुड़ा
१६. २४-परगना	१३,७९६	४८,४९,४८२	अलीपुर

मन्त्रिमन्डल

१. श्री ज्योति बसु	मुख्यमन्त्री
२. डा० अशोक मित्र	वित्त, विकास, योजना और आवकारी।
३. श्री कृष्णपद घोष	श्रम।
४. " प्रभास चन्द्र राय	सिचाई एवं जल मार्ग
५. " परिमल मित्र	वन एवं पर्यटन।
६. " अमृतेन्दु मुखर्जी	पशु पालन और पशु चिकित्सा।
७. " राधिका रंजन बनर्जी	शरणार्थी राहत और पुनर्वास
८. श्री पार्थ डे	प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तथा पुस्तकालय सेवायें।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

९. " चित्तव्रत मजूमदार	कुटीर एवं लघु उद्योग।
१०. " प्रशान्त कुमार सूर	नगर निगम सेवाएं।
११. " मोहम्मद अमीन	गृह मन्त्रालय का परिवहन विभाग।
१२. " हसीम अब्दुल हलीम	विधायी एवं न्यायिक विभाग।
१३. " बुद्धदेव भट्टाचार्य	सूचना एवं जन सम्पर्क।
१४. " विनय कृष्ण चौधरी	भूमि उपयोग एवं सुधार तथा भू एवं भू-राजस्व।
१५. ' भवानी मुखर्जी	गृह मंत्रालय का संसदीय मामलों का विभाग।
१६. डा० कानाई भट्टाचार्य	वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बन्द एवं रुग्ण उद्योग।
१७. श्री शम्भु घोष	शिक्षा, (खेलकूद, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तथा पुस्तकालय सेवाएं छोड़कर)।
१८. " भक्ति भूषण मण्डल	मत्स्य पालन एवं सहकारिता।
१९. " कमल गुहा	कृषि एवं सामुदायिक विकास।
२०. ' जतीन चक्रवर्ती	सार्वजनिक निर्माण विभाग (महानगरीय विकास को छोड़कर), आवास।
२१. " ननी भट्टाचार्य	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
२२. " देवव्रत बनर्जी	पंचायत एवं जेल विभाग।
२३. " सुधीन कुमार	खाद्य एवं आपूर्ति।

राज्यमन्त्री

१. श्रीमती निरुपमा चटर्जी	राहत एवं कल्याण।
२. श्री शम्भु नाथ नन्दी	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण।
३. " सुरेन्द्र नारायण चौधरी	परिवहन विभाग।
४. " मोहम्मद अब्दुल बारी	प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तथा पुस्तकालय सेवा।
५. " कांतिचन्द्र विश्वास	युवा सेवाएं और पासपोर्ट विभाग।
६. " राम चटर्जी	गृह मन्त्रालय (सिविल विभाग)।

उपमन्त्री

१. श्रीमती अमला सारेन	शिक्षा।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

केन्द्र-शासित राज्य

अरुणाचल

राजधानी—इटानगर।
उपराज्यपाल—आर० एन० हालिदपुर।
मुख्यमन्त्री—श्री तोमोरीवा

क्षेत्रफल—८३,५७५ वर्ग किलोमीटर
जनसंख्या—४,६७,५११।
लोकसभा सदस्य संख्या—२
विधानसभा सदस्य संख्या—६०

जिलों का क्षेत्रफल, जनसँख्या एवं सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१. कामेंग	१३,७२४	८३,००१	बीमडीला
२. तिरप	६,९०७	६७,४७०	खोमसा
३. लोहित	२४,४२७	६२,८६५	तेजू
४. सियांग	२३,७२३	१,२१,९३६	अलांग
५. सुवनसिरी	१४,७९७	९९,२३९	जिरो

मन्त्रिमन्डल

१. श्री तोमो रीवा	मुख्यमन्त्री
२. " पादी यूवे	सार्वजनिक निर्माण
३. " सोबेनज तयेंग	कृषि
४. " नोक सोंग बोहाम	वन
५. " के० बांगचू	स्वास्थ्य

अण्डमान निकोबार

राजधानी—पोर्टब्लेयर।
जनसंख्या—१,१५,१३३।
साक्षरता प्रतिशत—४०.३।

क्षेत्रफल—८२९३ वर्ग किलोमीटर।
मुख्य भाषा—वहुभाषी।
मुख्यायुक्त—श्री एस० एम० कृष्णात्री।
लोकसभा सदस्य संख्या—१

चण्डीगढ़

जनसंख्या—२,५७,२५१।
मुख्य भाषा—हिन्दी, पंजाबी।

क्षेत्रफल—११४ वर्ग किलोमीटर।
मुख्यायुक्त—श्री जे० सी० अग्रवाल।
लोकसभा सदस्य संख्या—१

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

दादरा एवं नगर हवेली

राजधानी—सिलवासा। क्षेत्रफल—४७१ वर्ग किलोमीटर।

जनसंख्या—७४,१७०। साक्षरता प्रतिशत—१४.८६।

मुख्य भाषा—बहुभाषी। प्रशासक—श्री एस० के० बनर्जी।

लोक सभा सदस्य संख्या—१

दिल्ली

राजधानी—दिल्ली। क्षेत्रफल—१,४८५ वर्ग किलोमीटर।

जनसंख्या—४०,६५,६७८। मुख्य भाषा—हिन्दी।

साक्षरता प्रतिशत—५६.६५। उपराज्यपाल—श्री दिलीप राय कोहली।

शासक दल—जनता पार्टी मुख्य कायकारी पार्षद—श्री केदारनाथ साहनी।

लोकसभा सदस्य संख्या—७ महानगर परिषद सदस्य संख्या – ५६

महानगर परिषद्

१. श्री केदारनाथ साहनी मुख्य कार्यकारी पार्षद्।

२. " मदनलाल खुराना कार्यकारी पार्षद (चिकित्सा)

३. " राजेश शर्मा कार्यकारी पार्षद (श्रम, जेल आबकारी, पासपोर्ट व रोजगार)

गोआ, दमण व दीव

राजधानी—पणजी। क्षेत्रफल—३,८१३ वर्ग किलोमीटर।

जनसंख्या—८,५७,७७१। मुख्य भाषा—मराठी, कोंकणी।

साक्षरता प्रतिशत—५३.४४। उपराज्यपाल—कर्नल पी० एस० गिल।

राष्ट्रपति शासन।

लोक सभा सदस्य संख्या—२ विधान सभा सदस्य संख्या—३०

जिलों का क्षेत्रफल, जनसँख्या तथा सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुखयालय
१. गोआ	३,७०१	७,९५,१२०	पणजी
२. दमण	७२	३८,७३९	दमण
३. दीव	४०	२३,९१२	दीव

लक्षद्वीप

राजधानी—कवरात्ती। क्षेत्रफल—३२ वर्ग किलोमीटर।

जनसंख्या—३१,८१०। मुख्यभाषा—बहुभाषी।

प्रशासक—श्री एस० डी० लाखा।

लोक सभा सदस्य संख्या—१

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मिजोरम

क्षेत्रफल—२१,०८७ वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या—३,३२,३७०।

मुख्यालय—एजोल। मुख्य भाषा—मिजो, अंग्रेजी।

उपराज्यपाल—श्री एन० पी० माथुर। (राष्ट्रपति शासन।)

विधान सभा सदस्य संख्या—६० लोक सभा सदस्य संख्या—१

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल	जनसंख्या	मुख्यालय
१. एजोल			एजोल
२. लंग्ली	२१,०८७	३,३२,३६०	लंग्ली
३. चिन्तुयुई			सैहा

पांडिचेरी

राजधानी—पाण्डिचेरी। क्षेत्रफल—४८० वर्ग किलोमीटर।

जनसंख्या—४,७१,७०७। मुख्य भाषा—तमिल, मलयालम, तेलुगु।

उपराज्यपाल - श्री बी० टी० कुलकर्णी। (राष्ट्रपति शासन।)

विधान सभा सदस्य संख्या—३० लोक सभा सदस्य संख्या—१

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१. कारैक्काल	१६१	१,००,०४२	कारैक्काल
२. माहे	६	२३,१३४	माहे
३. पाण्डिचेरी	२९०	३,४०,२४०	पाण्डिचेरी
४. यनाम	२०	८,२९१	यनाम

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

राज दूतावास और उच्चायोग

विदेशों में भारतीय राजदूत

अफगानिस्तान : डा० जे० एस० तेजा, भारतीय दूतावास, मलालाईवाट, काबुल ।

अल्जीरिया : श्री के० के० एस० राणा, भारतीय दूतावास, ११९ टेर, रियुइ डिड्शे मौराद, अल्जीयर्स ।

अर्जेण्टीना : श्री आर० के० अनन्द, भारतीय दूतावास, पराग्वे ५८० (तीसरी मंजिल), ब्यूनस एअर्स ।

आस्ट्रिया : श्री के० आर० पी० सिंह, भारतीय दूतावास, ओपरिंग स्टीज, आर/८-१, ए-१०१०, वियाना-१ ।

बहरीन : श्री एच०के० महाजन, भारतीय दूतावास, नं० २२९९/७ अलअडलिया, बहरीन ।

बेल्जियम : श्री पी० के० दवे, भारतीय दूतावास, १२१, एवेन्यू मोलिएर, ११८० ब्रुसेल्स ।

बोलिविया : श्री बी० के० बसु, भारतीय दूतावास, ला पाज, संतियागो ।

ब्राजील : श्री०एच०एस० बहाली, भारतीय दूतावास, एडीफीसियो, बेनासियो-६, १० सवसोल, लोटे ई/८, सेक्टर डे डाइवरसोज सूल, पो० बा० नं० ११-१०९७ ।

बलगेरिया : श्री० एस०एच०देसाई, भारतीय दूतावास, ३१ बी० पेट्रिआर्क एफ्टीमी, सोफिया ।

बर्मा : श्री के० पी० बालकृष्ण, भारतीय दूतावास, ओरियेंटल इंश्योरेंस बिल्डिंग, ५४५/५४७, मर्चेंट स्ट्रीट, बाक्स नं० ७५१, रंगून ।

बरुडी : श्री मदन जीत सिंह, भारतीय दूतावास, बुजुम्बुरा, द्वारा भारतीय उच्चायोग कम्पाला ।

भूटान : श्री जे० आर० हिरेमथ, भारतीय दूतावास, थिम्फू ।

कम्बोडिया : रिक्त, भारतीय दूतावास, फोनोमपेन्ह ।

केमरन : श्रीमती के० रुक्मणी मेनन, भारतीय दूतावास, योउडे, द्वारा भारतीय उच्चायोग लागोस ।

केन्द्रीय अफ्रीकन गणराज्य : श्री एम० के० खीसा, भारतीय दूतावास, केन्द्रीय अफ्रीकन गणराज्य, द्वारा भारतीय दूतावास, किनशासा ।

चिली : श्री बी०के० बसु, भारतीय दूतावास, ८७१, त्रियाना, पो० बा० नं० १०४३३, संतियागो ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

चीन	: श्री रामचन्द्र दत्तात्रेय साठे, भारतीय दूतावास, १, जिहू तान तुंगलू, पीकिंग ।
केपवरदे आइसलैण्ड	: श्री के० गजेन्द्रसिंह, भारतीय दूतावास, केपवरदे आइसलैंड, द्वारा भारतीय दूतावास, डकर ।
कोलम्बिया	: श्री के० सी० लालबुंग, भारतीय दूतावास, कैरेरा ७, नं० ८७-२०, एपार्टमेंट नं० १०४, बगोटा ।
कोमोरेस	: श्री ए० डब्ल्यू बी० वाज, भारतीय दूतावास, कोमरेस, द्वारा भारतीय दूतावास, अनतनानारिवो ।
चाड	: श्री एस० एम० एस० चड्ढा, द्वारा भारतीय दूतावास, खारतूम ।
कांगो	: श्री एम० के० खीसा, भारतीय दूतावास, ब्राजविले, द्वारा भारतीय दूतावास, किनशासा ।
कोस्टारिका	: कु० एन० एन० हरालू, भारतीय दूतावास, सान जोज़, द्वारा भारतीय दूतावास, पनामा ।
क्यूबा	: श्री पी० एम० एस० मलिक, भारतीय दूतावास, काल्ले, २१ एनरो, २०२, एक्यूना ए के वेदादो, हवाना ।
चेकोस्लोवाकिया	: श्री सुरेन्द्र सिंह अलीराजपुर, भारतीय दूतावास, वाल्डस्टेजेस्का ६, प्राग-१ ।
दहोमी	: श्री अवतारसिंह, भारतीय दूतावास, कोटोन, द्वारा भारतीय उच्चायोग, लागोस ।
डेनमार्क	: श्री प्रेमशंकर, भारतीय दूतावास, वेनजोह्यूसवेज १५, कोपेह्लगन ।
इक्वेडर	: श्री एस० के कठपालिया, भारतीय दूतावास, इक्वेडर, द्वारा भारतीय दूतावास, लीमा ।
(मिस्र) संयुक्त अरब गणराज्य	: श्री ए० एस० चिब, भारतीय दूतावास, ५, एल० शायर अजीज अवाजा स्ट्रीट, जामलेक, पो० बा० ७१८, काहिरा ।
इथोपिया	: श्री विनय वर्मा, भारतीय दूतावास कनेवा, पो० बा० ५२८, आदिम थवाबा ।
फिनलैण्ड	: एस०एस० नाथ, भारतीय दूतावास, अन्नानकाटू १५ बी १४,००१२०, हेलसिंकी-१२ ।
फ्रांस	: श्री एम० रसगोत्रा, भारतीय दूतावास, १५, रयू एलफ्रेंड देहोडेनक, पेरिस-१६ ।
गबोन	: श्री पी० पी० डिसूजा, भारतीय दूतावास, गबोन द्वारा भारतीय दूतावास, क्रिनशासा ।
जर्मन जनवादी गणतन्त्र	: श्री के० रघुनाथ, भारतीय दूतावास, १०८-बर्लिन ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जर्मन संघीय गणराज्य	: श्री एम० ए० रहमान, भारतीय दूतावास, २६२ एडेनाउरेल्ली, ५३ बोन।
यूनान (ग्रीस)	: श्री एल० एन० रंगराजन, भारतीय दूतावास, एथेंस, द्वारा भारतीय दूतावास, बेलग्रेड।
गाटेमाला	: रिक्त, भारतीय दूतावास, गाटेमाला, द्वारा भारतीय दूतावास, मैक्सिको सिटी।
इक्वेटोरियल गिनी	: श्री एम० के० खीसा, भारतीय दूतावास, द्वारा पो० बा० नं० १०२६, किन्साल।
गिनी	: श्रीमती उषा नाथ, भारतीय दूतावास, केवे बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, बी० पी० १८६/बिस, कोनाकरी-१।
गिनी बिसाऊ	: श्री के० गजेन्द्रसिंह, भारतीय दूतावास, बिसाऊ, द्वारा भारतीय दूतावास, डकार।
हंगरी	: श्री ए० के० दास, भारतीय दूतावास, बुजाविराग उटका-१४, बुडापेस्ट-२।
आइसलैण्ड	: श्री जी० जी० स्वेल, भारतीय दूतावास, रिकजाविक, द्वारा भारतीय दूतावास, ओसलो।
इण्डोनेशिया	: रिक्त, भारतीय दूतावास, ४४ केवन सिरीह, जकार्ता।
ईरान	: श्री वी० के० आहूजा, भारतीय दूतावास, नं० १६६ एवेन्यू सबाह सोमाली, पो० बा० नं० २४७३, तेहरान।
ईराक	: श्री डी० एस० कामेटकर, भारतीय दूतावास, तहा स्ट्रीट, नजीब पाश अधमिया, बगदाद।
आयरलैण्ड	: श्री एन० एन० झा, भारतीय दूतावास, ३ लीसन पार्क, डबलिन-६।
इटली	: श्री ए० के० दमोदरन, भारतीय दूतावास, लगोटेवीरे, मलिनी १७, रोम।
आइवारी कौस्ट	: श्री के० गजेन्द्रसिंह, भारतीय दूतावास, अबिजान, द्वारा भारतीय दूतावास, डकार।
जापान	: श्री अवतार सिंह, भारतीय दूतावास, २-११, कुदन मिनामी, २-चोमचियोदा-कु, टोकियो।
जोर्डन	: श्री अब्दुलगनी गोनी, भारतीय दूतावास, तौफिक मरार बिल्डिंग, जाबेल, पो० बा० २१६८, अमन।
कोरिया प्रजातंत्र	: श्री वी० वी० परांजपे, भारतीय दूतावास, सान-२-१, बौक्वांग-डांग, यांगसन-कु, सियोल।
जनतांत्रिक कोरिया गणराज्य	: श्री जे० टी० कल्लूकरण, भारतीय दूतावास, ब्लाक ६६, मुसू डांग, जिला दायेदांग यांग, प्योंगयांग।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कुवैत	: श्री जी० राज, भारतीय दूतावास, ३४, शारे इस्तिकबाल, पो० बा० १४५०, (सफात), कुवैत।
लाओस	: श्री ई० ए० श्रीनिवासन, भारतीय दूतावास, रियू पैंगखम, पो० बा० नं० २२५, वियनटिएने।
लेबनान	: श्री वाई० आर० धवन, भारतीय दूतावास, ३१ कंतारी स्ट्रीट, शाहमरानी बिल्डिंग, पो० बा० नं० १७६४, बेरूत।
लाइबेरिया	: श्री पी० ए० नाजरथ, भारतीय दूतावास, मोनरोविया, द्वारा भारतीय उच्चायोग, अकरा।
लीबिया	: श्री नरेन्द्रसिंह, भारतीय दूतावास, १६/१८, आरमण्डी गार्डेन सिटी पो० बा० ३१५०, त्रिपोली।
होली सी	: श्री गुरबचनसिंह, भारतीय दूतावास, द्वारा भारतीय दूतावास' बर्न।
लक्सम्बर्ग	: श्री पी० के० दवे भारतीय दूतावास, ग्रेंड डकी आफ लक्सम्बर्ग, द्वारा, भारतीय दूतावास, ब्रुसेल्स।
मलागासी गणतन्त्र	: श्री ए० डब्ल्यू० बी० वाज, भारतीय दूतावास, ७७ एवेन्यू मरेकल फोक, पो० बा० नं० १७८७, अनन्तानारिबो।
मालदीव	: श्री यामस अब्राहम, भारतीय दूतावास, माले।
माली	: श्री के० गजेन्द्रसिंह, भारतीय दूतावास, बमैको, द्वारा भारतीय दूतावास, डकार।
मौरीतानिया	: श्री यू० सी० सोनी, भारतीय दूतावास, नौकचोट, द्वारा भारतीय दूतावास, रबात।
मैक्सिको	: रिक्त, भारतीय दूतावास, कोमेटे ४४, मैक्सिको ५ डी एफ।
मंगोलिया जनतांत्रिक गणराज्य	: श्री जी० एन० राव, भारतीय दूतावास, २६ पीस स्ट्रीट, पो० बा० ६९१, उलान बटोर।
मोरक्को	: श्री यू० सी० सोनी, भारतीय दूतावास, १० एवेन्यू डे चैम्पेन, (अगदल) रबात।
४मोजाम्बिक	: श्री ओ० एन० शिवपुरी, भारतीय दूतावास, फातिमा नं० १६७, पो० बा० नं० ४७५१, मेप्युटो।
नेपाल	: श्री एन०पी०जैन, भारतीय दूतावास, जी० पी० ओ० बाक्स नं० २९२, काठमांडू।
नीदरलैंड	: कु० सी० बी० मुथम्मा, भारतीय दूतावास, ब्यूटनेरस्टवेग २, हेग।
निकारागुवा	: कु० एन०एन०हरालू, भारतीय, दूतावास, निकारागुवा, द्वारा भारतीय दूतावास, पनामा।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

नार्वे : श्री जी० जी० स्वेल, भारतीय दूतावास, स्कोबियन, १२, दूसरी मंजिल, ओसलो-२ ।

ओमान : श्री ए० के० बुद्धिराजा, भारतीय दूतावास, पो० बा० ७७, मस्कट ।

पनामा : कु० एन० एन० हराल्‌, भारतीय दूतावास, पो० बा० ८४००, पनामा-७ ।

पाकिस्तान : श्री के० एस० वाजपेयी, भारतीय दूतावास, इस्लामाबाद ।

पराग्वे : श्री आर० के० आनन्द, भारतीय दूतावास, असुसियन, द्वारा भारतीय दूतावास, ब्यूनस आयर्स ।

पेरु : श्री एस०के०कठपालिया, भारतीय दूतावास, एवेन्जदा २८, डे जूलियो, ६७४, मीराफुलार्स, लीमा ।

फिलीपीन : श्री एल० एन० रे, भारतीय दूतावास, रूम नं० ५०२, डे जूलियो, बिल्डिंग, १०१ तिनडालो स्ट्रीट, मक्टी रीजल (ग्रेटर मनीला) ।

पोलैण्ड : श्री एस०के० भूटानी, भारतीय दूतावास, नं० १६, नाइगोलेस्कीगो, वारसा-८६ ।

नीगर : श्रीमती के० रुक्मिणी मेनन, भारतीय दूतावास, द्वारा हाई कमीशन, लागोस ।

पुर्तगाल : श्री पी० के० गुहा, भारतीय दूतावास, लिस्बन ।

कातार : श्री के० एम० लाल, भारतीय दूतावास, शेख सुहीम, बिल नं० ५, एल शेख सुहीम स्ट्रीट, पो० बा० २७८८, डोहा ।

रूमानिया : श्री ए० के० राय, भारतीय दूतावास, स्ट्रीट स्टीफन घेंवरची १६, बुखारेस्ट ।

रवांडा : श्री मदनजीत सिंह, भारतीय दूतावास, किगलीं, द्वारा भारतीय उच्चायोग कम्पाला ।

सऊदी अरब : श्री ए० के० हाफिजका, भारतीय दूतावास, इब्राहीम मसूद बिल्डिंग, मदीना रोड, बगदादीया, पो० बा० ६५२, जद्दा ।

सेनेगल : श्री के० गजेन्द्र सिंह, भारतीय दूतावास, इमेबुल डेनियल सोरानो एवेन्यू, डेला रिपब्लिक, नवीं मंजिल, पो० बा० ३९८, डकार ।

सोमालिया : श्री टी० श्रीनिवासन, भारतीय दूतावास, वाया-बलाड, पो० बा० ९५५, मोगाडीशू ।

स्पेन : रिक्त, भारतीय दूतावास, वेलाकिज ९३, मैड्रीड-६ ।

सूडान : श्री एस० एम० एस० चड्ढा, भारतीय दूतावास, नं० २, एल मेक निमीर स्ट्रीट, पो० बा० ७०७, खारतोम ।

सूरीनाम : श्री आर० एन० गुप्त, भारतीय दूतावास, पारामारीबो, द्वारा भारतीय उच्चायोग, जार्जटाउन ।

स्वीडन : श्री एन० पी० अलेक्सेंडर, भारतीय दूतावास, एडोल्फ फ्रडरिक किरकोयटा १२ बाक्स १३४०, एस १-११८३, स्टाकहोम ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

स्विटजरलैंड	: श्री गुरबचनसिंह, भारतीय दूतावास, २०/ कालचेवेग ३००० बर्न ।
सीरिया अरब	: श्री ए०पी० वेकन्टेश्वरन, भारतीय दूतावास, ४०/४६, अधन मलकी स्ट्रीट, यशीन नावेल्टी बिल्डिग, पो० बा० ६८५, दमिश्क ।
थाईलैंड	: श्री के० एल० दलाल, भारतीय दूतावास, १३६, पान रोड, बैंकाक ।
टोगो	: श्रीमती के० रुक्मिणी मेनन, भारतीय दूतावास, लोमे, द्वारा भारतीय उच्चायोग, लागोस ।
ट्यूनीसिया	: श्री एस० आर० चौधरी, भारतीय दूतावास, २८, रियू पेरा डेलटरे म्युअलविले ट्यूनिस ।
टर्की	: श्री एन०एन० झा, भारतीय दूतावास, नं० २४, किब्रीस सोकक कांक्या, अंकारा ।
संयुक्त अरब अमीरात	: श्री एम०एच० अंसारी, भारतीय दूतावास, सैयद अली ओमरान अल मजरुई बिल्डिग, पो० बा० ४०६०, आबू धावी ।
अपर वोल्टा	: श्री पी० ए० नाजरथ, भारतीय दूतावास, ऊंगाडागु, द्वारा भारतीय उच्चायोग, अकरा ।
उराग्वे	: श्री आर० के० आनन्द, भारतीय दूतावास, मानटेवीदेव, द्वारा भारतीय दूतावास, ब्यूनासआयर्स ।
संयुक्त राज्य अमरीका	: रिक्त, भारतीय दूतावास, २१०७, मैसाच्यूसेट्स एवेन्यू एन० डब्ल्यू०, वाशिंगटन डी० सी० २०००८ ।
सोवियत संघ	: श्री इन्द्रकुमार गुजराल, भारतीय दूतावास, ६-८, उलित्सा ओबुखा, मास्को ।
वेटीकन	: श्री गुरबचन सिंह, भारतीय दूतावास, वेटीकन द्वारा, भारतीय दूतावास, वर्न ।
वेन्जुएला	: श्री शिव कुमार, भारतीय दूतावास, एडीफीसियो नियूवो सेन्ट्रो पीसो, आफसीना 'बी' एवेनिडा, लिब्रेटाडोर, एपारटाडो डे कोरस डेल इस्टे, ६१५८५ ककाओ, कारकस-१०६ ।
वीएतनाम समाजवादी गणराज्य	: श्री एम० आर० शिवरामकृष्णन, भारतीय दूतावास, ५८, तारान-ह्यूंग दाओ, हनोई ।
यमन अरब गणराज्य	: श्री बी० डी० गोस्वामी, भारतीय दूतावास, अल अमीरे बिल्डिग, गमाल अब्दुल नासर स्ट्रीट, पो० बा० ११५४, सन्ना एन्डेएम्बैसी, सन्ना ।
यमन जनतांत्रिक	: श्री आई० एम० कांगा, भारतीय दूतावास, प्रेमजी चैम्बर्स, स्ट्रीमर प्वाइंट, अदन ।
युगोस्लाविया	: श्री एन० कृष्णन, भारतीय दूतावास, दोसीवेतेजा २६, बेल्ग्रेड ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जेरे : श्री एम० के० खीसा, भारतीय दूतावास, पो० बा० १०२६/१८ बी, एवेन्यू डेस बटेटला, गोम्बे, किनशासा।

भारतीय उच्च आयुक्त

आस्ट्रेलिया : श्री जे० सी० अजमानी, भारतीय उच्चायोग, ९२ मूगा वे, रेडहिल कैनबेरा ए सी टी २६०३।

बंगलादेश : श्री के० पी० एस० मेनन, भारतीय उच्चायोग, सड़क नं० २, धानमंडी रेसिडेंशियल एरिया, ढाका-२।

बहामा : रिक्त, भारतीय उच्चायोग, बहामा द्वारा भारतीय दूतावास, वाशिंगटन।

बारबादोस : श्री गर्जसिंह जोधपुर, भारतीय उच्चायोग, ब्रिजटाउन, द्वारा भारतीय उच्चायोग, पोर्ट आफ स्पेन।

बोतस्वाना : श्री के० नटवर सिंह, भारतीय उच्चायोग, ग्रैबोनस, द्वारा भारतीय उच्चायोग, लुसाका।

कनाडा : जनरल टी० एन० रैना, भारतीय उच्च आयोग, २०० मैकलर्न स्ट्रीट ओटावा के २ पी ओ एल-६।

साइप्रस : श्री वाई० आर० धवन, भारतीय उच्चायोग, निकोसिया, द्वारा भारतीय दूतावास, बेरुत।

फिजी : श्रीमती एस० कोचर, भारतीय उच्चायोग, सूट नं० २०२, फिजी डवलमेंट बैंक बिल्डिग, विक्टोरिया परेड, जी० पी० ओ० बाक्स ४०५, सूवा।

गम्बिया : श्री के० गजेन्द्र सिंह, भारतीय उच्चायोग, बथूरस्ट, द्वारा भारतीय दूतावास, डकार।

घाना : श्री पी० ए० नाजरथ, भारतीय उच्चायोग ५, मोनकाटा एवेन्यू, एयरपोर्ट रेसिडेंसियल एरिया, पो० बा० ३०४०, अकरा।

गुयाना : रिक्त, भारतीय उच्चायोग, नं० १०, एवेन्यू आफ दि रिपब्लिक, पो० बा० नं० ८७२, जार्जटाउन।

जमायका : श्री जे० एस० डोडामनी, भारतीय उच्चायोग, नं० ४, स्ट्रीट एवेन्यू, किंग्सटन।

कीनिया : श्री ए० एन० डी० हक्सर, भारतीय उच्चायोग, 'जीवन भारती' दूसरी मंजिल, हरम्बी एवेन्यू पो० बा० ३००७४, नैरोबी।

लिसोथो : श्री पी० एस० सहाय, भारतीय उच्चायोग, मसेरु, द्वारा भारतीय उच्च आयोग, कमुजु प्रोसेसन रोड, 'प्रोग्रेस हाऊस' पो० बा० ६८१, लिलांग्वे।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मलावी	: श्री पी० एस० सहाय, भारतीय उच्च आयोग, कामिया प्रोसेशन रोड, पो० बा० ६८१, लियांग्वे ।
मलेशिया	: श्री एस० जे० एस० छतवाल, भारतीय उच्च आयोग, १६ जालान, मेलाका, युनाइटेड कामर्शियल बिल्डिंग, पो० बा० ५६, क्वालालम्पुर ।
मालटा	: श्री ए० के० दामोदरन, भारतीय उच्च आयोग, द्वारा भारतीय दूतावास, रोम ।
मारीशस	: श्री कैलाश चन्द्र, भारतीय उच्च आयोग, बैंक आफ बड़ौदा बिल्डिंग, पांचवीं मंजिल, सर विलियम न्यूटन स्ट्रीट, पोर्ट लुइस ।
न्यूरू	: श्रीमती एस०कोचर, भारतीय उच्चायोग, न्यूरू द्वारा भारतीय उच्चायोग, सूवा ।
न्यूजीलैंड	: श्री बी० देव राव, भारतीय उच्च आयोग ४६, विलिस स्ट्रीट, वेलिंगटन।
नाइजीरिया	: श्रीमती के० रुक्मिणी मेनन, भारतीय उच्च आयोग १७, अवोलोवो रोड, लागोस ।
सियेरा लियोन	: श्री पी० ए० नाजरथ, भारतीय उच्च आयोग, फ्री टाउन, द्वारा भारतीय उच्च आयोग, अकरा ।
सिंगापुर	: श्री वी० एम० ओझा, भारतीय उच्च आयोग, इण्डिया हाउस ३१, ग्रैंज रोड, मिलीने रोड, पो० बा० ६२, सिंगापुर ।
श्रीलंका	: श्री थामस अब्राहम, भारतीय उच्च आयोग, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बिल्डिंग १८३/१ सर वैरीन जैत्तिली के मवाथ फोर्ट, पो० बा० ८८२, कोलम्बो-१ ।
स्वीजीलैंड	: श्री ओ०एन० शिवपुरी, भारतीय उच्च आयोग, मबाने द्वारा भारतीय दूतावास, मप्यूटी ।
तनजानिया	: श्री ए० एम० गोन साल्वेज, भारतीय उच्च आयोग, ग्यारहवी मंजिल 'ए' विंग एन आई सी, इनवेस्टिमेंट हाऊस, मिरम्बो स्ट्रीट पो० वा० नं० २६८४, दा-रे-स्लाम ।
ग्रेनेडा	: श्री गर्जसिह जोधपुर, भारतीय उच्च आयोग, द्वारा भारतीय उच्च आयोग, ट्रिनिडाड ।
पापुआ, न्यूगिनी	: श्रीमती एस० कोचर, भारतीय उच्च आयोग, द्वारा भारतीय उच्च आयोग, सूवा ।
सेईचेलीज	: श्री ए० एन० डी० हक्सर, भारतीय उच्च आयोग, द्वारा भारतीय उच्च आयोग, नैरोबी ।
टोंगा राज्य	: श्रीमती एस० कोचर, भारतीय उच्च आयोग, टोंगा, द्वारा भारतीय उच्च आयोग, सूवा ।
ट्रिनिडाड एवं टोबेगो	: श्री गर्जसिह जोधपुर, भारतीय उच्च आयोग, ८७ सिप्रियानी वोलेवर्ड पो० वा० नं० ५३०, पोर्ट आफ स्पेन ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

उगांडा : श्री मदनजीत सिंह, भारतीय उच्च आयोग, बैंक आफ इण्डिया बिल्डिंग, कम्पाला रोड, पो० बा० नं० ७०४०, कम्पाला।

ब्रिटेन : रिक्त, भारतीय उच्च आयोग, इण्डिया हाऊस, अल्दविच, लन्दन, डब्लू० सी-२ एन० ए०।

प० समोआ : श्री बी० देव राव, भारतीय उच्च आयोग, अपीया द्वारा भारतीय उच्च आयोग, वेलिंगटन।

जाम्बिया : श्री के० नटवर सिंह, भारतीय उच्च आयोग, अनचोरे हाउस, कैरो रोड, पो० बा० नं० २१११, लुसाका।

भारत में विदेशी राजदूत

अफगानिस्तान : श्री पचागुल वफादार, बी० ५४, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली-११००५७।

अल्जीरिया : श्री ओमार ओस्डिक, १३ सुन्दर नगर, नई दिल्ली-११०००३।

अरब गणराज्य : श्री हिशम अमीर, ५५-५७, सुन्दर नगर, नई दिल्ली-११०००३।

अर्जेंटीना : डा० एफ० एफ० एस्कलान्टे, ३/११ शान्ति निकेतन, नई दिल्ली-११००२१।

आस्ट्रिया : डा० ज्योर्ज हेनिंग, १८ जोर बाग, नई दिल्ली-११०००३।

बेल्जियम : श्री जैक्वेस ग्रेफी, ७ गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-११०००३।

भूटान : श्री एच० ई० लिनपो सांगये पेंजौर, चन्द्रगुप्त मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।

ब्राजील : श्री राबर्टो लुईस आसुम्पकाओ डी० अराउजो, ८ औरंगजेब रोड, नई दिल्ली-११००११।

बल्गेरिया : श्री टोको टोचेव ५० गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-११०००३।

बर्मा : श्री यू० मौंग मौंग शिन, ब्लाक नं० ५० एफ, न्याय मार्ग चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।

सेन्ट्रल एफ्रीकन एम्पायर : रिक्त, ५६, रिंग रोड, लाजपतनगर-३ नई दिल्ली-११००२४।

चिली : श्री थोमस बजुज, १३, शान्ति निकेतन, नई दिल्ली-११००२१।

चीन : श्री चेन चाउ युवान, ५०-डी शान्ति पथ, नई दिल्ली-११००२१।

कोलम्बिया : श्री नेली तरवे डी मुन्ज, नं०-८२-डी, मालचा मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।

क्यूबा : श्री डी० जोसे लोपेज संचेज, २, पश्चिमी मार्ग, बसन्त बिहार नई दिल्ली-११००५७।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

चेकोस्लोवाकिया	: श्री पवोल कनका, नीति मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।
डेनमार्क	: श्री पेर वेल्च फ्रेलेसविग, २, गोल्फ लिंक एरिया, नई दिल्ली-११०००३।
इथोपिया	: श्री ए० बेलाचेव, सत्य मार्ग, नई दिल्ली-११००२१।
फिनलैंड	: कुमारी रीता ओरो, ४२, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-११०००३।
फ्रांस	: श्री आन्द्रे रोज, २ औरंगजेब रोड, नई दिल्ली-११००२१।
जर्मन जनवादी गणराज्य	: श्री हेंज ब्रिच, २, न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।
जर्मन संघीय गणराज्य	: श्री डिर्क ओंकेन, नं० ६, ब्लाक ५०-जी, शान्ति पथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।
ग्रीस	: डा० बेसिल विटसैक्सिस, १६, सुन्दरनगर, नई दिल्ली-११०००३।
होली सी	: श्री मैस्गार लूक्यानो स्टोरिरो, नीति बाग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।
हंगरी	: श्री जेनोस वेरटेस, १५ जोर बाग, नई दिल्ली-११०००३।
इण्डोनेशिया	: वाइस एडमिरल समसूल वाहरी ५०-ए, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।
ईरान	: रिक्त, ६५, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-११०००३।
ईराक	: श्री जिहाद जार्ज कराम, १६९-१७१, जोर बाग, नई दिल्ली-११०००३।
आयरलैंड	: श्री फ्रांसिस ऐकोफी १३, जोर बाग, नई दिल्ली-११०००३।
इटली	: रिक्त, १३, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-११०००३।
जापान	: श्री मसाओ कनजावा, नं० ४-५ ब्लाक ५०-जी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।
जोर्डन	: श्री वालिद एस डूरा, ५ मालचा मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।
कोरिया (जनवादी गणराज्य)	: श्री रिपू टेई सोप, एफ-४२ एन० डी० एम० ई०-१, नई दिल्ली-११००४९।
कोरिया प्रजातन्त्र	: बुम-सुक-ली, बी० १/१६ बसन्त विहार, नई दिल्ली-११००५६।
कुवैत	: श्री एसा अब्दुल रहमान, एल-एसा, १९ फ्रैंड्स कालोनी वैस्ट नई दिल्ली-११००१४।
लाओस	: श्री किथोंग वोंगसे, ४ सर्क्यूलर रोड, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

लेबनान : श्री रबिया हैदर, १०, सरदार पटेल रोड, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१ ।

मैक्सिको : डा० जौशे अन्टोनियो लारा विल्लारील, एन-८८, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-११०००३ ।

लीबिया : श्री मौ० युसुफ अल मगरेफ, ४४-ए, अमृता शेरगिल मार्ग, नई दिल्ली-११०००३ ।

मंगोलिया : श्री बदाम ञेयन बालदू, ३४, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-११०००३ ।

मोरक्को : श्री आब्देलहक सादानी, ३३, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-११०००३ ।

नेपाल : श्री वेदानन्द झा, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-११०००१ ।

नीदरलैण्ड : श्री एच० ल्यो पोल्ड, ६/५० एफ, शान्ति पथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१ ।

नार्वे : श्री पेर गुलोवसन, कौटिल्या मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१ ।

ओमान : श्री अहमदहमूद अल-मामेरी, २२ पालम मार्ग, वसन्त बिहार, नई दिल्ली-११००५७ ।

पाकिस्तान : श्री अब्दुल सत्तार, २/५० जी, शान्ति पथ, नई दिल्ली-११००२१ ।

पेरु : डा० जुआन वरगास क्वीनटनीला, ३/५, शान्ति निकेतन, नई दिल्ली-११००२१ ।

फिलीपीन : श्री आर० एस० ब्युसुएगो, ५०-एन, न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१ ।

पोलैंड : श्री जान जपला, २२ गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-११०००३ ।

पुर्तगाल : डा० ल्यूज गासपर डासिल्वा, ए-२४, वेस्ट एण्ड कालोनी, नई दिल्ली-११००२१ ।

कातार : डा० हसन अली हुसैन अलनोमा, ए-३, वैस्ट एण्ड कालोनी, नई दिल्ली-११००२१ ।

रूमानिया : डा० डोमित्रु निकोलसको, ६ तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली-११००२१ ।

सऊदी अरब : श्री शेख सोलेह अल सूगैर, १, ईस्टर्न एवेन्यू, महारानी बाग, नई दिल्ली-११००१४ ।

सेनेगल : डा० वेबाकार ड्योप, एफ-६३, वसन्त विहार, नई दिल्ली-११००५७ ।

स्पेन : श्री ल्योपोल्ड मार्टिन्ज डी कम्पोस, १२ पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-११००११ ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सोमालिया : श्री अब्दुल्लाही ईगल नूर, बी०२३,ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली-११००४८।

सूडान : श्री इब्राहिम ताहा अयूव, जोरबाग, नई दिल्ली-११०००३।

स्वीडन : श्री लेनर्ट फिनमार्क, न्याय मार्ग, नई दिल्ली-११००२१।

स्विटजरलैंड : श्री एतीने सूतेर, न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।

सीरिया : श्री अब्दुल्ला एफ० एल खानी, बसन्त विहार, नई दिल्ली-११००५७।

थाईलैण्ड : डा० सुचाती चुथास्मित, ५६-एन, न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।

टर्की : श्री ओक्टे इस्केन, २७, जोर बाग, नई दिल्ली-११०००३।

उगांडा : श्री डब्लू एस० के० मटोव, ६१, गोल्फ लिंक, नई दिल्लीं-११०००३।

सोवियत संघ : श्री वाई० एम० वारन्तसौव, शान्ति पथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।

संयुक्त अरब अमीरात : मोहम्द अब्दुल लतीफ रशीद, ए-७ वेस्ट एण्ड, राव तुलाराम मार्ग, नई दिल्ली-११००२१।

संयुक्त राज्य अमेरिका : डा० राबर्ट एफ० गोहीन, शान्ति पथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।

वियतनाम : श्री एन० वान सिन्ह, ३५, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-११००११।

वेन्जुएला : श्री तुलियो कार्डीजोफारिया, एन-११४, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-११००१७।

यमन : रिक्त, ६८, रिंग रोड, लाजपत नगर, नई दिल्ली-११००२४।

युगोस्लाविया : श्री ए० व्लाजेविक, ३/५०-जी, नीति मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।

जेरे : श्री एन० माकुन्गा, १६० जोर बाग, नई दिल्ली-११०००३।

भारत में विदेशी उच्चायुक्त

आस्ट्रेलिया : श्री पीटर कैम्पबेल जान कर्टिस, १/५०-जी, शान्ति पथ, चाणक्यपुरी नई दिल्ली-११००२१।

बंगलादेश : श्री अबूल एहसान, ५६, रिंग रोड, लाजपतनगर-३, नई दिल्ली-११००२४।

ब्रिटेन : श्री सर जान थामसन, शान्तिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।

कनाडा : श्री आर० एल० रोगर्स, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।

घाना : श्री पाल बोएकी दुआ, ए-४२, बसन्त विहार, नई दिल्ली-११००५७।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कीनिया	: श्री फिलिप गिचरू गिटोन्गा, ई-२७, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-११००२४।
मलेशिया	: श्री मोन जमालुद्दीन, ५०-एम, सत्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।
मारीशस	: श्री राजमोहनसिंह जमादार, ५ कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।
न्यूजीलैण्ड	: डा० डी० जी० हारपर, ३९ गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-११०००३।
नाइजीरिया	: श्री जे० ओ० अमोलोदुन, नं०-१, पंचशील मार्ग, नई दिल्ली-११००२१।
सिंगापुर	: श्री हाजी वाई० बी० मोहम्मद, ४८, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-११००२१।
श्रीलंका	: श्री टी० बी पसाबोवेक, २७, कौटिल्य मार्ग चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-११००२१।
तंजानिया	: श्री जी० एम० निगुलार, ई-१०४, ई-१०६, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली-११००४८।
ट्रिनिडाड और टोबेगो	: श्री जे० आर० पी० डूमस, १३१, जोर बाग, नई दिल्ली-११०००३।
जाम्बिया	: श्री ए० सी० चालीकुलिमा, १४, जोर बाग, नई दिल्ली-११०००३।
गुयाना	: श्री एडवर्ड विक्टर लुखाओ, एफ-६/४ बसन्त विहार, नई दिल्ली-११००५७।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कला सजीव हो गई चित्र बोल उठे !

अधिक सफेद, अधिक चिकना,
अधिक चमकवाला क्रिस्टल कोट बहुरंगी
छपाई मे श्रे ष्ठता का प्रतीक हैं ! उभार,
गहराई तथा उज्जवल और हलके रंगों
के स्थायित्व को बनाऐ रखने के लिए
अति उतम कागज है।

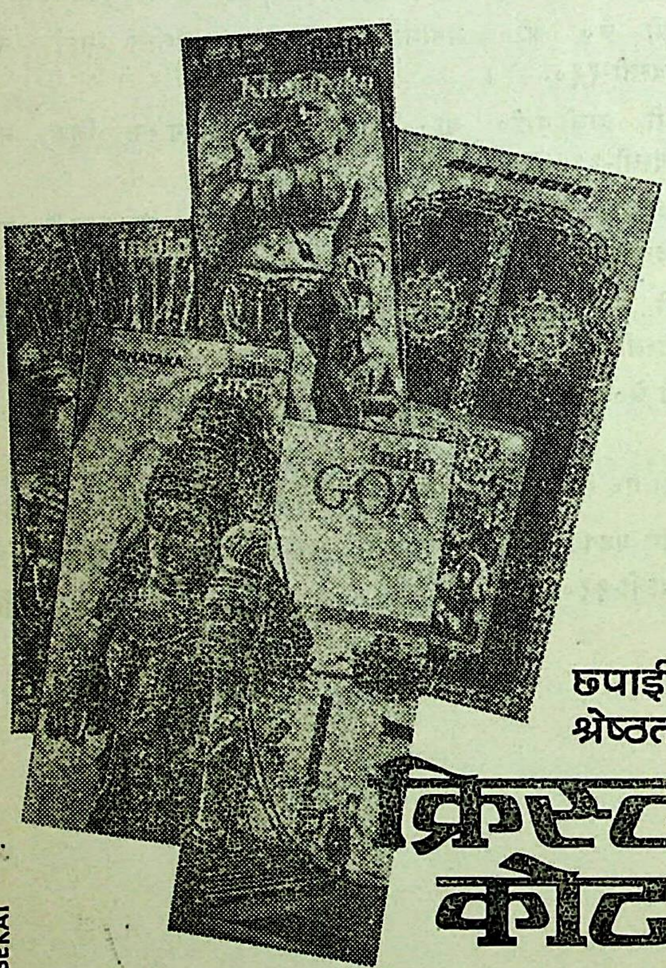

छपाई के लिये
श्रेष्ठतम

क्रिस्टल कोट आर्ट पेपर

SEKAI

BILT **बल्लारपुर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड**
थापर हाउस, १२४ जनपथ, नई दिल्ली-११०००१

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१९७८ का महत्वपूर्ण घटनाक्रम

(१ जनवरी १९७८ से ३१ दिसम्बर १९७८ तक)

वर्ष १९७८ की दो प्रमुख घटनाएं थीं श्रीमती इंदिरा गांधी का लोकसभा से निष्कासन और कारावास का दन्ड तथा जनता पार्टी का आन्तरिक संघर्ष जिसके फलस्वरूप श्री चरणसिंह एवं श्री राजनारायण ने मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दिया।

१९७८ के प्रारम्भ में ही कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ और श्रीमती इंदिरा गांधी एक भाग की अध्यक्ष बन गईं।

एक परम्परा की भांति इस वर्ष भी बाढ़ में सैकड़ों लोगों की जानें गईं।

वायु दुर्घटनाओं में २९१ व्यक्ति मारे गए।

वर्ष का प्रारम्भ अमरीका के राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर की भारत यात्रा से हुआ।

वर्ष की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं—

जनवरी

१. राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर आए।

—२१३ यात्रियों सहित एक बोइंग विमान बम्बई के निकट दुर्घटनाग्रस्त।

२. कांग्रेस का विभाजन और कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक भाग की अध्यक्ष श्रीमती इन्दिरा गाँधी बनाई गईं।

६. ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री जेम्स कलाहन ६ दिन की भारत यात्रा पर आए।

—चन्द्रगुप्त नामक व्यापारिक जलपोत ६९ व्यक्तियों के साथ प्रशान्त महासागर में डूब गया।

१६. एक हजार से बड़े नोटों का विमुद्रीकरण।

२६. दक्षिण राज्यों के विधानसभा चुनावों में मार्क्सवादी पार्टी के साथ गठबन्धन के प्रश्न पर श्री देसाई एवं श्री चन्द्रशेखर में मतभेद।

फ़रवरी

२. शाह ईरान की ४ दिन की भारत यात्रा।

—इन्दिरा कांग्रेस को पंजा चुनाव चिन्ह प्राप्त।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१८. श्री वाई. वी. चन्द्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश।
२६. इन्दिरा कांग्रेस को कर्नाटक चुनाव में बहुमत।
२७. इन्दिरा कांग्रेस को आन्ध्र में भी बहुमत।
२८. वित्तमन्त्री श्री पटेल द्वारा १९७८-७९ का बजट संसद में प्रस्तुत।

मार्च

१. श्री स्वर्णसिंह कांग्रेस अध्यक्ष बने।
१३. शाह जांच आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत।
२४. लैफ्टिनैंट जनरल ओ. पी. मलहोत्रा नए थल सेनाध्यक्ष।
३०. नजरबन्दी निरोधक कानून समाप्त करने का फैसला।

अप्रैल

६. जम्मू-कश्मीर विधान परिषद् में नागरिक सुरक्षा विधेयक पारित।
१२. कांग्रेस (इ०) लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल व स्टीफन उसके नेता घोषित।
१३. अकाली-निरंकारी संघर्ष में १३ व्यक्ति अमृतसर में मारे गए।

—'समाचार' विघटित करके पुरानी प्रै. ट्र., यू. न्यू, हिन्दुस्थान समाचार संवाद समितियों को पुनर्जीवित किया गया।

१८. विदेशमंत्री श्री वाजपेयी द्वारा शिमला में श्रीमती गांधी की भुट्टो के साथ गुप्त समझौते की पुष्टि।
२१. जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में दलीय अनुशासन तोड़ने पर कारवाई करने पर बल।
२२. श्री राजनारायण द्वारा श्री चंद्रशेखर का विरोध एवं अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने की मांग।
२६. जनता पार्टी द्वारा सशस्त्र क्रांति पर ही आपात्-काल स्थिति लागू करने का आश्वासन।
२९. उत्तरप्रदेश, बिहार और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ असमान व्यवहार करने का आरोप लगाकर गृहमंत्री श्री चरणसिंह द्वारा जनता-पार्टी की कार्यसमिति तथा संसदीय मंडल से इस्तीफा।

मई

१. रामलीला मैदान (दिल्ली) में जनता पार्टी की विशाल रैली।
११. जनता सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रद्द।
— जगमोहन रेड्डी आयोग की दूसरी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत।
१२. सरकारिया आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत।
१७. जनता पार्टी अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर द्वारा हरिजनों और आदिवासियों की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक समिति की नियुक्ति की घोषणा।
१८. दूसरे प्रैस आयोग की घोषणा।
२९. दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रधानमंत्री श्री देसाई और गृहमंत्री श्री चरणसिंह की लंबी बातचीत।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जून

१. जनरल ओ० पी० मलहोत्रा द्वारा थल सेनाध्यक्ष का पद ग्रहण ।

४. उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रामनरेश यादव को जनता विधायक दल का विश्वास मत प्राप्त ।

५. प्रधानमंत्री की १२ दिवसीय अमरीका, ब्रिटेन आदि की विदेश यात्रा प्रारम्भ ।

९. निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री देसाई का भाषण ।

— श्री राजनारायण द्वारा जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के विरुद्ध जनमत तैयार करने की घोषणा एवं केन्द्रीय स्तर पर भारतीय लोकदल को पुनर्जीवित करने का संकेत ।

१०. प्रधानमंत्री श्री देसाई द्वारा संयुक्त राष्ट्र की जनरल एसेंबली को संबोधित करते हुए भारत की आणविक नीति की घोषणा ।

१२. शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर श्रीमती गांधी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का प्रस्ताव ।

१३. देसाई कार्टर भेंट ।

१५. वाशिंगटन में देसाई-कार्टर वार्ता के वाद यूरेनियम संवंधित एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी ।

१६. जनता पार्टी अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर की गृहमंत्री श्री चरणसिंह से सूरजकुंड में मुलाकात ।

१८. पाक अधिकृत कश्मीर में गिलगित को चीन के सिकियांग से जोड़ने वाला कराकोरम मार्ग प्रारम्भ ।

१९. सूरजकुंड में प्रतिरक्षा मंत्री श्री जगजीवनराम और श्री चरणसिंह की मुलाकात ।

२०. विवाद सुलझाने के लिए श्री चंद्रशेखर की सूरजकुंड में श्री चरणसिंह से पुनः मुलाकात ।

२२. जनता संसदीय बोर्ड द्वारा स्वास्थयमंत्री श्री राजनारायण से जवाव तलव करने संवंधी-प्रस्ताव पारित ।

२३. गृहमंत्री श्री चरणसिंह द्वारा संसदीय बोर्ड के फैसले को पार्टी के लिए मौत की घंटी' वताना ।

२६. मतभेद दूर करने हेतु श्री वाजपेयी एवं श्री फर्नांडीस की सूरजकुंड में श्री चरण सिंह से भेंट ।

२९. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री श्री देसाई को गृहमंत्री चरणसिंह और स्वास्थयमंत्री राजनारायण से त्यागपत्र मांगने का अधिकार प्रदान ।

— प्रधानमंत्री श्री देसाई ने गृहमंत्री श्री चरणसिंह व स्वास्थय मंत्री राजनारायण से इस्तीफा मांगा ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

३०. श्री चरणसिंह, एवं श्री राजनारायण द्वारा चार अन्य राज्यमंत्रियों सर्व श्री नरसिंह यादव, जगबीर सिंह, रामकिंकर, जनेश्वर मिश्र के साथ त्यागपत्र।

जुलाई

१. श्री चरणसिंह एवं श्री राजनारायण के त्यागपत्र स्वीकृत।

२. जनता पार्टी के महासचिव श्री रबिराय द्वारा पद से त्यागपत्र।

४. जनता संसदीय बोर्ड द्वारा श्री देवीलाल को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटने का निर्देश। जनता संसदीय दल के कोषाध्यक्ष श्री आर. के अमीन का पद से इस्तीफा।

— आनन्द मार्ग के प्रमुख बाबा पी. आर. सरकार पटना हाईकोर्ट द्वारा रिहा।

१०. दिल्ली के भूतपूर्व उपराज्यपाल श्री कृष्ण चन्द द्वारा आत्महत्या।

११. आपात्काल की ज्यादतियों के आरोप में इंदिरा गांधी व अन्य के खिलाफ मुकदमा दायर।

१२. श्री चरणसिंह द्वारा अपना इस्तीफा वापस।

१३. महाराष्ट्र विधानसभा में जनता विधायक दल का श्री शरद पवार को समर्थन।

१४. आसाम तथा मेघालय की पहाड़ियों में यूरेनियम की खोज।

१७. महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री श्री वसन्त राव पाटिल का त्यागपत्र।

१८. महाराष्ट्र में पहली बार गैर कांग्रेसी शरद पवार मंत्रिमंडल द्वारा पद ग्रहण।

२२. विमदलाल आयोग के आरोपों से क्षुब्ध आंध्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री वेंगलराव द्वारा राजनीति से सन्यास।

२३. मिरजापुर में यूरेनियम मिला।

२६. न्यायमूर्ति अंसारी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त।

२९. प्रधानमंत्री श्री देसाई और चौधरी चरणसिंह के बीच दूसरी मुलाकात।

३०. श्री देसाई द्वारा श्री चरणसिंह से 'आरोप वापस लेने' का आग्रह।

अगस्त

१. आपात्काल के अपराधियों के विरुद्ध विशेष अदालतों के गठन पर राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगी।

३. शाह आयोग की अंतरिम रपटों के संदर्भ में लोकसभा में श्रीमती इंदिरा गांधी का मताधिकार छीनने तथा अभियोग चलाने की माँग।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

४. आपात्काल के मामलों पर विशेष अदालत गठित करने संबंधी प्रस्तावित विधेयक पर सर्वोच्च न्यायालय में ११ सितंबर से सुनवायी।

— पश्चिम बंगाल में भूतपूर्व राज्यपाल श्री शांतिस्वरूप धवन का दिल्ली में देहांत।

५. दिल्ली के अलीपुर ब्लाक में बाढ़ की भयानक स्थिति।

— नागपुर की गोलाबारी में चार व्यक्तियों की मृत्यु।

६. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री शरद पवार के आश्वासन पर मराठवाड़ा आंदोलत स्थगित।

— देश की राजनैतिक स्थिति से श्री जयप्रकाश नारायण अप्रसन्न।

— कंझावला के हरिजनों द्वारा फालतू भूमि पर दावा।

७. संविधान में ४५वें संशोधन विधेयक को भारी समर्थन प्राप्त।

— प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा भूतपूर्व गृहमंत्री को त्यागपत्र संबंधी लिखा गया पत्र लोकसभा में पेश।

— सोवियत उपराष्ट्रपति डॉ. अतास एस. वार. कोमरूस का दिल्ली आगमन।

८. साम्प्रदायिक तनाव कम करने के लिए अखिल भारतीय स्थायी समिति के गठन का निश्चय।

— पहली अक्तूबर से चीनी पर नियंत्रण समाप्त करने की घोषणा।

— हरियाणा की भूतपूर्व वित्तमंत्री श्रीमती ओमप्रभा जैन का एक दुर्घटना में देहांत।

९. कांग्रेस (इ) द्वारा 'भारत बचाओ दिवस' का आयोजन।

१०. राज्यसभा द्वारा प्रधानमंत्री देसाई तथा चरणसिंह के परिवार के सदस्यों के बारे में लगाये गये आरोपों की जांच पर प्रतिपक्ष का प्रस्ताव पारित।

१४. जनता पार्टी के महासचिव मधु लिमये द्वारा इस्तीफा।

१७. केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक में समग्र समझौते के अन्तर्गत श्री चरणसिंह को जनता पार्टी अध्यक्ष बनाने पर सहमति।

— कांग्रेस और कांग्रेस (इ) में पुनः एकता वार्ता।

१८. वी. पी. कोइराला की पटना में जयप्रकाश नारायण से वार्ता।

— भारत और सोवियत संघ में परस्पर सहयोग पर दीर्घकालीन कार्यक्रम की योजना।

— जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री चंद्रभानु गुप्त द्वारा कांतिभाई देसाई के विधानसभा चुनाव के लिए नव्वे लाख रुपये इकट्ठा करने सम्बन्धी वक्तव्य।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१९. - लद्दाख में इस शताब्दी की भीषण बाढ़ से जनजीवन अस्तव्यस्त ।

— चरणसिंह विरोधी हस्ताक्षर अभियान में तेजी ।

२०. श्री चरणसिंह द्वारा कोई भी पद स्वीकार करने से इन्कार ।

— दिल्ली में दस हजार एकड़ भूमि जलमग्न ।

२१. प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के देशों के सम्मेलन का दिल्ली में उद्घाटन ।

— भारत के महान् क्रिकेट खिलाड़ी वीनू मांकड़ का वंबई में देहांत ।

— कांतिदेसाई द्वारा जनता पार्टी के लिए धन संग्रह के प्रश्न पर लोकसभा में हंगामा ।

२२. सरकार द्वारा ८.३३ प्रतिशत न्यूनतम बोनस की घोषणा ।

२३. लोकसभा द्वारा संविधान (४४वाँ) संशोधन विधेयक पारित ।

— जीप मामले में श्रीमती इंदिरा गांधी तथा अन्य तीन व्यक्तियों की जमानत ।

२४. प्रधानमंत्री श्री मोरारजी द्वारा अपने पुत्र के विरुद्ध लिखित आरोपों की जाँच सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कराने का राज्यसभा को आश्वासन ।

— भूतपूर्व स्वास्थ्यमंत्री श्री राजनारायण द्वारा अपने त्यागपत्र पर लोकसभा में बयान ।

२५. श्री जगजीवनराम के पुत्र सुरेशकुमार के 'अपहरण' में युवा जनता नेता के. सी. त्यागी व ओमपाल सिंह गिरफ्तार ।

२६. शाह आयोग की अंतिम रपट सरकार को पेश ।

— पी. आर. उमरीगर भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड के अध्यक्ष ।

२७. विशाखापत्तनम में नौसेना और बस कर्मचारियों के झगड़े में चार व्यक्तियों की मृत्यु और शहर में कर्फ्यू ।

— दिल्ली में भारतीय नौसेना के कैप्टन एम. एम. चोपड़ा के पुत्र संजय और पुत्री गीता का अपहरण ।

२८. दलबदल विधेयक लोकसभा में कड़े विरोध के कारण सरकार द्वारा वापस ।

— उपराष्ट्रपति श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती द्वारा ११० शिक्षकों को पुरस्कार

२९. दिल्ली के अपहृत बहन, भाई गीता-संजय चोपड़ा की दर्दनाक हत्या ।

— एयर इंडिया का एक विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर क्षतिग्रस्त ।

३०. मासूम चोपड़ा बच्चों की हत्या पर संसद् में शोक और पुलिस की लापरवाही पर रोष ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

— विशनसिंह वेदी पाकिस्तान का दौरा करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान नियुक्त ।

३१. वोट क्लव (दिल्ली) पर पथराव के दौरान विदेशमंत्री श्री अटलविहारी वाजपेयी घायल ।

— राज्यसभा द्वारा ४४वें संविधान संशोधन विधेयक में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों के सुझाव ।

— औद्योगिक संबंधों के वारे में विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया।

— श्री इदरीस हसन लतीफ द्वारा नए एयरचीफ मार्शल पद की शपथ ग्रहण।

सितम्बर

२. दिल्ली में वर्षा से चार मकानों के गिरने से पाँच व्यक्तियों की मृत्यु ।

३. मिदनापुर में १५,००० व्यक्ति वाढ़ की चपेट में ।

४. दिल्ली का वाढ़ की विभीषिका से हरियाणा तथा उत्तरप्रदेश से सम्पर्क टूटा ।

— शिक्षामन्त्री डा० प्रतापचंद्र चन्द्र द्वारा काठमांडो में श्री तुलसी मेहर श्रेष्ठ को जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान ।

५. दिल्ली में वाढ़ के पानी के लगातार वढने से स्कूल-कालेज वंद ।

— श्री ईरा सेझियान के नेतृत्व में जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रीय अनुशासन समिति का गठन ।

६. शाहदरा वांध में छह जगह दरारें पड़ने से बस्तियों को खतरा ।

७. आगरा, इलाहावाद, वाराणसी में वाढ़ के पानी के प्रवेश का खतरा ।

— सुरेश-सुषमा अपहरण कांड संवंधी अभियुक्तों की जमानत ।

— पेट्रियट के संपादक श्री एडदाता नारायणन् का दिल्ली में देहांत ।

८. आधे से अधिक उत्तरप्रदेश वाढ़ की चपेट में ।

— अधिकतम २० प्रतिशत वोनस देने संबंधी अध्यादेश जारी ।

— टाइम्स आफ इंडिया टेवल टेनिस फाइनल में तमिलनाडु के वी. चंद्रशेखर नये चेंपियन ।

९. चोपड़ा वच्चों के कुख्यात हत्यारे विल्ला और रंगा गिरफ्तार ।

— ढांसा वांध को वचाने के लिए सेना का सहयोग ।

१०. वाढ़ रोकने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा पंचवर्षीय आयोजन में सात अरब रुपये निर्धारित ।

— विल्ला और रंगा से चोपड़ा परिवार के दो वच्चों की हत्या के वारे में विस्तार से पूछताछ जारी ।

— विदेशमंत्री श्री अटल विहारी वाजपेयी मास्को रवाना ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

११. नागरवाला कांड की जाँच करने वाले रेड्डी आयोग के समक्ष प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की गवाही।

१२. बाढ़ नियंत्रण और उस के प्रभाव को कम करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए १५ सदस्यीय दल गठित।

१३. भारत बंगलादेश सीमा पर कानून और व्यवस्था संबंधी दिल्ली में वार्ता

— कंझावला और लाड़पुर गाँव की ५० स्त्रियों द्वारा गिरफ्तारी।

— बिल्ला का अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से संपर्क बताया जाना।

१४. पंजाब विधानसभा द्वारा सात विधायकों को निलंबित करने से प्रतिपक्ष का बहिर्गमन।

१५. कृषि मूल्य आयोग द्वारा खरीफ अनाज के वसूली मूल्य बढ़ाने की सिफारिश।

— युगोस्लाविया के सेनाध्यक्ष जनरल प्रोटोकार का दिल्ली आगमन।

— भारत में अवैध प्रवेश रोकने के लिए बंगलादेश का आश्वासन।

१६. पांडिचेरी में अन्ना द्रमुक सरकार को खतरा।

— भारत द्वारा नेपाल में सीमेंट और कागज के कारखाने लगाने में सहयोग।

१७. बाढ़ नियन्त्रण के लिए १२८ करोड़ रुपये की योजनाएँ।

— मारीशस के उपप्रधानमंत्री श्री वीरस्वामी रिंगाडू की प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से भेंट।

१८. सिंचाई योजनाओं के लिए ५००० करोड़ रुपये निश्चित।

— दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन।

१९. भूतपूर्व गृहमंत्री श्री चरणसिंह द्वारा किसान रैली का अनुमोदन।

— विशेष न्यायालयों के गठन संबंधी बहस सर्वोच्च न्यायालय में शुरू.

२०. प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा दिल्ली में औजार कक्ष और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन

२१. उत्तर के तीन राज्यों द्वारा धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की माँग.

— बड़ौत (मेरठ) के उपद्रव में चार व्यक्तियों की मृत्यु। अदालत में बंद कमरे में रंगा का इकबालिया बयान

— पांडिचेरी के उपराज्यपाल श्री कुलकर्णी द्वारा विधानसभा का अधिवेशन बुलाने की घोषणा।

२२. दिल्ली में जनता संसदीय पार्टी की कार्यसमिति की बैठक में श्री मधु लिमये के विरुद्ध कार्रवाई न करने का फैसला।

— मिर्जा अफजल बेग से विधि विभाग का लिया जाना।

२३. कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार करने के लिए दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

२४. राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी द्वारा आनंदपुर साहिब के दसमेश अकादमी का शिलान्यास।

२५. जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री मिर्जा अफजल बेग का मंत्रिमंडल से इस्तीफा।

२६. प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रामकृष्ण श्री डालमिया का दिल्ली में देहान्त।

— कानपुर में अकाली निरंकारी संघर्ष में ११ व्यक्तियों की मृत्यु।

— पांडिचेरी विधान सभा में सरकार को विश्वास प्राप्त।

— सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अदालतों के स्थान पर उच्चन्यायालय को सीधे मामले प्रस्तुत करने का सुझाव।

२७ पंजाब में निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचनसिंह के प्रवेश पर प्रतिबंध।

अक्तूबर

३. भारत की पहली टैस्ट ट्यूब बेबी का कलकत्ता में जन्म।

६. जैगुआर दूरमारक विमान खरीद का समझौता।

१६ श्री आर. डी. साठे चीन में भारतीय राजदूत नियुक्त।

१९. प्रधानमंत्री द्वारा रिजर्व बैंक को सोना नीलामी बंद करने का आदेश।

— जैगुआर संबंधी अनुबंध को अन्तिम रूप प्रदान।

— ज्वालामुखी में प्राकृतिक गैस के भंडार प्राप्त।

२०. प्रत्यक्ष करो संबंधी चौकसी समिति द्वारा आय कर पर ६० प्रतिशत सीमा का सुझाव।

— इलाहाबाद उच्चन्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश श्री एस. के. वर्मा की अलीगढ़ दंगों की जाँच के लिए नियुक्ति।

२१. प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा अकालियों और निरंकारियों दोनों से हिंसा समाप्त करने का आग्रह।

— भारत सोवियत संघ द्वारा तीसरे देशों में दवाइयों के कारखाने स्थापित करने का निर्णय।

— मणिपुर में शैजा मंत्रिमंडल का विस्तार।

२२. अमेरिकी सेनाध्यक्ष जनरल बर्नार्ड रोजर्स का दिल्ली आगमन।

२३. दिल्ली हवाई अड्डे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री देवीलाल के पुत्र ओम प्रकाश से कस्टम अधिकारियों द्वारा ४८ बहुमूल्य घड़ियां और २० पेन बरामद।

— नागरवाला कांड में जगमोहन रेड्डी की अन्तरिम रिपोर्ट।

२४. कांग्रेस संसदीय बोर्ड द्वारा चिकमगलूर में जनता पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र पाटिल का समर्थन न करने का फैसला

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

— श्रीमती इन्दिरा गांधी को राजनयिक पारपत्र ।
प्रधानमंत्री की जयप्रकाश नारायण से पटना में लंबी वार्ता ।

२५. चिकमगलूर पर कांग्रेस के फैसले के विरोध में केरल के मुख्यमंत्री ए. के. एंटनी का अपने पद से तथा डा० कर्णसिंह और चंद्रजीत यादव का कार्यकारिणी से त्यागपत्र ।

— संजय गांधी गिरफ्तार और रिहा ।

नवम्बर

९. अलीगढ़ के दंगों में दस व्यक्तियों की मृत्यु ।

— बंबई नगर निगम चुनाव में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ।

१० जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा चार वर्ष के भीतर नशाबंदी का निश्चय ।

— केंद्र द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड गठित करने का फैसला ।

११ मिजोरम में राष्ट्रपति शासन और विधानसभा भंग ।

— अलीगढ़ में स्थिति सामान्य तथा शस्त्र लाइसेंस रद्द ।

— गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में तूफान ।

१२. पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू और विधानसभा भंग।

— पाकिस्तान द्वारा जम्मू के निकट हथियायी गयी चौकी खाली ।

— अकाली नेताओं की प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से वार्ता ।

१३. जापान के निचीदास्तु फुजी को १९७८ का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार ।

१४. जनता पार्टी अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर द्वारा उज्जैन में पार्टी के सभी घटको को एकजुट रहने की सलाह ।

१५. भारत द्वारा इंडोनेशिया से कच्चा तेल आयात करने पर विचार ।

— मुख्य चुनाव आयुक्त श्यामलाल शकधर द्वारा सिक्किम के मतदाताओं के लिए पहचान कार्ड प्रणाली शुरू करने की घोषणा ।

१६. उज्जैन में जनता पार्टी अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर द्वारा अखिल भारतीय कार्यकर्त्ताओं के शिविर का उद्घाटन ।

— गोदी कर्मचारियों की हड़ताल शुरू ।

१७. श्री चंद्रशेखर द्वारा प्रधानमंत्री से मतभेदों की बात को बेबुनियाद बताना

— अकाली पार्टी की कार्यकारिणी से चार सदस्यों का त्यागपत्र ।

— अखिल भारतीय गोदी तथा बंदरगाह कर्मचारियों की हड़ताल से प्रमुख बंदरगाहों पर कामकाज ठप्प ।

१८. केंद्रीय नेताओं से वार्ता के बाद अकाली मंत्रियों—सुरजीतसिंह बरनाला और धन्नासिंह गुलशन—द्वारा अपने इस्तीफे वापस ।

— पाउंड की तुलना में रुपए का पुनर्मूल्यांकन ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

— आरक्षण के विरोध में बिहार में छिटपुट घटनाएँ।
केरल के दो कम्युनिस्ट मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण।

१६. भारतीय वायुसेना के एक विमान के लेह के पास दुर्घटनाग्रस्त होने से ६८ व्यक्तियों की मृत्यु।

— क्यूबा के विदेशमंत्री ईसीदोरो पीएलो की अटलबिहारी वाजपेयी से नयी दिल्ली में वार्ता।

२०. संसद का शीतकालीन अधिवेशन शुरु।

— श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा लोकसभा में शपथ ग्रहण।

— औद्योगिक संबंध विधेयक के विरोध में राजधानी में भारी रैली।

२१. लोकसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा श्रीमती इन्दिरा गांधी सदन की अवमानना के लिए दोषी करार।

— वेस्ट इंडिज के विरुद्ध खेलने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सुनील गवास्कर कप्तान।

— हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल।

— श्रीमती गाँधी द्वारा दोनों कांग्रेसों में एकता की अपील।

२२. कृषि मूल्य आयोग द्वारा गेहूँ की वसूली दर ११५ रुपए कुंतल की सिफारिश।

२८. एडमिरल परेरा नए जल सेना अध्यक्ष।

२६. अजीत कुमार मेहता (जनता) समस्तीपुर से संसद का चुनाव जीते।

३०. जनता संसदीय पार्टी की कार्यकारिणी द्वारा विशेषाधिकार समिति के संदर्भ में श्रीमती इन्दिरा गांधी से क्षमायाचना पर बल।

— सूचना और प्रसारण मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा दो दर्जन पत्रकारों के सी. आई. ए. के एजेंट होने की खबर का खण्डन।

दिसम्बर

१. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अदालतों के गठन को संवैधानिक बताना।

— कांग्रेस अध्यक्ष श्री स्वर्णसिंह की श्रीमती इन्दिरा गांधी से भेंट।

— प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा परमाणु ईंधन नीति के बारे में स्पष्टीकरण।

२. पुंछ में छात्रों और पुलिस में संघर्ष में एक व्यक्ति की मृत्यु।

४. श्री चरणसिंह की प्रधानमंत्री से संसद् भवन में ३५ मिनट तक वार्ता।

— करोलबाग (दिल्ली) के एक जौहरी की दुकान में १२ लाख रुपये की डकैती।

५. फतेहपुर उपचुनाव में जनता पार्टी के लियाकत हुसेन ३०,००० से अधिक मतों से विजयी।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

— गुजरात काँग्रेस समिति के अध्यक्ष श्री कांतिलाल घिया का अहमदाबाद में देहांत।

६. वंबई में भारत-वेस्ट इंडीज में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच हारजीत के विना समाप्त।

— जांविया के प्रधानमन्त्री श्री डेनियल लिसूलो की प्रधानमन्त्री श्री देसाई से परस्पर सम्वन्धों पर वार्ता।

— लोकसभा द्वारा संविधान ४५वें संशोधन विधेयक पर पुनः विचार शुरू।

७. लोकसभा द्वारा ४५वां संविधान संशोधन विधेयक पारित।

१४. प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा विशेषाधिकार हनन में श्रीमती इन्दिरा गांधी को जेल की सजा का प्रस्ताव लोकसभा में पेश।

१५, अलीगढ़ में पुनः कर्फ्यू।

— ऊधमपुर में दंगों से १७७ व्यक्ति घायल।

— वंगलूर में भारत-वेस्ट इंडीज में दूसरा क्रिकेट मैच शुरू।

१६. भूतपूर्व गृहमन्त्री श्री चरणसिंह के गुट द्वारा श्रीमती गांधी के विशेषाधिकार हनन सम्बन्धी प्रधानमन्त्री के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान का निर्णय।

— उत्तरप्रदेश के भूतपूर्व मन्त्री मंगलाप्रसाद का लखनऊ में देहांत।

१७. चौधरी चरणसिंह द्वारा जनता पार्टी के घटकों को अलग अस्तित्व का आह्वान।

— हैदराबाद हवाई अड्डे के पास इंडियन एयर लाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त लेकिन सभी यात्री सकुशल।

१८. श्री जयप्रकाशनारायण द्वारा प्रधानमन्त्री और चौधरी चरणसिंह से पुनः मिलने का अनुरोध।

— विमादलाल आयोग द्वारा आंध्रप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री वेंगलराव आरोपमुक्त।

१९. लोकसभा द्वारा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी को सदन से निष्कासित करने और वर्तमान अधिवेशन समाप्त होने तक जेल की सजा देने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार।

२०. इंडियन एयरलाइंस का विमान अपहरण कर वाराणसी ले जाया गया।

— आर० के० धवन और डी० सेन गिरफ्तार।

— पाउंड की तुलना में रुपये का २.४२ प्रतिशत अवमूल्यन।

२२. श्री चरणसिंह द्वारा लोकसभा में मन्त्रिमंडल से त्यागपत्र के कारणों पर वक्तव्य।

२३. श्री चरणसिंह के जन्मदिवस पर दिल्ली में रैली।

२६. श्रीमती इन्दिरा गांधी रिहा

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

विज्ञापनदाताओं की सूची

क्र०	नाम	स्थान	पृष्ठ संख्या
१.	अलको वेक्स मेटलस् प्रा० लि०	जोधपुर	xxiv
२.	आन्ध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि०	हैदराबाद	२१६
३.	आई० एच० कन्स्ट्रक्शन कं०	बोकारो	xvii
४.	आलोक रिफ्रेक्ट्री इंडस्ट्रीज	बोकारो	xxxvii
५.	ओटो इण्डिया	कलकत्ता	xL
६.	इण्डिया फायरब्रिक्स एण्ड इंसुलेशन प्रा० लि०	हजारीबाग	xix
७.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	मद्रास	xLii
८.	उज्जैन नगर पालिक निगम	उज्जैन	२३४
९.	उ० प्र० राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०	लखनऊ	७८
१०.	उ० प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ लि०	लखनऊ	१९८
११.	उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्	लखनऊ	१९२
१२.	दि एम० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज	भोपाल	xxxi
१३.	कुमारधुबी फायरक्ले एण्ड सीलिसा वर्क्स लि०	धनबाद	२९५
१४.	खुराना इंजीनियरिंग कम्पनी	बोकारो	xi
१५.	गुप्ता प्रकाशन	नई दिल्ली	३८
१६.	गुजरात मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लि०	अहमदाबाद	xxvii
१७.	गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन	अहमदाबाद	xxx
१८.	गया नगर पालिका	गया	३६३
१९.	जोधपुर वूलन मिल्स लि०	जोधपुर	xxxiv
२०.	दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०	सिन्दरी	१८२
२१.	दि हुक्म चन्द मिल्स लि०	इन्दौर	xx
२२.	दि बिहार स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि०	पटना	xxvi
२३.	दि पिअरलेस जेनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कं० लि०	कलकत्ता	xLvii
२४.	दि हिन्दुस्तान टाइम्स लि०	नई दिल्ली	२४०
२५.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	नई दिल्ली	ii
२६.	दिल्ली जल प्रदाय एवं मल संस्थान (दि०न०नि०)	नई दिल्ली	xxxv
२७.	दीपक इंटरप्राईज	धनबाद	xiv
२८.	दिल्ली प्रशासन	दिल्ली	xLi
२९.	दया इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा० लि०	गया	xxi
३०.	नगर पालिक निगम	इन्दौर	xLii
३१.	नगर महापालिका	लखनऊ	xLiii
३२.	नेशनल मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लि०	हैदराबाद	१३४

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

३३. न्यू भारत रिफ्रेक्ट्रीज	हजारीबाग	xviii
३४. प्रसार एवं जन सम्पर्क (वन विभाग) उ० प्र० शासन	लखनऊ	१००
३५. प्रभात जर्दा फैक्टरी	मुजफ्फर नगर	आ०पृ० २
३६. फेडरेशन आफ आल इंडिया फूडग्रेन्स डीलर्स एसोसिएशन	दिल्ली	xxxiv
३७. बिहार राज्य विद्युत परिषद	पटना	१६१
३८. बिहार स्टेट फोरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	पटना	xL
३९. बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ	पटना	xxxi
४०. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	पटना	३०४
४१. बिहार स्टेट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि०	पटना	आवरण पृष्ठ ३
४२. बिहार पंचायती राज फाइनेन्स कारपोरेशन लि०	पटना	v
४३. भंडारीडा रिफ्रेक्ट्रीज प्लांट	बोकारो	xiv
४४. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	नई दिल्ली	२०४
४५. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित	नई दिल्ली	xLvi
४६. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	धनबाद	२६३
४७. भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि०	बोकारो	३३०
४८. भारतीय डाक व तार विभाग	भोपाल	३३४
४९. मगध ट्रेवल्स	गया	३१०
५०. मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम	भोपाल	२६४
५१. मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल	जबलपुर	i
५२. मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम	भोपाल	३६४
५३. मध्य प्रदेश ग्रामोद्योग बोर्ड	भोपाल	ii
५४. मध्य प्रदेश वित्त निगम	इन्दौर	xxxi
५५. मध्य प्रदेश स्टेट फोरेस्ट डवलपमेंट कारपोरेशन लि०	भोपाल	xxii
५६. मध्य प्रदेश राज्य दुग्ध विकास निगम मर्यादित	भोपाल	xLiii
५७. मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि०	भोपाल	xxxviii
५८. मैसर्स राजहंस रिफ्रेक्ट्रीज प्रा० लि०	धनबाद	२७४
५९. मैसर्स इन्डो-रीव रिफ्रेक्ट्रीज प्रा० लि०	धनबाद	२९६
६०. मैसर्स मैथन करोमिक प्रा० लि०	धनबाद	ix
६१. मैसर्स केशोराम रिफ्रेक्ट्रीज	वर्धवान	vii
६२. मैसर्स बंगाल बिहार फायरब्रिक्स एण्ड पोटरी वर्क्स प्रा०लि०	धनबाद	x
६३. मैकेनिकल इंजीनियर एण्ड कान्ट्रैक्टर्स (मैसर्स शुभकन्स)	धनबाद	xii
६४. मैसर्स शंकर रिफ्रेक्ट्रीज प्रा० लि०	हजारीबाग	xviii
६५. मैसर्स उड़ीसा इंन्डस्ट्रीज लि०	राउरकेला	xix
६६. मैसर्स भारत बिल्डर्स	बोकारो	xvii
६७. मैसर्स बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन	पटना	xv
६८. मैसर्स एम० एस० खुराना, मेंमन दास, लोकमत परमानन्द एण्ड लालचन्द अमरदास	भोपाल	xvi
६९. मैसर्स बल्लारपुर इन्डस्ट्रीज लि०	नई दिल्ली	४१२

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri